



Institute of Open and Distance Education

Faculty of Arts

साहित्यशास्त्र एवं सौंदर्यशास्त्र- II

साहित्यशास्त्र एवं सौंदर्यशास्त्र- II



2MA SANS5



Dr. C.V. Raman University
Kargi Road, Kota, BILASPUR, (C. G.),
Ph. : +07753-253801, +07753-253872
E-mail : info@cvru.ac.in | Website : www.cvru.ac.in



DR. C.V. RAMAN UNIVERSITY

Chhattisgarh, Bilaspur A STATUTORY UNIVERSITY UNDER SECTION 2(F) OF THE UGC ACT

2MASANS5

· साहित्य शास्त्र एवं सौंदर्य शास्त्र -II

2MA SANS5, Sahitya shastra Avam Soundarya shastra -II

Edition: March 2024

Compiled, reviewed and edited by Subject Expert team of University

1. Dr. Ved Prakash Mishra

(Professor, Dr. C. V. Raman University)

2. Dr. Renu Shukla

(Assistant Professor, Dr. C. V. Raman University)

3. Dr. Krishna Kumar Bhaskar

(Assistant Professor, Dr. C. V. Raman University)

Warning:

All rights reserved, No part of this publication may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form or by any means now known or hereinafter invented, electronic, digital or mechanical, including photocopying, scanning, recording or by any information storage or retrieval system, without prior written permission from the publisher.

Published by:

Dr. C.V. Raman University

Kargi Road, Kota, Bilaspur, (C. G.),

Ph. +07753-253801, 07753-253872

E-mail: info@cvru.ac.in

Website: www.cvru.ac.in

विषय-सूची

इकाई-1 पांलिजातकावलि:

1-64

- बावेरु-जातकम्
- पालि संगहो (बोधिसत्त्व-जातकावली)
- पालि संगहो (बुद्धचरितं)
- पालि संगहो (बुद्धसासनं)
- पालि संगहो (बुद्धसासनप्पसारं)

इकाई-2 साहित्यिक-प्राकृत

65-128

- पाइअ-संगहो (गाहा-सत्तसई)
- पाइअ-संगहो (शौरसेनी)
- पाइअ-संगहो (मागधी)
- पाइअ-संगहो (अर्धमागधी)
- पाइअ-संगहो (खोतानी-प्राकृत)
- पाइअ-संगहो (मिश्रित-प्राकृत)

इकाई-3 अनुवाद, समीक्षा एवं भाषा विज्ञान

129-250

- अपभ्रंशमुक्तकसंग्रहः
- भाषानुवाद
- भाषा
- विश्व-भाषाओं का वर्गीकरण
- भारोपीय भाषा-परिवार
- आर्य शाखा या भारत-ईरानी शाखा
- ईरानी भाषा
- भारतीय आर्यभाषा
- ध्वनिविज्ञान
- रूपविज्ञान एवं रूपग्राम विज्ञान

इकाई-4 वाक्य विज्ञान

251-316

- वाक्य
- अर्थविचार
- कोश-विज्ञान
- व्युत्पत्ति-विज्ञान
- भाषाविज्ञान का इतिहास
- लिपि का विकास तथा देवनागरी लिपि

1

पालिजातकावलि:

NOTES

इकाई में सम्मिलित है :

- अध्ययन के उद्देश्य
- प्रस्तावना
- बावेरु-जातकम्
- पालि संगहो (बोधिसत्त्व-जातकावली)
- पालि संगहो (बुद्धचरितं)
- पालि संगहो (बुद्धसासनं)
- पालि संगहो (बुद्धसासनप्पसारं)
- सारांश
- अभ्यास-प्रश्न

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त छात्र निम्नलिखित बिन्दुओं से अवगत हो सकेंगे :

- पालिजातकावली की विविध जातक कथाओं का संस्कृत एवं हिन्दी-अनुवाद
- पालिसंगहो में सम्पादित बोधिसत्त्व पालिजातकावली की विभिन्न जातक कथाओं का संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद
- पालिसंगहो में सम्पादित बुद्धसासनं के विनयपिटक तथा धम्मपदसंग्रह का संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद
- पालिसंगहो में सम्पादित बुद्धसासनप्पसारं की चयनित गाथाओं एवं लंका विजय का संस्कृत व हिन्दी अनुवाद

इस इकाई में पालिजातकावली के बावेरु जातक, शिशुमार जातक, वानरेन्द्र जातक, वक जातक, सिंहचर्म जातक, राध जातक, नृत्य जातक तथा उलूक जातक की कथाओं को क्रमशः संस्कृत एवं हिन्दी भाषा में अनूदित करके प्रस्तुत किया गया है। ये जातक कथाएँ विविध नैतिक मूल्यों की शिक्षा प्रदान करती हैं। इसी इकाई में बोधिसत्व जातकावली की ससजातकम्, वावेरुजातकम्, जबसकुणजातकम्, सुप्पारकजातकम्, वानरिन्द्रजातकम् आदि कथाओं के वर्णन द्वारा भी मानवीय जीवन-मूल्यों की महत्ता प्रतिपादित की गयी है। पालिसंग्रहों के बुद्धचरितं अंश में माया देवी के स्वप्न तथा गौतम के जन्म की कथा का वर्णन है। बुद्धसासनं शीर्षक अंश में विनय पिटक के सम्यक आचरण तथा सम्यक दृष्टि की महत्ता का प्रतिपादन है। धर्मपदसंग्रह में बुद्ध द्वारा दिये गये उपदेशों का वर्णन है। पालिसंग्रहों के बुद्धसासनपुस्तक शीर्षक अंश में महाप्रजापति गौतमी गाथा, मालुक्यपुत्र गाथा तथा लंकाविजय गाथा का वर्णन है। इस सभी कथाओं से बुद्ध के मानव-कल्याण सम्बन्धी विचारों का ज्ञान होता है।

1. बावेरु-जातकम्

[इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् हतलब्धसत्कारान् तैर्थिकान् आरभ्याऽअचकथत् ।...शास्ता... नभिक्षवः ! इदानीमेव, पूर्वमपि यावद् गुणवन्तो नोत्पद्यन्तो तावन् निर्गुणा लाभाग्रयशोऽग्रप्राप्ता अभूवन् । गुणवत्सु पुनरुत्पन्नेषु निर्गुणहतलब्धसत्कारा जाताः' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत् ।]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वो मयूरयोण्यां निर्वृत्य बुद्धिमन्वेत्य सौभाग्यप्राप्तः अरण्ये व्यचारत् । तदा एकत्वे वणिजो दिशाकाकं गृहीत्वा नाव्या बावेरुराष्ट्रमगमनम् । तस्मिन् किल काले बावेरुराष्ट्रे शकुना नाम न सन्ति । आगतागताः राष्ट्रवासिनस्तं कूपाग्रे निषण्णं दृष्ट्वा 'पश्यतास्य छविवर्णं गलपर्यवसानं मुखतुण्डकं मणिगुलसदृशे अक्षिणी' इति काकमेव प्रशस्य ते वणिजः अवोचन् । 'इमं आर्यः शकुनं अस्मभ्यं ददातु । अस्माकं हि अनेनार्थः । यूयं आत्मनो राष्ट्रे अन्यं लप्स्यध्वे' इति । 'तेन हि मूलेन गृहीत' इति । 'कार्षापणेन नो दत्त' । 'न दद्वः' इति । आनुपूर्व्येण वर्धयित्वा 'शतेन दत्त' इत्युक्ते 'अस्माकं एष बहूपकारः । युष्माभि पुनः सार्धं मैत्री भवतु । इति कार्षापणशतं गृहीत्वा अदुः । ते तं गृहीत्वा सुवर्णपिञ्जरे प्रक्षिप्य नानाप्रकारेण मत्स्यमांसेन चैव फलाफलेन च प्रत्यग्रहीषुः । अन्येषां शकुनानां अविद्यमानस्थाने दशभिः असद्धर्मैः समान्वागतः काकः लाभाग्रयशोऽग्रप्राप्तो अभूत् । पुनर्वारं ते वणिजः एकं मयूरराजं गृहीत्वा यथा अक्षरशब्देन वाशयते, पाणिप्रहारशब्देन नृत्यते एवं शिक्षयित्वा बावेरुराष्ट्रमगमनम् । स महाजने सन्निपतिते नाव्या धुरि स्थित्वा पक्षौ विधूय मधुरस्वरं निस्सार्य अनतीत् । मनुष्याः तं दृष्ट्वा सौमनस्यजातः 'एतमार्या सौभाग्यप्राप्तं सुशिक्षितं शकुनराजं अस्माकं दत्त' इति अवोचन् । 'अस्माभिः प्रथमं काकः आनीतः तमग्रहीष्ट । इदानीमेतं मयूरराजं आनैषिष्म, एतमपि याचथ । युष्माकं राष्ट्रे शकुनं नाम गृहीत्वा आगन्तुं न शक्यं' इति । 'भवतु आर्यः आत्मनो राष्ट्रे अन्यं लप्स्यते । इमं नो ददातु' इति मूलं वर्धयित्वा सहस्रेण अग्रहीषुः । अथैतं सप्तरत्नविचित्रे पिञ्जरे स्थापयित्वा मत्स्यमांसफलाफलैः चैव मधुलाजशर्करापानकादिभश्च प्रत्यग्रहीषुः । मयूरराजः लाभाग्रयशोऽग्रप्राप्तः जातः । तस्यागतकालतः प्रस्थाय काकस्य लाभसत्कारो पर्यहायि । काश्चिदेनं अवलोकयितुमपि नैच्छत् । काकः खादनीयं भोजनीयं अलभमानः काका इति वाशयमानो गत्वा उत्कारभूमौ अवातरीत् ।

अदर्शनेन मयूरस्य शिखिणो मञ्जुभाषिणः ।
 काकं तत्र आपूपुजन् मांसेन च फलने च ।। 1 ।।
 यदा च स्वरसम्पन्नः मयूरो बावेरुमागमत् ।। 2 ।।
 अथ लाभश्च सम्कारो वायसस्य अहायि ।।
 यावन् नोत्पद्यते बुद्धो धर्मराजः प्रभाकरः ।। 3 ।।
 तावत् अन्ये अपूज्यन्त पृथुश्रमणब्राह्मणः ।।
 यदा च स्वरसम्पन्नो बुद्धो धर्ममादेक्षत् ।
 अथ लालश्च सत्कारः तैर्थिकानां अहायि ।। 4 ।।

NOTES

इमाश्चतस्रः गाथा भाषित्वा जातकं समवादीधपत् । 'तदा काको निर्ग्रन्थो नाथपुत्रोऽभूत्! मयूरराजोऽइमेव'
 इति ।]

इति बावेरुजातकम् ।

1. बावेरुजातकं

[इदं सत्था जेतवने विहरन्तो इतलाभसक्कारे तित्थिये आरम्भ कथेसि ।.... सत्था.... 'न भिक्खवे
 इदानेव पुब्बेपि याव गुणवन्ता न उपज्जन्ति ताव निग्गुणा लाभगयसग्गप्पत्ता अहेसुं । गुणवन्तेषु पन उप्पन्नेसु
 निग्गुणा हतलाभसक्कारा जाता 'तिवत्त्वा अतीतं आहरि ।]

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो मोरयोनिं निब्बत्तित्वा बुद्धिं अन्वाय सरोभग्गप्पतो
 अरञ्जे विचरि । तदा एकच्चे वाणिजा दिसाकाकं गहेत्वा नावाय बावेरुरट्ठं अगमंसु । तस्मिं किर काले
 बावेरुरट्ठे सकुणा नाम नत्थि । आगतागता रट्ठवासिनो तं कूपगगे निसिन्नं दिस्वा 'पस्सथियमस्य छविवण्णं,
 गलपरियोसानं मुखतुण्डकं मणिगुलसदिसानि अक्खीनी 'ति काकमेव पसंसित्वा ते वाणिजवके आहंसु 'इमं
 अय्यो सकुणं अम्हाकं देथ । अम्हाकं हि इमिना अत्थो, तुम्हे अत्तनो रट्ठे अञ्जं लभिस्सथा 'ति । 'तेन हि मूलेन
 गण्हथा 'ति । 'कहापणेन नो देथा 'ति । न देमा 'ति । अनुपुब्बेन वड्ढेत्वा 'सतेन देथा 'ति वुत्ते अम्हाकं हस
 बहूपकारो, तुम्हेहि पन सद्धिं मेत्ती होतू 'ति कहापणसतं गहेत्वा अदंसु । ते तं गहेत्वा सुवण्णपञ्जरे पक्खिपित्वा
 नानप्पकारेन मच्छमंसेन च फलाफलेन च पटिजग्गिसु । अञ्जेसं सकुणानं अविज्जमानट्टाने दसहि असद्धमेहि
 समन्नागतो काको लाभगयासग्गप्पत्तो अहोसि । पुनवारे ते वाणिजा एकं मयूरराजानं गहेत्वा यथा अच्छ्रासद्देन
 वस्सति पाणिप्पहारसद्देन नच्चति एवं सिक्खापेत्वा, बावेरुरट्ठं अगमंसु । सो महाजने सन्निपतिते नावाय
 धुरं ठप्पा पक्खे विधून्तित्वा मधुरस्सरं निच्छरेत्वा नच्चि । मनुस्सा तं दिस्वा सोमनस्सजाता 'एतं अय्या !
 सोभग्गप्पत्तं सुसिक्खितं सकुणराजानं अम्हाकं देथा 'ति आहंसु । 'अम्हेहि पठमं काको आनीतो तं गणिहत्थ,
 इदानि एतं मोरराजनं आनयिम्ह, एतम्पि याचथ, तुम्हाकं रट्ठे सकुणं नाम गहेत्वा आगन्तुं न सवका 'ति । 'होतु
 अय्यो, अत्तनो रट्ठे अञ्जं लभिस्सथ, इमं नो देथा 'ति मूलं बड्ढेत्वा सहस्सेन गणिहंसु । अथ नं सत्तरतनविचित्ते
 पञ्जरे ठपेत्वा मच्छमंसफलाफलेहि च व मधुलाजसक्खरापानकादीहि च पटिजग्गिसु । मयूरराजा
 लाभगयसग्गप्पत्तो जातो । तस्सागतकालतो पट्टाय काकस्स लाभसक्कारो परिहायि, कोचि न आलोकेतुम्पि
 न इच्छि । काको रवादनियं भोजनियं अलभमानो 'काका 'ति वस्सन्तो गन्त्वा उक्कारभूमियं ओतरि ।

अदस्सनेन मोरस्स सिखिनो अञ्जुभाणिनो ।

काक तत्थ अपूजेसुं मंसेन च फलेन च ॥ 1 ॥

यदा च सरसम्पन्नो मोरो बावेरुमागमा ।

अथ लाभो च सक्कारो वायसस्य अहायथ ॥ 2 ॥

याव नुप्पज्जति बुद्धो धम्मराजा पभङ्करो ।

याव अञ्जे अपूजेसुं पुथू समणब्राह्मणे ॥ 3 ॥

यदा च सरसम्पन्ने बुद्धो धम्मं अदेसयि ।

अथ लाभो च सक्कारो तित्थियानं अहायथा'ति ॥ 4 ॥

[इमा चतस्सो गाथा भासित्वा जातकं समोधानेसि । तदा 'काको निकण्ठो नाथपुत्तो अहोसि, मोरराजा अहमेवा'ति ।]

बावेरुजातकं ।

2. शिशुमारजातकम्

[इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् देवदत्तस्य वधाय परिशकन मारभ्याऽचकथत् । तदा हि शास्ता 'देवदत्तो वधाय परिशक्यति' इति श्रुत्वा 'न भिक्षवः ! इदानिमेव देवदत्तो मम वधाय परिशक्यति, पूर्वमपि परिशक्यत्येव । सन्त्रासमात्रमपि पुनः कर्तुं नाऽशकत्' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत् ।]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति हिमवत्प्रदेशे बोधिसत्त्वः कपियोन्यां निर्वृत्य नागबलः स्थामसम्पन्नो महाशरीरः सौभाग्यप्राप्तो भूत्वा गङ्गानिवर्तने अरण्यायतने वासमचिक्लिपत् । तदा गङ्गायामेकः शिशुमारोऽवात्सीत् । अथाऽस्य भार्या बोधिसत्त्वस्य शरीरं दृष्ट्वा तस्य हृदयमांसे दोहदमुत्पाद्य शिशुमारमाह— 'अहं स्वामिन् ! एतस्य कपिराजस्य हृदयमांसं खादितुकामा' इति । भद्रे ! वयं जलगोचराः, एष स्थलगोचरः किमपि तं ग्रहीतुं शक्यामः ?' इति । 'येन केनोपायेन गृहाण, चेन्न लप्स्ये मरिष्यामि' इति । 'तेन मा भैषीः, अस्त्येक उपायः इति खादयिष्यामि त्वां तस्य हृदयमांसम्' इति शिशुमारी समाशवास्य बोधिसत्त्वस्य गङ्गायाः पानीयं पीत्वा गङ्गातीरे निषण्णकाले अन्तिकं गत्वा एवमाह— 'वानरेन्द्र ! अस्मिन् प्रदेशे कष्टफलानि खादन् किं त्वं चीर्णस्थान एव चरसि । पारगङ्गायां आम्रलकुचादीनां मधुरफलानां अन्तो नास्ति, किं ते तत्र गत्वा फलाफलं खादितुं न वर्तते' इति । कुम्भीलराज । गङ्गा महोदका विस्तीर्णा, कथं तत्र गमिष्यामि' इति । 'चेत् गच्छसि अहं त्वां मम पृष्ठमारोप्य नेष्यामि' इति । स ते श्रद्धाय साध्विति संप्रतोष्य तेन हि एहि पृष्ठं मे अभिरोह' इति चाक्ते तमम्यरुक्षत् । शिशुमारस्ताकं नीत्वा उदकं अवासीषदत् । बोधिसत्त्वः सौम्य ! उदके मामवसादयसि, किं नु खलु एतत्' इत्याह । 'नाहं त्वां धर्मे सुधर्मतया, गृहीत्वा गच्छामि, भार्यायाः पुनर्मे तव हृदयमांसे दोहद उत्पन्नः, तामहं तव हृदयं खादितुकाम' इति । 'सौम्य ! कथयता त्वया सुन्तरं कृतं, चेत् हि अस्माकं उदरे हृदयं भवेत् शाखाग्रेषु चरतां चूर्णविचूर्णं भवेत्' इति । 'कुत्र पुनः यूयं स्थापयथ' इति बोधि सत्त्वः अविदूरे एकमुदुम्बरं पक्वफलपिण्डिसम्पन्नं दर्शयन् 'पश्यैतानि अस्माकं हृदया न एकस्मिन् उदुम्बरे अवलम्बन्ते इति । 'चेन्मे हृदयं दास्यसि अहं त्वां न मारयिष्यामि' इति । तेन हि 'अत्र नय मां अहं ते वृक्षे अवलम्बमानं दास्यामि' इति । स तमादाय तत्रागमत् । बोधिसत्त्वस्तस्य पृष्ठत उत्पस्य उदुम्बरवृक्षे निषद्य 'सौम्य बाल शिशुमार ! एतेषां सत्त्वानां हृदययं नाम वृक्षाग्रे भवन्तीति सञ्जी अभूः ! बालोऽसि, अहं

त्वामवावञ्चे। तव फलाफलं तवैव भवतु। शरीरमेव पुनस्ते महत्, प्रज्ञा पुनर्नास्ति' इत्युक्त्वा इममर्थं प्रकाशयन् इमे गाथे अवोचत्—

अलमेतैराग्रैः जम्बुभिः पनसैश्च ।

यानि पारं समुद्रस्य वरं मम उदम्बरः ॥

महती बत ते काया न च प्रज्ञा तद्रूपिका ।

शिशुमार! वञ्चितोऽसि गच्छेदानीं यथासुखम् ॥ इति

शिशुमार! सहस्र पराजित इव दुःखी दुर्मना प्रध्यायन् आत्मनो निवासस्थानमेव गतः।

[शास्तेदं देशनमाहृत्य जातकं समवादीधपत्—तदा शिशुमारो देवदत्तो-अभूत्। शिशुमारी चिञ्चामाणविका, कपिराजः पुनरहमेव' इति।

इति शिशुमारजातकम्।

2. सुंसुमार-जातकं

[इदं सत्था जेतवने विहरन्तो देवदत्तस्स वधाय परिसक्कनं आरब्भ कथेसि। तदा हि सत्था 'देवदत्तो वधाय परिसक्कती' ति सुत्वा 'न भिक्खवे इदानेव देवदत्तो मय्हं वधाय परिसक्कति, पुब्बेति परिसक्कति येप। सन्तासमत्तम्पि तन कातुं न सक्खी' ति वत्वा अतीतं आहरि।]

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते हिमवन्तपदेसे बोधिसत्तो कपियोनियं निब्बतित्वा नागबालो थामसम्पन्नो महासरीरो सोभगगप्पत्तो हुत्वा गङ्गानिवत्तने अरञ्जायतने वासं वासं कप्पेसि। तदा गङ्गाय एको सुंसुमारी वसि। अथस्स भारिया बोधिसत्तस्स सरीरं दिस्वा तस्स हृदयसंसे दोहलु उप्पादेत्वा सुंसुमारं आह—'अहं सामि, एतस्स कपिराजस्स हृदयमंसं खादितुकामा' ति। 'भद्दे, मथं जलगोचरा, एस थलगोचरो, किन्ति तं गण्हितुं सक्खिस्सामा' ति? 'येन केन उपायेन गण्ह, सचे न लमिस्सामि मरिस्सामो' ति। तेन हि मा भायि, अत्थेका उपायोति खादापेस्सामि तं तस्स हृदयमंसं' न्ति सुंसुमारिं समास्सासेत्वा बोधिसत्तस्स गङ्गाय पानीयं पिवित्वा गङ्गातीरे निसिन्नकाले सन्तिकं गन्त्वा एवमाह—'बानरिन्द, इमस्मिं पदेसे कसटफलानि खादन्तो किं त्वं चिण्णट्ठाने येव चरसि, पारगङ्गाय अम्बलबुचादीनं मधुरफलानं अन्तो नन्थि, किं ते तत्थ गन्त्वा फलाफलं खादितुं न वट्टती' ति। 'कुम्भीलराज, गङ्गा महोदिका वित्तिण्णा, कथं तत्थ गमिस्सामी' ति। 'सचे गच्छसि अहं तं मम पिट्ठिं आरोपेत्वा नेस्सामी' ति। सो तं सद्दहित्वा 'साधू' ति। सम्पटिच्छित्वा—'तेन हि 'एहि, पिट्ठिं मे अभिरुहा' ति च वुत्ते तं अभिरुहि। सुंसुमारो थोकं नेत्वा उदके ओसीदापेसि। बोधिसत्तो 'सम्म, उदके मं ओसीदापेसि, किन्नु खो एतन्ति आह। 'नाहं तं धम्मे सुधम्मताय गहेत्वा गच्छामि, भरियाय पन मे तव हृदयमंसं दोहलो उप्पन्नो, तं अहं तव हृदयं खादापेतुगामो' ति। 'सम्म, कथेन्तेन ते सुन्दरं कतं, सते हि अम्हाकं उदरे हृदयं भवेय्य साखग्गेसु चरन्तानं चुण्णविचुण्णं भवेय्या' ति। 'कहं पन तुम्हें ठपेथा' ति बोधिसत्तो अविदूरे एकं उदुम्बरं पक्कफलपिण्डसम्पन्नं दस्सेन्तो पस्सेतानि अम्हाकं हृदयानि एकस्मिं उदुम्बरे ओलम्बन्ती' ति। 'सचे मे हृदयं दस्सासि अहं तं न मारेस्सामी' ति। तेन हि 'एत्थ नेहि मं, अहं ते रुक्खे ओलम्बन्तं दस्सामी' ति। सो तं आदाय तत्थ अगमासि। बोधिसत्तो तस्स पिट्ठित्तो उप्पतित्वा उदुम्बररुक्खे निसीदित्वा 'सम्म बालसुंसुमार, इमेसं सत्तानं हृदयं नाम रुक्खग्गे होतीति सञ्जी अहोसि, बालोसि, अहं तं वञ्चेसिं, तव फलाफलं तवेव होसु। सरीरमेव पन ते महन्तं, पञ्जा पन नत्थी' ति वत्वा

NOTES

NOTES

अलं एतेहि अम्बेहि जम्बूहि पनसेहि च ।

यानि पार समुद्दस्स वरं मय्हं उदुम्बरो ।।

महती वत ते बोन्दि न च पञ्जा तदूपिका ।

सुंसुमार, वञ्चितीसि गच्छ दानि यथासुख 'न्ति ।।

सुंसुमारो सहस्सं पराजितो विय दुक्खी दुम्मनो पञ्जायन्तो अत्तनो निवेसनट्ठानमेव गतो ।

[सत्था इमं देसनं आहरित्वा समोधनेसि—सुंतदा सुंसुमारो देवदत्तो अहोसि, सुंसुमारी चिञ्चामाणविका, कपिराजो पन अहं एवा 'ति ।]

।। सुंसुमार जातकं ।।

3. वानरेन्द्र-जातकम्

[इदं शास्ता वेणुवने विहरन् देवदत्तस्य वधाय परिशकनमारभ्याऽचकथत् । तस्मिन् हि समये शास्ता 'देवदत्तो वधाय परिशक्यति' इति श्रुत्वा 'न भिक्षवः! इदानीमेव देवदत्तो मम वधाय परिशक्यति, पूर्वमपि परिशक्यत्येव । त्रासमात्रमपि कर्तुं नाशकत्' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत् ।]

अतीते वारणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः कपियोन्यां निर्वृत्य बुद्धिमवेत्य अश्वपोतप्रमाणः स्थामसम्पन्नः एकचरो भूत्वा नदीतीरे विहरति । तस्याः पुनर्नद्याः विमध्ये एको द्वीपको नानाप्रकारैः! आम्रपनसादिभिः फलवृक्षैः सम्पन्नः । बोधिसत्त्वो नागबलः स्थामसम्पन्नो नद्यः अवतीरतः उत्पत्य द्वीपकस्य अवरतः नदीमध्ये एकः पृष्टिपाषाणः अस्ति तस्मिन् निपंतति ततः उत्पत्य तस्मिन् द्वीपके पतति । तत्र नानाप्रकाराणि फलानि खादित्वा साय तेनैवोपायेन प्रत्यागत्य आत्मनो वसनस्थाने उषित्वा पुनर्दिवसेऽपि तथैव करोति । अमुना नियमेन तत्र वासं कल्पयति । तस्मिन् पुनः काले एकः कुम्भीलः सप्रजापतिकः तस्यां नद्यां वसति । सा भार्या बोधिसत्त्वं अपरापरं गच्छन्तं दृष्ट्वा बोधिसत्त्वस्य हृदयमांसे दोहदं उत्पाद्य कुम्भीलमाह—'मम खलु आर्य! अस्य वानरेन्द्रस्य हृदयमांसे दोहद उत्पन्नः' इति । कुम्भीलः 'साधु भवति! लप्स्यसे' इत्युक्त्वा 'अद्य तं सायं द्वीपकतः आगच्छन्तमेव ग्रहीष्यामि' इति गत्वा पृष्टिपाषाणे न्यपतत् । बोधिसत्त्वो दिवसं चरित्वा सायाह्नसमये द्वीपस्थित एव पाषाणमवलोक्य 'अयं पाषाणः इदानीं उच्चतरः ख्यायते, किन्तु कारणम्' इति अचिन्तत् । तस्य किल उदकप्रमाणं च पाषाणप्रमाणं च सुव्यवस्थापितमेव । तेनास्य एतदभूत्—अद्य अस्य नद्या उदकं नैव हीयते न वर्धते, अथ च पुनरर्थं पाषाणो महान् भूत्वा प्रज्ञायते, कच्चिन्नु खलु अत्र मम ग्रहणायार्थं कुम्भीलो निपन्नः, इति । स विमृशामि तावदेयम्' इति तत्रैव स्थित्वा पाषाणुन सार्द्धं कथयन्निव 'भो पाषाण!' इत्युक्त्वा प्रतिवचनं अलभमानः यावत्तृतीयं 'पाषाण' इत्याह 'पाषाण किं प्रतिवचनं न ददासि' इ त पुनरापि तं वानरः 'किं भोः पाषाण अद्य मय्हं प्रतिवचनं न ददासि' इत्याह । कुम्भीलो 'अद्धा अन्येषु दिवसेषु अयं पाषाणो वानरेन्द्रस्य प्रतिवचनं अदात् दास्यामि इदानीं अस्य प्रतिवचनम्' इति चिन्तयित्वा 'किं भो वानरेन्द्र', इत्याह । 'कोऽसित्वं' इति । 'अहं कुम्भीलः' इति । 'किमर्थं अत्र निपन्नोसि' इति 'तव हृदयमांसं प्रार्थयमानः' इति । बोधिसत्त्वः अचिन्तित् 'अन्यो मे गमनमागो नास्ति, अद्य मया एष कुम्भीलो वञ्चयितव्यः' इति । अथैनमेवमाह—'सौम्य कुम्भील! अहमात्मान ते परित्यक्ष्यामि, त्वं

मुखं विभृत्य मां तवान्तिकं आगतकाले गृहाण' इति । कुम्भीलानां हि मुखे विवृते अक्षिणी निमीलतः । स तत् कारणं असंलक्ष्य मुखं व्यावारीत् । अथास्य अक्षिणी व्यधायिषाताम् । स मुखं विवृत्य अक्षिणी निमील्य न्यपीपदत् । बोधिसत्त्वः तथाभावं ज्ञात्वा द्वीपकादुत्पतितो गत्वा कुम्भीलस्य मस्तकमाक्रन्य तत उत्पतितो विद्युल्लतेव विद्योतमानः परतीरे अस्थात् । कुम्भीलतस्तदाश्चर्यं दृष्ट्वा 'अनेन वानरेन्द्रेण अत्याश्चर्यं कृतम्' इति चिन्तयित्वा 'भो वानरेन्द्र ! अस्मिन् लोके चतुर्भिर्धर्मैः समान्वागतः पुरुषः प्रत्यमित्राणि अभिभवति । ते सर्वेऽपि तवाभ्यन्तरे सन्ति मन्ये' इत्युक्त्वा इमां गाथामाह—

यस्यैते चत्वारो धर्माः वानरेन्द्र ! यथा तव ।

सत्यं धर्मो धृतिस्त्यागः दृष्टं सोऽतिवर्तते ॥ इति ।

एवं कुम्भीलो बोधिसत्त्वं प्रशस्य आत्मनो वासस्थानं गतः ।

[शास्ता'न भिक्षवः! देवदत्त इदानीनेव मम वधाय परिशक्यति, पूर्वं मपि पर्यशक्यत्येव' इतीदं धर्मादेशनमादृत्य अनुसन्धिं ग्राहयित्वा जातक समवादीधपत् । 'तदा कुम्भीलो देवदत्तोऽभूत् चिन्तामाणविका, वानरेन्द्रः पुनरहमेव' इति ।]

इति वानरेन्द्रजातकं ।

3. वानरेन्द्र-जातकम्

[इदं सत्था वेलुवने विहरन्तो देवदत्तस्स वधाय परिसक्कनं आरब्ध कथेसि । तस्मिं हि समये सत्था 'देवदत्तो वधाय परिसक्कती'ति सुत्वा न भिक्खवे इदानीनेव देवदत्तो मय्हं वधाय परिसक्कति, पुब्बेति परिसक्कति येव, तासमत्तम्मि कातुं न सक्खी' ति वत्वा अतीतं आहरि ।]

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो कपियोनियं निब्बतित्त्वा बुद्धि अन्वाय अस्सपोतप्पमाणो थामसम्पन्नो एकचरो हुत्वा नदीतीरे विहरति । तस्सा पन नदिया वेमज्जे एको दीपका नानप्पकारेहि अम्बपनसादीहि फलरुक्खेहि सम्पन्नो । बोधिसत्तो नागबलो थामसम्पन्नो नदिया अरिमतीरतो उप्पतित्त्वा दीपकस्स ओरता नदीमज्जे एको पिट्ठपासाणो अत्थि तस्मिं निपतति, ततो उप्पतित्त्वा तस्मिं दीपके पतति । तत्थ नानप्पकारानि फलानि खादित्त्वा सायं तेनेव उपायेन पच्चागन्त्वा अत्तनो वसनट्ठाने वसित्त्वा पुनदिवसेपि तथेव करोति । इमिना नियामेन तत्थ वासं कप्पेति तस्मिं पन काले एको कुम्भीलो सपजापतिको तस्सा नदिया वसति । तस्म सा भरिया बोधिसत्तं अपरापरं गच्छन्तं दिस्वा बोधिसत्तस्य हृदयमंसे दोहलं उप्पादेत्त्वा कुम्भीलं आह—'मय्हं खो अय्य, भोति, इमरस वानरिन्दस्स हृदयमंसे दोहलो उप्पन्ना'ति कुम्भीलो 'साधु भोति, लच्छसीति वत्वा 'अज्ज तं सायं दीपकतो आगच्छन्तमेव गण्णिसामी'ति गन्त्वा पिट्ठपासाणे निपज्जि । बोधिसत्तो दिवमं चरित्त्वा सायणहसमये दीपके ठितो'व पासाणं ओलाकेत्त्वा 'अयं पासाणो इदानि उच्चतरो खायति, किन्तु कारण'न्ति चिन्तेसि । तस्स फिर उदकप्पमत्तं च पासाणप्पमाणं च सुववत्थापितमेव होति । तेनस्स एतदहोसि—'अज्ज इमिस्सा नदिया उदकं नेव हायति न वड्ढति, अय च पनायं पासाणो महा हुत्वा पज्जायति, कच्चि नु खो एत्थ मय्हं ग्रहणत्थाय कुम्भीलो निपन्ना'ति । सो वीमंसापि ताव नन्ति तत्थेव ठत्त्वा पासाणेन सद्धिं कथेन्तो विय 'भो पासाण'ति वत्वा पटिवचनं अलभन्तो यावततियं 'पासाणा'ति आह । 'पासाणो कि पटिवचनं न दस्सती'ति । पुनपि न वानरो 'किं भो पासाण, अज्ज मय्हं पटिवचनं न देसी'ति आह । कुम्भीलो 'अद्धा अज्जेसु दिवसेसु अयं पासाणो वानरिन्दस्स

पटिवचनं अदासि' दस्सामि दानिस्स पटिवचनन्ति चिन्तेत्वा 'किं भो वानरिन्दा'ति आह। 'को सि त्वं'ति। अहं कुम्भीलो'ति। किमत्थं एत्थ निपन्नोसी'ति। 'तव हृदयमसं पंथयमानो'ति। बोधिसत्तो चिन्तेसि। 'अज्जो मे गमनमग्गो नत्थि, अज्ज मया एस कुम्भीलो वञ्चेतब्बो'ति। अथ नं एवमाह— 'सम्म कुम्भी, अहं अत्तानं तुय्हं परिच्चजिस्सामि, त्वं मुखं विवरित्वां तव सन्तिकं आगतकाले गण्हाही'ति कुम्भीलानं हि मुखविवटे अक्खीनि निमीलन्ति। सो तं कारणं असल्लख्खेत्वा मुखं विबरि। अथस्स अक्खीनि- पिथीयिंसु। सो मुखं विवरित्वा अक्खीनि निमीलेत्वा निपज्जि। बोधिसत्तो तथाभाव जत्वा दीपिका उप्पतितो गन्त्वा कुम्भीलस्स मत्थुकं अक्कमित्वा ततो उप्पतितो विज्जुल्लता विय विज्जोतमानो परतीरे अट्ठासि। कुम्भीलो तं अच्छरियं दिस्वा 'इमिना वानरिन्देन अतिअच्छेरकं कतन्ति चिन्तेत्वा 'भो वानरिन्द, इमस्मिं लोके चतूहि धम्महि समन्नागतो पुग्गलो पच्चामित्ते अभिभवति, ते सब्बेपि तुय्हं अब्भन्तरे अत्थि मज्जे'ति वत्वा इमं गाथमाह—

यस्सेते चतुरो धम्मा वानरिन्द! यथा तव।

सच्चं धम्मो धिती चागो दिट्ठ सो अतिवत्ततीति।।

एवं कुम्भीलो बोधिसत्त पसंसित्वा अत्तनो वसनट्ठानं गतो।।

[सत्था 'नभिक्षवेदेवदत्तोइदानेवमय्हं वधायपरिसक्कति, पुब्बेपि परिसक्कतियेवा'ति इमं धम्मदेसनं आहरित्वाअनुसंधि घटेत्वाजातकं समोधानेसि। 'तदा कुम्भीलो देवदत्तोअहोसि, भरियास्स चिञ्चामाणविका, वानरिन्दोपन अहमेवा'ति। वानरिन्दजातकं।]

4. बक-जातकम्

[इदं शास्ता जैत्रवने विरहन् चीवरबद्धकं भिक्षुमारम्याऽचकथत् · शास्ता 'न भिक्षवः! जैत्रवनवासिचीवरबद्धक इदानीमेवैष अन्यान् वञ्चयते, पूर्वमपि वञ्चयते एव। ग्रावमवासिकेनाऽपि इदानीमेवैष जैत्रवनवासिचीवरबद्धको वञ्चतः पूर्वमपि वञ्चित एव' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत्।]

अतीते एकमिन् अरण्यायतने बोधिसत्त्वोऽन्यतरं पद्मसरो निःश्रित्य स्थिते वृक्षे वृक्षदेवता भूत्वा न्यवृत्तत्। तदा अन्यतरस्मिन् न तिमहति सरसि निदाघसमये उदकं मन्दमभूत्। बहवश्चात्र मत्स्या अभूवन्। अत्रैको बकः तान् मत्स्यान् दृष्ट्वा 'एकेनोपायेन इमान् मत्स्यान् वञ्चयित्वा खादिष्यामि' इति गत्वा उदकपर्यन्ते चिन्तयन् न्यसदत्। अथ तं मत्स्या दृष्ट्वा 'किमार्य! चिन्तयन् निषण्णोऽसि' इति अप्राक्षुः। 'युष्माकं चिन्तयन् निषण्णोऽस्मि' इति। 'अस्माकं किं चिन्तयसि आर्य अस्मिन् सरसि उदकं प्ररिक्तम्, गोचरश्च मन्दो, निदाघश्च महान्, इदानीं मे मत्स्या। किं नाम करिष्यन्ति इति। युष्माकं चिन्तयन् निषण्णोऽस्मि' इति। अथ किं कुर्मः आर्य' इति। 'यूयं चेत् मम वचनं कुर्यात्, अहं वः एकैकं मुखतुण्डकेन गृहीत्वा एवं पञ्चवर्णपद्मसंच्छन्नं महासरो नीत्वा विसर्जयेयम्' इति। आर्य प्रथमकल्पकतः पृथिव्यां मत्स्यानां चिन्तनकबको नाम नास्ति, त्वं अस्मासु एकैकं खादितुकामोऽसि' इति। 'नाहं युष्मान् मयि श्रद्धानान् खादिष्यामि। चेत् पुनः सरसः अस्तिभावं मम न श्रद्दत्थ, एकं मत्स्यं मया सार्धं सरः प्रेषयथ' इति। मत्स्या तस्य श्रद्दघाय 'अयं जलेऽपि स्थलेऽपि समर्थः' इति। एकं काणमहामत्स्यमदहुः 'इमं गृहीत्वा गच्छ' इति। स तं गृहीत्वा नीत्वा सरसि विस्राज्य सर्वं सरो दर्शयित्वा पुनरानीय तेषां मत्स्यानामन्तिके व्यस्रक्षीत्। स तेषां मत्स्यानां सरसः सम्पत्तिमववर्णत्। ते तस्य कथां श्रुत्वा गन्तुकामा भूत्वा 'साधू आर्य अस्मान् गृहीत्वा गच्छ' इति आहुः। बकः प्रथमं तं काणमहामत्स्यमेव गृहीत्वा सरस्तीरं नीत्वा सरो दर्शयित्वा सरस्तीरे जाते वरणवृक्षे निलीय तं

विटपान्तरे प्रक्षिप्य तुण्डेन विध्यन् जीवितक्षयं प्रापय्य मांसं खादित्वा कण्टकान् वृक्षमूले पातयित्वा पुनर्गत्वा 'विसृष्टो मे स मत्स्यः अन्य आगच्छतु' इति । एतेनोपायेन एकैकं गृहीत्वा सर्वमत्स्यकान् खादित्वा पुनरागतो एकमत्स्यमपि नाऽदृक्षत् । एकः पुनरत्र कर्कटको अवशिष्टः । बकस्तमपि खादितुकामो भूत्वा 'भो कर्कटक ! मया सर्वे ते मत्स्याः नीत्वा पद्मसंच्छन्ने महासरसि विसृष्टाः, एहि त्वामपि नेष्यामि' इति 'मां गृहीत्वा गच्छन् मां पातयिष्यसि, नाहं त्वया सार्धं गमिष्यामि' इति । 'मा भैषीः अहं त्वां सुगृहीतं गृहीत्वा गमिष्यामि' इति । कर्कटकोऽचिचिन्तत् 'अस्य मत्स्यान् नीत्वा सरसि विसर्जनं नाम नास्ति । चेत् पुनर्मां सरसि विसृक्ष्यति, इत्येतत् कुशलम् । नो चेत् विसर्जयिष्यति, ग्रीवां अस्य छित्वा जीवितं हरिष्यामि' इति । अथैनमेवमाह— 'सौम्य बक ! न खलु त्वं सुगृहीतं ग्रहीतुं शक्यसि, अस्माकं पुनर्ग्रहणं सुग्रहणम् । स चाहं अळेण तव ग्रीवां ग्रहीतुं लप्से, तव ग्रीवां सुगृहीतां कृत्वा त्वया सार्धं गमिष्यामि' इति । स तं वंचितुकाम एष मां इति अज्ञानन्, साध्विति संप्रत्यैषीत् । कर्कटकः आत्मनः अळैः कर्मकारसन्देशेनेव तस्य ग्रीवां सुगृहीतां कृत्वा 'इदानीं गच्छ' इत्याह । स तं नीत्वा सरो दर्शयित्वा वरणवृक्षाभिमुखं प्रायासीत् । कर्कटकः आह— 'मातुल, इदं सरः अत्र, त्वं पुनः इतो नयसि' इति । बकः 'प्रिय मातुलक ! अतिभागिनिपुत्रोऽसि मे त्वं' इत्युक्त्वा 'त्वमेष मां उत्क्षिप्य विचरन् मम दासः इति संज्ञां करोषि मन्ये । पश्यैतं वरणवृक्षमूले कण्टकराशि यथा मया ते सर्वे मत्स्याः खादिताः त्वामपि तथैव खादिष्यामि' इत्याह । कर्कटकः 'एते मत्स्याः आत्मनो बालतया त्वया खादिताः । अहं पुनस्ते मां खादितुं न दास्यामि । त्वामेव पुनः विनाशं प्राययिष्यामि । त्वं हि बालतया मम वञ्चितभावं न जानासि, म्रियमाणौ उभौ अपि मरिष्यावः । एष ते शीर्षं छित्वा भूम्यां क्षेप्यामि' इत्युक्त्वा संदंशेन अळैः तस्य ग्रीवां न्यपिपीडत् । स वृत्तकृतेन मुखेन अक्षिम्यां अश्रुणा प्रक्षरता मरणभयतर्जितः 'स्वामिन् अहं न खादिस्यामि, जीवितं मे देहि' इत्याह । 'यद्येवं अवतार्य सरसि मां विसृज' इति । स निवृत्य सर एव अवतीर्य कर्कटकं सरःपर्यन्ते पङ्कपृष्ठे अतिष्ठिपत् । कर्कटकः कर्तारिकया कुमुदनलं कल्पयन्निव तस्य ग्रीवां कल्पयित्वा उदकं प्राविक्षत् । तदाश्चर्यं दृष्ट्वा वरणवृक्षे अध्यवस्था देवता साधुकारं ददाना वनं उन्नादयमाना मधुरस्वरेण इमां गाथामाह—

नात्यन्तनिकृतिप्रज्ञो निकृत्या सुखमेधते ।

आराध्नोति निकृतिप्रज्ञो बको कर्कटकादिव ॥ इति ॥

[शास्ता 'न भिक्षवः ! इदानीमेव ग्रामवासिचीवरवद्धकेन एष वञ्चितः । अतीतेऽपि वञ्चित एव 'इतीमं धर्मादेशनमांहृत्य, अनुसन्धि घटयित्वा जातकं समवादीधपत्—तदा स जैत्रवनवासिचीवरवद्धकोऽभूत्, कर्कटको ग्रामवासिचीवरवद्धकः, वृक्षदेवता पुनरहमेव' इति ।]

इति बकजातकम् ।

4. बक-जातकं

[इदं सत्था जेतवने विहरन्तो चीवरवड्ढकं भिक्खुं आरब्ध कथेसि ।... सत्था 'न भिक्खवे, जेतवनवासी चीवरवड्ढको इद्रानेव एस अज्जे वज्जेति, पुब्बेपि वज्जेसि येव । न गामवासिकेन पि इदानेव जेतवनवासी चीवरवड्ढको वज्जितो पुब्बेपि वज्जितो येवा'ति वत्त्वा अतीतं आहरि ।]

(अतीते एकस्मिं अरज्जायतने बोधिसत्तो अज्जतरं पदुमसरं निस्साय ठिते रुक्खे रुक्खेदेवता हुत्वा निब्बति । तदा अज्जतरस्मिं नातिमहन्ते सरे निदाघममये उदकं मन्दं अहोसि, बहु चेत्य मच्छ होन्ति । अत्थेको बको ते मच्छे दिस्वा 'एकेन उपायेन इमे मच्छे वज्जेत्त्वा खादिस्साति'ति गत्वा उदकपरियन्ते

चिन्तेतो निसीदि। अथ तं मच्छा दिस्वा 'किं अय्य, चिन्तेतो निसनोसी'ति पुच्छिसु। 'तुम्हाकं चिन्तेतो निसिनोम्ही'ति। 'अम्हाक किं चिन्तेति अय्या'ति। 'इमस्मिं सरे उदकं परित्तं, गोचरो च मन्दो, निदाघो च महन्तो, इदानिमे मच्छा किं नाम करिस्सन्तीति तुम्हाकं चिन्तेतो निसिनोम्ही'ति। 'अथ किं करोम अय्या'ति 'तम्हे सचे मय्हं वचनं करेय्याथ' अहं वो एकेकं मुखतुण्डकेन गहेत्वा एकं पञ्चवण्णदुमसञ्जनं महासरं नेत्वा विस्सज्जेयन्ति। 'अय्य, पठमकप्पिकतो पट्ठाय मच्छानं चिन्तनकबको नाम नत्थि, त्वं अम्हेसु एकेकं खादितुकामोसी'ति। 'नाहं तुम्हे मय्हं, सपृहन्ते खादिस्सामि, सचे पन सरस्स अत्थिभावं मय्हं न सददहथ एकं मच्छं मया सद्धिं सरं परिसतुं पेसेथा'ति। मच्छा तस्स न सददहत्वा 'अयं जलेपि थलेपि समत्थो'ति एकं काणमहामच्छं अदंसु—'इमं गहेत्वा गच्छथा'ति। सो तं गहेत्वा नेत्वा सरे विस्सज्जेत्वा सब्बं सरं दस्सेत्वा पुन आनेत्वा तेसं मच्छानं सन्तिके विसज्जेसि। सो तेसं मच्छानं सरस्स सम्पत्तिं वण्णेसि। ते तस्स कथं सुत्वा गन्तुकामा हुत्वा साधु अय्य, अम्हे गण्हित्वा गच्छही'ति पालि आहंसु) वको पठमं तं काणमहामच्छमेव गहेत्वा सरतीरं नेत्वा सरं दस्सेत्वा सरतीरे जाते वरणरुक्खे निलीयित्वा तं विटपन्तरे पक्खिपित्वा तुण्डेन विज्जन्तो जीवितक्खयं पापेत्वा मंसं खादित्वा कण्टके रुक्खमूले, पातेत्वा पुन गन्त्वा विस्सट्ठो मे सो मच्छो, अज्जोआगच्छतु'ति। एतेनुपायेन एकेकं गहेत्वा सब्बमच्छके खादित्वा पुन आगता एकमच्छम्पि नाददस। एको पनेत्थ कक्कटको अवसिट्ठो। वको तम्पि खादितुकामो हुत्वा 'भो कक्कटक, मया सब्बे ते मच्छा नेत्वा पदुमसञ्जने महासरे विस्सज्जिता, एहि तम्पि तेस्सामी'ति। 'मं गहेत्वा गच्छन्तो कयं गण्हिस्ससी'ति 'डसित्वा गण्हिस्सामी'ति। 'त्वं एवं गहेत्वा गच्छन्तो मं पातेस्ससि, नाहं तथा सद्धिं गमिस्सामी'ति। 'मा भायि, अहं तं सुगहितं गहेत्वा गमिस्सामी'ति। कक्कटको चिन्तेसि—'इमस्स मच्छे नेत्वा सरे विसज्जनं नाम नत्थि। सचे पन मं सरे विस्सज्जेस्सति इच्चेतं कुशल, नो चे विस्सज्जेस्सति, गीवं अस्स छिन्दित्वा जीवितं हरिस्सामी'ति। अथ नं एवं आह—'सम्म वक, न खा त्वं सुगहितं गहेतुं सक्खिस्ससि, अम्हाकं पन गहणं सुगहणं, सचाहं अळेन तव गीवं गहेतुं लभिस्सामि, तव गीवं सुगहितं कत्वा तथा सद्धिं गमिस्सामी'ति। सो तं 'वञ्चेतुकामो एस म'न्ति अजानन्तो 'साधू'ति सम्पटिच्छि। कक्कटको अत्तनो अळेहिं कम्मरसण्डासेन विय तस्य गीवं सुगहितं कत्वा 'इदानि गच्छा'ति आह। सो तं नेत्वा सरं दस्सेत्वा वरुणरुक्खभिमुखो पायासि। कक्कटको आह—'मातुल, अयं सरो एत्ता, त्वं पन इतो नेसी'ति। वको पियमातुलको अतिंभगिनिपुत्तोसि मे त्व'न्ति बत्वा 'त्वां एस मं उक्खिपित्वा विचरन्तो मय्हं दासो'ति सज्जं करोसि मज्जे, पस्सेतं वरुणरुक्खमूले कण्टकरासिं, यथा मे ते सब्बमच्छा खादिता तम्पि तथेव खामिस्सामी'ति आह। कक्कटको 'एते मच्छा अत्तनो बालताय तथा खादिता, अहं पन ते मं खादितुं स न दस्सामि, तज्जेव पन विनासं पापेस्सामि, त्वं हि वालतया मया वञ्चितभावं न जानसि, मारन्ता, उभोपि मारिस्साम। एस ते सीसं छिन्दित्वा भूमियं खिपिस्सामी'ति वत्वा सण्डासेन विथ अळेहि तस्स गीवं निष्पीळेसि। सो वत्तकतेन मुखेन अक्खीहि अस्सुना पग्वरन्तेन मरणभयतज्जितो 'सामि अहं तं न खादिस्सामि, जीवितं' मे देही'ति आह। 'यदि एवं ओतरित्वा सरस्मि मे विस्सज्जेही'ति सो निवत्तित्वा सरमेव ओतरित्वा कक्कटकं सरपरियन्ते पङ्कपिट्ठे ठपेसि। कक्कटको कत्तरिकाय कुमुदनाळं कपेन्तो विथ तस्स गीवं उदकं पाविसि। तं अच्छरियं दिस्वा वरणरुक्खे अधिवत्था देवता साधुकारं ददमाना वनं उत्रादयमाना मधुरस्सरेन इमं गाथवाह—

नाच्चन्तनिकतिप्पज्जो निकत्या सुखमेघति।

आराधे निकतिप्पज्जो बको कक्कटकामिवाति।।

[सत्था 'न भिक्खवेस! इदानेवे गामवासी चीवरवड्ढकेनेस वञ्चितो, अतीतेपि वञ्चितो येवा'ति इमं धम्मदेसनं आहरित्वा अनुसधिं घटेत्वा जातकं समोधानेसि 'तदा सो बको जेतनवासी चीवरवड्ढको अहोसि, कक्कटको गामवासिचीवरवड्ढको, रुक्खदेवता पन अहभेवा'ति।]

5. सिंहचर्मजातकम्।

[इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् कोकालिकमारभ्याऽचकथत्। सोऽस्मिन् काले स्वरभङ्गं भणितुकामोऽभूत्। शास्ता तां प्रवृत्तिं श्रुत्वाऽतीतमहार्षीत।]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं बोधिसत्त्वः कर्षककुले निर्वृत्य वयःप्रायः कृषिकर्मणा जीवितमचिक्लिपत्। तस्मिन् काले एको वणिक् गर्दभभारकेन व्यवहारं कुर्वन् विचरति। स सो गतागतस्थाने गर्दभस्य पृष्ठतः भाण्डकं अवतार्य गर्दभं सिंहचर्मणा प्रावृत्य शालियवक्षेत्रेषु विसृजति। क्षेत्ररक्षकाः तं दृष्ट्वा सिंह इति संज्ञाय उपसंक्रमितुं न शक्नुवन्ति। अथैकदिवसे स वणिक् एकस्मिन् ग्रामद्वारे निवासं गृहीत्वा प्रातराशं पाचयन् ततो गर्दभं सिंहचर्मं प्रावृत्य यवक्षेत्रे व्यस्राक्षीत्। क्षेत्ररक्षकाः सिंह इति संज्ञाय तमुपगन्तुमशक्नुवन्तो गेहं गत्वा अरुरुचन्त। सकलग्रामवासिनः आयुधानि गृहीत्वा शङ्खान् ध्वमन्तो भेरीर्वादयन्तः क्षेत्रसमीपं गत्वोदनादिषुः। गर्दभो मरणभयभीतो गर्दभरवमरावीत्। अथास्स गर्दभभावं ज्ञात्वा बोधिसत्त्वः प्रथमा गाथामाह—

नैतत् सिंहस्य नदितं न व्याघ्रस्य न द्वीपिनः!
प्रावृतः सिंहचर्मणा जाल्मो नदति गर्दभः।।

ग्रामवासिनोऽपि तस्य गर्दभभावं ज्ञात्वा अस्थीनि भञ्जन्तः पोथयित्वा सिंहचर्मादाय अगमन्। अथ स वणिक् आगत्य तं व्यसनप्राप्तं गर्दभं दृष्ट्वा द्वितीयां गाथामाह—

चिरमपि खलु तं खादेत् गर्दभो हरितं यवम्।
प्रावृतः सिंहचर्मणा रुवन् चं अदूदुषत्।।

तस्मिन्नेवं वदत्येव गर्दभः तत्रैव अमृत। वणिगपि तं प्रहार प्राक्रामीत्।

[शास्तेदं देशनमाहृत्य जातकं यमवादीधपत्। 'तदा गर्दभः कोकालिकोऽभूत्। पण्डितकर्षकः पुनरहमेव' इति।]

। इति सिंहचर्मजातकम्।

5. सीहचम्म-जातकं

[इदम्पि सत्था जेतवने विहरन्तो कोकालिकं आरब्ध कथेसि। सो इमस्मिन् काले सरभञ्जं भणितुकामो अहोसि। सत्था तं पवति सुत्वा अतीतं आहरि।]

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो कस्सककुले निब्बतित्वा वयप्पत्तो कसिकम्मेन जीविकं कप्पेसि। तस्मिन् काले एको वाणिजो गद्रभभारकेन वोहारं करोन्तो विचरति। सो गतागतट्टाणे गद्रभस्स पिट्ठितो भण्डकं ओतारेत्वा गद्रभं सीहचस्मेन पारुपित्वा शालियवखेत्तेसु विस्सज्जेति। खेत्तरक्खका तं दिस्वा सीहोति सञ्जाय उपसंक्रमितुं न सक्कोन्ति। अथैकदिवसं सो वाणिजो एकस्मिन् ग्रामद्वारे निवासं गहेत्वा पातरासं पचापेन्तो ततो गद्रभं सीहचम्मं पारुपित्वा यवखेत्ते विस्सज्जेसि। खेत्तरक्खका 'सीहो'ति सञ्जाय तं उपगन्तुं असक्कोन्ता गेहं गन्त्वा आरोचेसु। सकलगामवासिनो आवुधानि गहेत्वा संखे धमेन्तो भेरियो बादेन्ता खेत्तसमीपं गन्त्वा उन्नादसु। गद्रभो मरणभयभीतो गद्रभरवं रवि। अथस्स गद्रभभावं बोधि-
सत्तो पठमं गाथमाह—

NOTES

नेत सीहस्स नदितं न व्यग्धस्स न दीपिनो ।
पारुतो सीहचम्मेन जम्मो नदति गद्रभो 'ति ।।

NOTES

गामवासिनोपि तस्य गद्रभभावं जत्वा अट्ठीनि भञ्जता पोथेत्वा सीहचम्मं आदाय अगमंसु । अथ सो वाणिजो तं व्यसनप्पत्तं गद्रभं दिस्वा, दुतियं गाथमाह—

'चिरम्मि खो तं खादेय्य गद्रभो हरितं यवं ।
पारुतो सीहचम्मेन रवमानो च दूसयी 'ति ।।

तस्मिं एवं वदन्ते येव गद्रभो तत्थेव मरि । वाणिजोपि तं पहाय पक्कामि ।

[सत्था इमं देसनं आहरित्वा जातकं समोघानेसि । 'तदा गद्रभो कोकालिको अहोसि । पण्डितकस्सको पन अहमेवा 'ति ।]

सीहचम्मजातकं

6. राध-जातकम्

[इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् एकमुत्कण्ठितभिक्षुमारभ्याऽचकथत् । स किल शास्ता 'सत्यं किल त्वं भिक्षो! उत्कण्ठितः' इति पृष्टः 'सत्यं भदन्त!' इत्युक्त्वा 'किंकारणात्' इत्युक्ते एकामलङ्कृतां स्त्रियं दृष्ट्वा किलैषा वासना' इत्याह । अथैननं शास्ता 'मातृग्रामो नाम भिक्षो! न शक्यो रक्षितुम् । पूर्वं दौवारिकान् स्थायित्वा रक्षन्तोऽपि रक्षितुं नाशकन् । किं ते स्त्रिया लब्ध्वाऽपि रक्षितुं न शक्या' इत्युक्त्वा अतीतमाहार्षीत् ।]

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः शुकयोण्यां न्यवृत्त् । राध इति तस्य नाम । कनिष्ठभ्राता पुनरस्य प्रोष्ठपादो नाम । तावुभावपि तरुणकाले एव एको लुब्धको गृहीत्वा वाराणस्यां अन्यतरस्मै ब्राह्मणाय अदात् । ब्राह्मणस्तौ पुत्रस्थानि स्थापयित्वा प्रत्यगृहीत् । ब्राह्मणस्य पुनः ब्राह्मणी अरक्षिता दुःशीला । सव्यवहारकरणार्थाय गच्छन् तौ शुकपोतकौ आमन्त्र्य 'तात! अहं व्यवहारकरणार्थाय गच्छामि । काले विकाले वा युवयोः मातृः, करणकर्म अवलोकयेथाम्' इति । 'अन्यस्य पुरुषस्य गमनभावं वा आगमनभावं वा जानीयाथाम्' इति । ब्राह्मणीं शुकपोतकौ प्रत्येष्य अगमत् । सा तस्य निष्क्रान्तकालतः प्रस्थाय अनाचारं अचारीत् । रात्रिमपि दिवाऽपि आगच्छतां च गच्छतां च प्रमाणं नास्ति । तत् दृष्ट्वा प्रोष्ठपादो राधमप्राक्षीत् 'ब्राह्मणः इमां ब्राह्मणीं आवाभ्यां निर्वाप्य गतः । इयं च पापकर्म करोति, वदाभ्येनाम्' इति । राधो 'मां वादीः, इत्याह । स तस्य वचनं अगृहीत्वा 'अम्ब! किं कारणात् पापकर्म करोषि' इत्याह । सा तं मारयितुकामा भुत्वा 'तात! त्वं नाम मम पुत्रः । इतः प्रस्थाय न करिष्यामि' । 'एहि तात! तावत्' इति प्रीयमाणेव एनं प्रकोष्य आगतं गृहीत्वा 'त्वं मां अपवदसि । आत्मनः प्रमाणं न जानासि' इति ग्रीवां गृहीत्वा मारयित्वा उद्धनान्तरेषु । प्राक्षेप्सीत् । ब्राह्मणः आगत्य विश्रम्य बोधिसत्त्वं 'किं तात राध! माता वां अनाचारं करोति न करोति' इति पृच्छन् प्रथमां गाथामाह—

प्रवासादागतस्तात! इदानीं न चिरागतः ।
कच्चिन्नु तात! ते माता नान्यमुपसेवते इति ।।

राधः 'तात! पण्डितानां भूतमभूत्तं वा अनिर्यानिकं नामं न कथयन्ति' इति ज्ञापयन् द्वितीयां गाथामाह—

न खलु पुनरेतां शोभनां गिरंसत्योपसंहिताम् ।
श्रयेत् प्रोष्ठपाद इव मुर्मुर् उपकूलितः ।।

एवं बोधिसत्त्वो ब्राह्मणाय धर्मं दिष्ट्वा 'मयापि अस्मिन् स्थाने वसितुं न शक्यम्' इति ब्राह्मणं आपृक्ष्य अरण्यमेव प्रावृक्षत् ।

[शास्तेद देशनमाहृत्य सत्यानि प्रकाशयित्वा जातकं समवादीधपत्—तदा पोष्टपाद् आनन्दोऽभूत्, राधः पुनरहमेव' इति।]

पालिजातकावलिः

इति राधजातकम्।

6. राध-जातकं

[इदं सत्था जेतवने विहरन्तो एकं उक्कण्ठितभिक्षुं आरब्ध कथेसि। सो किर सत्थारा 'सच्चं फिर त्वं भिक्षु! उक्कण्ठितो'ति 'सच्चं भन्ते'ति वत्वा 'किं कारणां ति वुत्ते 'एकं अलंकतइत्थिं दिस्वा किलेसवसेना'ति आह। अथं नं सत्था 'मातुगामो नाम भिक्षु! न सक्का रक्खितुं। पुब्बे दोवारिके ठपेत्वा रक्खन्तापि रक्खितुं न सक्खिसु। किं ते इत्थिया? लद्धापि रक्खितुं न सक्का'ति वत्वा अतीतं आहरि।

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो सुकयोनियं निब्बति। 'राधो'तिस्स नामं कनिट्ठभाता पनस्स पोट्ठपादो नाम। ते उभोपि तरुणकाले येव एको लुद्दको गाहेत्वा वाराणसियं अज्जतरस्स ब्राह्मणस्स अदासि। ब्राह्मणी ते पुत्तठाने ठपेत्वा पटिजग्गि। ब्राह्मणस्स पन ब्राह्मणी अरक्खिता दुस्सीला। सो वोहाकरणत्थाय गच्छामि, काले विकाले वा तुम्हाकं मातु करणकम्मं ओलेकय्याथा'नि। 'अज्जरस्स पुरिसस्स गमजभावं वा आगमनभावं वा जानेय्याथा'ति। ब्राह्मणिं सुकपोतके पटिच्छापेत्वा अगमासि। सा तस्स निक्खन्तकालती पट्ठाय अनाचारं चरि। रत्तिम्मि दिवापि आगच्छन्तानं च गच्छतानं च प्रमाणं नत्थि। तं दिस्वा पोट्ठपादो राधं पुच्छि—'ब्राह्मणो इमं ब्राह्मणीं अम्हाकं निय्यादेत्वा गतो, अयं, च पापकम्मं करोति, वदामि न'न्ति। राधो 'मा वदी'ति आह। सो तस्स वचनं अगहेत्वा 'अम्म, किं कारणा पापकम्मं करोसी'ति आह। सा तं मारेतुकामा हुत्वा 'तात, त्वं साम मय्हं पुत्तो, इतो पट्ठाय न करिस्सामी'ति 'एहि तात, तावा'ति पियायमाना विय नं पक्कोसित्वा आगतं गहेत्वा 'त्वं म ओवदसि अत्तनो प्रमाणं न जानासी'ति गीवं गहेत्वा मारेत्वा उद्धनन्तरेसु पक्खिपि। ब्राह्मणो आगन्त्वा विस्समित्वा बोधिसत्तं 'कि तात राध, माता वो अनाचारं करोति, न करोती'ति पुच्छन्तो पठमं गाथामाह—

पवासा आगतो तात! इदानिं च चिरागतो।

कच्चिन्नु तातः ते माता न अज्जं उपसेवती'ति।।

राधो 'तात पण्डिता नाम भूतं वा अभूतं अनिय्यानिकं नाम न कथेन्ती'ति जापेन्तो दुतियं गाथामाह—

न खो पनेतं सुभणं गिरं सच्चूपसंहितं।

सयेथ पोट्ठपादोव मुम्मुरे उपकूलितो।।

एवं बोधिसत्तो ब्राह्मणस्स धम्मं देसेत्वा 'मयावि इमस्मिं ठाने वसितुं न सक्क'ति ब्राह्मणं आपुच्छत्वा अरज्ज एव पावसि।

[सत्या इमं देसनं आहरित्वा सच्चानि पकासेत्वा जातकं समोधानेसि। 'तदा पोष्टपादो आनन्दो अहोसि, राधो पन अहमेवा'ति।]

राधजातकं।

7. नृत्यजातकम्।

[इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् एकं बहुभाण्डिकं भिक्षुमारभ्याऽचकथत्।.....शास्ता 'न भिक्षवः! इदानीमेवैषभिक्षु ह्यापत्रप्याभावेन रत्नशासनात्परिहीनः, पूर्वमपि स्त्रीरत्नप्रतिलाभतोऽपि परिहीन एवं' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्णीत्।]

NOTES

अतीते प्रथमकल्पे चतुष्पदाः सिंह राजानमकार्षुः, मत्स्याः आनन्दमत्स्यं, शकुनाः सुवर्णहंसम्। तस्य नूनः सुवर्णराजहंसस्य दुहिता हंसपोतिका अभिरूपा अभूत् इति स तस्यै वरमदात्। सा आत्मनो चित्तरुचितं स्वामिकमवारीत्। हंसराजः तस्यै वरं दत्त्वा हिमवति सर्वशकुने संन्यपत्। नानाप्रकाराः हंसमयूरादयः शकुनगणाः समागत्य एकस्मिन् महति पाषाणतले संन्यपत्। हंसराजः आत्मनः चित्तरुचितं स्वामिकं आगत्य गृह्णातु इति दुहितरं प्राचुक्नुशत। सा शकुनसङ्घं अवलोकयन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रप्रेक्षणं मयूरं दृष्ट्वा 'अयं मे स्वामिको भवतु' इत्युरुरुचत। शकुनसंघाः मयूर उपसंक्रम्य अवोचन्। 'सौम्य मयूर! इयं राजदुहिता एतावतां शकुनानां मध्ये स्वामिकं रोचयन्ती त्वयि रुचिं उदपादि।' मयूरः 'यद्यपि तावन्मे बलं न पश्यसि' इति अतितुष्टैः ह्यावत्रप्यं भित्वा तावन्महतः शकुनसंघस्य मध्ये पक्षौ प्रसार्य नर्तितुं आरब्धः। नृत्यन् अप्रतिच्छत्रो अभूत्। सुवर्णहंसराजः लज्जितः 'अस्य नैव अध्यस्तसमुत्थाना ह्यीः अस्ति न बहिर्धा समुत्थानं आपत्रप्यं, नास्य भिन्नह्यापत्रप्यस्य ममं दुहितरं दास्यामि' इति शकुनसंघमध्ये इमां गाथामाह—

रुतं मनोज्ञं रुचिरा च पृष्टिः वैदूर्यवर्णोपनिभा च ग्रीवा।

व्याममत्तानि च प्रेक्षणानि नृत्येन ते दुहितरं नो ददामि।।

हंसराजः तस्मिन्नेव परिषन्मध्ये आत्मनः भागिनेयहंसपोतकाय दुहितरमदात्। मयूरो हंसपोतिकां अलब्ध्वा लज्जित्वा तत एव उत्थाय पलायिष्ट। हंसराजोऽपि आत्मनो वसनस्थानमेव गतः।

[शास्ता' न भिक्षवः! इदानीमेवैष ह्यापत्रप्यं भित्वा रत्नशासनात् परिहीनः, पूर्वं स्त्रीरत्नप्रतिलाभतोऽपि परिहीन एव' इति। इदं धर्मदेशनमाहृत्य, अनुसन्धिं पूर्वं स्त्रीरत्नप्रतिलाभन्तोऽपि परिहीन एव' इति। इदं धर्मदेशनमाहृत्य, अनुसन्धिं घटयित्वा जातकं समवादीधपन्। 'तदा मयूरो बहुभण्डकोऽभूत्, हंसराजः पुन रहमेव' इति।]

इति नृत्यजातकम्।

7. नच्च-जातकं

[इदं सत्था जेतवने विहरन्तो एकं बहुभण्डकं भिक्षुं आरब्ध कथेसि।.....सत्था न भिक्षवे! इदानेव एसो भिक्षु हिरोत्तप्पाभावेन रतसासना परिहीनो, पुब्बे इत्थिरतनपटिलाभतोपि परिहीनो येवा'ति वत्वा अतीतं आहरि।]

अतीते पठमकल्पे चतुष्पदा सीहं राजानं अकंसु, मच्छ आनन्दमच्छं, सकुणा सुवर्णहंसं। तस्स पन सुवर्णराजहंसस्स धीता हंसपोतिका अभिरूपा अहोसी। सो तस्सा वरं अदासि। सा अत्तनो चित्तरुचितं सामिकं वारेसि। हंसराजा तस्सा वरं दत्त्वा हिमवन्ते सब्बसकुणे सन्निपातापेसि नानप्यकारा हंसमोरादयो सकुणगणा समागन्त्वा एकस्मि महति पाषाणतले सन्निपत्तिसु। हंसराजा 'अत्तनो चित्तरुचितं सामिकं अगन्त्वा गणहत्तू'ति धीतरं पक्कोसापेसि। सा सकुणसंघं ओलोकेन्ती मणिवर्णग्रीवं चित्रपेक्खुणं दिस्वा 'अयं मे सामिको हात्तू'ति रोचेसि। सकुणसंघा मोर उपसंक्रमित्वा आहंसु—'सम्म मोर, अथं राजधीता एत्तकानं सकुणानं मज्जे सामिकं रोचेन्तो तयि रुचिं उत्पादेसी'ति। मोरो 'अज्जापि ताव मे बलं न पस्ससी'ति अतितुट्ठिया हिरात्तप्यं भिन्दित्वा ताव'मतो सकुणसंघस्स मज्जे पक्खे पसारेत्वा नच्चित्तुं आरभि। नच्चतो अप्पटिच्छत्रो अहोसि। सुवर्णहंसराजा लज्जितो 'इमस्स नेव अज्जत्तसमुट्ठाना हिरि अत्थि, न बहिद्धासमुट्ठानं ओत्तप्यं, नास्स मित्रहिरोत्तप्यस्स मम धीतरं दस्सामी'ति सकुणसंघमज्जे इमां गाथं आह—

रुदं मनुज्जं रुचिरा च पिट्टो वेळु रियण्णवपनिभा च गीवा ।
व्याममत्तानि च पेक्खुणानि, नच्चेन ते धीतरं नो ददामीति ।।

हंसराजा तस्मिं येव परिसमज्जे अत्तनो भागिनेय्यहंसपोतकस्स धीतरं अदासि । मारो हंसपोतिकं अलभित्वा लज्जित्वा ततोव उट्ठहित्वा पलायि । हंसराजापि अत्तनो वसनट्ठानमेव गतो ।

[सत्था 'न भिक्खवे! इदानेवेत हिरोत्तप्यं भिन्दित्वा रतनसासना परिहीनो, पुब्बै इत्थिरतनपटिलाभतोपि परिहीनो येवा'ति । इमं धम्मदेसनं आहरित्वा अनुसंधि घटेत्वा जातकं समोधानेसि । 'तदा मारो बहुभण्डको अहोसि, हंसराज पन अहमेवा'ति ।]

नच्चजातकं ।

8. उलूकजातकम्

[इदं शास्ता जैत्रवने विहरन् काकोलूककलहमारभ्याऽचकथत् । 'भिक्षवः 'कदा प्रस्थाय तुनर्भदन्त! काकानां च उलूकानां च अन्योन्यं वैरमुत्पन्नम्' इत्यप्राक्षिषुः । शास्ता 'प्रथमकल्पीयकालतः प्रस्थाय' इत्युक्त्वाऽतीतमाहार्षीत ।]

अतीते प्रथम कल्पिकाः सन्निपत्य एकमभिरूपं सौभाग्यप्राप्तं आज्ञासम्पन्नं सर्वाकरपरिपूर्णं पुरुषं गृहीत्वा राजानमकार्षुः । चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एकं सिंहं राजानमकार्षुः । महासमुद्रे मत्स्याः आनन्दं नाम मत्स्यं राजानमकार्षुः । ततः शकुनगणाः हिमवत्प्रदेशे एकस्मिन् पृष्टिपाषाणो सच्चिन्नपत्य 'मनुष्येषु राजा प्रज्ञायते तथा चतुष्पदेषु चैव मत्स्येषु च । अस्माकं पुनरन्तरं राजा नाम नास्ति । अपतेः वासो नाम न वर्तते । अस्माकमपि राजानं लुब्धुं वर्तते एकं राजस्थाने स्थापयितव्ययुक्तकं जानीथाः, इति ते तादृशं शकुनमवलोकमाना एकं उलूकं रोचयित्वा 'अयं नो रोचते' इत्यवोच । अथैकऽशकुनः सर्वेषां अध्याशयग्रहणार्थं त्रिकृत्वः अशुश्रवत् । तस्य श्रावयतः द्वे श्रावणो अधिवासस्य तृतीयश्रावणे एकः काक उत्थाय 'तिष्ठ तावत्, एतस्य अस्मिन् राज्याभिषेककाले एवरूपं मुखं, क्रुद्धस्य कीदृशं भविष्यति' इति । अनेन हि क्रुद्धेन अवलोकिते । वयं तप्तकपाले प्रक्षिप्ततिला इव तत्र तत्रैव भेतस्यामः । इमं राजानं कर्तुं मह्यं न रोचते' इति इममर्थं प्रकाशयितुं प्रथमां गाथामाह—

सर्वैः किल ज्ञातिभिः कौशिकः ईश्वरः कृतः ।

चेत् ज्ञात्यनुज्ञातो भण्येय एकवाचिकम् ।।

अथ एनमनुज्ञातत्वात् द्वितीयां गाथामवोचन्—

भण सौम्य! अनुज्ञातो अर्थं धर्मं च केवलम् ।

सन्ति हि दहराः पक्षिणः पज्ञावन्तो द्यु तिंधरा इति ।।

स एवमनुज्ञातो तृतीयां गाथामाह—

न मे रोचते भद्रं वः उलूकस्याभिषेचनम् ।

अक्रुद्धस्य मुखं पश्य कथं क्रुद्धो करष्यति ।। इति

स एवमुक्त्वा 'मह्यं न रोचते' 'मह्यं न रोचते' इति विरवन् आकाशे उदपत्तत् । उलूकोऽपि एनमुत्थाय अभान्त्सीत् । ततः प्रस्थाय ते अन्योन्यं वैरं आभान्त्सिषुः । शकुनाः सुवर्णहंसं राजानं कृत्वा प्राक्रामिषुः ।

NOTES

NOTES

इत्युलूकजातकम् ।

8. उलूक-जातकं

[इदं सत्था जेवतने विहरन्तो काकोलूककलहं आरब्ध कथेसि । 'भिक्खू 'कदा पट्ठाय पन भन्ते ! काकानं च उलूकानं च अज्जं मज्ज वेरं उप्पन्न'ति ? पुच्छिसु । सत्था 'पठमकप्पियकालतो पट्ठया'ति वत्था अतीतं आहरि ।]

अतीते पठमकप्पिका सन्निपतित्वा एकं अभिरूपं सोभगगप्पतं आणासम्पन्नं सब्बाकारपरिपुण्णं पुरिसं गहेत्वा राजानं करिसु । चतुप्पदापि सन्निपतित्वा एकं सीहं राजानं करिसु । महासमुददे मच्छ आनन्दं नाम मच्छं राजानं अकंसु । ततो सकुणगण हिमवन्तपदेसे एकस्मिं पिट्ठिपासाणे सन्निपतित्वा 'मनुस्सेसु राजा पज्जायति, तथा चतुप्पदेसु चेव मच्छेसु च । अम्हाकं पनन्तरे राजा नाम नत्थि । अप्पतिस्सवासो नाम न वट्ठति । अम्हाकंमि राजा नं लद्धुं वट्ठति । एकं राजट्ठाने ठपेतव्ययुत्तकं जानाथा'ति ते तादिसं सकुणं ओलोकयमाना एकं उलूकं रोचेत्वा 'अयं नो रुच्चती'ति आहंसु । अथेको सकुणो सब्बेसं अज्झासयगहणत्थं तिक्खत्तुं सावेसि । तस्स सावेन्तस्स द्वे सावना अधिवासेत्वा ततियसावनाय एको काको उट्ठाय 'तिट्ठ ताव, एतस्स इमस्मिं राजाभिसेककाले एवरूपं मुखं, कुद्धस्स किदिसं भविस्सती'ति, इमिना कुद्धेन ओलोकिता मयतत्तकपाले पक्खित्तिला विय तत्थ तत्थेव नि भिज्जिस्सास । इमं राजानं कातुं मय्हं न रुच्चती'ति इमं अत्थं पकासेतुं पठमं गाथमाह—

सब्बेहि किर जातीहि कोसियो इस्सरो कतो ।

सचे जातीहनुज्जातो भण्येयाहं एकवाचिय'न्ति ।।

अथ नं अनुज्जातत्ता सकुणा दुतियं गाथमाहसु—

भण सम्म ! अनुज्जातो अत्थं धम्मज्ज केवलं ।

सन्ति हि दहरा पक्खी पज्जावन्ता जुतिन्धरा'ति ।।

सो एवं अनुज्जातो ततियं गाथमाह—

न मे रुच्चति भद्दं वो उलूकस्साभिसेचनं ।

अकुद्धस्स मुखं पस्स, कथं कुद्धो करिस्ती'ति ।।

सो एवं वत्था 'मय्हं न रुच्चति मय्हं न रुच्चती'ति विरवन्तो आकासे उप्पति । उलूकोपि नं उट्ठाय अनुबन्धि । ततो पट्ठाय ते अज्जमज्जं वेरं बन्धिसु । सकुणा सुवण्णहंसं राजानं कत्वा पक्कमिसु ।

[सत्था इमं धम्मदेसनं आहरित्वा सज्जानि पकासेत्वा जातकं समाधानेसि । 'तदा रज्जे अभिसिक्तहंसपोतको पन अहमेवं अहोसी'न्ति ।]

2. पालि संगहो (बोधिसत्त्व-जातकावली)

1. ससजातकम्

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो ससयोनियं निब्वत्तित्वा अरज्जे वसति । तस्स पन अरज्जस्त एकतो पब्बतपादो, एकतो नदी, एकतो पच्चन्तगामको । अपरे पि 'स्स तयो सहाया अहेसुं-मक्कटो, सिंगालो, उद्दोति । ते चत्तारो पि पण्डिता एकतो वसन्ता अत्तनो अत्तनो गोचरट्टाने गोचरं गहेत्वा, सायण्हसमये एकतो सन्निपन्ति । ससपण्डितो 'दानं दातब्बं, सीलं रक्खितब्बं, उपोसथकम्मं कातब्बंति तिण्णं जननां ओवादवसेन धम्मं देसेति । ते तस्स ओवादं सम्पटिच्छित्वा अत्तनो अत्तनो निवासगुम्बं पविसित्वा वसन्ति । एवं काले गच्छन्ते एकदिवसं बोधिसत्ते आकासं ओलोकेत्वा चन्दं दिस्वा 'स्वे उपोसथदिवसो' तिजत्त्वो इतरे तयो आह—'स्वे उपोसथो, तुम्हे तयो पि जना सीलं समादियित्वा उपोसथिका होथ, सीले पतिट्टाय दिन्नदानं महम्मफलं होति, तस्मा याचके सम्पत्ते तुम्हेहि खादितब्बाहारतो दत्त्वा खादेय्याथा' ति । ते 'साधू' ति सम्पटिच्छित्वा अत्तनो वसनट्टानेसु वसित्वा पुनदिवसे तेसु उद्दो पातो व 'गोचरं परियेसिस्सामी' ति निक्खमित्वा गङ्गातीरं गतो । अथेको बालिसिको सत्त रोहितमच्छे उद्धरित्वा वल्लिया आवुणित्वा नेत्वा गङ्गातीरे बालिकाय पटिच्छदेत्वा मच्छे गण्हन्तो अधो गङ्ग भस्सि । उद्दो मच्छगन्धं धायित्वा वालिकं वियूहित्वा मच्छे दिस्वा नीहरित्वा 'अत्थि नु खो इमेसं सामिको' ति तिक्खत्तु' घोसेत्वा सामिकं अपस्सन्तो वल्लियं डसित्वा अत्तनो वसनगुम्बे ठपेत्वा 'वेलायं एवं खादिस्सामी' ति अत्तनो सीलं आवज्जन्तो निपज्जि । सिंगालो पि निक्खमित्वा गोचरं परियेसन्तो एकस्म खेतगोपकस्स कुटियं द्वे मंसलूलानि एकं गोधं एकञ्च दधिवारकं दिस्वा 'अत्थि नु खो एकस्स सामिको' ति तिक्खत्तु' घोसेत्वा सामिकं अदिस्वा दधिवारकस्स उग्गहणरज्जुक गीवाय मंससूले च गोजञ्ज च गोजञ्ज मुखेन डसित्वा नेत्वा अत्तनो सयनगुम्बे ठपेत्वा 'वेलायमेव खादिस्सामी' ति अत्तनो सीलं आवज्जन्तो निपज्जि । मक्कटो पि वनसण्डं परिसित्वा अम्बपिडिं आहरित्वा वसनगुम्बे उपेत्वा 'वेलायमेव खादिस्सामी' ति अत्तनो सीलं आवज्जन्तो निपज्जि । बोधिसत्तो पन 'वेलायमेव निक्खमित्वा दब्बतिणानि खादिस्सामी' ति अत्तनो गुम्बे येव निपन्नो चिन्तेसि-मास सन्तिकं आगतानं याचकानं तिणानि दातुं न सक्का, तिलतण्डुलादयो पि मय्हं न 'त्थि, सचे मे सन्तिकं याचको आगच्छिस्सति अत्तनो सरिरमंसं दस्यामीति । तस्य सीलतेजेन सक्कस्स पण्डुकम्बलसिलासनं उण्हाकारं दस्सेसि । सो आवज्जमानो इमं कारणं दिस्वा । ससराजं वीमंसिस्सामी' ति पठमं उद्दस्स वसनट्टानं गन्त्वा ब्राह्मण्वेसेन अट्टासि; ब्राह्मण, किमत्थं ठितोसीति बुत्ते पण्डित, सचे किञ्चि आहारं लभेय्यं उपसथिको हुत्वा समणधम्मं करेय्यं' ति । सो 'साधु दस्सामि ते आहारं' ति तेन सद्धिं सल्लपन्तो पठमं गथामाह—

सत्त मे रोहिता मच्छ उदका थलमुब्भता ।

इदं ब्राह्मण मे अत्थि भुत्वा वने वसा' ति ।।

ब्राह्मणो 'पातो व ताव हेतु, पच्छ जानिस्सामी' ति सिंगालस्य सन्तिकं गतो; तेनापि किमत्थं ठितोसी' ति वुत्ते तेथवाह । सिंगालो 'साधु दस्सामी' ति तेन सद्धिं दुतियं गाथमाह—

दुस्सं मे खेतपालस्स रत्तिभत्तं अपाभत्तं ।

मंससूला च द्वे गोधा एकञ्च दधिवारकं ।

इदं ब्राह्मण मे अत्थि, एवं भुत्वा वनो सता' ति ।।

NOTES

ब्राह्मणे 'पातो व ताव होतु, पच्छ जानिस्सामी'ति मक्कटस्स सन्तिकं गातो; तेनापि किमत्थं ठितो 'सीति बुत्ते तथेवाह। मक्कटो 'साधु दस्सामीति तेन सद्धिं सल्लपन्तो ततियं गाथमाह—

NOTES

अम्बपक्कोदकं सीतं सीतच्छयं मनोरमं।

इदं ब्राह्मणं मे अत्थि एवं भुत्वा वने वसा'ति।।

ब्राह्मणे 'पातो व ताव होतु, पच्छ जानिस्सामी'ति ससपण्डितस्स सन्तिकं गतो; तेनापि किमत्थं ठितो 'सीति बुत्ते तथेवाह। तं सुत्वा बोधिसत्तो सोमनस्सप्पत्तो ब्राह्मण, सुट्ठु ते कतं आहारत्थाय मम सन्तिकं आगच्छन्तेन, अज्जाहं मया अदिन्नपुब्बं दानं दस्सामि, त्वं पन सीलवा पाणातिपातं न करिस्ससि; गच्छ तात, दारूनि संकड्ढित्वा अङ्गारे कत्वा मय्यं आरोचेहि; अहं अत्तानं परिच्चजित्वा अङ्गारगब्भे पतिस्सामि, मम सरीरे पक्के त्वं मंसं खादित्वा समणधम्मं करेय्यासी'ति तेन सद्धिं सल्लपन्तो चतुत्थं गाथमाह—

न ससस्स तिला अत्थि न मुग्गा नापि तण्डुला।

इमिना अग्गिना पक्कं ममं भुत्वा वने वसा'ति।।

सक्को तस्स कथं सुत्वा अत्तनो आनुभावेन एकं अङ्गाररासिं मापेत्वा बोधिसत्तस्य आरोचेसि। सो दब्बतिणसयनतो उट्ठाय तत्थ गन्त्वा 'सचे मे लोभन्तरेस पाणका अत्थि ते मा मरिसू'ति वत्वा तिक्खत्तुं सरीरं विधूणित्वा सकसरीरं दानमुखे दत्वा लद्धित्वा पदुमपुञ्जे राजहंसो विय पमुदितचित्तो अङ्गाररासिम्हि पति। सो पन अग्गि बोधिसत्तस्स सरीरे लोमकूपमत्तं पि उण्हं कातुं नासिक्ख, हिमगब्भं पविट्ठो विय अहोसि। अथ सक्कं आमन्तेत्वा 'ब्राह्मण, तया कतो अग्गि अतिसीतलो, मम सरीरे लोककूपमत्तं पि उण्हं कातुं न सक्कोति किं एतं' ति आह। 'पण्डित, नाहं ब्राह्मणे, सक्को अहमस्मि, तव वीमंसनत्थाय आगतो'ति। 'सक्क, त्वं ताव तिट्ठ, सकलो पि चे लोकसन्निवासो मं दानेन वीमंसेय्य, नेव मे अदातुकामतं पस्सेय्या' ति बोधिसत्तो सीहनादं नदि। अथ नं सद्धो 'ससपण्डित, तव गुणो सकलकप्पं पाकटोहोतू' ति पब्बतं पीळलेत्वा पब्बतरसं आदाय चन्दमण्डले ससलक्खणं आलिखित्वा बोधिसत्तं आमन्तेत्वा तस्मिं वनसण्डे तस्मिं येव वनगुम्बे तरुणदब्बतिणपिट्ठे निपज्जापेत्वा अत्तनो देवट्ठानमेव गतो। ते पि चत्तारो पण्डिता सम्मोदमाना सीलं पूरेत्वा उपोसथकम्मं कत्वा यथाकम्मं गता।

संस्कृत अनुवाद

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः शशयोण्यां निर्वृत्य अरण्ये वसति। तस्य पुनः अरण्यस्यैकतः पर्वतपादः एकतः नदी एकतः प्रत्यन्तग्रामकः। अपरेऽप्यस्य त्रयः अभूवन् मर्कटः शृगालः उद्र इति। ते चत्वारोऽपि पण्डिता। एकतः वसन्तः आत्मनः आत्मनः गौचरस्थाने गौचरं गृहीत्वा सायाहसमये एकतः सन्निपतन्ति। शशपण्डितः दानं दातव्यं, शीलं रक्षितव्यमुपवसथकर्म कर्तव्यमिति त्रीन् जनान् अवसादवशेन धर्मं दिशति। ते तस्याववादं सम्प्रतीष्यात्मनः आत्मनः निवासनगुल्मं प्रविश्य वसन्ति। एवं काले गच्छति एकस्मिन् दिवसे बोधिसत्त्वः आकाशमवलोक्य चन्द्रं दृष्ट्वा श्वः उपवसथदिवस इति ज्ञात्वा इतरान् त्रीन् आह—'श्वः उपवसथः यूयम् त्रयोऽपि जनाः शीलं समादायोपवसथिकाः भवत, शीले प्रतिष्ठाय दत्तदानं महाफलं भवति। तस्माद् याचके सम्प्राप्ते युष्माभिः खादिव्याहारतः दत्त्वा खादे।' ते 'साधु' इति सम्प्रतीष्यात्मनः वसनस्थानेषूषित्वा पुनर्दिवसे तेषूद्रः प्रातरेव गौचरं पर्येषिष्यामि इति निष्क्रम्य गङ्गातीरं गतः। अथैक बाडिशिकः सप्त रोहितमत्स्यानुद्धृत्य वल्ल्याप्य नीत्वा गङ्गातीरे प्रतिच्छाद्य मत्स्यान् गृह्णन्तोऽधो गङ्गायामभाङ्क्षीत्। उद्रः मस्त्यगन्धं घ्रात्वा बालुकां व्यूह्य मत्स्यान् दृष्ट्वा निर्हृत्य अस्ति ननु खलु एतेषां

स्वामिक इति त्रिःकृत्वं घोषयित्वा स्वामिकमपश्यन् वल्ल्यां दृष्ट्वा आत्मनो वसनगुल्मे स्थायित्वा बेलायामेव खादिष्यामीति आत्मनः शीलमावजयन् न्यपादि । शृगालोऽपि निष्क्रम्य गोचरं परीष्यन् एकस्य क्षेत्रगोपकस्य कुट्यां द्वौ मांसशूलौ एकां गोधामेकञ्च दधिवारकं दृष्ट्वास्ति ननु खल्वेतस्य स्वामिक इति त्रिःकृत्वं घोषयित्वा स्वामिकमदृष्ट्वा दधिवारकस्य उद्ग्रहरज्जुकं ग्रीवायां प्रवेश्य मांसशूलञ्चलञ्च गोधाञ्च मुखेन नीत्वात्मनः शयनयुल्मे स्थापयित्वा बेलायामेव खादिष्यामीति आत्मनः शीलमावर्जयन् न्यपादि । मर्कटोऽपि प्रतिशयान्निपिण्डमाहार्यं वसनगुल्मे स्थापयित्वा बेलाया मेव खादिष्यामि इत्यात्मनः शीलमावर्जयन् न्यपादि । बोधिसत्त्वः पुनः बेलायामेव दर्भतृणानि खादिष्यामीत्सात्मनो गुल्मे एव निपन्नः अचीचिन्तत्— ममान्तिकमागतेभ्यः याचकेभ्यः तृणानि दातुं न शक्यम् तिलतण्डुलादयोऽपि मम न सन्ति, चेत् ममांतिक याचकः आगमिष्यत्यात्मनः शरीरमांसं दास्यामीति । तस्य शीलतेजसा शक्रस्य पांडुकम्बलशिलासनमुष्णाकारमदर्शि । स आवर्जयन् एवं कारणं दृष्ट्वा शशराजं मीमांसिष्ये इति प्रथममुद्रस्य वसनस्थानं गत्वा ब्राह्मणवेशेनास्थात्, 'ब्राह्मण ! किमर्थं स्थितोऽसि' इत्युक्ते 'पण्डित ! चेद् आहारं लभै (अलप्स्यम्) उपवसथिको भूत्वा श्रमवधर्मं कुर्याम् (अकरिष्यम्)' इति । स 'साधु' दारयामि ते आहारमिति तेन सध्रीङ् संल्लपन् प्रथमां गाथामाह—

सप्त मे रोहिताः मत्स्याः उद्कात् स्थलमुद्धृताः ।

इदं ब्राह्मण ! मे अस्ति एतद् भुक्त्वा वने वस इति ।।

ब्राह्मणः 'प्रातरेव तावद् भवतु, पश्चाद् ज्ञास्यामी'ति शृगालस्यान्तिकं गतः, तेनापि किमर्थं स्थितोऽसीत्युक्ते तथैवाह । शृगालः 'साधु' दास्यामीति तेन सध्रीङ् संल्लपन् द्वितीयां गाथामाह—

दूष्य मे क्षेत्रपालस्य रात्रिभक्तमपाभृतम् ।

मांसशूलाश्च द्वे गोधे एकञ्च दधिवारकम् ।

इदं ब्राह्मण ! मे अस्त्येतद् वने वस इति ।।

ब्राह्मणः 'प्रातरेव तावद् भवतु, पश्चाद् ज्ञास्यामी'ति मर्कटस्यान्तिकं गतः, तेनापि किमर्थं स्थितोऽसीत्युक्ते तथैवाह । मर्कटः 'साधु' दास्यामीति तेन सध्रीङ् संल्लपन् तृतीयां गाथामाह—

आम्रपक्वौदकं शीतं शीतच्छयं मनोरमम् ।

इदं ब्राह्मण ! मे अस्तीदं भुक्त्वा वने वस इति ।।

ब्राह्मणः 'प्रातरेव तावद् भवतु, पश्चात् ज्ञास्यामी'ति शशपण्डितस्यान्तिकं गतः, तेनापि किमर्थं स्थितोऽसीत्युक्ते तथैवाह—तच्छ त्वा बोधिसत्त्वः सौमनस्यप्राप्तः (प्राप्त) सौमनस्य) । 'ब्राह्मण ! सुष्ठु त्वया कृतमाहारार्थाय ममान्तिकमागच्छता अद्याहं ममादत्तपूर्वं दानं दास्यामि, त्वं पुनः शीलवान्, प्राणातिपात न करिष्यासि, गच्छ, तात ! दारुणि संकर्ष्याङ्गरे कृत्वा म्हमारोचय, अहमात्मान परित्यज्याङ्गरेभे पतिष्यामि, मम शरीरे पक्वे सति त्वं मांसं खादित्वा श्रमणधर्मं करिष्यसी'ति तेन सध्रीङ् संल्लपन् चतुर्थीं गाथामाह—

न शशस्य तिलाः सन्ति न मुद्गाः नापि तण्डुलाः ।

अनेनाग्निना पक्वं मम भुक्त्वा वने वस इति ।।

शक्रः तस्य कथां श्रुत्वात्मनोऽनुभावेनैकमङ्गारराशिं मापयित्वा बोधिसत्त्वमारूच्यत् । स दर्भतृणशयनतः उत्थाय तत्र गत्वा चेन्मे लोकान्तरेषु प्राणकाः सन्ति ते मा मृषत इत्युक्त्वा त्रिःकृत्वं शरीरं विधूय स्वकशरीरं

दानमुखं हत्वा लङ्घयित्वा पद्मपुञ्जे राजहंस इव प्रमुदितचित्तः अङ्गाराशौ स पुनरग्निः बोधिसत्त्वस्य शरीरे लोककूपमात्रमप्युष्णं कर्तुं नाशकत्। हिमगर्भं प्रविष्ट इव अभूत्। अथ शकमामन्त्रेण 'ब्राह्मण ! त्वया कृतोऽग्निः अतिशीतलः। मम शरीरे रोमकूपमात्रमपि उष्णं कर्तुं न शक्नोति किं नाम एतदित्याह। 'पण्डित ! नाहं ब्राह्मणः शक्रोऽहमस्मि तव मीमांसनार्थायागत इति। 'शक्र ! तावत् तिष्ठ सकलोऽपि चेत् लोकसन्निवासः मां दानेन मीमांसेथाः नैव मे अदातुकामतां पश्येरिति' बोधिसत्त्वः सिंहनादमानदीत्। अथ नूनं शक्रः शशपण्डित ! तव गुणः सकलकल्पं प्रकटः भवत्विति पर्वतं पीडयित्वा पर्वतरसमादाय चन्द्रमण्डले शशलक्षामालिख्य बोधिसत्वामामन्त्रेण तस्मिन् वनषण्डे तस्मिन्नेव वनगुल्मे तरुणदर्भतृणपृष्ठे निपद्यात्मनो देवस्थानमेव गतः। तेऽपि चत्वारः पण्डिता सम्मोदमानाः शीलं पूरयित्वापवसथकर्म कृत्वा यथाक्रमं गताः।

हिन्दी अनुवाद

अतीतकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के शासनकाल में बोधिसत्त्व शशयोनि में उत्पन्न होकर अरण्य में निवास करते थे। उस जंगल में एक ओर पर्वत, एक ओर नदी तथा एक ओर गाँव था। बन्दर, शृगाल तथा उदर इनके सहायक हुए। वे चारों पण्डित एक स्थान पर रहते हुए भी अपने-अपने शिकार करने के स्थल से शिकार (जीव) लेकर सायंकाल एक स्थान पर एकत्र होते थे। दान देना चाहिए, शील की रक्षा करनी चाहिए, उपसोथ-कर्म करना चाहिए, इस प्रकार की धर्म की शिक्षा शशपण्डित तीनों जीवों को दिया करते थे। वे उनके उपदेश को स्वीकार कर अपने-अपने रहने के झुरमुटों में प्रविष्ट हो निवास करते थे। इस प्रकार समय बीतने पर एक दिन बोधिसत्त्व ने आकाश में चन्द्रमा को देखकर कल उपवसथ दिन है, ऐसा जानकर अन्य तीनों से कहा—'कल उपवसथ है, तुम तीनों भी शील धारण कर उपवसथ करने वाले बनो। शील में प्रतिष्ठित होकर दिया गया दान महाफलवाला होता है। इसलिए याचकों के उपस्थित होने पर आप लोग भोज्यपदार्थ को देकर खायें।' उन लोगों ने 'साधु' ऐसा स्वीकार कर अपने-अपने निवासस्थान पर निवास किया। दूसरे दिन उदर प्रातःकाल ही 'गोचर का अन्वेषण करूँगा' ऐसा सोचकर निकलकर गङ्गातीर पर चला गया। कोई (व्यक्ति) सात रोहू मछलियों को निकालकर, बल्ली से पकड़कर, गङ्गा के किनारे बालू में छिपाकर, (अन्य) मछलियों को पकड़ता हुआ गङ्गा में धँस गया। उदर ने मत्स्य-गन्ध को सूँघकर, बालू को हटाकर मछलियों को देखा, (उन्हें) निकालकर 'इनका कोई स्वामी है' ऐसा तीन बार घोषित कर स्वामी को न देखता हुआ बल्ली में दबाकर अपने निवास के झुरमुट में स्थापित कर 'समय पर ही खाऊँगा' ऐसा सोचकर अपने शील का आवर्जन (सेवा) करता हुआ पड़ गया। शृगाल भी निकलकर एक क्षेत्र-रक्षक की कुटी में दो मांसशूल, एक गोह और एक तक्रभाण्ड को देखकर 'इसका (कोई) स्वामी है' इस प्रकार तीन-तीन बार घोषणा करके स्वामी को न देखकर तक्रभाण्ड को लेकर अपने शयनगृह में स्थापित कर 'समय पर ही खाऊँगा' ऐसा अपने शील का आवर्जन करता हुआ पड़ गया। बन्दर भी वनखण्ड में प्रविष्ट हो आम्रपण्ड को लेकर निवासस्थान पर स्थापित कर 'समय पर ही खाऊँगा' ऐसा अपने शील का आवर्जन करता हुआ पड़ गया। बोधिसत्त्व, 'उपवसथ-वेला में कुशतृणों को ही खाऊँगा' ऐसा निश्चय कर अपने झुरमुट में पड़े हुए ही सोचने लगे—'अपने पास आये हुए याचकों को कुशतृणों को नहीं दिया जा सकता है, (पुनः) मेरे पास तिल-तण्डुल आदि भी नहीं है, (अतः) यदि मेरे पास याचक आयेगा तो अपने शरीर के मांस को दे दूँगा, उनके शील के तेज से इन्द्र ने अपने पाण्डुकम्बल शिलासन को प्रतप्त देखा। वह इस कारण को देखकर 'शशराज की मीमांसा करूँगा' ऐसा सोचकर पहले उदर के निवासस्थान पर ब्राह्मण-वेश में जाकर स्थित हो गया। 'हे ब्राह्मण, किसलिए स्थित हो' ऐसा कहने पर (ब्राह्मण ने कहा) 'पण्डित ! यदि कुछ आहार पा जाऊँ तो उपवसथिक होकर श्रमणधर्म का पालन

करूँ।' उसने 'साधु' कहकर 'तुम्हें आहार दूँगा' (ऐसा स्वीकार कर) उसके साथ संल्लाप करता हुआ पहली गाथा कही—

'जल से निकालकर स्थल पर रखी गयी मेरे पास सात रोहू मछलियाँ हैं। हे ब्राह्मण ! यही मेरे पास हैं, इनको खाकर वन में निवास करो।'

'अच्छ, बाद में ज्ञान प्राप्त करूँगा' ऐसा सोचकर ब्राह्मण प्रातः ही शृगाल के पास गये—उसके भी 'किसलिए स्थित हो' ऐसा कहने पर इसी प्रकार कहा। सियार ने, 'साधु, दूँगा, ऐसा कहकर उसके साथ संल्लाप करता हुआ दूसरी गाथा कही—

'ब्राह्मण, मेरे पास क्षेत्रपाल के वस्त्र, रात्रि का भोजन मांसशूल, दो गोह तथा एक तक्रभाण्ड, जिन्हें चुरा लाया गया है, इन्हें खाकर आप वन में निवास करें।'

'अच्छ, बाद में जानकारी प्राप्त करूँगा' ऐसा सोचकर ब्राह्मण प्रातः ही मर्कट के पास गया, 'किसलिए स्थित हो' ऐसा उसके भी कहने पर (उसने) उसी प्रकार कहा। 'साधु, दूँगा' ऐसा सोचकर, मर्कट ने उसके साथ संल्लाप करता हुआ, तीसरी गाथा कही—

'हे ब्राह्मण ! मनारेम, शीतल छायावाले (वृक्ष), शीतल जल तथा पका हुआ आम यही मेरे पास है। इसे खाकर वन में निवास करो।' अच्छ, 'बाद में जानूँगा' ऐसा सोचकर ब्राह्मण प्रातः ही शशपंडित के पास गया, 'किसलिए स्थित हो' ऐसा उसके कहने पर उसी प्रकार कहा। उसे सुनकर प्रसन्न हो बोधिसत्त्व ने (कहा)—'हे ब्राह्मण ! आहार के लिए यहाँ आकर तुमने ठीक किया, आज मैं अपने पहले न दिये गये दान को दूँगा, तुम शीलवान् हो, मुकरोगे नहीं। हे तात ! जाओ लकड़ी को खींचकर अग्नि में डालकर मुझे जलाओ, मैं अपने (प्राणों) को छोड़कर अग्नि के बीच गिर जाऊँगा। मेरे शरीर के पक जाने पर तुम मांस को खाकर श्रमणधर्म करना, ऐसा सोचकर उसके साथ संल्लाप करता हुआ चौथी गाथा कही—

शश के पास न तिल हैं, न तण्डुल ही हैं।

अग्नि में पके हुए (मेरे इस मांस) को खाकर वन में निवास करो।'

शक्र ने उस कथा को सुनकर अपने अनुभाव से एक अङ्गार-राशि को लाकर बोधिसत्त्व से कहा। वह दर्भतृण-शयन से उठकर वहाँ जाकर, 'यदि रोमों के बीच मेरे प्राण रह जायँगे तो वे नहीं मरेंगे' ऐसा कहकर, तीन बार शरीर को हिलाकर अपने शरीर को दान के लिए देकर, लाँघकर पद्मसमूह के बीच राजहंस की भाँति, प्रसन्नचित्त हो अङ्गार-राशि में गिर गया। वह अग्नि बोधिसत्त्व के शरीर के रोमकूपों को भी उष्ण करने में समर्थ नहीं हुआ, ऐसा मालूम पड़ने लगा कि हिम के भीतर घुसे हों। वे शक्र का सम्बोधन कर बोले, 'हे ब्राह्मण ! तुम्हारी लगायी हुई आग अत्यन्त शीतल है, मेरे शरीर में रोम-कूप तक को भी गरम नहीं कर सकती। इन (प्राणों) का क्या !—'हे पण्डित ! मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं शक्र हूँ, तुम्हारी मीमांसा के लिए यहाँ आया था।' 'हे इन्द्र, तुम तब तक रुको, (तुम) सकल लोक के निवासस्थान हो, यदि मेरी मीमांसा दान के द्वारा करना चाहते हो तो मुझे कुछ भी देने में संकोच नहीं है, ऐसा जानो।' इस प्रकार बोधि सत्त्व ने सिंहनाद किया (स्पष्ट कहा)।

तदनन्तर हे शश-पण्डित ! तुम्हारा गुण सम्पूर्ण कल्पों में प्रकट होवे, ऐसा कहकर पर्वत को निचोड़कर पर्वत-रस को लेकर चन्द्रमण्डल में शशलक्षण को लिखकर बोधिसत्त्व को आमंत्रित कर उस

NOTES

वनखण्ड में उसी वन के झुरमुट में बड़े हुए दर्भतृणपृष्ठ पर गिरकर अपने देवस्थान को ही चले गये। चारों पण्डित भी प्रसन्न हुए तथा शील को पूर्ण करके, उपवसथ-कर्म करके यथाकर्म चले गये।

NOTES

2. बावेरुजातकम्

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो मोरयोनिं निब्वत्तित्वा बुद्धिं अन्वाय सोभाग्गपत्तो अरज्जे विचरि। तदा एकच्चे वाणिजा दिसाकाकं गहेत्वा नावाय बावेरुरट्ठं अगमंसु। तस्मिं किर काले बावेरुरट्ठे सकुणा नाम नत्थि। आगतागता रट्ठवासिनो तं कूपग्गे निसिन्नं दिस्वा पस्सथि 'मस्स छविवण्णं गलपरियोसानं मुखतुण्डकं मणिगुळसदिसानि अक्खीनति। काकं एव पसंसित्वा ते वाणिजके आहंसु, 'इमं अय्यो सकुणं अम्हाकं देथ, अम्हाकं हि इमिना अत्थो, तुम्हे अत्तनो रट्ठे अज्जं लभिस्सथा'ति। 'तेन हि मूलेन गण्हथा'ति। 'कहापणेन नो देथा'ति। 'न देमा'ति। अनुपुब्बेन वड्ढेत्वा 'सतेन देथा'ति वृत्ते 'अम्हाकं एस बहूपकारो, तुम्हेहि पन सद्धिं मेत्ती होतू' ति कहापणसतं गहेत्वा अदंसु। ते तं गहेत्वा सुवण्णपञ्जरे परिक्खपित्वा नानप्पकारेन मच्छमंसेन चे 'व फलाफलेन च पटिजग्गिस। अज्जेसं सकुणानं अविज्जमानट्टाने दसहि असद्धम्मोहि समन्नगतो काको लाभग्गयसग्गपत्तो अहोसि। पुनवारे ते वाणिजा एकं मयूरराजानं गहेत्वा यथा अच्छ्रासहेन वस्सति वाणिप्पहारसहेन नच्चति एवं सिक्खापेत्वा बावेरुरट्ठं अगमंसु। सो महाजने सन्निपतिते नावाय धुरे ठत्वा पक्खे विधून्तिवा मधुररस्सरं निच्छरेत्वा नच्चि। मनुस्सा तं दिस्वा सोमनस्सजाता— 'एतं अय्यो सोभग्गपत्तं सुसिक्खितसकुणराजानं अम्हाकं देथा' ति आहंसु। 'अम्हेहि पठमं काको आनीतो, तं गण्हत्थ' इदानि एवं मोरराजानं आनायिम्ह, एतिम्प याचथ। तुम्हाकं रट्ठे सकुणं नाम गहेत्वा आगन्तुं न सक्का'ति। 'होतु अय्यो, अत्तनो रट्ठे अज्जं लभिस्सथ, इमं नो देथा'ति मूलं वड्ढेत्वा सहस्सेन गण्हिसु। अथ नं सत्तरतनविचित्ते पज्जरे ठपेत्वा मच्छमंसफलाफलेहि चे 'व मधुलाजासक्खरापानकादीहि च पटिजग्गिसु। मयूरराजा लाभग्गयसग्गपत्तो जातो। तस्सागतकालतो पट्टाय काकस्य लाभसक्कारो परिहायि, कोचि नं आलोकितुं पि न इच्छि। काको खादनीय-भोजनीयं अलभमानो 'काका'ति वस्सन्तो गन्त्वा उक्कारभूमियं ओतरि।

अदस्सनेन मोरस्स सिखिनो मज्जुभाणिनो।

काकं तत्थ अपूजेसूं मंसेन च फलेन च।।

यदा च सासम्पन्नो मोरी बावेरुमागमा।

अथ लाभो च सक्कारो वायसस्स अहायथ।।

याव नु 'प्पजाति बुद्धो धम्मराजा पभंकारो।

ताव अज्जे अपूजेसू पुथू समणब्राह्मणे।।

यदा च सरसम्पन्नो बुद्धो धम्मं अदेसयि।

अथ लाभो च सक्कारो तित्थियानं आहयथा'ति ।।

संस्कृत अनुवाद

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः मयूरयोनिं निर्वृत्य बुद्धिमन्वित्य सौभाग्यप्राप्तः अरण्ये व्यचारीत्। तदैकत्याः वणिजः दिक्काकं गृहीत्वा नावा बावेरुराष्ट्रमगमन्। तस्मिन् किल काले बावेरुराष्ट्रे शकुनाः नाम न सन्ति। आगताः राष्ट्रवासिनः तं कूपग्रे निषण्णं दृष्ट्वा 'पश्यतास्य छविवर्णं गलपर्यवसानं मुखतुण्डकं मणिगुलकसदृशेऽक्षिणीति काकमेवं प्रशस्य ले वणिजः अवोचन्—'इदमार्यः

शकुनमस्मभ्यं ददातु। अस्माकं ह्यनेनार्थः यूमात्मनः राष्ट्रे अन्यम् लप्स्यध्वेः तेन हि मूल्येन गृह्णीत इति। कार्षापणेन नो दत्तेति। न दद्य इति। आनुपूर्व्येण वर्धनित्वा शतेन दत्तेत्युक्तेऽस्माकमेष बहूपकारः। युष्माभिः पुनः सार्धं मैत्री भवत्विति' कार्षापणशतं गृहीत्वादुः ते तं गृहीत्वा सुवणपञ्जरे प्रक्षिप्य नानाप्रकारेण मत्स्यमांसेन चैव फलाफलेन च प्रत्यग्रहीषुः। अन्येषां शकुनानामविद्यमानस्थाने दशभिरसद्धर्मैः समन्वागतः काकः लाभाग्रयशोग्रप्राप्तोऽभूत्। पुनर्वारं ते वणिजः एकं मयूरराजं गृहीत्वा यथाक्षरशब्देन वाश्यते, पाणिप्रहारशब्देन नृत्यत्येवं शिक्षयित्वा बावेरुराष्ट्रमगमन्। स महाजने सन्निपतिते, नावा धुरि स्थित्वा पक्षौ विधूय मधुरस्वरं निस्सार्य अनर्तीत् मनुष्याः तं दृष्ट्वा सौमनस्यजाताः—'एनमार्याः ! प्राप्त-सौभाग्यं सुशिक्षितं शकुनरामस्मभ्यं दत्तेत्यवोचन्। अस्माभिः प्रथमं काकः अनीतः तमग्रहीष्टेदानीमेतं मयूरराजमानैषिष्म एनमपि याचथ। युष्माकं राष्ट्र शकुनं नाम गृहीत्वागन्तुं न शक्यम्। भवत्वार्थः आत्मनः राष्ट्रे अन्यं लभ्यसे, इमं नो ददातु।' मूल्यं वर्धयित्वा सहस्रेणाग्रहीषुः अथैनं सप्तरत्नविचित्रे पञ्जरे स्थापयित्वा मत्स्यमांसफलाफलैश्चैव मधुजुलाजाशर्करापानकादिभिश्च प्रत्यग्रहीषुः मयूरराजः लाभाग्र-यशोग्रप्राप्तो जातः। तस्यागतकालतः प्रस्थाय काकम्य लाभसत्कारः पर्यहायि। कश्चिदप्येनमवलोकयितुमपि नैषीत्। काकः खादनीयं भोजनीयमलभमानः काकेति वाश्यमानो गत्वोत्करभूमौ अवातरीत्।

अदर्शनेन मयूरस्य शिखिनो मञ्जुभाषिणः।
काकं तत्रापूपुजन् मांसेन च फलेन च।।
यदा च स्वरसम्पन्नः मयूरो बावेरुमागमत्।
अथ लाभश्च सत्कारो वायसस्याहायि।।
यावन्नोत्पद्यते बुद्धो धर्मराजः प्रभाकरः।
तावदन्येऽपूज्यन्त पृथक् श्रमणब्राह्मणाः।।
यदा च स्वरसम्पन्नः बुद्धी धर्ममदिक्षत्।
अथ लाभश्च सत्कारः लैर्थिकानामहायि।।

हिन्दी अनुवाद

अतीत काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के शासन-काल में बोधिसत्व मयूरयोनि में निवृत्त होकर, बुद्धि तथा सौभाग्य प्राप्तकर जंगल में विचरण कर रहे थे। कुछ बनिये दिशा-काक को लेकर नाव से बावेरुराष्ट्र गये। उस समय बावेरुराष्ट्र में कोई पक्षी नहीं था। आते-जाते हुए राष्ट्रवासी, कूप पर बैठे हुए उसको देखकर 'इसके वर्णछवि, गले तक फैले हुए चोंच एवं मणि के सदृश आँखों को देखो।' इस प्रकार काक की प्रशंसा कर उन लोगों ने बनियों से कहा—'हे आर्य, इस पक्षी को हम लोगों को दे दें। हम लोगों को इससे तात्पर्य है। आप लोग अपने राष्ट्र में दूसरा प्राप्त कर लीजियेगा। इसलिए मूल्य ले लीजिये। एक कार्षापण में इसे हमें दे दीजिये। 'नहीं देंगे।' (इस प्रकार) क्रमशः बढ़ाकर (कहा) सौ (कार्षापण) में दे दीजिये। हम लोगों का यह बहुत उपकार होगा तथा आप लोगों के साथ मित्रता हो जायेगी।' सौ कार्षापण लेकर (उसे) दे दिया। वे उसे लेकर सुवर्ण-पञ्जर में डालकर नाना प्रकार के मत्स्यमांस, फलाफल द्वारा उसका सत्कार करने लगे। अन्य पक्षियों के अभाव में दश असद्धर्मों से युक्त कौआ लाभ एवं यश प्राप्त करने लगा। दूसरे दिन वे बनिये एक मयूर-राज को 'जिससे अक्षर कहने पर बोले, हथेली के प्रहार के शब्द से नृत्य करे' ऐसा सिखाकर बावेरुराष्ट्र लाये। वह महाजनों के एकत्र होने पर नाव की धुरी पर स्थित हो पंखों को फैलाकर, मधुर स्वर निकालकर नाचने लगा। उसे देखकर मनुष्य प्रसन्न हो गये। 'आर्य !

सौभाग्यशाली सुशिक्षित इस पक्षिराज को हमें दे दें', ऐसा कहा। 'हम पहले कौआ लाये, उसे ले लिया, इस समय मयूरराज को लाये इसको भी माँग रहे हो। आप लोगों के राष्ट्र में पक्षी लेकर नहीं आया जा सकता।' 'हे आर्य ! अपने राष्ट्र में दूसरा (पक्षी) प्राप्त कर लीजियेगा, इसे हमें दे दें।' (इस प्रकार) मूल्य बढ़ाकर हजार (कार्षापण) में ले लिया। इसे सात रत्नों से बने विचित्र पिंजरे में स्थापित करके मत्स्यमांस, फलाफल, मधु, शक्कर, पानक आदि से इसका सत्कार करने लगे। मयूरराज लाभ एवं यश प्राप्त करने लगे। उसके आने के समय से कौए का लाभ एवं सत्कार बन्द हो गया। कोई इसे देखना भी नहीं चाहता था कौआ भोजन आदि न प्राप्त करता हुआ 'काँव-काँव' ऐसा कहता हुआ जाकर उच्चार (शौचालय) भूमि में उतर गया।

मञ्जुभाषी मयूर के अदर्शन से मांस एवं फल द्वारा कौआ पूजा जाता था। जब स्वरसम्पन्न मयूर बावेरु आया तब कौए का लाभ-सत्कार त्याग दिया गया। जब तक धर्मराज प्रभाकर बुद्ध उत्पन्न नहीं हुए तब तक अन्य श्रमण ब्राह्मण पूजे जाते थे। जब स्वर-सम्पन्न बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया तब उनका लाभ-सत्कार त्याग दिया गया।

3. जवसकुणजातकम्

अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो हिमवन्तप्पदेसे रुक्खकोट्टकसकुणो हुत्वा निब्बत्ति। अथेकस्य सीहस्य मंसं खादन्तस्य अट्ठि गले लग्गि, गलो उद्धुमाथि, गोचरं गण्हितुं न सक्कोति, खरा वेदना वत्तन्ति। अथ नं सो सकुणो, गोचरसुपो दिस्वा साखाय निलीनो 'किन्ते दुक्खं' ति पुच्छि। सो तं अत्थं आचिक्खि। 'अहं ते सम्म एतं अट्ठिं अपनेय्यं, भयेन पन ते मुखं पविसितुं न विसहामि, खादेय्यासि पि मं' ति।' मा भायि सम्मं, नाहं तं खादामि जीवितं मे देही' ति। सो 'साधू' ति तं पस्सेन निपज्जापेत्वा 'को जानाति किं पे'स करिस्सती'ति चिन्तेत्वा यथा मुखं पिदहितुं न सक्कोति तथा तस्स अधरोट्ठे च उत्तरोट्ठे च दण्डकं ठपेत्वा मुखं पविसित्वा अट्ठिंकोटिं तुण्डेन गहरि। अट्ठि पतित्वा गतं। सो अट्ठि पातेत्वा सीहस्य मुखतो निक्खमन्तो दण्डकं तूण्डेन पहरित्वा पातेन्तो निक्खमित्वा साखग्गे निलीयि। सीहो नीरोगो हुत्वा एकदिवसं वनमहिंसं वधित्वा खादति। सकुणो 'वीमंसिस्सामि नं' ति तस्य उपरिभागे साखाय निलीयित्वा तेन सद्धिं सल्लपन्तो पठमं गाथामाह—

अकरम्हसे ते किच्चं यं बलं अहुवम्हसे।
मिगराज नमो त्यत्थु अरि किञ्चि लाभामसे।।

तं सुत्वा सीहो दुतियं गाथमाह—

मम लोहितभक्खस्स निच्चं लुद्धानि कुब्बतो।
दन्तान्तरगतो सन्तो तं बहुं यंहि जीवसीति।।

तं सुत्वा सकुणो इतना द्वे गाथा अभासि—

अकतञ्जु अकत्तारं कत्तस्य अप्पतिकारकं।
यस्मिं कतञ्जुता न'त्थि निरत्था तस्ससेवना।।
यस्य सम्मुखचिण्णन मित्तधम्मो न लब्भति।
अनुसुय्यं अनक्कोसं सणिकं तुम्हा अपक्कमे'ति।।

एवं वत्वा सो सकुणो पक्कामि।

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः हिमवत्प्रदेशे वृक्षकोष्ठकशकुनो भूत्वा न्यवर्त्तिष्ठ। अर्थकस्य सिंहस्य मांसं खादतोऽस्थि गलेऽलगीत्, गलमुदध्मायि गोचरं ग्रहीतुं न शक्नोति, खराः वेदनाः अयैः स शकुनः गोचरप्रसृतः दृष्ट्वा शाखायां निलीनः 'किन्ते दुःखमि' त्यप्राक्षीत्। स तदर्थमाख्यत्। अहम् तव सौम्य ! एतदरस्यपनमेयं, भयेन पुनः ते मुखं प्रवैष्टुं न विषहे, खादेः अपि मामिति। मा भैषीः सैम्य ! नाहं त्वां खादामि। जीवितं मं टेहीति। साधु, इति तं पार्श्वेन निप्रज्ञाप्य कः जानाति स करिष्यतीति चिन्तयित्वा यथा मुखं पिदधातु' न शक्नोति तथा तस्याधरोष्ठे चोत्तरोष्ठे च दण्डकं स्थापयित्वा मुखं प्रविदयास्थिकोटिं तुण्डेनापाहार्षीत्। अस्थि पतित्वा गतम्। स अस्थि पातयित्वा सिंहस्य मुखतो निष्क्राम्यन् दण्डकं तुण्डेन प्रहृत्य पातयन् निष्क्रम्य शाखाग्रे न्यलेष्ट। सिंहो नीरोगो भूत्वैकदिवसे वनमहिषं हत्वा खादति। शकुनो, मीमांसिष्ये एनमिति तस्योपरिभागे शाखायं निलीय तेन सध्रीङ् संल्लपन् प्रथमां गाथामाह—

अकार्षं ते कृत्यं यदबलमभूवम्।
मृगराज ! नमस्तेऽस्तु-अपि किञ्चिद् लभामहे।।

तच्छ्रुत्वा सिंहः द्वितीयां गाथामाह—

मम लोहितभक्ष्यस्य नित्यं रुद्राणि कुर्वतः।
दन्तान्तर्गतः सन् बहु यद्धि जीवसि।।

तच्छ्रुत्वा शकुनः इतरे द्वे गाथे अभासिष्ठ—

अकृतज्ञमकर्तारं कृतस्याप्रतिकारकम्।
यस्मिन् कृतज्ञता नास्ति निरर्था तस्य सेवना।।
यस्य सम्मुखचीर्णेन मित्रधर्मो न लभ्यते।
अनसूयमनाक्रोशं शनकैः तस्मादपक्रमेद् इति।।
एवमुक्त्वा स शकुनः प्राक्रमीत्।

हिन्दी अनुवाद

भूतकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के शासन-काल में बोधिसत्त्व हिमवत्प्रदेश में वृक्षकोष्ठक के शकुन होकर उत्पन्न हुए। कभी मांस को खाते हुए (किसी) सिंह के गले में अस्थि लग गयी, गला रूँध गया, (वह) जीवों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो रहा था, (उसे) तीव्र वेदना उत्पन्न हो रही थी। जीवों से हटे हुए उसे देखकर शाखाओं के बीच में छिपे हुए उस शकुन ने पूछा—'क्या कष्ट है ?' उसने वह बात कही। 'मैं तुम्हारी इस हड्डी को निकालूँगा, परन्तु भय के कारण तुम्हारे मुख में प्रविष्ट होने की हिम्मत नहीं कर रहा हूँ, मुझको भी खा लोगे।' 'हे सौम्य ! डरो मत, मैं तुम्हें नहीं खाऊँगा। मुझे जीवन दो।' अच्छा, ऐसा कहकर समीप से उसे जानकर, कौन जानता है, वह कुछ भी कर देगा, ऐसा सोचकर, जिससे कि वह मुख न बन्द कर सके, उसके अधर एवं ओष्ठ पर दण्ड रखकर मुख में प्रविष्ट हो उसने अस्थि के अग्र-भाग को तुण्ड से गिरा दिया। अस्थि गिर गयी। अस्थि को गिराकर, डण्डे को चोंच से गिराकर सिंह के मुख से निकलकर शाखा में वह छिप गया। सिंह नीरोग होकर एक दिन वनमहिष को मारकर खा रहा था। इसकी मीमांसा करूँगा, ऐसा सोचकर वृक्ष की शाखा पर छिपकर शकुन ने उसके साथ संल्लाप करते हुए प्रथम गाथा कही—

'शक्ति के अनुकूल मैंने तेरा कार्य किया। हे मृगराज! तुम्हें नमस्कार है— क्या (मैं भी) कुछ प्राप्त करूँ?' वह सुनकर सिंह ने द्वितीय गाथा कही—

NOTES

'रक्तपान करने वाले एक भयंकर कर्म करने वाले मेरे दाँतों के भीतर आने वाला जो जी पाये वही बहुत है।' यह सुनकर शकुन ने अन्य दो गाथाएँ कहीं—

'अकृतज्ञ, अकर्ता एवं किये हुए का प्रतिकार करने वाले जिस व्यक्ति में कृतज्ञता नहीं है, उसकी सेवा करना व्यर्थ है। स्पष्ट चरित्र वाले को जिस (उपकृत व्यक्ति) से मित्रधर्म की प्राप्ति (निर्वाह) (की आशा) न हो उससे असूयारहित और आक्रोशरहित धीरे से दूर हट जाना चाहिए।

यह कहकर वह शकुन चला गया।

4. सुप्पारकजातकम्

अतीते भरुरट्टे भरुराजा नाम रज्जं कारेसि। भरुकच्छं नाम पट्टनगामो आहोसि। तदा बोधिसत्तो भरुकच्छे निय्यामकजेट्टस्स पुत्तो हुत्वा निब्बत्ति पासदिको सुवण्णवण्णो। सुप्पारककुमारो ति 'स्स नामं करिंसु। सो महन्तेन परिवारेन बड्ढन्तो सोळसवस्सकाले येव निय्यामकसिप्पे निप्फत्तिं पत्त्वा अपरभागे पितु अच्चयेन निय्यामकजेट्टको हुत्वा निय्यामककम्मं अकासि। पण्डितो जाणसम्पन्नो अहोसि, तेन आख्ख्हनावाय व्यापत्ति नाम न 'त्थि। तस्स अपरभागे लोकणजलपहटानि द्वे पि चक्खूनि नस्सिंसु। सो ततो पट्टाय निय्यामकजेट्टको हुत्वापि निय्यामककम्मं अक्त्वा 'राजानं निस्साय जीविस्सामी 'ति राजानं उपसंकमि। अथि नं राजा अग्घापनियकम्मे ठपेसि। ततो पट्टाय रज्जो हत्थिरतनं अस्सरतनं मुत्तसारमणिसारादीनि अग्घापेति। अथेकदिवसं रज्जो मङ्गलहत्थी भविस्सतीति काळपासाणकूटवण्णं एकं वारणं आनेसुं। तं दिस्वा राजा 'पण्डितस्स दस्सेथा' ति आह। अथ नं तस्स सन्तिकं नयिंसु। सो हत्थेन तस्स सरीरं परिमदित्वा नायं मङ्गलहत्थी भवितुं अनुच्छविको, पच्छवामनक्धातुको एस, एतं हि माता विजायमाना अंसेन पटिच्छित्तुं नासविख। तस्मा भूमियं पतित्वा पच्छिमपादेहि वामकनकधातुको जातो 'ति आह। हत्थिं गहेत्वा आगते पुच्छिंसु। ते 'सच्चं पण्डितो कथेती' ति वदिंसु। तं करणं राजा सुत्वा तुट्टो तस्स अट्ट कहापणे दापेसि। पुनेकदिवसं। रज्जो मङ्गल 'स्सो भविस्सतीति एकं अस्सं आनयिंसु। तम्मि राजा पण्डितस्स सन्तिकं पेसेसि। सो हत्थेन परामसित्वा 'अयं मङ्गल 'स्सो भवितुं न युत्तो, एतस्स हि जातदिवसे येव माता मरि, तस्मा मातुखीरं अलभन्तो न सम्मा वड्ढितो' ति आह। सा 'पि कथा सच्चा 'व अहोसि। तम्मि सुत्वा राजा तुस्सित्वा अट्टे 'व कहापणे दापेसि। अथे 'कदिवसं 'मङ्गलरथो भविस्सती 'ति रथं आहरिंसु। तम्मि राजा तस्स सन्तिकं पेसेसि। सो तं हत्थेन परामसित्वा 'अयं रथो सुसिररुवखेन कतो, तस्मा रज्जो नानुच्छविको' ति आह। सापि 'स्स कथा सच्चा 'व अहोसि। राजा तम्मि सुत्वा अट्टे 'व कहापणे दापेसि। अथ 'स्स कम्बलतरनं महग्घं अनायिंसु। तम्मि सस्से 'व पेसेसि। सो हत्थेन परामसित्वा 'इमस्स मूसिकच्छिन्नं एकं ठानं अत्थीति आह। सोधेन्ता तं दित्वा रज्जो आरोचेसुं। राजा तुस्सित्वा अट्टेव कहापणे दापेसि सो चिन्तेसि—अयं राजा एवरूपानि पि अच्छरियाणि दस्वा अट्टे 'व कसापणे दापेसि, इमस्स दायो नहापितदायो, नहापितस्स जातको भविस्सति, किंमे एकरूपेन राजुपट्टानेन 'अत्तनो बसनट्टानमेव गमिस्सामी 'ति सो भरुकच्छपट्टनमेव पच्चागमि। तस्मिं तत्थ वसन्ते वाणिजा नावं सज्जेत्वा 'कं निय्यामकं करिस्सामा' ति मन्तेन्ता 'सुप्पारकपण्डितेन आख्ख्हनावा न व्यापज्जति, एस पण्डितो उपायकुसलो, अन्धो समानो पि सुप्पारकपण्डितो' व उत्तमो 'ति तं उपसंकमित्वा 'निय्यामको नो होही' ति वत्त्वा, तात, अहं अन्धो, कथं निय्याकमकम्मं करिस्सामीति वुत्ते 'सामि, अन्धापि

तुम्हे येव अम्हाकं उत्तमो' ति पुनप्पुन याचियमानो ' धातु तात, तुम्हेहि आरोचितसञ्जाय निय्यामको भविस्सामी' ति तेसं नावं अभिरूहि। ते नावाय महासमुद्दं पक्खिन्दिसु। नावा सत्त दिवसानि निरुपद्दवा अगमासि, ततो अकालवातं उत्पज्जि, नावा चत्तारो मासे पकतिसमुद्दपिट्ठे विचरित्वा खुरमालसमुद्दं नाम पत्ता, तत्थ मच्छा मनुस्समानसरीरा खुरनासा उदके उम्मुज्जनिमुज्जं करोन्ति। वणिजा ते दिस्वा महासत्तं तस्स समुद्दस्स नामं पुच्छन्ता पठमं गाथामाहंसु—

उमुज्जन्ति निमुज्जन्ति मनुस्सा खुरनासिका।
सुप्पारकं तं पुच्छास समुद्दो कतमो अयं' ति।।

एवं तेहि पुट्ठो महासत्तो अत्तनो निय्यामकसुत्तेन संसन्देत्वा दुतियं गाथामाह—

भरुकच्छा पयातानं वाणिजानं धनेसिनं।
नावाय विप्पनव्वाय खुरमालीति वुच्चती' ति।।

तस्मि पन समुद्दे वजिरं उपज्जति। महासत्तो 'स चा' हं अयं वजिरसमुद्दो' ति एवं एतेसं कथेस्सामि लोभेन बहं वजिरं गण्हित्वा नावं ओसीदापेस्सन्ती' ति तेसं अनाचिक्खित्वा' व नावं लगापेत्वा उपायेने' कं योत्तं गहेत्वा मच्छाहणनियामेन जालं खिपापेत्वा वजिरसारं उद्धरित्वा नावाय परिक्खपित्वा अज्जं अप्पग्घभण्डं छापेसि। नावा तं समुद्दं अतिक्कमित्वा परतो अगिमालं नाम गता। सो पज्जलितअगिक्खन्धो विय मज्झन्तिकसुरियो विय च ओभासं मुञ्चन्तो अट्टासि। वणिजा।

यथा अग्गीव सुरियो'व समुद्दो पतिदिस्सति।
सुप्पारकं तं पुच्छाम समुद्दो कतमो अयं' ति।।

गाथाय तं पुच्छिसु। महसत्ता पि तेसं अनन्तरगाथाय कथेसि—भरुकच्छा पयातानं—पे—अगिमालीति वुच्चतीति।। तस्मि पन समुद्दे सुवण्णं उस्सन्नं अहोसि। महसत्तो पुरिमनयेनेव ततो पि सुवण्णं गाहापेत्वा नावाय पक्खिपि। नावा तम्पि समुद्दं अतिक्कमित्वा खीरं विय दधि विय च ओभासन्तं दधिमालं नाम समुद्दं पापुणी। वाणिजा

'यथा दधिं व खीरं व समुद्दो पतिदिस्सति—पे—गाथाय तस्स नामं पुच्छिसु। महासत्तो अनन्तरगाथाय आचिक्खि—

'भरुकच्छा यातानं—पे—दधिमालीति वुच्चती' ति।।

अस्मि पन समुद्दे रजतं उस्मानं। सो तम्पि उपायेन गाहापेत्वा नावाय पक्खिपापेसि। नावा तम्पि समुद्दं अतिक्कमित्वा नीलकुसतिणं विय सम्पन्नं सस्सं इव च ओभासमानं नीलवण्णं कुसमालं नाम समुद्दं पापुणि। वाणिजा

'यथा कुसो' व सस्सो' व समुद्दो पतिदिस्सति—पे—'

गाथाय तस्य पि नामं पुच्छिसु। सो अनन्तरगाथाय आचिक्खि—

'भरुकच्छा पयातानं—पे—कुसमालीति वुच्चती' ति।।

NOTES

अस्मिं पन समुद्दे नीलमणिरतनं उस्सनं अहोसि । सो तम्पि उपायेन गाहापेत्वा नावाय पक्खिपापेसि ।
नावा तम्पि समुद्दं अतिक्कमित्वा नलवनं विय च केळुलवनं विय च खायमानं नलमालं नाम समुद्दं पापुणि ।
वाणिजा

NOTES

‘यथा नलो व वेलूं व समुद्दो पतिदिस्सति—पे—’

गाथाय तस्स पि नामं पुच्छिसु । महासत्तो अनन्तरगाथाय कथेसि—

‘भरुकच्छ पयातानं—पे—नलमालीति वुच्चती’ति ।।

अस्मिं पन समुद्दे वंसरागवेळरियं उस्सनं, सो तम्पि गाहापेत्वा नावाय पक्खिपापेसि । वाणिजा
नलमालि अतिक्कमन्ता बळक्कमन्ता बळवामुखसमुद्दं नाम परिसंसु । तत्थ उदकं कड्ढित्वा कड्ढित्वा
सब्बतोभागेन उग्गच्छति । तस्मिं सब्बतोभागेन उग्गतोदकं सब्बतोभागेन छिन्नतटमहासोब्भो विय पज्जायति,
ऊमिया उग्गताय एकताके पपातसदिसं होति, भयजननो सद्दो उप्पज्जति सोतानि भिन्दन्तो यि हृदयं फालेन्तो
विय । तं दिस्वा वाणिजा भीततसिता ।

‘महाभयो भिंसनको सद्दो सुय्यत’मानुसो ।

सथा सोब्भो पपातो च समुद्दो पतिदिस्सति—पे—’

गाथाय तस्स नामं पुच्छिसु ।

‘भरुकच्छ पयातानं—पे—वळवामुखीति वुच्चती’ति ।।

बोधिसत्तो अनन्तरगाथाय तस्स नामं आचिक्खित्वा ताता, इमं वलभामुखं समुद्दं पत्ता निवत्तितं समत्था
नावा नाम न’त्थि । अयं सम्पत्तनावं निमुज्जापेत्वा विनासं पापेतीति आह । तच्च नावं सत्तमनुस्ससतानि
अभिरूहिंसु, ते सब्बे मरणभयभीता एकप्पहारेनेव अविचिम्हि सत्ता विय अतिकरुणसरं मुञ्जिसु । महासत्तो
‘ठपेत्वा मं अज्जो एतेसं सोत्थिभावं कातुं समत्थो नाम न’त्थि, सच्चकिरियाय तेसं सोत्थि करिस्सामीति
चिन्तेत्वा ते आमन्तेत्वा ताता, मं खिप्पं गन्धोदकेन महापेत्वा अहतवत्थानि नियासापेत्वा पूण्णपातिं सज्जेत्वा
नावाय धुरे ठपेथा’ति । ते वेगेन तथा करिसु । महासत्तो उभोहि इत्थेहि पुण्णपातिं गहेत्वा नावाय धुरे ठितो
सच्चकिरयं करोन्तो ओसान गाथमाह—

यतो सराभि अत्तानं यतो पत्तो’स्मि विज्जुतं ।

नाभिजानामि संचिच्च एकपाणम्मि हिंसितं ।

एतेन सच्चवज्जेन सोत्थि नावा निवत्ततू’ति ।

चत्तारो मासे विदेसं पक्खन्ना नावा निवत्तित्वा इद्धिमा विय इद्धानुभावेन एकदिवसेने’ व खरुकच्छपट्टं
अगमासि, गन्त्वा च पन थलेपि अट्टूसभमत्तं ठानं पक्खंदित्वा नाविकस्स घरद्वारे अट्टासि । महासत्तो तेसं
वाणिजानं सुवण्णरजतमणिप्पवालवजिरानि भाजेत्वा अदासि, ‘एत्तकेहि वो रत्तनेहि अलं, मा पुन समुद्दं
पविसित्था’ ति च तेसं ओवादं दत्वा यावजीवं दानादीनि पुज्जानि कत्वा देवपुरं दूरेसि ।

संस्कृत अनुवाद

अतीते भरुराष्ट्रे भरुराज इति नाम राज्यकर्माधीनम् । भरुकच्छमिति नामा पतनग्रामः अभूत् । तदा बोधि
सत्वः भरुकच्छे निर्यामकज्येष्ठस्य पुत्रो भूत्वा न्यर्वित्तष्ट प्रसादिकः सुवर्णवर्णः । शूर्पारककुमार इत्यस्य

नामाकार्भुः स महता परिवारेण वर्धमानः षोडशवर्षकाले एक निर्यामकशिल्पे निष्पत्तिं प्राप्यापरभागे पितुरत्ययेन निर्यामकज्येष्ठको भूत्वा निर्यामककर्माकर्षीत् । पण्डितः ज्ञानसम्पन्नोऽभूत् । तेन आरूढनावि (सति) व्यापत्तिः नाम नास्ति । तस्यापरभागे लवणजलप्रहते द्वे अपि चक्षुष्यनशताम् । स ततः प्रस्थाय निर्यामकज्येष्ठ भूत्वापि निर्यामककर्माकर्षत्वा राजानं निःश्रित्य जीविष्यामीति राजानमुपसमक्रमीत् । अथैनं राजार्घापणीयकर्मण्यतिष्ठिपत् । ततः प्रस्थाय राज्ञः हस्तिरत्नमश्वरत्नं मुक्तासारमणिसारादीन्यर्घापयति । अथैकदिवसे राज्ञः मङ्गलहस्ती भविष्यतीति कालपाषाणकूटवर्णमेकं वारणमानैषुः । तं दृष्ट्वा राजा 'पण्डितं दर्शयत' इत्याह । अथैनं तस्यान्तिकमनैषुः स हस्तेन तस्य शरीरं परिमृद्य नायं मङ्गलहस्ती भवितुमानुच्छविकः पश्वाद् वामनकधातुक एष, एतं हि माता विजायमानांसेन प्रतीक्षितुं नाशकत् तस्माद् तस्माद् भूमौ पतित्वा परिश्रम पादैः वामनकधातुकः जात इत्याह । हस्तिनं गृहीत्वागतानप्राक्षुः—ते 'सत्यं पण्डितः कथयती' त्यावादिषुः । तत्कारणं राजा श्रुत्वा तुष्टः सस्मायष्टौ कार्षापणानदीदपत् । पुनरेकदिवसे राज्ञः मङ्गलाश्व भविष्यतीति एकमश्वमानैषिषुः । तमपि राजा पण्डितस्यान्तिकं प्रैषिषत् । स हस्तेन परामृश्यायं मङ्गलाश्वः भवितुं न युक्तः एतस्य हि जातदिवसे एव माता मरिष्ट, तस्मात् मातुः क्षीरमलभमानः न सम्यग् वर्द्धित इत्याह । साप्यस्य कथा सत्यैवाभूत् । तामपि श्रुत्वा (राजा सतुष्ट्वाष्टावेव कार्षापणानदीदपत् । अथैकदिवसे मङ्गलरथः भविष्यतीति रथमहर्षिषुः । तमपि राजा तस्य अन्तिकं प्रैषीत् । स तं हस्तेन परामृश्यायं रथः सुषिरवृक्षेण कृतः, तस्मात् राज्ञः नानुच्छविक इत्याह । साप्यस्य कथा सत्यैवाभूत् । राजा तामपि श्रुत्वाष्टावेव कार्षापणानदीदपत् । अथास्य कम्बलरत्नं महार्घमानैषुः तमपि तस्यैव प्रैषीत् । स हस्तेन परामृश्य अस्य मूषिकच्छिन्नमेकं स्थान मस्तीत्याह । शोधयन्तः त दृष्ट्वा राजानामरुरुचन् । राजा तुष्ट्वाष्टावेव कार्षापणान् अदीदयत् । सोऽचिन्तन्त—अयं राजैवंरूपाण्यप्याश्वर्याणि दृष्ट्वाष्टावेव कार्षापणानदीदपत् । अस्य दायः स्नापितदायः । स्नापितस्य दायो भविष्यतीति किं मे एव रूपेण राजोपस्थानेन, आत्मना वासस्थानमेव गमिष्यामीति स भरुकच्छपत्तनमेव प्रत्यागमत् । तस्मिन् तत्र वसति वणिजः नाव सज्जयित्वा कं नियमिकं करिष्याम इति मंत्रयन्तः शूर्पारकपण्डितेन आरूढा नावो न व्यापद्यन्ते, एष पण्डितः उपायकुशलः अन्धः समनोऽपि पण्डितशूर्पारक एवोत्तमः इति । तमुपसंक्रम्य निर्यामको नो भवेत्युक्त्वा, तात, अहमन्धः कथं निर्यामककर्म करिष्यामीत्युक्ते स्वामिन् ! अन्धोऽपि त्वमेवास्माकमुत्तमः इति । पुनः पुनः याच्यमानः साधु तात ! युष्माभिः आरोचितसंशया निर्यामकः भविष्यामीति तेषां नावम् अभ्यरुहत् ते नावा महासमुद्रं प्रास्कन्दिषुः नौः सप्त दिवसानि निरुपद्रवा अगमत् ।

ततोऽकालवातः उदपांदि, नावा चतुरो मासान् प्रकृतिसमुद्रपृष्ठे विचर्य क्षुरमालसमुद्रं नाम प्राप्ताः तत्र मत्स्याः मनुष्यसमानशरीराः क्षुरनासिकाः उदके उन्मज्जननिमज्जने कुर्वन्ति । वणिजः तान् दृष्ट्वा महासत्त्वं तस्य समुद्रस्य नाम पृच्छन्तः प्रथमां गाथामवोचन्—

उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति मनुष्याः क्षुरनासिकाः ।

शूर्पारक ! त्वां पृच्छामः समुद्रः कतमोऽयमिति ।।

एवं तैः पृष्टः महासत्त्वः आत्मनः निर्यामकसूत्रेण संस्यन्ध द्वितीयां गाथामाह—

भरुकच्छात्प्रयातानां वणिजां धनैषिणाम् ।

नावः विप्रणष्टाय क्षुरमालीत्युच्यते इति ।।

तस्मिन् पुनः समुद्रे वज्रमुत्पद्यते । महासत्त्वः चेदहमयं वज्रसमुद्रः इत्येवमेतेषां कथिष्यामि लोभेन बहूनि वज्राणि गृहीत्वा नामवसादयिष्यन्तीति तेषामनाख्यायैव नावं लागयित्वोपायेनैकं योक्त्रं गृहीत्वा

मत्स्यग्रहणनियमेन जालं क्षिप्त्वा वज्रसारमुद्धृत्य नावि प्रक्षिप्यान्यमल्पार्धं भाण्डमचच्छेदत्। नावा तं समुद्रमतिक्रम्य परतोऽग्निमालं नाम गताः। स प्रज्वलिताग्निस्कन्ध इव मध्याह्निकसूर्य इव चावभासं मुञ्चन्स्थात्। वणिजः—

NOTES

यथाग्निरिव सूर्य इव समुद्रः प्रतिदृश्यते।

शूर्पारिकं त्वां पृच्छामः समुद्रः कतमोऽयम्।। इति

गाथया तमप्राक्षुः। महासत्त्वोऽपि तेषामनन्तरगाथया अचकथत् 'भरुकच्छात् प्रयातानां— अग्निमालीत्युच्यते'। तस्मिन् पुनः समुद्रे सुवर्णमुत्सन्नमभूत्। महासत्त्वः पूर्वनयेनैव ततोऽति सुवर्णं ग्राहयित्वा नावि प्राक्षैप्सीत्। नावा तमपि समुद्रमतिक्रम्य क्षीरमिव दधि इवावभासमानं दधिमालं नाम समुद्रं प्रापन्। वणिजः—

'यथा दधीव क्षीरमिव समुद्रः प्रतिदृश्यते……' आदिगाथया तस्य नामाप्राक्षुः। महासत्त्वः अनन्तरगाथयाख्यत्—

'भरुकच्छात् प्रयातानां…… दधिमालीत्युच्यते' इति।

अस्मिन् पुनः समुद्रे रजतमुत्सन्नम्। स तदत्युपायेन ग्राहयित्वा प्राचिक्षिपत्। नावा तमपि समुद्रमतिक्रम्य नीलकुशतृणमिव सम्पन्नशस्यमिव चावभासमानं नीलवर्णं कुसुमालं नाम समुद्रं प्रापन्। वणिजः—

यथा कुश इव शस्यमिव समुद्रः प्रतिदृश्यते……' गाथाया तस्यापि नामाप्राक्षुः। स अनन्तरगाथयाख्यत्—

'भरुकच्छात् प्रयातानां…… कुसुमालीत्युच्यते।'

तस्मिन् पुनः समुद्रे नीलमणिरत्नमुत्सन्नमभूत्। स तदप्युपायेन ग्राहयित्वा नावि प्राचिक्षिपत्। नावा तमपि समुद्रमतिक्रम्य नलवनमिव च वेणुवनमिव च ख्यायमानं नलमालं नाम समुद्रं प्रापन्। वणिजः—

'यथा नल इव वेणुरिव समुद्रः प्रतिदृश्यते……' गाथाया तस्यापि नामाप्राक्षुः। महासत्त्वोऽनन्तरगाथया अचकथत्—

'भरुकच्छात्प्रयातानां—नलमालीत्युच्यते' इति।

तस्मिन् पुनः समुद्रे वंशारागवैदूर्यम् उत्पन्नं स तदपि ग्राहयित्वा नावि प्राचिक्षिपत्। वणिजः नलमालिमतिक्रमन्तः वडवामुखसमुद्रं नाम अद्राक्षिषुः, तत्रोदकं कृष्ट्वा कृष्ट्वा सर्वतोभागेनोद्गच्छति, तस्मिन् सर्वतोभागेनोद्गतोदकं सर्वतोभागेन छिन्नतटमहाशुभ्र इव प्रजायते, ऊर्म्यामुद्गतायामेकतः प्रतापसदृशं भवति, भयजननः शब्दोत्पद्यते श्रोत्राणि भिन्दन्निव, हृदयं स्फालयन्निव तं दृष्ट्वा वणिजः भीतत्रस्ताः—

'महाभयो भीषणकः शब्दः श्रूयतेऽमानुषः

यथा श्वभ्रः प्रपातश्च समुद्रः प्रतिदृश्यते……' गाथाया तस्य नामाप्राक्षुः।

'भरुकच्छात्प्रयातानां…… वडवामुख इत्युच्यते' इति। बोधिसत्त्वोऽनन्तरगाथया

तस्य नामाख्याय ताताः ! इमः वडवामुखं समुद्रं प्राप्ताः निवर्तितुं समर्था नौः नाम नास्ति। अयं सम्प्राप्तनावं निमज्जय्य विनाशं प्रापयतीत्याह। तां च नावं सप्तमनुष्य-शतानि अभ्यरुक्षन्। ते सर्वे मरणभयभीतैकप्रहारेणैवावीच्यां पच्यमानानि सत्त्वानि हवातिकरुणस्वरममुञ्जन्। महासत्त्वः स्थापयित्वा

मदन्यः एतेषां स्वस्तिभावं कर्तुं समर्थः नाम नास्ति। सत्क्रियया तेषां स्वस्ति करिष्यामीति चिन्तयित्वा तानामन्त्र्य ताताः ! माम् क्षिप्रं गन्धोदकेन स्थापयित्वाहृतवस्त्राणि निवास्य पूर्णपार्त्री सज्जयित्वा नावः धुर्यस्थापयत इति। ते वेगेन तथाकर्षुः महासत्त्वः उभाभ्यां हस्ताभ्यां पूर्णपार्त्री गृहीत्वा नावः धुरिस्थितः सत्क्रियां कुर्वन्नवसानगाथामाह—

यतः स्मराम्यात्मानं यतः प्राप्तोऽस्मि विज्ञाताम्,
नाभिजानामि सञ्चित्य एकप्राणमपि हिंसितम्।
एतेन सत्यवद्येन स्वस्ति नावे निर्वततामिति।।

चतुरो मासान् विदेशं प्रस्कन्दन्तः नावा निवृत्यर्द्धिमान् इव, ऋद्धानुभावेनैकदिवसेनैव भरुकच्छपत्तनमगमत्, गत्वा च पुनः स्थलेऽप्यष्टवृषभमात्रं स्थानं प्रस्कन्द्य नाविकस्य गृहद्वारेऽस्थात्। महासत्त्वः तेषां वणिजां स्वर्णरजतमणिप्रवालवज्राणि भाजयित्वादात्। एतावत्कैः वः रत्नैरलं मा पुनः समुद्रं प्रविशेत इति च तेभ्योऽववादं दत्त्वा यावज्जीवं दानादीनि पुष्पानि कृत्वा देवपुरमपूपुरयत्।

हिन्दी अनुवाद

भूतकाल में भरुराष्ट्र राज्य करते थे। भरुकच्छ नाम का पत्तनग्राम था। उस समय बोधिसत्त्व भरुकच्छ में ज्येष्ठ नियामक के पुत्र होकर, प्रसन्नचित्त, सुवर्ण वर्णवाले रहे। इनका नाम शूर्पारक कुमार रखा गया। वे महान् परिवार के साथ बढ़ते हुए सोलह वर्ष की अवस्था में ही नियामक शिल्प में निष्पत्ति (कुशलता) को प्राप्त कर पिता की मृत्यु के उपरान्त नियामक होकर नियामक-कर्म करने लगे। (वे पण्डित एवं ज्ञानसम्पन्न हो गये। उनके नाव पर बैठ जाने पर कोई विपत्ति नहीं पड़ती थी। किसी समय नमकीन (खारे) जल से आहत होकर उनकी दोनों आँखें नष्ट हो गयीं। वे, तभी, से ज्येष्ठ नियामक होते हुए भी नियामक-कर्म न करते हुए 'राजा का आश्रय लेकर जीऊँगा' ऐसा विचारकर, राजा के पास गये। तदनन्तर राजा ने इन्हें मूल्य लगाने के कार्य में बैठा दिया (लगा दिया)। तभी से (वे) राजा के हस्तिरत्न, अश्वरत्न, मुक्ता, मणि आदि का मूल्य लगाया करते थे। तदनन्तर एक दिन (यह) राजा का मङ्गलहस्ती होगा, ऐसा विचारकर काले पत्थर के अग्रभार के समान काले एक हाथी को (लोग) लाये। उसे देखकर राजा ने कहा—'पण्डित को दिखलाओ।' तदनन्तर इसे उसके पास (वे) ले गये। उस (नियामक) ने उसके शरीर को हाथ से मलकर कहा—'यह मङ्गल हाथी होने के योग्य नहीं है। पीछे यह बौने शरीरवाला है, इसको उत्पन्न करती हुई (हथिनी) इसको कन्धे से सँभाल नहीं सकती, इसलिए पृथ्वी पर गिरकर पिछले पैरों से यह बौने शरीरवाला हो गया।' हाथी को लेकर आये हुए (लोगों) से (लोगों ने) पूछा। पण्डित सत्य कह रहे हैं (यह) उन लोगोंने कहा। उस कारण को सुनकर, प्रसन्न हो राजा ने उसे आठ कार्षापण दिये। पुनः एक दिन, राजा का यह मङ्गल अश्व होगा, ऐसा सोचकर (लोग) एक अश्व लाये। उसको भी राजा ने पण्डित के पास भेज दिया। उसने हाथ से छूकर कहा—'यह मङ्गल अश्व होने योग्य नहीं है। इसके उत्पन्न होने के दिन ही इसकी माता मर गयी। इसलिए माता के दूध को न प्राप्त करता हुआ यह भलीभाँति बढ़ा नहीं है।' इसकी यह कथा भी सत्य हुई। इसको भी सुनकर सन्तुष्ट होकर राजा ने आठ कार्षापण ही उसे दिये। तत्पश्चात् एक दिन, 'यह मङ्गल रथ होगा' यह सोचकर (लोग) रथ लाये। राजा ने उसको भी उसके पास भेजा। उसने उसे हाथ से छूकर कहा—'यह रथ सुसिर (सन्धिद्र) वृक्ष से बना है, इसलिए यह राजा के योग्य नहीं है।' इसकी यह कथा भी सत्य ही हुई। राजा ने उसको भी सुनकर उसे आठ कार्षापण ही दिये। तदनन्तर उसके पास बहुमूल्य कम्बलरत्न लाया गया। उसे भी उसी के पास भेजा। उसने हाथ से

NOTES

NOTES

छूकर कहा—‘एक स्थान पर मूषक ने काट दिया है।’ शोधन करते हुए (शोधकर्ताओं ने) उसे देखकर राजा से कहा। सन्तुष्ट होकर राजा ने उसे आठ कार्षापण ही दिये। वह सोचने लगा—‘इस राजा ने इस प्रकार से आश्चर्यों को देखकर भी आठ ही कार्षापण दिये। इसका वंश नापितवंश है। नापितवंश ही होगा (अतः) मुझे इस प्रकार के राजा के पास रहने से क्या (लाभ), अपने निवास-स्थान पर ही जाऊँगा’ ऐसे सोच-कर, वह भरुकच्छ नगर ही चला गया। उसके वहाँ रहने पर बनियों ने नाव सजाकर ‘किसको नियामक बनाया जाय’ इस प्रकार मन्त्रणा करते हुए (सोच)—‘शूर्पारक पण्डित के रहने पर नाव पर कोई विपत्ति नहीं आयेगी, (क्योंकि) यह पण्डित अन्धा होते हुए भी उपाय-कुशल है, (अतः) शूर्पारक पण्डित ही उत्तम है’ ऐसा सोचकर इनके पास जाकर (कहा)—‘(आप) हमारे नियामक बन जायें।’ ऐसा कहने पर, ‘तात ! मैं अन्धा हूँ, कैसे नियामक-कर्म करूँगा ?’ ऐसा उसके कहने पर (उन्होंने कहा)—‘हे स्वामी, अन्धे भी आप हम लोगों के लिए उत्तम हैं।’ इस प्रकार बराबर प्रार्थना किये जाने पर (उसने कहा)—‘हे तात ! ठीक है। आप लोगों द्वारा संज्ञा (संकेत) दिये जाने पर मैं नियामक होऊँगा (हो सकूँगा)।’ (ऐसा सोचकर) उनकी नाव पर बैठ गये।

वे नाव से महासमुद्र में चले। नाव सात दिन तक निरुपद्रव चलती रही।

तदनन्तर अकाल वायु उत्पन्न हो गयी। नाव चार महीने तक समुद्र में विचरण करके क्षुरमाल नामक समुद्र में गयी, वहाँ मनुष्यों के समान शरीरवाली एवं छुरे के समान नाकवाली मछलियाँ जल में उन्मज्जन-निमज्जन (डूब-उतरा) कर रही थीं। बनियों ने महासत्त्व से उस समुद्र का नाम पूछते हुए पहली गाथा कही—

छुरे की तरह नाकवाले मनुष्य (जहाँ) उन्मज्जन-निमज्जन (डूब-उतरा) कर रहे हैं, हे शूर्पारक ! तुमसे (हम लोग) पूछते हैं (कि) यह कौन-सा समुद्र है ?

इस प्रकार उन लोगों के पूछे जाने पर महासत्त्व ने अपने नियामक-सूत्र से पता लगाकर दूसरी गाथा कही—

भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए धन के लोभी बनियों के नाव के नाश के लिए क्षुरमाली नाम का समुद्र कहा जाता है।

उस समुद्र में वज्र उत्पन्न होता था। यह वज्र-समुद्र है, यदि मैं इसे इनसे कहूँगा (तो) लोभवश बहुत वज्र लेकर नाव को डुबा देंगे। ऐसा सोचकर, बिना उनसे कहे ही महासत्त्व ने नाव को लगाकर, उपाय द्वारा रस्सी को पकड़कर, मछली पकड़ने की विधि से जाल को फेंककर, वज्र निकालकर नाव में डालकर, अन्य अल्प मूल्यवाले पात्रों को छोड़ दिया। उस समुद्र को पार कर नाव अग्निमाल (समुद्र) में गयी। वह जलते हुए अग्नि-खण्ड की भाँति तथा मध्याह्नकालीन सूर्य की भाँति तेज छोड़ रहा था। बनियों ने गाथा द्वारा पूछा—

‘हे शूर्पारक ! अग्नि एवं सूर्य की भाँति दिखायी देनेवाला यह कौन-सा समुद्र है, यह मैं तुमसे पूछता हूँ।’ महासत्त्व ने भी एक दूसरी गाथा द्वारा कहा—‘भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए……अग्निमाली समुद्र कहा जाता है।’ उस समुद्र में सुवर्ण भरा था। पूर्वनियम के द्वारा ही उससे भी सुवर्ण ग्रहण कर महासत्त्व ने नाव में रख लिया। नाव के द्वारा उस समुद्र को भी पार कर दूध एवं दही की भाँति अवभासित होनेवाले दधिमाल नामक समुद्र को प्राप्त किया। बनियों ने गाथा द्वारा उसके नाम को पूछा—

‘दही एवं दूध की भाँति दिखायी देनेवाला यह कौन-सा समुद्र है……आदि।’

दूसरी गाथा द्वारा महासत्त्व ने कहा—‘भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए……दधिमाली नाम का समुद्र कहा जाता है।’ इस समुद्र में रजत भरा था। उसको भी उसने उपाय द्वारा ग्रहण कर नाव में डाल लिया। नाव द्वारा उस समुद्र को भी पार कर नील, कुश, तृण की भाँति, अनाज (पौधों) से सम्पन्न की भाँति अवभासित होनेवाले नील-वर्ण-वाले कुसुममाल नामक समुद्र को प्राप्त किया। बनियों ने गाथा द्वारा पूछा—

‘कुश और शस्य की भाँति दिखायी देनेवाला यह कौन-सा समुद्र है……।’ उसने दूसरी गाथा द्वारा कहा—‘भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए……कुसुमाली नाम का समुद्र कहा जाता है।’

उस समुद्र में नीलमणि रत्न भरा था। उसने उसको भी उपाय से ग्रहणकर नाव में डाल लिया। नाव उस समुद्र को भी पारकर नलवन एवं वेणुवन की भाँति प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले नलमाल नामक समुद्र को प्राप्त किया। बनियों ने गाथा द्वारा उसका भी नाम पूछा—नल की तरह, वेणु की तरह दिखायी देनेवाला यह कौन-सा समुद्र है ? महासत्त्व ने दूसरी गाथा द्वारा कहा—‘भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए……नलमाली नाम का समुद्र कहा जाता है।’

इस समुद्र में वंश-राग वैदूर्य भरा था, उसने उसे लेकर नाव में डाल दिया। बनियों ने नलमाल का अतिक्रमण करके वडवामुख नामक समुद्र को देखा—‘उसमें जल सभी ओर से खींचकर ऊपर की ओर उठता था। सभी ओर से उठा हुआ जल, सभी ओर से कटे हुए तलवाले महागर्त की तरह प्रतीत होता है। लहरों से ऊपर उठने के कारण एक तरफ झरने के समान है। कानों को छेदता हुआ, हृदय को विदीर्ण करता हुआ भय उत्पन्न करने वाला शब्द उत्पन्न होता है।’ उसे देखकर भय से डरे हुए बनियों ने गाथा द्वारा उसका नाम पूछा—महाभयानक, भीषण एवं अमानुष शब्द सुनाई दे रहा है।

गर्त और प्रपात के सदृश यह समुद्र दिखायी दे रहा है।

भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए……वडवामुख कहा जाता है। बोधिसत्त्व ने दूसरी गाथा से उसके नाम को कहा—‘हे तात ! यह वडवामुख नाम का समुद्र है, (यहाँ से) नाव लौटने में समर्थ नहीं है। यह इस नाव को डुबोकर विनाश को प्राप्त करायेगा।’ उस नाव में बैठे सभी प्राणी मरण के भय से डरकर पकाये जाते हुए प्राणी की तरह एक प्रहार में अत्यन्त करुण क्रन्दन करने लगे। रोककर महासत्त्व ने सोचा—मेरे अतिरिक्त इनका कल्याण करने में दूसरा कोई समर्थ नहीं है। सत्क्रिय द्वारा इनका कल्याण करूँगा—ऐसा सोचकर उन्हें आमंत्रित कर (कहा)—‘हे तात ! शीघ्र ही मुझे गन्धोदक से स्नान कराकर, स्वच्छ वस्त्रों को पहनाकर, पूर्णपात्र सजाकर नाव की धुरी पर स्थापित कर दें।’ उन्होंने शीघ्रतापूर्वक वैसा किया। महासत्त्व ने दोनों हाथों से पूर्णमात्र को ग्रहणकर नाव की धुरी पर स्थित हो सत्क्रिया करते हुए अवसान गाथा को कहा—

जिसके कारण अपने को स्मरण करता हूँ तथा जिससे विज्ञता को प्राप्त हुआ हूँ। विचार करने पर भी किसी प्राणी को मरा हुआ नहीं जानता हूँ।

इस सत्य वचन द्वारा नाव का कुशल (स्वस्ति) हो।

चार महीने तक विदेश में घूमते हुए नाव से निवृत्त होकर, ऋद्धिमान की तरह समृद्धि के साथ एक ही दिन में (वे) भरुकच्छ नगर पहुँच गये। स्थल पर जाकर, आठ बैल के बराबर स्थान खोजकर नाविक के

NOTES

दरवाजे पर स्थित हो गये। महासत्त्व ने उन बनियों को स्वर्ण, रजत, मणि, मूँगा, वज्र आदि बाँटकर दे दिया। आप लोगों के लिए इतना ही रत्न पर्याप्त है, पुनः समुद्र में प्रवेश न कीजियेगा। इस प्रकार उन्हें अववाद (शिक्षा) देकर जीवनभर दान आदि पुण्यों को करके देवपुर को भर दिया (स्वर्ग चले गये)।

NOTES

5. वानरिन्दजातकम्

अतीते बारणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो कपियोनियं निब्बत्तित्वा बुद्धिं अन्वाय अस्सपोतप्पमाणो थामसम्पन्नो एकचरो हुत्वा नदी तीरे विहरति। तस्सा पन नदिया वेमज्झे एको दीपको नानप्पकारेहि अम्बपनसादीहि फलरुक्खेहि सम्पन्नो। बोधिसत्तो नागबलो थामसम्पन्नो नदिया ओरिमतीरतो उप्पातित्वा दीपकस्स ओरतो नदीमज्झे एको पिट्टिपासाणो अत्थि तस्मिं निपतति, ततो उप्पतित्वा तस्मिं दीपके पतति। तत्थ नानपफकारानि फलानि खादित्वा सायं तेनेव उपायेन पच्चागन्त्वा अत्तनो वसनट्टाने वसित्वा पुनदिवसे पि तथेव करोति। इमिना नियमेन तत्थ वासं कप्पेति। तस्मिं पन काले एको कुम्भीलो सपजापतिको तस्सा नदिया वसति। तस्य सा भरिया बोधिसत्तं अपरापरं गच्छन्तं दिस्वा बोधिसत्तस्स हृदयमंसे दोहळं उप्पादेत्वा कुम्भीलं आह—‘मय्यं खो अय्य, इमस्स वानरिन्दस्स हृदयमंसे दोहळो उप्पन्नो’ति। कुम्भीलो ‘साधु होति, लच्छसी’ति वत्वा ‘अज्ज तं सायं दीपकतो आगच्छन्तमेव गिहस्सामी’ति गन्त्वा पिट्टिपासाणे निपज्जि। बोधिसत्तो दिवसं चरित्वा साहणहसमये दीपके ठितो ‘ह पासाणं आलोकेत्वा ‘अयं पासाणो इदानि उच्चतरो खायति, किन्नु कारणं, ति चिन्तेसि। तस्स किर उदकप्पमाणं च पासाणप्पमाणं च सुववत्थापितमेव। तेनस्स एतदहोसि—‘अज्ज इमिस्सा नदिया उदकं नेव हायति न वड्ढति, अथ च पनायं पासाणो महा हुत्वा पञ्जायति, कच्चि नु खो एत्थ मय्हं गहणत्याय कुम्भीलो निपन्नो’ति। सो ‘वीमंसामि ताव नं’ति तत्थेव ठत्वा पासानेन सद्धिं कथेन्तो विय ‘भो पासाण’ति पटिपचनं अलभन्तो यावततियं ‘पासाणा’ति आह। ‘पासाणो किं पटिपचनं न दस्सतो’ति पन पि तं वानरो ‘किं भो पासाण, अज्ज मय्हं पटिपचनं न देसी’ति आह। कुम्भीलो ‘अद्धा अज्जेसु दिवसेसु अयं पासाणो वानरिन्दस्स पटिपचनं अदासि’ दस्सामि दानिस्स पटिपचनं ति चिन्तेत्वा किं भो वानरिन्दा’ति आह। ‘को’सि त्वं’ति। ‘असं कुम्भीलो’ति। ‘किमत्थं एत्थ निपन्नो’सीति। ‘तव हृदयमंसं पत्थयमानो’ति। बोधिसत्तो चिन्तेसि—‘अज्जो मे गमनमग्गो नत्थि, अज्ज मया एस कुम्भीलो वज्जेतब्बो’ति। अथ नं एवमाह—‘सम्म कुम्भील, अहं अत्तानं तुय्हं परिच्चजिस्सामि, त्वं मुखं विवरित्वा मं तव सन्तिकं आगतकाले गणहाही’ति। कुम्भीलानं हि मुखविवटे अख्खीनि निमीलन्ति। सो तं कारणं असल्लखेत्वा मुखं विवरि। अथस्स अख्खीनि पिथीयिंसु। सो मुखं विवरित्वा अक्खीनि निमीलेत्वा निपज्जि। बोधिसत्तो तथाभवं जत्वा दीपका उप्पतितो गन्त्वा कुम्भीलस्स मत्थकं अक्कमित्वा ततो उप्पतितो विज्जुल्लता विय विज्जोतमानो परतीरे अट्ठासि। कुम्भीलो तं अच्छरियं दिस्वा ‘इमिना वानरिन्देन अतिअच्छेरकं कतं’ति चिन्तेत्वा ‘भो वानरिन्द इमस्मिं लोके चतूहि धम्मेहि समन्नगतो पुग्गलो पच्चभित्ते अभिभवति, ते सब्बे पि तुय्हं अब्भन्तरे अत्थि मज्जं’ति वत्वा इमं गाथामाह—

यस्सेते चतुरो धम्मा वानरिन्द तथा तव।

सच्चं धम्मो धीती चागो दिट्ठं सो अतिवट्ठतीति।।

एवं कुम्भीलो बोधिसत्तं पसंसित्वा अत्तनो वसनट्ठानं गतो।

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः कपियोन्यां निर्वृत्य बुद्धिमन्वित्य अश्वपोतप्रमाणः स्थामसम्पन्नः एकचरो भूत्वा नदीतीरे विहरति। तस्याः पुनर्नद्याः विमध्ये एको द्वीपको नानाप्रकारैः आम्रपनसादिभिः फलवृक्षैः सम्पन्नः। बोधिसत्त्वो नागबलः स्थामसम्पन्नः नद्याः अवतीरतः उत्पत्थ द्वीपकस्य अवरतः नदीमध्ये एकः पृष्टिपाषाणः अस्ति तस्मिन् निपतति, ततः उत्पत्थ तस्मिन् द्वीपके पतति। तत्र नानाप्रकाराणि फलानि खादित्वा सायं तेनैवोपायेन प्रत्यागत्य आत्मनो वसनस्थाने उषित्वा पुनर्दिवसेऽपि तथैव करोति। अमुना नियमेन तत्र वासं कल्पयति। तस्मिन् पुनः काले एकः कुम्भीलः सप्रजापतिकः तस्यां नद्यां वसति। तस्य सा भार्या बोधिसत्त्वं अपरापरं गच्छन्तं दृष्ट्वा बोधिसत्त्वस्य हृदयमुत्पाद्य कुम्भीलमाह— 'मम खलु आर्य ! अस्य वानरेन्द्रस्य हृदयमांसे दोहद उत्पन्नः' इति। कुम्भीलः 'साधु भवति, लप्स्यसे' इत्युक्त्वा 'अद्य तं सायं द्वीपकतः आगच्छन्तमेव ग्रहीष्यामि' इति गत्वा पृष्टिपाषाणे न्यपतत्। बोधिसत्त्वो दिवसं चरित्वा सायाह्नसमये द्वीपस्थित एव पाषाणमवलोक्य 'अयं इदानीमुच्चतरः ख्यायते, किन्तु कारणम् इत्यचिन्तित्। तस्य किल उदकप्रमाणं च सुव्यवस्थापितमेव। तेनास्य एतद्भूत 'अद्य अस्याः नद्या उदकं नैव हीयते न वर्धते, अथ च पुनरयं पाषाणो महान् भूत्वा प्रज्ञायते, कश्चिन्नु खल्वत्र मम ग्रहणार्थाय कुम्भीलो निपन्नः, इति स 'विमृशामि तावदेनम्' इति तत्रैव स्थित्वा पाषाणेन सार्द्धं कथयन्निव 'भो पाषाण !' इत्युक्त्वा प्रतिवचनं अलभमानः यावत्तृतीयं 'पाषाण' इत्याह किं प्रतिवचनं न ददासि' इति पुनरपि तं वानरः 'किं भोः पाषाण ! अद्य मह्यं प्रतिवचनं न ददासि' इत्याह। कुम्भीलो 'अद्य अन्येषु दिवसेषु अयं पाषाणो वानरेन्द्रस्य प्रतिवचनमदात्। दास्यामि इदानीमस्य प्रतिवचनम्' इति चिन्तयित्वा 'किं भो वानरेन्द्र', इत्याह। 'कोऽसि त्वं' इति। 'अहं कुम्भीलः' इति। 'किमर्थं अत्र निपन्नोऽसि' इति 'तव हृदयमांसं प्रार्थयमानः' इति। बोधिसत्त्वः अचिन्तित् 'अन्यो मे गमनमार्गो नास्ति, अद्य मया एष कुम्भीलो बञ्चयितव्यः' इति। अथैनमेवमाह— 'सौम्य कुम्भील ! अहमात्मानं ते परित्यक्ष्यामि स्वं मुखं विधुत्तमं मां तवान्तिकं आगतकाले गृहाण' इति। कुम्भीलानां हि मुखे विवृते अक्षिणी निमीलतः। स तत्कारणं असंलक्ष्य मुखं व्यवारीत्। अथास्य अक्षिणी न्याधायिषाताम्। स मुखं विवृत्य अक्षिणी निमील्य न्यपादि। बोधिसत्त्वः तथाभावं ज्ञात्वा द्वीपकादुत्पतितो गत्वा कुम्भीलस्य मस्तकमाक्रम्य तत उत्पतितो विद्युल्लतेव विद्योतमानः परतीरे अस्थात्। कुम्भीलस्तदाश्चर्यं दृष्ट्वा 'अनेन वानरेन्द्रेण अत्याश्चर्यं कृतं, इति चिन्तयित्वा 'भो वानरेन्द्र ! अस्मिन् लोके चतुर्भिर्धर्मैः समन्वागतः पुद्गलः प्रत्यमित्राणि अभिभवति। ते सर्वेऽपि तवाभ्यन्तरे सन्ति मन्ये' इत्युक्त्वा इमां गाथामाह—

यस्यैते चत्वारो धर्माः वानरेन्द्र ! यथा तव।

सत्यं धर्मो धृतिस्त्यागः दृष्टं सोऽतिवर्तते ॥ इति ॥

एवं कुम्भीलो बोधिसत्त्वं प्रशस्य आत्मनो वासस्थानं गतः।

हिन्दी अनुवाद

भूतकाल में ब्रह्मदत्त के शासन-काल में वाराणसी में बोधिसत्त्व, कपियोनि में उत्पन्न होकर तथा बुद्धि से युक्ति हो, अश्वपोत की तरह लम्बे-चौड़े, स्थान (शौर्य) सम्पन्न हो अकेले नदी के किनारे विचरण करते थे। उस नदी के बीच में नाना प्रकार के आम्र-कटहल आदि फल के वृक्षों से सम्पन्न एक द्वीप था। नाग (हाथी) के समान शक्ति से सम्पन्न स्थान (शौर्य) सम्पन्न बोधिसत्त्व नदी से कूदकर नदी

NOTES

के बीच में द्वीप के दूसरी ओर स्थित पृष्ठिपाषाण पर गिरते थे। वहाँ नाना प्रकार के फलों को खाकर सायंकाल उसी उपाय से लौटकर अपने निवास-स्थान पर रहकर दूसरे दिन भी वैसा ही करते थे। इस नियम से वहाँ रहते थे। उसी प्रकार अपने परिवार के साथ एक कुम्भील उस नदी में रहता था। उसकी पत्नी ने बोधिसत्त्व को इस पार जाते हुए देखकर बोधिसत्त्व के हृदय के मांस में दोहद उत्पन्न कर कुम्भील से कहा—‘हे आर्या ! वानर के हृदय के मांस में दोहद उत्पन्न हो गया है।’ ‘बहुत ठीक, प्राप्त करोगी। आज सायंकाल द्वीप से आते ही उसको पकड़ूँगा’ ऐसा सोचकर, जाकर कुम्भील पृष्ठिपाषाण पर कूद गया। बोधिसत्त्व दिनभर चरकर सायंकाल द्वीप पर बैठे हुए ही पाषाण को देखकर ‘यह पाषाण इस समय ऊँचा हो गया है, क्या कारण है’ सोचने लगे। उसका जल-प्रमाण (निशान) पहले की भाँति ही व्यवस्थित था। उसने मन में ऐसा कहा—‘आज इस नदी का जल न कम हुआ है, न बढ़ा ही है, फिर भी यह पाषाण बढ़ा दिखायी दे रहा है। यहाँ कोई कुम्भील मुझे पकड़ने के लिए पड़ा हुआ है। इसकी मैं मीमांसा (परीक्षा) करता हूँ।’ इस प्रकार उसने वहीं स्थित होकर पाषाण को कहा—‘हे पाषाण।’ इस प्रकार कहकर प्रत्युत्तर न प्राप्त करता हुआ तीसरी बार भी ‘हे पाषाण,’ ऐसा कहा। ‘हे पाषाण ! प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रहे हो।’ ‘हे पाषाण, मुझे क्यों आज प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हो’ इस प्रकार वानर ने पुनः उससे कहा। अन्य दिन वह पाषाण वानरेन्द्र को प्रत्युत्तर देता था, इसलिए इसका प्रत्युत्तर मैं दूँगा, ऐसा सोचकर ‘क्या है वानरेन्द्र !’ ऐसा कुम्भील ने कहा। ‘तुम कौन हो’ ? ‘मैं कुम्भील हूँ।’ ‘किसलिए यहाँ पड़े हो ?’ ‘तुम्हारे हृदय में मांस की प्राप्ति के लिए।’ बोधिसत्त्व सोचने लगे—मेरे गमन का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आज मुझे इस कुम्भील को ठगना चाहिए। उससे इस प्रकार कहा—‘सौम्य कुम्भील ! मैं अपने को तुम्हें दे दूँगा। तुम मुख खोलकर अपने पास आने के समय (मुझे) पकड़ लेना।’ मुख खोलने पर कुम्भीलों की आँखें बन्द हो जाती हैं। उसने इस कारण को बिना देखे ही मुख खोल लिया। उसकी आँख बन्द हो गयी। वह मुख खोलकर आँखें मूँदकर पड़ गया। बोधिसत्त्व उस भाव को जानकर द्वीप से कूदकर कुम्भील के मस्तक पर आक्रमण (चढ़) करके वहाँ से कूदकर विद्युल्लता की भाँति द्योतित होते हुए दूसरे तीर पर स्थित हो गये। कुम्भील ने उस आश्चर्य को देखकर, इस वानरेन्द्र ने बड़ा आश्चर्य किया, ऐसा सोचकर—‘हे वानरेन्द्र ! इस संसार में चार धर्मों से युक्त पुद्गल (जीव) शत्रुओं को अभिभूत करता है। वे सभी तुम्हारे अन्दर हैं यह मानता हूँ—’ इस गाथा को कहा—

‘हे वानरेन्द्र ! तुम्हारी तरह जिसके अन्दर ये चारों धर्म—सत्य, धर्म, धैर्य एवं त्याग है, वह अपने शत्रु को अभिभूत करता है।’

इस प्रकार कुम्भील, बोधिसत्त्व की प्रशंसा करके अपने निवास स्थान पर चला गया।

3. पालि संगहो (बुद्धचरित)

1. मायादेविया सुपिनं

तदा किर कपिलवत्थुनगरे आसाळ्हीनक्खत्तं घुट्ठं अहोसि । महाजनो नक्खत्त कीळेति । महामायादेवी पुरे पण्णमाय सत्तमदिवसतो पट्ठाय विगत-सुरापानं मालागन्धविधुतिसम्पन्नं नक्खत्तकीं अनुभवमाना सत्तमदिवसे पातो व उट्ठाय गन्धोदकेन नहायित्वा चत्तारि सतसहस्सानि विस्सेज्जेत्वा महादानं दत्त्वा सब्बालंकारविभूसिता वरभोजनं भुञ्जित्वा उपोसथङ्गानि अधिट्ठाय अलंकतपटियत्तं सिरिगम्भं पविसित्वा सिरिसयने निपन्ना निदं ओक्कममाना इदं सुपिनं अदस्स—चत्तारो किर नं महाराजानो सयनेनेव सद्धिं उक्खिपित्वा हिमवन्तं नेत्वा सट्ठियोजनिके मनोसिलातले सत्तयोजनिकस्स महासालरुक्खस्स हेट्ठा ठपेत्वा एकमन्तं अट्ठंसु । अथ नेसं देवियो आगन्त्वा देविं अनोतत्तदहं नेत्वा मानुसमलहरणत्थं नहापेत्वा दिब्बवत्थं निवासापेत्वा गन्धेहि विलिम्पापेत्वा दिब्बपुप्फानि पिलन्धापेत्वा—ततो अविदूरे रजतपब्बतो, तस्स अन्तो कनकविमानं अत्थि—तत्थ पाचीनसीसकं दिब्बसयनं पञ्जापेत्वा निपञ्जापेसुं । अथ बोधिसत्तो सेतवरवारणो हुत्वा—ततो अविदूरे एको सुवण्णपब्बतो—तत्थ चरित्वा ततो ओरुय्ह रजतपब्बतं अभिरुहित्वा उत्तरदिसतो आगम्म रजतदामवण्णाव सोण्डाय सेतपदुमं गहेत्वा कोञ्चनादं नदित्वा कनकविमानं पविसित्वा मातुसयनं तिक्खत्तुं पदक्खिणं कत्वा दक्षिणपस्सं ताळेत्वा कुच्चिं पविट्ठसदिसो अहोसि । एवं उत्तरासाळ्हीनक्खत्तेन पटिसन्धिं गण्ह । पुनदिवसे पबुद्धा देवी तं सुपिनं रञ्जो आरोचेस । राजा चतुसट्ठिमत्ते ब्राह्मणपामोक्खे पक्कोसापेत्वा हरितयवुपत्थाय लाजादोहि कतमङ्गलसक्काराय भूमिया महारहानि आसनानि पञ्जापेत्वा तत्थ निसिन्नानं ब्राह्मणानं सप्पिमधुसक्कराभिसङ्घतस्स वरपायसस्स सुवण्णरजतपातियो पूरेत्वा सुवण्णरजतपातीहि येव पटिकुज्जेत्वा अदासि, अज्जेहि च अहतवत्थपिलगाविदानादीहि ते सन्तप्पेसि । अथ तेसं सब्बकामेहि सन्तप्पितानं सुपिनं आरोचेत्वा—‘किं भविस्सती’ति पुच्चि । ब्राह्मणा आहंसु—‘चिन्तयि महाराज, देविया ते कुच्चिम्हि गम्भो पतिट्ठतो, सो च खो पुरिसगम्भो न इत्थिगम्भो, पुत्तो ते भविस्सति, सो सचे अगारं अज्जावसिस्ससि राजा भविस्सति चक्कवत्ती, सचे अगारा निक्खम्म पब्बजिस्सति बुद्धो भविस्सति लोके विवट्ठच्छदो’ति ।

—निदानकथा जातक

संस्कृत अनुवाद

तदा किल कपिलवस्तुनगरे आषाढनक्षत्रं घुष्टमासीत् । महाजनो नक्षत्रं क्रीडति । महामायादेवी पुरः पूर्णिमायाः सप्तमदिवसतः प्रस्थाय विगतसुरापानां मालागन्धविभूतिसम्पन्नां नक्षत्रक्रीडामनुभवन्ती सप्तमदिवसे प्रातरेवोत्थाय गन्धोदकेन स्नात्वा चत्वारि शत सहस्राणि विसृज्य महादानं दत्त्वा सर्वालङ्कारविभूषिता वरभोजनं भुङ्क्त्वोपवसथाङ्गान्य-धिष्ठायालङ्कृतपर्याप्तं श्रीगर्भं प्रविश्य श्रीशयने निपन्ना निद्रामवक्रममाणेन स्वप्नमद्राक्षीत्—चत्वारः किल नूनं महाराजाः शयनेनैव सध्रीङ्ङुत्क्षिप्य हिमवन्तं नीत्वा षष्टियोजनिके मनः शिलातले सप्तयोजनिकस्य महाशलवृक्षस्याधस्तात् स्थापयित्वैकस्मिन्नन्तेऽस्थुः । अथ निगायां देव्यः आगत्य देवीमनवतप्तहृदं नीत्वा मानुषमलहरणार्थं स्नापयित्वा दिव्यवस्त्रं निवास्य गन्धैः विलिप्य दिव्यपुष्पाणि पिनाह्य ततोऽविदूरे रजतपर्वतः तस्यान्ते कनकविमानमस्ति तत्र प्राचीनशीर्षकं दिव्यशयनं प्रज्ञाप्य न्यपादिषत् । अथ बोधिसत्त्वः श्वेतवरवारणी भूत्वा—ततोऽविदूरे एकः सुवर्णपर्वतः तत्र चरित्वा ततोऽवरुह्य रजतपर्वतमभिरुह्योत्तदिशातः आगत्य रजतदामवर्णया शुण्डया श्वेतपद्मं गृहीत्वा क्रौञ्चनादं नदित्वा कनकविमानं

NOTES

प्रविश्य मातुःशयनं त्रिकृत्वः प्रदक्षिणां कृत्वा वक्षिणपार्श्वं ताडयित्वा कुक्षिं प्रविष्टसदृशोऽभूत्। एवमुत्तराषाढनक्षत्रेण प्रतिसन्धिग्रहीत्। पुनः दिवसे प्रबुद्धा देवी तत्स्वप्नं राजानमारुरुचत्। राजा चनुष्पष्टिमात्रान् ब्राह्मणप्रमुखान् प्राकृश्य हरितयवानुपस्थाय लाजादिभिः कृतमङ्गलसत्कारायां भूमौ महादृण्यासनानि प्रज्ञाप्य तत्र निषण्णेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः सर्पिमधुशर्कराभिः संस्कृतस्य वरपायसस्य सुवर्णरजतपात्रीः पूरयित्वा सुवर्णरजतपात्रीभिरेव प्रातिकुज्यादाद्, अन्यैश्चाहतवस्त्रकपिल-गोदानादिभिस्ताफ समतीतृपत्। अथ तेषां सर्वकामैः सन्तर्पितानां स्वप्नमारोच्य—किं भविष्यतीत्यप्राक्षीत्। ब्राह्मणाः अवोचन्—मा चिन्तय महाराज देव्यास्ते कुक्ष्यां गर्भः प्रतिष्ठित, स च खलु पुरुषगर्भः, न स्त्रीगर्भः, पुत्रस्ते भविष्यति चेदागारमध्यावत्स्यति राजा भविष्यति चक्रवर्ती, चेदागारत् विष्क्रम्य प्रव्रजिष्यति बुद्धो लोके विवर्तच्छद इति।

हिन्दी अनुवाद

उस समय कपिलवस्तु नगर में आषाढ नक्षत्र था। महाजन लोग (बड़े लोग) नक्षत्रक्रीड़ा कर रहे थे। पूर्णिमा से सात दिन पूर्व से ही सुरापान को छोड़कर माला, सुगन्धि आदि ऐश्वर्य से सम्पन्न हो, नक्षत्रक्रीड़ा का अनुभव करती हुई, सातवें दिन प्रातःकाल ही उठकर सुगन्धि-जल से स्नान कर, चार सौ हजार मुद्रा विसर्जित कर महादान देकर सम्पूर्ण अलंकारों से विभूषित होकर पवित्र भोजन करके श्रीगर्भ में श्रीशयन पर निद्रामग्न महामाया देवी ने यह स्वप्न देखा—चार महाराज उसको पलङ्ग के साथ ही उठाकर हिमवान् पर्वत पर ले जाकर, साठ योजन लम्बे मनःशिलातल पर सात योजनवाले महाशाल वृक्ष के नीचे रखकर एक तरफ बैठ गये। तदनन्तर इनकी देवियों ने आकर, देवी को अनवतप्त हृद (तालाब) में ले जाकर मानुषसुलभ मल को हटाने के लिए स्थान कराकर दिव्य वस्त्र पहनाकर सुगन्धित पदर्थों का लेपकर, दिव्य पुष्पों को पहनाकर उस हृद के समीप ही रजत पर्वत के नीचे कनकविमान के पूर्वी कोण में दिव्य शयन (आसन) लगा दिया। तब बोधिसत्त्व श्रेष्ठ हाथी बनकर समीपस्थ एक सुवर्ण पर्वत से नीचे उतरकर, पास के रजत पर्वत पर चढ़कर, उत्तर दिशा से आकर, रजत की रस्सी के वर्णवाली सूँड़ से श्वेतकमल को ग्रहण कर, क्रौञ्चनाद करके कनकविमान में प्रविष्ट हो, माता के शयन की तीन बार प्रदक्षिणा कर, दाहिने पार्श्वभाग को आहत कर कुक्षि में प्रविष्ट हो गये। इस प्रकार उन्होंने उत्तराषाढ नक्षत्र से ही प्रतिसन्धि प्राप्त की। दूसरे दिन प्रातः जगकर देवी ने उस स्वप्न को राजा से निवेदित किया। राजा ने चौंसठ प्रमुख ब्राह्मणों को बुलाकर उनका हरित यव तथा लाजा आदि मंगल सत्कार से युक्त भूमि पर बहुमूल्य आसनों को बिछाकर, उन पर बैठे हुए उन ब्राह्मणों को घी, मधु, शक्कर आदि से सुसंस्कृत खीर से सुवर्ण एवं रजत की थालियों को पूर्ण कर सुवर्ण एवं रजत की थालियों से ही ढँककर दे दिया तथा अन्य नूतन वस्त्र, कपिला गौ आदि के दान से उन्हें सन्तुष्ट किया।

तदनन्तर सम्पूर्ण कामनाओं से सन्तुष्ट उन ब्राह्मणों से देवी का वह स्वप्न सुनाकर 'क्या होगा' ऐसा पूछा। ब्राह्मणों ने कहा—हे महाराज! आप चिन्ता न करें, आपकी देवी की कुक्षि में गर्भ प्रतिष्ठित हो गया है; वह पुरुषगर्भ है, स्त्रीगर्भ नहीं। आपको पुत्र होगा। यदि वह घर पर रहेगा तो चक्रवर्ती राजा होगा तथा यदि घर से निकलकर प्रव्रज्या धारण करेगा तो संसार में अज्ञान के आवरण से रहित बुद्ध होगा।

2. गोतमस्य उप्पादो

महामाया देवी पत्तेन तेलं विय दसमासे कुच्छिया बोधिसत्तं परिहरित्वा परिणुणवगम्भा जातिघरं गन्तुकामा सुद्धोदनमहाराजस्य आरोचेसि—'इच्छामहं देव कुलसन्तकं देवदहनगरं गन्तुं'ति। राजा 'साधू'ति

‘दही एवं दूध की भाँति दिखायी देनेवाला यह कौन-सा समुद्र है……आदि।’

दूसरी गाथा द्वारा महासत्त्व ने कहा—‘भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए……दधिमाली नाम का समुद्र कहा जाता है।’ इस समुद्र में रजत भरा था। उसको भी उसने उपाय द्वारा ग्रहण कर नाव में डाल लिया। नाव द्वारा उस समुद्र को भी पार कर नील, कुश, तृण की भाँति, अनाज (पौधों) से सम्पन्न की भाँति अवभासित होनेवाले नील-वर्ण-वाले कुसुममाल नामक समुद्र को प्राप्त किया। बनियों ने गाथा द्वारा पूछा—

‘कुश और शस्य की भाँति दिखायी देनेवाला यह कौन-सा समुद्र है……।’ उसने दूसरी गाथा द्वारा कहा—‘भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए……कुसुमाली नाम का समुद्र कहा जाता है।’

उस समुद्र में नीलमणि रत्न भरा था। उसने उसको भी उपाय से ग्रहणकर नाव में डाल लिया। नाव उस समुद्र को भी पारकर नलवन एवं वेणुवन की भाँति प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले नलमाल नामक समुद्र को प्राप्त किया। बनियों ने गाथा द्वारा उसका भी नाम पूछा—नल की तरह, वेणु की तरह दिखायी देनेवाला यह कौन-सा समुद्र है ? महासत्त्व ने दूसरी गाथा द्वारा कहा—‘भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए……नलमाली नाम का समुद्र कहा जाता है।’

इस समुद्र में वंश-राग वैदूर्य भरा था, उसने उसे लेकर नाव में डाल दिया। बनियों ने नलमाल का अतिक्रमण करके वडवामुख नामक समुद्र को देखा—‘उसमें जल सभी ओर से खींचकर ऊपर की ओर उठता था। सभी ओर से उठा हुआ जल, सभी ओर से कटे हुए तलवाले महागर्त की तरह प्रतीत होता है। लहरों से ऊपर उठने के कारण एक तरफ झरने के समान है। कानों को छेदता हुआ, हृदय को विदीर्ण करता हुआ भय उत्पन्न करने वाला शब्द उत्पन्न होता है।’ उसे देखकर भय से डरे हुए बनियों ने गाथा द्वारा उसका नाम पूछा—महाभयानक, भीषण एवं अमानुष शब्द सुनाई दे रहा है।

गर्त और प्रपात के सदृश यह समुद्र दिखायी दे रहा है।

भरुकच्छ से प्रयाण किये हुए……वडवामुख कहा जाता है। बोधिसत्त्व ने दूसरी गाथा से उसके नाम को कहा—‘हे तात ! यह वडवामुख नाम का समुद्र है, (यहाँ से) नाव लौटने में समर्थ नहीं है। यह इस नाव को डुबोकर विनाश को प्राप्त करायेगा।’ उस नाव में बैठे सभी प्राणी मरण के भय से डरकर पकाये जाते हुए प्राणी की तरह एक प्रहार में अत्यन्त करुण क्रन्दन करने लगे। रोककर महासत्त्व ने सोचा—मेरे अतिरिक्त इनका कल्याण करने में दूसरा कोई समर्थ नहीं है। सत्क्रिय द्वारा इनका कल्याण करूँगा—ऐसा सोचकर उन्हें आमंत्रित कर (कहा)—‘हे तात ! शीघ्र ही मुझे गन्धोदक से स्नान कराकर, स्वच्छ वस्त्रों को पहनाकर, पूर्णपात्र सजाकर नाव की धुरी पर स्थापित कर दें।’ उन्होंने शीघ्रतापूर्वक वैसा किया। महासत्त्व ने दोनों हाथों से पूर्णमात्र को ग्रहणकर नाव की धुरी पर स्थित हो सत्क्रिया करते हुए अवसान गाथा को कहा—

जिसके कारण अपने को स्मरण करता हूँ तथा जिससे विज्ञता को प्राप्त हुआ हूँ। विचार करने पर भी किसी प्राणी को मरा हुआ नहीं जानता हूँ।

इस सत्य वचन द्वारा नाव का कुशल (स्वस्ति) हो।

चार महीने तक विदेश में घूमते हुए नाव से निवृत्त होकर, ऋद्धिमान की तरह समृद्धि के साथ एक ही दिन में (वे) भरुकच्छ नगर पहुँच गये। स्थल पर जाकर, आठ बैल के बराबर स्थान खोजकर नाविक के

दरवाजे पर स्थित हो गये। महासत्त्व ने उन बनियों को स्वर्ण, रजत, मणि, मूँगा, वज्र आदि बाँटकर दे दिया। आप लोगों के लिए इतना ही रत्न पर्याप्त है, पुनः समुद्र में प्रवेश न कीजियेगा। इस प्रकार उन्हें अववाद (शिक्षा) देकर जीवनभर दान आदि पुण्यों को करके देवपुर को भर दिया (स्वर्ग चले गये)।

NOTES

5. वानरिन्दजातकम्

अतीते बारणसियं ब्रह्मदत्ते रज्जं कारेन्ते बोधिसत्तो कपियोनियँ निब्बत्तित्वा बुद्धिं अन्वाय अस्सपोतप्पमाणो थामसम्पन्नो एकचरो हुत्वा नदी तीरे विहरति। तस्सा पन नदिया वेमज्झे एको दीपको नानप्पकारेहि अम्बपनसादीहि फलरुक्खेहि सम्पन्नो। बोधिसत्तो नागबलो थामसम्पन्नो नदिया ओरिमतीरतो उप्पातित्वा दीपकस्स ओरतो नदीमज्झे एको पिट्टिपासाणो अत्थि तस्मिं निपतति, ततो उप्पतित्वा तस्मिं दीपके पतति। तत्थ नानपप्कारानि फलानि खादित्वा सायं तेनेव उपायेन पच्चागन्त्वा अत्तनो वसनट्टाने वसित्वा पुनदिवसे पि तथेव करोति। इमिना नियमेन तत्थ वासं कप्पेति। तस्मिं पन काले एको कुम्भीलो सपजापतिको तस्सा नदिया वसति। तस्य सा भरिया बोधिसत्तं अपरापरं गच्छन्तं दिस्वा बोधिसत्तस्स हृदयमंसे दोहळं उप्पादेत्वा कुम्भीलं आह—‘मय्यं खो अय्य, इमस्स वानरिन्दस्स हृदयमंसे दोहळो उप्पन्नो’ति। कुम्भीलो ‘साधु होति, लच्छसी’ति वत्वा ‘अज्ज तं सायं दीपकतो आगच्छन्तमेव गिहस्सामी’ति गन्त्वा पिट्टिपासाणे निपज्जि। बोधिसत्तो दिवसं चरित्वा साहणहसमये दीपके ठितो ‘ह पासाणं आलोकेत्वा ‘अयं पासाणो इदानि उच्चतरो खायति, किन्नु कारणं, ति चिन्तेसि। तस्स किर उदकप्पमाणं च पासाणप्पमाणं च सुववत्थापितमेव। तेनस्स एतदहोसि—‘अज्ज इमिस्सा नदिया उदकं नेव हायति न वड्ढति, अथ च पनायं पासाणो महा हुत्वा पञ्जायति, कच्चि नु खो एत्थ मय्हं गहणत्याय कुम्भीलो निपन्नो’ ति। सो ‘वीमंसामि ताव नं’ति तत्थेव ठत्वा पासानेन सद्धिं कथेन्तो विय ‘भो पासाण’ति पटिपचनं अलभन्तो यावततियं ‘पासाणा’ति आह। ‘पासाणो किं पटिपचनं न दस्सतो’ति पन पि तं वानरो ‘किं भो पासाण, अज्ज मय्हं पटिपचनं न देसी’ति आह। कुम्भीलो ‘अद्धा अज्जेसु दिवसेसु अयं पासाणो वानरिन्दस्स पटिपचनं अदासि’ दस्सामि दानिस्स पटिपचनं ति चिन्तेत्वा किं भो वानरिन्दा’ति आह। ‘को’सि त्वं’ति। ‘असं कुम्भीलो’ ति। ‘किमत्थं एत्थ निपन्नो’ सी ति। ‘तव हृदयमंसं पत्थयमानो’ति। बोधिसत्तो चिन्तेसि—‘अज्जो मे गमनमग्गो नत्थि, अज्ज मया एस कुम्भीलो वज्जेतब्बो’ ति। अथ नं एवमाह—‘सम्म कुम्भील, अहं अत्तानं तुय्हं परिच्चजिस्सामि, त्वं मुखं विवरित्वा मं तव सन्तिकं आगतकाले गणहाही’ति। कुम्भीलानं हि मुखविवटे अख्खीनि निमीलन्ति। सो तं कारणं असल्लखेत्वा मुखं विवरि। अथस्स अख्खीनि पिथीयिंसु। सो मुखं विवरित्वा अक्खीनि निमीलेत्वा निपज्जि। बोधिसत्तो तथाभवं ब्रत्वा दीपका उप्पतितो गन्त्वा कुम्भीलस्स मत्थकं अक्कमित्वा ततो उप्पतितो विज्जुल्लता विय विज्जोतमानो परतीरे अट्टासि। कुम्भीलो तं अच्छरियं दिस्वा ‘इमिना वानरिन्देन अतिअच्छेरकं कतं’ति चिन्तेत्वा ‘भो वानरिन्द इमस्मिं लोके चतूहि धम्मोहि समन्नगतो पुग्गलो पच्चभित्ते अभिभवति, ते सब्बे पि तुय्हं अब्भन्तरे अत्थि मज्जं’ति वत्वा इमं गाथामाह—

यस्सेते चतुरो धम्मा वानरिन्द तथा तव ।

सच्चं धम्मो धीती चागो दिट्ठं सो अतिवट्ठतीति ।।

एवं कुम्भीलो बोधिसत्तं पसंसित्वा अत्तनो वसनट्टानं गतो ।

अतीते वाराणस्यां ब्रह्मदत्ते राज्यं कुर्वति बोधिसत्त्वः कपियोन्यां निर्वृत्य बुद्धिमन्वित्य अश्वपोतप्रमाणः स्थामसम्पन्नः एकचरो भूत्वा नदीतीरे विहरति। तस्याः पुनर्नद्याः विमध्ये एको द्वीपको नानाप्रकारैः आम्रपनसादिभिः फलवृक्षैः सम्पन्नः। बोधिसत्त्वो नागबलः स्थामसम्पन्नः नद्याः अवतीरतः उत्पत्थ द्वीपकस्य अवरतः नदीमध्ये एकः पृष्टिपाषाणः अस्ति तस्मिन् निपतति, ततः उत्पत्य तस्मिन् द्वीपके पतति। तत्र नानाप्रकाराणि फलानि खादित्वा सायं तेनैवोपायेन प्रत्यागत्य आत्मनो वसनस्थाने उषित्वा पुनर्दिवसेऽपि तथैव करोति। अमुना नियमेन तत्र वासं कल्पयति। तस्मिन् पुनः काले एकः कुम्भीलः सप्रजापतिकः तस्यां नद्यां वसति। तस्य सा भार्या बोधिसत्त्वं अपरापरं गच्छन्तं दृष्ट्वा बोधिसत्त्वस्य हृदयमुत्पाद्य कुम्भीलमाह— 'मम खलु आर्य ! अस्य वानरेन्द्रस्य हृदयमांसे दोहद उत्पन्नः' इति। कुम्भीलः 'साधु भवति, लप्स्यसे' इत्युक्त्वा 'अद्य तं सायं द्वीपकतः आगच्छन्तमेव ग्रहीष्यामि' इति गत्वा पृष्टिपाषाणे न्यपतत्। बोधिसत्त्वो दिवसं चरित्वा सायाह्नसमये द्वीपस्थित एव पाषाणमवलोक्य 'अयं इदानीमुच्चतरः ख्यायते, किन्तु कारणम् इत्यचिन्तत्। तस्य किल उदकप्रमाणं च सुव्यवस्थापितमेव। तेनास्य एतदभूत् 'अद्य अस्याः नद्या उदकं नैव हीयते न वर्धते, अथ च पुनरयं पाषाणो महान् भूत्वा प्रज्ञायते, कश्चिन्तु खल्वत्र मम ग्रहणार्थाय कुम्भीलो निपन्नः, इति स 'विमृशामि तावदेनम्' इति तत्रैव स्थित्वा पाषाणेन सार्द्धं कथयन्निव 'भो पाषाण !' इत्युक्त्वा प्रतिवचनं अलभमानः यावत्तृतीयं 'पाषाण' इत्याह किं प्रतिवचनं न ददासि' इति पुनरपि तं वानरः 'किं भोः पाषाण ! अद्य मह्यं प्रतिवचनं न ददासि' इत्याह। कुम्भीलो 'अद्य अन्येषु दिवसेषु अयं पाषाणो वानरेन्द्रस्य प्रतिवचनमदात्। दास्यामि इदानीमस्य प्रतिवचनम्' इति चिन्तयित्वा 'किं भो वानरेन्द्र', इत्याह। 'कोऽसि त्वं' इति। 'अहं कुम्भीलः' इति। 'किमर्थं अत्र निपन्नोऽसि' इति 'तव हृदयमांसं प्रार्थयमानः' इति। बोधिसत्त्वः अचिन्तत् 'अन्यो मे गमनमार्गो नास्ति, अद्य मया एष कुम्भीलो बञ्चयितव्यः' इति। अथैनमेवमाह— 'सौम्य कुम्भील ! अहमात्मानं ते परित्यक्ष्यामि स्वं मुखं विधुत्सु मां तवान्तिकं आगतकाले गृहाण' इति। कुम्भीलानां हि मुखे विवृते अक्षिणी निमीलतः। स तत्कारणं असंलक्ष्य मुखं व्यवारीत्। अथास्य अक्षिणी न्याधायिषाताम्। स मुखं विवृत्य अक्षिणी निमील्य न्यपादि। बोधिसत्त्वः तथाभावं ज्ञात्वा द्वीपकादुत्पतितो गत्वा कुम्भीलस्य मस्तकमाक्रम्य तत उत्पतितो विद्युल्लतेव विद्योतमानः परतीरे अस्थात्। कुम्भीलस्तदाश्चर्यं दृष्ट्वा 'अनेन वानरेन्द्रेण अत्याश्चर्यं कृतं, इति चिन्तयित्वा 'भो वानरेन्द्र ! अस्मिन् ! लोके चतुर्भिर्धर्मैः समन्वागतः पुद्गलः प्रत्यमित्राणि अभिभवति। ते सर्वेऽपि तवाभ्यन्तरे सन्ति मन्ये' इत्युक्त्वा इमां गाथामाह—

यस्यैते चत्वारो धर्माः वानरेन्द्र ! यथा तव ।

सत्यं धर्मो धृतिस्त्यागः दृष्टं सोऽतिवर्तते ॥ इति ॥

एवं कुम्भीलो बोधिसत्त्वं प्रशस्य आत्मनो वासस्थानं गतः।

हिन्दी अनुवाद

भूतकाल में ब्रह्मदत्त के शासन-काल में वाराणसी में बोधिसत्त्व, कपियोनि में उत्पन्न होकर तथा बुद्धि से युक्ति हो, अश्वपोत की तरह लम्बे-चौड़े, स्थान (शौर्य) सम्पन्न हो अकेले नदी के किनारे विचरण करते थे। उस नदी के बीच में नाना प्रकार के आम्र-कटहल आदि फल के वृक्षों से सम्पन्न एक द्वीप था। नाग (हाथी) के समान शक्ति से सम्पन्न स्थान (शौर्य) सम्पन्न बोधिसत्त्व नदी से कूदकर नदी

के बीच में द्वीप के दूसरी ओर स्थित पृष्टिपाषाण पर गिरते थे। वहाँ नाना प्रकार के फलों को खाकर सायंकाल उसी उपाय से लौटकर अपने निवास-स्थान पर रहकर दूसरे दिन भी वैसा ही करते थे। इस नियम से वहाँ रहते थे। उसी प्रकार अपने परिवार के साथ एक कुम्भील उस नदी में रहता था। उसकी पत्नी ने बोधिसत्त्व को इस पार जाते हुए देखकर बोधिसत्त्व के हृदय के मांस में दोहद उत्पन्न कर कुम्भील से कहा—‘हे आर्या ! वानर के हृदय के मांस में दोहद उत्पन्न हो गया है।’ बहुत ठीक, प्राप्त करोगी। आज सायंकाल द्वीप से आते ही उसको पकड़ूँगा’ ऐसा सोचकर, जाकर कुम्भील पृष्टिपाषाण पर कूद गया। बोधिसत्त्व दिनभर चरकर सायंकाल द्वीप पर बैठे हुए ही पाषाण को देखकर ‘यह पाषाण इस समय ऊँचा हो गया है, क्या कारण है’ सोचने लगे। उसका जल-प्रमाण (निशान) पहले की भाँति ही व्यवस्थित था। उसने मन में ऐसा कहा—‘आज इस नदी का जल न कम हुआ है, न बढ़ा ही है, फिर भी यह पाषाण बढ़ा दिखायी दे रहा है। यहाँ कोई कुम्भील मुझे पकड़ने के लिए पड़ा हुआ है। इसकी मैं मीमांसा (परीक्षा) करता हूँ।’ इस प्रकार उसने वहीं स्थित होकर पाषाण को कहा—‘हे पाषाण !’ इस प्रकार कहकर प्रत्युत्तर न प्राप्त करता हुआ तीसरी बार भी ‘हे पाषाण,’ ऐसा कहा। ‘हे पाषाण ! प्रत्युत्तर क्यों नहीं दे रहे हो।’ ‘हे पाषाण, मुझे क्यों आज प्रत्युत्तर नहीं दे रहे हो’ इस प्रकार वानर ने पुनः उससे कहा। अन्य दिन वह पाषाण वानरेन्द्र को प्रत्युत्तर देता था, इसलिए इसका प्रत्युत्तर मैं दूँगा, ऐसा सोचकर ‘क्या है वानरेन्द्र !’ ऐसा कुम्भील ने कहा। ‘तुम कौन हो’ ? ‘मैं कुम्भील हूँ।’ ‘किसलिए यहाँ पड़े हो?’ ‘तुम्हारे हृदय में मांस की प्राप्ति के लिए।’ बोधिसत्त्व सोचने लगे—मेरे गमन का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आज मुझे इस कुम्भील को ठगना चाहिए। उससे इस प्रकार कहा—‘सौम्य कुम्भील ! मैं अपने को तुम्हें दे दूँगा। तुम मुख खोलकर अपने पास आने के समय (मुझे) पकड़ लेना।’ मुख खोलने पर कुम्भीलों की आँखें बन्द हो जाती हैं। उसने इस कारण को बिना देखे ही मुख खोल लिया। उसकी आँख बन्द हो गयी। वह मुख खोलकर आँखें मूँदकर पड़ गया। बोधिसत्त्व उस भाव को जानकर द्वीप से कूदकर कुम्भील के मस्तक पर आक्रमण (चढ़) करके वहाँ से कूदकर विद्युल्लता की भाँति द्योतित होते हुए दूसरे तीर पर स्थित हो गये। कुम्भील ने उस आश्चर्य को देखकर, इस वानरेन्द्र ने बढ़ा आश्चर्य किया, ऐसा सोचकर—‘हे वानरेन्द्र ! इस संसार में चार धर्मों से युक्त पुद्गल (जीव) शत्रुओं को अभिभूत करता है। वे सभी तुम्हारे अन्दर हैं यह मानता हूँ— इस गाथा को कहा—

‘हे वानरेन्द्र ! तुम्हारी तरह जिसके अन्दर ये चारों धर्म—सत्य, धर्म, धैर्य एवं त्याग है, वह अपने शत्रु को अभिभूत करता है।’

इस प्रकार कुम्भील, बोधिसत्त्व की प्रशंसा करके अपने निवास स्थान पर चला गया।

3. पालि संगहो (बुद्धचरित)

पालिजातकावलि:

1. मायादेविया सुपिनं

NOTES

तदा किर कपिलवत्थुनगरे आसाळ्हीनक्खत्तं घुट्ठं अहोसि। महाजनो नक्खत्त कीळेति। महामायादेवी पुरे पण्णमाय सत्तमदिवसतो पट्ठाय विगत-सुरापानं मालागन्धविधुतिसम्पन्नं नक्खत्तकीं अनुभवमाना सत्तमदिवसे पातो व उट्ठाय गन्धोदकेन नहायित्वा चत्तारि सतसहस्सानि विस्सेज्जेत्वा महादानं दत्त्वा सब्बालंकारविभूसिता वरभोजनं भुज्जित्वा उपोसथङ्गानि अधिट्ठाय अलंकतपटियत्तं सिरिगम्भं पविसित्वा सिरिसयने निपन्ना निदं ओक्कममाना इद सुपिनं अदस्स—चत्तारो किर नं महाराजानो सयनेनेव सद्धिं उक्खिपित्वा हिमवन्तं नेत्वा सट्टियोजनिके मनोसिलातले सत्तयोजनिकस्स महासालरुक्खस्स हेट्ठा ठपेत्वा एकमन्तं अट्ठंसु। अथ नेसं देवियो आगन्त्वा देविं अनोत्तदहं नेत्वा मानुसमलहरणत्थं नहापेत्वा दिब्बवत्थं निवासापेत्वा गन्धेहि विलिम्पापेत्वा दिब्बपुष्फानि पिलन्धापेत्वा—ततो अविदूरे रजतपब्बतो, तस्स अन्तो कनकविमानं अत्थि—तत्थ पाचीनसीसकं दिब्बसयनं पज्जापेत्वा निपज्जापेसुं। अथ बोधिसत्तो सेतवरवारणो हुत्वा—ततो अविदूरे एको सुवण्णपब्बतो—तत्थ चरित्वा ततो ओरुय्ह रजतपब्बतं अभिरुहित्वा उत्तरदिसतो आगम्म रजतदामवण्णाव सोण्डाय सेतपदुमं गहेत्वा कोञ्चनादं नदित्वा कनकविमानं पविसित्वा मातुसयनं तिक्खत्तुं पदक्खिणं कत्वा दक्षिणपस्सं ताळेत्वा कुच्छिं पविट्ठसदिसो अहोसि। एवं उत्तरासाळ्हनक्खत्तेन पटिसन्धिं गण्हि। पुनदिवसे पबुद्धा देवी तं सुपिनं रज्जो आरोचेस। राजा चतुसट्ठिमते ब्राह्मणपामोक्खे पक्कोसापेत्वा हरितयवुपत्थाय लाजादोहि कतमङ्गलसक्काराय भूमिया महारहानि आसनानि पज्जापेत्वा तत्थ निसिन्नानं ब्राह्मणानं सप्पिमधुसक्कराभिसङ्घतस्स वरपायसस्स सुवण्णरजतपातियो पूरेत्वा सुवण्णरजतपातीहि येव पटिकुज्जेत्वा अदासि, अज्जेहि च अहतवत्थपिलगाविदानादीहि ते सन्तप्पेसि। अथ तेसं सब्बकामेहि सन्तप्पितानं सुपिनं आरोचेत्वा—‘किं भविस्सती’ति पुच्छि। ब्राह्मणा आहंसु—‘चिन्तयि महाराज, देविया ते कुच्छिम्हि गम्भो पतिट्ठितो, सो च खो पुरिसगम्भो न इत्थिगम्भो, पुत्तो ते भविस्सति, सो सचे अगारं अज्झावसिस्ससि राजा भविस्सति चक्कवत्ती, सचे अगारा निक्खम्म पब्बजिस्सति बुद्धो भविस्सति लोके विवट्ठच्छदो’ति।

—निदानकथा जातक

संस्कृत अनुवाद

तदा किल कपिलवस्तुनगरे आषाढनक्षत्रं घुष्टमासीत्। महाजनो नक्षत्रं क्रीडति। महामायादेवी पुरः पूर्णिमायाः सप्तमदिवसतः प्रस्थाय विगतसुरापानां मालागन्धविभूतिसम्पन्नां नक्षत्रक्रीडामनुभवन्ती सप्तमदिवसे प्रातरेवोत्थाय गन्धोदकेन स्नात्वा चत्वारि शत सहस्राणि विसृज्य महादानं दत्त्वा सर्वालङ्कारविभूषिता वरभोजनं भुङ्क्त्वोपवसथाङ्गान्य-धिष्ठायालङ्कृतपर्याप्तं श्रीगर्भं प्रविश्य श्रीशयने निपन्ना निद्रामवक्रममाणेमं स्वप्नमद्राक्षीत्—चत्वारः किल नूनं महाराजाः शयनेनैव सध्रीङ्ङुत्क्षिप्य हिमवन्तं नीत्वा षष्टियोजनिके मनः शिलातले सप्तयोजनिकस्य महाशलवृक्षस्याधस्तात् स्थापयित्वैकस्मिन्नन्तेऽस्थुः। अथ निणायां देव्यः आगत्य देवीमनवतप्तहृदं नीत्वा मानुषमलहरणार्थं स्नापयित्वा दिव्यवस्त्रं निवास्य गन्धैः विलिप्य दिव्यपुष्पाणि पिनाह्य ततोऽविदूरे रजतपर्वतः तस्यान्ते कनकविमानमस्ति तत्र प्राचीनशीर्षकं दिव्यशयनं प्रज्ञाप्य न्यपादिषत्। अथ बोधिसत्त्वः श्वेतवरवारणी भूत्वा—ततोऽविदूरे एकः सुवर्णपर्वतः तत्र चरित्वा ततोऽवरुह्य रजतपर्वतमभिरुह्योत्तदिशात्; आगत्य रजतदामवर्णया शुण्डया श्वेतपद्मं गृहीत्वा क्रौञ्चनादं नदित्वा कनकविमानं

सम्पटिच्छित्वा कपिलवत्थुतो याव देवदहनगरा मगं समं कारेतवा कदलिपुण्णघटधजपताकादीति अलंकारापेत्वा देविं सोवण्णरिविकाय निसीदापेत्वा अमच्चसहस्सेन उक्खिपापेत्वा महन्तेन परिवारेण पेपेसि । द्विन्नं पन नगरानं अन्तरे उभयनगरवासीनमिपि लुम्बिनीवनं नाम मङ्गलसालवनं अत्थि । तस्मिं समये मूलतो पट्ठाय याव अग्गसाखा सब्बं एकफालिफुल्लं अहोसी, साखन्तरेहि चैव पुप्फन्तरेहि पञ्चवण्णभमरगणा नानप्पकारा च सकुनसङ्घा मधुरस्सरेण विकूजन्ता विचरन्ति । सकलं लुम्बिनीवतं चित्तलतावनसदिसं महानुभावस्स रञ्जो सुसज्जित-आपानमण्डलं विय अहोसि । देविया तं दिस्वा सालवनकीळं कीळितुकामता उदपादि । अमच्चा देविं गहेत्वा सालवनं पविसंसु । सा मङ्गलसालमूलं गन्त्वा सालसाखायं गण्हितुकामा अहोसि । सालसाखा सुसुदितवेत्तगं विय ओनमित्वा देविया हत्थपथं उपगच्छि । सा हत्थं पसारेत्वा साखं अग्गहेसि । तावदेव चस्सा कम्मजवाता चलिंसु । अथस्सा साणिं परिक्खिपित्वा महाजनो पटिक्कमि । सालसाखं गहेत्वा तिट्ठमानाय एव चस्सा गभ्भवुटठानं अहोसि । तं खणं येव चत्तारोपि सुद्धचित्ता महाब्रह्मानो सुवण्णजालं आदाय सम्पत्ता, तेन सुवण्णजालेन बोधिसत्तं सम्पटिच्छित्वा मातुपुरितो ठपेत्वा—‘अत्तमना देवि होहि, महेसक्खो ते पुत्तो उप्पन्नो ति आहंसु । यथा पन अञ्जे सत्ता मातुकुच्छित्तो । निक्खमन्ता पटिक्कूलेन आसूचिना मक्खिता निक्खमन्ति न एवं बोधिसत्तो बोधिसत्तो पन धम्मासनतो ओतरन्तो धम्मकथिको विय निस्सेणितो ओतरन्तो पुरिसो विय च द्वेच हत्थे द्वे च पादे पसारेत्वा ठितको मातुकुच्छिसम्भवेन केनचि असूचिना अमक्खितो सुद्धो विसदो कासिकवत्थे निक्खित्तमणिरतनं विय जोतन्तो मातुकुच्छित्तो निक्खमि । एवं सन्तेपि बोधिसत्तस्स च बोधिसत्तमातुया च सक्करात्थं आकासतो द्वे उदकधारा निक्खमित्वा बोधि सत्तस्स च मातु च 'स्य सरीरे उतुं गाहापेसुं ।

—निदानकथा जातक

संस्कृत अनुवाद

महामायादेवी पात्रेण तैलिमिव दशमासान् कुक्षेः बोधिसत्त्वं परिहृत्य परिपूण्णगर्भा ज्ञातिगृहं गन्तुकामा शुद्धोदनमहाराजमारुरुचत्—इच्छाम्यहं देव 'कुलसत्ताकं (कुलसम्बन्धि) देवदहनगरं गन्तुमिति । राजा 'साधु' इति सम्प्रतीष्य कपिलवस्तुतः यावद्देवदहनगरस्य मार्गं समं कारयित्वा कदलीपूर्णघटध्वजपताकादिभिरलङ्कृत्य देवीं सौवर्णशिविकायां निषाद्यामात्यसहस्रेणोत्क्षेत्य महता परिवारेण प्रैषिषत् । द्वयोः पुन नगरयोरन्तरे उभयनगरवासिनामपि लुम्बिनीवनं नाम मङ्गलशालवनमस्ति । तस्मिं समये मूलतः प्रस्थाय यावदग्रशाखां सर्वमेकफलिताफुल्लमभूत् । शाखान्तरेभ्यश्चैव पुरूपान्तरेभ्यश्च पञ्चवर्णभ्रमरगणाः नानाप्रकाराश्च शकुनिसङ्घः मधुरस्वरेण विकूजन्तः विचरन्ति । सकलं लुम्बिनीवनं चित्रलतावनसदृशं महानुभावस्य राज्ञः सुसज्जितापानमण्डलमिवाभूत् देव्याः तद्दृष्ट्वा शालवनक्रीडां क्रीडितुकामतोदपादि । अमात्या देवीं गृहीत्वा शालवनं प्राविक्षन् । सा मङ्गलशालमूलं गत्वा शालशाखां गृहीतुकामाभूत् । शालशाखा सुस्वेदितवेत्राग्रामिवावनम्य देव्याः हस्तपथमुपागमत् । सा हस्तं प्रसार्य शाखामग्रहीत तावदेवास्याः कर्मजवाता अचालिषुः । अथास्याः शार्णीं परिक्षिप्य महाजनः प्रत्यक्रमीत् । शालशाखां गृहीत्वा तिष्ठन्त्या एव चास्यस्याः गर्भोत्थानमभूत् । तत्क्षणमेव चत्वारोऽपि शुद्धचित्ताः महाब्रह्माणः सुवर्णजालमादाय सम्प्राप्ताः, तेन सुवर्णजालेन बोधिसत्त्वं सम्प्रतीष्य मातरं पुरतः स्थापयित्वा—आप्तमनस्का देवि । भव, महेशाक्षस्ते पुत्र उत्पन्न इत्याहुः यथा पुनः अन्ये सत्त्वाः मातुः कुक्षितः निष्क्राम्यन्तः प्रतिकूलेनाशुचिना संक्षिताः निष्क्राम्यन्ति नैवं बोधिसत्त्वः । बोधिसत्त्वः पुनः धर्मासनत अवतरन् धर्मकथित इव निःश्रेणितः अवतरन् पुरुष इव च द्वौ हस्तौ द्वौ च पादौ प्रसार्य स्थितकः मातृकुक्षिसम्भवेन केनचिदशुचिना अभ्रक्षतः शुद्धः विशदः काशिकवस्त्रे

NOTES

हिन्दी अनुवाद

महामाया देवी ने पात्र से तैल की भाँति दसवें महीने में बोधिसत्त्व को कुक्षि से छोड़कर (गर्भ के कुछ शिथिल होने पर) पूर्ण गर्भवती होकर भाई-बन्धुओं के घर जाने की इच्छा से युक्त हो महाराज शुद्धोदन से निवेदन किया—हे देव ! मैं अपने कुल के लोगों के निवासस्थान देवदेहनगर जाना चाहती हूँ। 'अच्छ', ऐसा कहकर राजा ने कपिलवस्तु से देवदेहनगर तक मार्ग को समतल करवाकर कदली, पूर्णघट, ध्वज एवं पताका आदि से अलंकृत कर देवी को सुवर्णमयी पालकी (शिविका) में बैठाकर हजार अमात्यों से युक्त एक बहुत बड़े परिवार के साथ भेजा। दोनों नगरों के बीच दोनों ही नगरवासियों का उपभोग्य लुम्बिनी वन नाम का मङ्गलशालवन है। उस समय वह वन वृक्ष की जड़ से अग्र भाग तक सभी तरह से फूला-फला था। शाखाओं और फूलों पर पाँच वर्णवाले भ्रमरसमूह, नाना प्रकार के पक्षिसमुदाय मधुर-स्वर से कूजन करते हुए विचरण कर रहे थे। सम्पूर्ण लुम्बिनी वन महानुभाव राजा के सुसज्जित आपानमण्डल की भाँति, चित्रलता वन के सदृश हो गया था। उनको देखकर देवी के मन में शालवन की क्रीड़ा करने की इच्छा उत्पन्न हो गयी। अतः मन्त्रिगण देवी को लेकर शालवन में प्रविष्ट हुए। वह मङ्गलशालवन में जाकर शाखा को पकड़ने की इच्छा करने लगीं। शालवृक्ष की शाखा हरे तथा कोमल बेंत के अग्रभाग की तरह झुककर देवी के हाथ में आ गयी। उसने हाथ फैलाकर शालशाखा को पकड़ लिया। उसी समय उसके उदर में प्रसव-वायु चलने लगी। तब उसके चारों वस्त्र का घेरा डालकर महाजन हट गये। शालशाखा को पकड़कर बैठते हुए ही इसका गर्भोत्थान (प्रसव) हुआ। उसी सुवर्ण-जाल से बोधिसत्त्व को ढककर माता के आगे रखकर—हे देवि ! आप घबराएँ नहीं, आपको राजचिह्नयुक्त पुत्र उत्पन्न हुआ है, ऐसा कहा। जिस प्रकार अन्य जीव माता की कुक्षि से निकलते हुए प्रतिकूल अपवित्र (तत्त्व) से लिपे हुए निकलते हैं, उस तरह बोधिसत्त्व नहीं हुए। बोधिसत्त्व धर्म के आसन से उतरते हुए धर्मोपदेशक की भाँति बिना किसी श्रेणी से अवतरित होते हुए पुरुष की भाँति दो हाथों और दो पैरों को फैलाकर स्थित, माता की कुक्षि से उत्पन्न होते समय किसी अपवित्र तत्त्व से रहित शुद्ध, विशद् तथा काशिक (रेशमी) वस्त्रों में रखे गये मणिरत्न की भाँति शोभित होते हुए माता की कुक्षि से निकले। ऐसा होने पर भी बोधिसत्त्व एवं उनकी माता के सत्कार के लिए आकाश से दो जल-धाराओं ने निकलकर बोधिसत्त्व एवं उनकी माता के शरीर के ऋतुजन्य (प्रसवजन्य लौकिक) मल को धो डाला।

4. पालि संगहो (बुद्धसासन)

1. सम्मावत्तना

सद्धिविहारिकेन, भिक्खवे, उपज्झायमिह सम्मावत्तितब्बं । तत्रायं सम्मावत्तना-कालस्सेव वुट्ठाय उपाहना ओमुञ्चित्वा एकंसं उत्तरासंगं करत्वा दन्तकट्ठं दातब्बं, मुखोदकं दातब्बं, आसनं, पज्जापेपब्बं । सचे यागु होति भाजनं धोवित्वा यागु उपनामेतब्बा । यागुं पीतस्स उदकं दत्वा भाजनं पटिग्गहेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन धोवित्वा पटिसामेतब्बं । उपज्झायमिह वुट्ठिते आसनं उद्धरितब्बं । सचे सो देसो उक्लापो होति सो देसो सम्मज्जितब्बो । सचे उपज्झायो गामं पविसितुकामो होति निवासनं दातब्बं, पटिनिवासनं पटिग्गहेतब्बं, कायबन्धनं दातब्बं, सगुणं कत्वा सङ्घाटियो दातब्बा, धोवित्वा पत्तो सउदको दातब्बो । स चे उपज्झायो पच्छसमणं आकंखति तिमंडलं पटिच्छदेन्तेन परिमण्डलं निवासेत्वा, कायबन्धनं बंधित्वा, सगुणं कत्वा, सङ्घाटियो पारुपित्वा, गण्ठकं पटिमुञ्चित्वा, धोवित्वा पत्तं गहेत्वा उपज्झायस्स पच्छसमणेन होतब्बं । नातिदूरे गन्तब्बं, न अच्चासन्ने गन्तब्बं, पत्तपरियापन्नं पटिग्गहेतब्बं । न उपज्झायस्स भणमानस्स अन्तरन्तरा कथा ओपातेतेब्बा, उपज्झायो आपत्तिसामन्ता भणमानो निवारेतब्बो । निवत्तन्तेन पठमतरं आगन्त्वा आसनं पज्जानपेतब्बं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितब्बं, पच्चुग्गन्त्वा पत्तचीवरं पटिग्गहेतब्बं । सचे चीवरं सिन्नं होति मुहुत्तं उण्हे ओतापेतब्बं, न च उण्हे चीवरं निदहितब्बं । चीवरं संहरितब्बं, चीवरं संहरन्तेन चतुरंगुलं कण्णं उस्सादेत्वा चीवरं संहरितब्बं मा मज्जे भंगो अहोसीसि । ओभोगे कायबन्धनं कातब्बं । सचे पिण्डपातो होति उपज्झायो च भुज्जितुकामो हाति, उदकं दत्वा पिण्डपातो उपनामेतब्बो । उपज्झायो पानीयेन पुच्छितब्बो । भुत्ताविस्स उदकं दत्वा पत्तं पटिग्गहेत्वा नीचं कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन धोवित्वा वोदकं कत्वा मुहुत्तं उण्हे ओतापेतब्बो, न च उण्हे पत्तो निदहितब्बो । पत्तचीवरं निक्खिपितब्बं । पत्तं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन पत्तं गहेत्वा एकेन हत्थेन हेट्ठामज्जं वा हेट्ठापीठं वा परामसित्वा पत्तो निक्खिपितब्बो, न च अनन्तरहिताय भूमिया पत्तो निक्खिपितब्बो । चीवरं निक्खिपन्तेन एकेन हत्थेन चीवरं गहेत्वा एकेन हत्थेन चीवरवंसं वा चीवरज्जुं वा पमज्जित्वा पारतो अन्तं ओरतो भोगं कत्वा चीवरं निक्खिपितब्बं । उपज्झायमिह वुट्ठिते आसनं उद्धरितब्बं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं पटिसामेतब्बं, सचे सो देसो उक्लापो होति सो देसो सम्मज्जितब्बो । सचे उपज्झायो नहायितुकामो होति नहानं पटियादेतब्बं, सचे सीतेन अत्थो होति सीतं पटियादेतब्बं । सचे उण्हेन अत्थो होति उण्हं पटियादेतब्बं । सचे उपज्झायो जन्ताघरं पविसितुकामो होति चुण्णं सन्नेतब्बं, मत्तिका तेमेतब्बा, जन्ताघरपीठं आदाय उपज्झायस्स पिट्ठितो पिट्ठितो गन्त्वा जन्ताघरपीठं दत्वा चीवरं पटिग्गहेत्वा एकामन्तं निक्खिपितब्बं, चुण्णं दातब्बं, मत्तिका दातब्बा । सचे उस्सहति जन्ताघरं पविसितब्बं, जन्ताघरं पविसन्तेन मत्तिकाय मुखं मक्खेत्वा पुरतो च पच्छतो च पटिच्छदेत्वा जन्ताघरं पविसितब्बं ।

न थरे भिक्खू अनुपखज्ज निसीदितब्बं, न नवा भिक्खू आसनेन पटिवाहेतब्बा । जन्ताघरे उपज्झायस्स परिकम्मं कातब्बं, जन्ताघरा निक्खमन्तेन जन्ताघरपीठं आदाय पुरतो च पच्छतो पटिच्छदेत्वा जन्ताघरा निम्बमित्तब्बं । उदकेपि उपज्झायस्स परिकम्मं कातब्बं, नहातेन पठमतरं उतरित्वा अत्तनो गत्तं बोदकं कत्वा निवासेत्वा उपज्झायस्स गत्ततो उदकं पमज्जितब्बं निवासनं दातब्बं, सङ्घाटि दातब्बा, जन्ताघरपीठं आदाय पठमतरं आगन्त्वा आसनं पज्जापेतब्बं, पादोदकं पादपीठं पादकथलिकं उपनिक्खिपितब्बं, उपज्झायो पानीयेन पुच्छितब्बो । सचे उद्दिसापितुकामो होति उद्दिसापेतब्बो । सचे परिपुच्छितुकामो होति परिपुच्छितब्बो । यस्मिं विहारे उपज्झायो विहरति सचे सो विहारो उक्लापो होति सचे उस्सहति सोधेतब्बो । विहारं सोधेन्तेन पठम

NOTES

पत्तचीबरं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बं, निसीदनपच्चत्थरणं नीहरित्वा । एकमन्तं निक्खिपितब्बं । मश्रो नीचं कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन, असंघट्टन्तेन कवाटपिट्ठं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बो । पीठं नीचं कत्वा साधुकं अपटिघंसन्तेन, असंघट्टन्तेन कवाटपिट्ठं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बं । मश्रुपटिपादका नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बा । ,खेळपल्लका नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बो । अपस्सेनफलकं नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बं । भुम्मत्थरणं यथापञ्जत्तं सल्लक्खेत्वा नीहरित्वा एकमन्तं निक्खिपितब्बं । सचे विहारे सन्तानकं होति उल्लोका पठमं ओहारेतब्बं, आलोकसन्धिण्णभागा पमज्जितब्बा । सचे गरुपरिकम्मकता भित्ति कण्हाकिता होति चोळकं तेमेत्वा पीलेत्वा पमज्जितब्बा । सचे कालवण्णकता भूमि कण्णकिता होति चोलकं तेमेत्वा पीलेत्वा पमज्जितब्बा सचे अकता होति भूमि उदकेन परिप्फोसित्वा सम्मज्जितब्बा—मा विहारो रजेन ऊहइजीति । संकारं विचिन्त्वा एकमन्तं छड्ढेतब्बं ।

—विनय-पिटक

संस्कृत अनुवाद

संम्यक् आवर्तना

सहविहारवेण भिक्षवः, उपाध्याये सभ्यगावर्तितव्यम् । तत्रेयं सम्यगावर्तनाकाले एवोत्थायोपानहाववमुच्चैकांसे उत्तरासगं कृत्वा दन्तकाण्ठं दातव्यम्, मुखोदकं दातव्यमासनं प्रज्ञापयितव्यम् । चेद् यवागूः भवति, भाजनं धावित्वा यवागूरूपनामयितव्या । यवागूं पीताय उदकं दत्त्वा भाननं प्रतिगृह्य नीचैः कृत्वा साधुकमपरिघर्षितेन धावित्वा प्रतिशमयितव्यम् । उपाध्याये उत्थिते आसनसुद्धर्तव्यम् । चेत् स देश उत्क्लापो भवति स देशः सम्मार्जयिव्यः । चेदुपाध्यायः ग्रामं प्रवेष्टुकामो भवति निवासनं प्रतिगृहीतव्यम्, कायबन्धनं दातव्यम्, सगुणं कृत्वा संघाटिका वातव्या, धावित्वा सोदकं पात्रं दातव्यम् । चेदुपाध्यायः पश्चात् श्रमणमाकांक्षते त्रिमण्डलं प्रतिच्छादयता परिमण्डलं निवास्य, कायबन्धनं वध्वा, सगुणं कृत्वा संघाटिकाः प्रारोप्य ग्रन्थिकां प्रतिमुच्य, धावित्वा पात्रं गृहीत्वोपाध्यायस्य पश्चात् श्रमणेन भवितव्यम् । नातिदूरे गन्तव्यम् पात्रपर्यापन्नं प्रतिगृहीतव्यम् । नोपाध्यायस्य भणतः अन्तरान्तरा कथावपालयितव्या । उपाध्याय आपत्तिसामन्तैः भणन् निवारयितव्यः । निवर्तयता प्रथमतरमागत्यासनं प्रज्ञापयितव्यम्, पादोदकं पादपीठं पादकन्थारिकोपनिक्षेप्तव्या, प्रत्युदगम्य पात्रचीवरे परिगृहीतव्ये । चेत् चीवरं स्विन्नं भवति मुहूर्त्तमुष्णे अवतापयितव्यम् न चोष्णे चीवरं निदग्धव्यम् । चीवरं संहर्तं यम्, चीवरं संहरता चतुरंगुलं कर्णमुत्सार्य चीवरं संहर्तव्यम् मा मध्ये भंगोऽभूदिति । अवभोगे कायबन्धनं कर्तव्यमिति । चेत् पिण्डपातो भवत्युपाध्यायश्च भोक्नुकामो भवत्युदकं दत्त्वा पिण्डपात उपनामयितव्यः । उपाध्यायः पानीयेन प्रष्टव्यः, मुक्तावाप्यस्मै उदकं दत्त्वा पात्रं प्रतिगृह्य नीचैः कृत्वा साधुकमपरिघर्षितेन धावित्वा व्युदकं कृत्वा मुहूर्त्तमुष्णेऽवतापयिव्यम् न चोष्णे पात्रं दिग्धव्यम् । पात्रचीवरे निक्षेप्तव्ये, पात्रं निक्षिपतैकेन हस्तेन पात्रं गृहीत्वैकेन हस्तेनाधस्तात् मञ्चस्य वा अधस्तात् पीठस्य वा परामृश्य पात्रं निक्षेप्तव्यम्, न च अनन्तहितायां भूमौ पात्रं निक्षेप्तव्यम् । चीवरं निक्षिपतैकेन हस्तेन चीवरं गृहीत्वैकेन हस्तेन चीवरांशं वा चीवररज्जुं वा प्रमृज्य पारतः अन्तमवरतः भोगं कृत्वा चीवरं निक्षेप्तव्यम् । उपाध्याये उत्थिते आसनसुद्धर्तव्यम्, पादोदकं पादपीठं पादकन्थारिका प्रतिशमयितव्या । चेत् स देश उत्क्लापो भवति स देशः सम्मार्जितव्यः । चेदुपाध्यायः सनातुकामो भवति स्नानं प्रत्यादातव्यम् । चेत् शीतेनार्थो भवति शीतं प्रत्यादातव्यम्, चेत् उष्णेनार्थो भवत्युष्णं प्रत्यादातव्यम् । चेदुपाध्यायो यन्त्रगृहं प्रवेष्टुकामो भवति चूर्णं सन्नेतव्यम्, मृत्तिका तेमयितव्या, यन्त्रगृहपीठमा-दायापाध्यायास्य पृष्ठतः पृष्ठतो गत्वा यन्त्रगृहपीठं दत्त्वा चीवरं प्रतिगृह्यैकान्ते निक्षेप्तव्यम्, चूर्णं दातव्यम्, मृत्तिका

दातव्या। चेदुत्सहते यन्त्रगृहं प्रवेष्टव्यम्, यन्त्र गृहं प्रविशता मृत्तिकया मुखं मृक्षित्वा पुरतश्च प्रतिच्छाद्य यन्त्रगृहं प्रवेष्टव्यम्।

न स्थविरान् भिक्षूननुपभुज्य निषीदितव्यम्, न नवा भिक्षवः आसनात् प्रतिवाहयितव्याः। यन्त्रगृहे उपाध्यायस्य परिकर्म कर्त्तव्यम्, निष्क्रमता सन्त्रगृहपीठमादाय पुरतश्च प्रतिच्छाद्य यन्त्रगृहान् निष्क्रमितव्यम्। उदकेऽप्युपाध्यायस्य परिकर्म कर्त्तव्यम्, स्नातेन प्रथमतरमुत्तीत्मनो गात्रं व्युदकं कृत्वा निवास्योपाध्यायस्य गात्रस्य उदकं प्रमार्ष्टव्यम्। निवसनं दातव्यम्, सघाटिक दातव्या। यन्त्रगृहपीठमादाय प्रथमतरमागत्यासनं प्रज्ञापयितव्यम् पदोदकं पीदपीठं पादकन्धारिकोपनिक्षेप्तव्योपाध्यायः पानीयेन प्रष्टव्यः। चेदुद्देशयिनुकामो भवत्युद्देशयितव्यः, चेत् परिप्रष्टुकामो भवति, परिप्रष्टव्यः। यस्मिन् विहारे उपाध्यायो दिहरति चेत् स विहारः उत्कलापो भवति, चेदुत्सहते शोधयितव्यः। विहारं शोधयता प्रथमं पात्र चीवरं निर्हृत्यैकान्ते निक्षेप्तव्यम्, निषोदनप्रत्यस्तरण निर्हृत्यैकान्ते निक्षेप्तव्यम्। मञ्चो नीचैः कृत्वा साधुकमपरिघर्षितेन असंघट्टता कपाटपृष्ठम् निर्हृत्यैकान्ते निक्षेप्तव्यम्। पीठं नीचैः कृत्वा साधुकमपरिघर्षितेन संघट्टता कपाटपृष्ठम् निर्हृत्यैकान्ते निक्षेप्तव्यम्। मश्रुप्रतिपादकाः निर्हृत्यैकान्ते निक्षेप्तव्याः, क्ष्वेडमल्लकः निर्हृत्यैकान्ते निक्षेप्तव्यः अपश्रयणफलकं निर्हृत्यैकान्ते निक्षेप्तव्यम्, भूम्यास्तारणं यथाप्रज्ञप्तं संलक्ष्य निर्हृत्यैकान्ते निक्षेप्तव्यम्। चेद् विहारे सन्तानकं भवति उल्लोकेन प्रथममवहरितव्यम्। आलोकसन्धिकर्णभागाः प्रमार्ष्टव्याः। चेद् गैरिकपरिकर्मकृता भित्तिः कृष्णकृता भवति तेमयित्वा पीडयित्वा प्रमार्ष्टव्या। चेदकृता भवति भूमिः उदकेन परिप्रुष्य सम्मार्ष्टव्या-मा विहारः रजसोद्धन्येतेति। सकारं विचित्यैकान्ते छर्दितव्यम्।

NOTES

हिन्दी अनुवाद

सम्यक् आचरण

हे भिक्षुओ, (उपाध्याय के) साथ-साथ (रहते हुए आप लोगों को) उपाध्याय के प्रति ऐसा आचरण करना चाहिए। वह आचरण (सम्यगावर्त्तना) इस प्रकार है—समय के भीतर ही उठकर उपानह को अलग करके उत्तरासंग को एक कन्धे पर कर, दातौन देना चाहिए, मुँह धोने के लिए जल देना चाहिए और आसन बताना चाहिए। यदि यवागू है तो पात्र को धोकर यवागू लानी चाहिए। यवागू पी लेने के बाद उन्हें जल देकर पात्र को लेकर नीचे कर भलीभाँति, बिना अधिक रगड़े, धोकर व्यवस्थित रख देना चाहिए। उपाध्याय के उठने पर (उनका) आसन उठा देना चाहिए। यदि वह प्रदेश अस्वच्छ हो गया हो तो उसे झाड़ू-पोंछ देना चाहिए। यदि उपाध्याय गाँव में प्रवेश करना चाहते हैं तो (उन्हें उनके) वस्त्र दे देने चाहिए। (उनके) पहने हुए कपड़ों को ले लेना चाहिए, कायबन्धन दे देना चाहिए, रस्सी के साथ करके संघाटिका देनी चाहिए, धोकर जल-सहित पात्र देना चाहिए, यदि उपाध्याय अपने साथ एक श्रमण ले जाने की इच्छा करें तो त्रिमण्डल को ढकनेवाले परिमण्डल में निवास करके, कायबन्धन को बाँधकर रस्सी सहित संघाटिका का आरोपण करके (पहले से) लगी गाँठ को छोड़कर शुद्ध पात्र साथ लेकर उपाध्याय के पीछे-पीछे श्रमण को भी अनुसरण करना चाहिए। उपाध्याय जब बोल रहे हों (तब) बीच में दूसरी बात नहीं लानी चाहिए। यदि उपाध्याय अनभीप्सित व्यक्तियों से बात करते हों तो निवारण करना चाहिए। लौटते समय पहले ही आकर आसन बताना चाहिए, पैर धोने को जल देना चाहिए, पादपीठ बताना चाहिए और तौलिया समर्पित करनी चाहिए। उठकर (उपाध्याय के) पात्र तथा चीवर सम्भाल लेना चाहिए। यदि उपाध्याय का चीवर भीगा हो तो क्षणभर धूप में सुखा देना चाहिए (किन्तु) धूप में वस्त्र को जलने नहीं देना चाहिए। चीवर को बटोर लेना चाहिए, चीवर बटोरते समय चार अँगुलियों से चौकोर कर लेना चाहिए (चपोत देना

चाहिए) मध्य में फट न जाये इसलिये उसमें (चीवर में) कायबन्धन कर देना चाहिए। यदि भिक्षुपात्र में भोजन सामग्री हो और उपाध्याय भोजन करने की इच्छा करें तो जल देकर भोजन-सामग्री उनके पास लानी चाहिए। (बीच-बीच में) उपाध्याय से जल के लिए पूछना चाहिए। भोजन कर लेने के बाद उन्हें जल देकर सुखाकर थोड़ी देर धूप में उसे सुखाना चाहिए (किन्तु) धूप में पात्र को जलने नहीं देना चाहिए। पात्र को पकड़कर दूसरे हाथ से मञ्च या पीठ के नीचे देख-भालकर पात्र रखना चाहिए, नंगी पृथ्वी पर पात्र नहीं रखना चाहिए। चीवर को रखते हुए एक हाथ से चीवर को पकड़कर दूसरे हाथ से चीवर के एक प्रदेश को या चीवर की रस्सी को रगड़कर (बराबर कर) बाहर से भीतर की तरफ मोड़कर (चपोत कर) रख देना चाहिए।

उपाध्याय के उठने पर (उनके) आसन को उठा देना चाहिए। पादोदक, पादपीठ, तौलिया व्यवस्थित रख देना चाहिए। यदि वह प्रदेश अस्वच्छ हो गया हो तो झाड़-पोंछ देना चाहिए। यदि उपाध्याय नहाने की इच्छा करें तो स्नान करा देना चाहिए, यदि उन्हें शीतल जल का प्रयोजन हो तो शीतल जल ला देना चाहिए और यदि गरम जल का प्रयोग हो तो गरम जल ला देना चाहिए। यदि उपाध्याय यन्त्रगृह में प्रवेश करना चाहते हैं तो चूर्ण (मिट्टी) ले आना चाहिए, मिट्टी भिगो देनी चाहिए, यन्त्रगृह पीठ को ले आकर उपाध्याय के पीछे-पीछे जाकर यन्त्रगृहपीठ को देकर चीवर लेकर एकान्त में रख देना चाहिए, चूर्ण देना चाहिए, मृत्तिका देनी चाहिए। यदि उपाध्याय यन्त्रगृह में प्रवेश करने की आज्ञा दें तो यन्त्रगृह, प्रवेश करते हुए मिट्टी से मुँह धोकर (यन्त्रगृह को) आगे तथा पीछे से बन्द कर यन्त्रगृह में प्रवेश करना चाहिए।

स्थविर भिक्षुओं का अनादर कर नहीं बैठना चाहिए, नये भिक्षुओं को भी आसन से नहीं हटाना चाहिए। यन्त्रगृह में उपाध्याय का परिकर्म करना (व्यवस्था करनी) चाहिए। उपाध्याय के स्नान के समय भी उनसे पूर्व ही निकलकर अपने शरीर को सुखाकर, वस्त्र पहनकर उपाध्याय के शरीर से जल पोंछ देना चाहिए, वस्त्र दे देना चाहिए, संघाटिका देनी चाहिए, यन्त्रगृहपीठ को लेकर पहले ही आकर आसन बता देना चाहिए। पादोदक, पादपीठ और तौलिया रख देनी चाहिए, उपाध्याय को पानी के लिए पूछना चाहिए। यदि वह कुछ (निर्देश) करना चाहें तो उस निर्देश को सुनना चाहिए, यदि वह कुछ पूछना चाहें तो उन्हें पूछने देना चाहिए। जिस विहार में उपाध्याय विहार कर रहे हों, यदि वह विहार अस्वच्छ हो तो उसे स्वच्छ कर देना चाहिए। विहार को स्वच्छ करते हुए सर्वप्रथम पात्र और चीवर को देखकर एक तरफ रख देना चाहिए। बैठने के आसन को देखकर एक तरफ रख देना चाहिए। मञ्च को नीचे करके भलीभाँति बिना अधिक रगड़े व कपाटपृष्ठ को न खटखटाते हुए, देखकर एक तरफ रख देना चाहिए। मञ्च प्रतिपादकों को देखकर एक तरफ रख देना चाहिए। पीकदान को भलीभाँति देखकर एक तरफ रख देना चाहिए, तकिया को भलीभाँति देखकर (उसे) एक तरफ रख देना चाहिए। पृथ्वी पर बिछाने के बिस्तर को यथास्थान सँभालकर भलीभाँति देखकर एकान्त में रख देना चाहिए। यदि विहार में (कहीं) जाले आदि हों तो सर्वप्रथम पोंछनेवाले कपड़े से उसे (जाले को) पोंछ देना चाहिए। (विहार के) झरोखों में लगे हुए गन्दे पदार्थों को साफ कर देना चाहिए। यदि गेरु के परिकर्म (कपड़ा आदि रँगने) के कारण दीवाल अस्वच्छ हो जाय तो कपड़े को भिगोकर तथा निचोड़कर (उससे) पोंछ देना चाहिए। यदि काले वर्ण से भूमि अस्वच्छ हो जाय तो कपड़े को भिगोकर उससे भूमि को पोंछ देना चाहिए। यदि भूमि में किसी प्रकार का धब्बा आदि हो तो जल छिड़ककर सम्मार्जन कर देना चाहिए, विहार को धूल-धूसरित नहीं करना चाहिए (झाड़े हुए) कूड़े को एकत्र कर एक तरफ फेंक देना चाहिए।

2. सम्मादिट्ठ

सावत्थियं विहरित। अख खो आयस्मा कच्चायनगोत्तो येन भगवा तेनु पसंकमि, उपसंकमित्वा भगवन्तं अभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिन्नो खो आस्मा कच्चायनगोत्तो भगवन्तं एतदवोच-सम्मादिट्ठि सम्मादिट्ठीति भन्ते वुच्चति, किन्तावता नु खो भन्ते सम्मादिट्ठि होतीति ? द्वयं निस्सितो खो, यं कच्चायनलोको येभुय्येन—अत्थितज्जेव नत्थितञ्च। लोक समुदयं खो कच्चायन यथाभूतं सम्मप्पज्जाय पस्सतो या लोके नत्थिता सा न होति, लोकनिरोधं खो कच्चायन यथाभूतं सम्मप्पज्जाय पस्सतो या लोके अत्थिता सा न होति। उपायुपादानाभिनिवेशनिबन्धो खो, यं कच्चायन लोको येभुय्येन—तञ्जायं 'उपायुपादानं चेतसो अधिद्वानाभिनिवेशानुसयं न उपेति न उपादियति नाधिद्वीति' अत्ता मेति; दुक्खं एवं उप्पज्जमानं उप्पज्जति, दुक्खं निरुज्जमानं निरुज्जतीति' न कखति, न विचिकिच्छति, अपरप्पच्चया जाणं एवस्स एत्थ होति, एतावता खो कच्चायत सम्मादिट्ठि होति। 'सब्बं अत्थीति' खो कच्चायन अयं एको अन्तो, 'सब्बं नत्थीति, अयं दुतियो अन्तो, एते ते कच्चायन उभो अन्ते अनुपगम्मं मज्जेन तथागतो धम्मं देसेति—अविज्जापच्चया संखारा, संखारप्पच्चया विज्जाणं पे. —एवं एतस्य केवलस्य दुक्खकखन्धस्स समुदयो होति, अविज्जाय त्वेव असेसविरागनिरोधा संखारनिरोधो, संखारनिरोधा विज्जाणनिरोधो—पे. —एवं एतस्य केवलस्स दुक्खकखन्धस्स निरोधो होतीति।

—संयुक्त निकाय

संस्कृत अनुवाद

सम्यक् दृष्टि

श्रावस्त्यां विहरति। अथ खल्वायुष्मान् कात्यायन गोत्रः यत्र भगवान् तत्रोपसमकमीत्, उपसङ्क्रम्य भगवन्तमभिवाद्यैकस्मिन् अन्ते न्यसीदत्। एकस्मिन् अन्ते निषण्णः खल्वायुष्मान् कात्यायनगोत्रो भगवन्तमेतदवोचत्—सम्यग्दृष्टिः सम्यग्दृष्टिरिति भदन्त उच्यते, किं तावद् खलु भदन्त सम्यग्दृष्टिः भवतीति? द्वयं निश्रितः खल्वयं कात्यायन। लोकः यद्भूयसा—अस्तितज्जैव नास्तितज्ज। लोकसमुदयः खलु कात्यायन। यथाभूतं सम्प्रज्ञया पश्यतो या लोके नास्तिता स न भवति, लोकनिरोधखलु कात्यायन। यथाभूतं सम्प्रज्ञया पश्यतो या लोके अस्तिता सा न भवति। उपायोपादानाभिनिवेशनिबन्धः खल्वयं कात्यायन। लोकः यद्भूयसा—तच्चायमुपायोपादानं चेतसोऽधिद्वानाभिनिवेशानुशयं तोपैति नोपादत्ते नाधितिष्ठति आत्मा ममेति, दुःखमेवोत्पद्यमानमुत्पद्यते। दुःखं निरुध्यमानं निरुध्यते इति न काङ्क्षति न विचिकित्सति। अपरप्रत्य याज्ज्ञानमेवास्य भवति। एतावता खलुकात्यायन। सम्यग्दृष्टि भवति। 'सर्वमस्तीति' खलु कात्यायन। अयमैकोऽन्तः, 'सर्वं नास्तीति' अयं द्वितीयोऽन्तः। एतौ तो कात्यायन! उभावन्तवनुपगम्य मध्येन तथागतः धर्मं विशति—अविद्याप्रत्यायात्संस्काराः, संस्कारप्रत्याद् विज्ञानं.....एवमेतस्य केवलस्य दुःखस्कन्धस्य समुदयो भवति, अविद्यायास्त्वेवाशेषविरागनिरोधात् संस्कारनिरोधः, संस्कारनिरोधाद् विज्ञाननिरोधः—एवमेतस्य केवलस्य दुःखस्कन्धस्य निरोधो भवति।

हिन्दी अनुवाद

(जिस समय) तथागत श्रावस्ती में विहार कर रहे थे, आयुष्मान् कात्यायनगोत्र जहाँ भगवान् थे, वहीं गये। (वहाँ) जाकर भगवान् को अभिवादन करके एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्

NOTES

कात्यायनगोत्र ने भगवान् से यह कहा—भन्ते, सम्यग्दृष्टि ऐसा कहा जाता है; भन्ते! सम्यग्दृष्टि क्या होती है? हे कात्यायन! यह लोक जिस किसी को आस्तिकता और नास्तिकता कहता है, वे दोनों लोक-दृष्टि हैं।

NOTES

यदि यथार्थ-रूप में लोक को उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाय, तो नास्तिकता का बोध सही नहीं है और इसी तरह यदि लोक में नाश दृष्टि से देखा जाय तो आस्तिकता का बोध सही नहीं है।

हे कात्यायन! उपायोपादानमय यह संसार या तो प्राप्त करने में लगा रहता है या प्राप्त किये हुए को स्थिर करने के आग्रह से बँधा रहता है। इस प्रकार मनुष्य, इस उपायोपादानमय संसार को, जो उसके चित्त में आग्रह का अधिष्ठान करता है, न तो प्राप्त करता है न ग्रहण करता है; न उनमें अधिष्ठित ही रहता है। वह अपना तादाम्य इनसे नहीं कर पाता। केवल (इनसे) दुःख ही उत्पन्न होता है, इसी को उत्पन्न होना कहते हैं। दुःख ही विनष्ट होता है, इसी को निरोध कहते हैं। वह स्वयं न तो इच्छा करता है, न सन्देह करता है। इस प्रकार की लोकातीत प्रज्ञा से देखो तो जो ज्ञान होता है, उसे सम्यग्दृष्टि कहते हैं। सब कुछ अस्तित्वशाली है—दृष्टि का यह एक छोर है, सब कुछ विनाशशील है—यह दूसरा छोर। इन दोनों छोरों पर न जाकर, हे कात्यायन, तथागत बीच के मार्ग से धर्म का उपदेश करते हैं— अविद्या को पाकर संस्कार, संस्कार को पाकर विज्ञान और इसको पाकर दुःख संस्कार की प्रतीति होती है। सब प्रकार से वैराग्य के द्वारा अविद्या के निरोध से संस्कार का निरोध, संसार के निरोध से विज्ञान का निरोध और इस प्रकार दुःख के निरोध (विनाश) की प्रतीति होती है।

3. धम्मपदसंग्रहो

न हि वेरेन वेरानि सम्मन्तीध कुदाचननं ।

अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनो ॥ 5 ॥

यथा अगारं सुच्छभं वुट्ठि न समतिविज्जति ।

एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविज्जति ॥ 14 ॥

इध नन्दति, पेच नन्दति, कतपुज्जो उभयत्थ नन्दति ।

‘पुज्जं मे कतं’ ति नन्दति, भिय्यो नन्दति सुग्गतिं गतो ॥ 18 ॥

अचिरं वत, यं कायो पठविं अधिसेस्सति ।

छुद्धो अपेतविज्जाणो निरत्थं व कलिङ्गरं ॥ 41 ॥

यथापि भमरो पुप्फं वण्णगन्धं अहेठयं ।

पलेति रंस आदाय एवं गामे मुनी चरे ॥ 49 ॥

दीघा जागरतो रत्ती, दीघं सन्तस्स योजनं ।

दीघं बालानं संसारो, सद्धम्मं अविजानतं ॥ 60 ॥

न हि पापं कतं कम्म सज्जु खीरं व मुच्चति ।

डहन्तं वालं अन्वेति भस्माच्छत्रो व पावको ॥ 71 ॥

उदकं नयन्ति नेत्तिका, उसुकारा नमयन्ति तेजनं ।

दारं नमयन्ति तच्छका, अत्तानं दमयन्ति पण्डिता ॥ 80 ॥

सेलो यथा एकघनो वातेन स समीरति ।

एवं निन्दापसंसेसु न समिञ्जन्ति पण्डिता ॥ 81 ॥

यो सहस्सं सहस्सेन सङ्ग मे मानुसे जिने ।
 एकञ्च येय्यमत्तानं स वे सङ्गामजुत्तमो ॥ 103 ॥
 परिजिण्णं इदं रूपं रोगनिड्डं पभङ्गणं ।
 भिज्जति पूतिसन्देहो मरणन्तं हि जीवितं ॥ 148 ॥
 एक धम्मं उतीतस्स मुसावादिस्स जन्तुनो ।
 वितिण्णपरलोकस्य नत्थि पापं अकारियं ॥ 176 ॥
 यो च बुद्धञ्च धम्मञ्च सङ्गञ्च स्सरणं गतो ।
 चत्तारि अरियसच्चानि सम्पप्पञ्जाव पस्सति ॥ 190 ॥
 दुक्खं दुक्खसमुप्पादं दुक्खस्स च अतिककमं ।
 अरियञ्चट्ठङ्गिकं मग्गं दुक्खूपसमगानिं ॥ 191 ॥
 एतं खो सरणं खेमं एतं सरणमुत्तमं ।
 एतं सरणमागम्म सब्बुक्खा पमुच्चति ॥ 192 ॥
 मा पियेहि समागञ्छि अप्पियेहि कुदाचनं ।
 पियानमदस्यं दुक्खं अप्पियानञ्च दस्सनं ॥ 210 ॥
 यो वे उप्पतितं कोधं रथं भन्तं व धारये ।
 तमहं सारथि ब्रूमि रस्मिग्गाहो, तरो जनो ॥ 222 ॥
 अयसा वमलं समुट्ठितं, तदुपट्ठय तमेव खादति ।
 एवं अतिधोनचारिनं, सककम्मानि नयति दुग्गतिं ॥ 240 ॥
 सुदस्सं वज्जं अज्जेसं अत्तनो पन दुद्दसं ।
 परेसं हि सो वज्जानि ओपुनाति यथा भुसं ।
 अत्तनो पन छादेति कलिं व कितवा सठो ॥ 252 ॥
 न तेत भिक्खु भवति यावता भिक्खते परे ।
 विस्सं सम्मं समादाय भिक्खु होति न तावता ॥ 266 ॥
 योध पुज्जञ्च पापञ्च बाहित्वा ब्रद्धचरियवा ।
 संखाय लोके चरति स वे भिक्खु ति वुच्चति ॥ 267 ॥
 'सब्बे संखारा अनिच्चा' ति यदा पज्जाय पस्सति ।
 अथ निब्बिन्दती दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 277 ॥
 'सब्बे संखारा दुक्खा' ति यदा पज्जाय पस्सति ।
 अथ निब्बिन्दती दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 278 ॥
 'सब्बे धम्मा अनत्ता' ति यदा पज्जाय पस्सति ।
 अथ निब्बिन्दती दुक्खे, एस मग्गो विसुद्धिया ॥ 279 ॥
 सेय्यो अयोगुळो भुत्तो तत्तो अग्गिसिखूपमो ।
 यञ्चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो रठ्ठपिण्डं अस्सज्जतो ॥ 308 ॥
 दिवा तपति आदिच्चो, रत्तिं आभाति चन्दिमा ।

NOTES

सन्नद्धो खत्तिपो तपति, ज्ञायी तपति ब्राह्मणो ।
 अथ सब्बं अहरोत्तिं बुद्धो तपति तेजसा ॥ 387 ॥
 न जटाहि न गोत्तेन न जच्चा होति ब्राह्मणो ।
 यम्हि सच्चं च धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥ 393 ॥
 किं ते जटाहि दुम्मोध, किं ते अजिनसाटिया ।
 अब्भन्तरं ते गहनं, बाहिरं परिमज्जसि ॥ 394 ॥
 पंसुकूलधरं जन्तुं किसं धमनिसन्थतं ।
 एक वनस्मिं ज्ञायन्तं तमहं ब्रूमि ब्राह्मणं ॥ 395 ॥

—खुद्दकनिकाय

संस्कृत अनुवाद

धर्मपद संग्रहः

नहि वैरेण वैराणि शाम्यन्तीह कदाचन् ।
 अवैरेण च शाम्यन्त्येष धर्मः सनातनः ॥ 5 ॥
 यथागारं सुच्छन्नं वृष्टिर्न समतिविध्यति ।
 एवं सुभावितं चित्तं रागो न समतिविध्यति ॥ 14 ॥
 इह नन्दति प्रेत्य नन्दति कृतपुण्यः उभयत्र नन्दति ।
 पुण्यं मे कृतमिति नन्दति भूयो नन्दति सुगतिं गतः ॥ 18 ॥
 अचिरं बतायं कायः पृथिवीमधिशेष्यते ।
 क्षुद्रोऽपेतविज्ञानो निरुर्थमिव कलिङ्गरम् ॥ 41 ॥
 यथापि भ्रमरः पुष्पं वर्णनन्धमहेडमानः ।
 पलायते रसमादाय एवं ग्रामे मुनिश्चरेत् ॥ 49 ॥
 दीर्घा जाग्रतो रात्रिः दीर्घा श्रान्तस्य योजनम् ।
 दीर्घो बालानां संसारः सद्धर्ममविजानताम् ॥ 60 ॥
 न हि पापं कृतं कर्म सद्यः क्षीरमिव मुञ्चति ।
 दहन् बालमन्वेति भस्माच्छन्न इव पावकः ॥ 71 ॥
 उदकं हि नयन्ति नेतृकाः इषुकाराः नमयन्ति तेजनम् ।
 दारुं नमयन्ति तक्षका आत्मानं दमयन्ति पण्डिताः ॥ 80 ॥
 शैलो यथैकघनो वातेन न समीर्यते ।
 एवं निन्दाप्रशंसासु न समीर्यन्ते पण्डिताः ॥ 81 ॥
 यः सहस्रं सहसेण संग्रामे मानुषान् जयेत् ।
 एकश्च जयेदात्मानं स वै संग्रामजिदुत्तमः ॥ 103 ॥
 परिजीर्णमिदं रूपं रोगनीडं प्रभङ्गुरम् ।
 भिद्यते पूतिः सन्देहो मरणान्तं हि जीवितम् ॥ 148 ॥
 एकं धर्ममतीतस्य मृषावादिनो जन्तोः ।
 वितीर्णपरलोकस्य नास्ति पापकार्यम् ॥ 176 ॥

यश्च बुद्धञ्च धर्मञ्च संघञ्च शरणं गतः।
 चत्वार्यार्यसत्यानि सम्यक् प्रज्ञया पश्यति ॥ 190 ॥
 दुःखं दुःखसमुत्पादं दुःखस्य चातिक्रमम्।
 आर्याष्टांगिकं मार्गं दुःखोपशमगामिनम् ॥ 191 ॥
 एतत् खलु शरणं क्षेममेतच्छरणमुत्तमम्।
 एतच्छरणमागत्य सर्वदुःखात् प्रमुच्यते ॥ 192 ॥
 मा प्रियैः समागच्छप्रियैः कदाचन।
 प्रियाणामदर्शनं दुःखमप्रियाणञ्च दर्शनम् ॥ 210 ॥
 यो वे उत्पतितं क्रोधं रथं भ्रान्तमिव धारयेत्।
 तमहं सारथिं ब्रवीमि रश्मिग्राह इतरो जनः ॥ 222 ॥
 अयस इव मलं समुत्थितं तत उत्थाय तदेव खादति।
 एवमतिधावनचारिणं स्वानि कर्माणि नयन्ति दुर्गतिम् ॥ 240 ॥
 सुदर्शमवद्यमन्येषामात्मनः पुनः दुर्दर्शम्।
 परेषां हि सोऽवद्यानवपुनाति यथा बुसम्।
 आत्मनः पुनः छादयति कलिमिव कितवः शठः ॥ 252 ॥
 न तावता भिक्षु भवति यावता भिक्षते परान्।
 वेष्यं धर्म समादाय भिक्षुर्भवति न तावता ॥ 266 ॥
 य इह पुण्यञ्च पापञ्च वाहयित्वा ब्रह्मचर्यवान्।
 संख्याय लोके चरति स वं भिक्षुरित्युच्यते ॥ 267 ॥
 सर्वे संस्काराः अनित्या इति यदा प्रज्ञया पश्यति।
 अय निर्विन्दति दुःखान्येष मार्गो विशुद्धेः ॥ 277 ॥
 सर्वे संस्काराः दुःखा इति यदा प्रज्ञया पश्यति।
 अथ निर्विन्दति दुःखान्येष मार्गो विशुद्धेः ॥ 278 ॥
 सर्वे संस्काराः अनात्मानः इति यदा प्रज्ञया पश्यति।
 अथ निर्विन्दति दुःखान्येष मार्गो विशुद्धेः ॥ 279 ॥
 श्रेयान् अयोगोलो भुक्तस्तप्तोऽग्निशिखोपमः।
 यश्चेद्भुञ्जीत दुःशीलः राष्ट्रपिण्डमसंयतः ॥ 308 ॥
 दिवा तपत्यादित्यः रात्रावाभाति चन्द्रमाः।
 सन्नद्धः क्षत्रियस्तपति ध्यायी तपति ब्राह्मणः।
 अथ सर्वहोरात्रं बुद्धस्तपति तेजसा ॥ 387 ॥
 न जटाभिर्न गोत्रेण जात्या भवति ब्राह्मणः।
 यस्मिन् सत्यञ्च धर्मश्च स शुचिः स च ब्राह्मणः ॥ 393 ॥
 किं ते जटाभिर्दुमेध ! किं तेऽजिनशाट्या
 अभ्यन्तरं ते गहनं ब्राह्मं परिमार्जयसि ॥ 394 ॥
 पांशुकूलधरं जन्तुं कुशं धमनिसंस्तृतम्।
 एकं वने ध्यायन्तं तमहं ब्रवीमि ब्राह्मणम् ॥ 395 ॥

NOTES

NOTES

5 ॥

वैर से वैर कभी शान्त नहीं होता है, (अपितु) अवैर (प्रेम) से ही शान्त होता है, यह सनातन धर्म है ॥

(कोई व्यक्ति) यहाँ आकर आनन्दित होता है (और कोई व्यक्ति) इस लोक से जाकर (भी) आनन्दित होता है किन्तु पुण्यवान् व्यक्ति दोनों जगह आनन्दित होता है। मैंने पुण्य किया है, ऐसा सोचकर (व्यक्ति) आनन्दित होता है तथा सुगति (निर्वाण) को प्राप्त कर व्यक्ति पुनः-पुनः आनन्दित होता है ॥

18 ॥

यह शरीर शीघ्र ही पृथ्वी पर सो जायेगा। यह विज्ञानरहित क्षुद्र शरीर कलिंगर की तरह निरर्थक है ॥

41 ॥

जिस प्रकार भौरा (निर्लिप्त होकर) फूल की गन्ध का अनादर न करता हुआ उसके रस को लेकर भाग (चला) जाता है, उसी प्रकार ग्राम में मुनि (निर्लिप्त भाव से) विचरण करे ॥ 42 ॥

जागनेवाले व्यक्ति के लिए रात्रि बड़ी होती है। थके हुए व्यक्ति के लिए एक योजन बहुत बड़ा होता है। सद्धर्म को न जानने वाले मूर्खों का संसार भी बहुत बड़ा होता है ॥ 60 ॥

दूध जैसे तुरत नहीं छोड़ता और जैसे राख से ढकी हुई आग बालक को जला देती है, वैसे ही किया गया पापकर्म व्यक्ति को (दूध की तरह) नहीं छोड़ता (और आग की तरह जला देता है) ॥ 71 ॥

(जिस तरह) जल को नाली ले जाती है, लोहार तेज (लोहे) को झुका देते हैं, बढई लकड़ी को झुका देते हैं। (उसी तरह) पण्डित लोग आत्मा का दमन करते हैं ॥ 80 ॥

जिस प्रकार अत्यन्त मोटा पर्वत वायु द्वारा नहीं हिलाया जाता है, उसी प्रकार निन्दा एवं प्रशंसा से पण्डित लोग विचलित नहीं होते हैं ॥ 81 ॥

जो संग्राम में हजार (व्यक्तियों) द्वारा हजार (व्यक्तियों) को जीतता है, यदि वह केवल अपने को जीत ले तो वही श्रेष्ठ संग्रामजित् है ॥ 103 ॥

यह रूप अत्यन्त जीर्ण, रोग का आगार, सर्वथा क्षणभंगुर, फोड़े-फुंसी आदि से सन्दिग्ध होकर भिन्न प्रकार का हो जाता है। यह जीवन भी तो मरण-पर्यन्त ही है ॥ 148 ॥

धर्म को अतिक्रमण करनेवाले, परलोक की चिन्ता से परे रहने वाले मृषावादी प्राणी के लिए पाप अकार्य नहीं है (वह पाप कर सकता है) ॥ 176 ॥

बुद्ध, धर्म एवं संघ के शरण गया हुआ जो व्यक्ति चार आर्य सत्त्यों को भलीभाँति प्रज्ञा से देखता है उस व्यक्ति के लिए दुःख, दुःखसमुदय, दुःखनिरोध, दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा एवं आर्याष्टांगिक मार्ग ही कल्याणकारी एवं श्रेष्ठ शरण हैं। वह इनकी शरण में आकर सभी दुःखों से मुक्त हो जाता है ॥ 190,

191, 192 ॥

प्रिय (लोगों) के साथ मत जाओ तथा अप्रियों के साथ कभी भी मत जाओ (क्योंकि) प्रिय (जनों) का न देखना एवं अप्रिय (लोगों) का देखना दुःखकर होता है ॥ 210 ॥

जो उठे (उत्पन्न) हुए क्रोध को भ्रान्त रथ की भाँति धारण कर लेता है, उसी को मैं सारथी मानता हूँ। अन्य लोग तो केवल रस्सी पकड़ने वाले हैं ॥ 222 ॥

लोहे से उठा हुआ मल (जंग) उसी से उठकर उसी को खा लेता है (नष्ट कर देता है इसी प्रकार अत्यन्त धावनचारी (भोजन, वस्त्र आदि की ही चिन्ता में रहने वाले) को अपने कर्म ही दुर्गति को पहुँचा देते हैं ॥ 240 ॥

(जो) दूसरों का निन्द्यकर्म अच्छी तरह देखता है तथा अपना निन्द्यकर्म कठिनता से देख पाता है, (ऐसा) शठ व्यक्ति काल की भाँति छल के द्वारा दूसरों के निन्द्यकर्मों को भूसे की तरह फैला देता है तथा अपना (निन्द्यकर्म) ढँक लेता है ॥ 242 ॥

दूसरे से भिक्षा माँगने से कोई भिक्षु नहीं होता है, सम्पूर्ण धर्मों को ग्रहण करके भी (कोई) भिक्षु नहीं होता है, (बल्कि) जो इस संसार में पुण्य एवं पाप को छोड़कर ब्रह्मचर्यवान् (होता है) तथा प्रारब्धवश इस संसार में विचरण करता है, वही भिक्षु कहा जाता है ॥ 266-267 ॥

सभी संस्कार अनित्य हैं, ऐसा जब बुद्धि से व्यक्ति देखता है तब दुःखों पर दुःख प्रकट करता है, यही विशुद्धि का मार्ग है ॥ 277 ॥

सभी संस्कार दुःखकारी हैं, इस प्रकार जब बुद्धि से व्यक्ति देखता है तब दुःखों पर दुःख प्रकट करता है, यही विशुद्धि का मार्ग है ॥ 278 ॥

सभी संस्कार अनात्म हैं, इस प्रकार जब बुद्धि से व्यक्ति देखता है तब दुःखों पर दुःख प्रकट करता है, यही विशुद्धि का मार्ग है ॥ 279 ॥

जो राष्ट्र के असंयत धन को खाता है, उसके लिए अग्नि की शिखा सदृश तप्त लौह-खण्ड को खा लेना श्रेयस्कर है ॥ 308 ॥

दिन में सूर्य तपता है, रात में चन्द्रमा चमकता है, (युद्ध में) सन्नद्ध क्षत्रिय तपता है और ध्यान में लीन रहनेवाला ब्राह्मण तपता है। परन्तु भगवान् बुद्ध अपने तेज से रात-दिन तपते हैं ॥ 387 ॥

न जटाओं से, न गोत्र से, न जाति से कोई ब्राह्मण होता है (किन्तु) जिसमें सत्य और धर्म रहता है, वही पवित्र है और वही ब्राह्मण है ॥ 393 ॥

हे दुर्मेध! तेरी जटाओं एवं काले मृगचर्म से क्या (लाभ) ? तुम्हारा हृदय तो गहन (काला) है और बाहरी रूप का परिमार्जन करते हो ॥ 394 ॥

धूलि-धूसरित, दुर्बल, धमनीमात्र निश्शेष एवं अकेले वन में ध्यान करने वाले प्राणी को मैं ब्राह्मण कहता हूँ। ॥ 395 ॥

NOTES

5. पालि संगहो (बुद्धसासनप्पसारं)

NOTES

1. महापजापतिगोतमीगाथा

बुद्धवीर नमो त्यथु, सब्बसत्तानमुत्तम ।
यो मं दुक्खा पमोचेसि, अञ्जञ्च बहुकं जनं ।।
सब्बदुक्खं परिञ्जातं, हेतुतण्हा विसोसिता ।
अरियंट्टगिको मग्गो, निरोधो फुसितो मया ।।।
माता पुत्तो पिता भाता अय्यिका च पुरे अहुं ।
यथाभुच्चं अजानन्ती, संसरी 'हं अनिब्बिसं ।।
दिट्ठो हि मे सो भगवा, अन्तिमोयं समुस्यो ।
विक्खीणो जातिसंसारो, न 'त्थि दानि पुनब्भवो ।।
आरब्धवीरिये पहितत्ते, निच्चं दळ्हपरक्कमे ।
समग्गे सावके पस्से, एसा बुद्धान वन्दना ।।
बहूनं बत अत्थाय, माया जनयि गोतमं ।
व्याधिमरणतुन्नानं दुक्खक्खन्धं व्यपानुदीति ।।

—थेरीगाथा

संस्कृत अनुवाद

बुद्ध! वीर ! नम इत्यस्तु सर्वसत्त्वानामुत्तम ।
यो मां दुःखात् प्रामुमुचदन्याञ्च बहुकान् जनान् ।।
सर्वदुःखं परिज्ञातं हेतुतृष्णा विशोषिता ।
आर्याष्टांगिको मार्गो निरोधः स्पष्टो मया ।।
माता पुत्रः पिता भ्रातार्यिका च पुरौऽभवम् ।
यथाभूतताम् अजानन्ती संसारेऽहमनिर्विशम् ।।
दृष्टो हि मे स भगवान् अन्तिमोऽयं समुच्छ्रयः ।
विक्षीणो जातिसंसारो नास्तीदानीं पुनर्भवः ।।
आरब्धवीर्ये प्रहितात्मनि नित्यं दृढपराक्रमे ।
समग्रश्रावके वश्यैषा बुद्धानां बन्दना ।

बहूनां बतार्थाय मायाजनीत् गोतमम् ।

पालिजातकावलिः

व्याधिमरणतुन्नानां दुःखस्कन्धं व्यपानुदत् ॥ •

हिन्दी अनुवाद

सम्पूर्ण प्राणियों में उत्तम हे बुद्ध! वीर! तुम्हें नमस्कार है, जिसने मुझे तथा अन्य बहुत लोगों को दुःख से मुक्त कर दिया। सब दुःख ज्ञात हो गये। हेतुभूत तृष्णा शुष्क कर दी गयी। मैंने आर्याष्टांगिक मार्ग और उसके निरोध का स्पर्श कर लिया है (जान लिया है), (मैं) माता, पुत्र, पिता, भ्राता और पत्नी पूर्वजन्म में हुई यथार्थ ज्ञान न होने के कारण मैंने संसार में प्रवेश किया।

उस भगवान् को मैंने देख लिया (समझ लिया) है। यही हमारे लिए उत्तम उन्नति है। जन्मरूपी संसार क्षीण हो गया, अब फिर से जन्म नहीं है। पराक्रमशाली आत्मसन्धान परायण, बलशाली और सम्पूर्ण श्रावकों के विषय में देखो, यह बुद्धों की वन्दना है।

बहुतों के प्रयोजन के लिए माया ने गौतम को पैदा किया, जिसने ब्याधि और मरण से पीड़ित लोगों के दुःखस्कन्ध को काट दिया।

2. मालुक्वपुत्त गाथा

मनुजस्स पमत्तचारिनो, तण्हा वड्ढति माळुवा विय ।

सो पलवती हुराहुरं, फलमिच्छं व वनस्मि वानरो । 1 ।

यं ऐसा सहती जम्मी, तण्हा लोके विसत्तिका ।

सोका तस्य पवड्ढन्ति, अभिवड्ढं व वीरणं । 2 ।

यो चे' तं सहती जम्मि, तण्हं लोके दुरच्चयं ।

सोका तम्हा पपतन्ति, उदविन्दु व पोक्खरा । 3 ।

तं वो वदामि भद्दं वो, यावन्तेत्थ समागता ।

तण्हाय मूळं खणथ, उसीरत्थो व वीरणं ।

मा वो नळं व सोतो व, मारो भज्जि पुनप्पुनं । 4 ।

करोथ बुद्धवचनं, खणो वे मा उपच्चगा ।

खणातीता हि सोचन्ति, निरयम्हि समप्पिता । 5 ।

पमादो रजो सब्बदा, पमादानुपतितो रजो ।

अप्पमादेन विज्जाय, अब्बहे सल्लं अत्तनो'ति । 6 ।

—थेरगाथा

NOTES

NOTES

मनुजस्य प्रमत्तचारिणः तृष्णा वर्धते मालुका इव ।

स प्लवते असोरसुं फलच्छिन्नैव वने वानरः ॥ 1 ॥

यं एषा सहते आल्मी तृष्णा लोके विषाक्तिका ।

शोकाः तस्य प्रवर्धन्ते, अभिवृद्धमिव वीरणम् ॥ 2 ॥

यश्चैतां सहते जाल्मी तृष्णां लोके दुरत्ययाम् ।

शोकाः तस्मात् प्रपतन्ति उदकबिन्दुरिव पुष्कारात् ॥ 3 ॥

तद् वो वदामि भद्रं वो यावन्तोऽत्र समागताः ।

तृष्णायः मूलं खनथ उशीरर्थमिव वीरणम् ।

मा वो नाडमिव स्रोत इव मारः भाङ्ङीत् पुनः पुनः ॥ 4 ॥

कुरुत बुद्धवचनं क्षणं वै मा उपात्यगात् ।

क्षणातीताः हि शोचन्ते निरये समर्पिताः ॥ 5 ॥

प्रमादो रजः सर्वदा, प्रमादानुपतितो रजः ।

अप्रमादेन, विद्यया आवृहेत् शल्यमात्मन इति ॥ 6 ॥

हिन्दी अनुवाद

प्रमादी व्यक्ति की तृष्णा मालुका (मालुका का एक प्रकार की अतिवर्धनशीलता है) की भाँति बढ़ती है। वह वन में फल चाहने वाले वानर की भाँति एक प्राण से दूसरे प्राण पर कूदता रहता है। (पुनः-पुनः जन्म लेता रहता है) ॥ 1 ॥

इस लोक में यह विषाक्तिका जाल्मी तृष्णा जिसको सहन कर लेती है (पकड़ लेती है) उसके शोक बढ़े हुए 'प्ररूढ़ कुश' की भाँति बढ़ते हैं ॥ 2 ॥

तथा इस संसार में जो व्यक्ति इस दुरत्यय जाल्मी तृष्णा को सहन कर लेता है। उसके शोक, पुष्करपर्ण से जल-बिन्दु की भाँति, उससे (उस व्यक्ति से) गिर जाते हैं (समाप्त हो जाते हैं) ॥ 3 ॥

आप लोग जितने यहाँ आये हुए हैं, सबके लिए मैं उस कल्याणकारी तथ्य को कहता हूँ। जिस प्रकार उशीर के लिए वीरण का खनन किया जाता है, उसी प्रकार तृष्णा के मूल को आप लोग खनें (नष्ट करें)। किस प्रकार नाड (नरकट) बार-बार (बढ़ने के लिए) काटा जाता है और सोता (बाढ़) को बार-बार रोका (छिन्न-भिन्न) जाता है, उसी प्रकार कामदेव (मार) आप लोगों का भविष्य में बार-बार शासन न करे ॥ 4 ॥

बुद्धवचनों को करो। एक क्षण भी व्यर्थ न जाय। जिसका समय व्यर्थ निकल जाता है वह नरक में पड़कर सोच करता है (कष्ट उठाता है) ॥ 5 ॥

रज ही प्रमाद है और प्रमाद से ही सदा रज की उत्पत्ति होती है। अप्रमाद और विद्या से अपने शल्य (सांसारिक दुःखों को यहाँ शल्य कहा गया है। सात प्रकार के शल्य बताये गये हैं—रागशल्य, मोहशल्य, मानशल्य, दृष्टिशल्य, शोकशल्य और कथनकथाशल्य) को निकाल फेंके ॥ 6 ॥

NOTES

3. लंकाविजयो

सबलोकहितं कत्वा पत्वा सन्ति खणं परं ।
 परिनिब्वानमश्चमिह निपन्नो लोकनायको ॥ 1 ॥
 देवता सन्निपातमिह महन्तमिह महामुनि ।
 सक्कं तत्र समीपट्ठं अवोच वदतं वरो ॥ 2 ॥
 विजयो लाब्बविसयो सीहबाहुनरिन्दजो ।
 एसो लंकं अनुप्पत्तो सत्ताभच्चसतानुगगो ॥ 3 ॥
 पतिट्ठिस्सति देविन्द लङ्कायं मम सासनं ।
 तस्मा सपरिवारं तं रक्ख लंकश्च साधुकम् ॥ 4 ॥
 तथागतस्स देविन्दो वचो सुत्वा' व सादरो ।
 देवस्सु'प्लवण्णस्स लंकारक्खं समप्पयि ॥ 5 ॥
 सक्केन वुत्तमत्तो सो लङ्कं आगम्म सज्जुकं ।
 परिब्बाजकवेसेन रूक्खमूलं उपाविसि ॥ 6 ॥
 विजयप्पमुखा सब्बे तं उपेच्च अपुच्छिसुं ।
 'अयं भो को नु दीपो' ति लङ्कादीपो' ति सो' ब्रवि ॥ 7 ॥
 "न सन्ति मनुजा एत्थ न च हेस्सति वो भयं" ।
 इति वत्वां कुण्डिकाय ते जलेन निसिञ्चिय ॥ 8 ॥
 सुत्तं च तेसं हत्थेसु लग्गेत्वा नभसा गमा ।
 दस्सेसि सोनिरूपेन परिचारिकयक्खिनी ॥ 9 ॥
 एको तं वारियन्तोपि राजपुत्तेन अन्वगा ।
 "गाममिह विज्जमानमिह भवन्ति सुनखा" इति ॥ 10 ॥
 तस्सा च सामिनी तत्थ कुवेणी नाम यक्खिनी ।
 निसीदि रूक्खमूलमिह कन्तन्ती तापसी विय ॥ 11 ॥
 दिस्वान सो पोक्खरिणिं निसिन्नं तं च तापसिं ।
 तत्थ नहात्वा पिवित्वा चा' दाय च मुळलयो ॥ 12 ॥
 वारिश्च पोक्खरे हे' व वुट्ठासि सा तं अब्रवि ।

NOTES

भक्खो' सि मम तिष्ठ' ति आळ्हाबद्धो व सो नरो ॥ 13 ॥

परित्तसुत्तेजेन भक्खेतुं सा न सक्कुणि ।

याचियन्तोपि तं सुत्तं ना' दा यक्खिनिया नरो ॥ 14 ॥

तं गहेत्वा सुरुङ्गायं रुदन्तं याक्खिनी खिपि ।

एवं एकेकसो तत्थ खिपि सत्तसतानि' पि ॥ 15 ॥

अनायन्तेषु सब्बेसु विजयो भयसंकितो ।

नद्धपश्चायुधा गन्त्वा दिस्वा पोक्खरिणि सुभं ॥ 16 ॥

अपस्सि उत्तिण्णपदं हसन्ति (पस्सन्ति) चे' व तापसिं ।

“इमाय खलु भच्चा भे गहिता नू” ति चिन्तिय ॥ 17 ॥

“किन्न पस्ससि भच्चे मे भोतित्वं ?” इति आह तां ।

“किं राजपुत्त भच्चेहि ? पिव न्हाया” त्याह सा ॥ 18 ॥

“यक्खिनी ताव, जानाति मम जाति” ति निच्छित्तो ।

सीधं सनामं सावेत्वा धनुं सन्धायु' पागतो ॥ 19 ॥

यक्खि आदाय गीवाय नाराचवलयेन सो ।

वामहत्थेन केसेसु गहेत्वा दक्खिणेन तु ॥ 20 ॥

उक्खिपित्वा असिं आह “भच्चे मे देहि दासि' तं ।

मारेमी' ति भयट्टा सा जीवितं याचि यक्खिनी ॥ 21 ॥

“जीवितं देहि मे सामि' रज्जं दस्सामि ते अहं ।

करिस्सामि' इतित्थकिश्चञ्च अज्जं किञ्चि यथिच्छित्तं ॥ 22 ॥

अदुभत्थाय सपथं सो तं यक्खिं अकारयि ।

“आनेहि भच्चे सीधं” ति वुत्तमत्ता' व सा' नयि ॥ 23 ॥

“इमे छाता” ति वुत्ता सा तण्डुलादीनि निद्दिसि ।

भक्खितानं वाणिजानं नावट्ठं विविधं बहु ॥ 24 ॥

भच्चा ते साधयित्वान भत्तनि व्यञ्जनानि च ।

राजपुत्तं भोजयित्वा सब्बे चा' पि अभुञ्चिसुं ॥ 25 ॥

दापितं विजयेनगं यक्खी भुञ्चिय पीणिता ।

सोळ्खस्सकं रूपं मापयित्वा मनोहरं ॥ 26 ॥

राजपुत्तं उपागञ्छि सब्बाभरणभूसिता ।

मापेसि रूक्खमूलस्मिं सयनं च महारहं ॥ 27 ॥

साणिया सुपरिक्खित्तं विताननसमलङ्कृतं ।
 तं दिस्वा राजतनयो पेक्खं अत्थं अनागतं ॥ 28 ॥
 कत्वान ताय संवासं निपज्जि सयने सुखं ।
 साणिं परिक्खपित्वान सब्बे भच्चा निपज्जिसुं ॥ 29 ॥
 रत्तिं तुरियसद्देज्ज सुत्वा गीतरवश्च सो ।
 अपुच्छि सहसेमानं “किं सद्दो ?” इति यक्खिनिं ॥ 30 ॥
 “रज्जं च सामिनो देय्यं सब्बे यक्खा च घातिया ।
 मनुस्सावासकारणा यक्खा मं घातेस्सन्ति हि” ॥ 31 ॥
 इति चिन्तिय यक्खी सा अब्बुवि राजनन्दनं ।
 सिरीसवत्थु नामे तं सामि यक्खपुरं इदं ॥ 32 ॥
 तत्थ जेट्ठस्स यक्खस्स लङ्कानगरवासिनी ।
 कुमारिका इधानीता तस्सा माता च आगता ॥ 33 ॥
 आवाहमङ्गले तत्थ इधापि (सत्ताहं) उस्सवो महा ।
 वत्तते’ तत्थ सद्दो’ यं, महा ह’एस समागमो ॥ 34 ॥
 अज्जे’ व यक्खे घातेहि’ नहि सक्का इतो परं ।
 सो आहा दिस्समाने ते घातेस्सामि कथं अहं ॥ 35 ॥
 “तत्थ सद्दं करिस्सामि’ तेन सद्देन घातय ।
 आवुधं मे’ नु भविन तेसं काये पतिस्सति ॥ 36 ॥
 तस्सा सुत्वा तथा कत्वा सब्बयक्खे अघातयि ।
 सयं’पि विजयो लद्धा यक्खराजपसाधनं ॥ 37 ॥
 पसाधनेहि सेसेहि तं तं भच्चं पसाधयि ।
 कतिपा हं वसित्व’त्थ तम्बपणिं उपागमि ॥ 38 ॥
 मापयित्वा तम्बणिनगरं विजयो तहिं ।
 वसि यक्खिणिया सद्धिं अमच्चपरिवारितो ॥ 39 ॥
 नावाय भूमिं ओत्तिण्णा विजयप्पमुखा तदा ।
 किलन्ता पाणिना भूमिं आवम्बिय निसीदिसुं ॥ 40 ॥
 तम्बभूमिरजोफुट्ठा तम्बपणिं यतो अहु ।
 सो देसो च’व दोपो चाम्बपणिं ततो अहु ॥ 41 ॥

NOTES

NOTES

—महावंस

संस्कृत अनुवाद

सर्वलोकहितं कृत्वा प्राप्य शान्ति क्षणं पराम् ।
 परिनिर्वाण मञ्चे सिपन्नो लोकनायकः ॥ 1 ॥
 देवतासन्निपाते महति महामुनिः ।
 शक्र तत्र समीपस्थमवोचद् वदतां वरः ॥ 2 ॥
 विजयो लाटविषयः सिंहबाहुनरेन्द्रजः ।
 एष लङ्कामनुप्राप्तः सप्तभृत्यशतानुगः ॥ 3 ॥
 प्रतिष्ठास्यति देवेन्द्र लङ्कायां मम शासनम् ।
 तस्मात् सपरिवारं तं रक्ष लङ्काश्च साधुकम् ॥ 4 ॥
 तथागतस्य देवेन्द्रः वचः श्रुत्वैव सादरः ।
 देवोयात्पलवर्णाय लङ्कारक्षां समर्पियत् ॥ 5 ॥
 शकेणोक्तमात्रः स लङ्कामागत्य सद्यस्कम् ।
 परिव्राजकवेषेण वृक्षमूलमुपाविक्षत् ॥ 6 ॥
 विजयप्रमुखाः सर्धे तमुपेत्याप्राक्षुः ।
 “अयं भोः! को नु द्वीप? इति” “लङ्काद्वीप” इत्यब्रवीत् ॥ 7 ॥
 न सन्ति मनुजा अत्र न च भविष्यति वो भयम् ।
 इत्युक्त्वा कुण्डिकायास्तान् जलेन निषिच्य ॥ 8 ॥
 सूत्रं चं तेषां हस्तेषु लागयित्वा नभसागमत् ।
 अद्राक्षीत् शुनिरूपेण परिचारकयक्षिणी ॥ 9 ॥
 एकस्तां वार्यमाणोऽपि राजपुत्रेणान्वगात् ।
 “ग्रामे विद्यमाने भावन्ति शुनकाः”—इति ॥ 10 ॥
 तस्याश्च स्वामिनि तत्र कुवेणी नाम यक्षिणी ।
 न्यसदत् वृक्षमूले कर्तन्ती तापसोव ॥ 11 ॥
 दृष्ट्वा स पुष्करिणीं निषण्णां तां च तापसीम् ।
 तत्र स्नात्वा पीत्वा चादाय च मृणालीः ॥ 12 ॥

वारि च, पुष्करे ह्येवोदस्थात्, सा तमब्रवीत् ।
 “भक्ष्योऽसि मम तिष्ठे” त्वाढ्याबद्धइव स नरः ॥ 13 ॥
 परीतसूत्रतेजसा भक्षयितुं सा नाशकत् ।
 याच्यमानोऽपि तत्सूत्रं नादात् यक्षिण्ये नरः ॥ 14 ॥
 तं गृहीत्वा सुरङ्गायां रुदन्तं यक्षिण्यक्षैप्सीत् ।
 एवमेकैकशः तत्राक्षैप्सीत् सप्तशतान्यपि ॥ 15 ॥
 अनायात्सु सर्वेषु सर्वेषु विजयो भयशङ्कितः ।
 नद्धपश्चायुधो गत्वा दृष्ट्वा पुष्करिणीं शुभाम् ॥ 16 ॥
 अद्राक्षीदुत्तीर्णपदां हसन्ती (पश्यन्तीं) चैव तापसीम् ।
 इमे खलु भृत्याः मे गृहीतान्वित्यचिंचितत् ॥ 17 ॥
 “किं न पश्यसि भृत्यान् मे भवति ! त्वमि” त्याह ताम् ।
 “किं राजमुत्र ! भृत्यैः पिब स्नाहीत्याह” सा ॥ 18 ॥
 यक्षिणी तावद् जानाति मम ज्ञातिमिति निश्चितम् ।
 शीघ्रं स्वनाम श्रावयित्वा धनुः सन्धायोपागतः ॥ 19 ॥
 यक्षिणीमादाय ग्रीवायां नाराचवलयेन सः ।
 वामहस्तेन केशेषु गृहीत्वा दक्षिणेन तुं ॥ 20 ॥
 उत्क्षिप्यासिमाह “भृत्यान् मे देहि दासि ! त्वम् ।
 मारयामीति” भयार्ता सा जीवितमयाचिष्ट यक्षिणी ॥ 21 ॥
 “जीवितं देहि मे स्वामिन ! राज्यं दास्यामि तेऽहम् ।
 करिष्यामि स्त्रीकृतयश्चान्यत्किञ्चिद् यथेच्छितम्” ॥ 22 ॥
 अदूडभार्थाय शपथ स तां यक्षिणीमचीकरत् ।
 “आनय भृत्यान् शीघ्रमिति” उक्तमात्रा सानैषीत् ॥ 23 ॥
 “इमे क्षोद्धार” इत्युक्ता सा तण्डुलादि निरदिक्षत् ।
 भक्षितानां वणिजां नौस्थं विविधं बहु ॥ 24 ॥
 भृत्यास्ते साधयित्वा भक्तानि व्यञ्जनानि च ।
 राजपुत्रं भोजयित्वा सर्वे चाप्यभौक्षुः ॥ 25 ॥
 दापितं विजयेनाग्रं यक्षिणी भुक्त्वा प्रीणिता ।
 षोडशवाषिकं रूपं मापयित्वा मनोहरम् ॥ 26 ॥
 राजपुत्रमुपागमत् सर्वाभरणभूषिता ।

NOTES

NOTES

अमीमपत् वृक्षमूले शयनश्च महार्घम् ॥ 27 ॥
शाण्या सुपरिक्षिप्तं वितानसमलंकृतम् ।
तं दृष्ट्वा राजतनयः प्रेक्ष्यमर्थमनागतम् ॥ 28 ॥
कृत्वा तथा संवासं न्यपादि शयने सुखम् ।
शाणीं परिक्षिप्य सर्वे भृत्याः न्यपादिषत ॥ 29 ॥
रात्रौ तूर्यशब्दांश्च श्रुत्वा गीतरवञ्च सः ।
अप्राक्षीत् सहशयमानां “कः शब्दः” इति यक्षिणीम् ॥ 30 ॥
राज्यं च स्वामिने देयं सर्वे यक्षाश्च घात्याः ।
मनुष्यावासकारणात् यक्षाः मां घातयिष्यन्ति हि” ॥ 31 ॥
इति चिन्तयित्वा वक्षिणी साब्रवीत् राजनन्दनम् ।
शिरीषवस्तु नाम्ना स्वामिन्! यक्षपुरमिदम् ॥ 32 ॥
तत्र ज्येष्ठस्य यक्षस्य लङ्कानगरवासिनी ।
कुमारिकेहानीता तस्याः माता चागता ॥ 33 ॥
आवाहमंगले तत्रेहापि (सप्ताह) उत्सवो महान् ।
वर्तते तत्र शब्दोऽयं महान् ह्येष समागमः ॥ 34 ॥
अद्यैव यक्षान् घातय न हि शक्याः इतः परम् ।
स आहादृश्यमानान् तान् घातयिष्यामि कथमहम् ॥ 35 ॥
तत्र शब्दं करिष्यामि तेन शब्देन घातय ।
आयुधं ममानुभावेन तेषां काये पत्स्यति ॥ 36 ॥
तस्याः श्रुत्वा तथा कृत्वा सर्वयक्षानजीघतत् ।
स्वयमपि विजयो लब्ध्वा यक्षराज-प्रसाधनम् ॥ 37 ॥
प्रसाधनैः शेषैस्तं भृत्यं प्रासीषिधत् ।
कतिपयाहमुषित्वात्र ताम्रपर्णीमुपागमत् ॥ 38 ॥
मापयित्वा ताम्रपर्णीनगरं विजयस्तत्र ।
अवात्सीत् यक्षिण्याः सध्यङ् अमात्यपरिवारितः ॥ 39 ॥
नावा भूमिमुत्तीर्णाः विजयप्रमुखास्तदा ।
क्लान्ताः पाणिनां भूमिमालम्ब्य न्यषदन् ॥ 40 ॥
ताम्रभूमिरजःस्पृष्टा ताम्रपर्णी यतोऽभूत् ।
स देशश्चैव द्वीपश्च ताम्रपर्णी ततोऽभूत् ॥ 41 ॥

सिंहबाहु नरेन्द्रः स सिंहमादीर्णवान् इति ।

सिंहलस्तेन सम्बन्धाद् एते सर्वेऽपि सैहलाः ॥ 42 ॥

हिन्दी अनुवाद

सभी लोगों का हितकर एवं उत्तम शान्ति को क्षणभर प्राप्त कर लोक-नायक (भगवान् बुद्ध) परिनिर्वाण मञ्च पर बैठे ॥ 1 ॥

वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि ने देवताओं के महान् समूह में समीप बैठे हुए इन्द्र से कहा ॥ 2 ॥

लाट देश निक्कासी, सिंहबाहु राजा का यह विजय नामवाला लड़का सात सौ भृत्यों से अनुगत हो, लड़का गया ॥ 3 ॥

हे देवेन्द्र ! (यह) लंका में मेरा शासन प्रतिष्ठापित करेगा। अतः सपरिवार उसकी और लंका की भली-भाँति रक्षा करिये (अथवा सपरिवार इस साधु की और लड़का की रक्षा करिये) ॥ 4 ॥

तथागत के वचन को सुनते ही, आदरयुक्त होकर देवेन्द्र ने उत्पलवर्ण को लड़का की रक्षा का भार सौंपा! ॥ 5 ॥

इन्द्र से कह देने मात्र से वह सद्यः लड़का आकर परिव्राजकवेष में पेड़ के नीचे बैठा ॥ 6 ॥

सभी विजय आदि ने उसके पास आकर पूछा—“यह कौन-सा द्वीप है?” “यह लंका द्वीप है” ऐसा उसने कहा ॥ 7 ॥

यहाँ पर न तो मनुष्य है और न तुम लोगों को कोई भय—ऐसा कहकर कुण्डिका के जल से अभिषेक करके और रक्षा-सूत्र को उन लोगों के हाथ में बाँधकर आकाश-मार्ग से चला गया। (इतने में ही) कुतिया के रूप में सेविका-यक्षिणी ने उसे देखा ॥ 8-9 ॥

“गाँव में तो कुत्ते होते ही हैं” (ऐसा कहकर) राजपुत्र के निवारण करने पर भी एक ने उसका पीछा किया ॥ 10 ॥

उस कुतिया की स्वामिनी कुवेणी नाम की यक्षिणी वहीं (सूत) कातती हुई पेड़ के नीचे तापसी की तरह बैठी थी ॥ 11 ॥

वह पुष्करिणी और बैठी हुई उस तपस्विनी को देखकर (तथा) वहीं स्नान कर जल पीकर मृणालियों और जल को लेकर पुष्कर ही उठ खड़ा! (यक्षिणी ने) उससे कहा—रुको, तुम हमारे भक्ष्य हो। वह व्यक्ति किंकर्तव्यविमूढ़ हो गया ॥ 12-13 ॥

बँधे हुए सूत्र के तेज के कारण वह (यक्षिणी) उसको खा न सकी। माँगने पर भी (उस) व्यक्ति ने उस सूत्र को यक्षिणी को नहीं दिया ॥ 14 ॥

NOTES

रोते हुए उसको पकड़कर यक्षिणी ने सुरंग में फेंक दिया। इसी प्रकार एक-एक करके सातों सौ (भृत्यों) को यहाँ फेंक दिया।। 15।।

NOTES

सभी (भृत्यों) के न आने पर विजय भय से आशंकित हो, पाँच अस्त्रों को बाँध-कर, जाकर शुभ पुष्करिणी को देखकर उलटे पैरोंवाली और हँसती हुई (देखती हुई) तापसी को देखा। यहीं, ये मेरे भृत्य गृहीत किये गये हैं, ऐसा सोचा।। 16-17।।

“क्या आप मेरे भृत्यों को नहीं जानती हैं”, ऐसा उससे कहा। “हे राजपुत्र! भृत्यों से क्या प्रयोजन? (जल) पीओ, स्नान करो”, ऐसा उसने कहा।। 18।।

यह निश्चित है कि यक्षिणी मेरी जाति को जानती है (अतः) शीघ्र ही अपना नाम सुनकर धनुष चढ़ाकर (उसके) समीप गया।। 19।।

गर्दन में धनुष की डोरी से (लगाकर) यक्षिणी को बायें हाथ से केशों को पकड़-कर तथा दाहिने हाथ से तलवार को ऊपर उठाकर कहा-“हे दासि, मेरे भृत्यों को दे दो (अन्यथा) मैं तुम्हें मार डालूँगा”, इस प्रकार डरी हुई उस यक्षिणी ने (अपने) जीवन की भीख माँगी—“हे स्वामी, मुझे जीवन की भीख दो, तुम्हें मैं राज्य दूँगी, तुम्हारी पत्नी बनकर रहूँगी अथवा और भी जैसा चाहोगे वैसा (कार्य) करूँगी”।। 20-22)।

सरलता से छल न करने के लिए उसने उस यक्षिणी से शपथ करायी। “भृत्यों को शीघ्र लाओ” ऐसा कहने मात्र से ही उसने ला दिया।। 23।।

ये बुभुक्षित हैं, ऐसा उसको कहे जाने पर, उस यक्षिणी ने, नावों में रखे हुए भक्षित बनियों के विविध प्रकार के प्रचुर तण्डुलादि दिखलाये।। 24।।

उन सब भृत्यों ने भी भात और व्यञ्जनों को पकाकर, राजपुत्र को भोजन कराकर, भोजन किया।। 25।।

विजय के द्वारा पहले दिलाये गये भोजन को यक्षिणी खा-पीकर प्रसन्न हुई। सुन्दर सोलह वर्ष का अपना रूप बना सब आभूषणों से सुसज्जित हो राजपुत्र के पास गयी। वृक्ष के नीचे अत्यन्त बहुमूल्य तथा वितान से सुसज्ज और शाणी (विशेष प्रकार का पट-कुटीर) से सुपरिक्षिप्त (चारों ओर से पर्दा लगाकर) शय्या बिछायी। उस अभीप्सित भविष्यत् अर्थ (भविष्यकाल में अपने उद्देश्य) को देखकर उसके साथ संवास कर (वह) शय्या पर सुखपूर्वक पड़ गया। (और) पर्दा लगाकर सभी भृत्य भी पड़ गये।। 26-29।।

रात में तूर्य (वाद्य) के शब्दों और गीतों के शब्द को सुनकर साथ सोयी हुई यक्षिणी से उसने (विजय ने) “यह कैसा शब्द हो रहा है”, ऐसा पूछा।। 30।।

स्वामी को राज्य देना चाहिए, यक्षों को मरवा देना चाहिए; क्योंकि मनुष्यों के साथ रहने के कारण यक्ष मुझे मरवा डालेंगे, ऐसा सोचकर उस यक्षिणी ने राजपुत्र से कहा-हे स्वामी! शिरीष वस्तु नाम का यक्षपुर है।। 31-32।।

इसमें ज्येष्ठ यक्ष की लंका निवासिनी कुमारी यहाँ लायी गयी है और उसकी माता भी (यहाँ) आयी है।। 33।।

उसके विवाहोत्सव में यह भी (एक सप्ताह तक) महान् उत्सव है। वहाँ यह शब्द हो रहा है। यह बहुत बड़ी भीड़ है।। 34।।

आज ही (इसी समय) यक्षों को मरवा डालो (क्योंकि) इसके बाद वे नहीं मारे जा सकते हैं। उसने कहा—दिखलायी न पड़नेवाले उनको मैं कैसे मरवाऊँगा।। 35।।

वहाँ (मैं) शब्द करूँगी, उन्हीं शब्दों के संकेत में मरवाना। मेरे अनुभव से उनके शरीर पर ही अस्त्र गिरेंगे।। 36।।

विजय ने उसकी बात सुनकर (तथा) वैसा कर सभी यक्षों को मरवा डाला। स्वयं भी यक्षराज के प्रसाधनों को प्राप्त कर, शेष प्रसाधनों से उन-उन भृत्यों को प्रसाधन-सम्पन्न किया। कुछ दिन वहाँ रहकर (वह) ताम्रपर्णी नदी के पास पहुँचा।। 37-38।।

वहाँ ताम्रपर्णीनगर का निर्माण कर, मंत्रियों से युक्त होकर, विजय ने यक्षिणी के साथ निवास किया।। 39।।

उस समय नाव से भूमि पर उतरे हुए तथा थके हुए विजय आदि, हाथ से भूमि का सहारा लेकर, बैठे।। 40।।

यतः ताम्रभूमि की धूलि का स्पर्श करके ताम्रपर्णी हुई, अतएव वह देश और द्वीप ताम्रपर्णी कहलाया।। 41।।

सिंहबाहु राजा ने (यतः) सिंह को विदीर्ण किया उसी सम्बन्ध से (अतएव) यह सिंहल कहलाया और ये (यहाँ के निवासी) सभी सिंहल कहलाते हैं।। 42।।

सारांश :

इस इकाई में आपने विभिन्न जातक कथाओं, गाथाओं एवं उपदेशों के माध्यम से मानव-जीवन की नैतिक मान्यताओं, आदर्श जीवन-मूल्यों तथा कर्तव्यों के अनुपालन की शिक्षा प्राप्त की है। पालिजातकावली, पालिसंगहो आदि पाली भाषा के ग्रन्थों के इन सम्पादित अंशों को क्रमशः संस्कृत तथा हिन्दी रूपान्तर में प्रस्तुत करने का उद्देश्य पालि तथा संस्कृत भाषा के सादृश्य को समझाना तथा पाठ्य-सामग्री को सहज, सरल एवं सुबोध बनाना भी है। ध्यान रखें कि पाली भाषा प्राकृत का ही एक भेद है।

अभ्यास-प्रश्न :

1. बाबेरु जातकम् की कथा को अपने शब्दों में लिखिए।
2. शिशुमार जातकम् की कथा में निहित शिक्षा को स्पष्ट कीजिए।

NOTES

NOTES

3. वानरेन्द्र जातकम् की कथा का हिन्दी-अनुवाद कीजिए।
4. बक जातकम् का कथासार लिखते हुए इसका नैतिक आदर्श स्पष्ट कीजिए।
5. निम्नलिखित पद्य का संस्कृत अनुवाद कीजिए :
'न ससस्स तिला अत्थि न मुग्गा नापि तण्डुला ।
इमिना अग्गिना पक्कं ममं भुत्वा वने वसाति ॥'
6. जवसकुण जातकम् की कथा का सारांश अपने शब्दों में लिखिए।
7. मायादेवी के स्वप्न का वर्णन करते हुए उसके फल का निर्देश कीजिए।
8. सम्यक् आचरण तथा सम्यक् दृष्टि की महत्ता स्पष्ट कीजिए।
9. धर्मपद संग्रह के किन्हीं पाँच पदों का हिन्दी-अनुवाद कीजिए।
10. मालुक्यपुत्र गाथा में संकलित बुद्ध के उपदेशों का वर्णन कीजिए।

2

साहित्यिक-प्राकृत

NOTES

इकाई में सम्मिलित है :

- अध्ययन के उद्देश्य
- प्रस्तावना
- पाइअ-संगहो (गाहा-सत्तसई)
- पाइअ-संगहो (शौरसेनी)
- पाइअ-संगहो (मागधी)
- पाइअ-संगहो (अर्धमागधी)
- पाइअ-संगहो (खोतानी-प्राकृत)
- पाइअ-संगहो (मिश्रित-प्राकृत)
- सारांश
- अभ्यास-प्रश्न

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई में साहित्यिक प्राकृत-भाषा के विभिन्न रूपों का परिचय अनेकानेक काव्यों एवं नाटकों से संकलित अंशों के माध्यम से कराया गया है। इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त छात्र :

- साहित्यिक प्राकृत के सभी प्रकारों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।
- गाहा-सत्तसई के पद्यों की संस्कृत एवं हिन्दी व्याख्या कर सकेंगे।
- शौरसेनी प्राकृत भाषा की विशेषताओं से परिचित हो सकेंगे।
- स्वप्नवासवदत्तम् में शौरसेनी प्राकृत के उदाहरणों को पढ़ सकेंगे।
- प्राकृत भाषा के मागधी रूप का सोदाहरण परिचय प्राप्त कर सकेंगे।
- प्राकृत के अर्धमागधी स्वरूप को समझ सकेंगे।
- खोतानी एवं मिश्रित प्राकृत के विभिन्न उदाहरणों को जान सकेंगे।

NOTES

इस इकाई में 'पाइअ संगहो' के प्राकृत भाषा के विभिन्न भेदों के कुछ अंश संकलित हैं। प्राकृत भाषा को साहित्य तथा धर्म के आधार पर पाली, अर्धमागधी, शौरसेनी, मागधी, खोतानी, मिश्रित, महाराष्ट्री तथा पैशाची आदि भेदों में विभाजित किया गया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्राकृत भाषा के पाँच रूप ही मान्य हैं। साहित्यिक प्राकृत में उपरोक्त पाँच रूपों की ही प्रधानता है। इकाई में सर्वप्रथम 'गाहा-सत्तसई' से संकलित पदों को संस्कृत एवं हिन्दी रूपान्तर के साथ प्रस्तुत किया गया है। 'रावणवहो' अंश के पद्यों को प्रवासेन द्वारा रचित 'सेतुबन्ध' के प्रथम आशवास से संकलित किया गया है।

पाइअ-संगहो के शौरसेनी प्राकृत के उदाहरणार्थ 'स्वप्नवासवदत्तम्' के चतुर्थ अंक का कथाक्रम संस्कृत एवं हिन्दी रूपान्तर सहित दिया गया है। 'रत्नावली' के चतुर्थ अंक का संकलित अंश भी शौरसेनी प्राकृत का है जो संस्कृत एवं हिन्दी रूपान्तर द्वारा बोधगम्य बनाया गया है। मागधी प्राकृत के स्वरूप का परिचय कराने हेतु 'मृच्छकटिकम्' के छठवें अंक का कथाक्रम तथा कालिदास के 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' से मछुआरे को बन्दी बनाकर उससे राजा दुष्यन्त की खोई हुई अंगूठी प्राप्त होने का वर्णन प्रस्तुत है। अर्धमागधी प्राकृत का उदाहरण आचारांग सूत्र से लिया गया है तथा खोतानी प्राकृत के दर्शन 'अप्रमादरतिः भिक्षुधर्मश्च' शीर्षक अंश में होते हैं। इसमें बुद्ध के उपदेशों का वर्णन है। 'मूलदेव कथा' तथा 'वसुदत्त कथा' के वृत्तान्त मिश्रित प्राकृत के उदाहरण हैं।

1. पाइअ-संगहो (गाहा-सत्तसई)

उअ णिच्चलणिप्पन्दा भिसिणीपत्तम्मि रेतइ वलाआ ।

णिम्मलमरगअभाअणपरिट्ठिआ संखसुत्ति व्व ।। 1, 4 ।।

सहि ईरिसि व्विअ गई मा रुव्वसु तिरिअवल्लिअमुहअन्दं ।

एआणं बालबालुं कितन्तुकुडिलानं पेम्माणं ।। 1, 10 ।।

पाअवडिअस्स पइणो पुट्ठिं पुत्ते समारुहत्तम्मि ।

दहमण्णु दुण्णिआएँ वि हासो घरिणीएँ णेक्कन्तो ।। 1, 11 ।।

रंधणकम्मणिउणिए मा जूरसु, रत्तपाडलसुअन्धम् ।

मुहमारुअं पिअन्तो घुमाइ सिही ण पज्जलइ ।। 1, 14 ।।

अमअमअ गणसेहर रअणीमुहतिलअ चन्द दे छिवसु ।

छित्तो जेहँ पिअअमो ममं पि तेहिं विअ करेहिं ।। 1, 16 ।।

पिअविरहो अप्पिअदंसणं अ गरुआइँ दो वि दुक्खाइँ ।

जीएँ तुमं कारिज्जसि तीएँ णमो आहिजाईएँ ।। 1, 24 ।।

अज्ज मए तेण विणा अणुहूअसुहाइँ संभरन्तीए ।

अहिणवमेहाणं रवो णिसामिओ वज्जपडहो व्व ।। 1, 29 ।।

आरम्भन्तस्स धुअं लच्छी मरणं वि होइ पुरिसस्स ।
 तं मरणं अणारम्भे वि होइ लच्छी उण ण होइ ॥ 1, 42 ॥
 विरहाणलो सहिज्जइ आसबन्धेण वल्लहजणस्स ।
 एकगामवासो माए मरणं विसेसेइ ॥ 1, 43 ॥
 थोअं पि ण णीसरई मज्झण्णे उह सरीरतललुक्का ।
 आअवभएण छाई विं पहिअ ता किं ण वीसमसि ॥ 1, 49 ॥
 सुहउच्छअं जणं दुल्लहं पि दुराहि अम्ह आणन्तो ।
 उअआरअ जर जोअं पि णेन्त ण कआवराहोसि ॥ 1, 50 ॥
 पेम्मस्स विरोहिअसंधिअस्स पच्चक्खदिट्ठिं विलिअस्स ।
 उअअस्सव आविअसीअलस्स विरसो रसो होइ ॥ 1, 53 ॥
 दिढमण्णुदूणिआएँ वि गहिओ दइअम्मि पेच्छह इमाए ।
 ओसरइ बालुआमुट्ठि व्य माणो सुरसुरन्तो ॥ 1, 74 ॥
 मुहमारुएण तं कण्ह गोरअं राहिआअँ अवणेन्तो ।
 एताणँ बल्लवीणं अण्णाणं वि गोरअं हरसि ॥ 1, 89 ॥
 दिट्ठा चूआ अग्घाइआ सुरा दक्खिणाणलो सहिओ ।
 कज्जाइं व्विअ गरुआइँ मामि को बल्लहो कस्स ॥ 1, 97 ॥
 कमलाअरा ण मलिआ हंसा उड्ढाविआ ण अ पिउच्छा ।
 केणाँवि गामतडाए अब्भं उत्ताणअं व्वूढम् ॥ 2, 10 ॥
 कइअवरहिअं पेम्मं णत्थि व्विअ माम माणुसे लोए ।
 अह होइ कस्स विरहो विरहे होत्तम्मि को जीअइ ॥ 2, 24 ॥
 अहअं लज्जालुइणी तस्स अ उग्गच्छराइँ पेम्माइं ।
 सहिआअणो वि णिउणो अलाहि किं पाअराएण ॥ 2, 27 ॥
 रूअं अच्छीसु थिअं फरिसो अंगेसु जम्पिअं कण्णे ।
 हिअअं हिअए णिहिअं विओइअं किं त्थ देव्वेण ॥ 2, 32 ॥
 दूइ तुमं विअ कुसला कक्खउमउआइं जाणसे बोल्लुं ।
 कण्डूइअपण्डुरं जह ण होइ तह तं करेज्जासु ॥ 2, 89 ॥
 सरए महद्धदाणं अन्ते सिसिराइँ वाहिरुह्वाइं ।
 जाआइं कुविअसज्जणहि असरिच्छाइँ सलिलाइं ॥ 2, 86 ॥
 अज्जव्वेअ पउत्थो अज्ज व्विअ सुण्णआइँ जाआइँ ।
 रत्थामुहदेउलचत्तराइँ अम्हं च हिअआइं ॥ 2, 90 ॥
 फुट्टन्तेण व्वि हिअएण मामि कह णिव्वरिज्जए तस्मि ।
 आदंसे पडिबिम्बं व्विअ जम्मि दुःखं ण संकमइ ॥ 3, 4 ॥

NOTES

NOTES

पासासङ्की काओ केच्छति दिण्णं पि पहिअघरणोए ।
 ओअन्तकरअलो गलिअवलअमज्झट्ठिअं पिण्डं ॥ 3, 5 ॥
 ओहिदि अहागमासंकिरीहिं सहिअहिं कुड्डुलिहिंआओ ।
 दोतिण्णि तहि विअ चोरिआएँ रेहा पुसिज्जन्ति ॥ 3, 6 ॥
 अज्ज गओत्ति अज्जं गओत्ति अज्जं गओत्ति गणरीए ।
 पढम व्विअ दिअहद्धे कुड्डो रेहाहिं चित्तलिओ ॥ 3, 8 ॥
 पुट्ठिं पुससु किसोअरि पडोहरङ्कोल्लपत्तचित्तलिअं ।
 छेआहिं दिअरजाआहिं उज्जुए मा कलिज्जिहसि ॥ 4, 13 ॥
 दढरोसकलुसिअस्स वि सुअणस्स मुहाहिं पिप्पिअं कुतो ।
 राहुमुहम्मि वि ससिणो किरणा अमअं विअ मुअन्ति ॥ 4, 19 ॥
 सूइज्जइ हेमन्तम्मि दुग्गओ पुप्फुआसुअन्धेण ।
 धूमकविलेण परिविरलतन्तुना जुण्णवडएण ॥ 4, 29 ॥
 वसणम्मि अणुव्विग्गा विहवम्मि अगव्विआ भए धीरा ।
 होन्ति अहिण्णसहावा समेसु विसमेसु सप्पुरिसा ॥ 4, 80 ॥
 मरगअसूइविद्धं व मोत्तिअं पिअइ आअअग्गीओ ।
 मोरो पाउसआले तणगगलग्गं उअअबिंदुं ॥ 4, 94 ॥
 सुपुअ तइओ विगओ जामोत्ति सहिओ कीस मं भणह ।
 सेहालिआणं गन्धो ण देइ सोत्तुं सुअह तुम्हे ॥ 5, 12 ॥
 चावो सहासरलं सिच्छिवइ सरं गुणम्मि वि पडन्तं ।
 वड्ढस्स उज्जुअस्स अ संबंधो किं चिरं होइ ॥ 5, 24 ॥
 कत्थ गअं रइबिंबं कत्थ पणट्ठाओ चन्दताराओ ।
 गअणे वलाअपन्तिं कालो होरं व कट्ठेइ ॥ 5, 35 ॥
 जइ भमसि भमसु एमेअ कण्ह सोहग्गांव्वरो गोट्ठे ।
 महिलाणं दोसगुणे वि आरक्खमो अज्ज वि ण होसि ॥ 5, 47 ॥
 तुह दंसणे सअण्हा सहं सोऊण णिग्गदा जाइं ।
 तइ वोलीणे ताइं पआइँ बोढव्विआ जाआ ॥ 6, 5 ॥
 जं जं पलएमि दिसं परओ लिहिअ व्व दीससे तत्तो ।
 तुह पडिमापडिवाडिं वहइ व्व सअलं दिसाअक्कं ॥ 6, 30 ॥
 पड्ढमइलेण छीरेक्कपाइणा दिण्ण जाणुवडणेण ।
 आणन्दिज्जइ हलिओ पुत्तेण व्व सालिछेत्तेण ॥ 6, 67 ॥
 वाआइ किं भणिज्जउ केत्तिअमेअं व लिक्खिए लेहे ।
 तुह विरहे जं दुक्खं तस्स तुमं चेअ गहिअत्थो ॥ 6, 67 ॥

दुस्सिक्खिअरअणपरिक्खएहिं घिट्टोसि पत्थरे तावा ।
जा तिलमेतं वट्टसि मरगअं का तुज्झ मुल्लकहा ॥ 7, 27 ॥
कमलं मुअन्त महुअर पिक्ककइत्थाणं गन्धलोहेण ।
आलेक्खड्डुअं पामरो व्व छिविऊण जाणिहिसि ॥ 7, 41 ॥
गिंज्जन्ते मङ्कलगाइआहि घरगोत्तदिण्णकण्णाए ।
सोउं व णिग्गओ उअह होन्तवहुआह रोमज्जो ॥ 7, 42 ॥
जं जं आलिहइ मणो आसावट्टीहिं हिअअफलअम्मि ।
तं तं बालो व्व विही णिहुअं हसिऊण पम्हुसइ ॥ 7, 56 ॥
उअ सिन्धवपव्वअसच्छहाइँ धुअतूलपुज्जसरिसाइँ ।
सोहन्ति सुअणु मुक्कोअआइँ सरए सिअब्भाइँ ॥ 7, 79 ॥
मज्जे पअणुअपङ्कं अवहोवासेसु साणचिक्खिल्लं ।
गामस्स सीससीमन्तअं व रच्छामुहं जाअं ॥ 7, 82 ॥

संस्कृत अनुवाद

(दृश) पश्य, निश्चलनिः स्पन्दा विसिनीपत्रे राजते बलाका ।
निर्मलमरकतभाजतपरिस्थिता शङ्खशुक्तिरिव ॥ 1, 4 ॥
सखि ईदृश्येव गतिमारोदीस्तिर्यग्वलितमुखचन्द्रम् ।
एतेषां बालकर्कटीतन्तुकुटिलानां प्रेम्णाम् ॥ 1, 10 ॥
पादपतितस्य पत्युः पृष्ठं पुत्रे समारुहति ।
दृढमन्युदूनाया अपि हासो गृहिण्या निष्क्रान्तः ॥ 1, 11 ॥
रन्धनकर्मनिपुणिके मा कुध्यस्व रक्तपाटलसुगन्धम् ।
मुखमारुतं पिबन् धूमायते शिखी न प्रज्वलति ॥ 1, 14 ॥
अमृतमय गगनशेखर रजनीमुखतिलक चन्द्र हे स्पृश ।
स्पृष्टो यैः प्रियतमो मामपि तैरेव करैः ॥ 1, 16 ॥
प्रियविरहोप्रियदर्शनञ्च गुरुके द्वेऽपि दुःखे ।
यया त्वं कार्यसे तस्यै नम आभिजात्यै ॥ 1, 24 ॥
अद्य मया तेन विनानुभूतसुखानि संस्मरन्त्या ।
अभिनवमेघानां रवो निशमिता बध्यपटह हव ॥ 1, 29 ॥
आरभमाणस्य ध्रुवं लक्ष्मीर्मरणमपि भवति पुरुषस्य ।
तन्मरणमनारम्भेऽपि भवति लक्ष्मीः पुनर्न भवति ॥ 1, 42 ॥
विरहानलः सह्यत आशाबन्धेन वल्लभजनस्य ।
एकग्रामप्रवासो मातर्मरणं विशेषयति ॥ 1, 43 ॥

NOTES

NOTES

स्तोकमपि न निःसरति मध्याह्ने पश्य शरीरतललीना ।
 आतपभयेन च्छायापि पथिक तत्किं न विश्राम्यसि ॥ 1, 49 ॥
 सुखपृच्छकं जनं दुर्लभमपि दूरादस्माकमानयन् ।
 उपकारक ज्वर जीवमपि नयन्न कृतापराधोऽसि ॥ 1, 50 ॥
 प्रेम्णो विरोधितसन्धितस्य प्रत्यक्षदृष्टव्यलीकस्य ।
 उदकस्येव तापितशीतलस्य विरसो रसो भवति ॥ 1, 53 ॥
 दृढमन्युदूनयापि गृहीते दयिते पश्यतानया ।
 अपसरित बालुकामुष्टिरिव मानः सुरसुरायमाणः ॥ 1, 74 ॥
 मुखमारुतेन त्वं कृष्ण गोरजो राधिकाया अपनयन् ।
 एतासां बल्लवीनामन्यासामपि गौरवं हरसि ॥ 1, 89 ॥
 दृष्टाश्चूता आघ्राता सुरा दक्षिणानिलः सोढः ।
 कार्याण्येव गुरुकाणि मातुलानि को वल्लभः कस्य ॥ 1, 97 ॥
 कमलाकरा न मृदिता हंसा उड्ढायिता न च पितृष्वसः ।
 केनापि ग्रामतडागे अभ्रमुत्तानितं क्षिप्तम् ॥ 2, 10 ॥
 कैतवरहितं प्रेम नास्तीव मातुलानि मानुषे लोके ।
 अथ भवति कस्य विरहो विरहे भवति को जीवित ॥ 2, 24 ॥
 अहं लज्जालुस्तस्य चोन्मत्सराणि प्रेमाणि ।
 सखीजनोऽपि निपुणोऽपेहि किं पादरागेण ॥ 2, 27 ॥
 रूपमक्ष्णोः स्थितं स्पर्शोऽङ्गेषु जल्पितं कर्णे ।
 हृदयं हृदये निहितं वियोजितं किमत्र दैवेन ॥ 2, 32 ॥
 दूति त्वमेव कुशला कर्कशमृदुकानि जानासि वक्तुम् ।
 कण्डूयितपाण्डुरं यथा न भवति तथा तं करिष्यसि ॥ 2, 89 ॥
 शरदि महाहृदानामन्तःशिशिराणि बहिरुष्णानि ।
 जातानि कुपितसज्जनहृदयसदृक्षाणि सलिलानि ॥ 2, 86 ॥
 अद्यैव प्रोषितोऽद्यैव शून्यकानि जातानि ।
 रथ्यामुखदेवकुलचत्वरान्यस्माकञ्च हृदयानि ॥ 2, 90 ॥
 स्फुटतापि हृदयेन मातुलानि कथं निवेद्यते तस्मिन् ।
 आदर्शं प्रतिबिम्बमिव यस्मिन्दुखं न संक्रामति ॥ 3, 4 ॥
 पाशाशङ्की काको नेच्छति दत्तमपि पथिकगृहिण्या ।
 उपान्तकरतलावगलितवलयमध्यस्थितं पिण्डम् ॥ 3, 5 ॥
 अविधदिवसागमाशङ्किनीभिः सखीभिः कुड्यलिखिताः ।
 द्वित्रास्तत्रैव चोरिकया रेखाः प्रोज्झ्यन्ते ॥ 3, 6 ॥

अद्य गत इत्यद्य गत इत्यद्य गत इति गणनशीलया ।
 प्रथम एव दिवसार्धे कुड्य रेखाभिश्चित्रितम् ॥ 3, 8 ॥
 पृष्ठं प्रोज्ज कुशोदरि पश्चाद्गृहाङ्काटपत्रचित्रितम् ।
 विदग्धाभिर्देवरजायाभि ऋजुके मा कलयिष्यसे ॥ 4, 13 ॥
 दृढरोषकलुषितस्यापि सुजनस्य मुखाद् विप्रियं कुतः ।
 राहुमुखेऽपि शशिनः किरणा अमृतमेव मुश्चन्ति ॥ 4, 19 ॥
 सूच्यते हेमन्ते दुर्गतः करीषाग्नि (सु) गन्धेन ।
 धूमकपिलेन परिविरलतन्तुना जीर्णपटकेन ॥ 4, 29 ॥
 व्यसनेऽनुद्विगना, विभवेऽगर्विता, भयेधीराः ।
 भवन्त्य भिन्नस्वभावाः समेषु विषमेषु सत्पुरुषाः ॥ 4, 80 ॥
 मरकतसूचीविद्धमिव मौक्तिकं पिबत्यायतग्रीवः ।
 मयूरः प्रावृट्काले तृणाग्रलग्नमुदकबिन्दुम् ॥ 4, 94 ॥
 सुप्यतां तृतीयोऽपि गतो याम इति सख्यः कस्मान्मां भणथ ।
 शेफालिकानां गन्धो न ददाति स्वप्नुं स्वपित यूयम् ॥ 5, 12 ॥
 चापः स्वभावसरलं विक्षिपति शरं गुणेऽपि पतन्तम् ।
 वक्रस्य ऋजुकस्य च सम्बन्धः किं चिरं भवति ॥ 5, 24 ॥
 कुत्र गतं रविबिम्बं कुत्र प्रणष्टाश्चन्द्रताराः ।
 गगने बलाकापङ्क्ति कालो होरामिवाकर्षति ॥ 5, 35 ॥
 यदि भ्रमसि भ्रमैवमेव कृष्ण सौभाग्यगर्वितो गोष्ठे ।
 महिलानां दोषगुणयोर्विचारक्षमोऽद्यापि न भवसि ॥ 5, 47 ॥
 तव दर्शने सतृष्णा शब्दं श्रुत्वा निर्गता यानि ।
 त्वथि व्यवलीने तानि पदानि वोढव्यानि जातानि ॥ 6, 5 ॥
 यां यां प्रलोके दिशं पुरतो लिखित इव दृश्यसे तत्र ।
 तव प्रतिमापरिपार्टी वहतीव सकलं दिशाचक्रम् ॥ 6, 5 ॥
 पङ्कमलिनेन क्षीरैकपाथिना दत्तजानुपतनेन (दत्तजानुवदनेन) ।
 आनन्द्यते हालिकः पुत्रेणेशालिक्षेत्रेण ॥ 6, 69 ॥
 वाचा किं भण्यतां कियन्मात्रं वा लिख्यतां लेखे ।
 तव विरहे यद् दुःखं तस्य त्वमेव गृहीतार्थः ॥ 6, 71 ॥
 दुःशिक्षितरत्नपरीक्षकैर्घृष्टोऽसि प्रस्तरे तावत् ।
 यावत्तिलमात्रं वर्तसे मरकत का तव मूस्यकथा ॥ 7, 27 ॥
 कमलं मुञ्चन्मधुकर पक्वकपित्थानां गन्धलोभेन ।
 आलेख्यलङ्कुक पामर इव स्पृष्ट्वा ज्ञास्यसि ॥ 7, 41 ॥

NOTES

गीयन्ते मङ्गलगायिकाभिर्वरगोत्रदन्तकर्णायाः।
 श्रोतुमिव निर्गतः पश्यत भविष्यद्वध्वाः रोमाञ्चः ॥ 7, 42 ॥
 यद्यदालिखति मन आशावर्तिकाभिर्हृदयफलके।
 तत्तद्वाल इव विधिर्निभृतं हसित्वा प्रमृशति ॥ 7, 56 ॥
 पश्य सैन्धवपर्वतसदृक्षाणि ध्रुततूलपुञ्जसदृशानि।
 शोभन्ते सुतनु मुक्तोदकानि सरदि सिताभ्राणि ॥ 6, 79 ॥
 मध्ये प्रतनुकपङ्कमुभयोः पार्श्वयोः श्यानकर्दमम्।
 ग्रामस्य शीर्षसीमन्तमिव रथ्यामुखं जातम् ॥ 7, 82 ॥

हिन्दी अनुवाद

देखो, निश्चल, निस्पन्द बलाका कमलिनी के पत्ते पर शोभा पा रही है, मानो स्वच्छ मरकत मणि के पात्र में रखी शंख-शुक्ति हो ॥ 1,4 ॥

सखि, इस शिशुकर्कटिकातन्तुसदृश कुटिल प्रेम की ऐसी ही गति है, तू मुखचन्द्र को तिरछा मोड़कर न रो ॥ 1,10 ॥

पैरों पर गिरे पति की पीठ पर पुत्र के चढ़ जाने पर, क्रोध से अत्यन्त दुःखित गृहिणी की भी हँसी निकल (ही) पड़ी ॥ 1,11 ॥

हे पाकक्रियाप्रवीणे, क्रुद्ध मत हो, रक्त पाटल-से सुगन्धवाले (तुम्हारे) मुख-मारुत को पीकर (ही) अग्नि धूमयुक्त हो रहा है, जलता नहीं ॥ 1,14 ॥

हे अमृतमय, गगनशेखर, रजनी के मुख के तिलक (स्वरूप) चन्द्र! मुझे भी अपनी उन्हीं किरणों से छू, जिनसे (तूने) प्रियतम को छुआ है ॥ 1,16 ॥

प्रिय विरह और अप्रियदर्शन—दोनों ही गहरे दुःख हैं। तुम जिसके द्वारा (प्रेरित) किये जाते हो, उस आभिजात्य को नमस्कार है ॥ 1,24 ॥

(पहले) आज उसके बिना अनुभूत सुखों को (ही) याद करती हुई, मैंने नवीन मेघों की ध्वनि को वध्यपटह की भाँति सुना ॥ 1,29 ॥

निश्चय ही, आरम्भ करनेवाले को (ही) लक्ष्मी मिलती है। (ऐसे) पुरुष की मृत्यु भी होती है। (पर) वह मरण तो (कार्य) आरम्भ न करने पर भी होती है; (हाँ) फिर लक्ष्मी नहीं मिलती ॥ 1,42 ॥

प्रिय की आशा के सहारे विरहाग्नि सह ली जाती है, (पर) एक ही गाँव का प्रवास, ओ, मृत्यु से भी विशेष (असह्य) हो जाता है ॥ 1,43 ॥

देखो, पथिक, मध्याह्न में शरीर में छिपी छाया भी आतप के भय से जरा भी नहीं निकलती, तो (तुम्हीं) विश्राम क्यों नहीं करते? ॥ 1,49 ॥

सौख्य के विषय में प्रश्न करने वाले दुर्लभ जन को भी दूर से हमारे पास ले आकर उपकार करने वाले ज्वर! हमारे प्राण ले जाकर भी तुमने कोई अपराध नहीं किया।। 1,50 ।।

टूटकर फिर से जोड़े गये प्रेम का, जिसमें अपराध प्रत्यक्ष दिखायी देता हो, रस, गरम करके फिर ठण्डे किये गये जल (के स्वाद) की भाँति, विरस हो जाता है।। 1,53 ।।

देखिए, अत्यन्त कोपवश दुःखित इस मानिनी द्वारा नायक के पकड़ लिये जाने पर उसके प्रति किया गया मान मुष्टि से बालुका की तरह सुर-सुर निकल जाता है।। 1,74 ।।

हे कृष्ण! मुखमारुत से राधा (की आँख) के गोरज (धूलि या गोधूलि) दूर करते समय इन दूसरी गोपियों के भी गौरव (अथवा उज्ज्वलता) को हर लेते हो। (अर्थात् वे कामना से अधीर या ईर्ष्या से मलिन हो जाती हैं।)।। 1,89 ।।

आम्रांकुर देखा गया है, सुरा पी ली गयी है और दक्षिण पवन (भी) सहन कर लिया गया है, परन्तु प्रिय अभी प्रवास से नहीं आया, लगता है, मेरी अपेक्षा वहाँ के उसके कार्य गुरुतर हैं; मामी! (मेरे मन में निराशा हो गयी है कि) कौन किसे प्यारा है?।। 1,97 ।।

बुआ, गाँव के तालाब में किसी ने ताना हुआ आकाश गिरा दिया है, (फिर भी) न कमलसमूह मर्दित हुआ है, न हंस ही उड़ये गये हैं।। 2,10 ।।

छलरहित प्रेम तो मामी! जैसे इस मनुष्यलोक में है ही नहीं। अगर होता तो किसे विरह होता, होने पर कौन जीवित रहता?।। 2,24 ।।

मैं लज्जालु हूँ और उसका प्रेम उत्कट है। सखीजन भी चतुर हैं। जाओ, पादराग से क्या होगा?।। 2,27 ।।

(उसका) रूप आँखों में विद्यमान है, स्पर्श अङ्गों में, बातें कानों में, (उसका) हृदय (मेरे) हृदय में रखा है, फिर दैव ने यहाँ अलग क्या किया है?।। 2,32 ।।

दूती, तुम्हीं कुशल हो, कड़वी-मीठी कहना जानती हो, जिस तरह से वह खुजलाते हुए पीला न पड़ जाय वैसा उसे करना (अर्थात् उसे बात लगे तो, पर असह्य न हो जाय)।। 2,81 ।।

शरत्काल में बड़े सरोवरों की जलाराशि कुपित सज्जनों के हृदय के समान भीतर शीतल किन्तु बाहर ऊष्ण हो जाती है।। 2,86 ।।

आज ही वह प्रवास पर गया और आज ही मार्ग-मुख, देवकुल, चबूतरे और हमारे हृदय सूने हो गये हैं।। 2,90 ।।

विदीर्ण होते हुए हृदय से भी, मामी, उससे कैसे निवेदन किया जाय जिसमें, दर्पण में प्रतिबिम्ब की भाँति, दुःख व्याप्त ही नहीं होता?।। 3,4 ।।

पथिक गृहिणी द्वारा प्रदान किये जाने पर भी उसके लटकते हाथ से विगलित कङ्कण के बीच विद्यमान पिण्ड को पाश की आशङ्का से युक्त काक (ग्रहण करना) नहीं चाहता।। 3,5 ।।

NOTES

अवधि के दिन आ जाने की आशंका करनेवाली सखियाँ (नायिका द्वारा) भित्ति पर अंकित दो-तीन रेखाएँ वहीं चोरी से मिटा देती हैं ॥ 3,6 ॥

NOTES

“आज गया”, “आज गया”, “आज गया”, इस प्रकार गणना-रत नायिका ने पहले दिनाङ्क में ही भीत को रेखाओं से भर दिया ॥ 3,8 ॥

अरी कृशमध्ये, पिछले मकानवाले अङ्कोट वृक्ष के पत्ते से अङ्कित अपनी पीठ पोंछ डाल। अरी भोली! तू कहीं चतुर देवरानियों द्वारा पहचानी न जाय ॥ 4,13 ॥

दृढ़ रोग से आविल होने पर भी सज्जन के मुख से अप्रिय (वचन) कहाँ? राहु के मुख में विद्यमान भी चन्द्र की किरणें अमृत ही देती हैं ॥ 4,19 ॥

हेमन्त में निर्धन व्यक्ति अपने गोंइठें की गन्धवाले धुएँ से कपिल वर्ण के, अत्यन्त विरल सूत्रजालवाले (फटे-पुराने) वस्त्र से ही जान लिया जाता है ॥ 4,29 ॥

सज्जन, विपत्ति में उद्वेगरहित, सम्पत्ति में गर्वरहित, भय में धैर्ययुक्त तथा ऊँच-नीच में अपरिवर्तित स्वभाव वाले होते हैं ॥ 4,80 ॥

वर्षा में मोर ग्रीवा बढ़ाकर मरकत की सुई से बिंधे मोती के समान दूर्वाग्र पर स्थित जलबिन्दु का पान करता है ॥ 4,94 ॥

‘सो जाओ तीसरा याम भी गया, ऐसा हे सखियो! मुख से क्यों कहती हो? शेफालिका पुष्पों की गन्ध (मुझे) सोने नहीं देती; तुम सो जाओ ॥ 5,12 ॥

धनुष, स्वभाव से सरल और गुण ही का आश्रय लेनेवाले बाण को भी दूर फेंक देता है। (भला) टेढ़े और सीधे का सम्बन्ध क्या देर तक रहता है? ॥ 5,24 ॥

कहाँ गया सूर्यमण्डल और कहाँ नष्ट हो गये चाँद-तारे। काल, आकाश में बगुलियों की पाँत की तरह होरा को काढ़ रहा है ॥ 5,35 ॥

कृष्ण! यदि घूमते हो तो इस गोठ में सौभाग्यमद से मत्त इसी प्रकार घूमते रहो। महिलाओं के दोष-गुण विचारने में तुम आज भी समर्थ नहीं हो ॥ 5,47 ॥

तुम्हारे दर्शन की अभिलाषिणी होकर कण्ठध्वनि सुनकर वह जितने कदम निकली थी, तुम्हारे विलीन होने पर उसे उतने ही कदम ढोकर लाना पड़ा ॥ 6,5 ॥

जिस-जिस दिशा को देखती हूँ, वहीं सामने चित्रित-से दिखायी देते हो। सारा दिङ्मण्डल ही जैसे तुम्हारी प्रतिमा-परम्परा को धारण किया है ॥ 6,30 ॥

पङ्कमलिन, केवल दुग्धपान करनेवाले, घुटनों में मुँह छिपा लेनेवाले पुत्र की भाँति पंकमलिन, केवल जलपायी, जानुपर्यन्त अवस्थित शालि (= धान्य) के क्षेत्र से कृषक आनन्दित होता है ॥ 6,67 ॥

वाणी से क्या कहा जाय? पत्र में भी कितना लिखा जा सकता है? तुम्हारे विरह में कितना दुःख है, तुम्हीं समझ रहे हो ॥ 6,71 ॥

दुःशिक्षित जौहरियों द्वारा, हे मरकत, तुम तब तक पत्थर पर घिसे गये हो, जब तक तिल-मात्र ही बचे हो (फिर भी) तुम्हारे मूल्य-निर्धारण की बात ही क्या? ॥ 7,27 ॥

पके कैंथ की गन्ध के लोभ में कमल को छोड़ने वाले भ्रमर! इसके स्पर्श द्वारा ही तुम इसे जान सकोगे, जैसे कोई मूर्ख चित्रित लड्डू को (जान जाता है) ॥ 7,41 ॥

देखो, मंगल गायिकाओं द्वारा (गीत) गाये जाते हैं। वर के नाम पर कान देनेवाली भावी वधू का रोमाञ्च भी मानो सुनने के लिए निकल पड़ा है ॥ 7,42 ॥

मन आशा की कूँची से हृदय-पलक पर जो-जो चित्र बनाता है, उन्हें-उन्हें विधाता बालक की तरह चुपचाप हँसकर मिटा देता है ॥ 7,46 ॥

देखो सुतनु! जल बरसा चुकने पर शरद् में लवण के पर्वत जैसे और धुनी हुई रूई के समूहों जैसे श्वेत मेघ शोभा पा रहे हैं ॥ 7,79 ॥

बीच में थोड़ी कीचड़वाली और दोनों किनारों पर सूखी कर्दमवाली गाँव की राह उसके मस्तक की सीमन्त-रेखा-सी हो गयी है ॥ 7,82 ॥

2. रावणवहो

(पडमो आसासओ)

णमह अवडिढअतुङ्गं अवसारिअवित्थअं अणोणअगहिरम् ।
 अप्पलहुअपरिसण्हं अणाअपरमत्थपाअडं महुमहणम् ॥ 1 ॥
 दणुएन्दरुहिरलग्गे जस्स फुरन्ते णहप्पहाविच्छड्डे ।
 गुप्पन्ती विवलाआ गलिअ व्व थणंसुए महासुरलच्छी ॥ 2 ॥
 पीणत्तणदुग्गेज्झं जस्स भुआअन्तणिटटुरपरिग्गहिअम् ।
 रिट्टस्स विसमवलिअं कण्ठं दुक्खेण जीविअं बोलीणम् ॥ 3 ॥
 आओहिअमहिवेढो जेण परूढगमूललद्धत्थामो ।
 उम्मूलन्तेण दुमं पारोहो व्व खुडिओ महेन्दस्स जसो ॥ 4 ॥
 णमह अ जस्स फुडरवं कण्ठच्छआघडन्तणग्गिसिहम् ।
 फुरइ फुरिअट्टहासं उद्धपडिततिमिरं विअ दिसाअक्कम् ॥ 5 ॥
 वेवइ जस्स सविडिअं वलिडं महइ पुल आइअत्थणअलसम् ।
 पेम्मसहावविमुहिअं वीआवासगमयणूसुअं बामद्धम् ॥ 6 ॥
 जस्स विलगन्ति णहं फुडपडिसद्दा दिसाअलपडिक्खलिआ ।
 जोण्हाकल्लोला विअससिधवलासु रअणीसु हसिअच्छेआ ॥ 7 ॥
 णट्टारम्भक्खुहिआ जस्स भउब्बन्तमच्छपहअजलरआ ।
 होन्ति सलिलुद्धुमाइअधूमाअन्तवडवामुहा मअरहरा ॥ 8 ॥
 अहिणवराआरद्धा चुक्कक्खलिएसु विहडिअपरिट्टुविआ ।
 मेत्ति व्व पमुहरसिआ णिव्वोद्धुं होइ दुक्करं कव्वकहा ॥ 9 ॥

NOTES

NOTES

परिवड्ढइ विण्णाणं सम्भाविज्जइ जसो विदुप्पन्ति गुणा ।
सुव्वइ सुडरुसचरिअं किं तं जेण ण हरन्ति कव्वालावा ॥ 10 ॥
इच्छइ व धणरिद्धी जोव्वणलद्धव्व आहिआईअ सिरी ।
दुक्खं सम्भाविज्जइ बन्धच्छाआइ अहिणवा अत्थगई ॥ 11 ॥
तं तिअसबन्दिमोक्खं समत्थल्लोक्कहिअसल्लुद्धरणं ।
सुणह अणुराअइण्हं सीआदुक्खक्खअं दहमुहस्स वहम् ॥ 12 ॥
अह पडिवण्णविरोहे राहववम्महसरेण माणब्भहिए ।
विद्धाइ वालिहिअए राअसिरीअ अहिसारिए सुग्गीवे ॥ 13 ॥
ववसाअरइपओसो रोसगइन्ददिढसिद्धुलापडिबन्धो ।
कह कह वि दासरहिणोजअकेसरिपज्जरो गओ घणसमओ ॥ 14 ॥
गमिआ कदम्बवाआ दिट्ठं मेहन्धआरिअं गअणअलम् ।
सहिओ गज्जितसद्धो तह विहु से णत्थि जीविए आसङ्घो ॥ 15 ॥
तो हरिवइजसवन्धो राहवजीअस्स पथमहत्था लम्बो ।
सीआबाहविहाओ दहमुहवज्जदिअहो उवगओ सरओ ॥ 16 ॥
रइअरकेसरणिवहं सोहइ धवलब्भदलसहस्सपरिगअम् ।
महुमहदंसणजोगं पिआमहुप्पत्तिपङ्कअं व णहअलम् ॥ 17 ॥
दिणमणिमोहप्फुरिअं गलिअं घणलच्छिरअणरसणादामम् ।
उदुमअणबाणवत्तं णहमन्दारणवकेसरं इन्दधणुम् ॥ 18 ॥
धुअमेहमहुअराओ घणसमआअट्टिणअविमुक्काओ ।
णहपाअवसाहाओ णिअअट्ठानां व पडिगआओ दिसाओ ॥ 19 ॥
अहिणवणिद्धालोओ उद्देसासारदीसमाणजललवा ।
णिम्माअमज्जणसुहा दरवसुआअच्छविं वहन्ति व दिअहा ॥ 20 ॥
सुहसम्माणिअणिद्धो विरहालुद्धिअसमुद्धदिण्णुक्कण्ठो ।
असुवन्तो वि विबुद्धो पढमविबुद्धसिरिसेविओ मुहमहणो ॥ 21 ॥
सोहइ विसुद्ध किरणो गअणसमुद्धम्मि रअणिवेलालगो ।
तारामुत्तावअरो फुडविहडिअमेहसिप्पि संपुडमुक्को ॥ 22 ॥
सत्तच्छ आँण गन्धो लग्गइ हिअए खलह कलम्बामोओ ।
कलहंसाणं कलरओ ठाइण संठाइ परिणअं सिहिविरुअम् ॥ 23 ॥
पीणपओहरलगं दिसाणं पवसन्तजलअसमअविइण्णम् ।
सोहग्गपणभूइण्हं पम्माअइ सरसणहवअं इन्दधणुम् ॥ 24 ॥
पज्जत्तसलिलधोए दुरालोक्कन्तणिम्मले गअणअले ।
अच्चासण्णं व ठिअं विमुक्कपरभाअपाअडं ससिबिम्बम् ॥ 25 ॥
चिरआलपडिणिउत्तं दिसासु घोलन्तकुमुअरअवेल्लविअम् ।
भमइ अलद्धासाअं कमलाअरदंसणूसुअं हंसउलम् ॥ 26 ॥

चन्दावधवलाओ फुरन्तदिअसरअणन्तरिअसोहाओ ।
 सोम्मे सरअस्स उरे मुत्तावलिविब्भमं वहन्ति णिसाओ ॥ 27 ॥
 भमररुअदिण्णसण्णं घण्रोहविमुक्कदिण अरअरालिट्टम् ।
 फरिससुहाअन्तं विअ पडिबुज्झइ जलणिहितणालं णलिणम् ॥ 28 ॥
 मभ्यहधणुगघोसो कमलवणक्खलिअलच्छिणेडरसद्धो ।
 सुव्वइ कलहंसरओ महुअरिवाहित्तणलिणपडिसंलाओ ॥ 29 ॥
 खुडिडप्पइअमुणालं दट्टूण पिअं व सिढिलवलअं णलिणम् ।
 महुअरिमहुरुल्लावं महुमअतम्बं मुहं व घेप्पइ कमलम् ॥ 30 ॥
 पज्जत्तकमलगन्धो महुतण्णाओसरन्तणवकुमुअरओ ।
 भमिरभमरोअइव्वो संचरइ सदाणसीअरो वणवाओ ॥ 31 ॥
 कण्टइअणूमिअङ्गी थोअत्थोओसरन्तमुद्धसहावा ।
 रइअरचुम्बिज्जन्तं ण णिअत्तइणलिणी मुहं विअ कमलम् ॥ 32 ॥
 परिघोलन्तक्खलिअं सत्तच्छअकुसुमधवलरेणुक्खइअम् ।
 उत्पुसइ दाणवङ्कं मुहुत्तगअकण्ण चामरं भमरउलम् ॥ 33 ॥

—प्रवरसेन विरचितस्य सेतुबन्धस्य प्रथमाशवासात्

संस्कृत अनुवाद

नमतावर्धिततुङ्गमप्रसारितयिस्तृतममवनतगथीरम् ।
 अप्रलघुकपरिश्लक्ष्णनज्ञातपरमार्थप्रकटं मधुमथनम् ॥ 1 ॥
 दनुजेन्द्ररुधिरलग्ने यस्य स्फुरति नखप्रभाविच्छर्दे ।
 गुप्यन्ती (व्याकुला) विपलायिता गलित इव स्तनांशुके महासुरलक्ष्मीः ॥ 2 ॥
 पीनत्वदुर्ग्राह्यं यस्य भुजान्तनिष्ठुरपरिगृहीतम् ।
 अरिष्टस्य विषमवलितं कण्ठं दुखेन जीयितं व्यतिक्रान्तम् ॥ 3 ॥
 अवगाहितमहीवेष्टं येन प्ररूढगुणमूललब्धस्थाम् ।
 उन्मूलयता द्रुमं प्ररोह इव खण्डितं महेन्द्रस्य यशः ॥ 4 ॥
 नमत च यस्य स्फुटरवं कण्ठच्छायाघटमाननाग्निशिखम् ।
 स्फुरति स्फुरिताट्टहासमूर्ध्वप्रदीप्ततिमिरमिव दिक्चक्रम् ॥ 5 ॥
 वेपते यस्य सब्रीडं वलितुं महति पुलकाचितस्तनकलशम् ।
 प्रेमस्वभावविमुषितं द्वितीयावकाशगमनोत्सुकं वामार्धम् ॥ 6 ॥
 यस्य विलगन्ति नभः स्फुटप्रतिशब्दा दिक्तलप्रतिस्खलिताः ।
 ज्योत्स्नाकल्लोला इव शशिधवलासु रजनीसु हसितच्छेदाः ॥ 7 ॥
 नृत्यारम्भक्षुभिता यस्य भयोद्भ्रान्तमत्स्यप्रहतजलहयाः ।
 भवन्ति सलिलोद्धमापित धूमायमानवडवामुखा मकरगृहाः ॥ 8 ॥
 अभिनवरागा (जा) रब्धा च्युतस्खलितुषु विघटितपरिस्थापिता ।

NOTES

NOTES

मैत्रीव प्रमुखरसिका निर्वोढुं भवति दुष्करं काव्यकथा ॥ 9 ॥
परिवर्धते विज्ञानं संभाव्यते यशोऽऽर्ज्यन्ते गुणाः।
श्रूयते सुपुरुषचरितं किं तद्येन न हरन्ति काव्यलापाः ॥ 10 ॥
इच्छयेव धनऋद्धियौवनलब्धेवामिजात्या श्रीः।
दुःख सम्भाव्यते बन्धच्छाययाभिनवार्थगतिः ॥ 11 ॥
तं त्रिदशबन्दिमोक्षं समस्तत्रैलोक्यहृदयशल्योद्धरणम्।
शृणुतानुरागचिह्नं सीतादुःखक्षय दशमुखस्य वधम् ॥ 12 ॥
अथ प्रतिपन्नविरोधे राघवमन्मथशरेण मानाभ्यधिके।
विद्धवा बालिहृदये राजश्रियाभिसारिते सुग्रीवे ॥ 13 ॥
व्यवसायरविप्रदोषो रोषगजेन्द्रदृढशृङ्खलाप्रतिबन्धः।
कथं कथमपि दाशरथेर्जयकेसरिपञ्जरो गतो धनसमयः ॥ 14 ॥
गमिताः कदम्बवाता दृष्टं मेघान्धकारितं गगनतलम्।
सोढो गर्जितशब्दस्तथापि खल्वस्या नास्ति जीवित आसङ्गः ॥ 15 ॥
धतो हरिपतियषः पथो राघवजीवस्य प्रथमहस्तालम्बः।
सोताबाष्पविघातः दशमुखवध्यदिवस उपगता शरत् ॥ 16 ॥
रविकरकेसरनिवहं शोभते धवलाभ्रदलसहस्रपरिगतम्।
मधुमथनदर्शनयोग्यं पितामहोत्पत्तिपङ्कजमिव नभस्तलम् ॥ 17 ॥
दिनमणिमुखस्फुरितं गलितं घनलक्ष्मीरत्नरशनादाम।
ऋतुमदनबाणवक्त्रं नभोमन्दारनवकेसरमिन्द्रधनुः ॥ 18 ॥
धुतमेभमधुकरा घनसमयाकृष्टावनतविमुक्ताः।
नभः पापशाखा निजकस्थानमिव प्रतिगता दिशः ॥ 19 ॥
अभिनवस्निग्धालोका उद्देशासारदृश्यमानजललवाः।
निर्मितमज्जनसुखा दरशुष्कच्छविं वहन्तीव दिवसाः ॥ 20 ॥
सुखसम्मनितनिद्रो विरहस्पृष्टसमुद्रदत्तोत्कण्ठः।
अस्वपन्नपि विबुद्धः प्रथमविबुद्धश्रीसेवितो मधुमथनः ॥ 21 ॥
शोभते विशुद्धीकिरणो गगनसमुद्रे रजनिवेलालग्नः।
तारामुक्ताप्रकरः स्फुटविघटितमेघशुक्तिसंपुटमुक्तः ॥ 22 ॥
सप्तच्छदानां गन्धो लगति हृदये स्खलति कदम्बामोदः।
कलहंसानां कलरवस्तिष्ठति न सन्तिष्ठते परिणतं शिखिविरुतम् ॥ 23 ॥
पीनपयोधरलग्नं दिशां प्रवसज्जलदसमयवितीर्णम्।
सौभाग्यप्रथमचिह्नं प्रम्लायति सरसनखपदमिन्द्रधनुः ॥ 24 ॥
पर्याप्तसलिलधौते दूरालोक्यमाननिर्मले गगनतले।
अत्यासन्नमिव स्थितं विमुक्तपरभागप्रकटं शशिबिम्बम् ॥ 25 ॥
चिरकालप्रतिनिवृत्तं दिक्षु घूर्णमानकुमुदरजोविलिप्तम्।

भ्रमत्यलब्धास्वादं कमलाकरदर्शनोत्सुकं हंसकुलम् ॥ 26 ॥

चन्द्रातपधवलाः स्फुरद्विवसरन्तरितशोभाः ।

सौम्य शरद उरसि मुक्तावलिभिभ्रमं वहन्ति निशाः ॥ 27 ॥

भ्रमररुतदत्तसंज्ञं घनरोधविमुक्तदिनकराश्लिष्टम् ।

स्पर्शसुखायमानमिव प्रतिबुध्यते जलनिहिअनालं नलिनम् ॥ 28 ॥

मन्मथधनुर्निर्घोषः कमलवनस्खलितलक्ष्मीनूपुरशब्दः ।

श्रुयते कलहंसरवो मधुकरीव्याहतनलिनीप्रतिसंलापः ॥ 29 ॥

खण्डितोत्पाटितमृणालां दृष्ट्वा प्रियामिवशिथिलवलयां नलिनीम् ।

मधुकरीमधुरोल्लापं मधुमयाताम्रं (पक्षे-मधुमदताम्रं) मुखमिव गृह्यते कमलम् ॥ 30 ॥

पर्याप्तकमलगन्धो मध्वाद्रापिसरन्नवकुमुदरजाः ।

भ्रमद्भ्रमरोपजीव्यः सञ्चरति सदानशीकरो वनवातः ॥ 31 ॥

कण्टकितगोपिताङ्गी स्तोकस्तोकापसरन्मुग्धस्वभावा ।

रविकरचुम्ब्यमानं न निवर्तयति नलिनी मुखमिव कमलम् ॥ 32 ॥

परिपूर्णमानस्खलितं सप्तच्छदकुसुमधवलरेणूत्खचितम् ।

उत्प्रोञ्छति दानपङ्कं मुहूर्तगजकर्णचामरं भ्रमरकुलम् ॥ 33 ॥

हिन्दी अनुवाद

बिना बड़े हुए ही ऊँचे, बिना फैले ही सुविस्तृत, बिना झुके (अवनत हुए) ही गम्भीर, कृश न होते हुए भी कृश, परमार्थ तत्त्व रूप में अज्ञात होकर भी प्रकट मधुरिपु को प्रणाम करो ॥ 1 ॥

असुरराज के रक्त से रंजित जिनके नखों के कान्तिजाल के विकीर्ण होने पर महादनुज की लक्ष्मी स्तनांशुक के गिर जाने पर (लज्जित-सी) छिपती भाग खड़ी हुई ॥ 2 ॥

अपनी विशालता के कारण दुर्ग्राह्य अरिष्ट (नामक असुर) का कण्ठ जिनके भुजान्त द्वारा निष्ठुरतापूर्वक पकड़े जाने पर बुरी तरह ऐंठा गया और प्राण कष्ट से निकल गया ॥ 3 ॥

समस्त पृथ्वीमण्डल का अवगाहन करने वाला अत्यधिक गुणों के कारण स्थिरता को प्राप्त देवेन्द्र का यश जिन्होंने (पारिजात) वृक्ष उखाड़ते समय अंकुर के समान नष्ट कर दिया ॥ 4 ॥

जिन (शंकर भगवान) की कण्ठ की छाया से सम्बद्ध शिखावाला स्फुरित अट्टहासवाला, ऊपर के भाग में जलते हुए अन्धकारवाला, स्पष्ट शब्दवाला दिक्चक्र विकनिम होता है, उस शंकर भगवान् को नमस्कार करें ॥ 5 ॥

पुलकावली संकुल स्तनमंडलयुक्त, प्रेम स्वभाववश विमूढ एवं अपर (=दक्षिण) भाग की ओर जाने के लिए उत्सुक जिन (अर्धनारीश्वर) का वामार्ध, जिनके झुकने की कामना करने पर, लज्जायुक्त हो काँपता है ॥ 6 ॥

जिनकी स्फुट प्रतिध्वनिवाली; दिवोणों से परावर्तित हंसी, चन्द्रिका की लहरों की भाँति चन्द्रधवल रात्रियों में आकाश का स्पर्श करती है ॥ 7 ॥

NOTES

जिनके नृत्यारम्भ से विशुद्ध समुद्रों के जल का प्रवाह भयभ्रमित मत्स्यों से रुद्ध हो जाता है और जल से बुझता हुआ वड़वानल धूमयुक्त हो जाता है।। 8 ।।

NOTES

रसिक ही जिसमें सर्वोपरि हैं, जो नवीन रागवश प्रारम्भ होती है, चूक जानेवाले व्यक्ति के अपराध से खण्डित होने पर जिसे फिर से स्थापित करना पड़ता है, ऐसी मैत्री के समान नवीन राजा (प्रवरसेन) द्वारा प्रारब्ध चूक जाने के कारण नष्टप्राय होने पर परिष्कृत प्रमुखतया रसिकों के लिए प्रयोज्य काव्य-कथा का निर्वाह करना कठिन होता है।। 9 ।।

विशिष्ट ज्ञान बढ़ता है। यश की सम्भावना होती है। गुण अर्जित किये जाते हैं। सज्जनों का चरित्र सुनने को मिलता है। वह कौन-सी वस्तु है जिससे काव्य-प्रयोग मनोहारी नहीं होते (अर्थात् सभी वस्तुओं से मनोहारी होते हैं)।। 10 ।।

कामना के साथ धन-सम्पत्ति, आभिजात्य के साथ यौवनप्राप्तशोभा तथा काव्य-बन्ध (= छन्द) रमणीयता के साथ नवीनार्थ की योजना दुःखपूर्वक (कठिनता से) ही संभव है।। 11 ।।

बन्दी देवताओं के मुक्तिस्वरूप, निखिल त्रिलोकी के हृदय-शूल निकालनेवाले अनुराग के प्रतीक, सीता के दुःख को दूर करनेवाले उस दशमुख के वध को सुनें।। 12 ।।

रामरूप कामदेव के बाण द्वारा विरोधयुक्त पर्याप्त अभिमान वाले बालि के हृदय में प्रहत (बालि) की राज्य-लक्ष्मी के सुग्रीव से अभिसार करने पर;

राम के प्रयत्नरूप सूर्य का प्रदोष-काल, उनके कोपरूपी गजराज का शृङ्खलारूप दृढ़-बन्धन एवं राम की विजयरूपी सिंह का पिंजड़ारूपी किसी-न-किसी तरह बीत गया।। 13,14 ।।

कदम्ब की वायु भी बिता ली गयी, मेघों से अन्धकारावृत आकाश भी देख लिया गया, गर्जन का शब्द भी सहन कर लिया गया, फिर भी जीवन से उसकी आसक्ति नहीं हुई।। 15 ।।

फिर वानरराज के यश का मार्ग, राम के प्राणों का पहला हस्तावलम्ब, सीता के अश्रुओं का नाशक, रावण-वध के योग्य दिवसरूप शरत्समय उपस्थित हुआ।। 16 ।।

सूर्यकिरणरूप केशर राशिवाला, हजारों शुभ्र मेघ-खण्ड-रूपी पंखुड़ियों से व्याप्त, नारायण के दर्शन योग्य आकाश-प्रदेश, ब्रह्मा के उत्पत्तिकमल-सा शोभित हुआ।। 17 ।।

सूर्य की किरणों से प्रकाशित, वर्षाऋतुरूप कामदेव का बाणाग्र, आकाश-रूपी मन्दार पुष्प का केसर एवं मेघ-लक्ष्मी का मेखलाबन्ध इन्द्रधनुष विगलित हो गया।। 18 ।।

जिनसे मेघरूपी भ्रमर विलीन हो गये हैं, वे वर्षाऋतु द्वारा खींचकर झुकायी जाने के बाद छोड़ दी गयी आकाशरूपी वृक्ष की दिशारूपी शाखाएँ मानो अपनी जगह लौट गयीं।। 19 ।।

नवीन स्निग्ध प्रकाशयुक्त दिवस, एक भूभाग में वेगपूर्ण वर्षा के कारण दिखायी देनेवाले जलखण्डों कारण स्नान-सुख प्राप्त किये हुए लोगों की भाँति आधे सूखे दिखायी देते हैं।। 20 ।।

विरहाकुल समुद्र के प्रति उत्कण्ठा-युक्त, सुखपूर्वक निद्रा का सम्मान करनेवाले पहले से जागी हुई

लक्ष्मी द्वारा सेवित मधुरिपु (वस्तुतः) न सोने पर भी (सोकर) जागे (अर्थात् देवोत्थानी एकादशी हुई) ॥

21 ॥

आकाशरूपी समुद्र में रात्रिरूपी किनारे से लगी स्पष्टतः विदीर्ण होते हुए मेघों के रूप-सी सीपी के सम्पुट से निकलती विशुद्ध किरणोंवाली तारारूप मुक्ताओं की राशि शोभित हो रही है ॥ 22 ॥

सप्तच्छदों की गन्ध हृदय में लगती है। कदम्ब की गन्ध व्याप्त होती है। राजहंसों का कलरव (हृदय में) रह जाता है। मयूरों की (असमय के कारण) विरस केका नहीं रहती ॥ 23 ॥

जाते हुए वर्षाकाल द्वारा प्रदत्त दिशाओं के सुविशाल पयोधरों पर लगा सौभाग्य का प्रथम चिह्न सरस नखाङ्करूप इन्द्रधनुष मलिन हो रहा है ॥ 24 ॥

प्रचुर जलराशि से धुले, दूर से ही दिखने में स्वच्छ आकाश में मेघादिमुक्त चन्द्रमण्डल, लगता है बहुत ही पास विद्यमान है ॥ 25 ॥

बहुत समय बाद लौटा हुआ दिशाओं में व्याप्त कुमुदों से पराग से लिप्त, पद्मसर को देखने के लिए उत्सुक हंस-समूह स्वाद प्राप्त बिना ही घूम रहा है ॥ 26 ॥

प्रदीप्त दिनमणि से जिनकी शोभा समाप्त हो जाती है, वे चन्द्रिकोज्ज्वल रात्रियाँ शरत्काल के कान्तिमान् वक्ष पर विद्यमान मुक्तमालाओं की शोभा धारण करती हैं ॥ 27 ॥

जल में व्याप्त नालयुक्त, मधुकर रव से संकेत प्राप्त कर, मेघमुख सूर्य की किरणों से आलिङ्गित कमल, स्पर्श-सुख का अनुभव करता हुआ-सा जागता (खिलता) है ॥ 28 ॥

राजहंसों का शब्द, कामदेव के धनुष की टंकार, कमल-वनों में स्खलित लक्ष्मी के नूपुरों की ध्वनि तथा मधुकरी द्वारा कही गयी बात के कमलिनी द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर के रूप में सुना जाता है ॥ 29 ॥

तोड़कर निकाले गये मृणालोंवाली कमलिनी को शिथिल-बलया प्रिया के समान देखकर (सहृदयों द्वारा) भ्रमरी के मधुर रव से युक्त मधुमय रक्तमुख के समान कमल ग्रहण किया जाता है ॥ 30 ॥

कमल की गन्ध से परिपूर्ण, (कमल, कुमुद और गजमद की जिज्ञासा से) घूमते हुए भ्रमरों का उपजीव्य (द्वारा सेवनीय), गजमदबिन्दुयुक्त वन्य पवन, नये कुमुदों के मधु से गीले पराग को गिराता (बिखेरता) हुआ बह रहा है ॥ 31 ॥

पुलकित (नालरूप) अङ्ग को (जल में) छिपाये कलिका-भाव का धीरे-धीरे त्याग करनेवाली कमलिनी सूर्यकरों द्वारा स्पृश्यमान कमल को नहीं हटाती। जैसे पुलकित अंगों को छिपानेवाली, मुग्धात्व का धीरे-धीरे त्याग करनेवाली, प्रेमी के द्वारा चुम्ब्यमान मुख को नायिका नहीं हटाती ॥ 32 ॥

घूमते हुए स्खलित होनेवाला सप्तच्छद-पुष्पों के उज्ज्वल पराग से लिप्त, क्षणभर के लिए गज का कर्ण चामर बननेवाला, भ्रमर-समूह (उसके) दानवारि के पङ्क को पोंछ देता है ॥ 33 ॥

NOTES

2. पाइअ-संगहो (शौरसेनी)

1. स्वप्नवासवदत्तम् (चतुर्थोऽङ्कः)

[ततः प्रविशति विदूषकः।]

विदूषक—[सहर्षम्] भो ! द्विट्टिआ तत्तहोदो वच्छराअस्स अभिप्पेद-विवाहमङ्गलरमणिज्जो कालो दिट्ठो। भो ! को णाम एदं जाणादि—तादिसे वयं अणत्थसलिललावत्ते पक्खित्ता उण उम्मज्जिस्सामो' त्ति। इदाणिं पासादेसु असीअदि, उन्देउरदिग्घआसु ण्हाईअदि, पकिदिमउरसुउमाराणि मोदअखज्जी-आणि खज्जीअन्ति त्ति अणच्छरसंवासो उत्तरकुरुवासो मए अणुभवीअदि। एक्को खु महन्तो दोसो, मम आहारो सुट्ठण परिणमदि, सुप्पच्छदणाए सय्याए णिहंण लभामि, जह वादसोणिदं अभिदे विअ वत्तदि वत्तदि त्ति पेक्खामि। भो ! सुहं णाम अपरिभूदं अकल्लवत्तं च।

[ततः प्रविशति चेटी।]

चेटी—कहिं णु खु गदो अय्यवसन्तओ ? [परिक्रम्यावलोक्य] अम्हो ! ऐसा अय्यवसन्तओ। [उपगम्य] अय्य ! वसन्तअ ! को कालो तुमं अण्णेसामि।

विदूषकः—[दृष्ट्वा] किंणिमित्तं भदे ! मं अण्णेससि ?

चेटी—अम्हाणं भट्टिणी भणदि-अवि ह्लादो जामादुओ त्ति।

विदूषकः—किं णिमित्तं भोदि पुच्छदि।

चेटी—किमण्णं। सुमणोवण्णअं आणेमि त्ति।

विदूषकः—ह्लोदो तत्तभवं। सव्वं आणेदु भोदी वज्जिअ भोअणं।

चेटी—किंणिमित्तं बारेसि भोअणं ?

विदूषकः—अधण्णस्स मम कोइलाणं अक्खिवरिबट्ठो विअ कुक्खि-परिवट्ठो संवुत्तो।

चेटी—ईदिसो एव्व होहि।

विदूषकः—गच्छदु भोदी। जाव अहं वि तत्तहोदो साअसं गच्छामि।

[निष्क्रान्तौ।]

इति प्रवेशकः।

[ततः प्रविशति सपरिवार पद्मावती आवन्तिकावेषधारिणी वासवदत्ता च।

चेटी—किंणिमित्तं भट्टिदारिआ पमदवणं आअदा ?

पद्मावती—हला ! ताणि दाव सेहालिआगुम्हआणि पेक्खामि कुसुमिदाणि बाणं वेतित्त।

चेटी—भट्टिदारिए ! ताणि कुसुमिदाणि णाम, पवालन्तरिदेहिं विअ मोत्तिआलम्बएहिं आइदाणि कुसुमेंहिं।

NOTES

पद्मावती—हला ! जदि एव्वं, किं दाणिं विलम्बेसि ?

चेटी—तेण हि इमस्सिं सिलावट्टए मुहुत्तणं उपविसदु भट्टिदारिआ। जाव अहं वि कुसुकावचअं करोमि।

पद्मावती—अय्ये ! किं एत्थ उपविसामो ?

वासवदत्ता—एव्वं होदु।

[उभे उपविशतः।]

चेटी—[तथा कृत्वा] पेक्खदु पम्बदु भट्टिदारिआ अद्धमणसिला बट्टएहिं विअ सेहालिआकुसुमेहि पूरिअं में अञ्जलिं।

पद्मावती—[दृष्ट्वा] अहो ! विइत्तदा कुसुमाणं। पेक्खदु पेक्खदु अय्या।

वासवदत्ता—अहा ! दस्सणीअदा कुसुमाणं।

चेटी—भट्टिदारिए ! किं भूयो अवइणुस्सं ?

पद्मावती—हला ! मा मा भूयो अवइणिअ।

वासवदत्ता—हला ! किंणिमितं वारेसि ?

पद्मावती—अय्यउत्तो इह आअयच्छिअ इमं कुसुमसमिद्धिं पेक्खस्ससि सम्माणिदा भवेअं।

वासवदत्ता—हला ! पिओ दे भत्ता ?

पद्मावती—अय्ये ! ण जाणामि, अय्यउत्तेण विरहिदा उक्कण्ठिदा होमि।

वासवदत्ता—[आत्मगतम्] दुक्खरं खु अहं करेमि। इअं वि णाम एव्वं मन्तेदि।

चेटी—अभिजादं खु भट्टिदारिआए मन्तिदं—पिओ मे भत्तेति।

पद्मावती—एक्को खु मे सन्देहो

वासवदत्ता—किं किं ?

पद्मावती—जह मम अय्यउत्तो, तह एव्व वासवदत्ताए त्ति ?

वासवदत्ता—अदो वि अहिअं ?

पद्मावती—कहं तुवं जाणासि ?

वासवदत्ता—[आत्मगतम्] हं, अय्यउत्तपक्खवादेण अदिक्कन्दो समुदाआरो। एव्वं दाव भणिस्सं [प्रकाशम्] जइ अप्पो सिणेहो, सा सजणं ण परित्तजदि।

पद्मावती—होदव्वं।

NOTES

चेटी—भट्टिदारिए ! साहु भतारं भगाहि—अहं पि वोणं सिक्खिस्सामि त्ति ।

पद्मावती—उत्ते मए अय्यउत्तो ।

NOTES

वासवदत्ता—तदो कि भणिदं ?

पद्मावती—अभणिअ किञ्चि दिग्धं णिस्ससिअ तुण्होओ संवुत्तो ।

वासवदत्ता—तदो तुवं किं विअ तक्केसि ?

पद्मावती—तक्केमि अय्याए वासवदत्ताए गुणाणि सुमरिअ दक्खिणदाए मम अग्गदो ण रोदिदि त्ति ।

वासवदत्ता—[आत्मगतम्] धण्णाखु म्हि, जदि एव्वं सच्चं भवे ।

[ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च ।]

विदूषकः—ही ! ही ! पचिअपडिअबन्धुजीवकुसुमविरलवादरमणिज्जं पमदवणं । इदो दाव भवं ।

—भास कविः

संस्कृत अनुवाद

(ततः प्रविशति विदूषकः।)

विदूषकः—(सहर्षम्) भोः ! दिष्ट्या तत्रभवतः वत्सराजस्य अभिप्रेतविवाह-मङ्गलरमणीयः कालधृष्टः। भोः ! को नाम एतज् जानाति—तादृशे वयं अनर्थसलिललावर्ते प्रक्षिप्ताः पुनः उन्मङ्क्ष्याम इति । इदानीं प्रासादेषु उष्यते, अन्तः पुरदीधिकासु स्नायते, प्रकृतिमधुरसुकुमाराणि मोदकखाद्यानि खाद्यन्ते इति अनप्सरः संवास उत्तर-कुरुवासो मयानुभूयते । एकः खलु महान् दोषः, मम आहारः सुष्ठु न परिणमति, मुप्रच्छदनायां शय्यायां निद्रां न लभे, यथा वातशोणितम् अभित इव वर्तत इति प्रेक्षे । भोः सुखं नाम अपरिभूतं अकल्यवर्तम् च ।

(ततः प्रविशति चेटी ।)

चेटी—कुत्र नु खलु गत आयैवसन्तकः ? (परिक्रम्यावलोक्य) हम्भो ! एष आर्यो वसन्तकः ।
(उपगम्य) आय ! वसन्तक ! कः कालः त्वामन्विष्यामि ।

विदूषकः—(दृष्ट्वा) किन्निमित्तं भद्रे ! माम् ! अन्विष्यसि ?

चेटी—अस्माकं भट्टिनी भणति—अपित स्नातः जामाता इति ।

विदूषकः—किन्निमित्तं भवती पृच्छति ?

चेटी—किमन्यत् । सुमनोवर्णकमानयामि इति ।

विदूषकः—स्नातस्तत्रभवान् । सर्वमानयतु भवती, वर्जयित्वा भोजनम् ।

चेटी—किन्निमित्तं वारयसि भोजनम् ।

विदूषकः—अधन्यस्य मम कोक्लानामक्षिपरिवर्त्त इव कुक्षिपरिवर्त्तः संवृत्तः।

साहित्यिक-प्राकृत

चेटी—ईदृश एव भव।

विदूषकः—गच्छतु भवती। यावदहमपि तत्रभवतः सकाश गच्छामि।

(निस्क्राकान्तौ।) इति प्रवेशकः।

(ततः प्रविशति सपरिवारा पद्मावती आवन्तिकावेषधारिणीवासवदत्ता च।)

चेटी—किन्निमित्तं भर्तृदारिका प्रमदवनमागता ?

पद्मावती—हला ! तानि तावत् शोफालिकागुम्फकानि प्रेक्षे कुसुमितानि वा नवेति।

चेटी—भर्तृदारिके ! तानि कुसुमितानि नाम, प्रवालान्तरितैरिव मौक्तिकालम्बकैराचितानि कुसुमैः।

पद्मावती—हला ! यद्येवं, किमिदानीं विलम्बसे ?

चेटी—तेन हि अस्मिन् शिलापट्टके मुहूर्त्तकम् उपविशतु भर्तृदारिका। यावदहमपि कुसुमावचयं करोमि।

पद्मावती—आर्य्ये ! किमत्र उपविशावः।

वासवदत्ता—एवं भवतु।

(उभौ उपविशतः।)

चेटी—(तथा कृत्वा) प्रेक्षतां प्रेक्षतां भर्तृदारिका अर्धमनःशिलापट्टकैरिव शोफालिकाकुसुमैः पूरितो मे अञ्जलिः।

पद्मावती—(दृष्ट्वा) अहो ! विचित्रता कुसुमानाम् प्रेक्षतां प्रेक्षताम् आर्या।

वासवदत्ता—अहो ! दर्शनीयता कुसुमानाम्।

चेटी—भर्तृदारिके ! किं अवचेष्यामि ?

पद्मावती—हला ! मा मा भूयोऽवचित्य।

वासवदत्ता—हला ! किन्निमित्तं वारयसि ?

पद्मावती—आर्य्यपुत्र इहागत्य इमां कुसुमसमृद्धिं प्रेक्षिष्यते, सम्मानिता भवेयम्।

वासवदत्ता—हला ! प्रियस्ते भर्ता ?

पद्मावती—आर्य्ये ! न जानामि। आर्य्यपुत्रेण विरहिता उत्कण्ठिता भवामि।

वासवदत्ता—(आत्मगतम्) दुष्करं खल्वहं करोमि। इयमपि नाम एवं मन्त्रयति।

चेटी—अभिजातं खुल भर्तृदारिकया मन्त्रितम्—प्रियो मे भर्तेति।

पद्मावती—एकः खुल मे सन्देहः।

NOTES

NOTES

वासवदत्ता—किं किम् !

पद्मावती—यथा मार्यपुत्रः, तथैव आर्याया वासवदत्ताया इति ?

वासवदत्ता—अतोऽप्यधिकम् ।

पद्मावती—कथं त्वं जानासि ?

वासवदत्ता—(आत्मगतम्) हम्, आर्यपुत्रपक्षपातेन अतिक्रान्त समुदाचारः एवं तावद् भणिष्यामि ।
(प्रकाशम्) यदिअल्पः स्नेहः, सा स्वजनम् न परित्यजति ।

पद्मावती—भवितव्यम् ।

चेटी—भर्तृदारिके ! साधु भर्तारं भण—अहमपि वीणां शिक्षिष्ये इति ।

पद्मावती—उक्तो मयार्यपुत्रः ।

वासवदत्ता—ततः किं भणितम् ?

पद्मावती—अभणित्वा किञ्चिद् दीर्घ निःश्वस्य तूष्णीकः संवृत्तः ।

वासवदत्ता—ततस्त्वं किमिव तर्कयसि ?

पद्मावती—तर्कयामि आर्याण वासवदत्ताया गुणन् स्मृत्वा दक्षिणतया ममाग्रतो न रोदित्तीति ।

वासवदत्ता—(आत्मगतम्) धन्या खल्वस्मि, यद्येवं सत्यं भवेत् ।

(ततः प्रविशति राजा विदूषकश्च ।)

विदूषकः—ही ! ही ! प्रचितम पतितबन्धुजीवकुसुमविरलवातरमणीयं प्रमदवनम् । इतस्तावद्भवान् ।

हिन्दी अनुवाद

[विदूषक प्रवेश करता है।]

विदूषक—[सहर्ष] अहो ! भाग्य से, पूज्य वत्सराज का, अभिमत विवाह-मङ्गल से रमणीय समय, देखा। आहे ! भला कौन यह जानता था कि जलावर्त जैसे अनर्थ में पड़कर भी फिर हम उबरेंगे। इस समय महलों में रहते हैं, अन्तःपुर की बावलियों में नहाते हैं, प्रकृति-मधुर सुन्दर लड्डू खाते हैं। इस प्रकार मैं बिना अप्सराओं के साथ के भी उत्तम कुरुवास का अनुभव कर रहा हूँ। एक ही बड़ा दोष है कि मेरा खाना ठीक से पचता नहीं, भलीभाँति बिछायी गयी शय्या पर भी नींद नहीं आती। ऐसा प्रतीत होता है कि सब ओर वातरक्त घेरे हुए है। सुख वह है कि कलेवा मिलने में बाधा न हो।

[चेटी प्रवेश करती है।]

चेटी—कहाँ चले गये आर्य वसन्तक ? [घूमकर देखता है] ओह ! यह रहे आर्य वसन्तक। [समीप जाकर] आर्य वसन्तक ! कितने समय से आपको खोज रही हूँ।

विदूषक—[देखकर] क्यों खोज रही हो मुझे भद्रे ?

चेटी—हमारी स्वामिनी पूछती हैं—जामाता स्नान कर चुके क्या ?

विदूषक—किसलिए पूछती हैं देवी ?

चेटी—दूसरा क्या ? फूल आदि ले आऊँ, यही।

विदूषक—वे नहा चुके। सब ले आयेँ, खाना छोड़कर।

चेटी—भोजन, क्यों मना करते हैं ?

विदूषक—कोयलों की आँख पलटने की तरह मुझ अभागे का पेट, उलट गया है।

चेटी—ऐसे ही रहो।

विदूषक—जाइये आप ! तब तक मैं भी महाराजा के पास जाता हूँ।

[दोनों निकल जाते हैं।]

[अब परिजनों सहित पद्मावती और आवन्तिका के वेष में वासवदत्ता प्रवेश करती हैं।]

चेटी—स्वामिपुत्रि, प्रमवदन क्यों आयी हैं ?

पद्मावती—सखि ! उन्हीं शेफाली कुंजों को देखूँगी कि वे फूले या नहीं।

चेटी—स्वामिपुत्रि ! वे तो फूल गये, मूँगे के बीच मोती की मालाओं की भाँति फूलों से वे लदे हैं।

पद्मावती—अगर ऐसा है सखि ! तो अब देर क्यों कर रही हो ?

चेटी—तो स्वामिपुत्रि ! इस शिलापट्ट पर क्षणभर बैठें। जब तक मैं फूल चुन लूँ।

पद्मावती—आर्ये ! क्या यहाँ बैठा जाय ?

वासवदत्ता—ऐसा ही करें !

[दोनों बैठती हैं।]

चेटी—[वैसा करके] देखिये स्वामिपुत्रि ! देखिए, मैंनसिल के छोटे-छोटे टुकड़ों की तरह शेफाली-पुष्पों से मेरी अंजलि भर गयी।

पद्मावती—[देखकर] अहो ! सुमनों की विविधता ? देखें आर्या, देखें।

वासवदत्ता—अहो ! देखने लायक फूल हैं।

चेटी—स्वामिपुत्रि ! क्या और चुन लूँ ?

पद्मावती—मत चुनो सखि ! मत चुनो।

वासवदत्ता—मना क्यों करती हो सखि ?

NOTES

NOTES

पद्मावती—आर्यपुत्र यहाँ आकर यह पुष्प-वैभव देखेंगे, तो सम्मानित होऊँगी।

वासवदत्ता—सखि ! तुम्हें स्वामी प्रिय हैं ?

पद्मावती—नहीं जानती आर्ये। (पर) आर्यपुत्र से अलग होकर उत्कण्ठित हो जाती हूँ।

चेटी—कुलीनता से ही स्वामिपुत्री ने कहा कि मुझे स्वामी प्रिय हैं।

पद्मावती—मुझे एक सन्देह है।

वासवदत्ता—क्या ? क्या ??

पद्मावती—जैसे आर्यपुत्र मेरे हैं, वैसे ही आर्य वासवदत्ता के भी हैं (क्या) ?

वासवदत्ता—उससे भी अधिक।

पद्मावती—तुम कैसे जानती हो ?

वासवदत्ता—[स्वगत] हूँ, आर्यपुत्र के पक्षपात के कारण मुझसे व्यवहार का उल्लंघन हो गया। भवतु, ऐसा कहती हूँ। [प्रकाश] अगर थोड़ा स्नेह होता तो वह स्वजनों को छोड़ती नहीं।

पद्मावती—हो सकता है।

चेटी—भर्तृदारिके ! स्वामी से कहें—मैं भी वीणा सीखूँगी।

पद्मावती—मैंने आर्यपुत्र से कहा था।

वासवदत्ता—तो क्या कहा (उन्होंने) ?

पद्मावती—कुछ न कहकर, लम्बी साँस छोड़कर, चुप रह गये।

वासवदत्ता—तो तुम क्या अनुमान करती हो ?

पद्मावती—अनुमान करती हूँ कि आर्या वासवदत्ता के गुणों को याद कर दाक्षिण्य के कारण मेरे आगे रोते नहीं।

वासवदत्ता—[स्वगत] धन्य हूँ मैं, अगर यह सच हो।

[राजा और विदूषक प्रवेश करते हैं।]

विदूषक—ओ हो ! बिछे पड़े बन्धुजीव-पुष्पोवाला एवं विरल पवनवाला यह प्रमदवन रमणीय है। इधर आर्ये आप।

2. रत्नावली (चतुर्थोऽङ्क)

(ततः प्रविशति रत्नमालामादाय साम्रा सुसङ्गता।)

सुसङ्गता—(सकरुणं निःश्वस्य) हा पिअसहि साअरिए। हा लज्जालुए ! हा सहीगणवच्छले ! हा उदारसीले ! हा सोम्मदंसणे ! कहिं गदासि ! देहि मे पडिवअणं इति रोदिति। (ऊर्ध्वमवलोक्य निःश्वस्य

च) हं हो देव्वहदअ। अकरुण असामण्णरूवसोहा तादिसी तुए जद णिम्मिदा ता कसि उण ईदिसं अवत्थन्तरं पाविदा। एयं च रअणमाला जीविदणिरासाए ताए 'कस्सवि बम्हणस्य हत्थे पडिवादेसुत्ति' भणिअ मम हत्थे समप्पिदा। ता जाव कंपि बम्हणं अण्णेसामि। (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) अए ! कहं एसो क्खु बम्हणो वसन्तओ इध एव्व आअच्छदि। ता इमस्सिं एव्व पडिवादइस्सं।

(ततः प्रविशति हृष्टो वसन्तकः।)

वसन्तकः ही ही। भो भोः। अज्ज क्खु पिअ वअस्सेण पसादिदाए तत्तभोदीए वासवदत्ताए बंधणादो मोचिअ सहत्थदिण्णेहि मोदअलड्डुआहिं उदरं थे सुपूरिदं किदं। अण्णं च। एदं पट्टंसुअजुअलं कण्णाभरणं अ दिण्णं। ता जाव दाणिं पिअवअस्सं पेक्खिस्सं। (इति परिक्रामति।)

सुसंगता—(रुदती सहसोपसृत्य) अज्ज वसन्तअ। चिट्ठ दाव तुमं मुहुत्तअं।

वसन्तकः—(दृष्ट्वा) कधं सुसंगदा। सुसंगदे ! एत्थ किंणिमित्तं रोदी अदि। ण क्खु साअरिआए अच्चाहिदं किं पि संवुत्तम्।

सुसंगता—इदं ज्जेव्व णिवेदइदुकामा। सा क्खु तवस्सिणी देवीए उज्जइणिं णीदेत्ति प्यवादं कदुअ उवत्थित्ते अद्धरत्ते ण जाणीअदि कहिं णीदेत्ति।

वसन्तकः—(सोद्वगम्) हा भोदि साअरिए। हा असामाण रूवसोहे। हा मिदुभासिणि। अदिणिग्घिणं दाणिं देवीए किदम्। तदो तदो।

सुसंगता—एसा रअणमाला ताए जीविदणिरासाए अज्जवसन्त-अस्य हत्थे पण्डिवादेसित्ति भणिअ मम हत्थे समप्पिदा। ता णं गेण्हदु अज्जो एदम्।

वसन्तकः—(सास्रं सकरुणं कर्णोपिधाय) भोदि ण मम ईदिसे पत्थावे एदं वोढुं हत्थो पसरदि (इत्युभौ रुदतः।)

सुसङ्गता—(अञ्जलिं बद्ध्वा) ताए एव्व अणग्गहं करन्तो अङ्गीकरेदु एदं अज्जो।

वसन्तकः—(विचिन्त्य) अहवा उवणेहि। जेण इमाए ज्जेव्व साअरिआविरहकुण्ठिदं पिअवसस्सं विणोदेमि।

(सुसङ्गता वसन्तकस्य हस्ते रत्नमालां ददाति।)

वसन्तकः—(गृहीत्वा निरूप्य सविस्मयम्) भोदि ! कुदो उण ईदिसस्स अलंकारस्स समागमो ?

सुसङ्गता—अज्ज ! मए वि सा कोदूहलेण पुच्छिदा असि।

वसन्तकः—तदा ताए किं भणिदं।

सुसङ्गता—तदो सा उद्धं पेक्खिअ दीहं णिस्ससिअ। 'सुसंगदे, किं दाणिं तुह इमाए कधाए त्ति भणिस रोदिदुं पउत्ता।

वसन्तकः—णं कधिदं एव्व ताए। सामण्णदुल्लहेण इमिणा परिच्छेदेण सव्वधा महाभिजणसमुप्पण्णाए होदव्वं। सुसंगदे ! पिअवअस्सो दाणिं कहिं।

NOTES

NOTES

—महाराजश्रीहर्षदेवः

संस्कृत अनुवाद

(ततः प्रविशति रत्नमालामादाय साम्ना सुसङ्गता।)

सुसङ्गता—(सकरुणं निःश्वस्य) हा प्रियसखिसागरिके ! हा लज्जालुके ! हा सखीगणवत्सले ! हा उदारशीले ! हा सौम्यदर्शने ! कुत्र गतासि ? देहि मे प्रतिवचनम्। (इति रोदिति। ऊर्ध्वमवलोक्य निःश्वस्य च) हं हो दैवहतक ! अकरुण ! आसामान्यरूपशोभा तादृशी त्वया यदि निर्मिता तत्कस्मात्पुनः ईदृशमवस्थान्तरं प्रापिता। इयं च रत्नमाला जीवितनिराशया तथा 'कस्यापि ब्राह्मणस्य हस्ते प्रतिपादयति' भणित्वा मम हस्ते समर्पिता। तद्यावत्कमपि ब्राह्मणन्वेषयामि। (नेपथ्याभिमुखमवलोक्य) अये ! कथमेष खलु ब्राह्मणो वसन्तक इत एवागच्छति। तदस्मिन्नेव प्रतिपादयिष्ये।

(ततः प्रविशति हृष्टो वसन्तकः।)

वसन्तकः—ही ! ही ! भो भोः ! अद्य खलु प्रियवयस्येन प्रसादितया तत्रभवत्या वासवदत्तया बन्धनान्मोचयित्वा स्वहस्तदत्तैर्मोदकलड्डुकैः उदरं मे सुपूरितं कृतम्। अन्यच्च एतत्पट्टशुकयुगलं कर्णाभरणं च दत्तम्। तद्यावदिदानीं प्रियवयस्यं प्रेक्षिष्ये। (इति परिक्रामति।)

सुसङ्गता—(रुदती सहस्रोपसृत्य) आर्य वसन्तक ! तिष्ठ तावत्त्वं मुहूर्त्तकम्।

वसन्तकः—(दृष्ट्वा) कथं सुसंगता। सुसंगते ! अत्र किं निमित्तं रुद्यते। न, खलु सागरिकाया अत्याहितं किमपि संवृत्तम्।

सुसङ्गता—एतदेव निवेदयितुकामा। सा खलु तपस्विनी देव्या उज्जयिनी नीतेति प्रवादं कृत्वोपस्थितेऽधिरात्रे न ज्ञायते कुत्र नीतेति।

वसन्तकः—(सोद्वेगम्) हा भवति सागरिके ! हा असामान्यरूपशोभे ! हा मृदुभाषिणी ! अतिनिर्घृणमिदानीं देव्या कृतम्। ततस्ततः।

सुसंगता—एषा रत्नमाला तथा जीवितनिराशया आर्यवसन्तकस्य हस्ते प्रतिपादयस्वेति भणित्वा मम हस्ते समर्पिता। तद् ननु गृह्णत्वार्यः एताम्।

वसन्तकः—(सास्रं सकरुणं कर्णो पिधाय) भवति ! न ममेदृशे प्रस्तावे एतां वोढुं हस्तः प्रसरति। (इत्युभौ रुदतः।)

सुसंगता—(अञ्जलिं वद्ध्वा) तस्या एवानुग्रहं कुर्वन्नङ्गीकरोतु एतामार्यः।

वसन्तकः—(विचिन्त्य) अथवोपनय। येनानयैव सागरिकाविरहकुण्ठितं प्रियवस्यं विनोदयामि।

(सुसंगता वसन्तकस्य हस्ते रत्नमालां क्षददाति)

वसन्तकः—(गृहीत्वा निरूप्य सविस्मयम्) भवति ! कुतः पुनरीदृशस्यालङ्कारस्य समागमः ?

सुसंगता—आर्य ! मयापि सा कौतूहलेन पृष्टा आसीत्।

वसन्तकः—ततः तया किं भणितम्।

सुसंगता—ततः सा ऊर्ध्वं प्रेक्ष्य दीर्घं निःश्वस्य 'सुसंगते, किमिदानीं तवानया कथयेति भणित्वा रोदितुं रोदितुं प्रवृत्ता।

वसन्तकः—ननु कथितमेव तया। सामान्यजनदुर्लभेनानेन परिच्छेदेन सर्वथा सहाभिजनसमुत्पन्नया तथा भवितव्यम्। सुसंगते ! प्रियवयस्य इदानीं कुत्र ?

सुसंगता—आर्य ! एष खलु भर्ता देवीभवनतः निष्क्रम्य स्फटिक-शिलामण्डपं गतः। अहमपि देव्या वासवदत्तायाः परिचारिणी भविष्यामि।

हिन्दी अनुवाद

(रत्नमाला लिये सजलनयना सुसङ्गता प्रवेश करती है)

सुसङ्गता—(करुण निःश्वास छोड़कर) हा प्रियसखि ! सागरिका ! ओ लजीली ! हा सखियों से स्नेह रखने वाली ! हा उदारशीले ! हा सौम्यदर्शने ! कहाँ गयी ? मुझे उत्तर दो (रोती है)। ऊपर देखकर और साँस छोड़कर) हाय रे दुष्ट दैव ! अकरुण ! वैसी असामान्य रूपशोभा अगर तूने बनायी, तो फिर ऐसी अवस्था तक क्यों पहुँचाया ? और यह रत्नमाला जीवन से निराश हो उसने "किसी ब्राह्मण के हाथ तक पहुँचा देना" कहकर मेरे हाथ में दी थी। तो फिर किसी ब्राह्मण को ही खोजूँ। (परदे की ओर देखकर) अरे ! ये क्या ब्राह्मण वसन्तक इधर ही आ रहे हैं। तो इन्हीं को दे दूँ।

(प्रसन्न वसन्तक प्रवेश करता है)

वसन्तक—ही ही ! वाह वाह ! आज तो प्रिय मित्र द्वारा मनायी गयी देवी वासवदत्ता ने बन्धन से छुड़ाकर अपने हाथों दिये मनभाते लड्डुओं से खूब मेरा पेट भरा है और ऊपर से यह रेशमी कपड़ों का जोड़ा और कर्णाभूषण भी दिया है। तो फिर अब प्रियमित्र को खोजूँ। (घूमता है।)

सुसङ्गता—(रोती हुई एकाएक समीप आकर) आर्य वसन्तक ! आप क्षणभर ठहरें तो।

वसन्तक—(देखकर) कौन सुसङ्गता ! सुसङ्गता ! यह रोना क्यों ? सागरिका का कुछ अमङ्गल तो नहीं हुआ ?

सुसङ्गता—यही तो कहना चाहती हूँ। देवी ने "वह उज्जयिनी ले जायी गयी है" ऐसा प्रवाद फैलाकर आधी रात होने पर न जाने उस 'बेचारी' को कहाँ भेज दिया है।

वसन्तक—(उद्वेगपूर्वक) हा देवि सागरिके ! हा विलक्षण रूपराशिवाली ! हा मृदुवचने ! यह तो अत्यन्त निर्दय कार्य देवी ने किया है। फिर ?

सुसङ्गता—यह रत्नमाला जीवन से निराश होकर उसने 'आर्य वसन्तक को दे देना' कहकर मेरे हाथों सौंपी थी। सो इसे तो आप ले ही लें।

NOTES

वसन्तक—(अश्रुपूर्ण नेत्र एवं सकरुण होकर और दोनों कान मूँदकर) देवि ! ऐसे प्रस्ताव पर, इसे ढोने में मेरे हाथ बढ़ते नहीं। (दोनों रोते हैं।)

NOTES

सुसङ्गता—(हाथ जोड़कर) उसी पर अनुग्रह करके आर्य इसे ले लें।

वसन्तक—(सोचकर) अथवा लाओ। इसी से सागरिका के विरह में क्षुब्ध प्रियवयस्य का मन बहलाऊँगा।

(सुसङ्गता वसन्तक के हाथ में रत्नमाला देती है।)

वसन्तक—(लेकर, भलीभाँति देखकर आश्चर्यपूर्वक) देवि ! ऐसा अलंकार उसे भला कहाँ से मिला ?

सुसङ्गता—आर्य ! मैंने भी कुतूहलवश उससे पूछा था।

वसन्तक—तो उसने क्या कहा ?

सुसङ्गता—तो वह ऊपर देखकर लम्बी साँस छोड़कर “सुसंगते ! तुम्हें इससे क्या ?” कहकर रोने लगी।

वसन्तक—तब तो उसने कह ही दिया। सामान्यजन द्वारा दुर्लभ इस रत्न से तो लगता है कि वह ऊँचे कुल में उत्पन्न हुई होनी चाहिए। सुसंगते ! प्रियमित्र इस समय कहाँ हैं ?

सुसङ्गता—आर्य ! यहीं अभी-अभी स्वामी देवी के भवन से निकलकर स्फटिक-शिला मण्डप गये हैं। तो आर्य जायें। मैं देवी वासवदत्ता की सेवा में जाती हूँ।



3. पाइअ-संगहो (मागधी)

NOTES

1. मृच्छकटिकम् (षष्ठोऽङ्कः)

(ततः प्रविशति चेटी)

चेटी—कधं अज्ज वि अज्जआ ण विवुज्झदि? भोदु, पविसिअ पडिबोधइस्सं। (इति नाट्येन परिक्रामति।)

(ततः प्रविशत्याच्छादितशरीरा प्रसुप्ता वसन्तसेना)

चेटी—(निरूप्य) उत्थेदु उत्थेदु अज्जआ। पभादं संवुत्तं।

वसन्तसेना—(प्रतिबुध्य) कधं रत्तिज्जेव्व पभादं संवुत्तं?

चेटी—अम्हाणं एसो पभादो। अज्जआए उण रत्तिज्जेव्व।

वसन्तसेना—हञ्जे! कहिं उण तुम्हाअं जूदिअरो?

चेटी—अज्जए! वड्ढमाणअं समादिसिअ पुप्फकरण्डअं जिण्णुज्जाणं गदो अज्जचारुदत्तो।

वसन्तसेना—कि समादिसिअ?

चेटी—जोएहि रात्तीहए पवहणं, वसन्तसेना गच्छदुत्ति।

वसन्तसेना—हञ्जे! कहिं मए गंतव्वं?

चेटी—अज्जए! जहिं चारुदत्तो।

वसन्तसेना—(चेटीं परिष्वज्य) हृञ्जे! सुट्ठु ण निज्झाइदो रत्तीए, ता अज्ज पच्चक्खं पेक्खिस्सं। हृञ्जे! किं पविट्ठा अहं इह अब्भन्तर-चदुस्सालअं?

चेटी—ण केवलं अब्भन्तरचदुस्सालअं, सव्वजणस्स वि हिअअं पविट्ठा।

वसन्तसेना—अपि संतप्पदि चारुदत्तस्स परिअणो?

चेटी—संतप्पिस्सदि।

वसन्तसेना—णदा?

चेटी—जदो अज्जया गमिस्सदि।

वसन्तसेना—तदो मए पढमं संतप्पिदव्वं। (सानुनयम्) अञ्जे! गेणह एदं रअणावल्लं। मम वहिणिआए अज्जाधूदाए गदुअ समप्पेहि।

भणिदव्वं च—‘अहं सिरिचारुदत्तस्स गुणणिज्जिदा दासी, तदा तुम्हाणं पि।

ता एसा तुह ज्जेव कंठाहरणं होद रअणावली'।

चेटी—अज्जए! कुपिस्सदि चारुदत्तो अज्जाए दाव।

NOTES

वसन्तसेना—गच्छ, ण कुपिस्सदि।

चेटी—(गृहीत्वा) जं आणविदि। (इति निष्क्रम्य, पुनः प्रविशति) अज्जए! भणादि अज्जा धूदा—
'अज्जउत्तेण तुम्हाणं पसादोकिदा, ण जुतं मम एदुं गेणिहदुं। अज्जउतो ज्जेव्व मम आहरणविसेसो त्ति
आणादू भोदी।'

(ततः प्रविशति दारकं गृहीत्वा रदनिका)

रदनिका—एहि वच्छ! सअडिआए कोलम्ह।

दारकः—(सकरुणम्) रदणिए! किं मम एदाए मट्टिआसअडिआए! तं ज्जेव्व सोवण्णसअडिअं
देहि।

रदनिका—(सनिर्वेदं निःश्वस्य) जाद! कुदो अम्हाणं सुवण्णवव-हारो? तादस्स गुणो वि रिद्धीए
सुवण्णसअडिआए कोव्विस्ससि। ता जाव विणोदेमि णं। अज्जआवसन्तसेणाए सभीवं उपसप्पिस्सं
(उपसृत्य) अज्जए! पणमामि।

वसन्तसेना—रदणिए! साअदं दे; कस्स उण अअं दारओ? अवालंकिद- सरीरो वि चन्दमुहो
आणन्देदि मम हिअअं।

रदनिका—ऐसो खु अज्जचारुदत्तस्य पुत्तो रोहसेणो णाम।

वसन्तसेना—(बाहू प्रसार्य) एहि मे पुत्तअ! आलिंग। (इत्यङ्कउपवेश्य) अणुकिक्कं अणेण पिदुणो
रूवं।

रदनिका—ण केवलं रूवं, सीलं पि तक्केमि। ददिणा अज्जचारुदत्तो अत्ताणअं विणोदेदि।

वसन्तसेना—अध. किं णिमितं एसो रोअदि?

रदनिका—ददिणा पडिवेसिअगहवइदारअकेरिआए सुवण्णसअडिआए कीव्विदं। तेण अ सा णीदा।
तदो उण तं मगंतस्स मए इअं मट्टियास-अडिआ कदुअ दिण्या। तदो भणदि 'रदणिए, किं मम एदाए
मट्टिआस-अडिआए? तं ज्जेव्व सोवण्णसअडिअं देहि' त्ति।

वसन्तसेना—हद्धो, अअं वि णाम परसंपतोए संतप्तदि। भअवं कअंत।
पक्खिरवतपडिदजलबिंदुपरिसहिं काव्वसि तुसं पुरिसमाअमा- अधेएहिं। (इति सास्त्रा) जाद! मारीद।
सुत्रण्णसअडिआए काव्विस्तसि।

दारक—रदणिए। का एसा?

वसन्तसेना—दे विदुणो गुणणिज्जिदा दासी।

रदनिका—जाद! अज्जआ दे जणणी भोदि।

दारकः—रदणिए ! अलियं तुमं भणासि, जइ अम्हाणं अज्जआ जणणी ता कीस अलंकिदा ?

वसन्तसेना—जाइ ! मुद्धेण मुहेण अदिकरुणं मन्तेसि । (नाट्येनभिरंगान्यवतार्य रुदति) ऐसा दणिं दे जणणी संवुत्ता; ता गेण्ह एदं अलंकारअं, सोवण्णसअडिअं घडावेडि ।

दारक—अवेहि, ण गेण्हिस्सं रोदसि तुमं ।

वसन्तसेना—(अश्रूणि प्रमृज्य) जाद ण रोदिस्सं । गच्छ कीळ । (अलङ्कारैमृ च्छिकटिकां पूरयित्वा) जाद ! कारेहि सोवण्णसअडिअं ।

(इति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिका)

—मृच्छकटिकम् (षष्ठोऽङ्कः)

संस्कृत अनुवाद

(ततः प्रविशति चेटी ।)

चेटी—कथमद्यापि आर्या न विबुध्यते ? भवतु, प्रतिबोधयिष्यामि । (इति नाट्येन परिकामति ।)

(ततः प्रविशति आच्छादितशरीरा प्रसुप्ता वसन्तसेना)

चेटी—(निरूप्य) उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठुन आर्या । प्रभातं-संवृत्तम् ।

वसन्तसेना—(प्रतिबुध्य) कथं रात्रिरेव प्रभावं संवृत्तम् ?

चेटी—अस्माकमेतत् प्रभातम् । आर्यायाः पुना रात्रिरेव ।

वसन्तसेना—हज्जे । कुत्र पुनः युष्माकं द्यूतकरः ?

चेटी—आर्ये ! वर्धमानकं समादिश्य पुष्यपकरण्डक जीर्णोद्यानं गत आर्य-चारुदत्तः ।

वसन्तसेना—किं समादिश्य ।

चेटी—योजय रात्र्याः प्रवहणं, वसन्तसेना गच्छत्विति ।

वसन्तसेना—हज्जे ! कुत्र मया गन्तव्यम् ?

चेटी—आर्ये ! यत्र चारुदत्तः ।

वसन्तसेना—(चेटीं परिष्वज्य) हज्जे । सुष्ठु न निर्ध्यातः रात्री, तदद्य प्रत्यक्षं प्रेक्षिष्ये । हज्जे । किं प्रविष्टाहमिहाभ्यन्तरचतुःशालकम् ?

चेटी—न केवलमभ्यन्तरचतुःशालकम्, सर्वजनस्यापि हृदयं प्रविष्टा ।

वसन्तसेना—अपि सन्तप्यते चारुदत्तस्य परिजनः ?

चेटी—सन्तत्स्यति ।

NOTES

चेटी—पदार्या गमिध्यति ।

NOTES

वसन्तसेना—ततो मया प्रथमं सन्तप्तव्यम् । (सानुनयम्) हञ्जे ! गृहाणैतां रत्नावलीम् । मम मगिनिकायै आर्याधूतार्यं गत्वा समर्पय । भणितव्यं च—‘अहं श्रीचारुदत्तस्य गुणनिर्जिता दासी, तदा युष्माकमपि । तदेषा तवैव कण्ठाभरणं भवतु रत्नावली ।’

चेटी—आर्ये ! कुपिष्यति चारुदत्तः आर्यायै तावत् ।

वसन्तसेता—गच्च, न कुपिष्यति ।

चेटी—(गृहीत्वा) यदाज्ञापयति । (इति निक्रम्य, पुनः प्रविशति) आर्ये ? भणत्यार्या धूता—‘आर्यपुत्रेण युष्माकं प्रसादीकृता, न युक्तं ममैतां ग्रहीतुम् । आर्यपुत्र एवं ममाभरणविशेष इति जानातु भवती ।’

(ततः प्रविशति दारकं गृहीत्वा रदनिका)

रदनिका—एहि वत्स ! शकटिकया क्रीडावः ।

दारकः—(सकरुणम्) रदनिके ! किं ममैतया मृत्तिकाशकटिकया । तामेव सौवर्णशकटिकां देहि ।

रदनिका—(सनिर्वेदं निःश्वस्य) जात ! कुतोऽस्माकं सुवर्णव्यवहारः तातस्य पुनरपि ऋद्ध्या सुवर्णशकटिकया क्रीडिष्यसि । तद्यावद् विनोदयामि एनम् । आर्या वसन्तसेनायाः समीपमुपसर्पिष्यामि । (उपसृत्य) आर्ये ! प्रणमामि ।

वसन्तसेना—रदनिके ! स्वागतं ते; कस्य पुनरयं दारकः ? अनलंकृतशरीरोऽपि चन्द्रमुखी आनन्दयति मतम हृदयम् ।

रदनिका—एष खल्वार्यचारुदत्तस्य पुत्रो रोहसेनो नाम ।

वसन्तेना—(बाहू प्रसार्य) एहि में पुत्रक ! आलिङ्ग । (इत्यङ्क उपवेश्य) अनुकृतमनेन पितृ रूपम् ।

रदनिका न केवलं रूपं, शीलमपि तर्कयामि । एतेन आर्यचारुदत्त आत्मानं विनोदयति ।

वसन्तसेना—अथ किं निमित्तमेष रोदिति ?

रदनिका—एतेन प्रतिवेशिकगृहपतिदारकस्य सुवर्णशकटिकया क्रीडितम् । तेन च सानीता । ततः पुनस्तां याचमानाय मयेयं मृत्तिका शकटिका कृत्वा दत्ता । ततो भणति ‘रदनिके, किं ममैतया मृत्तिकाशकटिकया । तामेव सौवर्णशकटिको देही ति ।

वसन्तसेना—हा धिक्, हा धिक् ! अयमपि नामपरसम्पत्त्या संताप्यते । भगवन् कृतान्त ! पुष्करपत्रपतितजलबिन्दुसदृशैः क्रीडसि त्वं पुरुषभागधेयैः । (इति सास्त्रा) जात ! मा रोदिहि । सुवर्णशकटिकया क्रीडिष्यसि ।

दारकः—रदनिके ! का एषा ?

वसन्तसेना—ते पितुर्गुणनिर्जिता दासी ।

रदनिका—जात ! आर्या ते जननी भवति ।

दारकः—रदनिके ! अलीकं त्वं भणसि; यद्यस्माकमार्या जननी तत्कस्माः दलङ्कृता ?

वसन्तसेना—जात ! मुग्धेन मुखेनातिकरुणं मन्त्रयसि । नाट्येनाभरणान्यवतार्य रुदती) एषेदानीं ते जननी संवृत्ता; तद्गृहाणैतमलङ्कारम्; सुवर्णशकटिकां घटापय ।

दारकः—अपेहि, न ग्रहीष्यामि; रोदिषि त्वम् ।

वसन्तसेना—(अश्रूणि प्रमृज्य) जात ! न रोदिष्यामि । गच्छ क्रीड । (अलङ्कारैर्मृच्छकटिकां पूरयित्वा) जात ! कारय सौवर्णशकटिकाम् ।

(इति दारकमादाय निष्क्रान्ता रदनिका)

हिन्दी अनुवाद

(चेटी का प्रवेश)

चेटी—क्या आर्या ! वसन्तसेना अब भी नहीं उठी ? ठीक है, जाकर जगाती हूँ ।

(घूमने का अभिनय करती है ।)

(ढँके हुए शरीरवाली सोती हुई वसन्तसेना का प्रवेश)

चेटी—(देखकर) उठिये, उठिये आर्या ! प्रभात हो गया ।

वसन्तसेना—(जागकर) क्या रात ही प्रभात हो गयी ?

चेटी—हमारा तो यह प्रभात है, आर्या की रात ही है ।

वसन्तसेना—अरी ! तेरा जुआरी कहाँ है ?

चेटी—आर्ये ! वर्धमानक को आदेश देकर आर्य चारुदत्त पुष्पकरण्डक जीर्णोद्धान गये हैं ।

वसन्तसेना—क्या आदेश देकर ?

चेटी—रात का यान जोड़ना । वसन्तसेना जायेगी !

वसन्तसेना—अरी ! कहाँ जाना है मुझे ?

चेटी—आर्ये ! जहाँ चारुदत्त हैं ।

वसन्तसेना—(चेटी का आलिंगन कर) अरी ! रात में ठीक से उन्हें देख न सकी । सो अब प्रत्यक्ष देखूँगी । अरी ! क्या मैं भीतरी चौक में आ गयी हूँ ?

चेटी—केवल भीतरी चौक में ही नहीं, सबके हृदय में भी प्रवेश कर गयी हूँ ।

NOTES

वसन्तसेना—क्या चारुदत्त के परिजनों को खेद होता है?

चेटी—खेद होगा।

NOTES

वसन्तसेना—कब?

चेटी—जब आर्या जायेंगी।

वसन्तसेना—तब तो पहले मुझे खेद होना चाहिए। (अनुनयपूर्वक) री! यह रत्नावली ले। मेरी बहन आर्या धूता को जाकर देना और कहना—“मैं श्रीचारुदत्त के गुणों द्वारा जीती गयी दासी हूँ, सो तुम्हारी यह रत्नावली तुम्हारे कण्ठ का ही आभूषण हो।”

चेटी—आर्ये! आर्या से क्रुद्ध हो जायेंगे।

वसन्तसेना—जा, नहीं क्रुद्ध होंगे।

चेटी—(लेकर) जैसी आज्ञा। (जाकर फिर प्रवेश करती है) आर्ये! आर्या धूता कहती हैं—‘आर्यपुत्र ने तुम्हें प्रसाद-रूप में दी है। मेरा इसे लेना उचित नहीं आप समझ लें आर्यपुत्र ही मेरे लिए आभूषण हैं।’

(बालक के साथ रदनिका का प्रवेश)

रदनिका—आओ वत्स! गाड़ी से खेलें।

बालक—(रोता हुआ) रदनिके! मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या प्रयोजन? सोने की उस गाड़ी को ही दो।

रदनिका—(उदास-भाव से लम्बे श्वास छोड़कर) भैया! अब हमारे यहाँ सोना कहाँ से आयेगा। पिताजी के पुनः समृद्ध होने पर सोने की गाड़ी से खेलोगे। अस्तु, मैं इसको बहलाती हूँ।

आर्या वसन्तसेना के पास चलाईगी। (समीप जाकर) आर्ये! नमस्कार है।

वसन्तसेना—रदनिके! स्वागत है; यह बच्चा किसका है? आभूषणविहीन भी चाँद-सा मुखड़ावाला यह मेरे हृदय को आनन्दित करता है।

रदनिका—यह आर्य चारुदत्त के पुत्र रोहसेन हैं।

वसन्तसेना—(दोनों हाथ फैलाकर) आओ बेटा, आओ। मुझे आर्त्तिगन करो। (गोदी में बैठाकर) यह तो ठीक अपने पिता की आकृतिवाला है।

रदनिका—न केवल इसकी आकृति ही, अपितु स्वभाव भी है, ऐसा सोचती हूँ। इससे आर्य चारुदत्त अपना मन बहलाया करते हैं।

वसन्तसेना—भला, यह रो क्यों रहा है?

रदनिका— एक पड़ोसी का बालक सोने की गाड़ी से खेल रहा था। वह अपनी गाड़ी ले गया। अब फिर उसी गाड़ी को माँगने पर इन्हें मैंने यह मिट्टी की गाड़ी बनाकर दी है। इस पर यह कहते हैं कि 'रदनिके' मुझे इस मिट्टी की गाड़ी से क्या लेना-देना, मुझे तो वही सोने की गाड़ी ला दो'।

वसन्तसेना—अरे रे! यह भी दूसरों की सम्पत्ति से दुःखी होता है। भगवन् वृत्तान्त! पुरइन पात पर पड़ी जल की बूँदों-से पुरुषों के भाग्य से तुम खेलते हो। (साश्रुनयना) पुत्र! मत रोओ। सोने की गाड़ी से खेलोगे।

बालक—रदनिका! यह कौन है?

वसन्तसेना—तुम्हारे पिता के गुणों द्वारा जीती गयी दासी।

रदनिका—पुत्र! आर्या तुम्हारी माँ होती हैं।

बालक—रदनिका! तुम झूठ बोलती हो। अगर आर्या हमारी माँ हैं, तो अलंकृत कैसे हैं?

वसन्तसेना—पुत्र! भोले मुँह से बड़ी करुण बात कहते हो। (आभूषण उतारकर रोती हुई) यह अब मैं तुम्हारी माँ हो गयी। यह अलंकार ले लो। सोने की गाड़ी गढ़वा लो।

बालक—हटो। मैं नहीं लूँगा, तुम रोती हो।

वसन्तसेना—(आँसू पोंछकर) पुत्र! नहीं रोऊँगी। जाओ, खेलो। (अलंकारों से मिट्टी की गाड़ी भरकर) पुत्र! सोने की गाड़ी बनवा लेना।

(बालक को लेकर रदनिका निकल जाती है)

2. अभिज्ञानशाकुन्तलम्

(ततः प्रविशति नागरिकः श्यालः पश्चाद् बद्धपुरुषमादाय रक्षिणौ च।

रक्षिणौ—अले कुम्भीलओ, कहेहि कहि तुए एशे मणिबन्धणुक्किण्णणाम हेए लाअकीअए अंगुलीअए शमाशादिए।

पुरुष—(भीतिनाटितकेन) पशीदन्तु भावमिश्शे। हगे ण ईदिशकम्मकाली।

प्रथमः—किं शोहणे बम्हणेत्ति कलिअ रण्णा पडिग्गहे दिण्णे।

पुरुषः—शुणुअ दारिणि। हगे शक्कावदाळ्ळभंतरालवाशी धीवले।

द्वितीयः—पाडच्चला, किं अम्हेहि जादी पुच्छिदा।

श्यालः—सूअअ, कहेदु शव्वं अणुक्कमेण। मा णं अन्तरा पडिबन्धह।

उभौ—जं आवुत्ते आणवेदि कहेहि।

पुरुषः—अहके जालुग्गालादिहिं मच्छबन्धणोवाएहिं कुडुम्बभलणं कलेमि।

NOTES

NOTES

श्यालः—(विहस्य) विसुद्धो दाणिं आजीवो ।

पुरुषः—भट्टा मा, एव्वं भण—

शहज किल जे विणिन्दिए ण हु दे कम्म विवज्जणीअए ।

पशुमालणकम्मदालुणे अणुकम्पामिदु एव्व शोत्तिए ॥१॥

श्यालः—तदो तदो ।

पुरुषः—एकशिशं दिअशं खण्डशो लोहिअमच्छे मए कप्पिदे जाव । तशश उदलब्भन्तले एदं लदणभाशुलं अंगुलीअअं देखिअ पच्छ अहके शे विक्कआअ दंशअंते गहिदे भावमिशोहिं । मालेह वा मुज्जेह वा । अअं शे आअमवुत्तन्ते ।

श्यालः—जाणुअ, विस्सगन्धी गोहादी मच्छबन्धो एव्व निस्सअअं । अंगुलीअदंसणं से विमरिसिदव्वं । राअउलं एव्व गच्छामो ।

रक्षिणौ—तह गच्छ अले गंडभेदअ ।

(सर्वे परिक्रामन्ति ।)

श्यालः—सूअअ, इमं गोपुरदुआरे अप्पमत्ता पडिवालह जाव इमं अंगुलीअअं जहागमणं भट्टिनो णिवेदिअ तदो सासणं पडिच्छिअ णिक्कमामि ।

उभौ—पविशदु आवुत्ते शामिपशादशश ।

(इति निष्क्रान्तः श्यालः)

प्रथमः—जाणुअ, चिलाअदि क्खु आवुत्ते ।

द्वितीयः—णं अवशालोवशप्पणीआ लाआणो ।

प्रथमः—जाणुअ, फुल्लन्ति मे हत्था इमशश वहशश शुमणा पिणद्धुं

(इति पुरुषं निर्दिशति)

पुरुषः—ण अलुहदि भावे अकालणमालणं भविदुं ।

द्वितीयः—(विलोक्य) एशो अम्हाणं शामी पत्तहत्थे लाअशाशणं पडिच्छिअ इदोमुहे देखी आदि । गिद्धबली भविशशशि, शृणो मुहं वा देखिअशशशि ।

(प्रविश्य)

श्यालः—सूअअ, मुंचेदु एसो जालोअजीवी । उववण्णो क्खु से अंगुलीअअस्य आअमो ।

सूचकः—जह आवुत्ते भणादि ।

द्वितीयः—एशे जमशदणं पविशिअ पडिणिवुत्ते ।

(इति पुरुषं परिमुक्तबन्धनं करोति ।)

पुरुषः—(श्यालं प्रणम्य) भट्टा, अह कीलिशे मे आजीवे ।

श्यालः—एसो भट्टिणा अङ्गुलीअममुल्लसम्मिदो पसादो वि दाविदो ।

(इति पुरुषाय स्वं प्रयच्छति ।)

पुरुषः—(सप्रणामं प्रतिगृह्य) भट्टा, अणुगगहिदमिह ।

सूचकः—एशे णाम अणुगगहे जे शूलादो अवदालिअ हत्थिक्कन्धे पडिट्ठाविदे ।

जानुकः—आवुत्त, पालिदोशिअं कहेदि, तेण अङ्गुलीअएण भट्टिणो शम्मदेण होदव्वं ।

श्यालः—ण तस्सिं महारुहं रदणं भट्टिणो बहुमदं त्ति तक्केमि तस्स दंसणेण भट्टिणो अभिमदो जणो सुमराविदो । मुहुत्तअं पकिदि गम्भीरो वि पज्जस्सुणअणो आसी ।

सूचकः—शंविदं णाम आवुत्तेण ।

जानुकः—णं भणाहि । इमशश कए मच्छिआभत्तुणो त्ति ।

(इति पुरुषसमूयया पश्यति)

पुरुषः—भट्टालक, इदो अद्धं तुम्हाणं शुमणो मुल्लं होदु ।

जानुकः—एत्तके जुज्जइ ।

श्यालः—धीवर, महत्तरो तुमं पिअवअस्सओ दाणिं मे संवुत्तो । कादम्बरीसक्खिअं अम्हाणं पठमसोहिदं इच्छीअदि । ता सोण्डिआपणं एव्व गच्छामो ।

(इति निष्क्रान्ता सर्वे ।)

इति प्रवेशकः

संस्कृत अनुवाद

अथ प्रवेशकः

(ततः प्रविशति नागरिकः श्यालः पश्चाद् बद्धपुरुषमादाय रक्षिणौ च ।)

रक्षिणौ—(ताडयित्वा) अरे कुम्भीरक! कथय कुत्र त्वयैतन्मणिबन्धनोत्कीर्णनामधेयं राजकीयमङ्गुलीयकं समासादितम् ।

पुरुषः—(भीतिनाटितकेन) प्रसीदन्तु भावमिश्राः अहं नेदृशकर्मकारी ।

प्रथमः—किं शोभनो ब्राह्मण इति कलयित्वा राज्ञा प्रतिग्रहो दत्तः ।

पुरुषः—शृणुतेदानीम् । अहं शक्रावताराभ्यान्तरालावासी धीवरः ।

NOTES

NOTES

द्वितीयः—पाटच्चर, किमस्माभिर्जातिः पृष्ठा ।

श्यालः—सूचक, कथयतु सर्वमनुक्रमेण । मैमन्तरा प्रतिवधान ।

उभौ—यदावृत्त आज्ञापयति । कथय ।

पुरुषः—अहकं जालोद्गालादिभिर्मत्स्यबन्धनोपायैः कुटुम्बभरणं करोमि ।

श्यालः—(विहस्य) विशुद्ध इदानीमाजीवः ।

पुरुष—भर्तः मैवम् भण ।

सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत् कर्म विवर्जननीयम् ।

पशुमारणकर्मदारुणोऽनुकम्पामृदुरेव श्रोत्रियः ॥

श्यालः—ततस्ततः ।

पुरुषः—एकस्मिन्दिवसे खण्डशो रोहितमत्स्यो मया कल्पितो यावत् तस्योदराम्यान्तर इदं रत्नभामुरमङ्गुलीयकं दृष्ट्वा पश्चादहं तस्य विक्रयाय दर्शयतगृहीतो भावमिश्रैः । मारयत वा मुञ्चत वा । अयमस्यागमवृत्तान्तः ।

श्यालः—जानुक विम्रगन्धी गोधादौ मत्स्यबन्ध एत्र निसंशयम् । अंगुलीयक दर्शनमस्य विमर्शयितव्यम् । राजकुललमेव गच्छामः ।

रक्षिणौ—तथा गच्छ अरे गण्डभेदम ! (सर्वे परिक्रामन्ति) ।

श्यालः—सूचक, इमं गोपुरद्वारेऽप्रमत्तौ प्रतिपालयतं यावदिदमङ्गुलीयकं यथा गमनं । भर्तुर्निवेद्य ततः शासनं प्रतीक्ष्य निष्क्रमामि ।

उभौ—प्रविशत्वावृत्तः स्वामिप्रासादय ।

(इति निजुन्तः श्यालः)

प्रथमः—जानुक, चिरायते खल्वावृत्तः ।

द्वितीयः—नन्ववसरोपर्सणीया राजानः ।

प्रथमः—जानुक, स्फुरतो मम हस्तवास्य वधस्य सुमनसः पिनद्धुम् ।

(इति पुरुषं निर्दिशति ।)

पुरुष—नार्हति भावोऽकारणमारण भावयितुम् ।

द्वितीयः—(विलोक्य) एषोऽस्माकं स्वामी पत्रहस्तो राजशासनं प्रतीक्ष्येतोमुखो दृश्यते । गृध्रबलिर्भविष्यसि शुनो मुखं वा द्रक्ष्यसि ।

श्यालः—सूचक, मुच्यतामेष जालोपजीवी उपपन्नः खल्वस्याङ्गुलीयकस्यागमः।

सूचकः—यथावृत्तो भणति।

द्वितीयः—एष यमदसनं प्रविश्य प्रतिनिवृत्तः।

(इति पुरुष परिमुक्तबन्धनं करोति।)

पुरुषः—(श्यालं प्रणम्य) भर्तः! अथ कीदृशो मे आजीवः।

श्यालः—एस भर्त्राङ्गुलीयकमूल्यसंमितः प्रसादोऽपि दापितः

(इति पुरुषाय स्वं प्रयच्छति।)

पुरुषः—(सप्रणामं प्रतिगृह्य) भर्तः अनुगृहीतोऽस्मि।

सूचकः—एष नामानुग्रहो यच्छूलादवतार्य हस्तिस्कन्धे, प्रतिष्ठापितः।

जानुकः—आवृत्तं प्ररितोषिकं कथयति तेनाङ्गुलीयकेन भर्तुः सम्मतेन भवितव्यम्।

श्यालः—न तस्मिन्महार्हं रत्नं भर्तुर्बहुमतमिति तर्कयामि। तस्य दर्शनेन भर्तुरभिमतो जनः स्मारितः।
मुहूर्तं प्रकृतिगम्भीरोऽपि पर्यश्रुनयन आसीत्।

सूचकः—सेवितं नामावृत्तेन।

जानुकः—ननु भण अस्य कृते मात्स्यिकभर्तुरिति।

(इति पुरुषमसूयया पश्यति)

पुरुषः—भट्टारक, इतोऽर्धं युष्माकं सुमनो मूल्यं भवतु।

जानुकः—एतावद्युज्यते।

श्यालः—धीवर! महत्तरस्त्वं प्रियवयस्क इदानीं मे संवृत्तः। कादम्बरीसाक्षिकमस्माकं प्रभमसौहृदमिष्यते। तच्छौण्डिकापणमेव गच्छामः।

(इति निष्क्रान्ता सर्वे)

इति प्रवेशकः

हिन्दी अनुवाद

(तदनन्तर राजा के साले कोतवाल का और उसके पीछे बेड़ी से बँधे हुए एक पुरुष को लिये हुए दो सिपाहियों का प्रवेश।)

दोनों सिपाही—(पीटकर) अरे चोर! बोल, कहाँ तुमने राजा के नाम से अंकित यह मणि लगी हुई अँगूठी पायी?

NOTES

पुरुष—(भय का अभिनय करते हुए) महाशय! क्षमा करें। मैं ऐसा काम नहीं किया करता।

प्रथम सिपाही—क्या तुझे सुपात्र ब्राह्मण जानकर राजा ने दक्षिणा दी थी?

पुरुष—तनिक सुनने की कृपा तो करें। मैं शक्रवतार गाँव का रहने वाला मछुआ हूँ।

दूसरा सिपाही—अबे! क्या हम तुम्हारी जाति-पाँति पूछ रहे हैं।

कोतवाल—सूचक! इसे सब बातें ब्यौरे के साथ बताने दो, बीच में मत टोको।

दोनों सिपाही—श्रीमान् जैसी आज्ञा। बोल रे! बोल।

पुरुष—मैं जाल, बंसी आदि मछली को पकड़ने वाले साधनों से अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करता हूँ।

कोतवाल—(विहँसकर) तेरी आजीविका तो बहुत अच्छी है।

पुरुष—स्वामी! ऐसा न कहें।

लोग चाहे जितनी भी निन्दा करें, किन्तु जो जिसका स्वाभाविक जाति-धर्म या आजीविका है, उसका उसे कभी त्याग नहीं करना चाहिए! देखिये, करुणा से आर्द्र हृदय वेदनिष्ठ ब्राह्मण ही यज्ञों में पशुओं की हिंसा जैसे क्रूर कर्म में प्रवृत्त होते हैं।

श्याल—इसके बाद क्या हुआ?

पुरुष—एक दिन जब मैं एक रोहू मछली को टुकड़े-टुकड़े काट रहा था तब उसके पेट के भीतर रत्न के कारण चमकती हुई इस अँगूठी को देखा। बाद में मैं उसी को बेचने के लिए दिखला रहा था कि आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। अब चाहे मुझे मारिये या छोड़िये, इसके मिलने का यही सम्पूर्ण वृत्तान्त है।

कोतवाल—जानुक! इसमें तो कोई सन्देह नहीं कि यह गोह खानेवाला मछुआ ही है, क्योंकि शरीर से कच्चे मांस की दुर्गन्ध आ रही है। हाँ, इस अँगूठी के मिलने की घटना की जाँच करनी चाहिए। इसे राजदरबार में हमें ले चलना चाहिए।

दोनों सिपाही—ठीक! अरे गिरहकट! चल। (सभी घूमते हैं)

कोतवाल—सूचक! नगर-द्वार पर सावधानी से इसकी रखवाली करना, तब तक मैं महाराज से इस अँगूठी के प्राप्त होने का विवरण निवेदन करके और उनकी आज्ञा लेकर आता हूँ।

दोनों सिपाही—आप महाराज की अनुग्रह-प्राप्ति के लिए जायँ।

(कोतवाल चला गया)

प्रथम सिपाही—जानुक, आवुत्त देर कर रहे हैं।

दूसरा सिपाही—अरे! राजा के पास अवसर देखकर ही जाया जाता है।

प्रथम सिपाही—जानुक, इसे मारने के लिए माला पहनाने को मेरे हाथ फड़क रहे हैं। (मछुए की ओर संकेत करता है।)

मछुआ—यह आपके योग्य नहीं है कि बिना किसी कारण के मुझे मारने का विचार करें।

दूसरा पुरुष—(देखकर) ये हमारे अधिकारी हाथ में महाराज का आज्ञापत्र लिये हुए इसी तरफ मुख किये आते दिखायी पड़ रहे हैं। अब तू या गिद्धों का आहार बनेगा या कुत्तों के मुँह में जायेगा।

(प्रवेश करके)

कोतवाल—सूचक ! इस मछुए को छोड़ दो। अँगूठी के मिलने का रहस्य मालूम पड़ गया।

सूचक—श्रीमान् की जैसी आज्ञा।

दूसरा सिपाही—यह तो यमराज के घर पहुँचकर भी वापस लौट आया।

(मछुए को बन्धन से मुक्त करता है।)

मछुआ—(कोतवाल को प्रणाम कर) श्रीमान् ! बताएँ मेरी आजीविका कैसी रही है ?

कोतवाल—महाराज ने इस अँगूठी के मूल्य के बराबर इसे उपहार देने की आज्ञा भी दी है। (मछुए को धन देता है।)

मछुआ—(प्रणामपूर्वक स्वीकार करते हुए) श्रीमान् ! मैं अनुगृहीत हूँ।

सूचक—इसे ही राजा की कृपा कहते हैं, जिसने सूली से उतारकर हाथी की पीठ पर बैठा दिया।

जानुक—श्रीमान् ! पारितोषिक कहता है कि (से लगता है कि) अँगूठी स्वामी को विशेष प्रिय थी।

कोतवाल—मैं तो समझता हूँ कि उस अँगूठी में जो बहुमूल्य नग जड़ा था, उसके कारण वह महाराज को प्रिय नहीं लगी बल्कि उसे देखकर महाराज को किसी प्रियजन की याद आ गयी है, क्योंकि स्वभाव से गम्भीर होने पर भी उनके नेत्र अँगूठी को देखकर अनमने-से हो गये थे।

सूचक—तब तो श्रीमान् ने महाराज का बहुत बड़ा काम किया है।

जानुक—यों कहो कि इस मछुए ने राजा का बड़ा काम किया। (मल्लाह को ईर्ष्या से देखता है।)

मछुआ—श्रीमान् ! इसका आधा भाग आप लोगों के पत्र-पुष्प के लिए है।

जानुक—यह तुमने ठीक कहा।

कोतवाल—मछुए ! अब तो तुम मेरे बड़े अच्छे मित्र हो गये। मदिरा का पात्र हमारा-तुम्हारा प्रथम प्रीतिपात्र हो—ऐसी मेरी इच्छा है। चलो मदिरालय की ओर चलें।

(सब चले जाते हैं)

प्रवेशक समाप्त

NOTES

4. पाइअ-संगहो (अर्धमागधी)

NOTES

1. अहिंसा

कोहाइमाणं हनिया च वीरे, लोभस्य पासे निरयं महन्तं ।
तम्हा हि वीरेविरओ बहाओ, छिन्देज्ज सोयं लहुभूयगामी ॥ 1 ॥
गन्थं परित्राय इह, अज्ज वीरे, सोयं परित्राय चरेज्ज दान्ते ।
उम्मुग्गा लद्धं, इह माणवेहिं, नो पाणिणं प्राणे समारभेज्जा ॥ 2 ॥

—आयरङ्ग सुत्त (आचाराङ्ग सूत्र)

संस्कृत अनुवाद

क्रोधाभिमाने हन्याच्च वीर; लोभस्य पाशे निरयो महान् ।
तस्माद्धि वीरो विरतो वधात्, छिन्द्यात् स्रोतः लघुभूयगामी ॥ 1 ॥
ग्रन्थं परिज्ञाय इहाद्य वीरः, स्रोत परिज्ञानय चरेद्दान्तः ।
उन्मग्नान् लब्धुमिह मानवैः, न प्राणिनां प्राणान् समालभेत् ॥ 2 ॥

हिन्दी अनुवाद

वीर (धर्मवीर) मनुष्य को चाहिए कि वह क्रोध और अभिमान को नष्ट करे, लोभ के पाश में पड़ने पर महान् नरक होता है, अतः शीघ्रता से अत्यन्त तेज चलने वाले (सांसारिक कृत्यों में प्रगति करने वाले) वीर मनुष्य को चाहिए कि हिंसा से विरत (होकर) जीवन के स्रोतों को (जीवन-मरण के कारणों को) उच्छिन्न कर दे ॥ 1 ॥

इस समय इस संसार में ग्रन्थों (धार्मिक ग्रन्थों) का सम्यक् ज्ञान करके (तथा जीवन-मरण के) स्रोतों को भली-भाँति जानकर (इन्द्रियों को) दमन करने वाले वीर पुरुष को (संसार में) आचरण (व्यवहार) करना चाहिए (तथा) मनुष्यों की सहायता से (भवजाल से) ऊपर उठे हुए को (लोगों को) प्राप्त करने के लिए जीवों के प्राणों की हिंसा नहीं करनी चाहिए ॥ 2 ॥

2. महावीर जन्म

तेणं कालेणं समएणं समणे भगवं महावीरे जे से गिम्हाणं चउत्थे मासे अट्टमे पक्खे आसाढसुद्धे तस्स णं आसाढ सुद्धस्य छट्ठी पक्खेणं महाविजयपुप्फुत्तर-पवर-पुण्डीयाओ महाविमानाओ वीसंसागरोवमट्ठितीयाओ अणंतं चयं चइत्ता इहेव जम्बुद्वीवे दीवे भारहे वासे इसीसे ओसप्पिणीए सुसमसुसमाए समाए विइक्कंताए दुस्सम-सुसमाए समाए बहुविइक्कंताए पंच हत्तरीए वासेहिं अद्ध-नवमेहिं य मासेहिं सेसेहिं एक्कवीसाए तित्थयरेहिं इक्खाग-कुल-समुप्पन्नेहिं कासवगोत्तेहिं दोहि य हरिवंस-कुलसनुप्पनेहिं गोयमसीगोत्तेहिं तेवीसाए तित्थयरेहिं विइक्कंतेहिं समणे भगवं महावीरे चरिमे तित्थयरे पुब्बतित्थरनिद्धिडे महाणकुण्डगामे नयरे उसभदत्तस्य माहणस्य कोडाल-सगोत्तस्स भारियाए देवानन्दाए माहणीए जालंधरसगोत्ताए पुब्बरत्तावरत्त-कालसमयंसि हत्थुत्तराहिं नक्खत्तेणं जोगं उवागएणं आहार-वक्कंतीए भव-वक्कंतीए सरीरवक्तीए कुच्चिसि गब्भत्ताए वक्कते ।

—कप्पसुत्त

तेन कालेन तेन समयेन (तस्मिन् काले तस्मिन् समये) श्रमणो भगवान् महावीरः यः सः ग्रीष्माणां चतुर्थे मासे अष्टमे पक्षे आषाढशुद्धे तस्य ननु आषाढ—सुद्धस्य षष्ठ्यां पक्षेण महाविजयपुष्पोत्तरप्रवरपुण्डरीकात् महाविमानात् विंशसागरोपमस्थितिकादनन्तरं च्यवं च्यवित्या इहैव जम्बूद्वीपे भारतवर्षसे अस्यामवसर्पिण्यां सुषमसुषमायां समायां व्यतिक्रान्तायां दुष्पमसुषमायां समायां बहुव्यतिक्रान्तायां पञ्चसप्तत्या वर्षेः अर्द्धनवमैश्च मासैः शेषैः एकविंशतया तीर्थङ्करैः इक्ष्वाकुकुलसमुत्पन्नैः काश्यपगोत्रैः द्वाभ्याञ्च हरिवंशकुलसमुत्पन्नाभ्यां गोतमसगोत्राभ्यां त्रयोविंशत्या तीर्थङ्करैः व्यतिक्रान्तैः श्रमणो भगवान् महावरीश्वरमः तीर्थङ्करः पूर्वतीर्थङ्करनिर्दिष्टः महीनयकुण्डग्रामे नगरे वृषभदत्तस्य महीनयस्य कौटालसंगोत्रस्य भार्यायाः देवानन्दायाः महीनयायाः जालन्धरसगोत्रायाः पूर्वरात्रकालसमये हस्तोत्तराभ्यां नक्षत्रेण योगमुपागतेन, आहारापक्रान्त्या, भावपक्रान्त्या, शरीरापक्रान्त्या, कुक्षौ गर्भतया अवक्रान्तः।

NOTES

हिन्दी अनुवाद

उस बार, उस समय जो श्रमण भगवान् महावीर थे, वे ग्रीष्म ऋतु के चौथे महीने आठवें पाख आषाढ के शुक्ल पक्ष में, उस आषाढ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महाविजयपुष्पोत्तर प्रवरपुण्डरीक नामक दिव्यलोक से जहाँ पर बीससागर (= काल गंगा की एक इकाई) पर्यन्त स्थिति रहती है, भोग-भोगकर मानव जन्म में उतरकर इसी जम्बूद्वीप नामक द्वीप में भारतवर्ष में सुषम-सुषमा नामक समय के बीतने पर दुष्पसुषमा नामक समय के और अधिक बीतने पर इस अवसर्पिणी नामक कालगणना में पचहत्तर वर्ष बीतने पर साढ़े आठ महीना शेष रहते, इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न काश्यप गोत्रवाले इक्कीस तीर्थकरों के तथा गोत्रीय हरिवंश कुल में उत्पन्न दो तीर्थकरों के, इस प्रकार तेईस तीर्थकरों के बीत जाने पर अन्तिम तीर्थकर के रूप में अपने पूर्ववर्ती तीर्थकरों के द्वारा श्रेष्ठ, पहले से ही निर्दिष्ट श्रमण भगवान् महावीर श्रेष्ठ कुण्डकग्राम नामक नगर में पूजनीय कौटाल गोत्रीय वृषभदत्त की जालन्धर फाल्गुनी और हस्त नक्षत्र की सन्धि-वेला में भोग की अवधि शुरू होने के कारण, भव के नये प्रारम्भ के कारण, नये शरीर के भोग के उपस्थित होने के कारण गर्भ के रूप में अवतीर्ण हुए।

3. महावीरस्य परिव्रजनम्

अह दुच्चर-लाढं अचारी वज्जभूमिं च सुव्यभूमिं च।

पन्तं सेज्जं सेविंसु आसणगाइं चेव पन्ताइम् ॥ 1 ॥

लाढेहिं तस्स उवसग्गा बहवे जाणयवया लूसिंसु।

अहलुक्स-देशिए भत्ते कुक्कुरा तत्थ हिंसिंसु दिवइंसु ॥ 2 ॥

अप्पेले जणे निवारेइ लूसणए सुणए डसमाणे।

छुच्छुक्-कारेन्ति आहन्तुं समणं कुक्कुरा डसन्तुत्ति ॥ 3 ॥

एलिक्खए जणे भुज्जो बहवे वज्ज-भूमिं फरुसासी।

लट्ठिं गहाय नालियं समणा तत्थ एव विहरिसु ॥ 4 ॥

एवं पि तत्थ विहरन्ता पुट्टपुब्बा अहेसि सुणएहिं।

संलुडचमाणा सुणएहिं दुच्चरगणि लत्थ लाढेहिं ॥ 5 ॥

निहाय दण्डं पाणेहि तं कायं बोसज्ज मणगारे।

अह गामकण्टए भगवं ते अहियाएसए अभिसमेच्चा ॥ 6 ॥

NOTES

नाओ संगाम-सीसे वा पारए तत्थ से महावीरे ।
 एवं पि तत्थ लाढेहिं अलद्ध-पुब्बो वि एकया गामो ॥ 7 ॥
 उपसंकमन्तं अपदिन्नं गामन्तियं पि अप्पत्तं ।
 पडिनिक्खमित्त लूसिंसु एयाओ परं पलेहि त्ति ॥ 8 ॥
 हयपुब्बो तत्थ दण्डेणं अदु वा मुट्ठिणा अदु फलेणं ।
 अदु लेलुणा कवालेणं हन्ता हन्ता बहवे कन्दिसु ॥ 9 ॥
 मंसूणि छिन्नपुब्बाई ओट्टुभाए एगया कायं ।
 परिस्सहाई लुञ्चिसु अदु वा पंसुणा उक्करिंसु ॥ 10 ॥
 उच्चालइय निहणिसु अदु वा आसणाओ खलइंसु ।
 वोसट्ठ-काए'पणयासी दुक्खसहे भगवं अपदिन्ने ॥ 11 ॥
 सूरु संगानसिसे व संयुदे तत्थ से महावीरे ।
 पडिसेवमाणो फरुसादूं अचले भगवं रीइत्था ॥ 12 ॥

—आयरङ्ग सुत्त

संस्कृत अनुवाद

अथ दुश्चरराढमचारीत् वज्रभूमिं श्वभ्रभूमिं च ।
 पूतियुक्तां शय्यामसेविष्ट आसनकानि चैव पूतिम् ॥ 1 ॥
 राढेषु तस्योपसर्गाः बहवः जानपदाः अरुषन् ।
 अथ रूक्षदेशीयः भक्तः कुक्कुरास्तत्र अहिंसिषुः न्यपत्तन् ॥ 2 ॥
 अल्पः जनः निवारयति रोषणकान् शुनकान् दशतः ।
 क्षुक्क्षुक् कारयन्ति आहन्तुं श्रमणं कुक्कुराः दशन्तु इति ॥ 3 ॥
 *एदृक्षकः (ईदृक्षकः) जनः भूयः बहवः वज्रभूमिः परुषा आसीत् ।
 यष्टि गृहीत्वा नालिकं श्रमणास्तत्रैव व्यवहार्षुः ॥ 4 ॥
 एवमपि तत्र विहरन्तः स्पृष्टपूर्वाः अभूवन् शुनकेः ।
 संलुञ्ज्यमानाः शुनकैः दुश्चरकाणि तत्र राढेषु ॥ 5 ॥
 निधाय दण्डं प्राणिभ्यः ते कायं व्यवसृज्यानागारः ।
 अथ ग्रामकण्टकान् भगवान् तान् अध्यास्त अभिसमेत्य ॥ 6 ॥
 नागः संग्रामशीर्षे इव पारगः तत्र स महावीरः ।
 एवमपि तत्र राढेषु अलब्धपूर्वः अपि एकदागामी ॥ 7 ॥
 उपसङ्क्राम्यन्तमप्रतिज्ञं ग्रामान्तिकमपि अप्राप्तम् ।
 प्रतिनिष्क्रमितुमरुजन् एतस्मात् परं पलायस्व इति ॥ 8 ॥
 हतपूर्वः तत्र दण्डेनाथवा मुष्टिना उत फलेन ।
 उत लेडुना (मृत्पिण्डेन) कपालेन हत हत बहवः अक्रन्दिषुः ॥ 9 ॥
 श्मश्रूणि छिन्नपूर्वाणि अवष्टभितायमेकदा कायम् ।

परिस्रवाणि अलुचन् उत वा पांशुना उपाकरिषुः॥ 10 ॥

उच्चात्य न्यवधिषुः उत वा आसनात् अचस्खलन्।

व्यवसृष्टकायः प्रणतः आसीत् दुःखःसहः भगवान् अप्रतिज्ञः॥ 11 ॥

शूरः संग्रामशीर्षे इव संवृतः तत्र स महावीरः।

प्रतिसेवमान्ः परुषाणि अचलद्भगवान् आरत्॥ 12 ॥

NOTES

हिन्दी अनुवाद

इसके बाद महावीर ने ऊबड़-खाबड़ (सम्भवतः पश्चिमी बंगाल का पश्चिमी भाग और छोटा नागपुर का पर्वतीय भाग) एवं तलहटी वाली दुश्चर राढ़ देश की भूमि में विचरण किया और अशोभन बिस्तर तथा अशोभन आसनों पर वे सोये एवं बैठे॥ 1 ॥

राढ़ देशों में महावीर के लिए बहुत दुःख थे और वहाँ के निवासी इनसे अप्रसन्न थे। रूखे-सूखे भातों पर (लिपटे हुए) उन्हें कुक्कुर काटते थे और टूट पड़ते थे॥ 2 ॥

थोड़े ही लोग उन क्रुद्ध एवं काटने वाले कुत्तों का निवारण करते थे (किन्तु कुछ लोग) श्रमणों को कुत्ते काटें ऐसा (सोचकर) उनको काटने के लिए क्षुक्-क्षुक् (कुत्तों को प्रोत्साहित करने को बोली) करते थे॥ 3 ॥

एक तो, इसी प्रकार के वहाँ लोग थे और दूसरे, वह वज्रभूमि, रूक्ष थी। वहाँ श्रमण लोग यष्टि और बाँस के बने डण्डों (नालिका) को लेकर विहार करते थे॥ 4 ॥

इसी तरह वहाँ विहार करते हुए श्रमणों को कुत्तों ने काटा और चिथड़े-चिथड़े कर दिये। राढ़ देश में वे लोग चल-फिर नहीं सकते थे॥ 5 ॥

प्राणियों के समक्ष दण्ड का त्याग कर, अपने पूर्व भाव को छोड़कर वे अनागार भगवान् महावीर परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर कण्टक के समान उन गाँवों में रहे॥ 6 ॥

घोर संग्राम में जिस प्रकार हाथी पार चला जाता है उसी प्रकार महावीर राढ़ देश में अलम्बपूर्व की भाँति रहते हुए एक बार जाने को हुए॥ 7 ॥

निष्काम महावीर गाँवों में घूमते हुए भी गाँवों के पास नहीं गये। यहाँ से भाग चलना चाहिए, ऐसा सोचकर, वहाँ से निकल चलने का उन्होंने निश्चय किया॥ 8 ॥

डण्डे से, मुष्टि से, फल से, ढेले से, कपाल (घड़े का टुकड़ा) से यह (महावीर) मारा गया है। इसको 'मारो-मारो' (ऐसा) बहुत से लोग चिल्लाने लगे॥ 9 ॥

एक समय, शरीर को जड़ (निश्चल) बना देने की स्थिति में पहले से बनी हुई (तथा इस समय) बिखरी हुई दाढ़ी-मूँछों को (राढ़ देशवासियों ने) नोच लिया और (उस पर) धूल बिखेर दी॥ 10 ॥

शरीर को उलट-पुलटकर (उन्हें लोगों ने) मारा और आसन से ढकेल दिया। शरीर को फेंक दिया (तो) निष्काम, दुःख सहने वाले भगवान् महावीर प्रणत हो गये॥ 11 ॥

घोर संग्राम में बहादुर की भाँति वह भगवान् महावीर वहाँ घिरे थे। परुष वचनों को सहते हुए भगवान् वहाँ से चले और चले गये॥ 12 ॥

4. उवासगदसाओ (पढमं आणंदज्झयणो)

NOTES

इह खलु 'आणंदा' इ समणे भगवं महावीरे आणंदं समणोवासणं एवं वयासी—एवं खलु, आणंदा, समणोवासणं अभिगअ जीवाजीवेणं....जाव.....आइक्कमणिज्जेणं सम्मत्तस्स पंच अइयारा पेयाला जाणियव्वा, न समायरियव्वा। तं जहा—संका, कंखा, विइगिच्छ, परमासंड-पसंसा, पर-पासंडसंथवे।।44।।

तयाणंतरं च णं थूलगस पाणाइवाय-वेरमणस्स समणोवासणं पंच अइयारा पेयाला जाणियव्वा, न समायरियव्वा। तं जहा बंधे, वहे, छविच्छेए, अइभारे, भत्तपाण-वोच्छेए।।45।।

तयाणंतरं च णं थूलगस्स मुसावायरेरमणस्स पंच अइयारा जाणियव्वा न ममाअरियव्वा। तं जहा—सहसाभक्खाणे, रहसाभक्खाणे, सदार-मंत-भेए, मोसावएसे, कूड लेह-करणे।।46।।

तयाणंतरं च थूलगस्स अदिण्णादाणवेरमणस्स पंच अइयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा। तं जहा—तेणाहडे, तक्करप्पओगे, विरुद्धरज्जा-इक्कमणे, कूड-तुल्ल-कूड-माणे, तप्पडिरूवग-ववहारे।।47।।

तयाणंतरं च णं सदार-संतोसीए पंच अहयारा जाणियव्वा, न समायरियव्वा। तं जहा—इत्तरिअ-परिगगहिया-गमणे, अपरिगगहियागमणे, अणंग-कीडा, पर-विवाह-करणे, कामा-भोगा तिव्वाभिलासे।।48।।

तयाणंतरं च णं इचदा-परिमाणस्स समणोवासणं पंच अइयारा जाणियव्वा, ण समायरियव्वा। तं जहा—खेत्तवत्थु पमाणाइक्कमे, हिरण्ण-सुवण्ण-पमाणाइक्कमे, दुपय-चउप्पय-पमाणइक्कमे, धण-धन्नपमाणाइक्कमे, कुविय-पमाणाइक्कमे।।49।।

तयाणंतरं च णं दिसि-व्वयस पंच अइयारा-जाणियव्वा, न समायारि-यव्वा तं जहा—उड्ढदिसि पमाणाइक्कमे, अहो-दिसि-पमाणाइक्कमे, तिरिय-दिसि-पमाणाइक्कमे, खेत्त-वुड्ढी-सइ, अंतरद्धा।।50।।

संस्कृत अनुवाद

इह खलु 'आनन्द इति श्रमणो भगवान् महावीर आनन्दं श्रमणोपासकं इव-मवादीत्—एवं खल्वाआनन्द। श्रमणोपासकेनाभिगतजीवाजीवेन यावदनतिक्रमणीयेन सम्यक्त्वस्य पशजातिचारप्रकाराः ज्ञातव्याः न समाचरितव्याः। तद्यथा—शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, परपाषण्डप्रशंसा, परपाषण्डसंस्तवः।।44।।

तदानन्तरश्च ननु स्थूलकस्य प्राणतिपातविरमणस्य श्रमणोपासकेन पंचाति-चारप्रकाराः। ज्ञातव्याः न समाचरितव्याः। तद्यथा—वन्धः वधः छविच्छेदः अतिभारः भक्तपानव्यवच्छेदः।।45।।

तदानन्तरश्च ननु स्थूलकस्य मृशावादविरमणस्य पशजातिचाराः ज्ञातव्याः न समाचरितव्याः। तद्यथा—सहसाभ्याख्यानं, रहस्यभ्याख्यानं, स्वदारमन्त्रीभदः मृषोपदेशः कूटलेखकरणम्।।46।।

तदानन्तरश्च ननु स्थूलकस्यादत्रादानविरमणस्य पञ्चातिचाराः ज्ञातव्याः न समाचरितव्याः। तद्यथा—स्तेनाहृतम, तस्करप्रयोगः, विरुद्धराज्यातिक्रमणम्, कूटतुला-कूटमानम्, तत्प्रतिरूपकव्यवहारः।।47।।

तदानन्तरश्च स्वदारसन्तोषिणः पञ्चातिचाराः ज्ञातव्याः न समाचरितव्याः तद्यथा—इत्वरिकपरिगृहीतागमनं, अपरिगृहीतागमनं, अनङ्गक्रीडा, परविवाहकरणं, काम-भोगयाः तीव्राभिलाषः।।48।।

तदानन्तरश्च ननु इच्छापरिमाणस्य श्रमणोपासकेन पञ्चातिचाराः ज्ञातव्याः न समाचरितव्याः। तद्यथा—क्षेत्रवास्तुप्रमाणातिक्रमः, हिरव्यसुवर्णप्रमाणातिक्रमः, द्विपदचतुष्पदप्रमाणातिक्रमः, धनधान्यप्रमाणातिक्रमः, कुप्यप्रमाणातिक्रमः।।49।।

तदानन्तरश्च ननु दिग्ब्रतस्य पंचातिचाराः ज्ञातव्याः, न समाचरितव्याः। तद्यथा-ऊर्ध्वदिक्प्रमाणातिक्रमः,
अधोदिक्प्रमाणातिक्रमः, तिर्यकृदिक्प्रमाणातिक्रमः, क्षेत्रवृद्धिः समृत्यन्तर्धानम् ॥ 50 ॥

हिन्दी अनुवाद

यहाँ 'आनन्द' (ऐसा) श्रमण भगवान् महावीर ने आनन्द श्रमणोपासक से इस प्रकार कहा—आनन्द ! जीवों एवं निर्जीवों को अच्छी प्रकार जान लेने वाले, अनतिक्रमणीय श्रमणोपासक को सम्यक्त्व के मुख्य पाँच प्रकार के बुरे आचरणों को जानना चाहिए तथा उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं— शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, दूसरे धर्म को मानने वाले की प्रशंसा तथा दूसरे धर्म को मानने वालों के साथ निकटता का सम्बन्ध ॥ 44 ॥

तदनन्तर श्रमणोपासक को प्राणियों के बुरे प्रयोगों के स्थूल तरीकों के पाँच दुर्व्यवहारों को जानना चाहिए तथा उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं—बन्ध (पशु आदि को कठोर बन्धन से बाँधना), वध (किसी अङ्ग को काटना), अतिभार (सामर्थ्य से अधिक भार लादना), भोजन एवं पानी न देना ॥ 45 ॥

तदनन्तर स्थूल असत्य बोलने से हटने के पाँच दुर्व्यवहारों को श्रमणोपासक को जानना चाहिए तथा उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं—सहसा कुछ कह देना, एकान्त में कुछ कहना, अपनी पत्नी के साथ मन्त्रभेद, असत्य बातों का उपदेश तथा असत्य लेखों का तैयार करना ॥ 46 ॥

तदनन्तर स्थूल चोरी से रुकने के पाँच दुर्व्यवहारों को जानना चाहिए तथा उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं—चोर के द्वारा लायी गयी वस्तु को स्वीकार करना, चोरी करवाना, विरुद्धाज्य का अतिक्रमण, गलत तराजू और गलत बाँट तथा मिलावट के द्वारा अशुद्ध वस्तु का शुद्ध वस्तु के रूप में व्यवहार ॥ 47 ॥

तदनन्तर स्वदारसन्तोषी-व्रत के पाँच दुर्व्यवहारों को जानना चाहिए तथा उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं—चञ्चल किन्तु परिगृहीता स्त्री के पास गमन, अपरिगृहीता स्त्री के पास गमन, अनङ्ग (अप्राकृतिक) क्रीड़ा, दूसरे अपरिचित विवाह कराना, काम एवं भोग में तीव्र अभिलाषा ॥ 48 ॥

तदनन्तर इच्छा परिमाण के दुर्व्यवहारों को श्रमणोपासक को जानना चाहिए तथा उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं—खेत और गृहसम्बन्धी प्रमाण का अतिक्रमण, हिरण्य-सुवर्ण-प्रमाण का अतिक्रमण, द्विपद-चतुष्पद-प्रमाण का अतिक्रमण, धनधान्य-प्रमाण का अतिक्रमण तथा गृहोपकरण (वस्त्र, बर्तन, शय्या, आसन आदि) सम्बन्धी प्रमाण का अतिक्रमण ॥ 49 ॥

तदनन्तर दिग्ब्रत के पाँच अतिचारों को जानना चाहिए एवं उनका आचरण नहीं करना चाहिए। वे इस प्रकार हैं—ऊर्ध्वदिशा के प्रमाण का अतिक्रमण, अधोदिशा के प्रमाण का अतिक्रमण, तिरछी दिशा के प्रमाण का अतिक्रमण, रहने के स्थान पर दूसरे के क्षेत्र में बढ़ना एवं स्मृतिनाश ॥ 50 ॥

NOTES

5. पाइअ-संगहो (खोतानी-प्राकृत)

अप्रमादरतिः भिक्षुधर्मश्च

NOTES

- अप्रमद प्रशजति प्रमदु गरदितु सद ॥ 1 ॥
हिरण-धम न जेव, अ प्रमदेण न जवजि।
मिछदिठि न रोय अ न जि' अ-लोक-वढणो ॥ 2 ॥
यो दु पुवि प्रमजति पछ सु न प्रमजदि।
सो इद लकु ओहजेदि अभ मृतो व सुरि' उ ॥ 3 ॥
अरहथ निखमध युजथ बध-शशणे।
धुणथ मुत्तुणो जेण नडकर व कुजरु ॥ 4 ॥
अप्रमद स्वदिमद सुशिल भोदु भिक्षवि।
सुजमहिद-जगप जचित अणुरक्षध ॥ 5 ॥
यो इमस धम-विण' इ अप्रमतु विहषिदि।
प्रह' इ जदि-जत्थार दुखुसद करिषिदि ॥ 6 ॥
त यु वदमि भुद्रजु यपदेथ जमकद।
अप्रमद रद भोध जधमि सुप्रवेदिदि ॥ 7 ॥
प्रमद परिवजेति अप्रमद रद जद।
भवेथ कुशल धम योक-क्षेमज प्रत' अ ॥ 8 ॥
जलव्हु नदिमजे' अ नजेष स्विह' ओ षि' अ।
अजेष स्विह' ओ भिखु जमधि नधिकछदि ॥ 9 ॥
अप-लभो दु यो भिखु जलव्हु नदिमजदिं।
त गु देव प्रशजदि सुध-यिव अतद्रिद ॥ 10 ॥
कमरमु कम-रदु कमु अणुविचिद' ओ।
कमु अणुस्वरो भिखु जधर्म न परिहयदि ॥ 11 ॥
धरममु धम रदु धमु अणुविचिदओ।
धमु अणुस्वरो भिखु जधर्म न परिछयदि ॥ 12 ॥
न शिल-वद-मत्रेध बहोषुकेण व मणो।
अध जमधि-लभेण विवित-शयणेण व ॥ 13 ॥
फुषमु नेखम-सुखु अप्रधजण-जेविद।
भिखु विश्पशम् अ (पदि) अप्रते असव-क्षये ॥ 14 ॥
न भिखु तवद भोदि यवद भिक्षदि पर।
विश्व धर्म जमदइ भिखु भोदि न तवद ॥ 15 ॥

यो दु बहेति पवण वदव ब्रम्म-यियव ।
 जग' इ चरदि लोके सो दु भिखु दु वुचदि ॥ 16 ॥
 मेत्र विहरि यो भिखु प्रजनु बुध-शशणे ।
 दुणदि पवक धर्म द्रुम-पत्र ब मदुरु ॥ 17 ॥
 मेत्र-विहर यो भिखु प्रजनु बुध-शशणे ।
 पडिविजु पद शद जगरवोशमु सुह ॥ 18 ॥

NOTES

संस्कृत अनुवाद

अप्रमादः प्रशस्यते प्रमादः गर्हितः सदा ॥ 1 ॥
 हीनं धर्मं न सेवेत प्रमादेन न संवसेत् ।
 मिथ्यादृष्टिं न रोचेत न स्यात् लोकवर्धनः ॥ 2 ॥
 यस्तु पूर्वं प्रमाद्यति पश्चात् न प्रमाद्यति ।
 स इह लोके अवभासते अभ्रमुक्त इव सूर्यः ॥ 3 ॥
 अर्हतं निष्कामयध्वम् युद्ध्वम् बुद्धशासने ।
 धुनुत मृत्योः स्वेन नलागारम् इव कुञ्जरः ॥ 4 ॥
 अप्रमादाः स्मृतिमन्तः सुशीलाः भवत भिक्षवः ।
 सुसमाहितसंकल्पाः स्वचित्तम् अनुरक्षत ॥ 5 ॥
 यो अस्य धर्मविनये अप्रमत्तः विहरिष्यति ।
 प्रहाय जातिसंसारं दु खस्यान्तं करिष्यति ॥ 6 ॥
 तद्वः वदामि भद्रं वः यावदत्र समागताः ।
 अप्रमादरतः भवत वधर्मे सुप्रवेदिते ॥ 7 ॥
 प्रमादं परिवर्जयति अप्रमादरतः सदा ।
 भवेत् कुशलधर्मा योगक्षेमयोः प्राप्तये ॥ 8 ॥
 स्वलाभं नातिमन्येत नान्येभ्यः स्पृहयन् स्यात् ।
 अन्येभ्यः स्पृहयन् भिक्षुः समाधिं नाधिगच्छति ॥ 9 ॥
 अल्पलाभस्तु यो भिक्षुः स्वलाभं नातिमन्यते ।
 तं खलु देवाः प्रशंसन्ति शुद्धजीवमतन्द्रितम् ॥ 10 ॥
 कामरभः कामरतः कामनुविचिन्तयन् ।
 काममनुस्मरन् भिक्षुः स्वधर्मात् परिहीयते ॥ 11 ॥
 धर्मरमः धर्मरतः धर्ममनुविचिं तयन् ।
 धर्ममनुस्मरन् भिक्षुः स्वधर्माद् न परिहीयते (सद्धर्मं न परिजहाति) ॥ 12 ॥
 न शीलव्रतमात्रेण बह्वीत्सुक्येन इव मनाक् ।

NOTES

अथ समाधिलोभेन विविक्तशयनेन वा ॥ 13 ॥
स्पृशामः नैष्कर्म्यसुखं अपृथग्जनसेवितम् ।
भिक्षु विश्वासमापतेत् अप्राप्ते आम्रवक्षये ॥ 14 ॥
न भिक्षुः तावता भवति यावता भिक्षते परान् ।
वेष्यं धर्म समादाय भिक्षुः भवति न तावता ॥ 15 ॥
यस्तु बहिष्करोति पापं व्रतवान् ब्रह्मचर्यवान् ।
संख्याय चरित लोके स तु भिक्षुस्तु उच्यते ॥ 16 ॥
मैत्रविहारी यो भिक्षुः प्रसन्नः बुद्धशासने ।
धुनोति पापकं धर्मं द्रुमपत्रमिव मारुतम् ॥ 17 ॥
मैत्रविहारी यो भिक्षुः प्रसन्नः बुद्धशासने ।
प्रतिविद्यन् पदं शान्तं संस्करोपशमं सुखम् ॥ 18 ॥

हिन्दी अनुवाद

अप्रमाद प्रशंसित है (और) प्रमाद सदा गर्हित (है) ॥ 1 ॥
हीनर्ध (असद्धर्म) की सेवा नहीं करनी चाहिए, प्रमाद की सेवा नहीं करनी चाहिए। मिथ्यादृष्टि का सेवन नहीं करना चाहिए (और इस दृष्टि से) लोक में प्रसिद्ध नहीं होना चाहिए ॥ 2 ॥
जो पहले प्रमाद करता है पर बाद में प्रमाद नहीं करता है, वह बादलों से मुक्त सूर्य की तरह, इस लोक को प्रकाशित करता है ॥ 3 ॥
अहर्तु बनो, निष्काम बनो, बुद्ध के शासन में तत्पर बनो। अपनी शक्ति से मृत्यु के पाश को उस तरह तोड़ डालो, जैसे नरकुल के घर को हाथी तोड़ डालता है ॥ 4 ॥
हे भिक्षुओ! प्रमादरहित होकर, स्मृतिशील होकर, सुशील होकर, एकाग्रभाव से दृढ़ संकल्प होकर, अपने चित्त की रक्षा करो (नियन्त्रण में रखो) ॥ 5 ॥
जो इस धर्म के अनुशासन में अप्रमत्त होकर विहार करेगा, वह जन्म और संसार से मुक्त होकर मृत्यु का अन्त करेगा ॥ 6 ॥
जितने लोग यहाँ हैं उनसे मैं कहता हूँ कि तुम्हारा कल्याण हो, अच्छी तरह समझाये गये सद्धर्म में सावधानी से तत्पर बनो ॥ 7 ॥
सावधान (अप्रमादी) व्यक्ति बराबर प्रमाद से बचता है। भिक्षुओ! तुम्हें योग-क्षेम के लिए कुशल धर्म-सेवी होना चाहिए ॥ 8 ॥
अपने ही लाभ को सब कुछ नहीं मानना चाहिए तथा दूसरों के साथ स्पृहा नहीं करनी चाहिए। दूसरों के साथ स्पृहा रखने वाला भिक्षु कभी समाधि (एकाग्रता) को नहीं प्राप्त कर सकता ॥ 9 ॥
जो भिक्षु अल्पलाभवाला होकर अपने लाभ को सब कुछ नहीं मानता, उसी शुद्ध जीवनवाले

भिक्षु की देवता प्रशंसा करते हैं ॥ 10 ॥

साहित्यिक-प्राकृत

काम में रमण करने वाला, काम में लीन, काम की चिन्ता करने वाला, काम का निरन्तर स्मरण करने वाला भिक्षु स्वधर्म से च्युत हो जाता है ॥ 11 ॥

धर्म में रमण करने वाला, धर्म में लीन, धर्म की चिन्ता करने वाला, धर्म का स्मरण करने वाला भिक्षु स्वधर्म से च्युत नहीं होता ॥ 12 ॥

न तो शीलव्रत के साधन से और न तो बहुत ज्यादा उत्सुकता दिखलाने से, न समाधि लेने से, न एकान्त में सोने से (नैष्कर्म्य का सुख प्राप्त होता है)। जिसका उपभोग इतरजन नहीं कर सकते, उस नैष्कर्म्य सुख को हम प्राप्त करते हैं (इस प्रकार सोचते हुए) जब तक मलों का क्षय नहीं होता तब तक भिक्षु को विश्वास करते रहना चाहिए ॥ 13-14 ॥

दूसरों से भिक्षा माँगने से ही भिक्षु नहीं होता। केवल गेरुआ वेश (बनावटी वेश) का धर्म मात्र स्वीकार करने से भिक्षु नहीं होता ॥ 15 ॥

जो पाप छोड़कर व्रतशील और ब्रह्मचर्यशील होता है तथा इस लोक में ज्ञानपूर्वक आचरण करता है वही भिक्षु कहा जाता है ॥ 16 ॥

बुद्ध के शासन में रमा हुआ जो भिक्षु मैत्रीपूर्वक विचरण करने वाला है, वही पाप को झकझोर कर उसी प्रकार फेंक सकता है जैसे कि हवा पत्तों को पेड़ से अलग कर देती है ॥ 17 ॥

बुद्ध के शासन में रमा हुआ जो भिक्षु मैत्रीपूर्वक विहार करता है वही संस्कारों के उपशमरूप सुख तथा शान्तपद को प्राप्त करता है ॥ 18 ॥

NOTES

6. पाइअ-संगहो (मिश्रित-प्राकृत)

1. मूलदेव-कथा

NOTES

वेण्णायडे णमरे मण्डिय णाम तुण्णाओ पद-दव्वहराणपसत्तो आसी। सो य दुट्ठ-गण्डो मि त्ति जणे पगासेन्तो जाणु-देसेण निच्च एव अद्दावलेवलित्तेन बद्ध-वणपट्टो रायमग्गे तुण्णागसिप्यं उवजीवइ। चङ्कमन्तो विय दण्धरिएणं पाएणं किलिम्मन्तो कहचि चंकमइ। रत्तिं च खत्तं खणिरुण दव्वजायं घेत्तूण नगरसण्णिहिए उज्जाणेग-देसे भूमिघरं तत्थ निक्खिवइ। तत्थ य से भगिणी कण्णगा चिट्ठइ। तस्स भूमिधरस्स मज्जे कूवो। जं च सो चोरो दव्वेण पलोभेउं सहायं दव्ववोढारं आणेइ तं सा से भगिणी अगड-समीवे पुव्व-नत्थासणे णीवेसिउं पाय-सोय-लक्खेण पाए गेण्हिरुण तम्मि कूवए पक्खिवइ। तओ सो विवज्जइ।

एवं कालो वच्चइ णयरं मुसन्तस्स। चोरग्गाहा तं ण सक्केन्ति गेण्हिउं। तओ णयरे बहुरवो जाओ। तत्थ य मूलदेव राया पुव्वभणियहिवहाणेण जाओ। कहिओ य तस्स पउरेहिं तक्कर-वइयरो जहा—एत्थ णयरे पभूयकालो मुसन्तस्स वट्ठइ कस्सइ तकरस्स। ण य तीरइ केणइ गेण्हिउं। ता करेउ किम्मि उवायं।

ताहे सो अन्नं नगरारक्खियां ठवेइ। सो वि ण सक्कई चोरं गेण्हिउं। ताहे मूलदेवो सयं नील-पडं पाउणिरुण रत्तं णिग्गतो। मूलदेवो अणज्जन्तो एगाए सभाए णिवण्णो अच्छइ जाव सो मण्डिय-चोरो आगन्तुं भणइ—को एत्थ अच्छइ।

मूलदेवेण भणियं—अहं कप्पडिओ।

तेण भण्णइ—एहि मानुसं करेमि।

मूलदेव उट्ठिओ। एगम्भि इसर-घरे खत्तं खयं सुवहुं दव्वजायं णीणे-उण मूलदेवस्स उवरिं चडावियं। पयट्ठा णयरवाहिरियं। मूलदेवो पुरओ चोरो असिणा कडिढएग पिट्ठिओ इए। संपत्ता भूमिघरं। चोरो तं दव्वं निहण्णिउं आरद्धो।

भणिया य णेण भगिणी—एयस्स पाहुणयस्स पायसोयं देहि।

ताए कूव-तडसण्णिविट्ठे आसने णिवेसिओ। ताए पायसोयलक्खेण पाओ गहिओ कूवे छुहमि त्ति। जाव अतीत-सुकुमारा पाया ताए णायं जहा एस कोइ अणुभूय-पुव्व रज्जो विहलियंगो। अणुकंपा जाया। तओ ताए पाय-तले सण्णिओ णस्स त्ति मा मारिज्जिहिसि त्ति। पच्छ सो पलाओ। ताए वोलो कओ णट्ठो त्ति। सो असिं कडिढ मग्गे ओलग्गो।

मूलदेवो राय-पहे अइसन्किट्ठं णारुण चच्चरसिवंतरीओ ठिओ। चोरो तं सिवलिंगं एसो पुरिसो त्ति काउं कङ्कमएण असिणा दुहा-काउं वडिनियतो गओ भूमिघरं। तत्थ वसिरुण पहायाए रयणिए तओ निग्गन्तूण गओ बहिं। अन्तरावणे तुण्णगतं करेइ।

राइणा अब्भुट्ठाणेण पूइओ आसने निवेसाविओ सुवहुं च पियं आभासिओ संलत्तो मम भगिहिं देहि त्ति।

तेण दिन्ना विवाहिया राइणा। भोगा य से संपदत्ता।

कइसुवि दिणेसु गएसु राइणा मण्डियो भणिओ—दव्वेण कज्जं त्ति।

तेण सुबहुं दव्वजायं दिण्णं। राइणा संपूजिओ।

अण्णया पुणो मग्गिओ पुणो वि दिण्णं । तस्सो या चोरस्स अतीव सक्कारसम्माणं पउज्जइ ।
एएन पगारेण सव्वं दवाविओ । भग्गिणि से पुच्छइ । तीए भण्णति—एत्तियं चेव वित्तं ।
तओ पुव्वावेइय-लेक्खाणुसारेण सव्वं दव्वं दवावेऊण मण्डियो सूलाए आरोविणो ।

NOTES

संस्कृत अनुवाद

वेण्वातटे नगरे मण्डिको नाम तुन्नगः परद्रव्याहरणप्रसक्तः आसीत् । स च दुष्टगण्डोऽस्मि इति जनान् प्रकाशयन् जानुदेशेन नित्यमेवाद्रावलेपलिप्तेन बद्ध-ब्रणपट्टः राजमार्गे तूर्णशिल्पमुपजीवति । चङ्क्रममाण इव दण्ड-धारितेन पादेन क्लाम्यन् कथञ्चित् चङ्क्रमते । रात्रौ च खातं खनित्वा द्रव्यजातं गृहीत्वा नगसन्निहितस्योद्यानैकदेशे भूमिगृहं, तत्र निक्षिपति । तत्र च तस्य भगिनी कर्णका तिष्ठति । तस्य भूमिगृहस्य मध्ये कूपः । यं च स चौरः द्रव्येण प्रलोभयितुं सहायं द्रव्यवोढारमानयति तं सा तस्य भगिन्यागर्तसमीपे पूर्वन्यस्तासने निवेष्टुं पादशौचलक्ष्येण पादौ गृहीत्वा तस्मिन् कूपे प्रक्षिपति । तः स विपद्यते ।

एवं कालः वर्तते नगरं मुष्णतः । चौरग्रहास्तं न शक्नुवन्ति गृहीतुम् । ततः नगरे बहुरवो जातः । तत्र च मूलदेवराजः पूर्वभणितविधानेन जातः । कचित्श्रुत्वा तस्य पौरैः तस्कर-व्यतिकरो—अत्र नगरे प्रभूतकालो मुष्णतः वर्तते कस्यचित् तस्करस्य । न च तीर्यते केनापि ग्रहतुम् तत्करोतु किमप्युपायम् ।

ततः स अन्यं नगररक्षकं स्थापयति । सोऽपि न शक्नोति चौरं ग्रहीतुम् । ततः मूलदेवः स्वयं नीलपटं प्रावृत्य रात्रौ निर्गतः । मूलदेवोऽजानन्नेकस्यां सभायां निपन्न आस्ते । यावत् सः चौरो मण्डिकः आगन्तुकं भणति—कोऽत्रास्ते ?

मूलदेवेन भणितं—अहं कार्पटिकः ।

तेन भण्यते—एहि मानुषं करोमि ।

मूलदेवः उत्थितः । एकस्मिन् ईश्वरगृहे खनितं खातं सुबहुद्रव्यजातं नीत्वा मूलदेवस्योपरि चडायितम् (आरोहितम्) । पयातौ नगरबाह्ये । चौरः तद्द्रव्यं निखनितुमारब्धः ।

भणिता चानेन भगिनी—एतस्मै प्राघुणकाय पादशौचं देहि ।

तया कूपतटसन्निविष्टे आसने निवेशितः । तया पादशौचलक्ष्येण पादौ गृहीतौ, कूपे क्षिपामीति, यावद् ? अतीव सुकुमारौ पादौ तया ज्ञातं—यथा एष कोप्यनुभूत-पूर्वराज्यः विह्वलिताङ्गः । तस्या अनुकम्पा जाता । ततः तया पादतले संज्ञितः नश्य इति, मारिष्यसे इति । पश्चात् स पलायितः । तया वोलः (शब्दः) कृतः, नष्टो नष्ट इति । स असिं कर्षयित्वा मार्गेऽवलग्नः ।

मूलदेवः राजपथेऽतिसन्निकृष्टं ज्ञात्वा चत्वरशिवान्तरतिः स्थितः । चौरस्तच्छिवाल्लिङ्गमेष पुरुष इति कृत्वा कङ्कमयेनासिना द्विधाकृत्य प्रतिनिवृत्तो गतो भूमिगृहम् । तत्रोषित्वा प्रभातायां राजन्यां ततः निर्गत्य गतो बहिः । अन्तरापणे तूर्णगत्वं करोति ।

राज्ञा पुरुषैः शब्दायितः । तेन चिन्तितं यथा स पुरुषो न मारितः । अवश्यञ्चैष राजा भविष्यति—इति । तैः पुरुषैः आनीतः ।

राज्ञाभ्युत्थानेन पूजितः, आसने निवेशितः, सुबहु च प्रियमाभाषितः, संलपितः—“मह्यं भगिनीं देहि” इति तेन दत्ता, विवाहिता राज्ञा। भोगाश्च तस्मै सम्प्रदत्ताः। कतिपु अपि दिवसेषु गतेषु राजा मण्डिको भणितः—द्रव्येण कार्यमिति।

NOTES

तेन सुबहु द्रव्यजातं दत्तं। राज्ञा संपूजितः। अन्यदा पुनः मार्गितः पुनरपि दत्तं। तस्य च चौरस्यातीव सत्कारसम्माने प्रयुङ्क्ते।

एतेन प्रकारेण सर्वं द्रव्यं दापितम भगिनीं तस्य पृच्छति। तथा भव्यते—एतावत्कमेव वित्तम्।

ततः पूर्वविदितलेखानुसारेण सर्वं द्रव्यं दापयित्वा मण्डिकः शूलीमारोपितः।

हिन्दी अनुवाद

वेण्णातट नगर में दूसरों के धन को चुराने में लगा हुआ माण्डिक नाम का एक रफूगर रहता था। “वह दुष्ट फोड़े वाला है” ऐसा लोगों में प्रकाशित करता हुआ घुटने तक गीले लेप से अबलिप्त, घाव पर पट्टी बाँधकर राजमार्ग पर रफूगरी का कर्म करता हुआ, जी रहा था। लँगड़े की भाँति डण्डे के सहारे रखे जाते हुए पैर से कष्ट पाता हुआ किसी प्रकार चलता था। रात में गड्ढा खोदकर, द्रव्यसमूह को लेकर नगर के समीप स्थित उद्यान के एक ओर भूमि के नीचे बने घर में डाल देता था। वहाँ उसकी कर्णिका नाम की बहन बैठी रहती थी। उस भूमिगृह के बीच में कुआँ था वह चोर द्रव्य के प्रलोभन से, जिस सहायक द्रव्यवाहक को ले आता था, उसे उस चोर की बहन, उस गड्ढे के समीप पहले से रखे गये आसन पर बैठने के लिए जैसे, पैर धोने के बहाने से दोनों पैरों को पकड़कर, उस कुएँ में छोड़ देती थी। तदनन्तर वह मर जाता था।

नगर को मूसते (चुराते हुए) इस प्रकार (उसका) समय बीत रहा था। चोर पकड़ने वाले उसे पकड़ने में समर्थ नहीं हो रहे थे। नगर में बहुत शोर था।

उसके पुरवासियों ने तस्कर-प्रसङ्ग को (राजा से) कहा कि बहुत समय से नगर में चोरी करते हुए कोई चोर रह रहा है। किसी के द्वारा पकड़ा नहीं जा रहा है। इसलिए कोई उपाय करें।

तब उसने दूसरे नगर-रक्षक को स्थापित (नियुक्त) किया। वह भी चोर को पकड़ने में समर्थ नहीं हुआ। उसके बाद मूलदेव स्वयं नील वस्त्र से अपने (शरीर) को ढककर रात में निकल पड़ा। (कुछ भी) न जानते हुए मूलदेव एक सभा में बैठा था। इतने में उस माण्डिक चोर ने आगन्तुक से कहा—यहाँ कौन है ? मूलदेव ने कहा—मैं भिखमंगा हूँ। उसने कहा—आओ, आदमी करना है (मजदूर की आवश्यकता है) मूलदेव उठ खड़ा हुआ। एक धनी के घर में आकर खने गये गड्ढे से अत्यधिक धन लेकर मूलदेव के ऊपर चढ़ा दिया नगर के बाहर (वे दोनों) चल पड़े। मूलदेव आगे-आगे तथा तलवार निकालकर चोर पीछे-पीछे जा रहा था। भूमि-गृह आ गया। चोर ने उस द्रव्य को रखना प्रारम्भ कर दिया। बहन से इसने कहा—इस पाहुन (अतिथि) को पैर धोने के लिए जल दे दो। उसने कूप के किनारे स्थित आसन पर उसे बैठा दिया। कुएँ में ढकेल दूँगा (ऐसा सोचकर) पैर धोने के बहाने उसके पैरों को पकड़ लिया। ज्यों ही उसने ‘ये अत्यन्त सुकुमार पैर हैं’ ऐसा जाना, त्यों ही, यह पूर्व समय में राज्य का अनुभव करने वाला है और इस समय राज्यच्युत हो गया है (ऐसा उसे ज्ञात हुआ)। उसकी अनुकम्पा जग गयी। तदनन्तर उसने उस (राजा) के पैर में इशारा कर दिया—अदृश्य हो जाओ, मारे मत जाओ (अन्यथा मारे जाओगे)। बाद

में वह भाग गया। उसने कहा—वह अदृश्य हो गया, अदृश्य हो गया। वह चोर तलवार निकालकर रास्ते में जा खड़ा हुआ।

मूलदेव सड़क पर उसे अत्यन्त नजदीक जानकर शिव के चबूतरे की आड़ में हो गया। चोर, यह पुरुष है, ऐसा समझकर कङ्कमय तलवार से उस शिवलिङ्ग को दो टुकड़े कर, लौटकर भूमिगृह में चला गया। वहाँ रहकर प्रातःकाल वहाँ से निकलकर बाहर चला गया, बाजार में डाकिया का काम करने लगा।

नौकरों से राजा ने उसे बुलवाया। उसने सोचा कि सम्भवतः वह पुरुष नहीं मारा जा सका है। अवश्य यह राजा होगा। उन नौकरों के द्वारा वह लाया गया।

राजा ने उठकर उसका आदर किया, अपने आसन पर बिठाया, बहुत-सी प्रिय बातें कीं और बातचीत के प्रसंग में ही 'अपनी भगिनी दो' (ऐसा कहा)।

उससे दी गयी भगिनी से राजा ने विवाह किया। भोग्य पदार्थों को भी उसने राजा को दे दिया। कुछ दिनों के बीतने पर राजा ने माण्डिक को कहा—कुछ द्रव्य चाहिए। उसने प्रभूत द्रव्यराशि दी। राजा के द्वारा वह आदृत हुआ। दूसरे समय फिर भी माँगने पर पुनः दिया। उस चोर का अत्यन्त सत्कार और सम्मान हुआ।

इसी प्रकार से सम्पूर्ण द्रव्य दिला दिया गया। (राजा ने) उसकी भगिनी से पूछा, उसने कहा—इतना ही वित्त था।

तदनन्तर पूर्वविदित लेखा के अनुसार सम्पूर्ण द्रव्य दिलवाकर माण्डिक शूली पर चढ़ा दिया गया।

2. वसुदत्त-कथा

अत्थि उज्जेणी नाम नयरी। तत्थ च वसुमित्तो नाम गहवइ परिवसति। भज्जा से धणसिरी नाम पुत्तो से धणवसू धूया से वसुदत्ता। तेण य वसुभित्त-सत्थवाहेण कोसंबी-वत्थव्वस्स धणदेव सत्थवाहस्स वाणिज्जपसंगेण आगयस्स धूया वसुदत्ता दिण्णा। सो य वक्तकल्लाणो तं धेत्तूण कोसंबिं आगओ पिउमाउसहिओ सुहं परिवसइ।

तस्स च कालेणं धणदेवस्स वसुदत्ताए दोन्नि पुत्ता जाया। तइएण य.गब्भेणं आसण्णप्पसवा। भत्ता य से पवसिओ। सुयं य ताए—उज्जेणिं सत्थओ वच्चइ। सा य पिउ-माउ-बन्धवाणं उक्कंठिया गन्तुमणा सस्सूससूरं आपुच्छइ—उज्जेणिं वच्चामि त्ति। ततो तेहिं भणिया—पुत्ति एक्कल्लिया कहिं वच्चिहिसि। भत्ता य ते पवसियओ। पण्डिच्छ जाव आगच्छइ। ततो गच्छसि। सा भणइ—वच्चामि। किं मम भत्ता करिहिति। तेहिं पुणो वि वारिज्जन्ती निच्छइ सोउं। सच्छन्दा गुरुजणाइक्कम कारिया पुत्ते घेत्तण पत्थिया। ते वि य परिहीण कुट्टुम्ब-विहवा अम्हे न करेइ वयणं ति तुण्हक्का ठिया। सावि य मन्दभग्गा गया तः व सत्था दूरं अतिक्कन्तो। सा वि सत्थपरिभट्ठा उन्नेण मग्गेण गया। भत्ता य से तद्विसं चेव आगओ। पुच्छिया य णेण माया अम्मो कहिं वसुदत्ता गय त्ति। ताए य भणिओ—पुत्त उज्जेणी-सत्थेण समं अम्मोहिं वारिज्जमाणी वि गय त्ति। ततो सो—अहो अकज्जं कयं ति भणेऊण पुत्त-कलत्ताबद्ध-नेहाणुरागो गहिय-पत्थयणो मग्गतो अन्नेसन्तो गतो। अणु-सरन्तेण य सा अडविं अयन्ती दिट्ठा भममाणी। तोसिया अणेणं पुणरवि अणुणेउं। पत्थिया पविट्ठा य अडविं महल्लं। अत्थमिए दिणयरे आवासिओ।

NOTES

तस्मि य समए वसुदत्ताए पोदृवेयणा जाया । ततो धणदेवसत्थवाहेण रुक्खसाहा-पल्लवे भञ्जिऊण मण्डओ से कबो । तत्थ य वसुदत्ता पसूय दारयं पयाया । तत्थ य अन्धकारे रत्तिं रुहिर-गंधेण मिगमंसाहारो अडवीसावय-खयंकरो महापइभओ वग्घो आगतो । तेण य सो धणदेव वीसत्थो चे गलए घेतूण नीओ । सा वि य पइवियोगजनिय-दुक्खभय-कलुण सोग-सन्तत्त-हियया रोयमाणी—तं जायभेत्तयं अभव्वो त्ति भणन्तो मोहं गया । ते वि य कलुण असरणा भय-वेविय-सव्वंगा वाला मोहं गया । सो वि य तद्विवसं जायओ दारओ थण्णं अलभमाणो उवरओ । सा वि य चिरेण पच्चागयवेयणा समाणी परिदेवन्ती पभाए पुत्ते घेतूण पत्थिया । अकालवरिसेण गिरि-नदी पुण्णा । सा य तं दट्टूण एगं पुत्तं उत्तारेऊणं बितियं उत्तारेन्ती विसमसिलातले निसिरियचलणा पडिय । दारओ य से हत्थाओ पब्भट्टो स य अवरो दारओ उदगम्भासे ट्टिओ तं मातं पाणिए पडियं दट्टूण तेणवि य जले अप्पओ छूढो ।

सा वि य तवस्सिणी चण्डवेग-वाहिणीए गिरिनदीए दूरं छूढा तत्थ न नदी-कूले पडियस्स पायवस्स साहाए लग्गा मुहुत्तन्तरस्स य आसत्था सइरं उट्टिया । तत्थ य वा अच्छन्ति नदीतडे वणगोयरेहिं तक्कर-पुरिसेहिं गहियां पुच्छिया य आणीया सीहगुहं नाम पल्लिं अल्लिया च चोर-सेणावइस्स काल-दण्डस्स । तेण य सा रुवस्सिनि त्ति काऊण भज्जा कया य अन्तेउरं । सा य सव्वाणं सेनावइ-महिलाणं अगमहिंसी जाया ।

तओ ताओ तक्कर महिलाओ पइणो सरीर-परिभोगं अलभमाणोओ उवायं चित्तिन्ति—किहं एयं परिचएज्ज त्ति । तस्स स तीसे कालेण पुत्तो जातो । सो य माउ-सरिसओ । तओ ताहिं सेणावई विण्णविओ—सामि तुमं अइ-वल्लभाए इमाए चरियं नयाणसि । एसा पर-पुरिसिसत्तहियया । एस य से पुत्तो अन्नेण जायओ त्ति । जइ ते विपच्चयो अप्पाणं एयं च पच्छह त्ति । तेन कलुस-हियएण खग्गं कडिडऊण अप्पा जोइओ दिट्ठं च णेण मुहं । विच्छिन्नं महन्त-विहत्त-मण्डलेहं । रत्तायत-विसालनयणं विसिट्ट-वुग्ग-मण्डुक्क-नासं विप्फालिय-थूल-लंबोदुं अप्पणो मुहं दट्टूण तं च दारयं एवं एयं ति भणति । ततो तेण य अपरिच्छियबुद्धिना पावेण तेण य खग्गेणं दारओ मारिओ । सा वि य वेत्तकसप्पहराभिहया मुण्डेऊण तक्करे सन्दिस्सइ—वच्चह भो एयं रुक्खे बन्धेह त्ति । ततो तक्कर-पुरिसा तं गहाय दूरी गया । तत्थ य ते पन्थम्भासे एगस्स सालरुक्खस्स मूले रज्जुए बेढिऊण कण्टय-साहा समन्ततो परिक्खिविऊण नियत्ता । सा वि वराई पुव्वकम्म-निव्वत्तियं दुक्खं अनुभवन्ती बहूणि य हियएणं चिन्तयन्ती अणाहा असरणा य अच्छति ।

तत्थ य तीए भागधेज्जेहिं उज्जेणिगमणीओ सत्थो तत्थेव तम्मि चैव दिवसे पाणीयसुलभे पएसे आवासिओ । ततो सत्थाओ तण-कट्ट-पत्त-हारया केइ दूरं गया । तेहि य सा कण्टक-साहाहिं रुद्धा रज्जु-परिवेढिय-सरीरा-रुक्ख-मूले एककलिया दिट्ठा पुच्छिया य । तीए य स-कलुणं रोयन्तीए सव्वा अण हूअ-दुक्ख-परम्परा परि-कहिया । ततो सा तेहिं जायाणुकपेहिं मुक्का । तं घेतूण सट्ठं गया सत्थवाहस्स जहावत्तं परिकहियं । ततो सुत्थवाहेण समासासेऊण दिण्णच्छायण भोयणा । भणिया—पुत्ति सत्थेण समं वच्चसु वीसत्था । मा वीहह त्ति । ततो सा आससिया वीसत्था तेण सत्थेणं समं उज्जेणि वच्चइ । तेण य सत्थेण समं बहु सिस्सिणी-परिवारा जिण-वयण-सारदिट्टपरम त्था सुव्वया नाम गणिणी जीवन्तसामि वन्दिया वच्चइ ! सा य तीसे पाप-मूले धम्मं सोऊण सत्थवाहेणाणुन्नाया पव्वइया । नामं च से कण्टियज्जायत्ति । ततो सा ताहिं अज्जाहिं समं उज्जेणिं पत्ता पिउ-माउबन्धु-वग्गेण य सह मिल्लीणा । कहेउण य हप्पनो दुक्खं दुगुणजायसंवेगा संझाए तवे य उज्जुत्ता धम्मं करेइ ।

संस्कृत अनुवाद

अस्त्युज्जयिनी नाम नगरी । तत्र च वसुमित्रो नाम गृहपतिः परिवसति । भार्यास्य धणसिरीः नाम पुत्रोऽस्य धणवसू दुहितास्य वसुदत्ता । तेन च वसुमित्र-सार्थवाहेन कोसम्बीवास्तव्याय धणदेवसार्थवाहाय

वाणिज्यमसंगेन आगताय दुहिता वसुदत्ता दत्ता । स च वृतकल्याणः तां गृहीत्वा कोसम्बी मागतः पितृमातृसहितः सुष्टु परिवसति ।

साहित्यिक-प्राकृत

NOTES

तस्य च कालेन धणदेवस्य वसुदत्तायाः द्वौ पुत्रौ जातौ । तृतीयेन च गर्भेणा-सन्नप्रसवा । भर्ता चास्याः प्रोषितः । श्रुतं च तया उज्जयिनी सार्थकः व्रजति । सा च पितृमातृबान्धवेभ्यः उत्कण्ठिता गन्तुमना श्वश्रूश्वशुरौ चापृच्छति—उज्जयिनीं व्रजामि, इति । ततः ताभ्यां भणिता—पुत्रि ! एकाकिनी कुत्र व्रजिष्यसि । भर्ता च ते प्रोषितः । प्रतीक्षस्थ यावदागच्छति । ततः गच्छसि सा भणति, व्रजामि । किं मम भर्ता करिष्यति । ताभ्यां पुनरपि वार्यमाणा नेच्छति श्रोतुम् । स्वच्छन्दा गुरुजनातिक्रमण-कारिका पुत्रौ गृहीत्वा प्रस्थिता । तौ अपि च परिहीणकुटुम्बविभवा अस्माकं न करोति वचनमिति तूष्णीकौ स्थितौ । सापि च मन्दभाग्या गता तावत् सार्थाः दूरमतिक्रान्ताः । सापि सार्थपरिभ्रष्टान्येन मा गेण गता । भर्ता चास्याः तद्विवसमेवागतः, पृष्टा चानेन माता—अम्ब कुत्र वसुदत्ता । गतेति तया च भणितः—पुत्र, उज्जयिनीसार्थेन सममस्माभिः वायेमाणापि गतेति । ततः स—अतो ! अकार्यं कृतमिति भणित्वा पुत्र-कलत्राबद्धस्नेहानुरागः गृहीतपाथेयः मार्गयन् अन्वेषयन् गतः । अनुसरता च सा अटवीमटन्ती दृष्ट्वा भ्रमन्ती । तोषितानेन पुनरपि अनुनेतुम् । त्रस्थिता प्रविष्टा चाटवीं महतीम् । अस्तमिते दिनकरे आवासितः ।

तस्मिन् च समये वसुदत्तायाः उदरे वेदना जाता । ततः धणदेवसार्थवाहेन वृक्षशाखापल्लवान् भङ्क्त्वा मण्डपः अस्यै कृतः । तत्र च वसुदत्ता प्रसूय दारकं प्रयाता । तत्र चान्धकारे रात्रौ रुधिरगन्धेन मृगमांसाहारः अटवी-शावक-क्षयकरः महाप्रतिभयो व्याघ्रः आगतः । तेन च स धणदेवः विश्वस्त इव गलं (ग्रीवां) गृहीत्वा नीतः । सापि च पतिवियोगजनित-दुःखभय-करुणा-शोक-सन्तप्त हृदया रुदन्ती तं जातमात्रकम् अभव्य इति भणन्ती मोहं गता । तेऽपि च करुणाशरणाः भयवेपितसर्वाङ्गाः बालाः मोहं गता । सोऽपि च तद्विवसं जातको दारकः स्तन्यमलभमानः उपरतः । सापि च चिरेण प्रत्यागतवेदना असमाना परिदेवमाना प्रभाते पुत्रौ गृहीत्वा प्रस्थिता । अकालवर्षया गिरिनदी पूर्णा । सा च तद्दृष्टकं पुत्रमुत्तार्य द्वितीयमुत्तारयन्ती विषमशिलातले निशीर्यचरणा पतिता । दारकश्चास्याः हस्तात् प्रभ्रष्टः स चापरो दारकः उदकाभ्याशे स्थितः तां मातरं पानीये पतितां दृष्ट्वा तेनापि च जले आत्मकः त्यक्तः ।

सापि च तपस्विनी चण्डवेगवाहिन्या गिरिनद्या दूरं त्यक्त्वा, तत्र च नदीकूले पतितस्य पादपस्य शाखया लग्ना मुहूर्तान्तरं चास्वस्था स्वैरमुत्थिता । तत्र सा क्षीयति नदीतटे वनगोचरैः तस्करपुरुषैः गृहीता पृष्टा चानीता सिंहगुहं नाम पल्ली-मानीता च चौरसेनापतेः कालदण्डस्य । तेन च सा रूपवतीति कृत्वा भार्या कृता आगीता चान्तःपुरं । सा च सर्वासां सेनापति 'महिलानामग्रमहिषी जाता ।

ततः ताः तस्करमहिलाः पत्युः शरीर-परिभोगमलाभमानाः उपायमचिन्तयन्—कथमियं परित्यज्येत इति । तस्य च तस्यां कालेन पुत्रो जातः । स च मातृसदृशकः । ततस्ताभिः सेनापतिः विज्ञापितः स्वामिन्, त्वमतिल्लभायाः अस्याञ्चरित्रं न जानासि । एषा परपुरुषासक्तहृदया । एष चास्याः पुत्रोऽन्येन जात इति ते विप्रत्ययः आत्मानमेनं च प्रेक्षस्वेति । तेन कलुषहृदयेन खड्गं कृष्ट्वा आत्मा द्योतितः दृष्टञ्चानेन मुखम् । विच्छिन्नं महत् विभक्तगण्डलेखम् । रक्तायतविशालनयगं विशिष्टभुग्नमाडूक्यनासिकं विस्फारित-स्थूल-लम्बोष्टमात्मनः मुखं दृष्ट्वा तं दारकं एवमेतदिति भणति । ततस्तेन चापरीक्षितबुद्धिना प्राप्तेम तेन च खड्गेन दारको मारितः । सापि च वेत्रकशाप्रहाराभिहता मुण्डयित्वा तस्करान् सन्दिशति—व्रजत भोः एतां वृक्षे वन्धयतेति । ततस्ते तस्कर-पुरुषान्ता गृहीत्वा दूरं गता । तत्र च ते पथोऽभ्याशे एकस्य शालवृक्षस्य मूले रज्ज्वा वेष्टयित्वा कण्टकशाखायाः समन्ततः परिक्षिप्य निवृत्ताः । सापि वाराकी पूर्वकर्मनिवृत्तिकं दुःखमनुभवन्ती बहूनि च हृदयेन चितयन्त्यनाथा, अशरणा चाक्षीयति ।

तत्र च तस्या भागधेयैः उज्जयिनीगमनीयकः सार्थः तत्रैव तस्मिन्नेव दिवसे पानीयसुलभे प्रदेशे आवासितः ततः सार्धाः तृणकाष्ठपत्रहारकाः कतिचिद् दूरं गताः। तैश्च सा कण्टकशाखभिः रुद्धा रज्जुपरिवेष्टितः शरीरा वृक्ष-मूले एकाकिनी दृष्टा पृष्टा च। तथा च सकरुण रुदन्त्या सर्वानुभूतदुःखपरम्परा परि-कथिता। ततः सा तैः जातानुकम्पैः मुक्ता। तां च गृहीत्वा सार्थं गताः सार्थवाहस्य यथावृत्तं प्रतिकथतम्। ततः सार्थवाहेन समाशवास्य दत्ताच्छादनभोजना भणिता—पुत्रि! सार्थेन समं व्रज विश्वस्ता। मा भैषीः, इति। ततः सा आश्वस्ता विश्वस्ता तेन सार्थेन सममुज्जयिनीं व्रजति। तेन च सार्थेन समं बहुशिष्यिणीपरिवारा जिनवचनसारदिष्टपरमार्था सुव्रता नाम गणिनी जीवत्स्वामिवन्दिका व्रजति। सा च तस्मिन् पादमूले धर्म श्रुत्वा सार्थवाहेनानुज्ञाता प्रव्रजिता। नाम चास्याः कण्टिकार्यका इति। ततः सा ताभिः आर्याभिः सममुज्जयिनी प्राप्ता मातृबन्धुवर्गेण च सह मिलिता। कथयित्वा चात्मनो दुःख द्विगुणजातसंवेगा सन्ध्यायां तपसि चोद्युक्ता कर्म करोति।

हिन्दी अनुवाद

उज्जयिनी नाम की नगरी थी। वहाँ वसुमित्र नाम का गृहपति निवास करता था। इसकी धनसिरी नाम की पत्नी, धणवसु नाम का पुत्र एवं वसुदत्ता नाम की पुत्री थी। उस वसुमित्र सार्थवाह ने वाणिज्य के प्रसंग से आये हुए कौशाम्बी निवासी धणदेव सार्थवाह को अपनी पुत्री वसुदत्ता को दे दिया। वह मंगल कार्य सम्पन्न करके उसको लेकर कौशाम्बी आकर माता-पिता के साथ सुखपूर्वक रहने लगा।

समय से, वसुदत्ता से धणदेव के दो पुत्र उत्पन्न हुए। उसे तृतीय गर्भ था। वह आसन्न-प्रसवा थी। उसका पति बाहर गया हुआ था। उसने सुना कि सार्थक उज्जैनी गये हुए हैं। पिता-माता एवं भाई-बन्धुओं के प्रति उत्कण्ठित तथा (उनके पास) जाने की इच्छावाली होकर सास एवं श्वशुर से उसने पूछा—(मैं) उज्जैनी जाऊँगी। तदनन्तर उन दोनों ने कहा—हे पुत्री, अकेली कहाँ जाओगी। तुम्हारा पति बाहर गया हुआ है। उसके आने की प्रतीक्षा करो। तदनन्तर वह चली गयी। उसने कहा—(मैं) जाऊँगी। मेरा पति क्या करेगा। उन दोनों के बार-बार मना करने पर भी वह (रुकने की बात) नहीं सुनना चाहती थी। स्वच्छन्दचारिणी, गुरुजनों का अतिक्रमण करने वाली, उसने पुत्रों के साथ प्रस्थान कर दिया। 'हम लोगों की बातों को नहीं मानती है' ऐसा सोचकर कौटुम्बिक वैभव से हीन (गरीब) वे दोनों भी चुप हो गये। वह मन्दभागिनी जब गयी तब तक काफिला दूर चला गया था। (काफिले के) साथ से वंचित वह भी अन्य मार्ग से गयी। उसी दिन उसका पति आया और उसने अपनी माता से पूछा—'माता, मेरी वसुदत्ता कहाँ गयी?' उसने कहा—हे पुत्र, हम लोगों के मना करने पर भी काफिले के साथ उज्जैनी चली गयी। तदनन्तर 'अहो! बुरा कार्य किया' ऐसा कहकर पुत्र एवं पत्नी के प्रति स्नेह एवं अनुरागवाला वह, पाथेय लेकर अन्वेषण करता हुआ, चला गया। अनुसरण करते हुए उसने जंगल में भटकती हुई उसको देखा।

महती अटवी में उसने प्रवेश किया सूर्यास्त होने पर रुक गया। उस समय वसुदत्ता के उदर में (प्रसूति) वेदना उत्पन्न हो गयी। तदनन्तर धणदेव सार्थवाह ने वृक्षों की शाखाओं के पल्लवों को तोड़कर उसके लिए मण्डप बनाया। पुत्र उत्पन्न कर वसुदत्ता चली गयी। उस अन्धकारपूर्ण रात्रि में रुधिर की गन्ध से मृगों के मांस का भक्षक, जंगल के शावकों का क्षय करने वाला, अत्यन्त भयंकर व्याघ्र आया। वह अत्यन्त विश्वस्त की भाँति, गला पकड़कर धणदेव को लेकर चला गया। पति के वियोग से उत्पन्न दुःख, भय, करुणा और शोक से सन्तप्त हृदय वाली रोती हुई वह भी, सद्यः उत्पन्न (पुत्र) को अशोभनीय कहती हुई बेहोश हो गयी। करुणा के पात्र, असहाय तथा भय से काँपनेवाले शरीरों वाले वे लड़के भी बेहोश हो गये। वह भी, सद्यः उत्पन्न, दूध न प्राप्त करने वाला वह पुत्र भी मर गया। बहुत देर के बाद पुनः वेदना का

अनुभव करती हुई, खेद करती हुई प्रातःकाल पुत्रों को लेकर उसने भी प्रस्थान कर दिया। असमय में वर्षा के कारण पहाड़ी नदी भर गयी थी। उसे देखकर एक पुत्र को पार करके दूसरे को पार करती हुई विषम शिलातल पर क्षत चरणों वाली वह गिर गयी। (उसका) पुत्र उसके हाथ से गिर गया। जल के किनारे स्थित उस पुत्र ने भी माता को पानी में गिरी हुई देखकर अपने को भी जल में गिरा लिया।

NOTES

वह तपस्विनी भी प्रचण्ड वेग वाली गिरी नदी के दूर फेंक दी गयी। वहाँ नदी के किनारे गिरे हुए वृक्ष की शाखा से लग गयी। थोड़ी देर बाद पूर्ण स्वस्थ होकर अपने आप उठी और वहाँ गिरते हुए नदी के तट पर वनचर और चोरों के द्वारा वह पकड़ ली गयी तथा उससे उन लोगों ने पूछा तथा चोर-सेनापति कालदण्ड के पास सिंहगुह नाम की पल्ली में, वह लायी गयी। उसने (कालदण्ड ने) उसे रूपवती मानकर पत्नी बना लिया। वह सभा सेनापति की महिलाओं में अग्रमहिषी हो गयी।

तदनन्तर पति के शरीर के परिभोग को न प्राप्त करती हुई उन तस्कर महिलाओं ने उपाय सोचा— किस प्रकार इसे छुड़ाया जाय। समय से उससे (कालदण्ड) से उसको पुत्र उत्पन्न हुआ और वह माता के समान था। तदनन्तर उन महिलाओं ने सेनापति से कहा—हे स्वामी! आप अपनी इस अत्यन्त प्रिया के चरित्र को नहीं जानते हैं। दूसरे पुरुष के साथ इसका हृदय लगा हुआ है। यह इसका पुत्र अन्य (पुरुष) से उत्पन्न हुआ है। यदि आपको विश्वास न हो तो अपने को तथा इसको (आप) देखें। उस कलुषित हृदय वाले ने खड्ग को खींचकर अपने आपको और अपना मुँह देखा। अपने कपोल-स्थल को, जिस पर बहुत बड़े घाव का निशान था, लम्बी, विशाल एवं लाल अपनी आँखों को, विशिष्ट कुछ टेढ़ी, मेढक की तरह नाक को, फँसे हुए मोटे और लम्बे ओठों को तथा अपने मुख को और उस लड़के को देखकर 'यह बात ऐसी ही है' ऐसा कहा। इसके बाद अपरीक्षित बुद्धि वाले उसने उस उपस्थित तलवार से लड़के को मार दिया। उस स्त्री को बेंत के कोड़े के प्रहार से अभिहत करके तथा उसका मुण्डन कराके चोरों से उसने कहा—जाओ, इसे वृक्ष में बँधवा दो। उसके बाद वे चोर उसको लेकर दूर चले गये। वहाँ वे रास्ते के एक किनारे एक शाल वृक्ष के मूल में रस्सी से उसे बाँधकर, उसे काँटों की शाखाओं से घेरकर लौट गये। वह भी बेचारी अपने पूर्व कर्म के फल के रूप में दुःख का अनुभव करती हुई अपने हृदय से बहुत सोचती हुई अनाथ और अशरण होकर क्षीण हो रही थी।

वहाँ पर उसके भाग्य से उज्जैनी जाने वाला काफिला वहीं उसी दिन जल-सुलभ प्रदेश में आ बसा। इसके बाद काफिले तृण, काष्ठ और पत्तों को एकत्र करने के लिए कुछ दूर गये। उन लोगों ने काँटों की शाखाओं से घिरी हुई, वृक्ष के मूल में रस्सी से बँधे हुए शरीर वाली उसको देखा और पूछा। उसने सकरुण रोते हुए अपनी सम्पूर्ण अनुभूत दुःख-परम्परा को कह सुनाया। तदनन्तर उन लोगों के हृदय में अनुकम्पा उत्पन्न हुई और (उन लोगों ने) उसे मुक्त कर दिया। उसको लेकर काफिले के पास गये और सार्थवाह से सम्पूर्ण वृत्तान्त उन लोगों ने कहा। तदनन्तर सार्थवाह ने उसको आश्वासन देकर, भोजनाच्छादन देकर उससे कहा—हे पुत्रि, काफिले के साथ विश्वस्त होकर जाओ। डरो मत। तदनन्तर वह आश्वस्त और विश्वस्त होकर उस काफिले के साथ उज्जैनी चली आयी। उस काफिले के साथ शिष्यों के बहुत बड़े परिवारवाली जिन के वचनों को परमार्थ मानने वाली, शिष्या सुव्रता नाम की भिक्षुणी जा रही थी और (उसी से) वह (वसुदत्ता) उसके चरण में धर्म को सुनकर सार्थवाह से अनुज्ञप्त हो प्रव्रजित हो गयी और इसका नाम कण्ठकार्यका हो गया। तदनन्तर उन आर्याओं के साथ उज्जैनी आयी तथा पिता-माता, बन्धुवर्ग के साथ मिली। अपने दुःख को कहकर दुःख संवेग से सन्ध्या-काल से तपस्या में लीन हो, धर्म करने लगी।

1. भविसयत्तकहा

NOTES

माइ महल्लमहुज्जमविज्जे, वन्धुयत्तु संचलितु वणिज्जे ॥ 1 ॥
 तेण समानु मइ-मि जाइव्वउ, तं वोहित्थु तीरि लाइव्वउ ॥ 2 ॥
 देसन्तरपवासु माणिव्वउ, नियपुण्णद पमाणु जाणिव्वउ ॥ 3 ॥
 दइवायत्तु जइ वि उल्लसिब्वउ, तो परिसि ववसाउ करिव्वउ ॥ 4 ॥
 तं गिसुणेवि सगगिरवयणी, भणई जणेरि जलदियणयणी ॥ 5 ॥
 हा इउ पुत्तर काई पई जंपिउ, सिविणन्तरि, वि णाहि महु जम्पिउ ॥ 6 ॥
 एक्क अकारणि कुविएअवियप्पे, दिण्णु अणन्तु दाहु तउ बप्पे ॥ 7 ॥
 अण्णुपि पई देसन्तरु जन्तहो, को महु सरणु हियइ पोजलन्तहो ॥ 8 ॥
 अण्णु वितेणु समउ तउ जन्तहो, णिव्वुइ खणु वि नाहिं महु चित्तहो ॥ 9 ॥
 को जाणइ कण्णमहाविसइ, अणुदिणु-दुम्मइ मोसियइं।
 समविसमसहावहिं अन्तरइं दुट्टसवत्तिहिं दोहियइं ॥ 10 ॥

संस्कृत अनुवाद

मातः! महामहोद्यमविद्यया। बन्धुदत्तः संचलितः वाणिज्येन ॥ 1 ॥
 तेन समानः मयापि यातव्यम्। तं वहित्रीतीरे लातव्यम् ॥ 2 ॥
 देशान्तरप्रवासो म नयितव्यः। निजपुण्यदप्रमाणं ज्ञातव्यम् ॥ 3 ॥
 दैवायत्तं यत्रापि विलसितव्यम्। ततः पुरुषेण व्यवसायः कर्तव्यः ॥ 4 ॥
 तत् निःश्रुत्य सगद्गदवचना। भणति यदाहि जलार्द्रितनयना ॥ 5 ॥
 हो! इतः पुत्र! कुत्र त्वया जल्पितम्। स्वप्नान्तरेऽपि नास्ति मम जल्पितम् ॥ 6 ॥
 एकोऽकारणेन कुपितप्रियेण। दत्तोऽनन्तोदाहस्तव पित्रा ॥ 7 ॥
 अन्योऽपि त्वया देशान्तरे यातम्। को मम शरणं हृदयस्य प्रज्वलतः ॥ 8 ॥
 अन्योऽपि तेन समं तव यातः। निर्वृत्तिः क्षणमपि नास्ति मम चित्तस्य ॥ 9 ॥
 को जानाति कर्णमहाविस्त्राणि, अनुदिनं दुर्मतिमोहितानि।
 समविषमस्वभावाभिः अन्तराणि, दुष्टसपत्नीभिर्द्रोहितानि ॥ 10 ॥

हिन्दी अनुवाद

हे माँ, बन्धुदत्त व्यापार के लिए बहुत बड़े परिश्रम और अज्ञान से चला ॥ 1 ॥
 उसी के साथ मैं भी जाऊँगा और उसे वहित्री-तीर पर लाऊँगा ॥ 2 ॥
 दूसरे देशों के निवास का आदर करना चाहिए। (इस प्रकार) अपने पुण्यद प्रमाण का ज्ञान करना चाहिए ॥ 3 ॥

जहाँ कहीं भी, भाग्य से प्राप्त वस्तु का भोग करना चाहिए और इसीलिए ही पुरुष को व्यवसाय करना चाहिए। ॥ 4 ॥

उसे सुनकर गद्गद कण्ठवालों एवं अश्रुपूर्ण नेत्र वालों ने (भावपूर्ण होकर) कहा ॥ 5 ॥

हे पुत्र! यह कहाँ से तुमने अनर्थक बात कही। मैं तो स्वप्न में भी ऐसा व्यर्थ बात नहीं कहती ॥ 6 ॥

(एक तो) तुम्हारे पिता ने जो मेरे प्रिय हैं, अकारण कुपित होकर मुझे एक अनन्त दाह (जलन या वियोग) दिया है ॥ 7 ॥

(दूसरे) तुम्हारे देशान्तर चले जाने पर भला वियोग में जलते हुए मेरे हृदय के लिए कौन दूसरा शरण होगा ॥ 8 ॥

उसके साथ जाते हुए तुम्हारे और मेरे चित्त के लिए क्षणभर भी दूसरी कोई शान्ति नहीं है ॥ 9 ॥

सम-विषम स्वभाववाली दुष्ट सपत्नियों के, अहर्निश मति से मोहित, कानों के लिए महाविष के समान, आन्तरिक द्रोहों को, भला कौन जानता है ? ॥ 10 ॥

2. दोहाकोष

सहज च्छाडी णिव्वाणेहिं धाविउ, णउ परमत्थ एक्कवि तें साहिउ।

जो जसु जेण होइ सन्तुट्ठ, मोक्ख कि लब्भइ ज्ञाण पविट्ठ ॥ 1 ॥

सो वि पढिज्जइ सो वि गुणज्जइ, सत्थ-पुरोण बक्खाणिज्जइ।

नाहि सो दिट्ठि जो ताउ ण लक्खइ, एत्तवि वर-गुरु-पाआ पेक्खइ ॥ 2 ॥

जइ पञ्चक्ख कि ज्ञाणे कीअइ, अहवा ज्ञाण अन्धार साधिअअ।

सरह भणइ मइ कडिद्धअ राव, सहज सहाउ णउ भावाभाव ॥ 3 ॥

ज्ञाण-हीण पव्वजें रहिअउ, गही वसंतें भज्जें सहिअउ।

जइ भिडि विसअ रमन्ते ण मुञ्चअ, सरह भणइ परिआण कि रुच्चअ ॥ 4 ॥

पंडिअ सअल सत्य वक्खाणऊ, देहहिं बुद्ध वसन्त ण जाणअ।

अमणागमण ण एक्क वि खण्डिअ, तउ णिलज्ज भणई हंउ पण्डिअ ॥ 5 ॥

संस्कृत अनुवाद

सहजं छर्दयित्वा निर्वाणे धावितः, न तु परमार्थः एकोऽपि साधितः।

यः यस्य येन भवति सन्तुष्टः, मोक्षः किं लभ्यते ध्यानप्रविष्टः ॥ 1 ॥

सोऽपि पठ्यते सोऽपि गुण्यते, शास्त्रपुराणैः व्याख्यायते।

न हि सा दृष्टिः या तावत् न लक्ष्यते, एतदपि वरगुरुपांदाः प्रेक्षन्ते ॥ 2 ॥

यदि प्रत्यक्षः किं ध्यानेन क्रियते, अथवा ध्यानम् अन्धकारे साध्यकम्।

सरहो भणति मया कृतो रावः, सहजस्वभावो न तु भावाभावः ॥ 3 ॥

ध्यानहीनः प्रब्रज्यया रहितः, गृही वसन्ते भार्यया सहितः।

यदि भित्त्वा विषये रमतेन मुञ्चति,

NOTES

सरहो भणति किं परिज्ञानं रोचते ? ॥ 4 ॥

पण्डितः सकलशास्त्र व्याचष्टे, देहे बुद्धं वसन्त न जानाति।

गमनागमनयोः न एकमपि खण्डितम्, तदु निर्लज्जो भणत्यहं पण्डितः ॥ 5 ॥

NOTES

हिन्दी अनुवाद

सहज तत्त्व को छोड़कर जो निर्वाण चाहता है वह एक भी परमार्थ की सिद्धि नहीं कर पाता है। जो, जिसका (मन), जिसके द्वारा सन्तुष्ट होता है, क्या वह ध्यान में प्रविष्ट हो मोक्ष को प्राप्त करता है? ॥ 1 ॥

वही पढ़ा जाता है, वही गुना जाता है तथा वही शास्त्र एवं पुराणों द्वारा व्याख्यायित होता है। जो देखती नहीं वह दृष्टि नहीं है, यह भी श्रेष्ठगुरुपाद (ही) देखते हैं (समझ सकते हैं) ॥ 2 ॥

यदि (परमतत्त्व) प्रत्यक्ष है तो ध्यान करने से क्या लाभ ? (यदि परोक्ष है) तो अन्धकार में ध्यान करो। सरह कहते हैं कि मैंने बड़ी पुकार को कि सहज स्वभाव ही (मुख्य) है, भावाभाव कुछ नहीं है ॥ 3 ॥

ध्यान से हीन, प्रव्रज्यारहित, वसन्तऋतु में गृहस्थ, भार्या के साथ (ज्ञान आदि के बन्धनों को) तोड़कर विषयों में रमण करता है और छोड़ता नहीं है तो सरह कहते हैं कि उसे क्या परिज्ञान रुचता है ? ॥ 4 ॥

पण्डित सकल शास्त्रों का व्याख्यान करता है, देह में रहने वाले बुद्ध को नहीं जानता है। गमनागमन में से एक को भी खण्डित नहीं करता है फिर भी (वह) निर्लज्ज अपने को, मैं पण्डित हूँ, ऐसा कहता है ॥ 5 ॥

3. पाहुडदोहा

देहहो पिक्रिखवि जर-मरणु मा भद्र जीव करेहि।

जो अजरामरु बम्भु परु सो अप्पाण मुणेहि ॥ 1 ॥

सिव विणु सत्ति ण वावरइ सिज पणु सत्ति विहीणि।

दोहिं वि जाणहिं सयलु जगु बुज्झइ मोह विलीणु ॥ 2 ॥

जेण णिरंजणि मणु धरिउ विसय-कसायाहिं जन्तु।

मोक्खइ कारणु एत्तडउ अवरइँ तन्तु ण मन्तु ॥ 3 ॥

ताम कु-तित्थई परिब्भमईँ धुत्तिम ताम करन्ति।

गुरुहं पसाए जामण वि देहहँ देउ मुणन्ति ॥ 4 ॥

पंडिय पंडिय पंडिया कणु छंडिय तसु कंडिया।

अत्थे गंथे तुट्ठो सि परमत्थु ण जाणसि मूढो सि ॥ 5 ॥

संस्कृत अनुवाद

देहस्य प्रेक्ष्य जरामरणं मा भयं जीव! कुरु।

यद्यजरामरं ब्रह्मपरं तदात्मानं मन्यस्व ॥ 1 ॥

शिवं विना शक्तिः न व्यापृणाति, शिवः पुनः शक्तिविहीनः।
 द्वाभ्यामपि जानाति सकल जगत्, बुद्ध्यते मोहविलीनः॥ 2 ॥
 येन निरञ्जने मनः धृतं विषयकषायैः जन्तो!
 मोक्षस्य कारणमेतत्कमपरकं तन्त्रं न मन्त्रः॥ 3 ॥
 तावत्कुतीर्थके परिभ्रमन्ति धूर्तिमानं तावत्कुर्वन्ति।
 गुरुभ्यां प्रसादेन यावद् नापि देहानां देवं मन्यन्ते॥ 4 ॥
 पण्डित! पण्डितौ!! पण्डिताः।।। कणं छद्दयित्वा तुषं कण्डितः।
 अर्थे ग्रन्थे तुष्टोऽसि परमार्थं न जानासि मूढोऽसि॥ 5 ॥

NOTES

हिन्दी अनुवाद

देह के जरामरण को देखकर हे जीव! भय मत करो। यदि अजरामरत्व ब्रह्मपरक है तो अपने को भी (अजर-अमर) मानो॥ 1 ॥

शिव के बिना शक्ति व्यापार में नहीं प्रवृत्त होती है तथा शक्तिहीन शिव भी व्यापार में प्रवृत्त नहीं होते हैं, फिर भी मूढ़जन इन दोनों के बिना सम्पूर्ण जगत् (की स्थिति) जानता और समझता है॥ 2 ॥

हे जीव! विषयों में फँसा हुआ (आत्मा के साथ विषयकृत मलिनता और पापों से चिपके हुए) होने के कारण, जिस (जीव) ने निरञ्जन (ब्रह्म) में मन लगा दिया है, यही मोक्ष का कारण है, दूसरे तन्त्र एवं मन्त्र नहीं॥ 3 ॥

गुरु के प्रसाद से जब तक देह को (जीव) देव नहीं मानते हैं तब तक वे कुतीर्थ में परिभ्रमण एवं धूर्तता करते रहते हैं॥ 4 ॥

हे पण्डित! हे (दोनों) पण्डितो!! हे (सब) पण्डितो!!! (तुम लोगों ने) अन्न को छोड़कर भूसा एकत्र किया है। (तुम केवल अर्थ (संचय) में एवं ग्रन्थ (पठन) में ही सन्तुष्ट रहते हो। परमार्थ को नहीं जानते हो। तुम मूर्ख हो॥ 5 ॥

सारांश :

इस इकाई में आपने साहित्यिक प्राकृत भाषा के पाँचों रूपों का अध्ययन किया है। प्राकृत भाषा संस्कृत का तद्भव स्वरूप है। इसे प्रायः मध्यमवर्ग एवं दास-दासियों द्वारा आम बोल-चाल की भाषा के रूप में अपनाया जाता था। कुलीन एवं उच्चवर्गीय व्यक्तियों में संस्कृत का प्रचलन था। साहित्यिक प्राकृत के सभी भेदों यथा-पाली, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, खोटानी तथा मिश्रित प्राकृत के उदाहरण इस इकाई में दिये गये हैं। ये सभी उदाहरण-अंश विभिन्न काव्यों एवं नाटकों से संकलित किये गये हैं। इनमें आपने गाहासत्तसई (गाथा सप्तशती) तथा रावणवहो के पद्यों से लेकर क्रमशः सेतुबन्ध, स्वप्न-वासवदत्तम्, रत्नावली, मृच्छकटिकम् तथा अभिज्ञानशाकुन्तलम् जैसे सुप्रसिद्ध काव्यों एवं नाटकों के अंशों का अध्ययन किया है। अर्धमागधी का उदाहरण आचारांग सूत्र से तथा खोटानी प्राकृत का उदाहरण बुद्धकृत भिक्षुधर्म के उपदेश से लिये गये हैं। आपने मिश्रित प्राकृत का अध्ययन भी मूलदेव तथा वसुदत्त की कथाओं के माध्यम से किया है।

NOTES

1. गाहा-सत्तसई के संकलितांश का सारांश हिन्दी में लिखिए।
2. गाहा-सत्तसई के किन्हीं दो पद्यों की हिन्दी में व्याख्या कीजिए।
3. 'सेतुबंध' से संकलित 'रावणवहो' अंश का कथासार लिखिए।
4. 'स्वप्नवासवदत्तम्' के 'चेटी-विदूषक संवाद को अपने शब्दों में लिखिए।
5. शौरसेनी एवं मागधी प्राकृत की विशेषताएँ बताइए।
6. रत्नावली के चतुर्थ अंक से शौरसैनी प्राकृत के दो उदाहरण दीजिए।
7. मागधी एवं अर्धमागधी प्राकृत के दो-दो उदाहरण दीजिए।
8. खोतानी एवं मिश्रित प्राकृत की विशेषताएँ बताइए।
9. सप्रसंग हिन्दी-व्याख्या कीजिए :
'गन्धं परिन्नाय इह, अज्ज वीरे, सोयं परिन्नाय चरेज्ज दान्ते।
उम्मुग्गा लद्धं, इह, माणवेहिं, नो पाणिणं पाणे समार भेज्जा।।'
10. खोतानी प्राकृत में रूपान्तरित कीजिए :
'प्रमादं परिवर्जयति अप्रमादरतः सदा।
भवेत् कुशल धर्मा योगक्षेमयोः प्राप्तये।।'

इकाई में सम्मिलित है :

- अध्ययन के उद्देश्य
- प्रस्तावना
- अपभ्रंशमुक्तकसंग्रह
- भाषानुवाद एवं भाषा
- विश्व भाषाओं का वर्गीकरण
- भारोपीय भाषा परिवार
- आर्य शाखा या भारत-ईरानी शाखा
- ईरानी भाषा एवं भारतीय आर्य भाषा
- ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान एवं रूपग्राम विज्ञान
- सारांश
- अभ्यास-प्रश्न

अध्ययन के उद्देश्य :

प्रस्तुत इकाई में अपभ्रंश साहित्य के साथ-साथ प्राकृत भाषा के संकलित अंशों का भाषानुवाद दिया गया है। यह इकाई भाषा विज्ञान का वर्णन भी करती है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् छात्र :

- अपभ्रंश मुक्तक संग्रह के संकलितांश की व्याख्या कर सकेंगे।
- संदेशरासकं से संकलित पद्यों की हिन्दी एवं संस्कृत व्याख्या कर सकेंगे।
- भाषानुवाद के अंतर्गत संकलित जातक कथाओं का हिन्दी अनुवाद कर सकेंगे।
- भाषा के अर्थ, आधार एवं रूप के साथ ही भाषा की परिभाषा जान सकेंगे।
- भाषा की उत्पत्ति एवं विकास के विभिन्न सिद्धान्तों से अवगत हो सकेंगे।
- विश्व की समस्त भाषाओं के वर्गीकरण एवं उसके आधारों से परिचित हो सकेंगे।
- भारोपीय भाषा परिवार, भारत-ईरानी शाखा व भारतीय आर्य भाषा से परिचित हो सकेंगे।
- ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान एवं रूपग्राम विज्ञान को आत्मसात् कर सकेंगे।

NOTES

इस इकाई में सर्वप्रथम 'अपभ्रंशमुक्तक संग्रह' से संकलित पद्यों को संस्कृत एवं हिन्दी रूपान्तर सहित समझाया गया है। इसी के साथ 'सन्देशरासकम्' के संकलितांश को संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत किया गया है। भाषा-अनुवाद के क्रम में इस इकाई में बावेरू जातक, सुंसुमार जातक, वानरिन्द जातक, बक जातक, सीहचम्म जातक, राध जातक तथा उलूक जातक की कथाओं का हिन्दी अनुवाद दिया गया है। इन जातक कथाओं के माध्यम से हमें बुद्ध के अनेक नैतिक उपदेशों का ज्ञान होता है। ये कथाएँ मानव जीवन के आदर्श जीवन-मूल्यों पर प्रकाश डालती हैं।

इकाई के द्वितीय भाग में भाषा विज्ञान के विभिन्न बिन्दुओं पर विचार किया गया है। इस अंश में भाषा की परिभाषा, उसके अर्थ, स्वरूप, उत्पत्ति तथा विकास का वर्णन किया गया है। भाषा परिवर्तन के विभिन्न आन्तरिक एवं बाह्य कारणों पर विचार किया गया है। भाषा के विभिन्न परिवारों का संक्षिप्त परिचय देते हुए यह इकाई भारोपीय भाषा-परिवार पर विशद विवेचन प्रस्तुत करती है। आर्यशाखा या भारत-ईरानी शाखा में ईरानी भाषा, वैदिक संस्कृत तथा अवेस्ता का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए भारतीय आर्यभाषा की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इकाई के इस भाग में प्राकृत भाषा के विविध रूपों, प्रमुख आधुनिक भारतीय भाषाओं, ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान तथा रूपग्राम विज्ञान का भी विवेचन किया गया है।

1. अपभ्रंशमुक्तकसंग्रहः

जे महु दिण्णा दिअहडा दइए पवसन्तेण ।

ताण गणन्तिँ अङ्गलिउ जज्जरिआउ नहेण ॥1॥

सायरु उप्परि तणु धरइ तलि धल्लइ रयणाइं ।

सामि सुभिच्चु वि परिहरइ संकाणेइ खलाइं ॥2॥

जो गुण गोवइ अप्पणा पयदा करइ परस्सु ।

तसु हउँ कलिजुगि दुल्लहो बलि किज्जउँ सुअणस्सु ॥ 3 ॥

अग्गिँ उण्हउ होइ जगु वाँ सीअलु तेवँ ।

जो पुणु अग्गि सीअला तसु उण्हत्तणु केवँ ॥4॥

जिवँ जिवँ वंकिम लोअणहं णिरु सामलि सिक्खेइ ।

तिवँ तिवँ वम्महु निअय-सर खर-पत्यरि तिक्खेइ ॥5॥

भल्ला हुआ जु मारिआ बहिणि महारा कन्तु ।

लज्जेज्जन्तु वयंसिअहु जइ भग्गा घरु एन्तु ॥6॥

वायसु उड्डुवन्तिअए पिउ दिठ्ठउ सहस त्ति ।

अद्धा वलया महिति गय अद्धा फुट्टु तड त्ति ॥7॥

एककहिं अक्खिहिं सावणु अन्नहिं भद्वउ,
माहउ महिअल-सत्थरि गण्डत्थले सरउ।
अङ्गिहिं गिम्ह सुहच्छीतिल वणि मग्गसिरु,
तहें मुद्धहें मुह-पङ्कइ आवासिउ सिसिर।।8।।
जइ पुच्छह घर वड्ढा घर ओइ।
विहलिअ-जण-अब्भुद्धरणु कन्तु कुडीरइ जोइ।।9।।
मुद्धि निहालहि गयण-यलु कइ जण जोण्ह करन्ति।।10।।
अम्बणु लाइवि जे गया परिअ पराया के वि।
अवस न सुअहिं सुहच्छिअहिं जिवें अम्हइँ तिवें ते वि।।11।।
महु कन्तुहो वे दोसडा हेल्लि म जङ्घहि आलु।
देन्तहों हउँ पर उव्वरिअ जुञ्जन्तहों करवालु।।12।।
जइ भग्गा पारक्कडा तो सहि मज्झु पिएण।
अह भग्गा अम्हहं तणा तो तें मारिअडेण।।13।।
बप्पीहा पिउ पिउ भणवि कित्तिउ रुअहि हयास।
तुह जलि महु पुणु बल्लहइ बिहुँ वि न पूरिअ आस।।14।।
बलि-अब्भत्थणि महु-महणु लहईहूआ सोइ।
जइ इच्छहु वड्ढत्तणउँ देहु म मग्गहु कोइ।।15।।
सन्ता भोग जु परिहरइ तसु कन्तहों मलि कीसु।
जसु दइवेण वि मुण्डियउँ जसु खल्लिहडउँ सीसु।।16।।
पुत्तें जाँ कवणु गुणु अवगुणु कवणु मुएण।
जा बप्पीकी भुंहडी चम्पिज्जइ अवरेण।।17।।
जइ केवँइ पावीसु पिउ अकिआ कुड्ड करीसु।
पाणिउ नवइ सरावि जिवें सव्वङ्गे पइसीसु।।17।।
विप्पिअ-आरउ जइ वि पिउ तो वि तं आणहि अज्जु।
अग्गिण दड्ढा जइ वि घरु तो तें अग्गि कज्जु।।19।।

संस्कृत अनुवाद

ये मम दत्ताः दिवसाः दयितेन प्रवसता।
तान् गणयन्त्याः अङ्गुल्यः जर्जरिताः नखेन।।1।।
सागरोपरि तृणानि धरति तले क्षिपति रत्नानि।
स्वामी सुभृत्यमपि परिहरति सम्मानयति खलान्।।2।।
यः गुणान् गोपयत्यात्मीयान् प्रकटान् करोति परस्य।

NOTES

तस्याहं कलियुगे दुर्लभस्य बलिं करोमि सुजनस्य ।। 3 ।।
 अग्निनोष्णं भवति जगत् वातेन शीतलं तथा ।
 यः पुनः अग्निना शीतल तस्योष्णत्व कथम् ।। 4 ।।
 यथा यथा वक्रिमाणं लोचनयोः नितरां श्यामला शिक्षते ।
 तथा तथा मन्मथः निजकशरान् खरप्रस्तरे तीक्ष्णयति ।। 5 ।।
 भव्यं भूतं यन्मारितो भगिनि! अस्मदीयः कान्तः ।
 अलज्जिष्यम् वयस्याभ्यः यदि भग्नः गृहमैष्यत् ।। 6 ।।
 वायसमुड्ढापयन्त्याः प्रियो दृष्टः सहसेति ।
 अर्धानि वलयानि मह्यां गतान्यर्धानि स्फुटितानि तटिति ।। 7 ।।
 एकस्मिन्नक्षिण श्रावणः अन्यस्मिन् भाद्रपदः ।
 माधवः (माघः) महीतलस्रस्तरे गण्डस्थले शरत् ।
 अङ्गेषु ग्रीष्मः सुखासिकातिलवने मार्गशीर्षः,
 तस्याः मुग्धायाः मुखपङ्कजे आवासितः शिशिरः ।। 8 ।।
 यदि पृच्छथ गृहाणि महान्ति तन्महान्ति गृहाण्यमूनि ।
 विह्वलितजनाभ्युद्धरणं कान्तं कुटीरके पश्य ।। 9 ।।
 वयं स्तोकाः रिपवः वहवः कातराः एवं भणन्ति ।
 मुग्धे निभलय गगनतलं कति जनाः ज्योत्स्नां कुर्वन्ति ।। 10 ।।
 अम्लत्वं लागयित्वा ये गताः पथिकाः परकीयाः केऽपि ।
 अवश्यं न स्वपन्ति सुखासिकायां यथा वयं तथा तेऽपि ।
 मम कान्तस्य द्वौ दोषौ सखि! मा पिधेहि अलीकम् ।
 ददतोऽहं परमुर्वरिता युध्यमानस्य करवालः ।। 12 ।।
 यदि भग्नाः परकीयाः तत् सखि! मम प्रियेण ।
 अथ भग्नाः अस्मदीयाः तत्तेन मारितेन ।। 13 ।।
 चातक! प्रियः प्रियः (पिबामि पिबामि) भणित्वा कियद् रोदिषि हताश!
 तव जले, मम पुनर्वल्लभे, द्वयोरपि न पूरिताशा ।। 14 ।।
 वल्यभ्यर्थने मधुमथनः लघुकीभूतः सोऽपि ।
 यदीच्छथ महत्वं दत्त, मा मार्गयत कमपि ।। 15 ।।
 सतो भोगान् यः परिहरति तस्य कान्तस्य बलिं क्रिये ।
 तस्य दैवेनैव मुण्डितं यस्य खल्वाटं शीर्षम् ।
 पुत्रेण जातेन को गुणोऽवगुणः कः मृतेन ।
 यत्पैतृकी भूमिः आकम्यतेऽपरेण ।। 17 ।।
 यदि कथञ्चित् प्राप्स्यामि प्रियमकृतं कौतुकं करिष्यामि ।

पानीयं नवके शरावे तथा सर्वाङ्गेण प्रवेक्ष्यामि ।।18।।

विप्रियकारकः यद्यपि प्रियः तदपि तमानयाद्य ।

अग्निना दग्धं यद्यपि गृहं तदपि तेनाग्निना कार्यम् ।।19।।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

NOTES

हिन्दी अनुवाद

प्रवास जाते हुए मेरे प्रियतम ने मुझे जिन दिनों को (आने के लिए) दिया था, उन्हें गिनते हुए नखों से मेरी अंगुलियाँ जर्जरित हो गयीं ।।1।।

(जैसे) सागर ऊपर तृणों को धारण करता है तथा रत्नों को तल में डाल देता (रखता) है (उसी प्रकार) मालिक अच्छे भृत्य का तो त्याग कर देता है (परन्तु) दुष्टों का सम्मान करता है ।।2।।

जो अपने गुणों को छिपाता है (परन्तु) दूसरों के गुणों को प्रकट करता है, कलियुग में दुर्लभ उस सुजन पर मैं बलि हो जाता हूँ ।।3।।

अग्नि से (यह) संसार उष्ण होता है तथा वायु से शीतल होता है, परन्तु जो अग्नि से (भी) शीतल होता हो उसके लिए उष्णता कैसी? ।।4।।

श्यामला जैसे-जैसे अपने नयनों में बाँकपन लाना सीखती है, वैसे-वैसे कामदेव अपने बाणों को खर-पत्थर पर तीक्ष्ण करता है ।।5।।

हे बहन! (यह) अच्छा (ही) हुआ कि मेरा पति (युद्ध में) मार डाला गया। (क्योंकि) यदि च्युत (भागकर) होकर घर आता तो मैं सखियों से लजवायी जाती ।।6।।

कौआ उड़ती हुई नायिका ने सहसा प्रियतम को देख लिया। (इसी बीच) उसके आधे कंगन (चूड़ियाँ) पृथ्वी पर गिर गये (तथा) आधे तड़-तड़ करके टूट गये ।।7।।

उस मुग्धा (नायिका) की एक आँख में श्रावण मास, दूसरी में भाद्रपद है। पृथ्वी पर स्थित उसके बिस्तर पर माघव (माघ) है, गण्डस्थल पर शरदऋतु (विद्यमान) है, (उसके) शरीर में ग्रीष्मऋतु (परिलक्षित हो रहा) है, नेत्र की चितवन मार्गशीर्ष (का निवास) है तथा मुग्धा के मुखपङ्कज में शिशिरऋतु ने आवास बना लिया है ।।8।।

यदि बड़े घर पूछते हो तो वह बड़ा घर है। (परन्तु) विह्वलित जनों के उद्धार करनेवाले (मेरे) कान्त को कुटिया में देखो ।।9।।

हम लोग थोड़े हैं तथा शत्रु बहुत है, ऐसा कायर लोग कहते हैं। हे मुग्धे ! इस आकाश को देखो, कितने जन तारागण) प्रकाश करते हैं ।।10।।

ललक लगाकर जो पथिक परकीय (दूसरी स्त्रियों के प्रियतम) हो चले गये, अवश्य ही वे हम लोगो की तरह ही सुखासिका पर सुखपूर्वक नहीं सोते होंगे ।।11।।

हे सखि! झूठ मत बोल, मेरे पति में दो दोष हैं—दान करते हुए मैं तथा युद्ध करते हुए करवाल बच गयी ।।12।।

हे सखि ! यदि शत्रु मारे गये हैं तो (उन्हें) मेरे प्रियतम से (प्रियतम ने ही मारा होगा) तथा यदि हमारे पक्ष के लोग तो मेरे पति के मारे जाने पर (ही भागे होंगे) ।।13।।

हे चातक ! 'प्रिय-प्रिय (पीऊँगा, पीऊँगा) कहकर हताश, कितने समय तक रोओगे ? जल-विषयक तुम्हारी तथा प्रिय-विषयक मेरी- दोनों की -- आशा पूरी नहीं हुई ।।14।।

बलि से याचना करने पर वे विष्णु भगवान् भी छोटे हो गये थे । (अतः) यदि बड़प्पन चाहते हो तो दान दो, किसी से माँगे मत ।।15।।

(भोगों के) रहते हुए (भी) जो भोगों की छोड़ देता है, उस प्रियतम के प्रति मैं बलि जाती हूँ । जिसका शिर खल्लाट है उसे तो भाग्य ने ही मूँड (मुण्डित कर) दिया है ।।16।।

यदि पैतृक भूमि दूसरों के द्वारा दबा ली जाती है तो उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या गुण (लाभ) और मरने से क्या अवगुण (हानि) ।।17।।

यदि किसी प्रकार प्रिय को पा जाऊँगी तो न किया हुआ (अपूर्व) कौतुक करूँगी । जैसे नये शराब (कसोरे) में जल प्रविष्ट हो जाता है (वैसे ही) सर्वाङ्ग रूप से उस (प्रिय) में प्रविष्ट हो जाऊँगी ।।18।।

प्रियतम यद्यपि अप्रिय कार्य करने वाले हैं फिर भी उसे आज ही लाओ । यद्यपि अग्नि से घर जल गया है फिर भी उस अग्नि की आवश्यकता होती ही है ।।19।।

सन्देशरासकम्

(क)

जइ अत्थि णई गंगा तियलोए णिच्च- पयडिय-पहावा ।
वच्चइ सायंर-समुहा ता सेस-सरी म वच्चन्तु ।।1।।
जइ सरवरम्मि विमले सूरे उइयम्मि विअसिआ नलिणी ।
ता किं वाडि विलग्गा मा विअसउ तुंबिणी कह वि ।।2।।
जइ भरहभावछन्दे णच्चइ णवरंग-चंगिमा तरुणी ।
ता कि गाम-गहिल्ली ताली-सद्दे ण णच्चेइ ।।3।।
जइ बहुल-दुद्धे संमीलिया य उल्ललइ तुण्डुला खीरी ।
ता वण कुक्कससहिआ रब्बडिया मा दडब्बडउ ।।4।।
जा जस्स कव्वसत्ती सा तेण अलज्जिरेण भणियव्वा ।
जइ चउमुहेण भणियं ता सस-कई मा भणिज्जन्तु ।।5।।

(ख)

तवण-तित्थु चाउदिसि मियच्छि बखाणिअइ, ।
मूलथाणु सुपसिद्धउ महियलि जाणियइ ।
तिहँ हुन्तउ हउं इक्किण लेहउ पेसियउ,

खम्भाइत्तई वच्चउँ पहु-आएसियउ ।।1।।
 एय वयण अयन्निवि सिन्धुभव-वयणि,
 ससिउ सासु दीहुन्हउ सलिलभव-नयणि ।
 तोडि करंगुलि करुण सगगिर गिर पसरु,
 जालन्धरि समीरिण मुद्ध थरहरिअ चिरु ।।2।।
 रुइवि खणद्धउ फुसवि नयत पुण वज्जरिउ,
 खम्भाइत्तह णामि पहिय तणु जज्जरिउ,
 तह महु अच्छइ णाहु विरह-उल्लावयरु,
 अहिअ-कालु गम्मियउ ण आयउ णि दयरु ।।3।।
 पाउ मोडिवि निमिसिदु पहिय जइ दय करि,
 कहउं किम्पि सन्देसउ पिय तुच्छक्खरिहि ।
 पहिअ भणइ कणयङ्गि कहह किं रूत्रयण,
 धिज्जन्ति णिरु दीसहि उव्विन्नमिय हयण ।।4।।
 जसु णिगगमि रेणुक्करडि किअ ण विरह-दवेण ।
 किव दिज्जइ सन्नेहडउ तसु निट्टुरय मणेण ।।5।।
 जसु पवसन्त ण पवसिआ मुहय विओइ ण जसु ।
 लज्जिज्जउ सन्देसडउ दिन्ती पहिय पियासु ।।6।।
 लज्जिवि पथिअ जइ रहउ न धरणउ जाइ ।
 गाह पठिज्जसु इक्क पिय कर लेविण मण्णाइ ।।7।।
 तुह विरह-संचूरिआइ विहडन्ति जं न अंगां ।।
 तं अज्ज कल्ल-संघडउसहे णाह तग्गन्ति ।।8।।

संस्कृत अनुवाद

(क)

यद्यस्ति नदीं गंगा त्रिलोके नित्यप्रकटितप्रभावा ।
 ब्रजति सागरसम्मुख तत् शेषसरितः मा ब्रजन्तु ।।1।।
 यदि सरोवरे विमले सूर्ये उदिते विकसिता नलिनी ।
 तत् किं वृतिविलग्ना मा विकसतु तुम्बिनी(अलावु) कथमपि ।।2।।
 यदि भरभभावच्छन्दसि नृत्यति नवरंगचंगिमा(लीलावती) तरुणी ।
 तत्किं ग्रामगर्दभिल्ली तालीशब्दे न नर्तयति ।।3।।
 यदि बहुलदुग्धे सम्मीलिताश्च उल्लसन्ति तण्डुलाः क्षीरिणः ।
 तत्कणतुषसहिता रब्बडिका मा दडबड़ायताम् ।।4।।

या यस्य काव्यशक्तिः सा अलज्जिरेण भणितव्या ।

यदि चतुर्मुखेण भणितं तत् शेषकविभिः मा भण्यन्ताम् ॥ 15 ॥

NOTES

(ख)

तपनतीर्थं चतुर्दिक्षु मृगाक्षि व्याख्यानीयते (व्याख्यायते) ।

मूलस्थानं सुप्रसिद्धकं मीतले ज्ञायते ॥

तस्मात् भावत्कः अहमेकेन लेखः प्रेषितः ।

स्कम्भादित्ये व्रजामि प्रभवादेशिकः ॥ 11 ॥

एतद्वचनमाकर्ण्य सिन्धूद्भववदनी (वदना),

श्वसित्वा श्वांस दीर्घोष्णकं सलिलोद्भवनयनी (नयना) ।

त्रोटयित्वा कराङ्गलिं करुणं सगद्गदं गिरं प्रसृता,

जलान्धरी- (कदली) समीरेण मुग्धा थरथरिता (कम्पिता) चिरम् ॥ 12 ॥

रुदित्वा क्षणार्द्धकं स्पृष्ट्वा नयनं पुनः उक्तवती,

स्कम्भादित्यस्य नाम्ना पथिकतनुः जर्जरिता ।

तत्र मम आक्षीयति (आस्ते) नाथः विरह आह्लादकरः

अधिककालं गतकः न आगतः निर्दयालः (निर्दयालुः) ॥ 13 ॥

पादौ मोटयित्वा नमयित्वा निमिषार्द्धकं पथिक यदि दयं कुरु,

कथयामि किमपि सन्देशकं प्रियं तुच्छाक्षरैः ।

पथिकः भणति कनकाङ्गि ! कथय किं रुदितेन,

क्षीयमाना नीरं दृश्यसे उद्विग्नमृगहायना ॥ 14 ॥

यस्य निर्गमे रेणूत्करटिका (रेणुराशिः) कृता न विरहदवेन,

कथमिव दीयते सन्देशकः तस्य (तस्यै) निष्ठुरकमनसा ॥ 15 ॥

यस्य प्रवसति न प्रोषिता मृतका वियोगे न यस्य ।

लज्जे सन्देशकं ददती पथिकप्रियस्य (प्रियाय) ॥ 16 ॥

लज्जित्वा पथिक ! यदि रमे (भवामि) हृदयं न धरणकं याति ।

गाथा पठ्यस्व (पठ्यताम्) एका प्रियं कृत्वा नीतं मानयित्वा (प्रसाद्य) ॥ 17 ॥

तव विरहप्रहारसंचूर्णितानि विघटन्ते यन्न अङ्गानि ।

तदद्यकल्यसङ्घाटनोत्साहे नाथ ! स्थगन्ति (बध्यन्ते) ॥ 18 ॥

हिन्दी अनुवाद

यदि त्रिलोक में नित्य प्रकटित प्रभाववाली गंगा नदी सागर में जाती है, तो दूसरी नदियाँ रहें, न रहें ॥ 11 ॥

यदि सूर्य के उदित होने पर स्वच्छ सरोवर में नलिनी विकसित होती है, तो किसी प्रकार वन में तुम्बिनी (लौकी) विकसित हो, न हो।।2।।

यदि भरतमुनिप्रणीत (ताल-मात्रा में) नये रंगवाली सुन्दरी तरुणी नृत्य करती है, तो ग्रामीण महिलाएँ ताली के शब्द के साथ नाचें, न नाचें।।3।।

यदि अधिक दूध में मिलाये गये दूधवाले तण्डुल उबाल खाते हैं तो कण और भूसे-सहित रबड़ी (पात्र में) डबडबाये, न डबडबाये।।4।।

जो जिसकी काव्यशक्ति हो उसे लज्जाविहीन (स्पष्ट) होकर कहना चाहिए। यदि ब्रह्मा ने ही कहा है, तो उन भणितियों को शेष कवि कहें, न कहें।।5।।

हे मृगनयनी। चारों दिशाओं में तपनतीर्थ की व्याख्या की जाती है, उसे ही सुप्रसिद्ध 'मुल्तान' ऐसा पृथ्वी पर जाना जाता है। अतः मैंने एक आदमी के द्वारा आपका लेख खम्भात भिजवा दिया है। (अब) प्रभु के आदेश का पालन करने वाला मैं जाता हूँ।।1।।

ऐसी बात सुनकर उस चन्द्रवदना कमलनयनी ने लम्बे-लम्बे गरम श्वास लेकर कराङ्गुलियों को तोड़कर (मरोड़कर) गद्गद कण्ठ से करुण वचन कहे तथा कदली वृक्ष की वायु से मुग्ध होकर बड़ी देर तक वह कैपी।।2।।

थोड़ी देर रोकर, अपने आँखों को पोंछकर उसने फिर कहा हे पथिक! खम्भात के नाम से ही मेरा शरीर जर्जर हो गया है। वहाँ मेरा प्रिय, जो विरह को शान्त करने वाला है, अधिक दिन हुए, गया, किन्तु वह निर्दयी लौटकर नहीं आया।।3।।

हे पथिक! मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, यदि थोड़ी देर दया करो तो मैं अपने टूटे-फूटे अक्षरों में कुछ प्रिय सन्देश कहूँ। पथिक कहता है कि हे सुवर्ण की भाँति अङ्गोवाली! उद्विग्न मृगछौने की तरह (तुम) क्षीण होती हुई आँसू दिखा रही हो। भला कहो, रोने से क्या लाभ?।।4।।

(वह कहती है) जिसके चले जाने पर मैं विरह की आग से धूल की ढेर न बन गयी, निष्ठुर मन से उसके लिए सन्देश भेजने से क्या!।।5।।

जिसके प्रवास करने पर मैंने स्वयं प्रवास नहीं किया और जिसके विरह में मैं मर न गयी, हे पथिक! उस प्रिय के लिए सन्देश देती हुई मैं अनुभव करती हूँ।।6।।

हे पथिक! लजाकर यदि मैं चुप बैठ जाऊँ तो मैं हृदय ही धारण नहीं कर सकती। (अतः) एक गाथा (वहाँ जाकर) पढ़ दीजिए और उन्हें प्रसन्न कर मना लीजिये (अनुकूल कर दीजिये)।।7।।

तुम्हारे विरह के प्रहार से चूर-चूर होकर जो ये अङ्ग विघटित नहीं होते, हे नाथ। वे आजकल (आपसे) मिलने के उत्साह में टँगे हुए हैं।।8।।

संस्कृत अनुवाद

वर्द्धमान-मुख-कुहर-विनिर्गता। रामकथा- नद्येषा क्रमागता।।1।।

अक्षरवास-जलौघमनोहरा। सु-अलंकार-छन्द-मत्स्यभरा।।2।।

NOTES

NOTES

दीर्घसमासप्रवाहाङ्किता। संस्कृत-प्राकृत-पुलिनालङ्कृता।।3।।
 देशीभाषोभयः तटोज्ज्वला। किमपि दुष्कर घन-शब्द-शिलातला।।4।।
 अर्थबहल-कल्लोलनिष्ठिता (निष्ठा)। आश्वासक-समतीर्थ-परिस्थिता।।5।।
 एषा रामकथा सरित् शोभमाना। गणधरदेवैः दृष्टा वहन्ती।।6।।
 पश्चाद् इन्द्रभूत्याचार्येण। पुनः धर्मेण गुणालङ्कृतेन।।7।।
 पुनः प्रभावेण संसाररागेण। कीर्तिधरेणाणुत्तरवादेन।।8।।
 पुनः रविसेनाचार्य प्रसादेन। बुध्यावगाहिता कविराजेन।।9।।
 पद्मिनीजननीगर्भसंभूतेन। मारुकदेवीरूपानुरागेण।।10।।
 अतितनुकेन प्रतिसरगात्रेण। चिपिटनासेन प्रविरलदन्तेन।।11।।

(घत्ता)

निर्मल-पुण्य-पवित्र-कथा-कीर्तनमारभे।
 येन सम्यग्ज्ञायमानेन स्थिरा कीर्तिः विवर्द्धते।।12।।
 बुधजनान् स्वयम्भूः प्रणीय विज्ञापयति। मया सदृशकोऽन्यो नास्ति कुकविः।।11।।
 व्याकरणं कदापि न जानामि। नापि वृत्तिं सूत्र व्याख्यानयामि (व्याचष्टे)।।12।।
 न च प्रत्याहारस्य ततिः कृता। न च सन्धेः उपरि बुद्धिः स्थिता।।13।।
 न च निशाम्यामि सप्तविभक्तिकं। षड्विधकं समासप्रवृत्तिकम्।।14।।
 षट्कारकाणि दश लकाराः न श्रुताः विंशोपसर्गाः प्रत्यया बहुकाः।।15।।
 न बलाबलं धातोः निपातगणः। न च लिङ्गमुणादिः वक्रं वचनम्।।16।।
 नापि निःश्रुतानि पञ्चमहाकाव्यानि। न च भरतस्य गेयं लक्षणमपि सर्वम्।।17।।
 न च बुद्ध्ये पिङ्गलप्रस्तारं। न च भामह-दण्डि-अलङ्कारान्।।18।।
 व्यवसायं तदपि न च परिहरामि। वरं रड्ढुबद्धं काव्यं करोमि।।19।।
 सामान्यभाषायां शीघ्रं (छुड्डु) सायासः। क्षुद्रागमयुक्ति कामपि घटयामि।।10।।
 क्षुद्राणि भवन्तु सुभाषितवचनानि। ग्रामीण भाषा परिहरणानि(परिहीनानि)।।11।।
 एतत् सज्जन-लोकस्य कृतः विनयः। यदबोधः प्रदर्शित आत्मनः।।12।।
 यद्येवमपि विशेषयति कोऽपि खलः। तस्य हस्तोच्छ्रितकं गृह्णामि छलम्।।13।।

हिन्दी अनुवाद

यह रामकथारूप नदी वर्द्धमान के मुखरूपी कुहर (पर्वत) से निकलकर क्रमशः परम्परा से आ रही है। यह अक्षर-विन्यास के जल-समूह से मनोहर, सुन्दर, अलङ्कार तथा छन्दरूपी मत्स्यों से परिपूर्ण एवं लम्बे समासरूपी प्रवाहों से अङ्कित है। यह संस्कृत एवं प्राकृतरूपी पुलिनों से अलंकृत देशी भाषारूपी दो तटों से उज्ज्वल है।

इसमें कहीं कठिन घन शब्दरूपी शिलातल हैं, कहीं यह अनेक अर्थरूपी तरंगों से युक्त है और कहीं आश्वासरूपी तीर्थों से प्रतिष्ठित है। बहती हुई एवं सुशोभित होती हुई इस रामकथा रूपी नदी को गणधर देवों ने देखा। तत्पश्चात् इन्द्रभूति आचार्य ने, पुनः गुणों से अलंकृत धर्माचार्य ने, पुनः संसार से अत्यधिक प्रभावित अनुत्तरवादी कीर्तिधर ने देखा। तदनन्तर रविसेन आचार्य की प्रसन्नता से कविराज ने अपनी बुद्धि से (इसका) अवगाहन किया। कवि मरुदेवी के रूप के तुल्य पद्मिनी माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ। उसका शरीर अत्यन्त कृश एवं लम्बा था, नाक चिपटी और दाँत विरल थे।। 1-11 ।।

NOTES

(घत्ता)

निर्मल पुण्य से पवित्र बनी हुई कथा का कीर्तन प्रारम्भ कर रहा हूँ, जिसको भलीभाँति जानने से स्थायी कीर्ति बढ़ती है।।12।।

पण्डितजनों से स्वयम्भू यह विज्ञापन कर रहे हैं कि मेरे समान कोई दूसरा कुकवि नहीं है। मैंने कभी भी व्याकरण नहीं जाना। वृत्ति और सूत्रों की व्याख्या भी मैंने नहीं की और न तो मैंने प्रत्याहारों का विवेचन ही किया है। सन्धियों के ऊपर मेरी बुद्धि स्थिर नहीं रही है। न तो मैंने सात प्रकार की विभक्तियों को ही सुना है और न तो छह प्रकार वाली समास-प्रक्रिया ही। छह कारक, दश लकार, बीस उपसर्ग तथा बहुत से प्रत्ययों को भी नहीं सुना। धातु का बलावल, दश निपात, गण, लिङ्ग, उणादि, वक्रोक्तियों और वचन भी मैंने नहीं सुने। पाँच महाकाव्यों और भरत के सभी नाट्यलक्षणों को भी मैं नहीं सुन सका। न तो मैंने पिङ्गलशास्त्र के विस्तार को समझा और न ही भामह तथा दण्डी के अलङ्कारों को ही समझा। फिर भी मैं इस व्यवसाय (काव्य) को नहीं छोड़ पा रहा हूँ, प्रत्युत रड्डा (छन्दोबद्ध) बद्ध काव्य की रचना कर रहा हूँ। मैं प्रयत्नपूर्वक, सामान्यभाषा में कुछ आगम-युक्ति को उपन्यस्त कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि ग्रामीण भाषा से हीन मेरे ये वचन सुभाषित हों। सज्जन लोगों से मैंने यह विनय की है। मैं अपना अबोध प्रकट कर चुका हूँ। फिर भी यदि कोई दुष्ट जन (इस काव्य से) रुष्ट हो तो मैं उसके छल को हाथ जोड़कर स्वीकार करता हूँ।। 1-13 ।।

2. भाषानुवाद

(1) बाबेरु-जातक

NOTES

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय लाभ सत्कार हीन अन्य धर्मावलम्बी साधुओं के प्रति कहा। शास्ता ने “भिक्षुओ ! न इसी, समय, पहले भी जब तक गुणवान् नहीं उत्पन्न हुए, तक तक निर्गुण लाभ-यश को प्राप्त थे, किन्तु गुणवानों के उत्पन्न होने पर निर्गुण लाभ-सत्कार से हीन हो गए।” कहकर अतीत कथा कही।]

प्राचीनकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व मोर की योनि में उत्पन्न होकर सयाना हो, सौन्दर्य प्राप्त जंगल में रहते थे। उस समय कोई-कोई बनिये दिशा काक को लेकर नौका से बाबेरु राष्ट्र को गये। उस समय बाबेरु राष्ट्र में पक्षी नहीं थे। आए-आए राष्ट्रवासी उसे नौका के मस्तूल पर बैठा देख—“मुख, चोंच से लेकर गले तक इसकी सुन्दरता और वर्ण को देखा। मणि की गोलियों के समान (सुन्दर) आँखें हैं।” (इस प्रकार) कौवे की ही प्रशंसा कर उन बनियों से कहा—“आर्य ! इस पक्षी को हमें दें। हम लोगों को इससे मतलब है, आप लोग अपने देश में दूसरा पा जायेंगे।”

“एक दाम देकर ले लो।”

“एक कार्षापण से दें।”

“नहीं देंगे।”

क्रमशः बढ़ाकर ‘सौ से दें’ कहने पर “हम लोगों के लिए यह बहुत लाभदायक है किन्तु आप लोगों के साथ मैत्री बना रहे।” (कहकर) सौ कार्षापण लेकर दे दिया।

उन्होंने उसे लेकर सोने के पिंजड़े में रखकर नाना प्रकार के मछली, मांस और फल-फूल से पाला-पोसा। दूसरे पक्षियों के न रहने के स्थान में यह बुरी बातों से युक्त कौवा लाभ यश को प्राप्त हुआ।

दूसरी बार वे बनिये एक मोर को लेकर, जिस प्रकार वह चुटकी के शब्द से बोले और ताली बजाने के शब्द से नाचे वैसा सिखलाकर बाबेरु राष्ट्र गए। उतने महाजन-समूह के एकत्र होने पर नौका के सिरे पर खड़ा हो मोर, पखों को फटफटा, मधुर-स्वर में बोलते हुए नाचा। मनुष्यों ने उसे देखकर प्रसन्न मन हो “आर्य ! इस सौंदर्य प्राप्त भली प्रकार सीखे हुए पक्षिराज को हमें दें” कहा।

“हम लोग पहले कौवा लाये, उसे ले लिया, इस समय इस मोरराज को लाये हैं, इसे भी माँग रहे हैं, आप लोगों के इस देश में पक्षी लेकर नहीं आ सकते हैं।”

“जाने दें आर्य ! अपने राष्ट्र में दूसरा पा जायेंगे, इसे हमें दें।” (कहने पर) दाम बढ़ाकर एक हजार (कार्षापण) लिया। उसे सात रत्नों से जटित पिंजड़े में रखकर मछली, मांस, फल-फूल और मुध, लावा, शक्कर, शर्बत आदि से पाला-पोसा। मोर लाभ-यश को प्राप्त हो गया। उसके आने के समय से लेकर कौवे का लाभ-सत्कार घट गया। कोई उसे देखना भी नहीं चाहता। कौवा खाद्य भोजन को न पाकर ‘काँव-काँव’ शब्द करता हुआ जाकर पाखाना की भूमि पर उतरा।”

1. “शिखी और मञ्जु भाषी मोर को न देखने से वहाँ के लोगों ने कौवे की मांस और फल से पूजा की।”

2. “और जब स्वरसम्पन्न मोर बावेरु (देश) में आया, तब कौवे का लाभ सत्कार घट गया।”

3. “जब तक धर्मराज, तेजस्वी बुद्ध नहीं उत्पन्न हुए, तब तक लोगों ने दूसरे विभिन्न साधु-ब्राह्मणों की पूजा की।”

4. “और जब स्वरसम्पन्न बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया, तब दूसरे मतावलम्बी साधुओं का लाभ और सत्कार घट गया।”

[इन चारों गाथाओं को कहकर जातक को समाप्त किया। उस समय कौवा निर्ग्रन्थ नाथपुत्र, मोरराज तो मैं ही था।]

(2) सुंसुमार-जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय देवदत्त द्वारा वध करने के प्रयत्न के सम्बन्ध में कहा। उस समय शास्ता ने ‘देवदत्त वध करने के लिए प्रयत्न कर रहा है’ सुनकर “भिक्षुओ ! देवदत्त मेरे वध के लिए इस समय ही नहीं प्रयत्न कर रहा, पहले भी प्रयत्न किया था, किन्तु भय मात्र भी उत्पन्न नहीं कर सका” कह, अतीत कथा कही]

प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय, हिमालय प्रदेश में बोधिसत्त्व बन्दर की योनि में उत्पन्न होकर, हाथी के समान बलवान्, शक्तिमान, विशालकाय (तथा) सौन्दर्य प्राप्त हो, गंगा के किनारे जंगल में निवास करते थे। उस समय गंगा में एक मगर रहता था। उसकी स्त्री ने बोधिसत्त्व के शरीर को देख, उसके कलेजा को खाने की इच्छा उत्पन्न करके, मगर से कहा—“स्वामी ! मैं इस बड़े बन्दर का कलेजा खाना चाहती हूँ।”

“भद्रे ! हम लोग जलचरी हैं, यह स्थलचारी है, (भला) कैसे पकड़ सकेंगे ?”

“जिस-किसी प्रकार से पकड़ो, यदि न पाऊँगी तो मर जाऊँगी।”

“तो मत मरो, एक उपाय है, तुझे उसका कलेजा खिलाऊँगा।”

इस प्रकार मगरनी को आश्वासन देकर, बोधिसत्त्व के गंगा में पानी पीकर, गंगा के किनारे बैठने के समय निकट जाकर ऐसा कहा—“हे श्रेष्ठ बन्दर ! इस प्रदेश में स्वादहीन फलों के खाते हुए क्यों तुम अभ्यस्त स्थान में ही रहते हो, गङ्गा के उस पार आम, बड़हर आदि मीठे फलों का अन्त नहीं है, क्या तुझे वहाँ जाकर फल-मूल नहीं खाना चाहिए ?”

“हे श्रेष्ठ मगर ! गंगा बहुत जलवाली है, (उसके पट) लम्बे-चौड़े हैं, कैसे वहाँ जाऊँगा ?

“यदि चलो तो मैं तुझे अपनी पीठ पर रखकर ले चलूँगा।”

वह उसका विश्वास करके “बहुत अच्छा” कह स्वीकार करके “तो आओ मेरी पीठ पर चढ़ जाओ” कहने पर उस पर चढ़ गया। मगर ने थोड़ी दूर ले जाकर पानी में डुबो दिया। बोधिसत्त्व ने—“सौम्य ! मुझे पानी में डुबो रहे हो, यह क्या बात है ?” कहा—

NOTES

“मैं धर्म-पालन की दृष्टि से तुझे लेकर नहीं जा रहा हूँ, किन्तु मेरी स्त्री को तेरे कलेजा को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई है, उसे मैं तेरा कलेजा खिलाना चाहता हूँ।”

NOTES

“सौम्य (= मित्र) तूने कहकर बड़ा अच्छा किया, यदि हम लोगों के पेट में कलेजा रहे तो डालियों पर विचरण करते हुए चूर्ण-विचूर्ण हो जाय।”

“तुम लोग कहाँ रखते हो ?”

बोधिसत्त्व ने समीप में एक पके हुए फलों के गुच्छों (= झोंपों) से युक्त गूलर के वृक्ष को दिखलाते हुए कहा—“देखो, ये हम लोगों के कलेजे, एक गूलर के वृक्ष में लटक रहे हैं।”

“यदि मुझे कलेजा दोगे, तो मैं तुझे वृक्ष पर लटकते हुए (कलेजे) को दूँगा।”

वह इन्हें लेकर वहाँ गया। बोधिसत्त्व ने उसकी पीठ से उछलकर गूलर के वृक्ष पर बैठ—“सौम्य, मूर्ख मगर ! इन प्राणियों का कलेजा वृक्ष पर होता है—ऐसा समझा था ! तू मूर्ख है, मैंने तुझे धोखा दिया ! तेरे फल-मूल तुझे ही रहे ! तेरा शरीर ही बड़ा है, किन्तु (तुझे) बुद्धि नहीं है।” कहकर इस बात को प्रकाशित (= स्पष्ट) करते हुए इन गाथाओं को कहा—

1. “जो समुद्र के उस पार आम, जामुन और कटहल हैं, उनमें मुझे प्रयोजन नहीं; मुझे गूलर ही उत्तम हैं।”

2. “तेरा शरीर भर ही बड़ा है, किन्तु बुद्धि उसके अनुरूप नहीं है। हे मगर ! तुम धोखा खाये हो, अब जहाँ चाहो, (वहाँ) चले जाओ।”

मगर हजार (रुपये) हारने के समान दुःखी, उदास, चिन्ता करते हुए अपने वासस्थान को ही चला गया।

[शास्ता ने धर्मोपदेश (= देशना) को कहकर मेल बैठते हुए कहा—“उस समय देवदत्त मगर हुआ था, मगरनी चिञ्चा माणविका हुई थी, बड़ा बन्दर तो मैं ही था।]

(3) वानरिन्द-जातक

[इसे शास्ता ने वेणुवन में बिहार करते समय देवदत्त द्वारा वध करने के प्रयत्न के सम्बन्ध में कहा। उस समय, शास्ता ने “देवदत्त वध करने के लिए प्रयत्न कर रहा है” सुनकर “भिक्षुओ! देवदत्त मेरे वध के लिए इस समय ही नहीं प्रयत्न कर रहा है, पहले भी प्रयत्न किया ही था, किन्तु भय भी न उत्पन्न कर सका।” कह अतीत कथा कही।]

प्राचीनकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व बन्दर की योनि में उत्पन्न होकर सयाना हो, घोड़े के बच्चे के समान शक्तिशाली, अकेला विचरण करने वाला होकर नदी के किनारे विहार करते थे। उस नदी के बीच नाना प्रकार के आम, कटहल आदि फल वाले वृक्षों से युक्त एक छोटा सा द्वीप था। हाथी के समान बलवान्, शक्तिशाली बोधिसत्त्व नदी के इस पार से उछल कर, छोटे द्वीप के उस ओर नदी के बीच में एक पथरीली चट्टान थी, उस पर गिरते थे, वहाँ से उछलकर उस छोटे द्वीप पर गिरते

थे। वहाँ नाना प्रकार के फलों को खाकर सन्ध्या समय उसी उपाय से लौटकर अपने वासस्थान में रहकर दूसरे दिन भी वैसा ही करते थे। इस प्रकार वहाँ वास करते थे।

उस समय एक मगर सपत्नीक उस नदी में रहता था। उसकी उस स्त्री ने बोधिसत्त्व को इधर से उधर जाते हुए देखकर बोधिसत्त्व के कलेजे को खाने की इच्छा उत्पन्न कर मगर से कहा—“आर्य ! मुझे इस श्रेष्ठ बन्दर के कलेजे को खाने की इच्छा हुई है।” मगर ने बहुत अच्छा पाओगी।” कहकर आज उसे सन्ध्या समय छोटे द्वीप से आते हुए ही पकड़ूँगा सोचकर वह पथरीली चट्टान पर लेट रहा। बोधिसत्त्व ने दिनभर विचरण कर सन्ध्या समय छोटे द्वीप पर खड़े हुए ही पत्थर को देख “यह पत्थर इस समय ऊँचा जान पड़ता है, क्या कारण है ? विचार किया। उन्हें पानी का प्रमाण और पत्थर का प्रमाण भली प्रकार सुविचारित था। इसलिये उन्हें ऐसा हुआ—“आज इस नदी का पानी न तो घटा है, न बढ़ा ही है, किन्तु यह पत्थर बड़ा होकर दिखाई दे रहा है, क्या यहाँ मुझे पकड़ने के लिए मगर तो बैठा नहीं है ?” उन्होंने जरा, इसकी परीक्षा लूँगा (सोच) वहीं खड़ा हो पत्थर के साथ बातचीत करते हुए के समान ही “हे पत्थर !” कह, प्रत्युत्तर न पाते हुए, तीन बार तक “हे पत्थर !” कहा “हे पत्थर ! क्या उत्तर न दोगे ?” फिर भी उसे बन्दर ने—“क्या हे पत्थर ! आज मुझे उत्तर नहीं दोगे ?” कहा ! मगर ने अवश्य दूसरे दिनों यह पत्थर बड़े बन्दर का उत्तर देता था, इसका उत्तर (मैं भी) दूँगा।” सोचकर “क्या हे श्रेष्ठ बन्दर !” कहा।

“तूम कौन हो ?”

“मैं मगर हूँ।”

“किसलिये लेते हो ?”

“तेरे कलेजे को चाहता हुआ।”

बोधिसत्त्व ने विचार किया—“दूसरा मेरे जाने का मार्ग नहीं है। आज मुझे इस मगर को धोखा देना चाहिये।” तब उसने इस प्रकार कहा—“सौम्य मगर ! मैं अपने को तेरे लिए त्याग दूँगा, तू मुख फैलाकर, मुझे अपने पास आने के समय पकड़ लेना।” मगरों के मुख फैलाने पर आँखें बन्द हो जाती हैं। उसने इस बात का विचार न कर मुख फैलाया। तब उसकी आँखें बन्द हो गईं। वह मुख फैला आँखों को बन्द कर लेटा रहा। बोधिसत्त्व इस प्रकार की बात को जानकर छोटे द्वीप से उछलकर मगर के मस्तक को कुचल, वहाँ से उछलकर बिजली के समान चमकते हुए दूसरे किनारे खड़े हो गए। मगर ने उसे आश्चर्य से देखा—“इस श्रेष्ठ बन्दर ने अत्यन्त आश्चर्यजनक (काम) किया” (ऐसा सोच) हे श्रेष्ठ बन्दर ! इस लोक में चार बातों से युक्त व्यक्ति शत्रुओं को पराजित कर देता है। वे सभी तेरे अन्दर हैं—ऐसा समझता हूँ।” कहकर इस गाथा को कहा—

“हे श्रेष्ठ बन्दर ! सत्य, धर्म, धैर्य और त्याग—वे चारों बातें जिसमें होती हैं, जैसा कि तुम में हैं, वह शत्रु को पराजित कर देता है।”

इस प्रकार मगर बोधिसत्त्व की प्रशंसा कर अपने वासस्थान को चला गया।

[शास्ता ने ‘भिक्षुओ ! देवदत्त इस समय ही मेरे वध के लिए प्रयत्न नहीं करता है, पहले भी प्रयत्न करता ही था’ (कहकर) इस धर्मोपदेश को कह मेल बैठकर जातक को समाप्त करते हुए कहा—“उस समय मगर देवदत्त हुआ था। उसकी स्त्री चिञ्चमाणविका थी।]

NOTES

NOTES

[इसे शास्ता ने जेतवन में बिहार करते समय चीवर बनाने वाले भिक्षु के प्रति कहा। ... शास्ता ने “भिक्षुओ ! जेतवनवासी चीवर बनाने वाला इस समय ही दूसरों को नहीं धोखा दे रहा है, पहले भी यह धोखा देता ही था।” कहकर अतीत कथा कही।]

प्राचीनकाल में एक जङ्गल में बोधिसत्त्व किसी कमल वाले तालाब के सहारे स्थित वृक्ष पर वृक्ष-देवता होकर उत्पन्न हुए थे। उस समय किसी अन्य बहुत बड़े तालाब में गर्मी के समय पानी घट गया। उसमें बहुत-सी मछलियाँ थीं। तब एक बगुला उन मछलियों को देख ‘एक उपाय से इन मछलियों को धोखा देकर खाऊँगा।’ (सोच) जाकर पानी के किनारे विचार करते हुए बैठा रहा। तब उसे मछलियों ने देखकर—“आर्य ! क्या विचार करते हुए बैठे हैं ?” पूछा।

“तुम लोगों के लिए विचार करते हुए बैठा हूँ।”

“आर्य ! हम लोगों के लिए क्या विचार कर रहे हैं ?”

“इस तालाब में पानी कम है, खाने-पीने की चीजें कम हैं और महातपन हो रही है, इस समय मेरी मछलियाँ क्या करेंगी ? ऐसा तुम लोगों के लिये विचार करते हुए बैठा हूँ।”

“आर्य ! तब हम लोग क्या करें ?”

“यदि तुम लोग मेरी बात करो, तो मैं तुम लोगों में से एक-एक को चोंच से पकड़कर एक पाँच रङ्ग के कमलों से ढँके तालाब में ले जाकर छोड़ दूँ।”

“आर्य प्रथम कल्प से लेकर मछलियों के लिए चिन्ता करने वाला बगुला नहीं हुआ, तुम हममें से एक-एक को खाना चाहते हो।”

“मैं तुम लोगों को अपने ऊपर विश्वास रखने पर नहीं खाऊँगा। यदि तालाब के होने की बात पर विश्वास नहीं रखते हो, तो एक मछली को मेरे साथ तालाब देखने के लिए भेजो।” मछलियों ने उस पर विश्वास कर “यह जल में भी, स्थल पर भी, भी समर्थ है” (सोचकर) एक काने महा मछली को दिया—“इसे लेकर जाओ।” वह उसे लेकर जा, तालाब में छोड़कर सारे तालाब को दिखला पुनः लाकर उन मछलियों के पास छोड़ दिया। उसने उन मछलियों से तालाब की विशेषता का वर्णन किया। उन्होंने उसकी बात सुन जाने की इच्छावाले हो, “अच्छ आर्य ! हम लोगों को लेकर चलो।” कहा।

बगुले ने पहले उस काने मछली को ही पकड़कर तालाब के किनारे ले जाकर तालाब को दिखला तालाब के किनारे उत्पन्न वरण-वृक्ष पर बैठकर उसे डाली पर रखकर चोंच से प्रहार करते हुए जान से मार कर मांस को खा, काँटों को वृक्ष के नीचे गिरा, फिर जा “उस मछली को मैंने छोड़ दिया, अन्य आये” कहा। इसी प्रकार एक-एक को पकड़कर सब मछलियों को खा फिर आने पर एक मछली को भी नहीं देखा। वहाँ केवल एक केकड़ा (कर्कट) अवशेष था। बगुला उसे भी खाने की इच्छावाला हो ‘हे केकड़ा ! मैंने उन मछलियों को ले जाकर कमलों से ढँके बहुत बड़े तालाब में छोड़ दिया, आओ तुझे भी ले चलूँ।’ (कहा)।

“मुझे पकड़कर चलते समय कैसे पकड़ोगे ?”

“मुख से पकड़ूँगा।”

“तुम ऐसे पकड़ कर चलते हुए मुझे गिरा दोगे। मैं तेरे साथ नहीं जाऊँगा।

“मत डरो मैं तुझे भलीप्रकार पकड़कर चलूँगा।”

केकड़े ने विचार किया—‘इसने मछलियों को ले जाकर तालाब में नहीं छोड़ा है। यदि मुझे तालाब में छोड़ेगा तब तो कुशल है, यदि नहीं छोड़ेगा, तो उसके गले को काटकर जान ले लूँगा। तब उसने ऐसा कहा—“सौम्य बगुला ! तूम भली प्रकार पकड़ सकोगे, किन्तु हम लोगों की पकड़ बड़ी अच्छी पकड़ होती है। यदि मैं अपने सिंउठ। (= अल), से तेरे गले को पकड़ पाऊँगा तो तेरे गले को भली प्रकार पकड़कर तेरे साथ चलूँगा।” उसने उसे “यह मुझे धोखा देना चाहता है” (ऐसा) न जानते हुए “बहुत अच्छा” (कहकर) स्वीकार कर लिया। केकड़े ने अपने सिंउठों से लोहार की सँड़सी के समान उसके गले को भली प्रकार पकड़ कर (अब चलो’ कहा। वह उसे ले जाकर तालाब को दिखला वरणवृक्ष की ओर चल पड़ा। केकड़े ने कहा—‘मामा’ यह तालाब यहाँ है, क्यों तुम इधर ले जा रहे हो।’ बगुला ने ‘प्रिय भान्जे ! तू मेरे भगिनी पुत्र बने हो’ यह कह ‘तू अपने का उठाकर विचरण करते हुए मुझे मानो दास समझ रहा था, देखो यह वरण वृक्ष के नीचे काँटों का ढेर ! जैसे मैंने उस सब मछलियों को खाया, तुझे भी वैसे ही खाऊँगा।’ केकड़े ने कहा—‘इन मछलियों को तूने उनकी मूर्खता के कारण खाया, किन्तु मैं अपने को तुझे खाने न दूँगा। तुझे ही विनाश को पहुँचा दूँगा। तुम मूर्खता से मेरे धोखा देने की बात को नहीं जानते हो, मरते हुए दोनों भी मरेंगे। इस तेरे सिर को काटकर भूमि पर फेंक दूँगा।’ कह कर सँड़सी के समान सिंउठों से उसके गले को दबाया। वह टेढ़े हुए मुख के साथ आँखों से आँसू बहाते हुए मृत्यु के भय से डरा हुआ—‘स्वामी ! मैं तुझे नहीं खाऊँगा, मुझे जीवन दो’ बोला। ‘यदि ऐसा है तो उतरकर तालाब में मुझे छोड़ दो।’ वह लौटकर तालाब में ही उतरकर केकड़े को तालाब के किनारे कीचड़ के ऊपर रख दिया। केकड़े ने कैची से कमल की डंठल को काटने के समान उसके गले को काटकर पानी में प्रवेश कर गया। उस आश्चर्य को देखकर वरणवृक्ष पर वास करने वाले देवता ने साधुकार (= धन्यवाद) देते हुए वन को उद्घोषित करते हुए मधुर-स्वर से इस गाथा को कहा—

‘अत्यन्त धोखेबाज व्यक्ति धोखेबाजी से सुख नहीं प्राप्त करता। धोखेबाज व्यक्ति उसी प्रकार दुःख को प्राप्त होता है जिस प्रकार कि केकड़े द्वारा बगुला।’

[शास्ता ने—‘भिक्षुओ ! वह इस समय ही ग्रामवासी चीवर बनाने वाले से नहीं धोखा खाया है, प्राचीनकाल में भी धोखा खाया ही था’ (कहकर) इस धर्मोपदेश को लाकर मेल बैठा, जातक को समाप्त किया—‘उस समय वह बगुला जेतवनवासी चीवर बनानेवाला था, केकड़ा ग्रामवासी चीवर बनाने वाला और वृक्ष देवता मैं ही था।]

(3) सीहचम्म-जातक

[इसे भी शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कोकालिक के प्रति कहा। वह इस समय स्वर के साथ पाठ करना चाहता था। शास्ता ने उस समाचार को सुनकर अतीत कथा कही।]

NOTES

प्राचीनकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व किसान के कुल में उत्पन्न हो सयाने होकर कृषि कर्म से जीवन-निर्वाह करते थे। उस समय एक बनिया गधे पर भार लाद कर व्यापार करते विचरण करता था। वह गये-गये हुए स्थान से गधे की पीठ से गठरी को उतारकर गधे को सिंह के चमड़े से ढँककर धान, जौ के खेतों में छोड़ देता था। खेत के रखवाले उसे देखकर सिंह समझकर उसके पास नहीं जा सकते थे। तब एक दिन उस बनिया के एक गाँव में निवास ग्रहण करके प्रातःकालीन भोजन पकाते हुए, गधे को सिंह के चमड़े से ढँककर जौ के खेत में छोड़ दिया। खेत के रखवालों ने सिंह समझकर उसके पास न जा सकते हुये घर जाकर कहा। सारे गाँव के लोगों ने हथियार लेकर शंखों को बजाते, ढोल पीटते हुए खेत के पास जाकर शोर किया। गधा मृत्यु के भय से डरा हुआ गधे की बोली बोला। तब उसके गधा होने की बात को जानकर बोधिसत्त्व ने पहली गाथा कही—

‘यह न तो सिंह का नाद है, न बाघ और चीते का, सिंह के चमड़े से ढँका तुच्छ गधा बोल रहा है।’

गाँव वाले भी उसके गधा होने की बात को जान हड्डियों को तोड़ते हुए मारकर सिंह-चर्म को लेकर चले गये। तब बनिया ने आकर उस विपत्ति को प्राप्त गधे को देख दूसरी गाथा कही—

‘सिंह के चमड़े से ढँका गधा बहुत दिनों तक हरे जौ का खाता, किन्तु बोलते हुए खेल बिगाड़ दिया।’

उसके ऐसे कहते हुए ही गधा वहीं मर गया। बनिया भी उसे छोड़ कर चला गया।

[शास्ता ने इस धर्मोपदेश को कह कर जातक का मेल बैठाया। उस समय गधा कोकालिक हुआ था। बुद्धिमान् किसान तो मैं ही था।]

(6) राध-जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक दिन उदासीन भिक्षु के प्रति कहा। उसने शास्ता द्वारा—‘भिक्षु ! तू सचमुच उदासीन है ?’ पूछने पर ‘सत्य है भन्ते !’ किस कारण से ?’ कहने पर ‘एक अलंकृत स्त्री को देख विषय-वासना के कारण।’ तब उसे शास्ता ने कहा—‘भिक्षु ! स्त्री की रक्षा नहीं की जा सकती। पूर्वकाल में द्वारपाल रखते हुए, भी रक्षा नहीं कर सके। तुझे स्त्री से क्या मतलब ? पाकर भी रक्षा नहीं कर सकोगे।’ कहकर अतीत-कथा कही।]

प्राचीनकाल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त के राज्य करते समय बोधिसत्त्व तोते की योनि में उत्पन्न हुए। उनका नाम राध पड़ा। उनके छोटे भाई का नाम पोट्टपाद था। उन दोनों को बचपन में ही एक बहेलिया ने पकड़ कर वाराणसी में किसी एक ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने उन्हें पुत्र की भाँति रख कर पाला-पोसा। ब्राह्मण की ब्राह्मणी (स्त्री) अरक्षित, दुःशील थी। वह व्यापार करने के लिए जाते समय उन तोते के बच्चों को सम्बोधित करके—‘तात ! मैं व्यापार करने के लिए जा रहा हूँ, समय या असमय में अपनी माता के किये कर्मों को देखना। दूसरे पुरुष के जाने या आने की बात पर ध्यान रखना।’ (कहकर) ब्राह्मणी को तोते के बच्चों को सौंपकर चला गया। वह उसके निकलने के समय से लेकर व्यभिचार करने लगी। रात में भी, दिन में भी आने जाने वालों की गणना न थी। उसे देखकर पोट्टपाद ने राध से पूछा—ब्राह्मण इस ब्राह्मणी को हम लोगों को सौंप कर गया और यह पाप कर्म करती है, उसे कहूँगा।’ राध ने “मत कहो” कहा। उसने उसकी बात न मान कर “माँ ! किस कारण पाप कर्म कर रही हो ?” कहा। वह उसे मारने की इच्छावाली हो—“तात् ! तुम मेरे पुत्र हो, अब से नहीं करूँगी, तात ! जरा आओ तो।” प्रेम करने के समान उसे बुलाकर, आने पर पकड़ कर “तुम मुझे उपदेश देते हो अपने बल

को नहीं जानते ?” (कह) गर्दन पकड़ मारकर चूल्हे में फेंक दिया। ब्राह्मण ने आकर विश्राम कर बोधिसत्त्व से—“क्या तात राध ! तुम्हारी माता व्यभिचार करती है अथवा नहीं करती ?” पूछते हुए पहली गाथा कही—

“तात ! मैं प्रवास से अभी आया हूँ। मुझे आये देर न हुई। क्या तात ? तेरी माता दूसरे व्यक्ति का साथ तो नहीं करती ?”

राध ने “तात ! बुद्धिमान् यथार्थ या अयथार्थ कार्य को सिद्ध न कराने वाली बात को नहीं कहते। (इसे) प्रकट करते हुए दूसरी गाथा कही—

“सत्य से युक्त यह बात कहने योग्य नहीं है, (क्योंकि कहने पर) पोट्टपाद की भाँति चूल्हे में भुनकर सो जाना पड़ेगा।”

इस प्रकार बोधिसत्त्व ब्राह्मण को धर्मोपदेश देकर ‘मैं भी इस स्थान पर नहीं रह सकता’ (कहकर) ब्राह्मण से आज्ञा ले जंगल में ही चले गये।

[शास्ता ने इस देशना को कहकर सत्त्यों को प्रकाशित कर जातक का मेल बैठाया। उस समय पोट्टपाद आनन्द हुआ था, राध तो मैं ही था।]

(7) नच्च-जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय एक बहुत सामान वाले भिक्षु के प्रति कहा। शास्ता ने भिक्षुओ ! यह भिक्षु इस समय ही लज्जा और संकोच के बिना शासनरूपी रत्न से वंचित हुआ, पहले भी स्त्री-रूपी रत्न को पाने से भी वंचित ही रहा।” कहकर अतीत कथा कही।]

प्राचीनकाल में प्रथम कल्प में पशुओं ने सिंह को राजा बनाया, मछलियों ने आनन्द मछली को और पक्षियों ने सुवर्ण हंस को। उस सुवर्ण राजहंस की पुत्री हंसिनी परम सुन्दरी थी, इसलिए उसने उसे वर दिया। उसने अपने इच्छानुसार पति के लिए वर माँगा। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय में सब पक्षियों को एकत्र कराया। नाना प्रकार के हंस, मोर आदि पक्षीगण चारों ओर से आकर एक बड़े पत्थर के तल पर एकत्र हुए। हंसराज ने “अपने इच्छानुसार पति पाकर ग्रहण करे।” (ऐसा कहलाकर) पुत्री को बुलवाया। उसने पक्षियों के संघ को देखते हुए मणि के समान गर्दन (और) चित्रित पंखों वाले मोर को देख “यह मेरा पति हो” कहकर पसन्द किया। पक्षियों के संघ ने मोर के पास जाकर कहा—“सौम्य मोर ! इस राजपुत्री ने इतने पक्षियों के मध्य पति पसन्द करती हुई तेरे ऊपर ही इच्छा उत्पन्न की।” मोर ने “आज भी जरा मेरे बल को नहीं देखते हो।” (कहकर) अति प्रसन्नता ले लज्जा और संकोच को त्याग, उसने बड़े पक्षियों के संघ के मध्य पंखों को फैलाकर नाचना शुरू किया। नाचते हुए बेपर्दा (नंगा) हो गया। सुवर्ण हंसराज ने लज्जित हो “इसे न तो अपने भीतर उत्पन्न होने वाली लज्जा है और न बाहर से उत्पन्न होने वाला संकोच, इस लज्जा और संकोच रहित को मैं अपनी पुत्री नहीं दूँगा।” (कहते हुए) पक्षियों के संघ के मध्य, इस गाथा को कहा—

“(तेरी वाणी मनोज्ञ है, पीठ सुन्दर है, गर्दन वैदूर्य मणि के समान है तथा चार हाथ लम्बी पाँखें हैं, किन्तु नाच से तुझे मैं अपनी पुत्री नहीं दूँगा।”

हंसराज ने उसी परिषद् के बीच अपने भान्जे हंस-पुत्र को पुत्री दे दी। मोर हंसनी को न पा लज्जित हो वहीं से उठकर भाग आया। हंसराज भी अपने वासस्थान को ही चला गया।

NOTES

[शास्ता ने “भिक्षुओ” ! यह इस समय ही लज्जा और संकोच को त्यागकर शासनरूपी रत्न से वंचित नहीं हुआ है, पहले भी स्त्री-रत्न को पाने से भी वञ्चित हुआ।’ इस धर्मोपदेश को कहकर मेल बैठकर जातक समाप्त किया। उस समय मोर बहुत सामान रखने वाला (भिक्षु) हुआ था, हंसराज तो मैं ही था।]

(8) उल्लूक-जातक

[इसे शास्ता ने जेतवन में विहार करते समय कौवा और उल्लू के कलह के प्रति कहा।... भिक्षुओं ने “भन्ते ! कब से कौवों तथा उल्लूओं में परस्पर बैर उत्पन्न हुआ ?” पूछा ! शास्ता ने “प्रथम कल्प के समय से लेकर” कहकर अतीत कथा कही।]

प्राचीनकाल में प्रथम कल्प के (लोगों ने) एकत्र होकर एक सुन्दर, सौभाग्य प्राप्त, अनुशासन कर्ता, इस प्रकार से परिपूर्ण पुरुष को लेकर राजा बनाया। पशुओं ने भी एकत्र होकर एक सिंह को राजा बनाया। महासमुद्र में मछलियों ने आनन्द नामक मछली को राजा बनाया। तत्पश्चात् पक्षियों का समूह हिमालय प्रदेश में एक पत्थर की चट्टान पर एकत्र हो “मनुष्यों में राजा दिखाई देता है, वैसे ही पशुओं और मछलियों में; किन्तु हम लोगों के अन्दर राजा नहीं है। आश्रय रहित रहना ठीक नहीं है। हम लोगों को भी राजा प्राप्त करना चाहिए। राजा के स्थान पर रखने योग्य एक (व्यक्ति) ढूँढो।” उन्होंने वैसे पक्षी को ढूँढते हुए एक उल्लू को पसन्द कर “यह हम लोगों को पसन्द है” कहा तब एक पक्षी ने सबका मत जानने के लिए तीन वचन सुनाये। उसके भुगतान हुए दो बार सुनाने को कहकर तीसरे बार सुनाते समय एक कौवा उठकर ‘ठहरो जरा, इसका इस राज्याभिषेक के समय इस प्रकार का मुख है, क्रोधी होने पर कैसा होगा ? इसके क्रुद्ध होकर देखने पर हम लोग तप्त कड़ाही में डाले गए तिल के समान वहाँ-वहाँ ही भुन जायँगे। इसे राजा बनाना मुझे पसन्द नहीं है।” इस बात को प्रकाशित करने के लिए पहली गाथा को कहा—

“सब जाति बन्धुओं द्वारा उल्लू राजा बनाया गया, यदि जाति बन्धु हमें आज्ञा दें तो मैं एक बात कहूँ।”

तब उसे आज्ञा देते हुए पक्षियों ने दूसरी गाथा कही—

“सौम्य ! केवल अर्थ, धर्म की बात कहो, तुझे आज्ञा दी जाती है, क्योंकि तरुण पक्षी भी बुद्धिमान् और द्युतिमान् है।”

उसने इस प्रकार आज्ञा पाकर तीसरी गाथा कही—

“आप लोगों का अभिषेक मुझे उत्तम नहीं जान पड़ता है।

(क्योंकि) इसके अक्रुद्ध मुख को देखो, क्रुद्ध होने पर कैसा करेगा !”

वह ऐसा कहकर “मुझे नहीं पसन्द है, मुझे नहीं पसन्द है” चिल्लाता हुआ आकाश में उड़ गया। उल्लू ने भी उठकर उसका पीछा किया। तब से लेकर उन्होंने परस्पर बैर बाँध लिया। पक्षी सुवर्णहंस को राजा बनाकर चले गए।

[शास्ता ने इस धर्मोपदेश को कहकर सत्त्यों को प्रकाशित कर जातक को समाप्त किया। उस समय राज्य में अभिषिक्त हंस-पुत्र मैं ही था।]

1. भाषा

NOTES

सामान्यरूप से भाषा के विषय में कुछ भी कहना-सुनना व्यर्थ सा प्रतीत होता है; क्योंकि, भाषा के विषय में कहने-सुनने वाले सभी व्यक्ति भाषा का खूब प्रयोग करते हैं और उसकी उपयोगिता को भली-भाँति समझते हैं। सचमुच, भाषा के अभाव में, हमारी आज क्या दशा होती, भाषा के होते हुए यह कल्पना करना भी हमारे लिए कठिन है। आचार्य 'दण्डी' ने इसका कुछ आभास दिया है—

“इदमन्धन्तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।

यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।”—काव्यादर्श

वस्तुतः हमारी लोकयात्रा वाग्देवी की कृपा से ही सम्भव हो पाती है—

“वाचामेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते।”—काव्यादर्श

1. 'भाषा' शब्द के विभिन्न अर्थ

'भाषा' का जीवन में पग-पग पर व्यवहार करने पर भी 'भाषा' शब्द का अर्थ बतलाना उतना सरल नहीं है। विचार करने पर 'भाषा' शब्द का प्रयोग जिन अनेक अर्थों में होता है, उन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) 'भाषा शब्द का औपचारिक प्रयोग— हम इस अनुभव के अभ्यस्त हो गये हैं कि वक्ता और श्रोता वर्णमयी या ध्वन्यात्मक भाषा द्वारा पारस्परिक अभिव्यक्ति या विचार-विनिमय करते हैं, एक-दूसरे के अभिप्राय को समझते हैं। अतः हम अभिप्राय व्यक्त करने के प्रत्येक साधन को, जैसे—इंगित, मुद्रा, मुखविकार आदि को भी सामान्य रूप से 'भाषा' कह देते हैं। इस प्रकार यहाँ 'भाषा' शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप में ही किया जाता है, क्योंकि मूलरूप से (भाष् व्यक्तायां वाचि धातु से निष्पन्न) 'भाषा' शब्द का अर्थ तो 'व्यक्त वाक्' के लिए ही प्रमुख रूप से होता है, उसका मुख्यार्थ वर्णात्मक मानव-भाषा ही है। किन्तु, औपचारिक रूप में पशुओं तथा पक्षियों द्वारा उत्पन्न अस्पष्ट ध्वनियों (अव्यक्त वाक्) को भी 'भाषा' ही कह दिया जाता है।

(2) भाषाविज्ञान की दृष्टि से भाषा की परिभाषा

यहाँ भाषाविज्ञान की दृष्टि से भाषा की कोई उपयुक्त परिभाषा करना आवश्यक है। भाषा का, भावाभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में जो गौण अर्थ लिया जाता है, जैसे संकेतादि, उनसे भाषाविज्ञान का कोई सम्बन्ध नहीं है। अतः, यहाँ मानवप्रयुक्त वाचिक भाषा (व्यक्त वाक्) ही विचार का विषय है, उसी की युक्तियुक्त परिभाषा यहाँ उद्दिष्ट है।

'भाषा' शब्द संस्कृत की 'भाष्' धातु से बना है, जिसका प्रयोग व्यक्त वाणी (व्यक्तायां वाचि) के लिए किया जाता है। पशु-पक्षियों की बोली तथा मानवकृत इंगितों व संकेतों की भाषा, वस्तुतः भाषा कहलाने की अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि वह 'अव्यक्तवाक्' है। मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चारित, ध्वनि-संकेतों से गठित, शब्दमयी भाषा ही वस्तुतः भाषा है, क्योंकि उसमें स्पष्टता, असंदिग्धता तथा सुगमता है।

यद्यपि भाषा की परिभाषा करना कुछ कठिन प्रतीत होता है, तथापि भाषाविज्ञान की दृष्टि से हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं—

NOTES

जिन यादृच्छिक तथा विभिन्न अर्थों में रूढ़ ध्वनि-संकेतों के द्वारा मनुष्य अपने भावों-विचारों को अभिव्यक्त करता है, उन्हें 'भाषा' कहते हैं।

1. भाषा की कुछ अन्य परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

“Language in its widest sense means the sum-total of such signs of our thoughts and feelings as are capable of external perception and as could be produced and repeated at will”.

—An Introduction to Comparative Philology.

अर्थात् “अपने व्यापकतम रूप में भाषा का अर्थ, हमारे विचारों और मनोभावों को व्यक्त करने वाले ऐसे संकेतों का कुल योग, जो देखे या सुने जा सकें और इच्छानुसार उत्पन्न किए एवं दोहराए जा सकें।”

—उपर्युक्त का डॉ. भोलानाथ तिवारीकृत अनुवाद।

(2) डॉ. भोलानाथ तिवारी—

“भाषा उच्चारणावयवों से उच्चरित अध्ययन-विश्लेषणीय यादृच्छिक (Arbitrary) ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।” —भाषाविज्ञान

(3) डॉ. बाबूराम सक्सेना—

“जिन ध्वनि-चिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है, उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं।”

—सामान्य भाषाविज्ञान

(4) आचार्य किशोरीदास वाजपेयी—

“विभिन्न अर्थों में संकेतित शब्दसमूह ही भाषा है, जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं।”

—भारतीय भाषाविज्ञान

3. भाषा का आधार

मानव जिस रूप में भाषा का प्रयोग करता है, उसे देखने से भाषा के आधार के दो भेद स्पष्ट प्रतीत होते हैं—

(1) मानसिक आधार— इसी के कारण भाषा का जन्म हुआ है। मनुष्य अपने भावों-विचारों को अभिव्यक्त करने के लिये ही भाषा की स्वीकार करता है। विभिन्न पदार्थों के सम्पर्क में आने पर मनुष्य को विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है, जिसे हम 'प्रत्यय' (= ज्ञान) कह सकते हैं। इस प्रत्यय के अनुसार ही वक्ता के मस्तिष्क में शब्दचित्रों या शब्द-बिम्बों की रचना होती है, जिन्हें मन की प्रेरणा से वह वाणी द्वारा प्रकट

या अभिव्यक्त करता है। इसी प्रकार श्रोता में भी ध्वनि-संकेत कानों द्वारा सुने जाकर पहले ध्वनि-बिम्बों की रचना करते हैं और तब श्रोता को प्रत्यय या पदार्थ-ज्ञान होता है।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

इस प्रक्रिया में, 1. वक्ता का प्रत्यय > 2. वक्ता का शाब्दबिम्ब > 2. श्रोता का ध्वनिक-बिम्ब > 1. श्रोता का प्रत्यय। यह सब प्रक्रिया मानसिक ही है, जिसका अध्ययन मनोविज्ञान द्वारा ही किया जा सकता है। अतः, यह भाषा का मानसिक आधार ही है। इसका सम्बन्ध भाषा के अर्थ-पक्ष से है।

NOTES

(2) भौतिक आधार— ऊपर कहा गया है कि प्रत्यय के अनुसार शाब्दबिम्बों को वक्ता वाणी द्वारा ध्वनि-संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा श्रोता, श्रोत्र द्वारा उन ध्वनि-संकेतों को ग्रहण करता है। अतः, ध्वनि का उत्पन्न होना तथा सुनाई पड़ना एक भौतिक व्यापार है, जिसमें वायु (श्वास), ध्वनियन्त्र, मुख, तालु, जिह्वा, नासिका तथा श्रोत्र आदि भौतिक शरीरावयवों की आवश्यकता पड़ती है। इनके बिना शाब्द-बिम्बों को ध्वनि-संकेतों या शब्दों का तथा ध्वनि-संकेतों या शब्दों को ध्वनिक-बिम्बों का रूप मिलना असम्भव है। इन्हीं से ध्वनि-संकेत (स्वर-व्यञ्जन) उत्पन्न होते हैं। अतः, 3. वक्ता का ध्वनन, और 4. शब्द तथा 3. श्रोता का श्रवण, यह भाषा का भौतिक आधार है। इसका सम्बन्ध भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों से है। चित्र में इसी तथ्य को स्पष्ट किया गया है।

4. भाषा के विभिन्न रूप

भाषा का सामान्य अध्ययन करते समय उसके विभिन्न रूप हमारी दृष्टि में आते हैं। यहाँ भाषा के इन विभिन्न रूपों के साथ उनके मूलभूत आधारों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। ये आधार तथा इन पर आधारित भाषा के विभिन्न रूप इस प्रकार हैं—

(1) इतिहास— इतिहास के आधार पर भाषा के विभिन्न रूप हो जाते हैं। एक ही भाषा के जीवन के सम्पूर्ण इतिहास को देखने से विदित होता है कि विभिन्न कालों में उसके विभिन्न रूप विद्यमान रहे हैं। उदाहरणार्थ, वैदिक, संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि ये सब एक ही भारतीय आर्यभाषा के, इतिहास के आधार पर होने वाले, विभिन्न रूप हैं।

(2) भूगोल— भूगोल के आधार पर भी भाषा के रूपों में भेद हो जाता है। इसके भी दो भेद हैं = (क) विशेष-विशेष प्रान्तों के आधार पर हुए भाषा-भेद, जैसे बंगला, मराठी, गुजराती आदि तथा (ख) क्षेत्रीय विस्तार के आधार पर हुए भाषा-भेद, जैसे भाषा, विभाषा, (बोली), उपभाषा (उपबोली या स्थानीय बोली) आदि।

(3) प्रयोग या व्यवहार— भाषा-भेद का तीसरा आधार है— प्रयोग या व्यवहार। जिस वर्ग-विशेष या उद्देश्य-विशेष के लिये भाषा का जो रूप प्रयोग में चल पड़ता है, वह उसी नाम से प्रचलित हो जाता है। जैसे— जाति विशेष में प्रयुक्त जातीय भाषा, व्यवसाय-विशेष के लोगों में प्रयुक्त व्यावसायिक भाषा, राजकीय कार्यों के लिये स्वीकृत राजभाषा, राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्रान्त राष्ट्रीय भाषा, साहित्य विशेष में प्रयुक्त साहित्यिक भाषा, शिष्ट-जन-प्रयुक्त शिष्ट भाषा, जनसाधारण प्रयुक्त सामान्य भाषा, गुप्त कार्यों के लिये प्रयुक्त गुप्त भाषा या राजनीतिक उद्देश्यों के लिये व्यवहृत राजनैतिक भाषा आदि।

(4) साधुता-असाधुता—इस आधार पर भाषा के विभिन्न रूपों में मुख्य हैं—साधु (शुद्ध) भाषा, असाधु (अशुद्ध) भाषा, परिनिष्ठित भाषा तथा टकसाली भाषा आदि।

NOTES

(5) प्रचलन—(क) प्रचलन में विद्यमान भाषा (जीवित भाषा) तथा (ख) प्रचलन बाह्य भाषा (मृतभाषा) कहलाती है।

(6) निर्मित—जिस भाषा का निर्माण परम्परा के द्वारा अनजाने ही हुआ है और जो सहज ही सीख ली जाती है वह भाषा अकृत्रिम या स्वाभाविक कही जाती है। इसके विपरीत जिस भाषा का निर्माण जानबूझकर किसी उद्देश्य-विशेष के लिए, किसी काल-विशेष में किया जाता है, वह भाषा कृत्रिम भाषा कहलाती है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथा अन्य अनेक आधारों पर भाषा के विभिन्न रूप दृष्टिगोचर होते हैं। भाषा के कुछ प्रमुख रूपों का परिचय देना यहाँ आवश्यक प्रतीत होता है।

(1) मूल भाषा—जिस प्रकार मानव-सृष्टि का मूल (आदि) पुरुष हम मनु को मानते हैं, उसी प्रकार आज विश्व में बोली जाने वाली भाषाओं के मूल में भी कोई एक ही भाषा रही होगी। आज उस सर्वसम्मत किसी एक ही मूल भाषा का तो ज्ञान नहीं है, किन्तु भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण के आधार के रूप में नौ-दस मूल भाषाओं को मान्यता दी गयी है। उदाहरण के रूप में आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की मूल भाषा है—भारोपीय भाषा। अर्थात् मूलभारोपीय भाषा > भारोपीय भाषाएँ > हिन्द-ईरानी भाषाएँ > वैदिक > संस्कृत > पालि > प्राकृत > अपभ्रंश > और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि मूलभारोपीय भाषा से ही हमारी आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का विकास हुआ है। आज तक जितने भी भाषा-परिवार प्रकाश में आये हैं, उन सबकी आदिभाषा, मूलभाषा कहलाती है। बिना किसी मूलभाषा के किसी भी भाषा-परिवार का अस्तित्व नहीं माना जा सकता।

(2) भाषा—सामान्यतया हम जानते हैं कि अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रूसी, चीनी, हिन्दी आदि भाषाएँ हैं। इसी प्रकार की अन्य भी सहस्रों भाषाएँ विश्व में हैं। वस्तुतः, इन्हें सापेक्षिक दृष्टि से ही 'भाषा' कहा जाता है। कुछ औसत जनसंख्या, कुछ औसत भू-भाग, बोलने वालों की कुछ औसत श्रेणी का महत्त्व, साहित्य की श्रेष्ठता, राजनीतिक उच्चता आदि के कारण ही उपर्युक्त भाषाएँ 'भाषा' कहलाती हैं। विश्व में जब किसी जन-समूह का महत्त्व, किसी भी कारण से बढ़ जाता है, तो उसकी बोलचाल की बोली, 'भाषा' कही जाने लगती है, अन्यथा यह 'बोली' ही बनी रहती है। कोई ऐसी निश्चित विभाजन रेखा इनके मध्य में नहीं है। प्रत्येक 'भाषा' पहले 'बोली' ही रही होती है। हाँ, सापेक्षता का सिद्धान्त यहाँ सदैव कार्य करता है। यहाँ भाषा के विभिन्न रूपों का तुलनात्मक परिचय ही दिया जा रहा है। 'भाषा' की परिभाषा आदि का विशेष उल्लेख अन्यत्र किया गया है।

(3) बोली, विभाषा, उपभाषा या प्रान्तीय भाषा—अंग्रेजी में इसके लिये Dialect शब्द प्रचलित है। 'भाषा की अपेक्षा 'बोली' का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्त्व कम होता है। इसे 'बोली' भी सापेक्षिक दृष्टि से ही कहा जाता है। एक भाषा की कई बोलियाँ होती हैं। कारण, 'भाषा' का क्षेत्र विस्तृत होता है और इस क्षेत्र-विस्तार के कारण विभिन्न उपक्षेत्रों में—पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा मध्य उपक्षेत्रों में—एक ही भाषा के बोलचाल के अनेक रूप हो जाते हैं। क्योंकि, पूर्व उपक्षेत्र के व्यक्ति, पश्चिम उपक्षेत्र वालों से अधिक सम्पर्क नहीं कर पाते हैं तथा उत्तर क्षेत्र वाले भी दक्षिण क्षेत्र वालों

से अधिक नहीं मिल पाते हैं। इस प्रकार उनकी भाषाओं में उपक्षेत्रीय विशेषताएँ बनी रहती हैं जिससे वे एक ही भाषा की बोलियाँ होने पर भी परस्पर भिन्न-भिन्न होती हैं। परस्पर भिन्न-भिन्न होते हुये भी वे एक ही 'भाषा' के अधीन रहती हैं और उसकी सेवा उसी प्रकार करती हैं, जिस प्रकार कि विभिन्न स्वभाव वाली सेविकाएँ एक ही रानी की सेवा करती हैं। बोली को ही विभाषा, उपभाषा या प्रान्तीय भाषा भी कहा जाता है। यहाँ 'प्रान्तीय' शब्द कुछ संकुचित अर्थ में ही प्रयुक्त है, क्योंकि दूसरे अर्थ में बङ्गला, मराठी आदि ही प्रान्तीय भाषाएँ हैं। कुछ लोग प्रान्तीय भाषा को विभाषा कहना अधिक पसन्द करते हैं तथा उसका क्षेत्र बोली की अपेक्षा कुछ विस्तृत मानते हैं।

(4) **परिनिष्ठित भाषा**—इसी को आदर्श भाषा या टकसाली भाषा भी कहा जाता है। यह एक ऐसी विशिष्ट स्तर प्राप्त (Standard) भाषा होती है कि जिसका एक क्षेत्र-विशेष के चाहे वे पृथक्-पृथक् बोली क्षेत्रों के हों, सभी शिक्षित सभ्य व्यक्ति शिक्षा-दीक्षा, साहित्य-रचना, पत्रव्यवहार आदि में प्रयोग करते हैं। यह अपने आसपास की सभी बोलियों को अत्यधिक प्रभावित करती है और कभी-कभी उन पर छा भी जाती है। इसके सम्मुख बोलियाँ महत्त्वहीन सी हो जाती हैं। व्याकरण की रचना भाषा के 'परिनिष्ठित' या 'आदर्श' रूप को ही दृष्टि में रखकर की जाती है। परिणामस्वरूप, अपने लिखित रूप में यह, विकास की दृष्टि से, बोलियों से पिछड़ जाती है। हाँ, इसका मौखिक रूप धीरे-धीरे विकसित होता रहता है।

(5) **राष्ट्रभाषा**—'आदर्श' या 'परिनिष्ठित' भाषा का जो महत्त्वपूर्ण स्थान अपने क्षेत्र की बोलियों में होता है, वही स्थान 'राष्ट्र-भाषा' का सम्पूर्ण राष्ट्र की बोलियों और भाषाओं में होता है। उपक्षेत्रों और क्षेत्रों तथा प्रान्तों में अपनी-अपनी बोलियों तथा भाषाओं का प्रयोग करते रहने पर भी राष्ट्र की एकता को ध्यान में रखते हुए, सभी राष्ट्रवासी जिस भाषा का प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए करते हैं, उसे 'राष्ट्रभाषा' कहा जाता है। राष्ट्रीय पर्वों-उत्सवों तथा राष्ट्रीय महत्त्व के अवसरों पर इसी भाषा का प्रयोग होता है। इसे राष्ट्रीय ध्वज से सम्बन्धित करके हम इसके महत्त्व को सहज ही समझ सकते हैं।

(6) **राजभाषा**—राजकीय कार्यालयों, राजाज्ञाओं आदि में प्रयुक्त भाषा ही राजभाषा कहलाती है। प्रत्येक स्वतन्त्र राष्ट्र की राष्ट्र-भाषा ही प्रायः उसकी राजभाषा होती है; क्योंकि उसी के माध्यम से वहाँ का राजकार्य चलता है। राजकीय कार्यालयों, लेखों और पत्रव्यवहार में उसी का प्रयोग होता है। राजाज्ञाएँ उसी में प्रसारित होती हैं। किन्तु परतन्त्रता-काल में राष्ट्रभाषा तथा राज्यभाषा भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिये स्वतन्त्र भारत में तो राष्ट्रभाषा तथा राजभाषा हिन्दी ही है, किन्तु मुगलों के शासनकाल में राष्ट्रभाषा हिन्दी होते हुए भी राजभाषा फारसी थी। इसी प्रकार अंग्रेजों के शासनकाल में भी हमारी राष्ट्र-भाषा तो हिन्दी ही थी, किन्तु राजभाषा अंग्रेजी थी।

(7) **अन्तर्राष्ट्रीय भाषा**—इसी प्रकार शासन या अन्य किसी प्रभाव से जब किसी भाषा का प्रयोग एक से अधिक राष्ट्रों में होने लगता है, तो उसे अन्तर्राष्ट्रीय भाषा का पद प्राप्त हो जाता है; उदाहरणार्थ, आजकल अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रीय भाषा है। यद्यपि अंग्रेजी को वह पद शासन के बल पर ही प्राप्त हुआ था, किन्तु आजकल ज्ञान-विज्ञान का माध्यम होने के कारण ही वह अपने इस पद को बनाये हुए है।

(8) **कृत्रिम भाषा**—वैसे तो किसी भी मनुष्य-समूह द्वारा अपने निजी या सीमित व्यवहार के लिए कुछ विशेष नियमों के आधार पर बनायी गयी, कोई भी भाषा 'कृत्रिम-भाषा' कहला सकती है—जैसे, गुप्त वार्ता के लिए कुछ लोग आपसी भाषा बना लेते हैं; किन्तु यहाँ एक उच्च आदर्श को दृष्टि में रखकर डॉ. जमेनहॉफ (Dr. Zamenhof) द्वारा निर्मित 'एसपिरैण्टो' या 'एसपिरैन्तो' नाम की 'कृत्रिम-भाषा' की चर्चा

आवश्यक है। इसका निर्माण 'विश्व-भाषा' के रूप में किया गया था, जिसमें सभी देशों के वासी सरलतापूर्वक व्यवहार कर सकें और जिससे विश्वबन्धुत्व की स्थापना हो सके। सन् 1880 ई. के लगभग इसका पर्याप्त प्रचलन हुआ। विश्व के 32 देशों में इसका विधिवत् पठन-पाठन होने लगा था। लीवरपुल, जेनेवा और क्रेकारु (Cracow) विश्वविद्यालयों में 'एसपिरैण्टो' भाषा के लिए प्रोफेसरों के पद बना दिये गये थे। रूस जैसे बड़े देश ने इसको सरकारी तौर पर स्वीकृत एवं संरक्षण प्रदान कर दिया था। किन्तु, बाद में इसका प्रचार एवं व्यवहार कम हो गया। आज तो यह केवल कृत्रिम-भाषा का उदाहरण ही बनकर रह गयी है।

भाषा की उत्पत्ति एवं विकास (Origin and Development of Language)

भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न का सम्बन्ध मनुष्य की बोल पाने की शक्ति से न होकर इस बात से है कि मनुष्य ने अपने द्वारा उच्चरित ध्वनियों का सम्बन्ध विभिन्न वस्तुओं से, सर्वप्रथम कब स्थापित किया? अर्थात् "इन-ध्वनियों का संकेत इस पदार्थ में होगा या इस शब्द का यह अर्थ होगा।"—मानव ने यह निश्चित इतिहास के किस काल में किया? क्योंकि मनुष्य द्वारा भाषा की उत्पत्ति उसी रूप में सम्भावित है, अन्यथा अन्य पशु-पक्षियों की भाँति; केवल ध्वनि उत्पन्न होने की शक्ति तो उसमें भी जन्म से ही रही होगी।

वास्तव में देखा जाय तो 'भाषा की उत्पत्ति' का विचार ही भाषाविज्ञान के विषय-क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है। कारण, किसी भी विज्ञान की भाँति भाषाविज्ञान का कार्य भी प्रस्तुत सामग्री का विवेचन-विश्लेषण ही होता है, उसका कार्य केवल प्रस्तुत या प्रत्यक्ष विषयवस्तु पर विचार करना ही है, जबकि भाषा की उत्पत्ति-सम्बन्धी जितने भी विचार आज तक व्यक्त किये गये हैं, वे सब के सब अनुमान पर ही आधारित हैं। अनुमान पर आधारित विचार, सीधे दर्शन से सम्बन्ध रखते हैं किसी विज्ञान से नहीं। अतः, भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न भी सीधे दर्शन, मानव-विज्ञान या समाजविज्ञान से जुड़ा हुआ है, भाषाविज्ञान से नहीं।

यही कारण है कि आज से लगभग 130 वर्ष पूर्व, सन् 1866 ई. में ही पेरिस (फ्रांस) में स्थापित "भाषाविज्ञान समिति" ने अपने विधान में यह स्पष्ट व्यवस्था कर दी थी कि इस समिति के तत्त्वाधान में भाषा की उत्पत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार स्पष्ट है कि 'भाषा की उत्पत्ति' पर विचार करना आजकल भाषाविज्ञान का विषय नहीं माना जाता, तथापि इस सम्बन्ध में मनुष्य की स्वाभाविक जिज्ञासावृत्तिवश जो विचार व्यक्त किये गये हैं, उनके ऐतिहासिक महत्त्व के कारण उन्हें यहाँ संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है।

भाषा की उत्पत्ति पर विचार के दो मार्ग

भाषा की उत्पत्ति पर विचार के लिए विद्वानों ने दो मार्गों का आश्रय लिया है—(1) प्रत्यक्ष मार्ग (Deductive method) तथा (2) परोक्ष मार्ग (Inductive Method)। प्रत्यक्ष मार्ग में भाषा की आदिम अवस्था की ओर से चलकर उसकी आज तक की विकसित दशा का विचार किया जाता है तथा परोक्ष मार्ग में, इसके विपरीत भाषा की आज की विकसित अवस्था से पीछे की ओर चलते हुए भाषा की आदिम अवस्था का विचार किया जाता है।

भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में परोक्ष मार्ग की व्यर्थता

आजकल विकास की तीव्र गति को देखते हुए भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में परोक्ष मार्ग की चर्चा करना व्यर्थ—सा ही प्रतीत होता है। कारण, परोक्ष मार्ग में बच्चों की भाषा, आदिम जातियों की भाषा या आधुनिक भाषाओं का इतिहास आदि, जिसको भी विचार—सामग्री के रूप में अपनाया जाता है, उससे भाषा की उत्पत्ति का अनुमान करना आज व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है। कारण, आज के बच्चे भाषा को जिस तीव्र गति से सीखते हैं या आज की तथाकथित आदिम जातियों की भाषाएँ विकास की जितनी सीढ़ियाँ पार कर चुकी हैं या आज की भाषाओं का इतिहास जिस तीव्र गति से विकसित हो रहा है, उनकी वही अवस्था, भाषा की आदि-उत्पत्ति के समय नहीं रही होगी। अतः, जिन विद्वानों ने भाषा की उत्पत्ति के समाधान के लिए 'परोक्ष मार्ग' की चर्चा अपने ग्रन्थों में की है, वह केवल परम्परा का निर्वाह मात्र ही है।

NOTES

प्रत्यक्ष मार्ग के अनुसार भाषा की उत्पत्ति एवं विकास

प्रत्यक्ष मार्ग में भाषा की उत्पत्ति तथा विकास से सम्बन्धित निम्नलिखित सिद्धान्तों का उल्लेख प्रमुख रूप से किया जाता है—

(1) **दैवी सिद्धान्त (Divine-theory)**—इसके अनुसार भाषा की उत्पत्ति ईश्वर द्वारा हुई है। अर्थात् ईश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की थी, तभी उसे पूर्णतया विकसित भाषा भी उसने प्रदान कर दी थी। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक धर्म वालों के द्वारा अपनी भाषा को ही 'आदिम भाषा' स्वीकार किया जाता है। अर्थात् वैदिक धर्मावलम्बियों के अनुसार वैदिक या संस्कृत को, बौद्धों के अनुसार पालि को, जैनियों के अनुसार अर्धमागधी को, सिक्खों के अनुसार पंजाबी को, ईसाइयों के अनुसार हिब्रू या ईब्रानी को तथा मुसलमानों के अनुसार अरबी को ही, जो उन-उन के धार्मिक ग्रन्थों की भाषा है, आदिम भाषा माना जाता है तथा उस से विश्व की अन्य भाषाओं का विकास स्वीकार किया जाता है।

उपर्युक्त भावना से, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन प्रायः सभी धर्मों के धार्मिक ग्रन्थों में पाया जाता है, उदाहरणार्थ, वैदिक धर्मावलम्बियों के अनुसार 'ऋग्वेद' में कहा गया है कि—

“दैवी वाचमजनन्यत देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति।”—ऋ.8/100/11

अर्थात् देवों ने वाणी (वाक् = भाषा) को उत्पन्न किया तथा सब प्राणी उस (ही) को बोलते हैं।

इसी प्रकार महावैयाकरण पाणिनि की अष्टाध्यायी के आधारभूत 14 प्रत्याहार सूत्रों को भी माहेश्वर-सूत्र अर्थात् शिवजी द्वारा उत्पन्न किया गया माना जाता है। अतः, वैदिक धर्मावलम्बियों के अनुसार संस्कृत, जिसे देववाणी या अमरवाणी भी कहा जाता है, ही वह आदिम भाषा सिद्ध होती है, जिसे ईश्वर ने सर्वप्रथम उत्पन्न किया था तथा जिससे विश्व की अन्य भाषाएँ विकसित हुई हैं।

प्रायः, इसी प्रकार के वाक्य सभी धर्मावलम्बी अपनी भाषा को दैवी सिद्ध करने के लिए, अपने-अपने धर्म-ग्रन्थों से उद्धृत करते हैं।

(2) **संकेत-सिद्धान्त (Symbolic Theory)**—इसे 'निर्णय-सिद्धान्त' भी कहा जाता है। इसके सर्वप्रथम प्रतिपादक फ्रांसीसी विचारक 'रूसो' (Rousseau) हैं। संकेत-सिद्धान्त के अनुसार आदिम मानव अपने मनोभावों को आंगिक संकेतों के द्वारा व्यक्त किया करता था, किन्तु बाद में कठिनाई उपस्थित होने पर

सामाजिक समझौते के आधार पर उसने विभिन्न-भावों, विचारों तथा पदार्थों के लिये विभिन्न ध्वन्यात्मक संकेत निश्चित कर लिये। यह कार्य सभी मनुष्यों ने किसी स्थान पर एकत्र होकर पारस्परिक विचार-विनिमय द्वारा किया। और, इस प्रकार सामाजिक पृष्ठभूमि में सांकेतिक संस्थान द्वारा भाषा की उत्पत्ति हुई।

NOTES

इस संकेत-सिद्धान्त के आधार पर आगे 'रिचर्ड', 'रॉव' तथा 'जोहान्सन' आदि विद्वानों ने **इङ्गित-सिद्धान्त** (Gestural theory) का प्रतिपादन किया जो, संकेत-सिद्धान्त की अपेक्षा कुछ अधिक परिष्कृत होते हुए भी लगभग इसी मान्यता को प्रकट करता है।

(3) **धातु-सिद्धान्त या अनुरणन-सिद्धान्त** (Root-theory or Ding-dong theory)—इसके मूल प्रवर्तक महान् विचारक 'प्लेटो' थे बाद में, जर्मन विद्वान् 'हैज' (Heyse) तथा उनके भी बाद 'मैक्समूलर' ने इसे व्यवस्थित रूप दिया। इस सिद्धान्त के अनुसार भाषा मनुष्य की स्वाभाविक प्रतिभा की देन है। अनुभव से हम यह जानते हैं कि चोट करने पर लोहा, लकड़ी, पत्थर आदि पदार्थों से भिन्न-भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। प्रारम्भिक मानव में भी ऐसी सहज शक्ति थी कि जब वह किसी बाह्य वस्तु के सम्पर्क में आता था, तो उससे उत्पन्न ध्वनियों (अनुरणन) की छाप उस पर पड़ती थी। उन ध्वनियों का अनुकरण करते हुए उसने कुछ सौ (400 या 500) मूल-धातुओं (मूल शब्दों) का निर्माण कर लिया। जब कुछ कामचलाऊ धातु बन गये और इस प्रकार मनुष्य को भाषा प्राप्त हो गयी, तो उसकी वह नये-नये धातु बनाने वाली सहज शक्ति नष्ट हो गयी। तत्पश्चात् वह उन्हीं मूल धातुओं से नये-नये शब्द बनाकर काम चलाने लगा।

(4) **अनुकरण-सिद्धान्त** (Bow-Wow-Theory)—'ह्विटनी', 'पॉल', 'हर्डर' आदि विद्वान् इस सिद्धान्त को मानने वालों में प्रमुख हैं। 'मैक्समूलर' ने इस सिद्धान्त का उपहास करने के लिये ही इसे 'बाऊ-वाऊ-सिद्धान्त' कहा था, जो कि कुत्ते की बोली का सूचक है। वैसे अंग्रेजी में इसके लिये 'ऑनमोटोपोयक (Onomatopoeic) या 'ईकोइक' (Echoic) शब्द प्रचलित है। हिन्दी में इसे 'अनुकरणमूलकतावाद' भी कहा जाता है। जिस प्रकार अनुरणन सिद्धान्त में यह माना जाता है कि मनुष्य ने जड़ पदार्थों से उत्पन्न ध्वनियों का अनुकरण किया, उसी प्रकार अनुकरण सिद्धान्त में यह माना जाता है कि मनुष्य ने जड़-चेतन सभी पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण करते हुए पहले कुछ शब्द बना लिये और फिर उन्हीं शब्दों से अन्य शब्द बनाते हुए भाषा का विकास कर लिया। मनुष्य ने जिस पदार्थ अथवा प्राणी की जैसी ध्वनि सुनी, उसी का अनुकरण करते हुए उसने उसी ध्वनि के आधार पर उस-उस वस्तु या प्राणी का नामकरण कर दिया। उदाहरण के लिये, भाषा में 'काक', 'कोकिल', 'भौं-भौं', 'म्याऊँ', 'कुक्कुट', 'दुर्दुर', 'निर्झर', 'मर्मर', 'तड़तड़', 'भर्भर', 'मिमियाना', 'गरजना', 'दहाड़ना', 'टपकना', 'चहकना', 'चहचहाना', तथा 'हिनहिनाना' आदि अनेक शब्द इसी प्रकार के हैं।

(5) **आवेग सिद्धान्त** (Pooh pooh-theory or Interjectional-Theory)—हिन्दी में इसे 'मनोरागाभिव्यंजकशब्दमूलकतावाद' या 'मनोभावाभिव्यंजकतावाद' भी कहा जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार आदिकाल का भावुक मानव भावावेश या भावावेग में हर्ष, शोक, क्रोध, विस्मय, घृणा आदि की व्यंजक जिन ओह, 'आह', 'हाय', 'ओफ', 'धिक्', 'छिः', 'पूह (pooh)', 'पिश (Pish)', 'फाइ (Fie)', आदि ध्वनियों को उत्पन्न करता था, आगे चलकर उन्हीं से भाषा का विकास हुआ। उदाहरणार्थ 'धिक्' से 'धिक्कार', 'धिक्कारना', धिक्-धिक् करना आदि अनेक शब्द जिस प्रकार से बन गये, उसी प्रकार अन्य शब्दों से भी अनेक शब्द बन गए होंगे।

वस्तुतः, भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक उलझा हुआ ही है। भविष्य में भी इसका कोई समाधान हो सकेगा, यह आशा प्रतीत नहीं होती। कारण, इसमें कोई भी प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है तथा अनुमान प्रमाण का विज्ञान में कोई महत्त्व नहीं है। यही कारण है कि फ्रांस की भाषाविज्ञान समिति, ने अपने कार्यक्रमों में 'भाषा की उत्पत्ति' के विचार पर सदैव के लिए प्रतिबन्ध लगा दिया था।

NOTES

भाषा-परिवर्तन (Change in the Language)

जब विश्व और उसकी प्रत्येक वस्तु ही परिवर्तनशील है, तब भाषा भी अपरिवर्तित कैसे रह सकती है? कुछ विद्वान् भाषा की इस परिवर्तनशीलता को भाषा का विकास कहना ही उपयुक्त मानते हैं।

परिवर्तनशीलता भाषा की एक प्रमुख प्रवृत्ति है।

जिस प्रकार निरन्तर प्रवाहशीला नदी की धारा अविच्छिन्न होते हुये भी ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती है, त्यों-त्यों बदलती जाती है, उसी प्रकार भाषा की धारा को भी समझना चाहिए। वह भी आगे बढ़ने के साथ-साथ बदलती रहती है। कहावत है—“चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर बानी।” हम प्रायः अनुभव करते हैं कि जिस स्थान पर हम निवास करते हैं, यदि उसे केन्द्रबिन्दु मान लें, तो उस स्थान से चारों दिशाओं में थोड़े-थोड़े स्थान-भेद से भाषा में भी भेद होता जाता है। 'बोली' तथा 'भाषा' का भेद इसी आधार पर किया जाता है। वस्तुतः तो एक स्थान ही नहीं, एक व्यक्ति की भाषा में भी शनैः-शनैः, अनजाने ही परिवर्तन होता रहता है। अतः किसी भी भाषा का रूप 50-100 वर्षों में ही इतना परिवर्तित हो जाता है कि उसका भली-भाँति विश्लेषण किया जा सकता है।

भाषा में यह परिवर्तन उसके प्रत्येक अङ्ग में होता है, अर्थात् ध्वनि, पद (शब्द) वाक्य-रचना तथा अर्थ, सभी में परिवर्तन होता है। सर्वाधिक परिवर्तन भाषा के शब्द-भण्डार में होता है। कार्य से काज, दूर्वा से दूब, बिन्दु से बूँद, वज्राङ्ग से बजरंग, वार्ता से बात, आदि सभी ध्वनि-परिवर्तन के सूचक हैं। इसी प्रकार 'उपाध्याय' से 'झा', 'द्विवेदी' से 'दूबे', 'चतुर्वेदी' से 'चौबे' भी इसी परिवर्तन का परिणाम हैं। 'असुर' शब्द का अर्थ पहले 'प्राणवान् या देवता' था, किन्तु बाद में परिवर्तित होकर 'राक्षस' हो गया। समय-समय पर भाषा में कुछ शब्द प्रयोग से बाहर हो जाते हैं; जैसे, अनेक वैदिक शब्द 'मूर', 'अक्तू' आदि बाद की संस्कृत में प्रयुक्त नहीं हुए हैं। इसी प्रकार कुछ नये शब्द भाषा में प्रविष्ट हो जाते हैं। गाँधी जी के समय में सत्याग्रह, आन्दोलन आदि शब्द हिन्दी भाषा में आये। 'संविद' 'मीसा', 'आँसुका' आदि शब्द भी हिन्दी में अभी कुछ समय पहले ही आये हैं।

भाषा की परिवर्तनशीलता तथा भारतीय आर्यभाषा

वस्तुतः, भाषा एक अविच्छिन्न धारा-प्रवाह है। वह सदा प्रवाहमयी बनी रहती है। यदि ऐसा न हो तो नयी पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी की भाषा को सीखने में अवश्य ही कठिनाई का अनुभव होने लगे। जिस प्रकार किसी नदी में बहने वाला जल वही जल नहीं रहता, जो कि मूलस्रोत से निकला होता है। उसके मूलस्रोत वाले जल में शनैः-शनैः कमी होती रहती है तथा उसमें मार्ग के अनेक नदी-नालों का जल भी मिलता रहता है, और इस प्रकार उसका रूप बदलता रहता है। उसी प्रकार भाषा की मूलधारा के स्वरूप में भी सदैव परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण के लिये, यदि भारतीय आर्यभाषा पर दृष्टिपात करें, तो उसके प्राचीनकाल से लेकर वर्तमान काल तक के अनेक रूप हमारी दृष्टि में आते हैं; जैसे—वैदिक > संस्कृत > पालि > प्राकृत > अपभ्रंश > तथा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएँ हिन्दी, मराठी आदि।

इनमें से भी यदि प्रत्येक पर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें, तो वैदिक भाषा के भी एक से अधिक रूप दृष्टिगोचर होते हैं। क्योंकि, ऋग्वेद के, प्राचीनकाल में रचित सूक्तों की भाषा भी ऋग्वेद के अर्वाचीन काल में रचित सूक्तों की भाषा से भिन्न है। इसी प्रकार ब्राह्मण-ग्रन्थों की संस्कृत तथा कालिदास के ग्रन्थों में भी भिन्नरूपता है।

जनभाषा (बोली) तथा साहित्यिक भाषा का सम्बन्ध

जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, 'संस्कृत', 'प्राकृत' आदि, भारतीय आर्यभाषा की उन विशेष-विशेष अवस्थाओं के नाम हैं, जिनमें तत्कालों में उन-उन विशेष साहित्यों की रचना हुई है। इस प्रकार संस्कृत आदि, अपने समय की बोलचाल की भाषा के ही साहित्यिक रूप हैं। दूसरे शब्दों में, हम उन्हें साहित्यिक भाषाएँ कह सकते हैं। डॉ. मङ्गलदेवशास्त्री ने इन्हें "प्राचीन परिष्कृत या उत्कृष्ट भाषा" कहा है। ऐसी भाषा को स्पष्ट करते हुए पुनः उन्होंने लिखा है— "प्राचीन परिष्कृत तथा उत्कृष्ट भाषा से आशय ऐसी प्राचीन साहित्य-सम्पन्न भाषा का है, जो अपने व्याकरण और लिखित वर्णानुपूर्वी (या हिज्जों) के नियमों से बद्ध होने के कारण चिरकाल तक एक रूप में स्थिर रह सकती है। उच्चकोटि के साहित्य से सम्पन्न होना ऐसी भाषा के लिए आवश्यक है। उसकी स्थिरता का मुख्य कारण भी यही होता है।"

उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि 'संस्कृत' आदि साहित्यिक भाषाएँ हैं तथा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण के कारण ये अपेक्षाकृत स्थिर प्रतीत होती हैं, किन्तु पूर्णतया स्थिर नहीं हैं। क्योंकि, जब आगे आने वाली पीढ़ियाँ ऐसी भाषाओं का उच्चारण करती हैं, तो इस उच्चारण के कारण उनमें भी परिवर्तन तो हो ही जाता है। तथापि, अपेक्षाकृत स्थिरता के कारण साहित्यिक भाषाओं की तुलना प्रायः सरोवर के बँधे पानी से की जाती है, जिसका प्रवाह रुका रहता है।

इस प्रकार, बोलचाल की भाषा जहाँ निरन्तर विकासशील होती है, वहाँ साहित्यिक भाषा का विकास रुक जाता है। परिणामस्वरूप, साहित्यिक भाषा से फिर किसी भाषा का विकास नहीं होता है। दूसरे शब्दों में, उससे कोई भाषा नहीं निकलती। दूसरी ओर, बोलचाल की भाषा सदैव विकसित होती रहती है, उसका रूप सदैव बदलता रहता है।

भाषा-परिवर्तन के कारण

यह ज्ञात होने पर कि भाषा में परिवर्तन होता रहता है, यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक ही है कि भाषा-परिवर्तन के मूल में कौन-कौन से कारण हैं। क्योंकि, बिना कारण के तो कोई भी कार्य नहीं होता है।

यद्यपि यह कहना पूर्णतया कठिन है कि भाषा-परिवर्तन के मात्र इतने ही कारण हैं। अधिक खोजबीन करने पर इनकी संख्या में परिवर्तन हो सकता है, तथापि अभी तक भाषा-परिवर्तन के जो कारण प्रकाश में आये हैं, वे ही यहाँ उल्लेख्य हैं।

भाषावैज्ञानिकों ने भाषा-परिवर्तन के कारणों को प्रथमतः (अ) आभ्यन्तर तथा (ब) बाह्य—इन दो भागों में विभाजित किया है—

(अ) आभ्यन्तर या आन्तरिक कारण—वे कारण जो किसी भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों में ही रहते हैं। ये कारण प्रायः व्यक्ति के उच्चारण-अवयवों, श्रवण अवयवों तथा इनके साथ सहयोग करने वाले व्यक्ति के मस्तिष्क आदि से सम्बन्ध रखते हैं, जैसे—

- (1) अनुकरण की अपूर्णता,
- (2) प्रयत्नलाघव,
- (3) मात्रा-सुर-बलाघात,
- (4) भावावेश,
- (5) सादृश्य या मिथ्यासादृश्य, आदि।

(ब) बाह्य कारण—वे कारण, जो किसी भाषा को बोलने वाले व्यक्तियों के चारों ओर विद्यमान वातावरण या परिवेश से सम्बन्ध रखते हैं तथा जिनसे भाषा अनजाने ही प्रभावित होती रहती है; जैसे—

- (1) भौगोलिक प्रभाव,
- (2) ऐतिहासिक प्रभाव,
- (3) सांस्कृतिक प्रभाव,
- (4) सामाजिक प्रभाव,
- (5) वैयक्तिक प्रभाव या व्यक्तित्व-विशेष का प्रभाव
- (6) जाति-विशेष का प्रभाव,
- (7) साहित्यिक प्रभाव,
- (8) वैज्ञानिक प्रभाव, आदि-आदि।

भाषा की सामान्य विशेषताएँ तथा प्रवृत्तियाँ

विश्व की सभी भाषाओं में जो प्रवृत्तियाँ सामान्यरूप से पायी जाती हैं, यहाँ उनका परिचय, संक्षेप में, प्रस्तुत किया जा रहा है। भाषा की प्रमुख प्रवृत्ति परिवर्तनशीलता का परिचय पहले विस्तारपूर्वक दिया जा चुका है। अन्य प्रवृत्तियों का परिचय यहाँ प्रस्तुत है—

(1) भाषा सामाजिक सम्पत्ति है।

भाषा का मुख्य उद्देश्य ही सामाजिक व्यवहार है। अकेले व्यक्ति को तो भाषा की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। अतः, जहाँ समाज होता है वहीं भाषा होती है। समाज में, परस्पर व्यवहार में ही भाषा का विकास होता है तथा भाषा में नयी ध्वनियाँ, नये शब्द तथा वाक्यविन्यास की नयी शैलियाँ विकसित होती हैं।

कोई भी नवजात शिशु किसी भी भाषा को नहीं बोलता है। प्रत्येक बालक अपने आस-पास के समाज से ही भाषा सीखता है। अतः, हम कह सकते हैं कि भाषा कोई जन्म से प्राप्त वस्तु नहीं है। हाँ, भाषा को सीखने की शक्ति या भाषणशक्ति तथा भाषणावयव—मुख, जिह्वा आदि अवश्य ही मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं। समाज में सबसे पहले बालक का सम्पर्क अपनी माता से ही होता है, शैशवावस्था तक वह उसी के निकट सम्पर्क में रहता है। अतः, उसकी सर्वप्रथम भाषा-गुरु भी माँ ही होती है। माँ की ही भाषा बालक सर्वप्रथम सीखता है। मातृभाषा का यही तात्पर्य है।

इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि बच्चा, जिस समाज में जन्मता-पलता है, वह उसी समाज की भाषा को सीखता-बोलता है। परीक्षणों से यह भी ज्ञात हुआ है कि जिन बच्चों को समाज से दूर रखा गया है, वे

किसी भी भाषा को बोलने में असमर्थ रहे हैं। मिस्र में राजा 'सेमेटिकस' तथा भारत में सम्राट 'अकबर' द्वारा मानव-सम्पर्क से दूर रखे गये बच्चों के उदाहरण तथा भेड़िया और जङ्गली जीवों द्वारा उठाये गये बच्चों के उदाहरण इस विषय में प्रायः दिये जाते हैं।

NOTES

(2) भाषा व्यक्तिगत वस्तु नहीं है।

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भाषा समाज की सम्पत्ति है। अतः, भाषा का निर्माण भी समाज ही करता है। सामाजिक स्वीकृति के बिना भाषा का निर्माण तो दूर, उसमें थोड़ा-सा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, प्रतिभाशाली साहित्यकार या प्रभावशाली समाजसेवक भाषा में गिने-चुने शब्दों का योगदान कर सकता है, किन्तु इतने मात्र से ही तो कोई व्यक्ति भाषा का निर्माता नहीं बन सकता। भाषा में जो परिवर्तन होता है वह व्यक्तिगत नहीं अपितु समाजगत ही होता है। हाँ, किसी भाषा का व्याकरण कोई व्यक्ति अवश्य बना सकता है।

(3) भाषा अर्जित सम्पत्ति है, परम्पराप्राप्त नहीं।

भाषा सामाजिक तथा परम्परागत वस्तु होते हुए भी किसी व्यक्ति को, पैतृक सम्पत्ति की भाँति, जन्म से ही स्वतः ही, प्राप्त नहीं होती। मनुष्य को, भाषा को अपने प्रयास से सीखना पड़ता है। समाज भाषा के अर्जन में व्यक्ति की सहायता अवश्य करता है और इस रूप में व्यक्ति अपने माता-पिता आदि से भाषा, सीखता ही है। किन्तु, जिस प्रकार, बिना प्रयास किये भी, माता-पिता की भौतिक सम्पत्ति सन्तान को प्राप्त हो जाती है, उस रूप में उसे भाषा प्राप्त नहीं हो सकती। हाँ, माता-पिता या समाज के सहयोग से, अनायास या किसी श्रम का अनुभव किये बिना ही व्यक्ति भाषा को सीख लेता है। भाषा का सामाजिक व्यवहार इसमें व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है, किन्तु उसका अनुकरण व्यक्ति को ही स्वयं करना पड़ता है।

संक्षेप में, क्योंकि भाषा को सीखकर उसका अर्जन करना पड़ता है, अतः भाषा का, अर्जित सम्पत्ति होने का यही प्रमाण है। भाषा की इस विशेषता के अनुसार व्यक्ति अपनी मातृभाषा के समान ही दूसरी अनेक भाषाओं का भी अर्जन कर सकता है। भाषा के प्रसंग में सम्पत्ति का अभिप्राय केवल इतना ही है कि इसके द्वारा जीवनयात्रा सरल हो जाती है।

(4) भाषा सर्वव्यापक होते हुए भी स्थानीकृत होती है।

जहाँ-जहाँ मनुष्य है, उसका समाज है, वहाँ सर्वत्र भाषा विद्यमान है। अकेला व्यक्ति यद्यपि बोलता नहीं है, तथापि अपनी मानसिक विचारधारा में तो वह भाषा का आश्रय लेता ही है। महान् मनीषी 'भर्तृहरि' ने इसी रूप में शब्द-ब्रह्म का प्रतिपादन किया है—

“ना सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।

अनुबिद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते”।।

—वाक्यपदीय,

ब्रह्मकाण्ड

अर्थात् विश्व में ज्ञात ऐसा कोई विषय नहीं है, जो शब्द (भाषा) का आश्रय न लेता हो। सम्पूर्ण ज्ञान शब्द से अनुस्यूत हुआ-सा ही प्रतीत होता है।

इसके अतिरिक्त भाषा के द्वारा लोक-यात्रा भी सहज हो जाती है—

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

“वाचमेव प्रसादेन लोकयात्रा प्रवर्तते।”

—काव्यादर्श

तथा भाषा के द्वारा पदार्थों के विषय में व्यवहार करने में सफलता हो जाती है—

“अणीयस्त्वाच्च शब्देन सञ्जाकरणं व्यवहारार्थं लोके।”

निरुक्त, प्रथम अध्याय, प्रथम पाद।

अतः, लोकयात्रा में सहायक होने के कारण भाषा सर्वव्यापिनी है।

भाषा के सर्वव्यापक होने पर भी हम देखते हैं कि सभी मनुष्य एक ही भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। भारत, जर्मन, रूस, अमेरिका आदि देशों में भिन्न-भिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। हमारे देश भारत में ही अनेक भाषाएँ हैं। फिर थोड़े-थोड़े स्थानभेद से भी भाषा-भेद हो जाता है। इसी भाषा-भेद को भाषा का स्थानीकृत रूप कहा जाता है। इस स्थानीकरण का मुख्य आधार भौगोलिक होता है। आधुनिक भारतीय आर्यभाषा में बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी आदि भेद स्थानीकृत ही हैं। कभी-कभी इससे छोटे भूभागों में भी भाषा स्थानीकृत हो जाती है।

(5) भाषा का आरम्भ वाक्यों से हुआ है।

हम भाषा का प्रयोग अपने भावों या विचारों को प्रकट करने के लिये ही करते हैं। भाव या विचार एक सम्पूर्ण इकाई है, जिसे खण्डों में विभाजित नहीं किया जा सकता। हमारे विचार की ही अभिव्यक्ति वाक्य के द्वारा होती है। संक्षेप में, विचार का ही बाह्य रूप वाक्य होता है तथा वाक्य का ही आन्तरिक रूप विचार होता है।

अतः, विचार की अभिव्यक्ति वाक्य द्वारा ही हो सकती है, न कि पद द्वारा। यद्यपि कभी-कभी, संक्षेप की दृष्टि से, केवल एकपद—‘जाओ’, ‘गाओ’ आदि का भी प्रयोग हम करते हैं, किन्तु ऐसे प्रयोगों में एक पद भी पूरे वाक्य का ही कार्य करता है। क्योंकि, उसके द्वारा ही हमारा पूरा विचार प्रकट हो जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई रुग्ण, दुर्बल, वृद्ध व्यक्ति रोगशय्या पर पड़ा ‘पानी’ कहता है, तब उसका तात्पर्य यही होता है कि ‘मुझे पानी पिलाओ’।

इसी प्रकार लम्बे वाक्यों का प्रयोग करने में असमर्थ छोटे शिशु भी प्रायः वाक्यों के स्थान पर पदों का ही प्रयोग करते हैं। किसी दूसरी भाषा में अविदग्ध या अनिपुण व्यक्ति तो प्रायः शब्दों (विभक्ति-रहित पदों) के प्रयोग से ही वाक्यों का काम लेते हैं। कोई अंग्रेज व्यक्ति भारत में आकर यहाँ की भाषा को न जानने के कारण केवल ‘पानी’ शब्द द्वारा ही अपनी पानी की इच्छा को व्यक्त कर सकता है।

संसार की आदिम जातियों की भाषाओं को देखने से भी यह बात पुष्ट होती है कि भाषा का आरम्भ वाक्यों से ही हुआ है। उदाहरणार्थ, उत्तरी अमरीका के आदिवासियों की भाषा, ‘चेरोकी’ (cheroki) में 13 ऐसी वाक्य-स्वरूप क्रियाएँ हैं, जो विभिन्न प्रकार के ‘धोने’ के अर्थ को प्रकट करती हैं, ‘हाथ धोना’ वस्त्र धोना, ‘सिर धोना’ आदि-आदि। इन वाक्य-स्वरूप क्रियाओं में से केवल ‘धोना’ को प्रकट करने वाले वाक्यांश का ज्ञान अभी तक नहीं हो सका है।

NOTES

इसी प्रकार उत्तरी अमरीका के 'रेड इण्डियन्स' की भाषाओं में भी ऐसे अनेक वाक्यों का प्रयोग होता है, जो देखने में शब्द-सदृश होते हैं और जिन्हें हम वाक्य-शब्द कह सकते हैं। उनकी प्राचीन भाषा 'हुरोन-इरोक्वो' (Huron Iroquios) भाषा ऐसी ही है।

NOTES

अधिक क्या, बोलते समय प्रायः सभी व्यक्ति पदों को पृथक्-पृथक् न बोलकर एक वाक्य के रूप में ही बोलते हैं। वक्ता अपने अभिप्राय को प्रायः एक ही साथ वाक्य के रूप में प्रकट करता है। लिखते समय पदों के मध्य जो स्थान छोड़ा जाता है; वस्तुतः, बोलते समय वैसा हम नहीं करते हैं। यही कारण है कि 'सब ही' को सभी या 'अब ही' को अभी बोला तथा सुना जाता है।

निष्कर्ष यह है कि भाषा की आरम्भिक दशा में वाक्यों का ही प्रयोग होता है, वाक्य का पदों में विश्लेषण, बाद में भाषा पर विचार करने वाले वैयाकरणों द्वारा ही किया जाता है। जिन भाषाओं में अभी व्याकरण का विकास नहीं हुआ है, उन्हें देखने से यह तथ्य नितान्त स्पष्ट हो जाता है। अतः, भाषा का चरम अवयव वाक्य ही है, पद नहीं। भर्तृहरि ने 'वाक्यपदीय' में स्पष्ट कहा है—

“वाक्यात्पदानामत्यन्तं प्रविवेको न कश्चन” — 1/731

अर्थात् वाक्य से पृथक् पदों का कोई अस्तित्व नहीं है।

(6) व्यावहारिक दृष्टि से भाषा का चरम अवयव पद (शब्द) है।

यद्यपि तात्पर्य प्रकट करने की (पारमार्थिक) दृष्टि से भाषा का चरम अवयव वाक्य ही है, किन्तु व्यवहार में हम देखते हैं कि वाक्य का विश्लेषण पदों में किया जाता है। किसी भी, ऐसी भाषा में जिसका व्याकरण बन चुका है, वैयाकरणों का मुख्य उद्देश्य ही यह होता है। अन्य तथ्यों से भी इस बात का समर्थन होता है—

(क) व्यवहार में वस्तुओं या पदार्थों के लिए हम संज्ञा पदों का प्रयोग करते हैं, जो वाक्य जैसे दिखलाई नहीं पड़ते; जैसे गाय, घोड़ा, कौवा आदि। यही बात गुणवाची शब्दों के विषय में भी कही जा सकती है; जैसे काला, पीला, कडुवा, मीठा, नमकीन आदि।

(ख) भाषा को सीखते समय एक-एक शब्द (पद) को हम सीखते तथा स्मरण करते हैं।

(ग) शब्द-कोशों में, भाषा में प्रयुक्त शब्दों का ही संग्रह होता है, न कि वाक्यों का।

(घ) सामान्य दृष्टि से शब्दों को वाक्य का स्वतन्त्र चरम अवयव तथा वाक्य को शब्दों का समूह समझा जाता है—

“पदसमूहो वाक्यम् अर्थपरिसमाप्तौ” —न्यायवात्स्यायनभाष्य

(ङ) कोई भी भाषा-विशेष से परिचित व्यक्ति सहज ही वाक्य को पदों में या शब्दों में विभाजित कर लेता है। वाक्य-विशेष में कितने पद या शब्द हैं, यह जानने-बतलाने में उसे कठिनाई नहीं होती।

(च) सन्धि-युक्त भाषाओं में भिन्न-भिन्न पदों को मिलाने के लिए ही सन्धि-नियम बनाये जाते हैं। यदि पद पृथक्-पृथक् न हों तो सन्धि-नियम व्यर्थ हो जाते हैं।

इस प्रकार व्यावहारिक दृष्टि से पद या शब्द ही, भाषा का चरम अवयव प्रतीत होता है। लिखित भाषा में, पदों के बीच में स्थान छोड़कर लिखने से भी सामान्य रूप से यही ज्ञात होता है।

(7) भाषा की सामान्य प्रवृत्ति संयोग से वियोग की ओर होती है।

संयोग के लिये 'संहिति' या 'संश्लेषावस्था' तथा वियोग के लिए 'व्यवहिति' या 'विश्लेषावस्था' शब्दों का व्यवहार भी किया जाता है। आचार्य श्यामसुन्दरदास ने अपने ग्रन्थ 'भाषा-रहस्य' में व्यक्त किया है कि—

“भाषा प्रारम्भिक काल में जटिल, समस्त और स्थूल रहती है, धीरे-धीरे वह सरल, व्यस्त, सूक्ष्म और सुकुमार होती जाती है।”

पहले समझा जाता था कि भाषाएँ अपनी प्रारम्भिक अवस्था में वियोगावस्था में रहती है, अर्थात् उनमें शब्दों का स्वतन्त्र अस्तित्व होता है तथा बाद में वे संयोगावस्था को प्राप्त हो जाती है।

इसके पक्ष में निम्नलिखित तीन तर्क प्रस्तुत किये जाते हैं—

(क) चीनी भाषा आज भी अपनी आदिम अवस्था—व्यासावस्था में ही है क्योंकि उसके वाक्यों में सभी शब्द स्वतन्त्र रहते हैं। उसमें कर्ता, कर्म आदि का सूचक कोई प्रत्यय या विभक्ति प्रयुक्त नहीं होती, अपितु इनका कार्य उच्चारण के 'सुर' या वाक्य में शब्द के 'स्थान' से लिया जाता है।

(ख) आज के प्रत्यय पहले शब्द ही थे। घिसते-घिसते शब्द ही आज प्रत्यय बन गये हैं। जैसे अंग्रेजी शब्द 'गोडली' (Godly) में आज जो 'ली' (ly) प्रत्यय है, वह पहले 'लिक' (Lik) शब्द के रूप में ही था। इसी प्रकार 'फ्रैण्डशिप' का 'शिप' पहले 'शेप' (Shape) था। संस्कृत का 'मध्ये' शब्द ही घिसकर हिन्दी की 'में' विभक्ति हो गया है।

(ग) पाश्चात्य तर्कशास्त्र के 'चिन्तनाणुवाद' के द्वारा भी भाषा के आरम्भिक रूप को व्यासप्रधान सिद्ध किया जाता है। इस सिद्धान्त के अनुसार जैसे प्रत्येक अणु की सत्ता स्वतन्त्र है तथा अणुओं के मिलने से ही कोई पदार्थ बनता है, उसी प्रकार हमारे प्रत्येक भावखण्ड या विचारखण्ड की सत्ता भी स्वतन्त्र है, उन्हीं खण्डों के मिलने से कोई सम्पूर्ण विचार बनता है। 'शब्द' विचारखण्ड का प्रतीक है तथा 'वाक्य' सम्पूर्ण विचार का। पहले मनुष्य के मन में विचार-खण्ड आये, फिर सम्पूर्ण विचार। अतः, भाषा की आरम्भिक अवस्था में पहले शब्द का स्वतन्त्र प्रयोग हुआ फिर शब्दों से बने वाक्यों का। इस प्रकार भाषा का आरम्भ शब्दों से हुआ है वाक्यों से नहीं।

वस्तुतः, उपर्युक्त तर्क निस्सार हैं, विद्वानों ने उनका खण्डन इस प्रकार किया है—

(i) चीनी भाषा का आज, 3000 वर्ष पश्चात् भी व्यासावस्था में रहना ही स्वतः इस बात का प्रमाण है कि भाषाएँ वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर प्रवृत्त नहीं होतीं, अन्यथा चीनी भाषा भी आज संयोगावस्था को प्राप्त हो जाती जबकि ऐसा हुआ नहीं है।

(ii) यद्यपि कुछ प्रत्ययों को देखने से ऐसा लगता है कि वे पहले स्वतन्त्र शब्द रहे थे, किन्तु सभी प्रत्ययों के विषय में यह कथन सत्य सिद्ध नहीं होता है। अतः यह तर्क भी 'अपवाद' मात्र ही है।

NOTES

(iii) 'चिन्तनाणुवाद' भी असिद्ध हो चुका है। स्वयं पाश्चात्य विचारक अब इसे स्वीकार नहीं करते हैं। यह प्रमाणित हो चुका है कि वक्ता एक सम्पूर्ण भाव या विचार को प्रकट करना चाहता है तथा श्रोता भी सम्पूर्ण विचार को ही ग्रहण करता है, भले ही उसके लिये केवल एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता हो। उदाहरणार्थ, बच्चे द्वारा या अशक्त रोगी द्वारा प्रयुक्त 'दूध' या 'पानी' शब्द का प्रयोग किया जाना।

(iv) इसके अतिरिक्त आज भी कुछ ऐसी भाषाएँ उपलब्ध हैं, जिनमें वाक्य-शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे उत्तरी अमरीका की 'हूरोन-इरोक्वा' भाषा तथा उत्तरी अमरीका के रेड इण्डियन्स की 'चेरोकी' नाम की भाषा। इन भाषाओं में प्रयुक्त वाक्यों में से अभी तक भी शब्दों को पृथक्-पृथक् करना सम्भव नहीं हो सका है।

(v) बोलचाल की भाषा में हम सदैव ऐसा अनुभव करते हैं कि बोलते समय शब्दों को पृथक्-पृथक् करके नहीं बोला जाता। इसी कारण 'सब ही' जैसे शब्द 'सभी' बोले जाने लगे हैं। भाषा का उच्चारित या बोलचाल वाला रूप ही प्राचीन होता है। अतः, प्रमाणित होता है कि भाषा का आरम्भिक रूप समस्त ही होता है।

(vi) भाषा पहले बनती है। व्याकरण बाद में बनता है। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का विश्लेषण, व्याकरण द्वारा ही होता है। अतः, स्पष्ट है कि बोलचाल की संश्लिष्ट भाषा ही, बाद में साहित्यिक विश्लिष्ट भाषा का रूप ग्रहण करती है। इसका पूर्ण श्रेय वैयाकरणों को ही मिलता है।

(vii) अनेक भाषाओं के इतिहास को देखने से भी यही ज्ञात होता है कि आरम्भिक भाषाएँ समासावस्था में ही रही हैं। यूरोप का लिथुआनिया प्रदेश चारों ओर से पर्वतों, दलदलों से घिरा होने के कारण बाह्य सम्पर्क से असम्पर्क रहा है, अतः वहाँ की भाषा 'लिथुआनी' आज 3000 वर्षों के बाद भी अपनी प्राचीन समासावस्था में ही है।

(viii) कुछ भाषाएँ जैसे 'हिब्रू' तथा 'अवेस्ता' प्राचीनकाल में अत्यधिक संश्लिष्ट थीं किन्तु उनका विकसित आधुनिक रूप पर्याप्त विश्लिष्ट हो गया है। हिब्रू के ही वर्ग की अरबी भाषा तो अभी तक पर्याप्त संश्लिष्ट ही है। शासकों की भाषा होने के कारण उसमें परिवर्तन कम मात्रा में हुआ है।

(ix) भारतीय आर्यभाषाओं के विकास को देखने से भी प्रतीत होता है कि वे आरम्भिक अवस्था में संश्लिष्ट ही थीं तथा बाद में विश्लिष्ट हो गयीं हैं। उदाहरणार्थ—वैदिक तथा संस्कृत पर्याप्त संश्लिष्ट थीं, पालि तथा प्राकृत कुछ मात्रा में विश्लिष्ट हुईं, किन्तु अपभ्रंश में होकर आगे विकसित होती हुई आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ पूर्णतया विश्लिष्ट हो गयीं हैं।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि भाषाओं की सामान्य प्रवृत्ति संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर होती है, वियोगावस्था से संयोगावस्था की ओर नहीं।

2. विश्व-भाषाओं का वर्गीकरण

NOTES

प्रस्तुत अध्याय में विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण तथा प्रमुख भाषा-वर्गों का सामान्य परिचय दिया जायेगा।

1. वर्गीकरण का उद्देश्य

उद्देश्य— विश्व में अनेक जातियों तथा अनेक देशों की भाँति ही अनेक भाषाएँ हैं। अन्य विषयों की भाँति ही, मनुष्य के मस्तिष्क में विश्व की भाषाओं के सम्बन्ध में भी अनेकविध जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ—सम्पूर्ण विश्व की भाषा एक ही है या अनेक हैं? अनेक भाषाएँ हैं, तो उनकी संख्या कितनी है? उनमें परस्पर क्या समानता या विषमता है? उस समानता या विषमता के आधार पर विश्व की भाषाओं को कितने समूहों या वर्गों में रखा जा सकता है? आदि-आदि। इन प्रश्नों का समाधान विश्व की भाषाओं के वर्गीकरण द्वारा ही प्राप्त हो सकता है।

उपयोगिता— आज का युग, वैज्ञानिक युग है। आज प्रत्येक विषय के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्त्व है। अतः, भाषा का क्षेत्र भी उससे वंचित नहीं है। भाषाओं के वर्गीकरण के द्वारा हमें उनके वैज्ञानिक अध्ययन में सुविधा हो जाती है। साथ ही, भाषाओं को विभिन्न वर्गों में रखना ही स्वयं में एक वैज्ञानिक उपलब्धि है। अतः, भाषाविज्ञान के अन्तर्गत भाषाओं के वर्गीकरण को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

ज्ञातव्य— भाषाओं के वर्गीकरण के प्रसङ्ग में भाषाविज्ञान के प्रत्येक पाठक के लिये ज्ञातव्य विषय निम्नलिखित हैं—

- (1) विश्व में कितनी भाषाएँ हैं?
- (2) विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किन-किन आधारों पर किया जाता है?
- (3) किस वर्गीकरण से, विश्व की भाषाओं के कुल कितने वर्ग बनते हैं?
- (4) पाठक की, अपनी भाषा का सम्बन्ध विश्व की भाषाओं के कौन-से वर्ग से है?
- (5) पाठक की भाषा से सम्बन्धित भाषावर्ग या भाषापरिवार का विकास, प्रारम्भ से लेकर आज तक किस रूप में हुआ है?

भाषाओं के वर्गीकरण में रुचि रखने वाले भाषाविज्ञान के सामान्य पाठक का उद्देश्य इतने अध्ययन से पूर्ण हो जाता है। विशेष जिज्ञासा या अध्ययन के लिए वह इससे आगे भी प्रवृत्त हो सकता है।

2. विश्व की भाषाओं की संख्या— विश्व की सभी भाषाओं की गणना हो चुकी है यह कहना संदिग्ध है। ऐसी दशा में विश्व की भाषाओं की कुल संख्या बता पाना कठिन ही नहीं, असम्भव भी है। फिर भी, विद्वानों ने इस दिशा में प्रयास किया। कुछ लोगों के अनुसार विश्व की भाषाओं की कुल संख्या 2766 है। तथापि, इस सम्बन्ध में हमारा अवलम्बन अनुमान ही है। अनुमानतः विश्व में भाषाओं की कुल संख्या

लगभग 3000 स्वीकार की जाती है। इतनी भाषाओं में से प्रत्येक का ज्ञान प्राप्त करना किसी भी व्यक्ति के लिये न तो सम्भव ही है और न व्यावहारिक ही। अतः, यहाँ वर्गीकरण द्वारा विश्व की भाषाओं का स्थूल परिचय ही पर्याप्त समझना चाहिए।

NOTES

3. विश्व-भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख आधार— भाषाओं के वर्गीकरण की प्रारम्भिक अवस्था में, भाषाओं का वर्गीकरण देश, जाति या धर्म के आधार पर किया जाता था; किन्तु वह नितान्त अनुपयोगी सिद्ध हुआ है। इस प्रकार के वर्गीकरण में विभिन्न भाषाओं के स्वरूप का ज्ञान ठीक-ठीक नहीं हो पाता था। कारण, कभी तो असमान भाषाएँ भी एक ही वर्ग में परिगणित हो जाती थीं, तथा कभी समान भाषाएँ भी एक ही वर्ग में नहीं आ पाती थीं। अतः, देश, जाति या धर्म के आधार पर भाषाओं का वर्गीकरण उपयुक्त नहीं माना गया।

आजकल विश्व की भाषाओं के केवल दो वर्गीकरण ही प्रचलित हैं—

1. आकृतिमूलक या रूपात्मक वर्गीकरण, जिसमें आकृति अर्थात् रूपतत्त्व की समानता को आधार बनाया जाता है।
2. पारिवारिक या ऐतिहासिक वर्गीकरण, जिसमें अर्थतत्त्व तथा रूपतत्त्व दोनों को आधार बनाया गया है।

1. विश्वभाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण

आकृतिमूलक वर्गीकरण के अन्तर्गत भाषाओं में 'आकृति' की समानता देखी जाती है। प्रायः सभी भाषावैज्ञानिकों ने अपने ग्रन्थों में आकृतिमूलक वर्गीकरण के आधार पर विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण किया है। डॉ. पी. डी. गूणे, डॉ. तारापुरवाला, डॉ. मंगलदेव शास्त्री, डॉ. बाबूराम सक्सेना, डॉ. भोलानाथ तिवारी, डॉ. मनमोहन गौतम आदि विद्वानों के ग्रन्थों में थोड़े-बहुत अन्तर के साथ भाषाओं का जो आकृतिमूलक वर्गीकरण मिलता है, उसको सुव्यवस्थित रूपरेखा के साथ, हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं।

आकृतिमूलक वर्गीकरण के आधार पर भाषाओं को, सर्वप्रथम दो भागों में विभक्त किया जाता है—

(1) **अयोगात्मक (Isolating)**—वह भाषा-वर्ग, जिसकी भाषाओं में अर्थतत्त्व (प्रकृति) के साथ रूपतत्त्व (प्रत्यय) का योग नहीं होता है।

(2) **योगात्मक (Aggluatinating)**—वह भाषा-वर्ग, जिसकी भाषाओं में अर्थतत्त्व (प्रकृति) के साथ रूपतत्त्व (प्रत्यय) का योग होता है।

आकृतिमूलक (रूपात्मक) वर्गीकरण की समीक्षा

भाषावैज्ञानिकों में से डॉ. तारापुरवाला तथा डॉ. श्यामसुन्दरदास ही ऐसे हैं जो 'आकृतिमूलक वर्गीकरण' को वैज्ञानिक तथा उपयोगी स्वीकार करते हैं। उनके अनुसार विश्व की भाषाओं में जो पारस्परिक भेद है, उसे समझने के लिए उनकी वाक्य रचना को समझना आवश्यक है। आकृतिमूलक वर्गीकरण में हम ऐसा ही करते हैं। अतः, इस वर्गीकरण की अत्यधिक उपयोगिता है। इतना ही नहीं उनके अनुसार यह वर्गीकरण सर्वाधिक विश्वसनीय भी है।

उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त शेष भाषावैज्ञानिकों ने इस वर्गीकरण की निम्नलिखित न्यूनताओं की ओर संकेत किया है—

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

NOTES

(1) संसार की सभी भाषाओं को इस वर्गीकरण के अनुसार केवल चार ही वर्गों में रखा गया है, जो युक्तियुक्त नहीं है। इस वर्गीकरण में अनेक ऐसी भाषाओं को भी एक साथ रख दिया गया है, जो बहुत दूर-दूर की हैं तथा जिनमें परस्पर कोई भी सम्बन्ध नहीं है। उदाहरण के लिए (क) अयोगात्मक वर्ग में चीनी तथा सूडानी (ख) प्रत्यय प्रधान वर्ग में तुर्की, काफिरी, मुण्डा तथा द्रविड़। ये भाषाएँ बहुत दूर-दूर पर स्थित हैं। अतः इस वर्गीकरण में वैज्ञानिकता की कमी है। यह बहुत ही स्थूल है।

(2) आकृतिमूलक वर्गीकरण द्वारा वर्गीकृत कोई भाषा अपने वर्ग का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती, अपितु उसमें अन्य वर्गों के लक्षण भी दिखलायी पड़ते हैं। एक ही भाषा, जैसे संस्कृत में अश्लिष्ट (सुजनता), श्लिष्ट (भवति) तथा प्रश्लिष्ट (जिगमीषति; तीनों ही वर्गों की विशेषताएँ मिल जाती हैं। इस प्रकार इस वर्गीकरण में विभिन्न वर्गों की निश्चित सीमा-रेखा नहीं है। इसमें संकर दोष है।

(3) संसार की समस्त भाषाओं का जब तक पूर्ण अध्ययन न हो जाय, तब तक उनकी आकृति को नहीं जाना जा सकता। जैसाकि सभी जानते हैं, अभी तक तो संसार की सभी भाषाओं का पता भी नहीं चल सका है, फिर उनके अध्ययन की बात तो बहुत ही दूर है। कुछ ज्ञात भाषाओं का अध्ययन भी अभी तक ठीक-ठीक नहीं हो सका है। अतः, ऐसी दशा में ज्ञात तथ्यों को अखण्डनीय नहीं कहा जा सकता।

इस प्रकार अनेक विद्वान् आकृतिमूलक वर्गीकरण की अपेक्षा 'पारिवारिक वर्गीकरण' को अधिक वैज्ञानिक एवं महत्त्वपूर्ण मानते हैं। किन्तु, भाषाओं की रूप-रचना को समझने के लिए आकृतिमूलक वर्गीकरण की उपयोगिता भी स्वीकरणीय है।

1. पारिवारिक वर्गीकरण (Geneological classification)

जैसाकि पहले बतलाया जा चुका है—अर्थतत्त्व तथा रूपतत्त्व (सम्बन्धतत्त्व) की समानता को आधार बनाकर भाषाओं का जो वर्गीकरण किया जाता है, वह पारिवारिक वर्गीकरण कहलाता है। इस वर्गीकरण के द्वारा उन सभी भाषाओं को एक भाषा-परिवार में रखा जाता है, जो किसी एक ही मूल भाषा से विकसित हुई हैं, उदाहरणार्थ, मूल भारोपीय भाषा से विकसित भारत और यूरोप में बोली जाने वाली सभी भाषाएँ भारोपीय भाषा-परिवार में रक्खी जाती है। कुछ विद्वानों ने इसे ऐतिहासिक वर्गीकरण (Historical classification) का नाम दिया है, जो उपर्युक्त प्रतीत नहीं होता है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि भाषाओं के वर्गीकरण के प्रसंग में 'परिवार' शब्द का प्रयोग रूपक के रूप में किया जाता है। अर्थात् जिस प्रकार मानव-परिवार में माता > पुत्री > नातिन उत्पन्न होती हैं, उसी प्रकार एक भाषा से कालान्तर में अन्य भाषाएँ विकसित होती हैं। किन्तु, मानव-परिवार तथा भाषा-परिवार में यह अन्तर है कि मानव-परिवार में माता से पुत्री (या पुत्रियों) नवीन व्यक्ति के रूप में जन्म लेती हैं तथा माता-पुत्री (या पुत्रियाँ) एक ही काल में साथ-साथ जीवित रह सकती हैं, परन्तु भाषा-परिवार में एक मूल भाषा से दूसरी भाषा (या भाषाओं) का नवीन भाषा के रूप में जन्म नहीं होता, अपितु मूलभाषा ही नवीन भाषा (या भाषाओं) के रूप में विकसित या परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार भाषा परिवार में मूलभाषा तथा उससे विकसित भाषा (या भाषाएँ) एक ही समय में साथ-साथ नहीं रह सकतीं। उदाहरणार्थ—जब वैदिक भाषा से संस्कृत का विकास हुआ, तो वैदिक भाषा, व्यवहार से बाहर हो

गयी थी। इसी प्रकार संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश तथा अपभ्रंश से आधुनिक आर्यभाषाओं के विकसित होने पर भी पूर्व-पूर्व भाषाएँ व्यवहार की या बोल-चाल की भाषाएँ नहीं रही थीं, तभी नवीन भाषाओं का व्यवहार सम्भव हो सका।

NOTES

पारिवारिक वर्गीकरण का आधार

पारिवारिक वर्गीकरण के आधार के सम्बन्ध में डॉ. बाबूराम सक्सेना का निम्नलिखित कथन महत्त्वपूर्ण है—

“पारिवारिक सम्बन्ध के लिए प्रायः स्थानिक समीपता से विचार उठता है, शब्दों की समानता से विचार को पुष्टि मिलती है, व्याकरण-साम्य से विचार वादरूप हो जाता है और यदि ध्वनि-साम्य भी निश्चित हो जाए तो सम्बन्ध पूरी तरह निश्चय-कोटि को पहुँच जाता है। यदि व्याकरण-साम्य न मिलता हो, तो विचार, विचार कोटि से ऊपर नहीं उठ पाता।”

उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार निम्नलिखित चार तत्त्व हैं—

- (1) स्थानिक समीपता,
- (2) शब्दों की समानता,
- (3) व्याकरण-साम्य, तथा
- (4) ध्वनि-साम्य।

डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा ने पारिवारिक वर्गीकरण के आधार के रूप में छह तत्त्वों का उल्लेख किया है—

“(1) ध्वनि (2) पद-रचना (3) वाक्य-रचना (4) अर्थ (5) शब्दभण्डार और (6) स्थानिक निकटता।”

ध्यान से देखने पर डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा के छहों तत्त्व डॉ. बाबूराम सक्सेना के चार तत्त्वों में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। वस्तुतः डॉ. वर्मा कथित ‘शब्द-भाण्डार’ और ‘अर्थ’ नामक दोनों तत्त्व डॉ. सक्सेना के ‘शब्द-साम्य’ नामक तत्त्व में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। कारण, ‘शब्द-साम्य’ के लिये ‘अर्थ-साम्य’ भी आवश्यक है। इसी प्रकार पद-रचना और वाक्य-रचना ये दोनों तत्त्व भी व्याकरण-साम्य में ही अन्तर्भूत हो जाते हैं। अतः, डॉ. सक्सेना के उपर्युक्त चार तत्त्वों पर विचार करना ही यहाँ उचित प्रतीत होता है।

पारिवारिक वर्गीकरण की उपयोगिता—फिर भी पारिवारिक वर्गीकरण की अपनी निम्नलिखित उपयोगिताएँ हैं—

(1) भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन

इसके द्वारा सम्बद्ध भाषाओं का अध्ययन तुलनात्मक दृष्टि से हो जाता है तथा उनकी समान तथा असमान विशेषताओं से हमारा परिचय हो जाता है।

(2) मूल भाषा का ज्ञान—सम्बद्ध भाषाओं की विशेषताओं को सम्मिलित करने पर हमें उन सम्बद्ध भाषाओं की उस जननी या मूलभाषा का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान हो जाता है, जो लुप्त हो चुकी है। ‘भारोपीय

परिवार' की भाषाओं की विशेषताओं के आधार पर विद्वानों ने 'मूल भारोपीय भाषा' के स्वरूप की सांगोपांग कल्पना की है, जिससे उसके क्रमिक विकास का ज्ञान भली-भाँति हो जाता है।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

NOTES

(3) विभिन्न जातियों की एकता—पारिवारिक वर्गीकरण द्वारा संसार में दूर-दूर बिखरी जातियों की भी एकता सिद्ध हुई है, क्योंकि उन दूर-दूर बिखरी जातियों की भाषा में समानता है। यूरोप के अनेक देशों में बसे जिप्सियों की भाषा तथा भारत के पंजाबियों, राजस्थानियों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निवासियों की भाषा परस्पर मिलती है। इससे सिद्ध होता है कि यूरोप के जिप्सी भारत से ही जाकर वहाँ बसे हैं। इसी प्रकार भारत के द्रविड़ भाषी हिन्दू तथा मध्य बलूचिस्तान के ब्राहुई भाषा-भाषी मुसलमान भी परस्पर सम्बद्ध हैं। इस प्रकार पारिवारिक वर्गीकरण द्वारा अनेक जातियों के लुप्त इतिहास का ज्ञान हुआ है।

इस प्रकार यह आशा की जा सकती है कि पारिवारिक वर्गीकरण के द्वारा एक दिन भाषा की एकता के साथ ही साथ सम्पूर्ण मानवजाति की एकता भी सिद्ध की जा सकेगी।

विश्व के भाषा-परिवारों का संक्षिप्त परिचय—यद्यपि अभी तक विश्व की हजारों भाषाओं का अध्ययन ठीक-ठीक नहीं हो पाया है। तथापि जिन भाषाओं का अध्ययन हो चुका है, उन्हें पारस्परिक समानता के आधार पर विद्वानों ने विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है। कुछ विद्वानों ने सम्पूर्ण भाषाओं को, भौगोलिक आधार पर, पहले चार खण्डों में विभाजित किया है, जैसे—(1) अमरीका खण्ड, (2) अफ्रीका खण्ड, (3) यूरेशिया खण्ड तथा (4) प्रशान्त महासागर खण्ड। इसके पश्चात् इन विद्वानों ने उपर्युक्त खण्डों में अनेक भाषा-परिवारों की गणना की है।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों ने विश्व की सभी ज्ञात भाषाओं को सीधे ही विभिन्न परिवारों में बाँटा है। परिवारों की संख्या यद्यपि अभी तक अनिश्चित है, क्योंकि 'फ्रेडरिक मूलर' आदि विद्वान् जहाँ 100 भाषा-परिवारों की कल्पना करते हैं, वहाँ अन्य विद्वानों की कल्पना 250 परिवारों तक जा पहुँचती है। कुछ विद्वान् केवल 10 भाषा-परिवार ही मानते हैं। 'डॉ. धीरेन्द्र वर्मा' ने 12 भाषा-परिवार गिनाये हैं, जबकि 'डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा' ने 'अपेक्षाकृत निर्विवाद और प्रमुख' भाषा-परिवारों की संख्या 18 मानी है। उनके अनुसार भाषा-परिवारों की संख्या, नाम तथा खण्ड इस प्रकार है—

यूरेशिया खण्ड

1. भारत यूरोपीय परिवार।
2. द्राविड़ परिवार।
3. बुरुशक्की परिवार।
4. यूराल-अल्ताई परिवार।
5. काकेशी परिवार।
6. चीनी परिवार।
7. जापानी कोरियाई परिवार।
8. अत्युत्तरी (हाइपरबोरी) परिवार।
9. बास्क परिवार।
10. सामी-हामी परिवार। (सामी-हामी परिवार की गणना कुछ विद्वानों ने यूरेशिया खण्ड में तथा कुछ ने अफ्रीका खण्ड में की है।)

अफ्रीका खण्ड

11. सूडानी परिवार।

12. बन्तू परिवार।

13. आस्ट्रेलियाई परिवार।

NOTES

प्रशान्त महासागरीय खण्ड

14. मलय-बहुद्वीपीय परिवार।

15. पापुई परिवार।

16. आस्ट्रेलियाई परिवार।

17. दक्षिण-पूर्व-एशियाई-परिवार।

अमरीका खण्ड

18. अमरीकी परिवार।

उपर्युक्त भाषा-परिवारों का संक्षिप्त परिचय क्रमशः इस प्रकार है—

(1) **भारोपीय परिवार**—इस परिवार की भाषायें भारत (उत्तरी), अफगानिस्तान, ईरान और सारे यूरोप में बोली जाती हैं। 'संस्कृत', 'ग्रीक', 'लैटिन' आदि प्राचीन तथा 'अंग्रेजी', 'फ्रेन्च', 'जर्मन', 'हिन्दी', 'मराठी', 'गुजराती', 'पंजाबी' तथा 'बंगला' आदि प्रमुख आधुनिक भाषाएँ इसी परिवार की हैं।

(2) **द्रविड़ परिवार**—इस परिवार की भाषाएँ 'तमिल', 'तेलगू', 'कन्नड़' तथा 'मलयालम' आदि मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। मध्य बलूचिस्तान की 'ब्राहुई' भाषा भी इसी परिवार की है।

(3) **बुरुशक्की परिवार**—भारत के उत्तरी-पश्चिमी सिरे पर बोली जाने वाली इस परिवार की भाषाएँ प्राचीन भारत में अपना विशेष महत्त्व रखती थीं, किन्तु अब वे महत्त्वहीन हो गयी हैं।

(4) **यूराल-अल्ताई परिवार**—कुछ विद्वान् इसे एक ही परिवार मानते हैं और कुछ दो। वास्तव में इसके दो उपविभाग हैं—(क) यूराल में 'फिनी', 'लापी', 'एस्तोनी', 'मग्वार' तथा 'सामयेद' भाषायें हैं तथा (ख) अल्ताई में 'तुर्की', 'उजबेक', 'मंगोली' तथा 'मंचुई' आदि भाषायें आती हैं।

(5) **काकेशी परिवार**—कृष्ण सागर तथा कैस्पियन सागर के मध्य स्थित काकेशस पर्वत के समीप के भू-भाग में इस परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। 'सरकसी', 'चेचेन', 'लेगी', 'ज्यार्जी', 'मिंगेली' तथा 'रचानी' आदि इस परिवार की भाषाएँ हैं। 'ज्यार्जी' या 'ज्यार्जियन', जो स्टालिन की मातृभाषा थी, इस परिवार की प्रमुख भाषा है।

(6) **चीनी परिवार**—इसे एकाक्षर परिवार भी कहते हैं, क्योंकि इसमें विभक्ति, प्रत्यय आदि के द्वारा पद-रचना नहीं होती है। इस परिवार की भाषाएँ स्थान, सुर तथा निपात प्रधान हैं। चीन, तिब्बत, स्याम तथा बर्मा में इस परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। ये सभी भाषाएँ अयोगात्मक हैं।

(7) **जापानी-कोरियाई परिवार**—इस परिवार की भाषाएँ जापान तथा कोरिया में बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाओं का ठीक-ठीक अध्ययन न होने के कारण कुछ विद्वान् यदि इसे यूराल-अल्ताई परिवार की शाखा मानते हैं, तो कुछ दूसरे विद्वान् मलय-पालिनेशियाई परिवार की। किन्तु, तब तक इसे

इन दोनों से पृथक् मानना ही उचित है, जब तक कि गहन और विस्तृत अध्ययन के द्वारा कुछ निश्चय नहीं हो जाता है।

(8) **अत्युत्तरी (हाइपरबोरी) परिवार**—इस परिवार का यह नाम भौगोलिक आधार पर रखा गया है। एशिया के उत्तरी-पूर्वी सिरे पर इस परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। 'युकगिर', 'चुकची', 'अइनू' आदि अनेक भाषाएँ इसके अन्तर्गत हैं, जिनका ठीक-ठीक अध्ययन अभी नहीं हो सका है।

(9) **बास्क परिवार**—पश्चिमी पिरेनीज के समीप, फ्रांस और स्पेन के सीमा-प्रदेश में इस परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाएँ प्रधानतः अश्लिष्ट योगात्मक हैं 'बास्क' इस परिवार की प्रमुख भाषा है, जिसका अभी तक ठीक-ठीक वर्गीकरण नहीं हो सका है।

(10) **सामी-हामी परिवार**—कुछ लोग इसे दो परिवार मानते हैं, एक सामी परिवार तथा दूसरा हामी परिवार। इन्हें सैमेटिक, हैमेटिक भी कहा जाता है। सामी शाखा की प्राचीन भाषा 'अक्कादी' है। 'आरमेनियन', 'हिब्रू' तथा 'अरबी' भाषा भी इसी शाखा की हैं। अरब, ईराक, फिलिस्तीन, सीरिया, मिस्र आदि देशों में ये भाषाएँ बोली जाती हैं।

'हामी' शाखा के अन्तर्गत प्राचीन 'मिस्री' भाषा तथा 'बर्बर' भाषाएँ आती हैं। मिस्री भाषा में चित्रलिपि में बहुत प्राचीन लेख उपलब्ध हैं। इन भाषाओं का क्षेत्र उत्तरी अफ्रीका है।

(11) **सूडानी परिवार**—इस परिवार की भाषाएँ भूमध्य रेखा के उत्तर में पश्चिमी सिरे से लेकर पूर्वी सिरे तक बोली जाती हैं। इसके उत्तर में सामी-हामी परिवार है तथा दक्षिण में 'बन्तू' परिवार है। इस परिवार में लगभग चार सौ भाषाएँ प्रमुख रूप से अयोगात्मक हैं।

(12) **बन्तू परिवार**—सुदूर दक्षिण पश्चिमी भाग को छोड़कर लगभग सारे दक्षिण अफ्रीका में इस परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। इसके उत्तर में 'सूडानी' तथा दक्षिण में 'होतेन्तोत-बुशमैनी' परिवार है। इसी प्रमुख भाषाएँ 'स्वाहिली', 'काफिरी', 'जुलू' तथा 'कांगो' आदि हैं। इसकी भाषाएँ अश्लिष्ट-योगात्मक हैं।

(13) **होतेन्तोत-बुशमैनी परिवार**—इसका क्षेत्र दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीका है तथा 'होतेन्तोत', 'नामा', 'हमारा', 'सन्दवा', 'ऐकेवे' और 'औकेवे' आदि इसकी प्रमुख भाषाएँ हैं। इस परिवार की भाषाओं में 'क्लिक ध्वनियाँ' पाई जाती हैं, जिनका उच्चारण श्वास को अन्दर खींचते हुए किया जाता है।

(14) **मलय-बहुद्वीपीय परिवार**—इसे 'मलय-पोलिनेशियाई' या 'मलय-आस्ट्रेनेशियाई' भी कहते हैं। मलय प्रायद्वीप, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, सिलिबिज, बाली, फिलीपीन, न्यूजीलैण्ड तथा हवाई आदि प्रशान्त महासागरीय द्वीपों में इस परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं। इस परिवार में बहुत सारे भाषा-समूह हैं, जिनमें साहित्यिक भाषाएँ बहुत कम हैं। इस परिवार में मलाया की 'मलय' जावा की 'कवि' तथा फिलीपीन की 'तगल', फारमोसा की 'फारमोसी' आदि प्रमुख भाषाएँ हैं।

(15) **पापुई परिवार**—इस परिवार की भाषाएँ न्यूगिनी, न्यू ब्रिटेन के कुछ भाग तथा सोलोमन द्वीप-समूह आदि में बोली जाती हैं। इसमें 132 के लगभग भाषाएँ हैं। न्यूगिनी की प्रसिद्ध भाषा 'मफोर' इसी परिवार की है। ये भाषाएँ अश्लिष्ट-योगात्मक हैं।

NOTES

(16) आस्ट्रेलियाई परिवार—इस परिवार में 100 के लगभग भाषाएँ हैं, जो आस्ट्रेलिया के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में बोली जाती हैं। इस परिवार की भाषाएँ भी अश्लिष्ट-योगात्मक हैं, जो धीरे-धीरे लुप्त होती जा रही हैं।

NOTES

(17) दक्षिण-पूर्व एशियाई परिवार—इसे 'आस्ट्रो-एशियाटिक' परिवार भी कहा जाता है। इस परिवार की भाषाएँ अन्नाम, स्याम, कम्बोडिया, भारत तथा निकोबार द्वीप में बोली जाती हैं। यह परिवार तीन प्रमुख वर्गों में बँटा है—(1) पश्चिम में मुण्डा या कोल; (2) पूर्व में अन्नम-मुआङ् तथा (3) मध्य में मोनख्मेर।

मुण्डा या कोल भाषाएँ भारत में अनेक स्थानों पर बोली जाती हैं। इनमें मुण्डा तथा संथाली प्रमुख भाषाएँ हैं।

(18) अमरीकी परिवार—ये भाषाएँ अमरीका में बोली जाती हैं, जिनकी संख्या 1000 के लगभग है। इस परिवार की भाषाओं का अध्ययन अभी तक भली-भाँति नहीं हुआ है, अतः इनका ठीक-ठीक वर्गीकरण भी अभी नहीं हो पाया। अमरीकी नाम तो स्वयं ही भौगोलिक है। इसी प्रकार इस परिवार के तीन विभाग भी भौगोलिक ही हैं—

(1) कनाडा तथा संयुक्त राज्य—इसमें 'अथवस्की' या 'अथवस्कन', 'अलगोनकी', 'होका', 'सिउई' तथा 'यूरोक्वा' आदि भाषाएँ हैं।

(2) मैक्सिको तथा मध्य अमरीकी—इसमें 'अज्तेक', 'मय' तथा 'नहुअत्ल' भाषाएँ हैं।

(3) दक्षिण अमरीकी—इसमें 'अवरक', 'चिवाचा', 'तुपी-गुअर्नी', 'करीब' तथा 'कुइचुआ' आदि भाषाएँ हैं।

ग्रीनलैण्ड की 'एस्कमो' भाषा भी इसी परिवार की है। इस परिवार की भाषाएँ प्रायः प्रश्लिष्ट-योगात्मक हैं।

3. भारोपीय भाषा-परिवार

पृष्ठभूमि : मूलभारोपीय भाषा

NOTES

भारोपीय परिवार की भाषाओं का विकास जिस भाषा से हुआ है, उसे विद्वानों ने **मूलभारोपीय भाषा** नाम दिया है। इसका काल 2400 ई. पू. से 1900 ई. पू. तक माना जाता है। किन्तु, यह भाषा कहाँ बोली जाती थी, इस विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। यही मूलभारोपीय भाषा सभी भारोपीय भाषाओं की जननी है। मूलभारोपीय भाषा का स्वरूप क्या था, इसको जानने के लिए कोई ठोस सामग्री उपलब्ध नहीं है। जिस प्रकार पुत्रियों में प्राप्त विशेषताओं के आधार पर उनकी माँ के विषय में कुछ अनुमान कर लिया जाता है, उसी प्रकार भारोपीय परिवार की भाषाओं में प्राप्त विशेषताओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही भाषाविज्ञानियों ने मूलभारोपीय भाषा के स्वरूप की कुछ कल्पना की है। संक्षेप में, इस भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

मूलभारोपीय भाषा की ध्वनियाँ

मूलभारोपीय भाषा में निम्नलिखित ध्वनियाँ थीं—

स्वर—स्वरो के दो भेद थे—मूलस्वर तथा संयुक्त स्वर। मूल स्वरो की संख्या 7 तथा संयुक्त स्वरो की संख्या 36 थीं। यथा,

मूल स्वर—(i) अतिह्रस्व—अ (इसे ह्रस्वार्ध भी कहा जाता है। वस्तुतः यह उदासीन स्वर है तथा इसका उच्चारण अस्पष्ट है। यूरोपीय भाषाओं में इसे उलटा e अर्थात्) की तरह लिखा जाता है।

(ii) ह्रस्व—अ, ए, ओ।

(iii) दीर्घ—आ, ए, ओ।

संयुक्त स्वर : अइ, अऋ, अलृ, अउ, अन, अम, आइ, आऋ, आलृ, आन, आम, इसी प्रकार ऐइ, आइ आदि।

{संयुक्त स्वर ह्रस्व तथा दीर्घ स्वरो के साथ—इ, ऋ, लृ, उ, न् तथा म् को संयुक्त करने से बनते थे।}

अन्तःस्थ : य् (इ) व् (उ) र् (ऋ), ल् (लृ) न् (नृ) म् (म), {ये अर्द्धस्वर या अर्द्ध व्यंजन, अन्तस्थ स्वर या अन्तस्थ व्यंजन, स्वनन्त (Sonant) या आक्षरिक (Syllabele) भी कहे जाते हैं।}

व्यंजन (स्पर्श) : (i) कवर्ग—क्य, ख्य, ग्य, ध्य (कण्ठतालव्य) क्, ख्, ग्, घ् (शुद्ध कण्ठ्य) क्व, ख्व, ग्व, घ्व, (कण्ठोष्ठ्य)।

{कवर्ग के तीन प्रकार थे। कुछ विद्वान् इन तीनों के अनुरूप 'ङ्' को भी मानते हैं। कुछ अन्य तीनों के साथ 'न्' के, अनुरूप संयोग को स्वीकार करते हैं।}

(ii) तवर्ग—त्, थ्, द्, ध्।

(iii) पवर्ग—प्, फ्, ब्, भ्।

व्यंजन (ऊष्म)—स् या जू। (ऊष्म 'स्' ध्वनि ही विशेष परिस्थितियों में 'जू' उच्चरित होती थी।

ध्वनिसमूह—सम्बन्धी अन्य विशेषताएँ—

NOTES

- (1) अँ, ईँ, ऊँ आदि—जैसे स्वरों के अनुनासिक रूप नहीं थे।
- (2) एक मूलस्वर के साथ दूसरा मूलस्वर नहीं आता था।
- (3) सन्धि नियम विद्यमान थे।
- (4) संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग होता था।
- (5) चवर्ग तथा टवर्ग स्पर्श ध्वनियाँ नहीं थीं।

मूलभारोपीय भाषा की कुछ अन्य विशेषताएँ

- (1) रूप-बाहुल्य के कारण मूलभारोपीय भाषा का व्याकरण बहुत जटिल था।
- (2) प्रत्यय थे, किन्तु उपसर्ग (Prefix) तथा मध्यसर्ग (Infix) नहीं थे।
- (3) विशेषण एवं सर्वनाम भी संज्ञा वर्ग में ही सम्मिलित थे।
- (4) संज्ञा, क्रिया तथा अव्यय पृथक्-पृथक् थे और अव्यय भी विकारी थे।
- (5) स्त्री, पुरुष एवं नपुंसक—ये तीनों लिङ्ग थे तथा इनका विचार केवल संज्ञा शब्दों में ही होता था, अर्थात् विशेषण आदि में लिङ्गविचार नहीं था।
- (6) तीन पुरुष तथा तीन वचन थे।
- (7) आत्मनेपद तथा परस्मैपद—दो वाच्य थे।
- (8) संज्ञा शब्दों के रूप सम्बोधन सहित आठ विभक्तियों में होते थे।
- (9) काल-विचार बहुत विकसित नहीं था, तथापि क्रिया के चार काल थे।
- (10) भाषा में सुर का प्रयोग होता था तथा भाषा संगीतात्मक थी।
- (11) अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व घनिष्ठ रूप से मिले रहते थे तथा उन्हें पृथक्-पृथक् कर पाना कठिन था।
- (12) शब्दों में, व्यंजनों के उसी रूप में रहते हुए भी, केवल स्वरों के परिवर्तन (Ablaut) से अर्थ-परिवर्तन हो जाता था।

भारोपीय भाषा-परिवार—विश्व के भाषा-परिवारों में भारोपीय भाषा-परिवार सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। भारतीय भाषाओं (विशेषतः संस्कृत) के पाठकों के लिये तो इसका महत्त्व निर्विवाद ही है, क्योंकि भारतीय भाषाएँ इसी परिवार की हैं। इस परिवार की अन्य भाषाएँ भी महत्त्वपूर्ण ही हैं। डॉ. मंगलदेव शास्त्री के अनुसार—

“भारत-यूरोपीय (भारोपीय) भाषा-परिवार से आशय उन समस्त भाषाओं से है, जो उस प्राचीन भारत-यूरोपीय मूलभाषा से निकली हैं। ‘भारत-यूरोपीय’ शब्द के प्रयोग से यही अभिप्राय है कि इस भाषा-परिवार के भारत से लेकर यूरोप तक के, भौगोलिक विस्तार की ओर ध्यान दिलाया जा सके।”

NOTES

नामकरण—इस परिवार के नाम के सम्बन्ध में बहुत विवाद रहा है तथा समय-समय पर अनेक नाम सामने आये हैं, जैसे—

1. इण्डो-जर्मनिक।
2. इण्डो-कैल्टिक।
3. संस्कृत।
4. जैफाइट या जफेटिक।
5. काकेशियन।
6. आर्य।
7. इण्डो-यूरोपियन (भारोपीय)।
8. विरोस।
9. इण्डो-हिताइट (भारत-हिती)।
10. भारोपीय-एनाटोलियन।

यहाँ इन पर क्रमशः, संक्षेप में, विचार किया जा रहा है—

1. इण्डो-जर्मनिक—यह नाम जर्मन-भाषाविज्ञानियों, विशेषतः ‘मैक्समूलर’ का दिया हुआ है। जर्मन देश में आज भी यह प्रचलित है। यह नाम इसलिए सुझाया गया था, क्योंकि इस परिवार की पूर्वी सीमा पर भारत की भाषाएँ तथा पश्चिमी सीमा पर जर्मनिक भाषाएँ बोली जाती हैं। अतः **भौगोलिक दृष्टि तथा जर्मन देश को महत्व देने की दृष्टि से** यह नाम जर्मनी विद्वानों ने उपयुक्त समझा। किन्तु यूरोप के दूसरे देशों के विद्वानों को यह नाम मान्य नहीं हुआ। उसके दो कारण थे, एक तो इसी परिवार की कैल्टिक शाखा की भाषाएँ, उपर्युक्त भौगोलिक सीमा के पश्चिम में रह जाती थीं, दूसरे प्रथम महायुद्ध के उपरान्त जर्मन के प्रति शेष यूरोप में द्वेष की भावना अधिक थी। अतः, इस परिवार के नाम में जर्मनी के नाम को महत्व देना अन्य यूरोपीय विद्वानों को सह्य नहीं हो सका।

2. इण्डो-कैल्टिक—जैसा ऊपर कहा जा चुका है, यह नाम **भौगोलिक सीमा-विस्तार की दृष्टि से** यद्यपि इण्डो-जर्मनिक नाम की अपेक्षा कुछ विद्वानों के लिए सार्थक था, तथापि केवल भौगोलिक सार्थकता ही पर्याप्त नहीं समझी गयी और यह नाम भी प्रचलित नहीं हो सका।

3. संस्कृत—इस परिवार की भाषाओं में **संस्कृत भाषा महत्वपूर्ण थी**, क्योंकि इसी के अध्ययन द्वारा तुलनात्मक भाषाविज्ञान की नींव पड़ी थी। साथ ही, तब कुछ विद्वानों का यह विचार था कि इस परिवार की मूलभाषा भी संस्कृत ही है। किन्तु, यह नाम भी एकांगी अनुभव किया गया; क्योंकि, एक तो संस्कृत के समकक्ष ही अन्य ‘ग्रीक’, ‘लैटिन’ आदि भाषाएँ भी इसी परिवार की हैं। दूसरे, संस्कृत इस परिवार की मूलभाषा नहीं थी। अतः यह नाम भी मान्यता प्राप्त नहीं कर सका।

4. **जैफाइट या जफेटिक**—बाइबिल में हजरत 'नूह' के एक पुत्र 'जफेट' के नाम पर मनुष्य जाति के एक वर्ग को जफेटिक नाम दिया गया है। इसी जातीय आधार पर कुछ विद्वानों ने इस भाषा-परिवार को भी सैमेटिक-हैमेटिक की भाँति ही जफेटिक कहना चाहा, किन्तु चूँकि कुछ जफेटिक लोग भारोपीय परिवार से भिन्न परिवारों की भाषाएँ बोलते हैं, अतः, अवैज्ञानिक होने के कारण यह नाम भी उपयुक्त नहीं समझा गया।

5. **काकेशियन**—'काकेशस' प्रदेश के आधार पर परिवार को 'काकेशियन' भी कहा गया। किन्तु एक अन्य समूह की भाषाओं को 'काकेशस' कहे जाने तथा भारोपीय समूह की विशेषताओं से उसकी विशेषताओं के भिन्न होने के कारण यह भी भ्रमात्मक सिद्ध हुआ।

6. **आर्य**—पहले समझा जाता था कि भारोपीय परिवार की भाषाओं को बोलने वाले सभी लोग आर्य हैं, अतः, इस परिवार को 'आर्य' नाम देना उचित माना गया है। किन्तु, एक तो इस परिवार की भाषाओं को बोलने वाले सभी आर्य नहीं हैं, दूसरे 'आर्य' नाम की, 'भारोपीय परिवार' की एक शाखा भी है, जो भारत तथा ईरान की भाषाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अतः, पूरे परिवार को 'आर्य' कहना ठीक नहीं समझा गया। यद्यपि 'मैक्समूलर' तथा 'जैस्पर्जन' ने इसे फिर भी 'आर्य' नाम से ही अभिहित किया है। किन्तु, मुख्यरूप से भारतीय परिवार की 'भारत-ईरानी' शाखा को ही विद्वानों ने 'आर्य शाखा' कहा है।

7. **इण्डो-यूरोपियन या भारोपीय**—यद्यपि यही नाम आजकल अधिक प्रचलित है, तथापि डॉ. भोलानाथ तिवारी इस नाम को भी ठीक नहीं मानते हैं। उनके अनुसार यह नाम जिस भौगोलिक आधार पर रखा गया है, वह भी इससे ठीक-ठीक प्रकट नहीं होता है। स्पष्ट ही, इस परिवार की भाषाएँ केवल भारत-यूरोप में न बोली जाकर अमरीका, आस्ट्रेलिया तथा अफ्रीका के भी अनेक भागों में बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच आदि। अतः, डॉ. तिवारी के अनुसार यह नाम भी मान्य नहीं होना चाहिए।

8. **विरोस**—यह नाम डॉ. भोलानाथ तिवारी द्वारा प्रस्तावित है। उनका तर्क है कि भाषा-विज्ञानविदों ने तुलनात्मक अध्ययन (संस्कृत वीर, लैटिन Unit, Vir प्राचीन आईरी Fer, जर्मनिक Wer आदि) के आधार पर मूल भारोपीय या भारतहिती भाषा के एक शब्द Wiros का पुनर्निर्माण किया है और उन मूल लोगों को 'विरोस्' कह रहे हैं तो उसी आधार पर हम उस मूल भाषा के परिवार के लिए 'विरोस् परिवार' (Wiros family) का प्रयोग कर सकते हैं।

9. **इण्डो-हिट्टाइट (भारत-हिती)**—वैज्ञानिक दृष्टि से यह नाम सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि अब यह ज्ञात हो चुका है कि 'हिती' भाषा भारोपीय भाषा की एक पुत्री नहीं अपितु, भारोपीय की सहोदरा है। अतः, अब 'हिती' को भारोपीय भाषा परिवार की एक शाखा नहीं माना जा सकता। ऐसी दशा में 'भारत-हिती' नाम ही इस परिवार के लिए सर्वोपयुक्त है, और यह पर्याप्त प्रचलित भी हो गया है।

10. **भारोपीय-एनाटोलियन**—डॉ. भोलानाथ तिवारी ने ही भारोपीय परिवार के लिए यह नाम भी प्रस्तुत किया है। जहाँ बोलने वालों के आधार पर उन्होंने उसे 'विरोस् परिवार' कहना उपयुक्त समझा, वहाँ, इस परिवार की मूल दो शाखाओं—भारोपीय तथा एनाटोलियन के आधार पर वे इसे 'भारोपीय-एनाटोलियन' या 'भारत-एनाटोलियन' कहना अधिक वैज्ञानिक मानते हैं।

संक्षेप में, ऊपर भारोपीय परिवार के दस नामों का परिचय दिया गया है। इनमें से कुछ नामों का आधार भौगोलिक है जैसे 'इण्डो-जर्मनिक', 'इण्डो-कैल्टिक', 'इण्डो-यूरोपीय', 'इण्डो-हिट्टाइट',

‘काकेशियन’ आदि। कुछ नामों का आधार प्रमुख भाषा है, जैसे—संस्कृतः, कुछ नामों का आधार जातीय है, जैसे—जैफाइट, आर्य आदि।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

NOTES

वस्तुतः, इनमें से कोई भी नाम पूर्णतया उपयुक्त नहीं है। हाँ, यदि बोलने वालों की जाति के आधार पर इस परिवार का नामकरण करना है, तो निस्सन्देह ‘विरोस् परिवार’ ही उपयुक्त नाम है। यदि भारोपीय नाम की भाँति ही दो मूल शाखाओं के आधार पर इसका नामकरण करना हो, तो फिर ‘इण्डो-यूरोपियन’ या ‘इण्डो-हिट्टाइट’ की अपेक्षा ‘भारोपीय-एनाटोलियन’ या ‘भारत एनाटोलियन’ नाम को ही हमें स्वीकार करना चाहिये, क्योंकि इस परिवार की भारोपीय (सतम् तथा ‘केन्तुम्’ वर्गों की भाषाएँ) तथा एनाटोलियन (जिसमें लिडियन, लीसियन हीरोगलाफिक पलेइक, लुवियन तथा हित्ती या हिट्टाइट भाषाएँ) दो ही मूल शाखाएँ हैं। अतः, यह नाम पूर्णतया वैज्ञानिक है। फिर भी अभी तक ‘इण्डो-यूरोपियन’ नाम की तुलना में कोई भी अन्य नाम प्रचलित नहीं हो सका है। सम्भव है, कुछ समय बाद ऐसा हो सके कि भाषा-विज्ञानविद् इस परिवार को ‘विरोस्’ या ‘भारत-एनाटोलियन’ नाम से पुकारना अधिक उपयुक्त समझें। किन्तु, जब तक ऐसा हो, तब तक इस परिवार को ‘इण्डो-यूरोपियन-परिवार’ या ‘भारोपीय परिवार’ कहना ही अधिक उपयुक्त है।

2. भारोपीय परिवार का महत्त्व

विश्व के भाषा-परिवारों में भारतीय परिवार का सर्वाधिक महत्त्व है। यह तथ्य, निश्चय ही, सन्देह एवं विवाद से परे है। इस महत्त्व के अनेक कारणों में से सर्वप्रथम, तीन प्रमुख कारण यहाँ उल्लेख्य हैं—

1. विश्व में इस परिवार के भाषा-भाषियों की संख्या सर्वाधिक है।
2. विश्व में इस परिवार का भौगोलिक विस्तार भी सर्वाधिक है।
3. विश्व में सभ्यता, संस्कृति, साहित्य तथा सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक विकास की दृष्टि से भी इस परिवार की प्रगति सर्वाधिक हुई है।

उपर्युक्त तीन प्रमुख कारणों के अतिरिक्त भी इस परिवार के महत्त्व के अनेक कारणों का उल्लेख विद्वानों ने किया है—

4. ‘तुलनात्मक भाषाविज्ञान’ की नींव का आधार भारोपीय परिवार ही है।
5. भाषाविज्ञान के अध्ययन के लिए यह परिवार प्रवेश-द्वार है।
6. विश्व में किसी भी परिवार की भाषाओं का अध्ययन इतना नहीं हुआ है, जितना कि इस परिवार की भाषाओं का हुआ है।

7. भाषाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के लिये इस परिवार में सभी सुविधाएँ हैं। जैसे—

(क) व्यापकता, (ख) स्पष्टता तथा (ग) निश्चयात्मकता।

8. प्रारम्भ से ही इस परिवार की भाषाओं का, भाषा की दृष्टि से, विवेचन होता रहा है, जिससे उनका विकासक्रम स्पष्ट होता है।

9. संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि इस परिवार की भाषाओं का प्रचुर साहित्य उपलब्ध है, जो प्राचीनकाल से आज तक इन भाषाओं के विकास का ऐतिहासिक साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जिसके कारण इस परिवार के अध्ययन में निश्चयात्मकता रहती है।

NOTES

10. अपने राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से भी यह परिवार महत्त्वपूर्ण है। कारण, प्राचीनकाल में भारत ने तथा आधुनिक काल में योरोप ने विश्व के अन्य अनेक भू-भागों पर आधिपत्य प्राप्त करके अपनी भाषाओं का प्रचार तथा विकास किया है।

इस प्रकार उपर्युक्त तथा अन्य अनेक कारणों से यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि विश्व के भाषा-परिवारों में 'भारोपीय परिवार' का महत्त्व निःसन्देह सर्वाधिक है।

3. भारोपीय परिवार की विशेषताएँ—'भारोपीय परिवार' एक विशाल भाषा-परिवार है। इसका इतिहास बहुत प्राचीनकाल से आरम्भ होकर आधुनिक काल तक फैला हुआ है। इस परिवार की भाषाओं के सुदीर्घ विकासक्रम को देखने से इस परिवार की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएँ प्रकट होती हैं—

1. इस परिवार की भाषाएँ मूलरूप से श्लिष्ट योगात्मक थीं।
2. इस परिवार की भाषाओं में प्रकृति + प्रत्यय अथवा अर्थतत्त्व + सम्बन्ध तत्त्व का योग बहिर्मुखी है।
3. इस परिवार में प्रयुक्त प्रत्ययों के विषय में अनुमान किया जाता है कि कभी वे स्वतन्त्र सार्थक शब्द थे, किन्तु धीरे-धीरे ध्वनिपरिवर्तन के कारण घिसकर वर्तमान प्रत्ययों के रूप में अवशिष्ट रह गये हैं।
4. इस परिवार की भाषाएँ पहले संयोगात्मक थीं, जो कुछ अपवादों को छोड़कर, अब वियोगात्मक हो गयी हैं। कुछ भाषाओं में 'स्थान-प्रधानता' भी आ गयी है, जो प्राचीन संस्कृत आदि भाषाओं में नहीं थी।
5. इस परिवार की धातुएँ एकाक्षर हैं और उनमें 'कृत्' तथा उनसे निष्पन्न शब्दों में तद्धित प्रत्यय जोड़कर शब्द, तथा उनमें 'सुष्' प्रत्यय जोड़कर पद बनाये जाते हैं। क्रियापदों में कृत् तथा तिङ् प्रत्यय जुड़ते हैं।
6. इस परिवार की भाषाओं में पूर्वसर्गों (Prefix), जिन्हें संस्कृत में 'उपसर्ग' कहा जाता है, के द्वारा शब्दों के अर्थों में परिवर्तन किया जाता है; जैसे, 'ह' धातु से निष्पन्न 'हार' शब्द में 'सम्' 'आ' 'परि' आदि उपसर्गों को जोड़कर 'विहार' 'संहार' तथा 'परिहार' आदि विभिन्नार्थक शब्द बनाये जाते हैं।
7. इस परिवार की भाषाओं में संस्कृत के कवि 'बाण' की भाषा की भाँति समास-रचना की विशेष प्रवृत्ति है। समास करते समय विभिन्न पदों में से विभक्तियों का लोप होकर, अनेक पदों के स्थान पर एक समस्त पद बन जाता है, जिसका अर्थ विस्तृत होता है।

8. इस परिवार की भाषाओं में स्वर-परिवर्तन द्वारा सम्बन्धतत्त्व-सम्बन्धी परिवर्तन घटित हो जाता है; जैसे अंग्रेजी में Sing, Sang, Sung में i, a तथा u स्वरों के परिवर्तन द्वारा ही क्रिया का कालसूचक सम्बन्ध-तत्त्व परिवर्तित हो जाता है।

9. अन्य किसी भी परिवार की अपेक्षा इस परिवार में विभक्ति-प्रत्ययों की बहुलता है। इसका कारण सम्भवतः यह है कि एक ही परिवार की भाषाओं का पृथक्-पृथक् विकास होने के कारण उनमें बहुत से प्रत्ययों का प्रयोग आवश्यकतावश बढ़ गया है।

10. इस परिवार की एक अन्य विशेषता 'अक्षरावस्थान' भी है। इस विशेषता के कारण शब्द में व्यञ्जनों के अपरिवर्तित रहने पर भी, स्वरों के परिवर्तित हो जाने से प्रायः शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, जैसे—'वसुदेव' और 'वासुदेव' (वसुदेव का पुत्र)

संक्षेप में, यद्यपि भारोपीय परिवार की उपर्युक्त दस विशेषताओं का ही उल्लेख यहाँ किया गया है, तथापि इस परिवार की केवल यही विशेषताएँ हैं, यह मानना भी भ्रम ही होगा। खोज करने पर इस परिवार की अन्य अनेक विशेषताएँ प्रकट होने की सम्भावना को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

4. भारोपीय परिवार की भाषाओं का परिचय

'केन्तुम्' तथा 'सतम्' वर्ग के क्रम से भारोपीय परिवार की भाषाओं का संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत है।

(1) **इटैलिक (इतालवी)**—लैटिन इसकी एक प्राचीन भाषा है, जो प्रसिद्ध रोम नगर तथा उसके आस-पास बोली जाती थी। इसमें सबसे प्राचीन लिखित सामग्री ई. पू. छठी शताब्दी की है। प्राचीनकाल से ही इसके दो रूप थे—एक साहित्यिक, दूसरा बोलचाल का। रोमन साम्राज्य के साथ ही साथ इसके बोलचाल वाले रूप का भी बहुत प्रसार हुआ। आधुनिक फ्रेंच, इतालवी, स्पेन, पुर्तगाल तथा रूमानी आदि का विकास, बोलचाल की प्राचीन लैटिन से ही हुआ है। आज भी रोमन कैथोलिक सम्प्रदाय की धार्मिक भाषा लैटिन ही है। यूरोप की भाषाओं पर लैटिन भाषा का प्रभाव अत्यधिक है। लैटिन से विकसित सभी आधुनिक भाषाएँ पर्याप्त साहित्य-सम्पन्न तथा समर्थ हैं और उनमें नवीं-दसवीं शताब्दी ईसवी तक का साहित्य उपलब्ध है।

(2) **ग्रीक**—प्राचीन ग्रीक भाषा को विश्व की भाषाओं में अत्यधिक महत्त्व प्राप्त है। यह मूलभारोपीय भाषा के अत्यधिक समीप है। यूरोप की कला तथा संस्कृति इसी की देन है। महान कवि 'होमर' के प्रसिद्ध महाकाव्य 'इलियड' (Illiad) तथा 'ओडिसी' (Odyssey) जो 1000 ई. पू. के कहे जाते हैं, वे इसी भाषा में हैं।

प्राचीनकाल से ही ग्रीक की अनेक बोलियाँ थीं, जिनमें एटिक (Attic) तथा डोरिया (Doric) प्रमुख थीं। ई. पू. चौथी शताब्दी में एटिक अधिक प्रचलित हो गयी है और वह जनसाधारण की भाषा बनी रही। बाद में, इसी एटिक बोली से आधुनिक ग्रीक का विकास हुआ है।

प्राचीन ग्रीक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात (Pitch accent) था, परन्तु आधुनिक ग्रीक में उसका स्थान बलात्मक स्वराघात (Stress accent) ने ले लिया है।

(3) **जर्मनिक**—जर्मनिक शाखा की तीन उपशाखाएँ हैं—(i) पूर्वी, (ii) उत्तरी तथा (iii) पश्चिमी।

(i) पूर्वी उपशाखा की प्रमुख भाषा प्राचीन गॉथी (Gothic) थी, जो अब मृत हो चुकी है। पादरी उल्फिलास (Bishop Wulfiulos, काल 311 ई. से 389 ई. तक) द्वारा अनूदित बाईबिल की गणना पूर्वी जर्मनिक शाखा के प्राचीनतम साहित्य में की जाती है। गॉथी, संस्कृत से मिलती है।

(ii) उत्तरी उपशाखा में आइसलैंड की (2) आइएलैंडी, डेन्मार्क की (2) डेनी, नार्वे की (3) नारवेई तथा स्वीडन की (4) स्वीडी आदि भाषाएँ आती हैं।

NOTES

(iii) पश्चिमी उपशाखा के अन्तर्गत इङ्गलैंड की (1) अंग्रेजी, जर्मनी की (2) उच्च जर्मन तथा (3) निम्न जर्मन, हालैण्ड की (4) डच और बेल्जियम की (5) फ्लेमि भाषाएँ हैं।

NOTES

जर्मनिक भाषाओं का विश्व की भाषाओं में महत्वपूर्ण स्थान रहा है और है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद के कारण अंग्रेजी का प्रसार बहुत बड़े भूभाग में हुआ है। विज्ञान, साहित्य और दर्शन, इसमें सभी पर्याप्त मात्रा में है। स्वयं जर्मन भाषा भी दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भाषा है। अंग्रेजी में 700 ई. में रचित प्राचीन साहित्य उपलब्ध होता है।

जर्मनिक भाषाएँ प्रारम्भ में योगात्मक थीं, किन्तु धीरे-धीरे अब अयोगात्मक हो गयी हैं।

(4) **कैल्टिक**—लगभग दो हजार वर्ष पहले कैल्टिक भाषा सम्पूर्ण पश्चिमी यूरोप तथा मध्य यूरोप में प्रचलित थी। बाद में, रोमनों के प्रभुत्व के बढ़ने पर कैल्टिक जाति तथा कैल्टिक भाषा का ह्रास हो गया। अब केवल थोड़े से पश्चिमी योरोप में यह प्रचलित है। स्कॉटलैण्ड की स्कॉच, आयरलैण्ड की आयरिश, वेल्स प्रदेश की वेल्श तथा उत्तर पश्चिमी फ्रांस स्थित ब्रिटेनी प्रदेश की ब्रेटन, कैल्टिक शाखा की ही भाषाएँ हैं। भाषाविज्ञान की दृष्टि से कैल्टिक भाषाओं का अध्ययन, भारोपीय परिवार की भाषाओं में सबसे कठिन है।

(5) **हिन्दी**—सन् 1906-07 ई. में तुर्की के बोगाजकोई नामक स्थान पर हिन्दी भाषा के कीलाक्षर अभिलेखों से ही इस भाषा का पता चलता है। इन्हें भारोपीय परिवार के प्राचीनतम अभिलेख माना जाता है, जिनका काल 1900 ई. पू. से 1650 ई. पू. तक है। भारोपीय परिवार से हिन्दी का सम्बन्ध वैसा ही है, जैसा कि संस्कृत अथवा ग्रीक का इतालवी (लैटिन) से है।

विद्वानों का विचार है कि हिन्दी तथा तोखरी ये ही दोनों भाषाएँ हैं जो सबसे पहले भारोपीय परिवार से पृथक् हुई थीं। यही कारण है कि 'स्टर्टवाण्ट' तथा कुछ अन्य विद्वान् भारोपीय परिवार को 'भारत-हिन्दी' कहना अधिक उपयुक्त मानते हैं।

(6) **तुखारी**—हिन्दी शाखा की भाँति ही तुखारी (या तोखारी) शाखा का पता भी बीसवीं शताब्दी के आरम्भ में ही लगा है। इसका क्षेत्र मध्य-एशिया में 7वीं शताब्दी ई. पू. से दूसरी शताब्दी ई. पू. तक था। इसमें बहुत-सी पाण्डुलिपियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनकी लिपि प्राचीन भारतीय लिपि है।

(7) **आर्य (भारत-ईरानी)**—क्योंकि इस शाखा के भाषाभाषी स्वयं को आर्य कहते हैं, अतः आर्य जाति के नाम पर उनकी भाषा को भी आर्य कहा जाता है। इसकी दो प्रमुख उपशाखायें हैं—(i) भारतीय, (ii) ईरानी।

(i) **भारतीय उपशाखा** में प्राचीनकाल से आधुनिक काल तक की सभी भारतीय आर्यभाषाएँ आती हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए इन्हें तीन कालों में विभक्त किया जाता है—

(क) **प्राचीन भारतीय आर्यभाषा**—(काल 2000 ई. पू. से 500 ई. पू. तक) इसमें वैदिक तथा संस्कृत आती हैं। ऋग्वेदादि संहिताएँ, ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषदों की भाषा यही है। रामायण, महाभारत तथा बाद के संस्कृत कवियों की रचनाएँ भी इसी में हैं।

(ख) **मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ** (500 ई. पू. से 1000 ई. तक) इसमें अनेक जनभाषाएँ, जिन्हें प्राकृत कहा गया है, आती हैं, उदाहरण के लिए—

(1) प्रथम प्राकृत या प्राचीन प्राकृत—इसका काल 500 ई. पू. से ईस्वी सन् के आरम्भ होने तक माना जाता है। इसे ही 'पालि' कहा गया है। इसमें बौद्ध धर्म के ग्रन्थ तथा सम्राट अशोक के अभिलेख मिलते हैं।

(2) द्वितीय प्राकृत या प्राकृत—इसका काल ईस्वी सन् के प्रारम्भ से 500 ई. तक माना जाता है। जैन प्राकृत तथा साहित्यिक प्राकृतें (मागधी, अर्द्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री तथा पैशाची) इसी के अन्तर्गत हैं।

(3) तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश—इसका काल 500 ई. सन् से 1000 ई. सन् तक है। इसका परिचय हेमचन्द्र (12 वीं शताब्दी) के व्याकरण के ग्रन्थ से मिलता है। यह अपभ्रंश ही आधुनिक आर्यभाषाओं की जननी है।

(ग) आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ (1000 ई. सन् से वर्तमान काल तक) अपने पूर्वकाल की अपभ्रंशों से ही इनका विकास हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से आधुनिक आर्यभाषाओं का वर्गीकरण निम्नलिखित रूप से किया जाता है—

- (1) उत्तरी वर्ग—जिसमें कश्मीरी, लहँदा, सिन्धी तथा पंजाबी हैं।
- (2) पश्चिमी वर्ग—जिसमें केवल दो भाषाएँ—राजस्थानी तथा गुजराती हैं।
- (3) मध्य वर्ग—जिसमें पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी तथा पहाड़ी हैं।
- (4) पूर्वी वर्ग—जिसमें बिहारी, असमी, बङ्गला तथा उड़िया हैं।
- (5) दक्षिणी वर्ग—जिसमें मराठी तथा सिंहली हैं।

उपर्युक्त भाषाओं के अतिरिक्त 'हबूड़ी' तथा 'जिप्सी' बोलियाँ भी आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं में ही आती हैं।

(ii) ईरानी उपशाखा—में ईरान में बोली जाने वाली सभी ईरानी आर्यभाषाएँ आती हैं। यद्यपि ईरानी आर्यभाषा के विकास की बीच की कुछ कड़ियाँ उपलब्ध नहीं होती हैं तथापि भारतीय आर्यभाषा के विकास की भाँति ही इसे भी तीन कालों में विभाजित किया जाता है; अर्थात्—(क) प्राचीन ईरानी, (ख) मध्यकालीन ईरानी तथा (ग) आधुनिक ईरानी।

इस उपशाखा का प्राचीनतम ग्रन्थ 'अवेस्ता' है। इसी के आधार पर प्राचीन ईरानी भाषा को भी 'अवेस्ता' कहा जाता है। यह भाषा ईरान के पूर्वी भाग में बोली जाती थी।

ईरान के पश्चिमी भाग में बोली जाने वाली ईरानी भाषा 'फारसी' कही गयी है। इस फारसी भाषा का विकास ही आगे चलकर 'मध्यकालीन फारसी' या 'पहलवी' तथा आधुनिक फारसी के रूप में हुआ है। फिरदौसी का 'शाहनामा' आधुनिक फारसी की प्रसिद्ध रचना है।

(8) बाल्ती-स्लावी—जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, इस वर्ग के दो उपवर्ग हैं—(क) बाल्ती या बाल्तिक और (ख) स्लावी या स्लाविक। साथ ही, कुछ भाषाविज्ञानी इन्हें एक ही वर्ग में रखना भी उचित मानते हैं। यहाँ दोनों का परिचय, पृथक्-पृथक्, संक्षेप में अपेक्षित है।

NOTES

(क) बाल्ती या बाल्तिक—इस उपवर्ग की भाषाएँ सागर के तट पर बोली जाती हैं। इसमें दो भाषाएँ हैं—लिथुआनिया देश की लिथुआनी तथा लातविया देश की लेत्ती। ये दोनों ही भाषाएँ अभी तक भी अधिक परिवर्तित नहीं हुई हैं। अतः, इनमें भारोपीय भाषा की अधिकांश विशेषताएँ अभी तक विद्यमान हैं। इस परिवर्तन की कमी का कारण है, इन देशों की भौगोलिक स्थिति, जिसके कारण इन देशों के रहने वालों का बाह्य जगत से सम्पर्क बहुत ही कम हुआ है। लिथुआनिया देश चारों ओर से जंगलों, दलदलों और समुद्र से घिरा हुआ है। छः महीने अत्यधिक शीत पड़ता है। अतः समुद्रमार्ग से भी आवागमन बन्द रहता है। व्यावसायिक दृष्टि से पिछड़े होने के कारण भी यहाँ बाह्य सम्पर्क का अभाव रहा है। परिणामस्वरूप, गत हजार वर्षों से यहाँ की भाषा लगभग अपरिवर्तित ही है।

लिथुआनी भाषा अभी तक पूर्णतया श्लिष्ट है। स्वरूप में यह वैदिक भाषा से बहुत मिलती-जुलती है। वैदिक और संस्कृत की भाँति ही इसमें भी द्विवचन विद्यमान है। संगीतात्मक स्वराघात के कारण भी यह वैदिक एवं ग्रीक भाषाओं से समानता रखती है। लिथुआनी और लेत्ती दोनों में ही 16वीं शताब्दी से बाद का साहित्य उपलब्ध होता है, जो अधिक संवृद्ध नहीं है। साहित्य की अपेक्षा इन भाषाओं का महत्त्व भाषावैज्ञानिक दृष्टि से अधिक है। अपरिवर्तित रहकर अपने मूलरूप को सुरक्षित रखने के लिये, प्रायः लिथुआनी भाषा का उदारहण दिया जाता है।

(क) स्लावी या स्लाविक—इस उपवर्ग की तीन शाखाएँ हैं—(क) पूर्वी, (ख) दक्षिणी और (ग) पश्चिमी।

पूर्वी स्लावी में (i) महारूसी (या केवल रूसी), (ii) श्वेतरूसी तथा (iii) लघुरूसी ये तीन भाषाएँ हैं। श्वेतरूसी रूस के पश्चिमी भाग में तथा लघुरूसी उक्राइन प्रदेश में बोली जाती है। इनका साहित्यिक महत्त्व नगण्य है। महारूसी या केवल रूसी ही सोवियत संघ की राजभाषा एवं राष्ट्रभाषा है। शिक्षा, साहित्य, विज्ञान एवं शासन का माध्यम यही भाषा है। इस भाषा का साहित्यिक विकास यद्यपि 18वीं शताब्दी से ही माना जाता है, किन्तु आज इसमें अनेक विश्वविख्यात साहित्यकारों की रचनाएँ उपलब्ध होती हैं। तुर्गनेव, तालस्ताय और गोर्की आदि अनेक रूसी साहित्यकारों की मौलिक रचनाओं के साथ ही, इसमें कालिदास, तुलसी आदि प्राचीन एवं प्रेमचन्द्र, अज्ञेय आदि नवीन, भारतीय साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद भी उपलब्ध है। रूस की प्राविधिक प्रगति के कारण इसमें पर्याप्त प्राविधिक साहित्य भी उपलब्ध होता है। इस प्रकार रूसी भाषा बहुत ही संवृद्ध एवं समर्थ है।

(ख) दक्षिणी स्लावी—में (i) स्लोवेनी, (ii) सर्बो-क्रीती और (iii) बुल्गारी भाषाएँ हैं। स्लोवेनी युगोस्लाविया के दक्षिण में स्थित आद्रियातिक सागर के तट की बोली है और इसका साहित्यिक मूल्य नगण्य हैं। सर्बो-क्रीती युगोस्लाविया की भाषा है। स्लावी भाषाओं में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान है तथा इसकी कई बोलियाँ भी हैं। 12वीं शताब्दी से इसमें साहित्य-रचना होती रही है।

बुल्गारी—स्लावी उपवर्ग की सर्वप्राचीन भाषा है। इसी को चर्च-स्लावी भी कहा जाता है। इसका जो प्राचीन साहित्य 8वीं शताब्दी का उपलब्ध होता है, वह बाइबिल का अनुवाद है। 9वीं-10वीं शताब्दी में भी इसमें धार्मिक साहित्य की रचना होती रही है। प्राचीन बुल्गारी संस्कृत और ग्रीक से बहुत मिलती है तथा यह संयोगात्मक है। किन्तु आधुनिक बुल्गारी प्रायः वियोगात्मक है। आधुनिक बुल्गारी में ग्रीक, रूमानी, तुर्की एवं अल्बानी भाषाओं के शब्दों की संख्या बहुत अधिक है।

(ग) पश्चिमी स्लावी—में (i) चेक, (ii) पोलि और (iii) स्लोवाक्—ये तीन भाषाएँ हैं। पोलि भाषा पोलैण्ड में बोली जाती है। इसमें 12वीं शताब्दी से साहित्य-रचना हो रही है। प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक पोलि का विकास तीव्रगति से हो रहा है। आधुनिक पोलि साहित्य-सम्पन्न भी हैं।

चेक भाषा चेकोस्लाविया में बोली जाती है। इसमें 13वीं शताब्दी तक का साहित्य मिलता है। चेक का आधुनिक साहित्य, प्राचीन साहित्य की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट है। चेक भाषा की कई बोलियाँ भी हैं।

स्लोवाक् का अपना पृथक् स्वरूप कोई महत्त्व नहीं रखता है। यह, वस्तुतः, चेक भाषा की ही एक विभाषा है।

संक्षेप में, स्लावी भाषाओं में निम्न विशेषताएँ उल्लेखनीय हैं—

(1) श्लिष्ट योगात्मकता—स्लावी भाषाएँ श्लिष्ट योगात्मक या विभक्ति-प्रधान हैं। संस्कृत की भाँति ही इनमें भी शब्द-रूप एवं धातु-रूप बनते हैं।

(2) बलाघात—शब्द में बल-परिवर्तित होने पर, शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। उदाहरण के लिए रूसी शब्द Zamok में यदि बलाघात a पर होगा, तो अर्थ होगा 'दुर्ग' या 'किला' और यदि बलाघात o पर होगा, तो अर्थ होगा 'ताला'।

(9) अल्बानी—यह अल्बानिया देश की भाषा है। ग्रीस में भी कुछ लोग इसे बोलते हैं। यह 'इलीरी' नाम की एक प्राचीन एवं व्यापक भाषा की एकमात्र अवशिष्ट उपभाषा है। अपनी ध्वनियों एवं पदरचना में अत्यधिक परिवर्तन के कारण यह अन्य भारोपीय भाषाओं से नितान्त भिन्न प्रतीत होती है। अतः, बहुत दिनों तक अनेक विद्वान् इसे भारोपीय परिवार में रखने तक के लिए सहमत नहीं थे। इसमें ग्रीक, लैटिन, तुर्की और स्लावी भाषाओं के शब्दों की भरमार है, जिससे इसका अपना स्वरूप तक स्पष्ट नहीं है। प्राचीन साहित्य का इसमें अभाव है। इसमें केवल कुछ प्राचीन अभिलेख ही मिलते हैं। 16वीं शताब्दी का बाइबिल का एक अनुवाद भी इसमें मिला है। इसके बाद 17वीं शताब्दी से इसमें लोकगीत-प्रधान साहित्य उपलब्ध होता है।

(10) आर्मीनी—यह आर्मीनिया देश की भाषा है। आर्मीनिया और ईरान का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। अतः आर्मीनी भाषा पर भी ईरानी भाषा का प्रभाव बहुत अधिक है। प्राचीन आर्मीनी धार्मिक अवसरों पर आज भी प्रयुक्त होती है। इसमें कुछ ईसाई-साहित्य एवं थोड़े-से कीलाक्षर अभिलेख मिलते हैं। इसकी आधुनिक बोली 'स्तंबुल' है, जो कुस्तुनतुनिया देश और कृष्णसागर के तट पर बोली जाती है। डॉ. तारापुरवाला के अनुसार आर्मीनी, आर्य और बाल्ती-स्लावी भाषाओं की संयोजक कड़ी है।

NOTES

4. आर्य शाखा या भारत-ईरानी शाखा

NOTES

1. नामकरण तथा महत्त्व

सर्वप्रथम, इस शाखा के नामकरण तथा महत्त्व पर विचार करना आवश्यक है।

नामकरण—भारोपीय परिवार के उपरान्त, यहाँ भारोपीय परिवार की 'सतम्' शाखा (वर्ग) की आर्य शाखा या भारत-ईरानी शाखा का विस्तृत परिचय दिया जाएगा। कुछ विद्वान् इसे हिन्द-ईरानी शाखा भी कहते हैं। इस शाखा की भाषाओं को बोलने वाले आर्य थे। भारतीय संस्कृति तथा साहित्य का तो 'आर्य' शब्द से घनिष्ठ सम्बन्ध है ही, स्वयं 'ईरान' शब्द भी 'आर्याणाम्' शब्द का ही विकसित रूप है। आर्यों या भारत-ईरानियों द्वारा बोली जाने के कारण ही 'भारोपीय परिवार' की इस शाखा का नाम 'आर्य' या 'भारत-ईरानी' पड़ा है।

महत्त्व—जिस प्रकार अन्य भाषा-परिवारों की अपेक्षा भारोपीय भाषा-परिवार का सर्वाधिक महत्त्व है, उसी प्रकार भारोपीय परिवार की अन्य शाखाओं में 'आर्य' या 'भारत-ईरानी' शाखा का महत्त्व भी सर्वाधिक है। अपितु, कहा जा सकता है कि आर्य शाखा के कारण ही विश्व के भाषा-परिवारों में भारोपीय परिवार को महत्त्वपूर्ण माना जाता है। आर्य शाखा के महत्त्व के निम्नलिखित कारण हैं:—

(1) भारोपीय परिवार का प्राचीनतम और प्रामाणिक साहित्य—'ऋग्वेद' और 'अवेस्ता' ग्रन्थ—इसी शाखा में उपलब्ध होता है। विश्व की किसी भी भाषा में 'ऋग्वेद' की तुलना में प्राचीन तथा प्रामाणिक साहित्य उपलब्ध नहीं है। 'ऋग्वेद' की ऋचाओं का रचनाकाल विभिन्न विद्वानों के अनुसार 3000 ई. पू. से लेकर 1000 ई. पू. तक माना जाता है। इसी प्रकार पारसियों के 'अवेस्ता' नामक धर्मग्रन्थ की रचना भी बहुत प्राचीनकाल में ही हो चुकी थी। 'अवेस्ता' के प्राचीन अंशों की रचना भी ई. पू. तृतीय सहस्राब्दी से लेकर प्रथम सहस्राब्दी तक, कहीं बीच में, मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार इसके रचयिता-आचार्य 'जोरोआस्टर' या 'जरथुष्ट' हैं और अनुमानतः उनका काल 14वीं शताब्दी ई. पू. है।

(2) आर्य शाखा की शाखाओं की संरचना तथा उनका साहित्य भी पर्याप्त महत्त्व का है।

(3) सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'भाषाविज्ञान' को अपने अध्ययन के लिए सर्वाधिक सामग्री आर्यशाखा से ही प्राप्त हुई है। पश्चिम में तो आधुनिक भाषा विज्ञान का श्रीगणेश ही इस शाखा की भाषाओं, विशेषतः संस्कृत के अध्ययन से हुआ है।

2. आर्य शाखा का विभाजन—आर्य शाखा के भाषा-विकास को देखते हुए यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि विभाजन से पूर्व इस शाखा के भाषाभाषी आर्य किसी एक ही स्थान पर रहते थे। बाद में, उनमें से कुछ लोग ईरान में रह गये तथा कुछ लोग भारत की ओर आ गये। यही कारण है कि आर्य शाखा की एक उपशाखा ईरानी कहलायी और दूसरी भारतीय या हिन्द। इन दोनों प्रमुख उपशाखाओं के मध्य एक गौण 'दरद' उपशाखा का अस्तित्व भी कुछ विद्वानों ने स्वीकार किया है।

3. वैदिक संस्कृत तथा अवेस्ता की तुलना

(क) वैदिक-संस्कृत तथा अवेस्ता का साम्य—भारतीय उपशाखा की सर्वप्राचीन उपलब्ध भाषा वैदिक या वैदिक संस्कृत है। इसी प्रकार ईरानी उपशाखा की सर्वप्राचीन उपलब्ध भाषा 'अवेस्ता' है। अतः, यहाँ इन दोनों भाषाओं की तुलना करते हुए, इनके साम्य-वैषम्य को देखना उपयोगी होगा। 'वैदिक-संस्कृत' और 'अवेस्ता' दोनों का ही विकास मूलभारोपीय भाषा से हुआ है, अतः दोनों में कुछ साम्य का होना स्वाभाविक है। संक्षेप में, वैदिक-संस्कृत तथा अवेस्ता में निम्नलिखित साम्य हैं—

NOTES

(1) मूल भारोपीय भाषा के ह्रस्व (अ, ए, ओ) तथा तीन दीर्घ (आ, ऐ, औ) मूल स्वरों के स्थान पर भारत-ईरानी (संस्कृत-अवेस्ता) दोनों ही एक ह्रस्व (अ) तथा एक दीर्घ (आ) मूल स्वर मिलता है—

मूल भारोपीय		वैदिक-संस्कृत	=	अवेस्ता
नेभोस	>	नभस्	=	नवह
ओस्थ	>	अस्थि	=	अस्त
याग	>	यज्	=	यज्
एपो	>	अपः	=	अप

(2) मूल भारोपीय के अतिह्रस्व या उदासीन स्वर अ के स्थान पर भारत-ईरानी में 'इ' मिलता है—

मूल भारोपीय		वैदिक-संस्कृत	>	अवेस्ता
पूअते	>	पिता	>	पिता

(3) मूल भारोपीय 'र्' (ऋ) के स्थान पर भारत-ईरानी में ल् (लृ) तथा 'ल्' (लृ) के स्थान पर 'र्' (ऋ) मिलता है। अर्थात् इन ध्वनियों में 'रलयोरभेदः' (र् और ल् में अभेद) की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

(4) मूलभारोपीय शब्दों में इ, उ, क् तथा र् आदि के बाद में आने वाला 'स्' व्यञ्जन संस्कृत में 'ष्' तथा ईरानी में 'श्' हो गया है—

मूल भारोपीय		वैदिक-संस्कृत	=	अवेस्ता
स्थिस्थामि	>	तिष्ठामि	=	हिश्तइति
जिउस्तर	>	जोष्ठा	=	जओशा

(5) इसी प्रकार मूल भारोपीय कण्ठ्य या कण्ठोष्ठ्य क् (क्व्) ख् (ख्व्) ग् (ग्य्) घ् (घ्व्) ध्वनियाँ भारत-ईरानी में शुद्ध कण्ठ्य—क्, ख्, ग्, घ्, हो गयी हैं। अपने बाद में इ, ए, स्वर ध्वनि आने पर ये ही क्, ख्, ग्, घ् क्रमशः च्, छ्, ज् और झ् हो जाती हैं।

(6) मूल भारोपीय की प्रथम श्रेणी की कण्ठतालव्य क् (क्य्) ख् (ख्य्) ग् (ग्व्) घ् (घ्व्य्) ध्वनियाँ भारत-ईरानी में क्रमशः श्, श्ह्, ज् और ज्ह् हो गयी हैं। बाद में संस्कृत में श्, ज्, ह् तथा अवेस्ता में स्, ज् और ज्ह् हो गयी हैं।

(7) भारत-ईरानी दोनों में ही स्वरान्त संज्ञाओं का षष्ठी बहुवचन 'नाम्' प्रत्यय लगाकर बनता है; जैसे, आर्याणाम्।

NOTES

(8) दोनों में ही आज्ञार्थक प्रत्यय 'तु' (एकवचन), 'न्तु' (बहुवचन) पाये जाते हैं।

(9) अनेक शब्द भारत-ईरानी, दोनों में ही ध्वनियों तथा अर्थों की दृष्टि से, लगभग समान ही हैं—

वैदिक-संस्कृत		अवेस्ता
ओजस्	=	ओजो
अनु	=	अनु
अन्य	=	अन्य
ददामि	=	ददामि
पुत्र	=	पुत्र

(10) वैदिक तथा अवेस्ता में इतनी अधिक समानता है कि एक भाषा को थोड़े से परिवर्तन से दूसरी भाषा में बदला जा सकता है—

वैदिक-संस्कृत		अवेस्ता
यो यथा पुत्रं तरुणं सोमं	=	यो यथा पुत्रं तउरुनम् हओमम्
वन्देत मर्त्यः।	=	वन्देँता मश्यो।

(ख) वैदिक संस्कृत तथा अवेस्ता का वैषम्य—एक ही, मूल भारोपीय भाषा से ही पृथक्-पृथक् रूपों में विकसित होने के कारण भारतीय (वैदिक संस्कृत) तथा (अवेस्ता) में अनेक प्रकार का वैषम्य भी है, जो इन्हें एक-दूसरी से पृथक् करता है:—

(1) वैदिक-संस्कृत 'ऋ' 'ध्वनि' अस्वेता में 'अर्' 'र्' या 'अ' मिलती है।

वैदिक संस्कृत		अवेस्ता
वृक्षम्	=	वरेशम्

(2) वैदिक-संस्कृत में चवर्ग व्यञ्जनों की संख्या 5 है—च, छ, ज, झ, और ज्ञ। किन्तु, अवेस्ता में चवर्ग में केवल 2 ही व्यञ्जन हैं—च और ज।

(3) वैदिक-संस्कृत में टवर्ग है, किन्तु अवेस्ता में नहीं है।

(4) वैदिक-संस्कृत वर्णमाला में पाँचों वर्गों में विद्यमान महाप्राण वर्ण (द्वितीय और चतुर्थ) अवेस्ता में नहीं हैं।

(5) प्राचीन अवेस्ता में 'ल्' भी नहीं है। इसके स्थान पर वहाँ 'र्' का ही प्रयोग होता है, जैसे—'श्रीलः' के स्थान पर 'श्रीरो'।

(6) अवेस्ता में स्वरों की संख्या अधिक है। वैदिक संस्कृत के 'अ' या 'आ' के स्थान पर अवेस्ता में 8 भिन्न-भिन्न स्वरों का प्रयोग होता है।

(7) वैदिक-संस्कृत की 'स्' ध्वनि, अवेस्ता में 'ह' हो जाती है—

वैदिक-संस्कृत		अवेस्ता
सप्त	=	हप्त
असि	=	अहि
असुर	=	अहुर

NOTES

(8) वैदिक-संस्कृत की घोष महाप्राण ध्वनियाँ घ, ध, भू अवेस्ता में घोष अल्पप्रमाण मिलती हैं—

वैदिक-संस्कृत		अवेस्ता
भूमि	=	बूमि
भ्राता	=	ब्राता
दीर्घम्	=	दरेगम्

(9) वैदिक-संस्कृत की अघोष अल्पप्रमाण क्, त्, प्, ध्वनियाँ अवेस्ता में संघर्षी ख्, थ्, फ् के रूप में मिलती हैं—

वैदिक-संस्कृत		अवेस्ता
क्रतुः	=	खुरतुश्
सत्यम्	=	हरथ्यम्
स्वप्नम्	=	हवफनम्

(10) अवेस्ता में आदिस्वरागम तथा अपिनिहित-संस्कृत की अपेक्षा अधिक है—

वैदिक-संस्कृत		अवेस्ता
भरति	=	बरइति
भवति	=	बवइति

इन ध्वनि-सम्बन्धी भेदों के अतिरिक्त व्याकरण-सम्बन्धी अनेक भेद भी मिलते हैं।

उपर्युक्त विषमता को देखने से ज्ञात होता है कि वैदिक एवं अवेस्ता में मुख्य अन्तर उच्चारण सम्बन्धी ही है। क्योंकि ध्वनियों के उच्चारण सम्बन्धी उदाहरण ही विद्वानों की दृष्टि में अधिक आये हैं। सम्भवतः, पदरचना और अर्थ में उतना अन्तर नहीं है, जिसकी ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता हो।



5. ईरानी भाषा

NOTES

भारोपीय परिवार के सतम् वर्ग की हिन्द-ईरानी शाखा की एक उपशाखा ईरानी भाषा है। इसका क्षेत्र ईरान देश है। प्राचीन ईरानी भाषा (अवेस्ता) तथा प्राचीन भारतीय आर्यभाषा (वैदिक-संस्कृत) की तुलना पहले की जा चुकी है। यहाँ ईरानी भाषा के क्रमिक विकास को प्रस्तुत करना ही प्रमुख उद्देश्य है।

1. ईरानी भाषा का काल-विभाजन—यद्यपि भारतीय आर्यभाषा की भाँति, ईरानी आर्यभाषा की पूरी शृंखला उपलब्ध नहीं होती है, तथापि काल की दृष्टि से इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है—

(क) प्राचीन ईरानी, (ख) मध्यकालीन ईरानी तथा (ग) आधुनिक ईरानी।

(क) प्राचीन ईरानी—ऐसा अनुमान है कि प्राचीन ईरानी में साहित्य की मात्रा पर्याप्त थी, किन्तु दो विदेशी आक्रमणों ने इसके प्रचुर साहित्य को जलाकर राख कर डाला। इनमें से पहला विदेशी आक्रमण ई. पू. 323 में सिकन्दर का था और दूसरा लगभग 7वीं शताब्दी ई. में अरबों का। इन दोनों विदेशी आक्रमणकारियों ने अपनी अदूरदर्शिता से प्राचीन ईरानी भाषा के अधिकांश साहित्य को नष्ट कर दिया।

प्राचीन ईरानी के दो रूप थे, जिनमें से (i) एक ईरान के पूर्वी भाग में बोला जाता था, (ii) दूसरा पश्चिमी भाग में।

(i) पूर्वी ईरानी या अवेस्ता—इसका प्रतिनिधि साहित्य केवल 'अवेस्ता' ग्रन्थ ही है। यह पारसियों का धर्मग्रन्थ है। इसके रचयिता आचार्य जरथ्रुष्ट्र हैं। इसकी भाषा को भी 'अवेस्ता' कहते हैं। कुछ लोग इसे 'अवेस्ती' या 'अवेस्तन' भी कहते हैं। प्राचीन बैक्ट्रिया राज्य की राजभाषा होने के कारण यह 'प्राचीन बैक्ट्रियन' भी कही जाती है। कुछ लोग भ्रमवश इसे 'जिन्दावेस्ता' भी कहते हैं। वस्तुतः 'जिन्द' का अर्थ है 'टीका' और 'जिन्दावेस्ता' का अर्थ है—'अवेस्ता' की 'टीका', जो पहलवी भाषा में है। वस्तुतः, 'अवेस्ता' शब्द का अर्थ है—'शास्त्र'। इसमें वैदिक ग्रन्थ ऋग्वेद की भाँति ही 'गाथाएँ' या 'प्रार्थनाएँ' हैं। इसके प्राचीन अंश विभिन्न मतों के अनुसार ई. पू. 3000 से लेकर ई. पू. 700 तक माने जाते हैं। इसी कारण 'ऋग्वेद' तथा 'अवेस्ता' की तुलना अपना विशेष महत्त्व रखती है।

'अवेस्ता' धर्मग्रन्थ की भाषा 'पूर्वी ईरानी' या 'अवेस्ता' का विकास आगे किस रूप में हुआ, इसका कोई ज्ञान आज हमें नहीं है।

(ii) पश्चिमी ईरानी या प्राचीन फारसी—यह ईरान के केवल पश्चिमी भाग की भाषा थी। काल की दृष्टि से प्राचीन फारसी 'अवेस्ता' भाषा से कुछ ही बाद की प्रतीत होती है। भारतीय प्राचीन आर्यभाषा संस्कृत से इसकी पर्याप्त समानता है। लिखित रूप में इसमें केवल ऐकेमिनियम राजाओं—डेरियस प्रथम (421-485 ई. पू.) आदि के खुदवाये कुछ अभिलेख ही मिलते हैं, जो कीलाक्षरों में हैं। अभिलेखों से संकलित लगभग 400 शब्दों के आधार पर किए गए, इस भाषा के अध्ययन से इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ ज्ञात होती हैं—

1. 'प्राचीन फारसी' तथा 'अवेस्ता' भाषा में अनेक समानताएँ हैं।

2. 'प्राचीन फारसी' की वर्णमाला 'अवेस्ता' की वर्णमाला से सरल है।

3. वर्णमाला की दृष्टि से प्राचीन फारसी संस्कृत के समीप है।

उदाहरणार्थ—संस्कृत के समान ही प्राचीन फारसी में अ (a) स्वरं ध्वनि केवल एक रूप में ही मिलती है, अवेस्तन के समान ह्रस्व ऍ (e) तथा ओ (O) का इसमें अभाव है।

NOTES

अवेस्ता		प्राचीन फारसी		संस्कृत
ये जी (Yezi)	=	यदि (Yadiy)	=	यदि

4. 'अवेस्ता' भाषा के ह्रस्व e (ँ) और O (ओं) के अभाव के साथ ही साथ 'अवेस्ता' की व्यञ्जन z (सघोषऽ) ध्वनि, प्राचीन फारसी में द (d) हो जाती है।

अवेस्ता		प्राचीन फारसी		संस्कृत
Zasta	>	dasta	=	हस्त
Azam	>	adam	=	अहम्

5. 'अवेस्ता' भाषा में हलन्त पद मिलते हैं, किन्तु 'प्राचीन फारसी' में नहीं—

अवेस्ता		प्राचीन फारसी		संस्कृत
Abarat	=	abara ...	=	अभरत्

अन्य प्राचीन ईरानी भाषाएँ

प्राचीन फारसी के अतिरिक्त शेष प्राचीन ईरानी बोलियों में से सागिदियन, जैबुली, हिराती आदि का केवल नाम ही ज्ञात होता है। इनके विषय में अन्य कुछ जानकारी नहीं है।

(ख) मध्यकालीन ईरानी (फारसी अथवा पहलवी)

यह प्राचीन फारसी से ही विकसित मानी जाती है। सैसैनियन राजवंश (226 ई. से 642 ई.) की यह राजभाषा थी। इसका साहित्य भी तीसरी शताब्दी से ही मिलना प्रारम्भ होता है। कुछ खुदे हुए लेख तथा 'अवेस्ता' धर्मग्रन्थ के कुछ भागों की टीका इसमें प्राप्त है।

पहलवी में सेमेटिक शब्दों की संख्या बहुत अधिक है। इसकी लिपि भी सेमेटिक ही है। केवल 13 संकेतों से ही 27 ध्वनियों को व्यक्त करने के कारण इसकी लिपि कठिन होने के साथ ही बहुत ही अवैज्ञानिक भी है।

जिस प्रकार 'अवेस्ता' प्राचीन भारतीय आर्यभाषा 'वैदिक' से समानता रखती है तथा 'प्राचीन फारसी', प्राचीन भारतीय आर्यभाषा संस्कृत से समानता रखती है, उसी प्रकार 'मध्यकालीन फारसी' या 'पहलवी' मध्यकालीन भारतीय 'प्राकृत' तथा 'अपभ्रंशों' से समानता रखती है।

(ग) **आधुनिक फारसी**—यह मध्यकालीन फारसी से ही विकसित है। इसकी सबसे प्राचीनतम साहित्यिक रचना महाकवि 'फिरदौसी' (940-1020 ई.) का 'शाहनामा' नामक राष्ट्रीय महाकाव्य है। अर्वाचीन फारसी की अपेक्षा 'फिरदौसी' की भाषा में अरबी भाषा के शब्द कम हैं।

‘फिरदौसी’ के बाद की फारसी, पर विशेषतः साहित्यिक फारसी पर, अरबी का प्रभाव बढ़ता गया है। वाक्य-रचना तक अरबी भाषा से प्रभावित है। यद्यपि ‘फिरदौसी’ के समय से लेकर आज तक की फारसी, रचना आदि की दृष्टि से, प्रायः एक-सी ही है, तथापि शब्द-भण्डार में नये-नये शब्दों की संख्या पर्याप्त बढ़ गयी है। उच्चारण में भी परिवर्तन हो गया है। कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

NOTES

1. आधुनिक फारसी, मध्यकालीन फारसी की अपेक्षा अधिक सरल तथा मधुर है।
2. यह हिन्दी के समान वियोगात्मक हो गयी है।
3. अनेक विदेशी, विशेषतः फ्रांसीसी शब्द इसमें आ गये हैं।
4. शब्दरूपों का भेद मध्यकालीन फारसी की अपेक्षा कम हो गया है।
5. उच्चारण की दृष्टि से निम्नलिखित अन्तर हुआ है—

(क) प्राचीन और मध्यकालीन फारसी की क्, त्, प् और च् ध्वनियाँ क्रमशः ग्, द्, ब्, और ज् हो गयी हैं—

अवेस्ता	पहलवी	आधुनिक फारसी	अर्थ
mahrka	= mark	= marg	= ...
hvato	= khot	= khud	= खुद = स्वयं
ap	= op	= ab	= आब = पानी
rauch	= roj	= roz	= रोज = दिन

(ख) अवेस्तन Y के स्थान पर आधुनिक फारसी में प्रायः J मिलता है—

Yama	=	Jam	=	शीशे का प्याला
yatu	=	Jadu	=	जादू (तमाशा)

(ग) अवेस्ता तथा प्राचीन फारसी में शब्दों के आरम्भ में आने वाले संयुक्त व्यञ्जन, आधुनिक फारसी में संयुक्त नहीं रहते, उनके आरम्भ या मध्य में एक नयी स्वर ध्वनि आ जाती है—

अवेस्ता तथा प्रा. फारसी		आधुनिक फारसी
Sta (स्ता = ठहरना)	=	Istadan (इस्तादन)
Brathar (भाई)	=	Biradar (बिरादर)


संक्षेप में, ईरानी भाषा के विकास को हम निबन्धात्मक रूप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं—

प्राचीन ईरानी के दो रूप थे—(1) ईरान के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली पूर्वी ईरानी, जिसका रूप हमें ‘अवेस्ता’ धर्मपुस्तक में मिलता है और इसी कारण, जो ‘अवेस्ता’ भाषा कही जाती है। इसका विकास आगे मध्यकाल आधुनिक काल में किस रूप में हुआ है, इसका कोई नमूना हमें आज प्राप्त नहीं। अतः इसके सम्बन्ध में आगे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। (2) ईरानी के पश्चिमी भाग (जिसे पहले फारस कहा जाता था) में बोली जाने वाली प्राचीन ईरानी को पश्चिमी ईरानी या प्राचीन फारसी कहते हैं। इस प्राचीन फारसी का विकास, मध्यकाल में ‘पहलवी’ तथा आधुनिक काल में ‘साहित्यिक फारसी’ के रूप में मिलता है।

प्राचीन फारसी में ऐकेमिनियन राजवंश के कुछ अभिलेख प्राप्त होते हैं। मध्यकालीन फारसी या 'पहलवी' में कुछ खुदे हुए लेख तथा 'अवेस्ता' धर्मग्रन्थ के कुछ अंशों की टीका प्राप्त होती है। अर्वाचीन फारसी या 'साहित्यिक फारसी' में 'फिरदौसी' का 'शाहनामा' नामक महाकाव्य प्राप्त होता है।

फारसी के उपर्युक्त तीनों रूपों के ध्वनि-परिवर्तन, लिपि-परिवर्तन तथा शब्द-भण्डार में परिवर्तन आदि भाषाविकास के लक्षण उपलब्ध होते हैं और इस रूप में—'प्राचीन फारसी' (प्राचीन भारतीय आर्यभाषा) 'संस्कृत' से, 'मध्यकालीन फारसी' (मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा), 'प्राकृत तथा अपभ्रंश' से और आधुनिक 'फारसी' (आधुनिक भारतीय भाषा) आधुनिक 'हिन्दी' आदि से समानता रखती है।

ईरानी भाषा से विकसित आधुनिकतम भाषाओं (बोलियों) में से किसका विकास प्राचीन या मध्यकालीन फारसी के किस रूप से हुआ है, इसका कोई ठोस प्रमाण उपलब्ध नहीं होता है। वैसे ईरानी भाषा के क्षेत्र में आजकल—पश्तो (पशतो) देवारी, बलूची, ओसेतिक, कुर्दी, बर्गिस्ताँ, पामारी तथा आधुनिक फारसी आदि अनेक बोलियाँ प्रचलित हैं, जिनके विकास की कोई सुनिश्चित रूपरेखा प्राप्त नहीं होती है। संक्षेप में, ईरानी भाषा के विकास की रूपरेखा इस प्रकार है—



[टिप्पणी—ओसेतिक, कुर्दी और बर्गिस्ताँ आदि ये आधुनिक बोलियाँ फारसी के अपने किस पूर्वकालीन रूप से विकसित हैं, यह निश्चित नहीं है इसीलिये इन्हें प्रश्नचिह्नों की शृंखला के पश्चात् दिखलाया गया है।]

NOTES

6. भारतीय आर्यभाषा

NOTES

1. महत्त्व

भारतीय आर्यभाषा का महत्त्व संसार की सभी भाषाओं से अधिक है। इस महत्त्व का श्रेय प्रमुख रूप से संस्कृत भाषा को है। इसके महत्त्व के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

1—विश्व की किसी भी अन्य प्राचीन भाषा का साहित्य इतना विस्तृत नहीं है और न ही इतना प्रामाणिक है।

2—ग्रीक तथा लैटिन, यूरोप की इन दोनों प्राचीन भाषाओं का साहित्य मिलकर भी, मात्रा में संस्कृत-साहित्य से कम ही रहता है।

3—इस वर्ग में वैदिक, बौद्ध और जैन, इन तीनों प्रमुख धर्मों का तथा अन्य कई धर्मों का साहित्य उपलब्ध होता है।

4—भारतीय आर्यभाषा की प्राचीनतम भाषा, वैदिक भाषा का साहित्यिक ग्रन्थ 'ऋग्वेद' विश्व का प्राचीनतम साहित्य है।

5—यूरोप में संस्कृत भाषा के अध्ययन के साथ ही भाषाविज्ञान को एक विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है।

2. भारतीय आर्यभाषा का कालविभाजन—काल की दृष्टि से भारतीय आर्यभाषा की पूरी शृंखला को 6 भागों में विभाजित किया जाता है—

(क) प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ (प्रा. भा. आ.)—1500 ई. पू. से 500 ई. पू. तक।

(ख) मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ (म. भा. आ.)—500 ई. पू. से 1000 ई. तक।

(ग) आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ (आ. भा. आ.)—1000 ई. सन् से अब तक।

इन तीनों का परिचय क्रमशः यहाँ प्रस्तुत है।

(क) प्राचीन भारतीय आर्यभाषाएँ—इनका समय 1500 ई. पू. से 500 ई. पू. तक माना जाता है। वस्तुतः यह विवादास्पद विषय है। इस वर्ग में भाषा के दो रूप उपलब्ध होते हैं—(i) वैदिक या वैदिक संस्कृत, (ii) संस्कृत या लौकिक संस्कृत। इन दोनों का भी पृथक्-पृथक्, परिचय अपेक्षित है।

(i) वैदिक या वैदिक संस्कृत—इसे 'वैदिक भाषा', 'वैदिकी', 'छान्दस्' या 'प्राचीन संस्कृत' भी कहा जाता है। वैदिक भाषा का प्राचीनतम रूप ऋग्वेद में सुरक्षित है। यद्यपि अन्य तीनों संहिताओं, ब्राह्मण-ग्रन्थों तथा प्राचीन उपनिषदों आदि की भाषा भी वैदिक ही है, किन्तु इन सभी में भाषा का एक ही रूप नहीं मिलता। 'ऋग्वेद' के दूसरे मण्डल से नौवें मण्डल तक की भाषा ही सर्वाधिक प्राचीन है। यह 'अवेस्ता' के अत्यधिक निकट है। शेष संहिताओं तथा अन्य ग्रन्थों में भाषा का क्रमिक विकसित रूप मिलता है। प्रो. आन्त्वाँ आदि विद्वानों का मत है कि ऋग्वेद की उन ऋचाओं की भाषा ही प्राचीनतम है, जिनमें आर्यों का वातावरण तत्कालीन पञ्जाब के वातावरण से मिलता-जुलता वर्णित है। इसी प्रकार

वैदिक भाषा के दो अन्य रूप—दूसरा और तीसरा भी वैदिक साहित्य में मिलते हैं। दूसरे रूप पर मध्यदेशीय भारत का तथा तीसरे रूप पर पूर्वी भारत का प्रभाव लक्षित होता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक भाषा का प्रवाह अनेक शताब्दियों तक रहा होगा।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

NOTES

विद्वानों का विचार है कि वैदिक भाषा का जो रूप हमें आज वैदिक साहित्य, विशेषतः ऋग्वेद में मिलता है, वह तत्कालीन साहित्यिक भाषा ही थी बोलचाल की भाषा नहीं। तत्कालीन बोलचाल की भाषा को जानने का कोई साधन आज हमें उपलब्ध नहीं है। हाँ, साहित्यिक वैदिक के आधार पर हम उसका कुछ अनुमान अवश्य ही कर सकते हैं।

वैदिक भाषा की ध्वनियाँ

वैदिक भाषा की ध्वनियाँ मूलभारोपीय ध्वनियों से कई बातों में भिन्न हैं—

1. मूलभारोपीय तीन मूल ह्रस्व स्वरों—अ, ए, ओ के स्थान पर वैदिक में केवल एक 'अ' ही मूल ह्रस्व स्वर शेष है।
2. मूलभारोपीय तीन मूल दीर्घ स्वरों—आ, ए, ओ के स्थान पर वैदिक में केवल एक 'आ' ही मूल दीर्घ शेष है।
3. मूलभारोपीय में प्राप्त न्, म् अन्तस्थ ध्वनियों का वैदिक में लोप हो गया है।
4. मूलभारोपीय में तीन प्रकार की कवर्ग ध्वनियाँ थीं, किन्तु वैदिक में एक ही प्रकार की कवर्ग (क्, ख्, ग्, घ्) ध्वनियाँ हैं।
5. मूलभारोपीय में चवर्ग तथा टवर्ग का नितान्त अभाव था, जबकि वैदिक ध्वनियों में ये नये दो वर्ग आ मिले हैं। मूर्धन्य टवर्ग ध्वनियों का आगमन वैदिक संस्कृत की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसका कारण द्रविड़ भाषा का प्रभाव है।
6. मूलभारोपीय में एक ही 'स्' (ऊष्म) ध्वनि थी। वैदिक में इसके साथ ही श् तथा ष् ये दो (ऊष्म) ध्वनियाँ और आ जुड़ी हैं।

इस प्रकार वैदिक ध्वनि-समूह में निम्नलिखित ध्वनियाँ हैं—

वैदिक ध्वनि-समूह

मूलस्वर—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ॠ, लृ, ए, ओ	= 11
संयुक्त स्वर—ऐ, (अइ), औ (अउ)	= 2
कण्ठ्य—क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, (कवर्ग)	= 5
तालव्य—च्, छ्, ज्, झ्, ञ्, (चवर्ग)	= 5
मूर्धन्य—ट्, ठ्, ड्, ढ्, ढ्ह, ण् (टवर्ग)	= 7
दन्त्य—त्, थ्, द्, ध्, न् (तवर्ग)	= 5
ओष्ठ्य—प्, फ्, ब्, भ्, म् (पवर्ग)	= 5

दन्तोष्ठ्य—व्	= 1
अन्तस्थ —य्, र्, ल्, व्,	= 4
शुद्ध अनुनासिक—अनुस्वारं (o)	= 1
संघर्षा—श्, ष्, स्, ह्, (क्, ख् से पूर्व अर्द्धविसर्गसदृश) जिह्वामूलीय, (प्, फ्, से पूर्व अर्द्धविसर्ग सदृश) उपध्मानीय	= 6
	कुल = 52

वैदिक भाषा की विशेषताएँ

प्रत्येक भाषा का अपना विशिष्ट स्वरूप होता है। प्रत्येक भाषा अपनी व्यक्तिगत विशेषताओं के कारण अपना पृथक् अस्तित्व रखती है। किसी भाषा की ऐसी विशेषताएँ ही उसे अन्य भाषाओं से पृथक् करती हैं। इस दृष्टि से वैदिक भाषा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ यहाँ प्रस्तुत हैं—

1. वैदिक भाषा में स्वरों के ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण के साथ ही उनका प्लुत उच्चारण भी होता है, जैसे, आसीउत्, विन्दतीउ इत्यादि।
2. वैदिक भाषा में 'लृ' स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है।
3. वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात का बहुत महत्व है। इसमें तीन प्रकार के स्वर हैं—उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। वैदिक मन्त्रों के उच्चारण में इनका ध्यान रखना अनिवार्य होता है। स्वर-परिवर्तन से, शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। 'इन्द्रशत्रुः' इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। भाषाविज्ञान की दृष्टि से भी वैदिक भाषा की स्वराघात प्रधानता का बहुत महत्व है।
4. वैदिक भाषा की व्यञ्जन ध्वनियों में ळ और ळ्ह दो ऐसी ध्वनियाँ हैं, जो उसे अन्य भाषाओं से पृथक् करती हैं, जैसे 'इळ' अग्निमीळे', आदि में।
5. प्राचीन वैदिक में 'लृ' के स्थान पर प्रायः 'र' का व्यवहार मिलता है; जैसे—'सलिल' के स्थान पर 'सरिर'।
6. वैदिक भाषा में सन्धि-नियमों में पर्याप्त शिथिलता दृष्टिगोचर होती है। अनेक बार सन्धि-योग्य स्थलों पर भी सन्धि नहीं होती और दो स्वर साथ-साथ प्रयुक्त हो जाते हैं; जैसे—'तितउ' (अ, उ) 'गोओपशा' (ओ, ओ)।
7. वैदिक भाषा में शब्द-रूपों में पर्याप्त अनेकरूपता मिलती है। उदाहरण के लिए प्रथमा विभक्ति, द्विवचन, में 'देवा' और 'देवौ', प्रथमा विभक्ति बहुवचन में 'जनाः' और 'जनासः' तृतीया विभक्ति बहुवचन में 'देवैः' और 'देवेभिः' दो-दो रूप मिलते हैं। यह विविधता कुछ अन्य रूपों में भी मिलती है।
8. यही विविधता धातुरूपों में भी उपलब्ध होती है। एक ही 'कृ' धातु के लट्लकार, प्रथम पुरुष में—'कृणोति', 'कृणुते', 'करोति', 'कुरुते', 'करति', आदि अनेक रूप मिलते हैं।

9. धातुओं से, एक ही अर्थ में अनेक प्रत्यय लगते हैं। जैसे, एक ही 'तुमुन्' प्रत्यय के अर्थ 'तुमुन्', 'से', 'सेन्', 'असे', 'कसे', 'कसेन्', 'अध्यै', 'अध्यैन्', 'कध्यै', 'कध्यैन्', 'शध्यै', 'शध्यैन्', 'तवै', 'तवैङ्', और 'तवेन्'—ये 16 प्रत्यय मिलते हैं। यही विविधता क्त्वा आदि अन्य अनेक प्रत्ययों में भी है।

10. वैदिक भाषा में उपसर्गों का प्रयोग स्वतन्त्र रूप से होता था। उदाहरणार्थ—“अभि त्वा पूर्वपीतये सृजामि”—(ऋग्वेद 1/11/9), यहाँ 'अभि' उपसर्ग का प्रयोग 'सृजाति' क्रियापद से पृथक् स्वतन्त्ररूप से हुआ है। इसी प्रकार “मानुषान् अभि” (ऋ. 1/14/7) में 'अभि' स्वतन्त्ररूप से प्रयुक्त है।

11. पदरचना की दृष्टि से वैदिक भाषा शिल्पयोगात्मक है। सम्बन्धतत्त्व (प्रत्यय) के जुड़ने पर यहाँ अर्थतत्त्व (प्रकृति) में कुछ परिवर्तन तो हो जाता है, किन्तु अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व को पृथक्-पृथक् पहचाना जा सकता है। जैसे—'गृहाणाम्' यहाँ 'गृह प्रकृति' तथा 'नाम्' प्रत्यय स्पष्ट रूप से पहचाने जाते हैं।

संक्षेप में, वैदिक भाषा में प्रयोगों की अनेकरूपता को देखने से प्रतीत होता है कि आज वैदिक भाषा का जो स्वरूप हमें उपलब्ध होता है, वह तत्कालीन अनेक बोलियों का मिला-जुला रूप है, जिनमें देश-भिन्नता तथा काल-भिन्नता, दोनों का ही होना सम्भव है। सम्भवतः, उस काल की जनसामान्य की विविध बोलियों का ही, हिन्दी की खड़ी बोली के समान, एक परिनिष्ठित साहित्यिक रूप वह वैदिक भाषा है, जो हमें आज 'ऋग्वेद' आदि में उपलब्ध होती है।

(ii) संस्कृत भाषा—प्राचीन भारतीय आर्यभाषा का दूसरा रूप 'संस्कृत' है। इसी को 'लौकिक संस्कृत' या 'क्लासिकल संस्कृत' भी कहा जाता है। यूरोप में जो स्थान 'लैटिन' भाषा का है, वही स्थान भारत में संस्कृत का है। भारत में 'रामायण', 'महाभारत' से भी पहले से लेकर आज तक संस्कृत में साहित्य-रचना हो रही है। गुप्तकाल में संस्कृत की सर्वाधिक उन्नति हुई थी। इसका साहित्य विश्व के सर्वोद्भूत साहित्यों में से एक है। 'वाल्मीकि', 'व्यास', 'कालिदास' आदि इसकी महान् विभूतियाँ हैं। विश्व-विख्यात महाकवि कालिदास का 'अभिज्ञानशाकुन्तलम्' नाटक संस्कृत भाषा का शृङ्गार है। विश्व की अनेक भाषाओं में संस्कृत के अनेक ग्रन्थों का अनुवाद हुआ है।

भाषाविज्ञान की दृष्टि से संस्कृत का महत्त्व बहुत अधिक है। संस्कृत के अध्ययन के कारण ही यूरोप में आधुनिक युग में 'तुलनात्मक भाषाविज्ञान' का प्रारम्भ हुआ है।

संस्कृत का विकास उत्तरी भारत में बोली जाने वाली वैदिककालीन भाषा से माना जाता है, यद्यपि भारत के मध्य भाग तथा पूर्वी भाग की बोलचाल की भाषाओं का प्रभाव भी उस पर रहा होगा। लगभग 8वीं शताब्दी ई. पू. में इसका प्रयोग साहित्य में होने लगा था। यह वह अवस्था है, जब संस्कृत की आधारभूत भाषा का प्रयोग बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा दोनों के रूप में हो रहा था। अनुमान किया जाता है कि लगभग ई. पू. 5वीं शताब्दी या कुछ क्षेत्रों में उसके भी बाद तक संस्कृत की आधारभूत यह भाषा बोली जाती थी और तब तक उत्तर में कई अन्य ऐसी बोलियाँ भी जन्म ले चुकी थीं, जिनसे आगे चलकर अनेक प्राकृतों, अपभ्रंशों तथा आधुनिक आर्यभाषाओं का विकास हुआ है।

लगभग ई. पू. 5वीं शताब्दी या 7वीं शताब्दी में 'पाणिनी' ने संस्कृत की उस आधारभूत भाषा को व्याकरण के नियमों से बद्ध करके एकरूपता प्रदान की और यह भाषा 'संस्कृत' कहलाने लगी। अर्थात् अपने स्वाभाविक विकास के कारण, नियन्त्रण के अभाव में जो भाषा प्राकृत (विकृत) रूप में चल रही थी, वह तब 'संस्कृत' हो गयी। उसका संस्कार कर दिया गया, उसे शुद्ध रूप प्रदान कर दिया गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस काल में 'संस्कृत' साहित्यिक भाषा का रूप ग्रहण कर रही थी, उस समय भारत में स्वयं साहित्यिक संस्कृत की आधारभूत बोली तथा उससे मिलती-जुलती कई अन्य बोलियाँ भी व्यवहार में थीं, किन्तु उन सबमें 'संस्कृत' ही शिष्ट, साहित्यिक या राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयुक्त होती थी।

NOTES

संस्कृत ध्वनियाँ—वैदिक भाषा में 52 ध्वनियाँ थीं, संस्कृत में ध्वनियों की संख्या केवल 48 है। अर्थात् वैदिक भाषा की ध्वनियाँ—ळ, ळह, जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय—संस्कृत में नहीं मिलती है।

इसके साथ ही अनेक ध्वनियों के उच्चारण में परिवर्तन भी मिलता है। उदाहरण के लिए (1) वैदिक में 'ऋ' और 'ॠ' और 'लृ' का उच्चारण स्वर-ध्वनियों के रूप में था, किन्तु संस्कृत में इनकी स्वरता नष्ट हो गयी और इनका उच्चारण 'र्' और 'लृ' व्यञ्जनों-जैसा होने लगा। (2) दन्तोष्ठ्य 'व्' का उच्चारण भी अन्तस्थ 'व्' जैसा ही हो गया है। (2) वैदिक भाषा की शुद्ध 'अनुस्वार' (-) ध्वनि भी संस्कृत में अनुनासिक () हो गयी है। (3) 'ऐ' तथा 'औ' का उच्चारण संयुक्त स्वरों जैसा न होकर मूलस्वरों जैसा होने लगा है।

संस्कृत भाषा की विशेषताएँ

संस्कृत, लौकिक संस्कृत वा क्लासिकल संस्कृत की सबसे प्रमुख विशेषता पाणिनिकृत नियमबद्धता है। संस्कृत की यह विशेषता ही उसे वैदिक से पृथक् करती है। जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है, वैदिक भाषा में शब्दरूपों तथा क्रियारूपों की विविधता है, सन्धि-नियमों आदि में भी पर्याप्त शिथिलता है। एक ही अर्थ में विभिन्न प्रत्ययों का प्रयोग है, आदि-आदि। इन सबके साथ ही वैदिक भाषा में अपवादों की संख्या भी बहुत अधिक है तथा भाषा में स्वच्छन्दता की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर होती है।

इसके विपरीत, संस्कृत या लौकिक संस्कृत बहुत ही नियमबद्ध तथा नियन्त्रित है। उसकी विशेषताओं का उल्लेख इस प्रकार से किया जा सकता है—

1. वैदिक भाषा में प्रयुक्त ळ, ळह जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय ध्वनियों का संस्कृत में लोप हो गया है।
2. पाणिनिकृत नियमों (अष्टाध्यायी-सूत्रों) के द्वारा उसमें शब्द-रूपों तथा क्रियारूपों में एकरूपता आ गयी है।
3. 'लेट्' लकार का प्रयोग समाप्त हो गया है।
4. एक ही अर्थ में प्रयुक्त अनेक प्रत्ययों के स्थान पर केवल एक ही प्रत्यय का प्रयोग रूढ़ हो गया; जैसे तुमन् 'क्त्वा' आदि।
5. अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग बन्द हो गया; जैसे—
'दर्शत' (= सुन्दर), 'दृशीक' (= सुन्दर), 'रपस्' (= चोट, दुर्बलता, रोग), 'अमूर' (= बुद्धिमान्), 'मूर' (= मूढ़), 'ऋदूदर' (= दयालु), 'अक्तु' (रात्रि), 'अमीचा' (= व्याधि) आदि।
6. अनेक वैदिक शब्दों का प्रयोग संस्कृत में भिन्न अर्थों में होने लगा; जैसे—

शब्द	वैदिक-अर्थ	संस्कृत-अर्थ
1. अराति =	शत्रुता	= शत्रु

2. अरि = ईश्वर, धार्मिक, शत्रु, = शत्रु
3. न = उपमावाचक (जैसा), = निषेधवाचक (नहीं)
निषेधवाचक (नहीं)
4. मृळीक = कृपा = शिव का एक नाम
5. क्षिति = गृह, निवासस्थान = पृथ्वी
बस्ती, मनुष्य
6. वध = भयङ्कर शस्त्र = हत्या करना

7. सन्धि-कार्य अनिवार्य-सा हो गया।

8. उपसर्गों का स्वतन्त्र प्रयोग बन्द हो गया।

9. स्वरों में से 'लृ' लुप्त-सा हो गया। स्वरों का उदात्त-अनुदात्त और स्वरित उच्चारण समाप्त हो गया।

10. स्वरभक्ति अप्रचलित हो गयी।

इस प्रकार वैदिक भाषा की अपेक्षा संस्कृत भाषा अधिक नियमित एवं व्यवस्थित हो गयी तथा वैदिक भाषा की अपेक्षा संस्कृत के स्वरूप में पर्याप्त परिवर्तन हो गया। इस परिवर्तन को जानने के लिए यहाँ दोनों की तुलना प्रस्तुत करना आवश्यक है।

4. वैदिक तथा संस्कृत की तुलना

वैदिक भाषा तथा संस्कृत भाषा की स्वरूपगत विशेषताओं को पृथक्-पृथक् जान लेने के पश्चात् यहाँ तुलनात्मक दृष्टि से उन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

(क) वैदिक तथा संस्कृत में रचनात्मक साम्य

1. दोनों भाषाएँ शिल्पयोगात्मक थीं।

2. दोनों ही भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित था। दोनों में ही तीन लिङ्ग (पुल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग) तथा तीन वचन—(एकवचन, द्विवचन, बहुवचन) थे।

4. दोनों में ही वाक्य में शब्दों का स्थान निश्चित नहीं था।

5. दोनों में ही 6 कारक—कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण (सम्बन्ध तथा सम्बोधन को कारक नहीं मानना चाहिए) तथा सात विभक्तियाँ—प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी (सम्बोधन को छोड़कर) थीं।

NOTES

वैदिक	संस्कृत
(1) वैदिक भाषा में संगीतात्मक स्वराघात की प्रधानता थी।	(1) संस्कृत में बलात्मक स्वराघात की प्रधानता थी।
(2) स्वरों में उदात्तादि गुण थे।	(2) स्वरों में उदात्तादि गुण नहीं थे।
(3) स्वरों का ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत (क्रमशः एकमात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक) उच्चारण होता था।	(3) स्वरों का केवल ह्रस्व और दीर्घ उच्चारण होता था। प्लुत उच्चारण समाप्त हो गया था।
(4) वैदिक भाषा में 'लृ' स्वर का प्रयोग प्रचुर मात्रा में होता था।	(4) 'लृ' स्वर का लोप हो गया।
(5) वैदिक भाषा में ळ् ळ्ह जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय व्यञ्जन ध्वनियाँ थीं।	(5) संस्कृत में इन चारों व्यंजन ध्वनियों का लोप हो गया था।
(6) स्वरभक्ति का प्रयोग होता था।	(6) स्वरभक्ति का प्रयोग नहीं होता था।
(7) सन्धि-नियमों का पालन अनिवार्य नहीं था। अनेक अपवाद उपलब्ध होते हैं।	(7) सन्धि-नियमों का पालन अनिवार्य था। अपवाद नहीं मिलते।
(8) शब्द-रूपों में विविधता है एक ही शब्द के, एक ही विभक्ति तथा वचन में अनेक रूप मिलते हैं।	(8) शब्दरूपों में एकरूपता है। विविधता और अपवाद कम हो गये हैं।
(9) धातुरूपों की दृष्टि से वैदिक भाषा अधिक सम्पन्न है। एक ही धातु का अनेक रूपों तथा अर्थों में प्रयोग मिलता है।	(9) धातुरूपों में विविधता कम हो गयी, कालों और विभक्तियों का स्वरूप बहुत नियमित हो गया।
(10) आत्मनेपद और परस्मैपद का कोई विशेष नियम नहीं था।	(10) आत्मनेपद और परस्मैपद का प्रयोग नियमानुसार है।
(11) वैदिक भाषा में लङ्, लुङ् और लिट् लकार का प्रयोग किसी भी काल में हो सकता था।	(11) इनका प्रयोग केवल भूतकाल में ही होता था।
(12) वैदिक भाषा में 'लेट्' लकार 11 सहित लकार थे।	(12) 'लेट्' लकार नहीं रहा। अतः, लकारों की संख्या 10 रह गयी।
(13) वैदिक भाषा में ही अर्थ में प्रत्ययों के विविध रूप मिलते हैं। जैसे 'तुमन्' अर्थ में, तुमुन् के अतिरिक्त 15 प्रत्यय और भी हैं। 'क्त्वा' अर्थ में भी 3 अन्य प्रत्यय मिलते हैं।	(13) प्रत्ययों के विविध रूप समाप्त हो गये।
(14) उपसर्गों का प्रयोग धातु से पृथक् स्वतन्त्र रूप में हो सकता था।	(14) उपसर्गों का स्वतन्त्र प्रयोग समाप्त हो गया। संस्कृत में वे धातु के साथ ही प्रयुक्त होने लगे।

(15) श्रेष्ठतावाचक प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञाओं के साथ मिलता है; जैसे कवितरः, कण्वतमः आदि।	(15) संस्कृत में श्रेष्ठतावाचक प्रत्ययों का प्रयोग विशेषणों के साथ मिलता है; जैसे सुन्दरतरः, सुन्दरतमः आदि।
(16) वैदिक भाषा में—'अक्त', 'अमूर', 'ईम', 'उक्थ', 'ऊति', 'ऋदूदर', 'दृशीक', 'विचर्षणी', 'सीम' आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है।	(16) ये शब्द प्रयोग से बाहर हो गये हैं।
(17) वैदिक भाषा के निम्नलिखित शब्द और उनका अर्थ इस प्रकार है— (i) अरि = ईश्वर, धार्मिक, शत्रु, (ii) अराति = शत्रुता, कृपणता, (iii) क्षिति = निवासस्थान, गृह, बस्ती, मनुष्य। (iv) न = जैसे, नहीं (v) मृळीक = कृपा, अनुग्रह (vi) वध = भयानक शस्त्र	(17) संस्कृत में इनके अर्थों में इस प्रकार परिवर्तन हो गया है— (i) अरि = शत्रु (ii) अराति = शत्रु (iii) क्षिति = पृथ्वी (iv) न = नहीं। (v) मृळीक = शिव का एक नाम (vi) वध = हत्या।

NOTES

उपर्युक्त प्रकार से तुलना करने पर ज्ञात होता है कि वैदिक तथा संस्कृत में कुछ समानताओं के साथ ही साथ अनेक विषमताएँ भी हैं।

वस्तुतः, संस्कृत के अभाव में भारत ही नहीं, अपितु एशिया की संस्कृति के विकास का अध्ययन भी नहीं किया जा सकता। संस्कृत उस विशाल वनस्पति के समान है, जिसका मूल अत्यन्त गहराई तक और शाखायें अत्यधिक दूर-दूर तक फैली हुई हैं। उसे अस्वीकार करना सरल कार्य नहीं है। इसी दृष्टि से आज भारत में, संस्कृत का प्रचार-प्रसार अत्यधिक उत्साह के साथ हो रहा है। आज भी संस्कृत हजारों व्यक्तियों की मातृभाषा के रूप में व्यवहृत होती है। देश में लगभग 50-60 पत्र-पत्रिकाएँ संस्कृत में प्रकाशित हो रही हैं। देश के संविधान में स्वीकृत भाषाओं में उसे सम्मानित स्थान प्राप्त है। भारत में अनेक संस्कृत विश्वविद्यालय हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी विश्वविद्यालयों में भी संस्कृत का पठन-पाठन उच्च कक्षाओं तक होता है। देश में अनेक संस्कृत-विद्यापीठ, महाविद्यालय, गुरुकुल तथा पाठशालाएँ हैं। देश में अनेक अवसरों पर अखिल भारतीय एवं राज्यस्तरों पर ही नहीं, विश्वस्तर पर भी संस्कृत-सम्मेलनों का आयोजन होता रहता है। सन् 1972 में भारत में विश्व संस्कृत सम्मेलन हुआ था। तत्पश्चात् इटली, फ्रांस और पश्चिमी जर्मनी आदि देशों में विश्व सम्मेलन हो चुके हैं। कभी-कभी संस्कृत में कवि-सम्मेलन भी होते हैं। कई नवीन ग्रन्थ भी जैसे—'भारतस्य सांस्कृतिकनिधिः' 'सत्याग्रह-गीता' 'जवाहरजीवनम्' 'गुरुगोविन्दसिंहचरितम्' 'बोधिसत्त्वचरितम्' 'इन्द्ररागाँधिचरितम्' 'राष्ट्ररत्नम्' आदि हाल ही में प्रकाशित हुए हैं। 'आकाशवाणी' और दूरदर्शन पर भी संस्कृत कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं।

5. मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाएँ

इनका काल 500 ई. पूर्व से 1000 ई. तक माना जाता है। इस पूरे काल की भाषा को सामान्यरूप से 'प्राकृत' कहा गया है। इस प्राकृत को पुनः तीन भागों में विभाजित किया जाता है—

NOTES

(i) प्रथम प्राकृत (काल 500 ई. पूर्व से लेकर ईस्वी सन् के आरम्भ तक)

इस काल की भाषा में (क) पालि तथा (ख) शिलालेखी प्राकृत आती हैं।

(ii) द्वितीय प्राकृत (काल ई. सन् के आरम्भ से 500 ई. तक)

इस काल की भाषा 'प्राकृत' ही कहलाती है तथा उसके कई रूप उपलब्ध होते हैं।

(iii) तृतीय प्राकृत (काल 500 ई. से लेकर 1000 ई. तक)

इसे 'अपभ्रंश' भाषा कहा जाता है। इसके भी अनेक रूप उपलब्ध हैं।

अब इन पर भी क्रमशः विचार किया जायेगा।

प्रथम प्राकृत (काल 500 ई. पूर्व से ई. सन् के आरम्भ तक)

जैसा पहले लिखा जा चुका है, प्रथम प्राकृत भी दो रूपों में मिलती है—

(क) पालि तथा (ख) शिलालेखी। अतः, इन पर भी पृथक्-पृथक् विचार करना आवश्यक है।

(1 क) पालि

'पालि' को 'प्रथम प्राकृत' तथा 'देशभाषा' भी कहा गया है। 'पालि' शब्द का क्या अर्थ है तथा इस भाषा को पालि क्यों कहा गया है, इस विषय में भी बहुत मतभेद है। भाषाविज्ञान कोश में इस सम्बन्ध में 11 मतों का उल्लेख किया गया है, जिनमें से कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख ही यहाँ किया जा रहा है।

1. श्री विधुशेखर भट्टाचार्य 'पालि' शब्द को संस्कृत 'पंक्ति' शब्द से विकसित मानते हैं—पंक्ति > पन्ति > पत्ति > पट्टि > पल्लि से 'पालि'। पहले इसका अर्थ 'बुद्ध की पंक्ति' था, जो बाद में भाषा के अर्थ में विकसित हो गया।

2. 'पालि' शब्द का विकास 'पल्लि' शब्द से हुआ है। पल्लि का अर्थ है, गाँव और पालि का अर्थ हुआ—गाँव की भाषा।

3. 'भण्डारकर' तथा 'वाकरनागल' के अनुसार पालि सबसे पुरानी प्राकृत है और इस 'पालि' शब्द का विकास प्राकृत > पाकट > पाअड > पाअल > पालि' इस प्रकार हुआ है।

4. कुछ विद्वानों ने संस्कृत की पाल् (रक्षा करना) धातु से इसे निष्पन्न माना है, अर्थात् बुद्धवचनों की रक्षा करने वाली भाषा ही 'पालि' है।

5. कुछ विद्वानों के अनुसार 'पा' (पालेति, रक्खेतीति) धातु से णि (णिच्) प्रत्यय करने पर 'पालि' शब्द बना है, अर्थ वही है—'बुद्धवचनों की रक्षा करने वाली भाषा'।

6. इसी प्रकार श्री राजवाड़े 'प्रकट' से और

7. डॉ. मैक्सेवेलेसर 'पाटलि' शब्द से तथा कुछ अन्य विद्वान्

8. 'प्रालेय' (पड़ोसी) शब्द से 'प्रालि > पालि' शब्द की व्युत्पत्ति मानते हैं।

9. भिक्षु जगदीश कश्यप के अनुसार 'पालि' शब्द का सम्बन्ध संस्कृत 'पर्याय' शब्द से है। इसके प्राकृत रूप 'परियाय' या 'धम्मपरियाय' शब्द का प्रयोग, पुरातन बौद्ध साहित्य में, बुद्ध उपदेशों के लिये हुआ। इसी से परियाय > पलियाय > पालिया > पालि विकसित हुआ है। इस प्रकार 'पालि' का अर्थ है— 'बुद्ध के उपदेश'।

भिक्षु जगदीश कश्यप का यह अन्तिम मत ही अधिकांश भारतीय विद्वानों को मान्य है। क्योंकि, 'पालि' शब्द का व्यवहार अपने पुराने प्रयोगों में बुद्ध के उपदेशों के लिये ही मिलता है। भाषा के अर्थ में यह 'पालि' शब्द का प्रयोग अत्याधुनिक है और प्रायः पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किया गया है।

संक्षेप में, 'पालि' का प्राचीन अर्थ है—बुद्ध के उपदेश, किन्तु, आजकल यह शब्द 'बुद्ध के उपदेशों की भाषा' या 'बुद्ध-साहित्य' के लिये प्रयुक्त होता है।

'पालि' किस प्रदेश की भाषा थी?

इस विषय में भी बड़ा विवाद है। कुछ लोग इसे मगध की भाषा मानते हैं; कुछ कलिंग की, कुछ कोसल की, कुछ उज्जयिनी की तथा कुछ विन्ध्य प्रदेश या मध्यदेश की। इस सम्बन्ध में, संक्षेप में, यही कहा जा सकता है कि वस्तुतः 'पालि' बुद्ध के समय की भाषा नहीं है। सम्भवतया बुद्ध ने तो अपने उपदेश मागधी भाषा में ही दिये थे, किन्तु कुछ सौ वर्षों के बाद उनका अनुवाद उस समय की जिस अन्तर-प्रान्तीय भाषा में हुआ, वही भाषा 'पालि' कहलायी। इसका मूल आधार तो उस काल की मध्यदेश की बोली ही है, किन्तु इस पर उस काल की अन्य बोलियों का प्रभाव भी अवश्य ही रहा होगा।

पालि-साहित्य—उपर्युक्त 'पालि' शब्द के मूल अर्थ तथा प्रचलित अर्थ से स्पष्ट होता है कि पालि का सम्बन्ध भगवान् बुद्ध के उपदेशों से अर्थात् बौद्ध साहित्य से है। पालिसाहित्य के दो वर्ग (क) पिटक और (ख) अनुपिटक-नाम से हैं। इनके अन्तर्गत 'जातककथाएँ', 'धम्मपद', 'मिलिन्दपञ्च', बुद्धघोष की 'अट्ठकथा' तथा 'महावंश' आदि प्रमुख रूप से आते हैं। भारत की भाषाओं के अतिरिक्त लङ्का, बर्मा, तिब्बत, चीन तथा स्याम देश की भाषाओं पर भी पालि का प्रभाव कम या अधिक मात्रा में पड़ा है।

पालि भाषा की कुछ प्रमुख विशेषताएँ

(1) ध्वनियाँ—वैदिक ध्वनियों में से अधिकांश ध्वनियाँ पालि में मिलती हैं।

यहाँ तक कि वैदिक भाषा की ळ और ळ्ह ध्वनियाँ भी, जो संस्कृत में लुप्त हो गयी थीं, पालि में मिलती हैं।

(2) वैदिक ध्वनियों में से ऋ, ॠ, ऐ औ (4 स्वर) श् ष्, विसर्ग, अघोष ह्, जिह्वामूलीय तथा उपध मानीय (6 व्यंजन) ध्वनियों का पालि में अभाव है।

(3) ह्रस्व, एँ, अँ—ये दो नयी स्वर ध्वनियाँ पालि में मिलती हैं।

ध्वनि-परिवर्तन

(4) स्वरों के मध्य के 'ड्', 'ढ्' प्रायः ळ ळ्ह हो जाते हैं।

NOTES

(5) अनेक अघोष व्यंजन सघोष हो जाते हैं; जैसे क > ग् में, ज् में तथा त् > द् में परिवर्तित हो जाता है। उदाहरण—साकल > सागल, सूच > सुजा तथा उताहो > उदहो।

(6) श् और ष् के स्थान पर केवल स् ही मिलता है। एषः > ऐसो।

(7) संयुक्त व्यंजनों का प्रायः समीकरण हो जाता है, जैसे धर्म > धम्म, कर्म > कम्म, तस्य > तस्स आदि।

(8) इसी प्रकार स्वरभक्ति (आर्य > अरिय), विषमीकरण तथा विपर्यय की प्रवृत्ति पालि में बहुत अधिक है।

(9) पालि में बलात्मक स्वराघात का प्रयोग होता था।

शब्दरूप तथा धातुरूप

(10) ध्वनि की भाँति ही रूपों की दृष्टि से पालिभाषा वैदिक भाषा के अधिक निकट है।

यहाँ भी रूपों में विभिन्नता मिलती है। अनेक नये रूप भी विकसित हुए हैं।

(11) द्विवचन का प्रयोग नहीं मिलता न धातुरूपों में और न ही शब्दरूपों में।

(12) लिंग 3 ही हैं—पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुसंकलिंग।

(13) धातु का आत्मनेपद प्रयोग बहुत ही कम रह गया था।

(14) प्रातिपदिकों में व्यंजनानन्त रूपों की कमी हो गयी।

(15) शब्दसमूह की दृष्टि से 'पालि' में तद्भव शब्दों का प्रयोग ही अधिक मिलता है

(1 ख) शिलालेखी प्राकृत—जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा प्रथम प्राकृत के दो रूप उपलब्ध होते हैं—(क) पालि, और (ख) शिलालेखी प्राकृत। यहाँ शिलालेखी प्राकृत का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है।

(1) शिलालेखी प्राकृत को ही कुछ लोग अशोकी प्राकृत, अशोकन प्राकृत या लाट प्राकृत या लेण बोली कहते हैं, किन्तु इन सब नामों में सर्वोपयुक्त नाम शिलालेखी प्राकृत ही है।

(2) जैसा कि सर्वविदित ही है, अशोक ने, अपने राज्य में, अपने प्रशासनिक तथा धार्मिक सिद्धान्तों को अभिलेखों के रूप में चट्टानों तथा स्तम्भों (लाटों) पर खुदवाया था। इनकी लिपि ब्राह्मी तथा खरोष्ठी है। अभी तक ऐसे लगभग 20 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं।

(3) **भाषाविज्ञान की दृष्टि से इन अभिलेखों का महत्त्व** बहुत अधिक माना जाता है, क्योंकि इनमें तत्कालीन (ई. पू. दूसरी सदी) भाषा के स्वरूप का ज्ञान होता है। इन अभिलेखों की भाषा में स्थान-भेद से बोली-भेद विद्यमान है, जिससे ज्ञात होता है कि ये अपने-अपने प्रदेश (स्थान) की बोली के आधार पर ही तैयार कराये गये थे। अतः, इनसे उस-उस स्थान की विभिन्न बोलियों (प्राकृतों) का ज्ञान होता है जहाँ-जहाँ अशोक के ये अभिलेख प्राप्त हुए हैं।

(4) अशोक के अभिलेखों की भाषा का अध्ययन करने के उपरान्त 'फ्रैंक', 'सेनार्ट' तथा 'डॉ. गुणे' आदि विद्वान् किसी एक ही निष्कर्ष पर नहीं पहुँचे। विभिन्न मतों के आधार पर अभिलेखों में 2 से लेकर 5 बोलियों तक का स्वरूप ज्ञात होता है। संक्षेप में इन शिलालेखों से तत्कालीन (i) उत्तर-पश्चिमी, (ii) दक्षिण-पश्चिमी और (iii) पूर्वी इन तीन बोलियों का ज्ञान तो स्पष्टरूप से होता है। साथ ही, इनसे (iv) मध्यदेशी तथा (v) दक्षिणी बोलियों का भी अनुमान लगाया जा सकता है।

NOTES

(II) द्वितीय प्राकृत या 'प्राकृत' —कालविभाजन की दृष्टि से मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा के दूसरे काल की भाषा 'प्राकृत' है। यद्यपि मध्यकाल की सभी भारतीय आर्यभाषाएँ सामान्यतया प्राकृत ही कही जाती हैं, तथापि मुख्यरूप से 'प्राकृत' नाम इस काल की साहित्यिक भाषाओं का ही है। इनका समय ईस्वी प्रथम शताब्दी से ईस्वी 5वीं शताब्दी तक है।

'प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति

1. 'प्राकृत' शब्द की व्युत्पत्ति कुछ वैयाकरणों के अनुसार 'प्राक् + कृत' है, अर्थात् जो संस्कृत से पूर्व की बनी हुई है। पाश्चात्य विद्वान् 'पिशेल' ने भी इसी मत का उल्लेख किया है। इस अर्थ में संस्कृत की मूल भाषा ही 'प्राकृत' भाषा है।

2. हेमचन्द्र, मार्कण्डेय तथा वासुदेव आदि प्राकृत वैयाकरणों के अनुसार—'प्रकृति संस्कृतम्, तत्र भवं प्राकृतमुच्यते' अर्थात् प्रकृति = संस्कृत से उत्पन्न भाषा ही प्राकृत है।

3. किन्तु 'प्राकृत' शब्द का सही अर्थ है—प्रकृत अर्थात् स्वाभाविक या असंस्कृत। जब एक भाषा को संस्कृत कर दिया गया और वह शिष्टजनों, पण्डितों की भाषा बन गयी तो उसके समानान्तर जो जनसामान्य की बोलचाल की स्वाभाविक भाषा थी और जिसका प्रवाह वैदिककाल से ही चला आ रहा था, 'प्राकृत' कही गयी। इस प्रकार 'प्राकृत' भाषा वैदिक और संस्कृत काल की जनभाषा का ही विकसित रूप है। (दे. पृ. 39)

प्राकृत के भेद—धर्म, साहित्य तथा भाषाविज्ञान के आधार पर 'प्राकृत' के अनेक भेद किये गये हैं।

1. धर्म के आधार पर इसके 4 भेद हैं—

(क) पालि, (ख) अर्धमागधी, (ग) जैन महाराष्ट्री तथा, (घ) जैन शौरसेनी।

2. साहित्य के आधार पर भी इसके चार भेद हैं; किन्तु नामों में भिन्नता है—

(क) महाराष्ट्री, (ख) शौरसेनी, (ग) मागधी तथा (घ) पैशाची।

3. प्राकृत वैयाकरणों, 'वररुचि' और 'हेमचन्द्र' आदि के दिये गये नामों की संख्या लगभग 20-25 है।

4. किन्तु भाषाविज्ञान की दृष्टि से प्राकृत के केवल 5 रूप ही मान्य हैं—

(क) मागधी, (ख) अर्द्धमागधी, (ग) महाराष्ट्री, (घ) शौरसेनी तथा (ङ) पैशाची। आगे इन्हीं का परिचय क्रमशः दिया जायेगा।

(ii क) 'मागधी' प्राकृत—इसका विकास मगध की निकटवर्ती भाषा से है। इसमें रचित कोई साहित्यिक रचना उपलब्ध नहीं होती। संस्कृत के नाटकों में इसका प्रयोग निम्न श्रेणी के पात्रों द्वारा किया गया है। इसके प्राचीनतम प्रयोक्ता 'अश्वघोष' हैं। 'गौडी' इसका एक अन्य नाम है।

'मागधी प्राकृत की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. मागधी प्राकृत में 'स' तथा 'ष्' के स्थान पर 'श्' ही मिलता है। जैसे, सप्त > शप्त तथा पुरुष > पुलिश आदि।

2. 'र्' के स्थान पर सर्वत्र 'ल्' मिलता है। जैसे, पुरुष > पुलिश, राजा > लाजा।

3. स् तथा र् से संयुक्त 'थ्' (स्थ, र्थ) स्त हो जाता है, उपस्थित > उपस्तिद् अर्थ > अस्त आदि।

4. 'जू' के स्थान पर कहीं-कहीं य मिलता है, जैसे जाणदि > याणादि।

5. संयुक्त व्यंजन में यदि प्रथम ध्वनि ऊष्म हो, तो समीकरण नहीं होता, जैसे हस्त > हशत।

संस्कृत, प्रथमा विभक्ति, एकवचन के विसर्गों (:) को मागधी में 'ए' हो जाता है, जैसे, सः > शे, देवः > देवे आदि।

(ii ख) 'अर्द्धमागधी' प्राकृत—यह मगध तथा शूरसेन प्रदेशों के मध्य क्षेत्र (प्राचीन कोसल प्रदेश) की बोली से विकसित भाषा है। क्योंकि इसमें मागधी प्राकृत की भी कुछ प्रवृत्तियाँ मिलती हैं, अतः इसे अर्द्धमागधी कहा गया है। जैन साहित्य की यही प्रमुख भाषा है। साथ ही, संस्कृत-नाटकों—'मुद्राराक्षस' तथा 'प्रबोधचन्द्रोदय' में इसका प्रयोग मिलता है। आचार्य विश्वनाथ ने इसे चरों, सेठों तथा राजपुत्रों की भाषा कहा है। कुछ विद्वानों ने कहा है कि अशोक के अभिलेखों की मूलभाषा अर्द्धमागधी ही थी, जिसे स्थानीय पुट दे दिया गया था।

'अर्द्धमागधी' की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

1. 'श्' तथा 'ष्' के स्थान पर प्रायः 'स्' हो जाता है, जैसे श्रावक > सावग।

2. दन्त्य तवर्ग ध्वनियों के स्थान पर मूर्धन्य टवर्ग ध्वनियाँ पायी जाती हैं। कृत्वा > कट्टु तथा स्थित > ठिय आदि।

3. कहीं-कहीं 'च्' के स्थान पर 'त्' ध्वनि मिलती है; चिकित्सा > तेइच्छ।

4. स्वरों के मध्य लुप्त व्यञ्जन के स्थान पर 'य्' श्रुति मिलती है; जैसे, सागर > सायर, गगन > गयन आदि।

5. संस्कृत, प्रथमा विभक्ति, एकवचन के विसर्गों के स्थान पर गद्य में 'ए' और पद्य में प्रायः 'ओ' मिलता है। इस प्रकार इसके गद्य-पद्य में भिन्नता रहती है।

(ii ग) 'महाराष्ट्री' प्राकृत—इसका मूल आधार महाराष्ट्र प्रदेश है। कुछ लोग महा + राष्ट्र से तात्पर्य सम्पूर्ण भारत लेते हैं और इसे तत्कालीन भारत की राष्ट्रभाषा मानते हैं। महाराष्ट्री प्राकृत काव्य की भाषा थी;

अतः इसमें प्रचुर साहित्य मिलता है। गद्यरूप में इसका प्रयोग श्वेताम्बर जैनियों के धार्मिक ग्रन्थों में हुआ है। कालिदास, हर्ष आदि के नाटकों में, गीतों की भाषा यही है।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

महाराष्ट्री प्राकृत, सभी प्राकृतों में एक परिनिष्ठत भाषा मानी जाती है। सभी वैयाकरणों ने इसी को आधार मानकर प्राकृतों के व्याकरण लिखे हैं। इसकी कुछ प्रमुख विशेषतायें इस प्रकार हैं—

NOTES

1. महाराष्ट्री प्राकृत में दो स्वरों के मध्यवर्ती अल्पप्राण स्पर्शों (क्, त्, प्, ग्, द्, ब् आदि) का प्रायः लोप हो जाता है; जैसे, नुपुर > णेउर, प्राकृत > पाअड, लोको > लोओ, गच्छति > गच्छइ आदि।

इस प्रकार यह स्वरप्रधान भाषा हो गयी है।

2. दो स्वरों की मध्यवर्ती महाप्राण ध्वनियों (ख्, थ्, फ्, घ्, ध्, भ्) के स्थान पर केवल ह रह जाता है; जैसे—शाखा > शाहा, नाथः > नाहो, क्रोधः > कोहो आदि।

3. ऊष्म ध्वनियों के स्थान पर भी प्रायः 'ह्' ध्वनि ही मिलती है; जैसे; पाषाण > पाहाण, दिवस > दिवह तस्य > ताह, दश > इह आदि।

4. कर्मवाच्य के 'गम्यते' आदि रूपों के स्थान पर 'गामिज्जइ' जैसे रूप मिलते हैं। अर्थात् 'य' के स्थान पर 'इज्ज' हो जाता है।

5. पूर्वकालिक क्रिया का प्रत्यय 'ऊण' मिलता है; जैसे, संस्कृत पृष्ट्वा के स्थान पर पुच्छिऊण।

(ii घ) 'शौरसेनी' प्राकृत—यह शूरसेन (मथुरा) प्रदेश में विकसित बोली थी। इस पर संस्कृत का प्रभाव है, क्योंकि उस समय मध्यप्रदेश संस्कृत का केन्द्र था। संस्कृत नाटकों में गद्य इसी शौरसेनी प्राकृत में है। 'कर्पूरमञ्जरी' का गद्यभाग इसी में रचित है। इसके अतिरिक्त दिगम्बर जैनों के धार्मिक ग्रन्थों में भी इसी का प्रयोग हुआ है।

'शौरसेनी' प्राकृत की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. दो स्वरों का मध्यवर्ती संस्कृत 'त्' > 'द' तथा 'थ' > 'ध्' हो जाता है; उदाहरणार्थ, भवति > होदि, कथय > कधोहि आदि।

2. दो स्वरों की मध्यवर्ती द्, ध् ध्वनियाँ अपरिवर्तित ही रहती हैं; जैसे, जलदः > जलदो, तथा क्रोधः > क्रोधो आदि।

3. 'क्ष' के स्थान पर 'कख' मिलता है; जैसे, संस्कृत इक्षु > इक्खु हो जाता है।

4. शब्दरूपों तथा धातुरूपों की दृष्टि से यह संस्कृत से प्रभावित है। साथ ही कुछ अंशों में महाराष्ट्री से भी प्रभावित है।

5. आत्मनेपद का लोप हो गया है। अतः केवल परस्मैपद का ही प्रयोग मिलता है।

(ii ङ) 'पैशाची' प्राकृत—पैशाची के आधार के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद है। 'महाभारत' में 'पिशाच' नाम की एक जाति का उल्लेख हुआ है, जिसकी निवासभूमि उत्तर-पश्चिम में कश्मीर के आसपास मानी गयी है। इसी आधार पर ग्रियर्सन ने पैशाची को 'दरद' भाषा से प्रभावित माना है। 'हार्नली' के अनुसार यह

द्विड़ों की प्राकृत है। एक अन्य विद्वान् 'पुरुषोत्तमदेव' ने इसे संस्कृत और शौरसेनी का बिगड़ा हुआ रूप स्वीकार किया है। किन्तु 'वररुचि' के अनुसार इसका आधार संस्कृत ही है।

NOTES

सामान्यतया, यह भाषा साहित्यशून्य है। 'हम्मीरमर्दन' जैसे, बहुत कम नाटकों में, कुछ ही पात्रों ने इसका व्यवहार किया है। 'प्राकृतसर्वस्व' में इसके 11 भेद दिये गये हैं, जिनका आधार या कोई देश है या कोई जाति। इतने अधिक भेदों के आधार पर कुछ विद्वानों का अनुमान है कि यह केवल एक अपने ही प्रदेश की भाषा न होकर, अपने चारों ओर के प्रदेशों के निम्न जाति के लोगों द्वारा बोली जाती थी।

'पैशाची' प्राकृत की कुछ प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:—

1. दो स्वरों के मध्यवर्ती वर्गों के तृतीय, चतुर्थ घोष स्पर्श पैशाची में वर्गों के प्रथम और द्वितीय अघोष हो जाते हैं; उदाहरणार्थ, गगन > गकन तथा मेघः > मेखो, राजा > राचा आदि।
2. र् के स्थान पर ल् तथा ल् के स्थान पर र् मिलता है। जैसे, रुधिरं > लुधिरं, कुमारं > कुमालं आदि।
3. 'ष्' कहीं 'श्' मिलता है और कहीं स्' भी; उदाहरण, विषमः > विसमो; तथा तिष्ठति > चिश्तदि आदि।
4. स्वरों के मध्यवर्ती स्पर्शों का इसमें लोप नहीं होता, जैसा कि अन्य प्राकृतों में प्रायः होता है।

(III) तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश—मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा की, तृतीय प्राकृत-काल की भाषा अपभ्रंश कहलाती है। 'अपभ्रंश' शब्द का अर्थ ही है—विकृत, भ्रष्ट या पतित। जब प्राकृत भाषाओं में साहित्य रचा जाने लगा और वे व्याकरणबद्ध हो गयीं, तो धीरे-धीरे साहित्यिक प्राकृत और बोलचाल की प्राकृत भिन्न-भिन्न हो गयीं। आगे चलकर स्वतन्त्ररूप से विकसित होती हुई उसी बोलचाल की प्राकृत से अपभ्रंश भाषा का विकास हुआ और तत्कालीन प्राकृत-पण्डितों ने परिनिष्ठित प्राकृत की तुलना में इसे विकृत, बिगड़ा हुआ या अपने उच्च स्थान से भ्रष्ट हुआ माना। इस प्रकार अपभ्रंश भाषा का अपना नाम सार्थक हुआ। यह प्राकृतों तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के मध्य की कड़ी है। आगे चलकर अपभ्रंश से ही आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का विकास हुआ है।

अपभ्रंश का काल—यद्यपि पूर्व किये गये विभाजन की दृष्टि से तृतीय प्राकृत या अपभ्रंश का काल 500 ई. से 1000 ई. तक माना जाता है, किन्तु इसका प्रयोग साहित्य में सम्भवतः इससे भी पूर्व से लेकर लगभग 15वीं 16वीं शताब्दी तक होता रहा है।

'अपभ्रंश' का 'बिगड़े हुए शब्दरूप' के अर्थ में प्रयोग, सर्वप्रथम, 'व्याडि' तथा 'पतञ्जलि' ने किया है। भाषा के अर्थ में इसका उल्लेख, सर्वप्रथम, 6ठी शताब्दी ई. में 'भामह' ने अपने 'काव्यालङ्कार' तथा 'चण्ड' ने अपने 'प्राकृतलक्षणम्' में किया है।

अपभ्रंश का साहित्य

अपभ्रंश के उल्लेखनीय ग्रन्थ हैं—रङ्धुकृत 'करकंडचरिउ', धर्मसूरीकृत 'जम्बूस्वामीरासा', पुष्पदन्तकृत 'आदिपुराण', सरहकृत 'दोहाकोश', स्वयंभूकविकृत 'पउमचरिउ' धनपालकृत, 'भविस्सयंतकहा तथा 'रामसिंहकृत' 'पाहुडदोहा' आदि।

अपभ्रंश का प्रदेश

अधिकांश विद्वानों के अनुसार इसका विकास सर्वप्रथम भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में हुआ; किन्तु इसके परिनिष्ठित रूप का विकास, डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी मध्यप्रदेश की भाषा से तथा डॉ. बाबूराम सक्सेना मध्यप्रदेशीय या शौरसेनी अपभ्रंश से मानते हैं।

NOTES

अपभ्रंश के भेद

अपभ्रंश के भेदों पर विचार करने वाले विद्वानों में (1) डॉ. याकोबी, (2) डॉ. तगारे, (3) डॉ. नामवरसिंह आदि प्रमुख हैं। किन्तु इस सम्बन्ध में इतना अधिक मतभेद है कि अपभ्रंश के भेदों की संख्या 2 से लेकर 27 तक मानी गयी है। संक्षेप में, अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 रूप हैं, जिनसे 13 आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास माना जाता है।

अपभ्रंश-रूप	>	उनसे निकली हुई आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ इस प्रकार हैं—
1. मागधी	>	1. बिहार, 2. बंगला, 3. उड़िया, 4. असमिया
2. अर्द्धमागधी	>	5. पूर्वी हिन्दी
3. महाराष्ट्री	>	मराठी
4. खस	>	7. पहाड़ी (इस पर शौरसेनी अपभ्रंश का और उसके नागररूप से विकसित पुरानी राजस्थानी का प्रभाव है।)
5. ब्राचड़	>	8. सिन्धी
6. शौरसेनी	>	9. पश्चिमी हिन्दी, 10. शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से विकसित-राजस्थानी तथा 10. गुजराती
7. पैशाची	>	12. लहँदा, पञ्जाबी यह भी शौरसेनी अपभ्रंश से प्रभावित है।

इस प्रकार पूर्व से पश्चिम तथा पश्चिमोत्तर भारत की ओर बढ़ते हुए उपर्युक्त अपभ्रंशों के स्थानों का अनुमान भी सहज ही हो जाता है।

6. आधुनिक भारतीय आर्यभाषाएँ—आधुनिक आर्यभाषाओं का काल 1000 ई. से लेकर वर्तमान काल तक माना जाता है। जैसा पहले लिखा जा चुका है, आधुनिक आर्यभाषाओं का विकास मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा के तृतीय प्राकृत रूप से या अपभ्रंश रूपों से हुआ है। विकसित होती हुई बोलचाल की भारतीय आर्यभाषा का यह अन्तिम एवं वर्तमान विकासस्थल है। भविष्य में जब कभी यह अपने वर्तमान रूप से इतनी अधिक विकसित हो जायेगी कि वह इसके वर्तमान रूप में तथा उस भावी रूप में अन्तर (भेद) स्पष्ट प्रतीत होने लगेगा, तो यह विकास के एक और सोपान पर पहुँच जायेगी।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के विभिन्न रूप

(1) बिहारी, (2) बंगला, (3) उड़िया, (4) असमिया, (5) पूर्वी हिन्दी (6) मराठी, (7) पहाड़ी, (8) सिन्धी, (9) लहँदा, (10) पञ्जाबी, (11) पश्चिमी हिन्दी, (12) राजस्थानी और (13) गुजराती।

यूरोपीय विद्वानों में से (1) हार्नले, (2) वेबर, (3) ग्रियर्सन तथा भारतीय विद्वानों में से, (4) डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी, (5) डॉ. धीरेन्द्र वर्मा, (6) श्री सीताराम चतुर्वेदी तथा (7) डॉ. भोलानाथ तिवारी आदि ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर प्रस्तुत किया है, किन्तु किसी वर्गीकरण के द्वारा भी वर्गीकरण का उद्देश्य (एक वर्ग की भाषाओं की मूलभूत विशेषताओं का स्पष्टीकरण) पूरा नहीं होता है। इस दशा में वर्गीकरण के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए भी उन्हें व्यर्थ ही कहना पड़ता है।

आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का परिचय

यहाँ प्रमुख आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का संक्षिप्त परिचय दिया जा रहा है जिससे उनकी विशेषताओं को पृथक्-पृथक् रूप से जाना जा सके।

(1) **बिहारी**—यह हिन्दी-प्रदेश, बिहार की उपभाषा है। ग्रियर्सन ने इसे यह नाम दिया है। इसके अन्तर्गत 3 बोलियाँ हैं—(i) भोजपुरी, (ii) मैथिली और (iii) मगही।

(i) **भोजपुरी**—इसका विकास मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से माना जाता है। उत्तर प्रदेश के जिलों अर्थात् बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तथा आजमगढ़ और बिहार प्रदेश के 5 जिलों अर्थात् शाहबाद, पलामू, राँची, सारन और चम्पारन जिलों की भाषा यही है। इसका नाम भी शाहबाद (बिहार) में स्थित एक परगना भोजपुर के नाम पर पड़ा बताया जाता है, जो प्राचीनकाल में इस प्रदेश की राजधानी थी। इसमें लिखित साहित्य का प्रायः अभाव ही है। आधुनिककाल में 'राहुल साँकृत्यायन' तथा कुछ अन्य लोगों ने इसमें कुछ साहित्य अवश्य लिखा है। इसकी लिपि प्रमुख रूप से नागरी है।

(ii) **मैथिली**—इसका विकास मागधी अपभ्रंश के मध्य रूप से माना जाता है। मिथिला क्षेत्र की भाषा होने से यह मैथिली कहलाती है। इसका क्षेत्र पूर्वी चम्पारन, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पुर्निया और संथाल परगने का उत्तरी भाग है। इसमें अनेक उपबोलियाँ हैं, जिनमें से उत्तरी मैथिली ही इसका परिनिष्ठत रूप है। यह साहित्यिक दृष्टि से सम्पन्न है। 'विद्यापति' ने अपनी रचनाएँ इसी में की हैं।

(iii) **मगही**—'मगही' शब्द मागधी शब्द से ही विकसित हुआ है। इसका क्षेत्र प्राचीन मगध तक ही है। इस प्रकार यह पूरे गया जिले में तथा आंशिक रूप में पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पालामऊ, भागलपुर और राँची जिलों में बोली जाती है। इसमें लिखित साहित्य का अभाव है; किन्तु, लोकसाहित्य पर्याप्त मिलता है। 'गोपीचन्द' इसके प्रसिद्ध लोककवि हैं।

(2) **बंगला**—इसका विकास मागधी अपभ्रंश के पूर्वी रूप से लगभग 1000 ई. में हुआ है। बंगाल प्रदेश की भाषा होने से यह बंगला कही जाती है। इसमें संस्कृत-तत्सम शब्दों की बहुलता है। हिन्दी के भी अनेक शब्द हैं। यह साहित्य सम्पन्न भाषा है। चण्डीदास, बंकिमचन्द्र, शरत्चन्द्र, रवीन्द्रनाथ ठाकुर इसके प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। इसकी अपनी पृथक् लिपि है, जिसका विकास प्राचीन नागरी या कुटिल लिपि से माना जाता है।

(3) **उड़िया**—उड़ीसा प्रान्त की भाषा होने से उड़िया कही जाती है। इसका विकास मागधी अपभ्रंश के दक्षिणी रूप से माना जाता है। 'बीम्स' के अनुसार उड़िया भाषा का अस्तित्व बंगाली भाषा से भी पूर्वकाल

का है। उड़िया भाषा एक साहित्य-सम्पन्न भाषा है। लुइपा, सारलादास, बलरामदास, उपेन्द्रभंज आदि इसके प्रसिद्ध कवि हैं। वर्तमान काल में भी इसमें पर्याप्त साहित्य रचा जा रहा है। उड़िया की लिपि, ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित अपनी पृथक् लिपि है। इसमें सभी वर्ण वर्तुलाकार होते हैं।

NOTES

(4) **असमिया**—इसे असमी या आसामी भी कहा जाता है। स्पष्ट ही, असम या आसाम प्रदेश की भाषा होने से ही इसका यह नाम पड़ा है। इसका विकास मागधी के पूर्वोत्तरी अपभ्रंश से माना जाता है। इसमें साहित्य भी रचा गया है। असमिया का प्राचीनतम काव्य 'प्रह्लादचरित्र' 13वीं शताब्दी के आरम्भ में रचा गया है, जिसके कवि 'हेमं सरस्वती' हैं। अन्य प्राचीन साहित्यिकारों में शंकरदेव, माधवदेव, पीताम्बर, बलदेव आदि प्रसिद्ध हैं। असमिया भाषा पर तिब्बती, बर्मी, ऑस्ट्रिक तथा बंगला भाषा का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इसकी लिपि नागरी लिपि के पूर्वी रूप में विकसित है।

(5) **पूर्वी-हिन्दी**—हिन्दी क्षेत्र के पूर्वी भाग में इसका क्षेत्र है, अतः यह पूर्वी हिन्दी कही जाती है। 'ग्रियर्सन के अनुसार इसकी तीन बोलियाँ हैं—(i) बघेली, (ii) अवधी और (iii) छत्तीसगढ़ी।

(i) **बघेली** का अपना कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है, यह अवधी का ही दक्षिणी रूप है। अतः इसे पृथक् मानना व्यर्थ है।

(ii) **अवधी**—यह पूर्वी हिन्दी की महत्वपूर्ण बोली है। अवध की भाषा होने से ही यह अवधी कही जाती है। डॉ. ग्रियर्सन ने तथा डॉ. भोलानाथ तिवारी ने इसका सम्बन्ध अर्द्धमागधी से तथा डॉ. बाबूराम सक्सेना ने पालि से माना है यह साहित्य-सम्पन्न भाषा है। 11 वीं शताब्दी से लेकर, आंशिक रूप से वर्तमान काल तक इसमें साहित्य लिखा जाता रहा है। तुलसी के 'रामचरितमानस' की भाषा के साथ-ही-साथ यह जायसी के 'पद्मावत' तथा अन्य अनेक प्रेमकाव्यों की भाषा है।

लिखित साहित्य के अतिरिक्त इसमें लोकसाहित्य भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसकी मुख्य लिपि देवनागरी ही है, किन्तु कुछ अंशों में फारसी लिपि का प्रयोग भी इसमें हुआ है।

(iii) **छत्तीसगढ़ी**—छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से बोली जाने के कारण ही इसका यह नाम पड़ा। इसका विकास भी अर्द्धमागधी से माना जाता है। आधुनिक काल के कुछ कवियों को छोड़कर इसका प्रयोग साहित्य में नहीं किया गया है। प्राचीनकाल में ब्रज और अवधी तथा आधुनिक काल में खड़ी बोली ही यहाँ साहित्य की भाषा रही है। छत्तीसगढ़ी में लोकसाहित्य पर्याप्त मात्रा में है। इसकी लिपि प्रमुख रूप से देवनागरी ही है।

(6) **मराठी**—यह महाराष्ट्र की भाषा है। इसका नाम तथा रूप दोनों ही 'महाराष्ट्री' अपभ्रंश से विकसित है। इसका प्रादुर्भाव 1000 ई. से पूर्व ही माना जाता है। मराठी का प्राचीनकाल का साहित्य जितना सम्पन्न है, उतना ही आधुनिककाल का भी है। साहित्य में मराठी का प्रयोग लगभग 12वीं शताब्दी से माना जाता है। सन्त ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि इसके प्रसिद्ध कवि हैं।

मराठी में संस्कृत तत्सम शब्दों की संख्या पर्याप्त है। साथ ही, इस पर भौगोलिक निकटता के कारण, द्रविड़ पारवार की भाषाओं का भी प्रभाव है। इसमें चवर्ग ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं—(1) सामान्य 'च्' जैसी तथा (2) त्स् जैसी। यह इसकी बहुत बड़ी विशेषता है। इसके साथ ही यह बलात्मक स्वराघात वाली भाषा है। इसकी लिपि देवनागरी है।

(7) **पहाड़ी**—पहाड़ी प्रदेश में बोली जाने के कारण यह पहाड़ी कही जाती है। इसका क्षेत्र हिमालय में भद्रवाह के उत्तर-पश्चिम से नेपाल के पूर्वी भाग तक है। इसकी 3 उपबोलियाँ हैं—(i) पश्चिमी पहाड़ी, (ii) मध्य पहाड़ी, (iii) पूर्वी पहाड़ी। इनकी भी अनेक बोलियाँ हैं।

(i) **पश्चिमी पहाड़ी**—शिमला तथा इसके निकटवर्ती भागों में बोली जाती है।

(ii) **मध्य पहाड़ी**—इसकी दो शाखाएँ हैं—(क) कुमायूँनी—नैनीताल तथा अल्मोड़ा की बोली, इसमें कुछ साहित्य भी मिलता है। (ख) गढ़वाली—गढ़वाली, मसूरी और उसके निकटवर्ती भागों में बोली जाती है।

(iii) **पूर्वी पहाड़ी**—यह नेपाल तथा काठमांडू घाटी की भाषा है। इसमें भी साहित्य मिलता है। यह नेपाल की राजभाषा भी है।

नेपाली के अतिरिक्त सभी पहाड़ी बोलियों में केवल लोकसाहित्य ही मिलता है। इन सबकी लिपि भी देवनागरी ही है।

(8) **सिन्धी**—यह सिन्ध प्रदेश की भाषा है। इसका विकास ब्राचड अपभ्रंश से माना जाता है। भरत के नाट्यशास्त्र में (द्वितीय शताब्दी) में इसका संकेत मिलने से इसकी प्राचीनता सिद्ध होती है। इसका प्राचीनतम लिखित ग्रन्थ 'महाभारत' है, जिसका काल 1000 ई. से भी पूर्व माना जाता है। लगभग 14वीं शताब्दी में इसमें नियमित रूप से साहित्य लिखा जाता रहा है। इसका प्रमुख ग्रन्थ "शाहजोरिसालो" तथा प्रसिद्ध कवि अब्दुलकरीम, शाहलतीफ, सचल, सामी आदि हैं। इसकी 5-6 बोलियाँ हैं। सिन्धी भाषा की अन्तःस्फोटक (Implosive) ध्वनियाँ, ज, ब आदि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है। वैसे तो सिन्धी की अपनी लिपि 'लंडा' है किन्तु आजकल इसके लिये फारसी, नागरी, गुरुमुखी का भी प्रयोग होता है।

(9) **लहँदा**—यह पश्चिमी पञ्जाब (अब पाकिस्तान) की भाषा है। इसका सम्बन्ध पैशाची अपभ्रंश से माना जाता है। लहँदा शब्द का अर्थ है—सूर्यास्त, लक्षणा से 'पश्चिम'। इससे ज्ञात होता है कि यह सम्पूर्ण पञ्जाब प्रदेश के पश्चिमी भाग की भाषा है। पश्चिमी पञ्जाबी, डिलाही, हिन्दकी, जटकी आदि इसके अन्य नाम भी हैं। इसकी कई बोलियाँ भी हैं।

लहँदा, सिन्धी तथा कश्मीरी भाषा से पर्याप्त प्रभावित है। इसमें लिखित साहित्य के नाम पर केवल सिक्ख धर्म का 'जनमसाखी' ग्रन्थ मिलता है। शेष साहित्य केवल लोकसाहित्य ही है। मुसलमान प्रायः फारसी और हिन्दू प्रायः लंडा लिपि में इसे लिखते हैं।

(10) **पञ्जाबी**—यह पूर्वी पञ्जाब की भाषा है। इसका सम्बन्ध भी पैशाची अपभ्रंश से माना जाता है। किन्तु, इस पर शौरसेनी अपभ्रंश का भी प्रभाव है। बोलने वालों में सिक्खों की प्रधानता के कारण इसे सिक्खी, खालसी तथा गुरुमुखी लिपि के कारण इसे कभी-कभी गुरुमुखी भी कह दिया जाता है। इसमें संस्कृत-फारसी शब्द कम हैं। मुख्यरूप से यह पञ्जाब के किसानों की भाषा है।

पञ्जाबी के दो प्रमुख रूप हैं—(क) एक परिनिष्ठित पञ्जाबी या माझी। (ख) दूसरी डोगरी। इनके भी कई स्थानीय उपरूप हैं। पञ्जाबी में साहित्य-रचना 12वीं शताब्दी से मिलती है। इसके प्रथम कवि बाबा फरीद शकरगंज तथा प्राचीन कवियों में गुरुनानक, गुरु अर्जुनदेव आदि प्रसिद्ध हैं। वारिसशाह की

लोकप्रिय रचना 'हीर-राँझा' इसी में है। आधुनिक साहित्यकारों में मोहनसिंह, अमृता प्रीतम, महीपसिंह आदि प्रसिद्ध हैं। इसमें पर्याप्त साहित्य भी है। आजकल भारत में इसकी प्रमुख लिपि गुरुमुखी तथा पाकिस्तान में फारसी है।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

NOTES

(11) पश्चिमी हिन्दी—यह शौरसेनी अपभ्रंश से विकसित है। इसकी 5 बोलियाँ हैं।

(i) ब्रजभाषा—इसका केन्द्र अलीगढ़, मथुरा, आगरा तथा धौलपुर हैं। साहित्यिक दृष्टि से इसका बहुत महत्त्व है। कई शताब्दियों (16वीं से 20वीं) तक इसमें साहित्य की रचना होती रही है। सूर, बिहारी, रसखान, रत्नाकर आदि अनेक कवियों की रचनाएँ ब्रजभाषा में ही हैं। इसकी लिपि प्रायः देवनागरी ही है। इसमें को, थोड़ो, कियो—जैसे—ओकारान्त रूपों की बहुलता है।

(ii) खड़ी बोली—इसका केन्द्र बिजनौर है तथा क्षेत्र रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर तथा देहरादून (मैदानी भाग) तक फैला हुआ है। इसके दो रूप हैं—एक जन भाषा का जिसका परिनिष्ठत रूप बिजनौर में बोला जाता है। यह मेरठ दिल्ली के आसपास की बोली है। इसका दूसरा रूप साहित्यिक है, जिसका प्रयोग कबीर से लेकर आधुनिक काल तक के कवियों ने किया है। इसका साहित्यिक रूप जनभाषा वाले रूप पर ही आधारित माना जाता है। इसकी लिपि देवनागरी है। साहित्यिक दृष्टि से भी इसके दो रूप हैं—हिन्दी तथा उर्दू। हिन्दी रूप तत्समप्रधान है, जबकि उर्दू में अरबी-फारसी के शब्दों की प्रधानता है तथा इसकी लिपि फारसी है। आर्यसमाज के आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता आन्दोलन के कारण खड़ी बोली का बहुत अधिक प्रचार-प्रसार हुआ है। स्वतन्त्र भारत में आज यह राष्ट्रभाषा, राजभाषा तथा सम्पर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। इसमें का, किया, थोड़ा—जैसे आकारान्त रूपों की प्रधानता है।

(iii) बांगरू—इसका प्रयोग बोली के रूप में दिल्ली, रोहतक, करनाल, हिसार, पटियाला, नाभा तथा जींद आदि में होता है। वस्तुतः यह खड़ी बोली की राजस्थानी तथा पञ्जाबी से प्रभावित केवल एक उपबोली है। 'बाँगर' प्रदेश (एक प्रकार की ऊँची भूमि) की होने से यह बाँगरू कही जाती है। इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं मिलता है। हाँ, लोकसाहित्य इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है। आजकल इसकी लिपि भी देवनागरी है।

(iv) कन्नौजी—इसका केन्द्र मुख्तया फर्रुखाबाद है किन्तु सामान्य रूप से इसका प्रयोग पीलीभीत, शाहजहाँपुर, इटावा तथा कानपुर के आसपास तक होता है। यह ब्रजभाषा की ही एक उपबोली है। इसमें भी साहित्यिक रचनाओं का अभाव-सा ही है।

(v) बुन्देली—इसका प्रयोग बुन्देलखण्ड अर्थात् झाँसी, हमीरपुर, जालोन, ग्वालियर, भोपाल, सागर, ओरछा तथा नरसिंहपुर आदि में तथा इनके आसपास होता है। यह ब्रजभाषा से मिलती-जुलती है। इसकी लिपि देवनागरी ही है। 'लाल' कवि ने बुन्देली में 'छत्र-प्रकाश' ग्रन्थ की रचना की है। वैसे साहित्य का इसमें अभाव ही है। कहा जाता है कि इसकी एक उपबोली 'बनाफरी' में ही प्रसिद्ध लोकगाथा 'आल्हा-खण्ड' की रचना सर्वप्रथम हुई थी।

(12) राजस्थानी—यह भी शौरसेनी अपभ्रंश के नागर रूप से विकसित है। इसकी चार बोलियाँ (i) मेवाती, (ii) मारवाड़ी (iii) मालवी तथा (iv) जयपुरी है।

(i) **मेवाती**—अलवर तथा गुड़गाँव का मध्यवर्ती क्षेत्र 'मेवात' कहा गया है। मेवाती इसी क्षेत्र की बोली है। ब्रज प्रदेश के निकट होने से इस पर ब्रजभाषा का प्रभाव है।

NOTES

(ii) **मारवाड़ी**—यह मारवाड़ अर्थात् राजस्थान के पश्चिम भाग—जोधपुर, उदयपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर की बोली है। इसका प्राचीन रूप डिंगल कहलाता है। यह साहित्यसम्पन्न भाषा है। नरपति नाल्ह, पृथ्वीराज आदि इसके प्रसिद्ध कवि हैं। इसकी लिपि प्रमुख रूप से नागरी ही है।

(iii) **मालवी**—राजस्थान के दक्षिण-पूर्व भाग में स्थित मालवा की बोली होने से यह मालवी कही जाती है। इसका प्रमुख केन्द्र-इन्दौर है। इसमें भी साहित्य की रचना कम ही हुई है। इसकी प्रसिद्ध कवयित्री 'चन्द्रसखी' है।

(iv) **जयपुरी**—यह राजस्थान के पूर्वी भाग अर्थात् जयपुर, कोटा और बूँदी की बोली है। इसे यह नाम यूरोपियन विद्वानों ने दिया है। इसका स्थानीय नाम दुँढाली है। इसमें दादूपंथियों का साहित्य मिलता है।

(13) **गुजराती**—गुजरात प्रदेश की भाषा गुजराती है। इसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। यह पश्चिमी हिन्दी और राजस्थानी से बहुत मिलती है। इसकी लिपि पृथक् है, जो कैथी लिपि से समानता रखती है। इसकी विभाषाएँ भी कम ही हैं। इसमें 13वीं शताब्दी से निरन्तर साहित्य रचा जा रहा है। विनयचन्द्र सूरि, राजशेखर, नरसी मेहता आदि इसके प्रमुख साहित्यकार हैं। इसकी लिपि नागरी से मिलती-जुलती होते हुए भी पृथक् है, जिसमें शिरोरेखा का प्रयोग नहीं होता है।

7. ध्वनिविज्ञान

NOTES

किसी भाषा की ध्वनियाँ, उसका मूल आधार होती हैं। क्योंकि ध्वनियों से ही पद (शब्द) तथा पदों से ही वाक्य बनते हैं और सामान्यतया वाक्यों का प्रयोग ही भावाभिव्यक्ति के लिये, प्रत्येक भाषा में किया जाता है। अतः, पदविज्ञान, वाक्य-विज्ञान तथा अर्थविज्ञान की भाँति ही ध्वनिविज्ञान भी भाषाविज्ञान का महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। इतना ही नहीं, भाषाविज्ञान के अन्य अंगों की अपेक्षा ध्वनिविज्ञान कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भी है क्योंकि भाषा का भवन, ध्वनियों की नींव पर ही खड़ा होता है। सम्भवतः, इसी कारण भाषाविज्ञान के अन्य अङ्गों की तुलना में ध्वनिविज्ञान का अध्ययन भी सर्वाधिक हुआ है।

2. ध्वनि

‘ध्वनि’ शब्द का सामान्य अर्थ है, किन्हीं दो अथवा अधिक पदार्थों के परस्पर टकराने से उत्पन्न होने वाली ध्वनि। साथ ही, विभिन्न जीवों—पशु-पक्षियों तथा मनुष्यों के कण्ठ से उत्पन्न शब्द को भी ध्वनि कहा जाता है। इस प्रकार ‘ध्वनि’ शब्द का सामान्य अर्थ वह सभी कुछ है, जिसे हम श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करते हैं अर्थात् सुनते हैं। इसके अतिरिक्त, साहित्यशास्त्रियों ने व्यंग्यार्थ को भी ध्वनि कहा है।

भाषाविज्ञान में ‘ध्वनि’ का अर्थ

उपर्युक्त सामान्य अर्थ की अपेक्षा भाषाविज्ञान में ‘ध्वनि’ शब्द अपने विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है। भाषाविज्ञान में ध्वनि से तात्पर्य है—‘भाषा-ध्वनि’, अर्थात् वे ध्वनियाँ, जिनका प्रयोग मनुष्यों द्वारा अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, वाणी द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार भाषाविज्ञान में भाषा के अन्तर्गत मात्र व्यक्त वाक् को ही स्वीकार किया जाता है, अव्यक्त वाक् (पशु-पक्षियों तथा मनुष्यों की अस्पष्ट वाणी) को नहीं, उसी प्रकार यहाँ ध्वनि के अन्तर्गत मात्र व्यक्त ध्वनियाँ ही गृहीत होती हैं, अव्यक्त ध्वनियाँ नहीं। इस प्रकार भाषाविज्ञान में ‘ध्वनि’ का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है और जिन्हें लिखित रूप में प्रकट करने के लिए विभिन्न लिपिचिह्नों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपिचिह्नों को ही ‘वर्ण’ तथा इनके समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है।

3. ध्वनिग्राम तथा संध्वनि

‘ध्वनि-ग्राम’ में प्रयुक्त ‘ध्वनि’ का अर्थ ऊपर स्पष्ट किया जा चुका है। अर्थात् व्यक्तवाक् का छोटे से छोटा अवयव, ‘ध्वनि’ कहलाता है ‘ग्राम’ का अर्थ है—समूह। इस प्रकार ‘ध्वनि-ग्राम’ का अर्थ है—ध्वनियों का समूह। जिस प्रकार भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के समूह को ‘वर्णमाला’ कहा जाता है, उसी प्रकार एक ही ध्वनि के अनेक किन्तु मिलते-जुलते रूपों के समूह का नाम ‘ध्वनिग्राम’ है। उच्चारण-प्रक्रिया का सूक्ष्म अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कोई भी मनुष्य, किसी भी एक ध्वनि का उच्चारण सदैव एक-सा नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए एक ही ‘च’ ध्वनि या वर्ण का उच्चारण एक ही मनुष्य यदि दस बार करे, तो उन दस उच्चारणों में से कोई भी दो एक-से नहीं होंगे, न हो सकते हैं। सुनने में एक-से अनुभव होने पर भी इन सभी उच्चारणों का, एक-दूसरे से भिन्न होना पूर्णतया वैज्ञानिक तथ्य है। साथ ही, एक ही ध्वनि (या वर्ण) जब विभिन्न शब्दों में प्रयुक्त होती है, तो अपने पहले तथा बाद में आने वाली ध्वनियों के कारण भी उसका उच्चारण सदा एक-सा नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए ‘चम्मच’, ‘चाची’, ‘चाँदनी’ तथा ‘चटनी’ शब्दों में यद्यपि ‘च’ ध्वनि का उच्चारित रूप एक-सा नहीं है, फिर भी सुनने वाले

साहित्य शास्त्र एवं सौन्दर्यशास्त्र को कोई विशेष अन्तर यहाँ अनुभव नहीं होता है।

NOTES

ऊपर एक ही 'च्' ध्वनि के जो विभिन्न उच्चारित रूप हैं, उनमें से प्रत्येक एक 'संध्वनि' है तथा उन सब विभिन्न उच्चारित रूपों की प्रतिनिधि जो एक 'च्' ध्वनि है, वह 'ध्वनिग्राम' है। ध्वनिग्राम में एक ही ध्वनि के जितने भी उच्चारित रूप अर्थात् 'संध्वनियाँ' होती हैं, वे सब सम्मिलित रहती हैं। इसीलिए वह ध्वनियों का ग्राफ (समूह) बनता है जबकि 'संध्वनि' अपनी एक पृथक तथा स्वतन्त्र इकाई होती है। ध्वनिग्राम की तुलना हम जाति से कर सकते हैं, तथा संध्वनि की व्यक्ति से। जैसे प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वतन्त्र व्यक्तित्व रखता है, वैसे ही संध्वनि भी। किन्तु, जैसे सभी व्यक्ति एक जाति में समाहित हो जाते हैं, वैसे ही सब संध्वनियाँ भी एक ध्वनिग्राम में समाहित हो जाती हैं।

इस प्रकार, प्रत्येक ध्वनि की अनेक संध्वनियाँ होती हैं तथा प्रत्येक ध्वनि की सब संध्वनियों का एक ध्वनिग्राम होता है।

ध्वनिग्राम

संध्वनि

त् (श्रव्य रूप)

'त्' के विभिन्न, किन्तु मिलते-जुलते उच्चारित रूप।

क् (श्रव्य रूप)

'क्' के विभिन्न, किन्तु मिलते-जुलते उच्चारित रूप।

इसी प्रकार सभी ध्वनियों को समझना चाहिए।

ध्वनिग्राम को 'ध्वनिश्रेणी' तथा संध्वनि को 'ध्वन्यंग' भी कहा जाता है। अंग्रेजी में ध्वनिग्राम को Phoneme तथा संध्वनि को Allophone कहते हैं, जैसाकि ब्लॉक और ट्रेगर के निम्नलिखित कथनों से ज्ञात होता है—

“A Phoneme is a class of phonetically similar sounds” तथा “The individual sounds which compose a phoneme are its allophones.”

—Outline of Linguistic Analysis.

4. ध्वनिगुण

भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों की सामान्य विशेषताएँ ही ध्वनियों के गुण कही जाती हैं। ध्वनियों का उच्चारण करते समय उन पर जो प्रभाव डाला जाता है, वह प्रभाव ही ध्वनियों की सामान्य विशेषता है, जिसे ध्वनियों के अध्ययन में ध्वनि-गुण कहा जाता है। अपने विशिष्ट गुण के कारण ही एक ध्वनि दूसरी ध्वनि से भिन्न हो जाती है। यह ध्वनि-गुण 5 प्रकार का है—

1. मात्रा,
2. स्वराघात (सुर, (स्वर) या संगीतात्मक स्वराघात)
3. बलाघात (बल या बलात्मक स्वराघात),
4. रूपात्मक स्वराघात,
5. वृत्ति।

1. **मात्रा**—मात्रा संज्ञक ध्वनि-गुण का आधार काल है। किसी ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला काल ही 'मात्रा' कहा जाता है। 'मात्रा' उच्चारण-काल की वह इकाई है, जिसके द्वारा किसी विशिष्ट ध्वनि के उच्चारण में लगने वाला काल नापा जाता है। इसके प्रमुख रूप से 3 भेद हैं—(क) ह्रस्व, (ख) दीर्घ और (ग) प्लुत।

2. **स्वराघात**—स्वराघात का आधार स्वरयन्त्र में स्थित स्वरतन्त्रियों का कम्पन है तथा कम्पन का आधार स्वरतन्त्रियों का कम या अधिक तनाव या फैलाव है। स्वरतन्त्रियों के अधिक या कम तनाव हुआ होने पर फेफड़ों से आती हुई वायु से कम्पन अधिक या कम होता है तथा स्वर ऊँचा या नीचा हो जाता है। इसी आधार पर स्वराघात के 3 भेद हैं—

- (क) उदात्त या उच्च या आरोही,
- (ख) अनुदात्त या निम्न (नीचा) या अवरोही,
- (ग) स्वरित या सम (न उच्च, न निम्न अर्थात् मध्यम)

3. **बलाघात**—बलाघात का आधार फेफड़ों से निकलने वाली वायु है। फेफड़ों से बाहर निकलने वाली श्वासवायु के आधार पर ध्वनियों के 2 भेद होते हैं—

(क) **सबल (Strong) ध्वनियाँ**—जिनके उच्चारण में श्वासवायु अधिक मात्रा में तथा अधिक बलपूर्वक बाहर निकलती है; उदाहरणार्थ, अभ्यन्तर शब्द में भ्य।

(ख) **निर्बल (Weak) ध्वनियाँ**—जिनके उच्चारण में श्वासवायु कम मात्रा में तथा कम बलपूर्वक बाहर निकलती है; उदाहरणार्थ, अभ्यन्तर शब्द में अ।

(ग) **समबल (Medium) ध्वनियाँ**—जिनके उच्चारण में श्वासवायु मध्यम (न अधिक न कम) मात्रा में मध्यम बल सहित बाहर निकलती है; उदाहरणार्थ, अभ्यन्तर शब्द में तर।

बलाघातप्रधान भाषा के शुद्ध उच्चारण के लिये बलाघात पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। प्राचीन भाषाओं में अवेस्ता, लैटिन आदि तथा आधुनिक भाषाओं में अंग्रेजी, रूसी आदि भाषाएँ बलाघातप्रधान ही हैं। इनका उच्चारण करते समय वक्ता को बलाघातयुक्त ध्वनियों को बलपूर्वक झटकों के साथ बोलना पड़ता है तथा श्रोता को लगता है, जैसे हथौड़ों की ध्वनि सुनाई पड़ रही है।

हिन्दी भाषा में बलाघात का विशेष महत्त्व नहीं है; फिर भी शब्द उपान्तर (अन्तिम से पूर्व की) ध्वनि का उच्चारण हिन्दी में प्रायः बलाघातयुक्त होता है, जिसके कारण अन्तिम ध्वनि प्रायः अस्पष्ट सुनाई पड़ती है; जैसे कमल में म का उच्चारण बलपूर्वक होने के कारण ल, ध्वनि अस्पष्ट सुनाई पड़ती है।

4. **रूपात्मक स्वराघात**—इस स्वराघात का आधार स्वरतन्त्रियों का रूप, बनावट का आकार है। स्वरतन्त्रियों के रूप-भेद से ही स्त्री-पुरुष तथा उनमें भी प्रत्येक व्यक्ति की ध्वनि में भेद हो जाता है। इसी के आधार पर हम ध्वनि (आवाज) को सुनकर ही व्यक्ति को पहचान लेते हैं।

संक्षेप में, रूपात्मक स्वराघात के आधार पर एक व्यक्ति के स्वर में दूसरे व्यक्ति के स्वर से भिन्नता हो जाती है, किन्तु भाषाविज्ञान में ध्वनि-विचार की दृष्टि से विद्वान् रूपात्मक स्वराघात को कोई महत्त्व नहीं देते हैं।

NOTES

5. वृत्ति—कुछ विद्वानों ने वृत्ति को भी ध्वनियों के गुणों में सम्मिलित किया है। हमारे प्राचीन शिक्षा-ग्रन्थों में भी इसका उल्लेख मिलता है। वृत्ति का आधार उच्चारण में आपेक्षिक क्षिप्रता से है। वृत्ति के 3 भेद हैं—(क) द्रुत, (ख) मध्यम तथा (ग) विलम्बित।

NOTES

(क) द्रुत—स्वयं भाषण, पाठ या अभ्यास में द्रुत वृत्ति उचित मानी जाती है। द्रुत वृत्ति में ध्वनियों का उच्चारण अधिक क्षिप्रता से किया जाता है।

(ख) मध्यम—किसी दूसरे सामान्य व्यक्ति से वार्तालाप में मध्यम वृत्ति उचित मानी जाती है। मध्यम वृत्ति में ध्वनियों का उच्चारण न अधिक क्षिप्रता से किया जाता है और न कम क्षिप्रता से।

(ग) विलम्बित—यह वृत्ति अध्यापकों, शिक्षकों के लिए आवश्यक मानी जाती है क्योंकि शिष्यों को समझाने, सिखाने में इसका उपयोग उचित रहता है। विलम्बित वृत्ति में ध्वनियों का उच्चारण अपेक्षाकृत कम क्षिप्रता से किया जाता है।

4. ध्वनि की उत्पत्ति-प्रक्रिया

प्रायः, हम अनुभव करते हैं कि किसी सुन्दर पदार्थ (विषय या वस्तु) को देखकर अथवा सुनकर अकस्मात् हमारे मुख से “वाह-वाह” शब्द निकल पड़ता है या उस वस्तु का नाम उच्चारित हो जाता है। “वाह-वाह” हो या वस्तु का नाम हो, वह है ‘ध्वनि’ किस प्रकार उत्पन्न होती है, इसके सम्बन्ध में महान् वैयाकरण ‘पाणिनि’ का मत है कि—

“आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।

मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्॥

मारुतस्तूरसि चरन् मन्दं जनयते स्वरम्॥

× × ×

सोदीर्णो मूर्ध्न्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः।

वर्णाञ्जनयते, तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः॥”

—पाणिनीय शिक्षा, 6.9।।

अर्थात् (वक्ता मनुष्य का) आत्मा (चेतनतत्त्व), बुद्धि (विवेकतत्त्व) के साथ संयुक्त होकर जिन पदार्थों (अर्थात् अर्थों) का साक्षात्कार करता है, उनकी अभिव्यक्ति की इच्छा से (विवक्षया) वह मन को उकसाता है, (तब) मन शारीरिक शक्ति को तथा शारीरिक शक्ति वायु (प्राण) को प्रेरित करती है। तत्पश्चात् वायु (श्वास) उर में गतिशील होकर मन्द (सामान्य) स्वर (ध्वनि) को उत्पन्न करता है तथा वह वायु ऊपर उठा हुआ तथा मूर्धा में टकराया हुआ मुखविवर में पहुँचकर (उन) वर्णों को उत्पन्न करता है, जिन्हें पाँच प्रकार का कहा गया है।

इस प्रकार पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ध्वनि की उत्पत्ति—आत्मा, बुद्धि, मन, प्राणवायु या श्वास, उर (फेफड़े, श्वासनलिका तथा स्वरतन्त्रियाँ), मूर्धा तथा वक्त्र (मुखविवर) आदि से होती है। इनमें से आत्मा, बुद्धि और मन को छोड़कर शेष सभी वाग्यन्त्र या उच्चारणावयव के अन्तर्गत परिगणित होते हैं।

ध्वनि की उत्पत्ति के लिये श्वास सबसे प्रमुख है। पाणिनीय शिक्षा में इसी को 'मारुत' कहा गया है। श्वास ही फेफड़ों में उत्पन्न होकर श्वासनलिका से होकर कण्ठपिटक में स्वरतन्त्रियों, मुखविवर तथा नासिकाविवर से निकलता हुआ ध्वनि को उत्पन्न करता है। मुखविवर में, जिह्वा, कोमल तालु, मूर्धा, कठोर तालु, वर्स्व, दन्त, ओष्ठ तथा नासिका आदि के सहयोग से ध्वनि विभिन्न वर्णों का रूप धारण करती है। इस दृष्टि से सभी उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों को हम प्रथमतः पाँच भागों में बाँट सकते हैं—

NOTES

- (1) फेफड़े।
- (2) श्वासनलिका तथा कण्ठपिटक (टेंटुआ)।
- (3) गलबिल।
- (4) मुखविवर (आस्य) अर्थात् ओष्ठ, दन्त, वर्स्व, (कठोर) तालु, मूर्धा, कोमलतालु (काग तथा जिह्वा)।
- (5) मुखविवर और नासिकाविवर का सन्धिस्थल तथा नासिका।

अघोष तथा सघोष—श्वास या वायु के स्वरतन्त्रियों से टकराने पर भी दो स्थितियाँ होती हैं—(1) जिसमें ध्वनि तो होती है, किन्तु यह ध्वनि घोष (गूँज) रहित होती है। ऐसी ध्वनि को ही 'श्वास' या अघोष कहते हैं; जैसे क् ख् आदि, वर्णों के प्रथम, द्वितीय वर्ण। (2) जिसमें ध्वनि के साथ-साथ घोष (गूँज) भी होता है, जिसे टेंटुए या अँगुली रखकर कम्पन द्वारा या कानों को उँगलियों से बन्द करके गूँज के द्वारा अनुभव किया जा सकता है। ऐसी ध्वनि को 'नाद', 'घोष' या 'सघोष' कहते हैं; जैसे ग्, घ्, ङ्, आदि वर्णों के तृतीय, चतुर्थ तथा पञ्चम वर्ण।

अल्पप्राण तथा महाप्राण—अघोष तथा सघोष ध्वनियों के उच्चारण में जहाँ वायु अथवा श्वास (प्राण) की प्रबलता कम (अल्प) रहती है, वे ध्वनियाँ अल्पप्राण कहलाती हैं; जैसे—अघोष क् तथा सघोष ग् आदि, वर्णों के प्रथम तथा तृतीय वर्ण। इसके विपरीत जहाँ वायु अथवा श्वास (प्राण) की प्रबलता अधिक (महा) रहती है, वे ध्वनियाँ महाप्राण कहलाती हैं; जैसे—अघोष ख् तथा सघोष घ् आदि वर्णों के द्वितीय तथा चतुर्थ वर्ण और 'ह' वर्ण।

कई अल्पप्राण ध्वनियों का उच्चारण एक ही श्वास में किया जा सकता है, किन्तु कई महाप्राण ध्वनियों का उच्चारण एक ही श्वास में कठिन होता है।

इस प्रकार (1) फेफड़े, (2) कण्ठपिटक सहित श्वासनलिका, (3) गलबिल, (4) मुखविवर में जिह्वा, ओष्ठ, दन्त, वर्स्व, तालु, मूर्धा कोमल तालु तथा (5) नासिका आदि इन सबसे मिलकर वाग्यन्त्र की रचना होती है। ये सभी उच्चारणोपयोगी अवयव हैं। इनमें से किसी एक में भी विकार उत्पन्न होने से ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण नहीं हो सकता।

5. ध्वनियों का वर्गीकरण

किसी भी भाषा के ध्वनि-समूह या वर्णमाला को स्पष्ट रूप से समझने-समझाने की दृष्टि से तथा वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से वर्गीकृत किया जाता है। इस वर्गीकरण से भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों को

पृथक-पृथक समझना सरल हो जाता है तथा प्रत्येक ध्वनि को स्पष्ट रूप से समझ लेने के कारण ध्वनियों के उच्चारण में स्पष्टता आ जाती है।

NOTES

ध्वनि-समूह

ध्वनियों का वर्गीकरण करने से पूर्व यह निश्चय करना आवश्यक होता है कि भाषा-विशेष में ध्वनियों की कुल संख्या कितनी है। इसी को उस भाषा का ध्वनि-समूह कहते हैं। यद्यपि किसी भी भाषा की बोलचाल में प्रयुक्त सभी ध्वनियों के स्वरूप का निश्चय करना असम्भव ही होता है, तथापि प्रत्येक भाषा में कुछ स्पष्ट ध्वनियों का यथासम्भव संकलन किया जाता है तथा उनके लिए लिपिचिह्न निश्चित किये जाते हैं। इन्हीं चिह्नों को वर्ण कहा जाता है तथा इनका समूह ही उस भाषा का 'ध्वनि-समूह' या 'वर्णमाला' कही जाती है। उदाहरण के लिये 'वैदिक, संस्कृत तथा हिन्दी ध्वनि-समूह यहाँ दिये जा रहे हैं।

वैदिक ध्वनि-समूह

स्वर

मूलस्वर—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ओ = 11

संयुक्त स्वर—अइ (ऐ) अउ (औ) = 2

व्यंजन

स्पर्श—क् ख् ग् घ् ङ् (कण्ठ्य)

च् छ् ज् झ् ञ् (तालव्य)

ट् ठ् ड् (ळ्) ढ् (ळ्ह) ण् (मूर्धन्य)

त् थ् द् ध् न् (दन्त्य)

प् फ् ब् भ् म् (ओष्ठ्य) = 27

अन्तस्थ—य् (ईं) र् ल् व् (उं) = 4

अघोष संघर्षी—श् ष् स् = 3

घोष ऊष्म—ह = 1

अघोष ऊष्म—: (विसर्ग), ((जिह्वामूलीय),) ((उपध्मानीय) = 3

शुद्ध अनुनासिक— (अनुस्वार) = 1

52

संस्कृत ध्वनि समूह

स्वर

मूलस्वर—अ आ इ ई उ ऊ ऋ ॠ लृ ए ओ = 11

संयुक्त स्वर—अइ (ऐ) अउ (औ) = 2

व्यंजन

स्पर्श—क् ख् ग् घ् ङ्	(कण्ठ्य)	
च् छ् ज् झ् ञ्	(तालव्य)	
ट् ठ् ड् ढ् ण्	(मूर्धन्य)	
त् थ् द् ध् न्	(दन्त्य)	
प् फ् ब् भ् म्	(ओष्ठ्य)	= 25
अन्तस्थ—य् (ईं), र् ल् व् (उं)		= 4
अघोष संघर्षी—श् ष् स्		= 3
घोष ऊष्म—ह		= 1
अघोष ऊष्म—: (विसर्ग)		= 1
शुद्ध अनुनासिक—(ं) (अनुस्वार)		= 1
		48

NOTES

हिन्दी ध्वनिसमूह

स्वर

मूलस्वर—अ आ इ ई उ ऊ ए ओ		= 8
संयुक्त स्वर—अइ (ऐ) अउ (औ)		= 2

व्यंजन

स्पर्श—क् (क) ख् ग् घ्		
ट् ठ् ड् ढ्		
त् थ् द् ध्		
प् फ् ब् भ्		= 17
संघर्षी—ह ख् ग् श् स् ज् फ् व्		= 8
स्पर्श-संघर्षी—च् छ् ज् झ्	—	= 4
अनुनासिक—ङ् (ञ्) न् ण् म् म्ह ण्	—	= 7
पर्शिवक—ल् (ल्ह)		= 2
लुण्ठित—र् (रह)		= 2
उत्क्षिप्त—ङ् ढ्		= 2
अन्तस्थ वा अर्धस्वर—य् व्		= 2

54

ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार

ध्वनियों का वर्गीकरण प्रमुख रूप से तीन तत्त्वों को दृष्टि में रखकर किया जाता है, जिन्हें हम ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार मान सकते हैं। वे तीन तत्त्व हैं—

NOTES

1. श्रवणीयता
2. उच्चारण-स्थान
3. उच्चारण-प्रयत्न

1. श्रवणीयता—श्रवणीयता से तात्पर्य है—ध्वनियों के या वर्णों के सुने जाने की योग्यता या सामर्थ्य। प्रत्येक भाषा के ध्वनिसमूह में कुछ ध्वनियाँ तो ऐसी होती हैं, जो सुनने में दूसरी ध्वनियों की अपेक्षा अधिक परिस्फुट अर्थात् स्पष्ट होती हैं और उन्हें श्रोता अपेक्षाकृत अधिक दूर से भली-प्रकार सुन सकता है। इसके विपरीत कुछ ध्वनियाँ सुनने में, आपेक्षिक दृष्टि से कम परिस्फुट होती हैं तथा उन्हें श्रोता अधिक दूर से नहीं सुन सकता है। श्रवणीयता के आधार पर ध्वनियों के तीन वर्ग बनाये जाते हैं—

- (क) स्वर
- (ख) व्यंजन
- (ग) अन्तस्थ।

(क) स्वर

स्वर वे ध्वनियाँ या वर्ण हैं, जिनके उच्चारण में मुखविवर सदैव कम या अधिक खुला रहता है। अतः, बाहर निकलती हुई श्वासवायु मुख-विवर में कहीं भी अवरुद्ध हुए बिना ही बाहर निकल जाती है। स्वरों के उच्चारण में न तो जिह्वादि कोई उच्चारण अवयव (करण) मुखविवर में किसी अन्य उच्चारण-अवयव (स्थान) को स्पर्श करता है और न ही कोई स्फोट होता है। वस्तुतः, स्फोट भी होता है, जब किसी ध्वनि के उच्चारण में श्वासवायु मुखविवर में क्षणभर रुककर पुनः झटके से बाहर निकलती है। यह स्थिति ठीक वैसी ही होती है, जैसे कागज के किसी खाली लिफाफे में हवा भरकर, फिर उसे फोड़ दिया जाय। यही ध्वनि स्फोट कहलाती है। स्फोट का शाब्दिक अर्थ ही 'फूटना' या 'फटना' है।

स्वरों की कुछ विशेषताएँ

1. सभी स्वर सघोष होते हैं, अर्थात् स्वरों के उच्चारण में स्वरतन्त्रियों में अपेक्षाकृत अधिक कम्पन होता है।
2. स्वरों के उच्चारण में मुख-विवर में जिह्वा विभिन्न आकारों को धारण करके श्वासवायु की निकलने की स्थिति में अन्तर कर देती है तथा ऊपर या नीचे होकर मुख-विवर को कम या अधिक खुला हुआ कर देता है।
3. जिह्वा या ओष्ठ कहीं भी स्पर्श नहीं करते।
4. स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है।
5. स्वरों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक सुना जा सकता है।

6. व्यञ्जनों के बिना भी स्वरों का उच्चारण सरलता से किया जा सकता है। “स्वयं राजन्ते स्वराः।”—महाभाष्य।

7. स्वराघात वहन करने की क्षमता केवल स्वरों में होती है: व्यञ्जनों में नहीं।

8. स्वर व्यञ्जनों से मिलकर अक्षर बना सकते हैं।

उपर्युक्त सभी विशेषताओं को “आसिलोग्राफ” नामक ध्वनि परीक्षण-यन्त्र से स्पष्ट रूप से जाना जा सकता है।

(ख) व्यञ्जन

श्रवणीयता के आधार पर ध्वनियों का दूसरा वर्ग व्यञ्जन कहलाता है। व्यञ्जन वे ध्वनियाँ हैं, जिनके उच्चारण में स्वरयन्त्र से बाहर निकलती हुई श्वास वायु, मुख-नासिका के सन्धिस्थल या मुख-विवर में कहीं-न-कहीं अवरुद्ध होकर या संघर्षित होकर मुख या नासिका से बाहर निकलती है। व्यञ्जनों के उच्चारण में जिह्वा आदि (करण) तालु आदि (स्थानों) का स्पर्श करते हैं तथा स्फोट होता है। यही कारण है कि व्यञ्जनों को सामान्यतया स्पर्श तथा स्फोट ध्वनियाँ भी कहा जाता है।

व्यञ्जनों की विशेषताएँ :

- (1) व्यञ्जनों का स्वरों के बिना उच्चारण कठिन होता है—“अन्वग् भवति व्यञ्जनम्”—महाभाष्य। अर्थात् व्यञ्जन स्वरों का अनुसरण करते हैं।
- (2) व्यञ्जनों के उच्चारण में मुख-विवर में श्वासवायु कहीं न कहीं अवरुद्ध होती है या संघर्ष करती है।
- (3) व्यञ्जनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है।
- (4) व्यञ्जन सुनने में अधिक परिस्फुट नहीं होते हैं, अतः दूर तक नहीं सुने जा सकते हैं।
- (5) व्यञ्जन स्वराघात वहन नहीं कर सकते हैं।
- (6) व्यञ्जन अक्षर नहीं बना सकते।

अन्तःस्थ

श्रवणीयता के आधार पर ध्वनियों का तीसरा वर्ग अन्तःस्थ कहलाता है। कभी-कभी किसी कम परिस्फुट स्वर के बाद अपेक्षाकृत अधिक परिस्फुट स्वर आ जाने से, पहला स्वर बहुत ही ह्रस्व उच्चारित होता है। इस प्रकार उच्चारित स्वर अन्तःस्थ कहलाते हैं और व्यवहार में उनका वर्गीकरण अन्तःस्थ वर्ग में ही होता है; उदाहरणार्थ—य् व्।

अन्तःस्थों की विशेषताएँ

अन्तःस्थों के उच्चारण में जिह्वा (करण) उच्चारण स्थान को पूर्णतया स्पर्श न करके, उसके समीप तक पहुँचती है और इस प्रकार पूर्ण स्पर्श न होने से इन्हें स्पर्श नहीं कहा जा सकता है। साथ ही, इनमें स्वरों

NOTES

की विशेषताओं का भी अभाव है—(i) अन्तःस्थ, स्वरों के समान दूर से नहीं सुने जा सकते, (ii) स्वराघात वहन नहीं करते तथा (iii) ये अक्षर-रचना में भी असमर्थ हैं। अतः, इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता है। इस प्रकार अन्तस्थ स्वरों तथा व्यञ्जनों की मध्यवर्ती ध्वनियाँ हैं।

NOTES

2. उच्चारण-स्थान के अनुसार ध्वनियों का वर्गीकरण

उच्चारण-स्थान—फेफड़ों से उत्पन्न होकर श्वास-नलिका से प्रवाहित होती हुई प्राणवायु वाग्यन्त्र में, जिस स्थान पर रुककर या संकीर्ण होकर ध्वनि बनाती है, वाग्यन्त्र का वह अवयव (स्थान) ही उस ध्वनि का स्थान कहा जाता है।

हिन्दी-संस्कृत में प्रयुक्त ध्वनियों की दृष्टि से, उच्चारणोपयोगी अवयवों में से निम्नलिखित अवयव, स्थान का कार्य करते हैं—

(1) काकल (उर), (2) जिह्वामूल, (3) कण्ठ या कोमल तालु, (4) नासिका, (5) कण्ठ तथा तालु, (6) कण्ठ तथा ओष्ठ, (7) मूर्धा, (8) (कठोर) तालु, (9) वर्स्व, (10) दन्त, (11) दन्त तथा ओष्ठ, (12) दोनों ओष्ठ।

उपर्युक्त स्थानों से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, उन्हें क्रमशः—(1) काकल्य (उरस्य), (2) जिह्वामूलीय, (3) कण्ठ्य या कोमलतालव्य, (4) नासिक्य, (5) कण्ठ-तालव्य, (6) कण्ठोष्ठ्य, (7) मूर्धन्य, (8) तालव्य, (9) वर्स्व्य, (10) दन्त्य, (11) दन्तोष्ठ्य तथा (12) द्वयोष्ठ्य कहते हैं।

उपर्युक्त स्थान तथा उनसे उच्चारित ध्वनियों का स्पष्टीकरण इस प्रकार है—

(1) **काकल्य ध्वनियाँ (Glottal)**—उच्चारणावयवों के परिचय से ज्ञात होता है कि कण्ठपिटक अथवा स्वरयन्त्र में दो लचीली स्वरतन्त्रिका होती हैं। श्वासनलिका से प्रवाहित वायु इन्हीं स्वरतन्त्रियों के मध्य से होकर जब निकलती है, तब सामान्य ध्वनि उत्पन्न होती है। इन्हीं स्वरतन्त्रियों के मध्य स्थित वायुमार्ग 'काकल' (Glottis) कहलाता है। इस प्रकार 'काकल' स्थान से उच्चारित-ध्वनि ही 'काकल्य' कहलाती है। उदाहरणार्थ—विसर्ग (:) तथा ह। कुछ विद्वान् इन ध्वनियों का स्थान 'उर' मानते हैं तथा उन्हें 'उरस्य' ध्वनियाँ कहते हैं।

(2) **जिह्वामूलीय (Uvular)**—जिह्वा जहाँ से प्रारम्भ होती है, उसका मूलस्थान जिह्वामूल कहलाता है। जब अलिजिह्वा या काग (कौआ) जिह्वामूल का स्पर्श करता हुआ श्वासवायु का निरोध करता है, तब जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें जिह्वामूलीय कहते हैं; उदाहरणार्थ, हिन्दी में स्वीकृत अरबी में प्रयुक्त क्, ख, ग, आदि ध्वनियाँ।

वैदिक भाषा में क् तथा ख् से पूर्व, अर्धविसर्ग-सदृश उच्चारित ध्वनि (यथा प्रातःकाल—प्रातक्काल) को जिह्वामूलीय कहा जाता है तथा उसे इस प्रकार लिखा जाता है—

क्, ख, क, ख इति, कखाभ्यां प्रागर्धविसर्गसदृशौ जिह्वामूलीयौ—सिद्धान्तकौमुदी।

(3) **कण्ठ्य या कोमलतालव्य (Guttural or Velar)**—मुखविवर में अलिजिह्वा (काग या कौआ) तथा मूर्धा के मध्यभाग को, भारत के प्राचीन शिक्षाकारों ने कण्ठ। तथा आधुनिक विद्वानों ने कोमलतालु

माना है। इस स्थान से उच्चारित ध्वनियाँ कण्ठ्य या कोमलतालव्य कहलाती हैं। कण्ठ्य ध्वनियाँ भी तीन प्रकार की हैं—

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

NOTES

(i) कण्ठ के साथ जिह्वापश्च के सहयोग से उत्पन्न—क्, ख, ग, घ।

(ii) कण्ठ के साथ अलिजिह्वा (काग) तथा नासिका के सहयोग से उत्पन्न—ङ् तथा सभी अनुनासिक स्वर (अँ, आँ आदि)।

(iii) केवल कण्ठ से उत्पन्न—अ तथा आ।

(4) **नासिक्य (Nasal)**—नासिका, श्वासक्रिया का प्रमुख अवयव है। नासिका से उच्चारित ध्वनियाँ ही नासिक्य कही जाती हैं। नासिक्य ध्वनि के उच्चारण के समय ओठ मुखविवर को बन्द कर देते हैं तथा सम्पूर्ण श्वासवायु नासिका से ही बाहर निकलती है; उदाहरण के लिये संस्कृत की अनुस्वार (ँ) ध्वनि नासिक्य ही है। (नासिकाऽनुस्वारस्य—सिद्धान्तकौमुदी)

(5) **कण्ठ-तालव्य**—तालु से तात्पर्य यहाँ कठोर तालु से है। अतः, कण्ठ तथा कठोर तालु से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, वे कण्ठ-तालव्य कहलाती हैं। ये ध्वनियाँ कण्ठ से उत्पन्न होती हैं तथा तालु (कठोर) के समीप जिह्वा (अग्र) के जाने से इनमें कुछ विशेषता उत्पन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ—ए, ऐ (एदैतोः कण्ठतालु—सिद्धान्तकौमुदी)।

(6) **कण्ठोष्ठ्य**—कण्ठ तथा ओष्ठों के सहयोग से जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, वे कण्ठ-ओष्ठ्य कहलाती हैं। कण्ठ-तालव्य ध्वनियों की भाँति ही, ये ध्वनियाँ उत्पन्न तो कण्ठ में ही होती हैं, किन्तु ओष्ठों द्वारा श्वास वायु को एक विशिष्ट रूप प्राप्त होने के कारण ये कण्ठोष्ठ्य कही जाती हैं। उदाहरणार्थ—ओ, औ (ओदौतोः कण्ठयोष्ठ्यम्—सिद्धान्तकौमुदी)।

(7) **मूर्धन्य (Cerebral)**—मुखविवर की ऊपरी छत के मध्य जो सबसे ऊँचा स्थान है, वह मूर्धा कहा जाता है। मूर्धन्य ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा की नोक (जिह्वाग्र) या जिह्वा की नोक का पिछला भाग (जिह्वोपाग्र) उलटकर मुखविवर में मूर्धा स्थान को स्पर्श करता है। संस्कृत में ट्, ट्, ड्, ढ् (टवर्ग ध्वनियाँ) तथा ऋ, र् तथा ष् मूर्धन्य ध्वनियाँ मानी जाती हैं। (ऋटुरघाणां मूर्धा—सिद्धान्तकौमुदी)।

हिन्दी की ट्, ट्, ड्, ढ्, ण्, ङ् तथा ढ्, ध्वनियाँ मूर्धन्य मानी जाती हैं, किन्तु आजकल इनका उच्चारण मूर्धा से न होकर लगभग कठोर तालु से ही होता है।

(8) **तालव्य (Palatal)**—तालु से तात्पर्य यहाँ कठोर तालु से है। अतः जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वाग्र (कठोर) तालु का स्पर्श करता है, वे ध्वनियाँ तालव्य कहलाती हैं। संस्कृत में इ, ई, चवर्ग (च्, छ्, ज्, झ्), य् तथा श् ध्वनियाँ तालव्य मानी गयीं हैं।

हिन्दी में भी इ, ई, च्, छ्, ज्, झ्, ज्, य् तथा श् तालव्य ध्वनियाँ मानी गयी हैं, किन्तु आजकल चवर्ग ध्वनियों का उच्चारण लगभग वर्स्व (ऊपरी दन्त पंक्ति के पीछे मसूड़ों के समीप का भाग) से होता है।

(9) **वर्स्व (Alveolar)**—मुखविवर के ऊपरी दाँतों के भीतरी मसूड़ों का ऊपर का खुरदरा भाग वर्स्व कहा जाता है। (कुछ विद्वान् इस उच्चारणावयव को 'वर्त्स' तथा इससे उच्चारित ध्वनियों को वर्त्स्य

कहते हैं।) वर्स्य ध्वनियों का उच्चारण वर्स्य स्थान पर जिह्वाग्र के स्पर्श द्वारा होता है। उदाहरण के लिए न्, न्ह, ल्, ल्ह, र्ह, स्, ज् ध्वनियाँ वर्स्य मानी जाती हैं।

NOTES

(10) **दन्त्य (Dental)**—‘दन्त’ से तात्पर्य यहाँ केवल ऊपर के दाँतों से ही है। अतः, ऊपर के दाँतों के पिछले भाग को जिह्वाग्र से स्पर्श करने पर जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, वे दन्त्य कहलाती हैं। संस्कृत में (त्, थ्, द्, ध्, न्) तथा हिन्दी में त्, थ्, द्, ध् ध्वनियाँ दन्त्य मानी जाती हैं। इसी प्रकार ल्, स् ध्वनियाँ भी दन्त्य ही मानी गयी हैं। (लृतुलसानां दन्ता.—सिद्धान्तकौमुदी)

(11) **दन्तोष्ठ्य (Dento-labial)**—यहाँ दन्त से तात्पर्य ऊपरी दाँत तथा ओष्ठ से तात्पर्य निचले ओष्ठ से है। दन्तोष्ठ्य ध्वनियों का उच्चारण ऊपरी दन्तपंक्ति के साथ निचले ओष्ठ के सहयोग से होता है। अर्थात् नीचे का ओष्ठ जब ऊपर की दन्तपंक्ति का स्पर्श करता है, तब इन ध्वनियों का उच्चारण होता है; जैसे व् तथा फ्।

(12) **द्वयोष्ठ्य (Bi-labial)**—जिन ध्वनियों के उच्चारण में नीचे का ओष्ठ ऊपर के ओष्ठ को स्पर्श होता है, अर्थात् जिन ध्वनियों का उच्चारण दोनों ओष्ठों से होता है वे द्वयोष्ठ्य कहलाती हैं। उदाहरण उ, ऊ,—(स्वर), उपध्मानीय (प फ् इति पफाभ्यां प्रागर्ध्विसर्गसदृशौ उपध्मानीयौ—सिद्धान्तकौमुदी अर्थात् वैदिक भाषा में प् तथा फ् से पूर्व जो आधे विसर्ग—सदृश ध्वनि (यथा अन्तःपुर—अन्तःपुर) होती है, वह उपध्मानीय कहलाती है) तथा पवर्ग (प, फ्, ब्, भ्) द्वयोष्ठ्य ध्वनियाँ हैं।

ध्वनिविशेष के वर्गीकरण की रीति—

ध्वनि-वर्गीकरण-सम्बन्धी उपर्युक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि किसी विशेष ध्वनि का वर्गीकरण करते समय निम्नलिखित चार प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है—

1. वह ध्वनि स्वर है, व्यंजन है अथवा अन्तःस्थ है?
2. उस ध्वनि का उच्चारण-स्थान क्या है?
3. उस ध्वनि का आभ्यन्तर प्रयत्न क्या है?
4. उस ध्वनि का बाह्य प्रयत्न क्या है?

इस प्रकार उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर देकर, किसी भी ध्वनि का वर्गीकरण सहज ही किया जा सकता है।

6. ध्वनि-परिवर्तन

किसी भी भाषा के विकास पर दृष्टिपात करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उसके प्राचीन तथा नवीन शब्दों में ध्वनि-सम्बन्धी अनेक परिवर्तन हो गये हैं। उन परिवर्तनों के भी अनेक रूप हैं—अर्थात् किन्हीं शब्दों में नई ध्वनियाँ आकर जुड़ गयी हैं, किन्हीं शब्दों में से कुछ ध्वनियाँ लुप्त हो गयी हैं किन्हीं शब्दों में ध्वनियों के स्थान में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार कहीं भिन्न ध्वनियाँ समान हो गयी हैं तो कहीं समान ध्वनियाँ भिन्न ध्वनियों में परिवर्तित हो गयी हैं। अनेक स्थानों पर ह्रस्व के स्थान पर दीर्घ तथा दीर्घ के स्थान पर ह्रस्व, घोष के स्थान पर अघोष तथा अघोष के स्थान पर घोष, अल्पप्राण के स्थान पर महाप्राण तथा

महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियाँ भी मिलती हैं। इसी प्रकार अन्य अनेक रूपों में भी ध्वनियों में परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

ध्वनियों में परिवर्तन की यह प्रवृत्ति यद्यपि प्राचीनकाल से ही भारतीय भाषाविदों के विचार का विषय रही है और उन्होंने ध्वनि-परिवर्तन की—

(1) वर्णागम, (2) वर्ण-विपर्यय, (3) वर्ण-विकार और (4) वर्णनाश—इन 4 दिशाओं का स्पष्ट उल्लेख किया है; तथापि, जैसा कि कहा जाता है, आधुनिक भाषा विज्ञानियों ने भाषा का बहुत ही सूक्ष्म तथा विस्तृत अध्ययन किया है। परिणामस्वरूप आजकल ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी अनेक दिशाएँ दृष्टिगोचर होती हैं, जिनमें से प्रमुख दिशाओं के नाम इस प्रकार हैं—

1. आगम, 2. लोप, 3. विपर्यय, 4. समीकरण, 5. विषमीकरण, 6. मात्रा-भेद, 7. सघोषीकरण, 8. अघोषीकरण, 9. महाप्राणीकरण, 10. अल्पप्राणीकरण, 11. ऊष्मीकरण, 12. अनुनासिकीकरण, 13. सन्धि तथा 14. भ्रामक व्युत्पत्ति।

अब, इनका क्रमशः सोदाहरण स्पष्टीकरण किया जायेगा।

ध्वनि-परिवर्तन की दिशाएँ

ध्वनि-परिवर्तन की विभिन्न दिशाओं को संक्षेप में, इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है—

(1) **आगम (Augment)**—किसी शब्द में पहले से अविद्यमान किसी नई ध्वनि (स्वर, व्यञ्जन या अक्षर) का आकर शब्द के आदि, मध्य या अन्त में जुड़ जाना आगम कहलाता है; उदाहरणार्थ—संस्कृत स्त्री शब्द का प्राकृत रूप—इत्थी। यहाँ 'इ' इस स्वर ध्वनि का आदि में आगम हुआ है। अतः, यह **आदिस्वरागम (Prothesis)** कहलाता है। इसी प्रकार स्वर्ण से सुवर्ण, पृथ्वी से पृथिवी आदि **मध्यस्वरागम (Anaptyxis)** या **स्वरभक्ति** के उदाहरण हैं। ओष्ठ से होठ, शाप से श्राप, बधू से वधूटी आदि; क्रमशः आदि, मध्य अन्त में व्यंजन के आगम के उदाहरण हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह आगम केवल स्वर का, केवल व्यञ्जन का या केवल अक्षर (स्वर तथा व्यञ्जन) का होने के कारण तीन प्रकार का हो सकता है तथा यह शब्द के आदि, मध्य या अन्त में आने के कारण, पुनः तीन प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार आगम के $3 \times 3 = 9$ भेद सहज ही बन जाते हैं।

(2) **लोप (Elision)**—आगम के विपरीत किसी शब्द के आदि, मध्य या अन्त में, पहले से विद्यमान ध्वनि (स्वर, व्यञ्जन या अक्षर) का बाद में लुप्त हो जाना लोप कहलाता है; उदाहरणार्थ—स्नेह से नेह। यहाँ 'स्' व्यञ्जन ध्वनि का लोप हो गया है। अन्य उदाहरणों में अभ्यन्तर से भीतर **आदिस्वरलोप (Aphesis)**, जनता से जन्ता **मध्यस्वर लोप (Syncope)**, दूर्वा से दूब, भगिनी से बहिन अन्त्य स्वर लोप, सूची से सुई तथा भाण्डागार से (भण्डार) मध्यव्यंजन लोप के उदाहरण हैं।

आगम की भाँति ही लोप में भी ध्वनि केवल स्वर, केवल व्यञ्जन या केवल अक्षर हो सकती है तथा उसका भी आदि, मध्य या अन्त, कहीं से भी लोप हो सकने के कारण; $3 \times 3 = 9$ भेद हो जाते हैं।

साथ ही, एक ही शब्द में एक समान दो ध्वनियों में से किसी एक ध्वनि का लोप होने पर, समाक्षरलोप, इसका 10 वाँ भेद भी बन जाता है; जैसे नाक + कटा > नकटा, आदि-आदि।

NOTES

(3) **विपर्यय (Metathesis)**—जब किसी शब्द में न तो ध्वनि का आगम होता है, न लोप, अपितु शब्द में विद्यमान ध्वनियाँ परस्पर स्थान बदल लेती हैं, तो वह विपर्यय कहलाता है; उदाहरणार्थ—मतलब से मतबल। अन्य उदाहरण हैं—ससुर से सुसर, पागल से पगला, खन से नख (नाखून), लखनऊ से नखलऊ आदि।

विपर्यय भी स्वर, व्यञ्जन एवं अक्षर-भेद से तथा पार्श्ववर्ती (पास-पास की ध्वनियों में) दूरवर्ती (दूर-दूर की ध्वनियों में) होने से अनेक भेदों वाला होता है।

शब्दांश-विपर्यय—उपर्युक्त ध्वनि-विपर्यय के साथ ही भाषा में शब्दांशविपर्यय के उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे—ओखल-मूसल के स्थान पर **मूखल-ओसल** या **दाल-चावल** के स्थान पर **चाल-दावल**। अंग्रेजी में इसे 'स्पूनरिज्म' (Spoonerism) कहते हैं।

(4) **समीकरण (Assimilation)**—जब शब्द में साथ-साथ विद्यमान दो भिन्न-भिन्न ध्वनियों में से एक अधिक शक्तिशाली होने के कारण दूसरी को अपने समान बना लेती है, तब यह दो ध्वनियों का समीकरण कहा जाता है; उदाहरण के लिए संस्कृत अग्नि से प्राकृत अग्नि (आग) तथा वल्कल से बक्कल आदि।

यह समीकरण भी स्वर तथा व्यञ्जन की दृष्टि से दो प्रकार का होता है। साथ ही, जहाँ पूर्व ध्वनि, बाद वाली ध्वनि को अपने समान बनाती है, वहाँ समीकरण **पुरोगामी** कहा जाता है तथा जहाँ बाद वाली ध्वनि पूर्व ध्वनि को अपने समान बना लेती है, वहाँ समीकरण **पश्चगामी** कहा जाता है। इस प्रकार समीकरण भी स्वर तथा व्यञ्जन और पुरोगामी तथा पश्चगामी भेद से $2 \times 2 = 4$ भेद वाला होता है।

(5) **विषमीकरण (Dissimilation)**—समीकरण के विपरीत जब शब्द के साथ-साथ आने वाली दो समान ध्वनियाँ, असमान (विषम) हो जाती हैं, तब उसे ध्वनियों का विषमीकरण होना कहा जाता है; उदाहरणार्थ—कंकण से कंगन।

स्वर, व्यञ्जन तथा पुरोगामी, पश्चगामी भेद से यह भी $2 \times 2 = 4$ प्रकार का होता है।

(6) **मात्राभेद**—जब शब्द में विद्यमान कोई ह्रस्व मात्रा, बाद में दीर्घ या दीर्घ मात्रा, बाद में ह्रस्व हो जाती है, जैसे—संस्कृत पुत्र से हिन्दी पूत, (दीर्घीकरण) (Lengthening) **आसाढ़** से **असाढ़** (Delengthening) ह्रस्वीकरण आदि।

(7) **सघोषीकरण (Vocalization)**—जब शब्द में विद्यमान कोई अघोष ध्वनि बाद में सघोष हो जाय; जैसे—शकुन से सगुन या शाक से साग आदि।

(8) **अघोषीकरण (Devocalization)**—सघोषीकरण के विपरीत जब शब्द में पहले से विद्यमान कोई सघोष ध्वनि, अघोष ध्वनि हो जाय; फारसी मदद से हिन्दी मदत।

(9) **महाप्राणीकरण (Aspiration)**—जब शब्द में विद्यमान कोई अल्पप्राण ध्वनि, बाद में महाप्राण हो जाय; जैसे संस्कृत गृह से घर परशु से फरसा, वेष से भेष आदि।

(10) **अल्पप्राणीकरण (De-aspiration)**—महाप्राणीकरण के विपरीत जब शब्द में विद्यमान कोई महाप्राण ध्वनि, बाद में अल्पप्राण हो जाय; जैसे—सिन्धु से हिन्दु, भगिनी से बहिन आदि।

(11) **ऊष्मीकरण (Assibilation)**—जो ध्वनि पहले ऊष्म नहीं थी, किन्तु बाद में ऊष्म हो जाय; जैसे—केन्तुम् वर्ग की भाषाओं की क् ध्वनि शतम् वर्ग की भाषाओं में श या स् (ऊष्म) हो गयी है।

(12) **अनुनासिकीकरण (Nasalization)**—जो ध्वनियाँ पहले अनुनासिक नहीं हों, किन्तु बाद में अनुनासिक हो जायें; जैसे—संस्कृत सर्प से साँप, श्वास से साँस, अश्रु से आँसू आदि।

(13) **सन्धि (Euphonic Combination)**—जब दो ध्वनियाँ परस्पर मिल जाती हैं अर्थात् सन्धिरहित ध्वनियों में सन्धि हो जाती है; जैसे अउतार (अवतार) से औतार, बइन (वचन) से बैन आदि। इसी प्रकार जब दो शब्द एक-दूसरे के बाद उच्चारित होते हैं, तो प्रथम शब्द की अन्तिम तथा द्वितीय शब्द की आदिम ध्वनियों में भी सन्धि हो जाती है जैसे रमा + ईशः = रमेश आदि।

सन्धि के तीन भेद हैं—

(i) अच् (स्वर) सन्धि।

(ii) हल् (व्यञ्जन) सन्धि।

(iii) विसर्ग सन्धि।

साथ ही, (i) लोप, (ii) आगम, (iii) विकार तथा (iv) प्रकृतिभाव रूप में सन्धि की चार दिशाएँ हैं।

(14) **भ्रामक व्युत्पत्ति (Popular Etymology)**—अज्ञानवश किसी अन्य भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में मनमाने ढङ्ग से गढ़ते हुए उनमें अपनी भाषा की ध्वनियों का प्रयोग करना; जैसे—अरबी—इन्तकाल से हिन्दी—अन्तकाल, अंग्रेजी—लाइब्रेरी से हिन्दी—रायबरेली, अंग्रेजी—लॉर्ड से हिन्दी—लाट आदि।

संक्षेप में ध्वनि-परिवर्तन की उपर्युक्त चौदह दिशाएँ हैं। यद्यपि इनकी संख्या निश्चित करना कठिन है, तथापि अभी तक भाषाविज्ञानियों ने इन्हीं दिशाओं का उल्लेख प्रायः किया है।

ध्वनि-नियम

सामान्य विवेचन—विशिष्ट ध्वनि-नियमों के परिचय से पूर्व यहाँ कुछ सामान्य विषयों का उल्लेख आवश्यक है।

नियम—सभी देशकालों में, समान परिस्थितियों में, समान रूप से घटित क्रिया को नियम कहा जाता है। जैसे गणित का कोई नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम, आदि। स्पष्ट ही, इन नियमों का सम्बन्ध भौतिक पदार्थों से होता है और इन्हें हम प्राकृतिक नियम कहते हैं।

ध्वनि-नियम—यदि उपर्युक्त प्राकृतिक नियम की भाँति ही समान परिस्थितियों में, समान रूप से कोई परिवर्तन आदि की क्रिया भाषा-ध्वनि के क्षेत्र में घटित हो तो उसे भी, निश्चय ही, ध्वनि-नियम कहा जा सकता है।

यद्यपि भौतिक पदार्थों में घटित प्राकृतिक नियमों—जैसी नियमितता तथा असंदिग्धता का भाषा-ध्वनि के क्षेत्र में मिलना असम्भव है। (क्योंकि भाषा का सम्बन्ध चेतन मानव से है तथा उसकी परिस्थितियों में

निरन्तर परिवर्तन होता रहता है।) तथापि अनेक विद्वानों ने, भाषा-ध्वनियों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करके, कुछ ऐसे ध्वनि-परिवर्तन-सम्बन्धी नियम बनाये हैं, जिन्हें देखने में ज्ञात होता है कि किसी निश्चित काल में, किसी निश्चित देश की किसी निश्चित भाषा की, कुछ निश्चित ध्वनियाँ एक विशेष क्रम से परिवर्तित होती हैं। अतः, इस निश्चितता तथा विशिष्टता के आधार पर इन्हें ध्वनि-नियमों की संज्ञा दी जा सकती है।

प्राकृतिक नियम तथा ध्वनि-नियम में अन्तर

यद्यपि पर्याप्त नियमितता के आधार पर ही ध्वनि-नियम बनाये जाते हैं तथापि प्राकृतिक नियमों जैसी सार्वदेशिकता तथा सार्वकालिकता का ध्वनि-नियमों में होना सम्भव नहीं है। प्राकृतिक नियमों के देश-काल की अपेक्षा ध्वनियों का देश तथा काल बहुत ही सीमित होता है। अतः कोई भी ध्वनि-नियम बनाते समय, उसके देश तथा काल की सीमा का निर्धारण बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। ऐसा न होने पर उसे ध्वनि-नियम ही स्वीकार नहीं किया जाता है।

ध्वनि-नियम की परिभाषा

ध्वनिविद् श्री टी० जी० टकर (T. G. Tucker) के अनुसार—“किसी भाषा का ध्वनि-नियम वह कथन है, जिसका सम्बन्ध भाषाविशेष की किसी एक ध्वनि या ध्वनि-समूह में विशेष काल तथा विशेष परिस्थितियों (आनुपूर्वी) में होने वाले नियमित विकार से होता है।

डॉ. भोलानाथ तिवारी ने भी अपने ग्रन्थ ‘भाषाविज्ञान’ में लगभग यही बात कही है—“किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट ध्वनियों में, किसी विशिष्ट काल और विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन या विकार को उस भाषा का ध्वनि-नियम कहते हैं।

उपर्युक्त विवेचन को देखते हुए ध्वनि-नियम की निम्नलिखित विशेषताओं को ध्यान में रखना आवश्यक है—

(1) यद्यपि ध्वनि-नियम भौतिक विज्ञान आदि के नियमों की भाँति सुनिश्चित तथा व्यापक नहीं होते, तथापि ध्वनियों में होने वाला परिवर्तन बहुत सीमा तक नियमित ही होता है। इसी आधार पर ध्वनि-विज्ञान, विज्ञान कहलाता है।

(2) सभी ध्वनि-नियमों का सम्बन्ध भूतकाल में हुये विशिष्ट ध्वन्यात्मक परिवर्तनों से होता है। उनके भविष्य में भी उसी रूप में घटने की सही-सही भविष्यवाणी नहीं की जा सकती; जबकि भौतिक विज्ञान आदि के नियम भूत, भविष्यत् और वर्तमान, सभी कालों में समान रूप से घटित होते हैं।

(3) एक बार प्रारम्भ हुआ ध्वनि-परिवर्तन कभी रुकता नहीं है, अपितु दिशाविशेष में अग्रसर होता रहता है।

(4) प्रत्येक ध्वनि-परिवर्तन प्रारम्भिक काल में एक प्रवृत्ति के रूप में होता है, जब प्रवृत्ति स्थायी हो जाती है, तो वह ध्वनि-नियम बन जाती है; उदाहरणार्थ, पहले ‘मूल भारोपीय’ भाषा के ‘स्’ को ईरानी भाषा में ‘ह’ के रूप में उच्चारण करने की प्रवृत्ति रही होगी तथा बाद में इस प्रवृत्ति के स्थायी हो जाने पर इसे ध्वनि-नियम कहा जाने लगा होगा।

(5) प्रत्येक ध्वनि-नियम अवस्था-विशेष को दृष्टि में रखकर बनाया जाता है; अर्थात् वह अपने आस-पास की ध्वनियों से नियन्त्रित रहता है, उससे भिन्न परिस्थितियों में वह काम नहीं करता है। उदाहरण के लिये ग्रिम-नियम असंयुक्त ध्वनियों से ही सम्बन्ध रखता है, संयुक्त ध्वनियों से नहीं।

(6) प्रत्येक ध्वनि-नियम का सम्बन्ध कालविशेष से होता है, उससे भिन्न काल की ध्वनियों पर वह सार्थक नहीं होता है।

(7) प्रत्येक ध्वनि-नियम देश-विदेश से सम्बन्ध रखता है, उससे बाहर की भाषा-विशेष पर वह लागू नहीं होता है।

संक्षेप में, प्रत्येक ध्वनि-नियम किसी भाषा की भूतकाल की ध्वनियों से सम्बन्ध रखता है, पहले वह प्रवृत्ति के रूप में रहता है, धीरे-धीरे स्थायी बन जाने पर प्रवृत्ति, नियम का रूप ले लेती है। प्रत्येक ध्वनि-नियम, भाषा-विशेष की काल-विशेष की विशिष्ट ध्वनियों से ही सम्बद्ध होता है और वह सीमित क्षेत्र में सीमित परिस्थितियों में ही काम करता है।

अतः किसी भी ध्वनि-नियम को भौतिक विज्ञान आदि के नियमों की भाँति सुनिश्चित तथा सार्वदेशिक-सार्वकालिक नहीं माना जा सकता है। इस दृष्टि से उसे नियम' कहना भी उचित प्रतीत नहीं होता है, किन्तु यदि उसकी सीमाओं का निर्देश कर दिया जाय, तो वह एक सुनिश्चित वैज्ञानिक नियम की भाँति ही कार्य करता है। इसी दृष्टि से हम ध्वन्यात्मक परिवर्तन को ध्वनि-नियम कह सकते हैं और ध्वनि-विज्ञान को एक विज्ञान।

कुछ प्रसिद्ध ध्वनि-नियम

भाषाविज्ञान में ध्वनि-नियम से तात्पर्य है—मानव भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के परिवर्तन से सम्बन्ध रखने वाला नियम। ऐसे नियमों में, जर्मन विद्वान याकोब ग्रिम (Jacob Grimm) का बनाया हुआ 'ग्रिम-नियम' (Grimm-law) सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ध्वनि-नियम के प्रसंग में ग्रिम के साथ-साथ, ग्रासमैन (Hermann Grassmann) तथा वर्नर (Karl Adolf Verner) के नाम भी प्रसिद्ध हैं। इन दोनों विद्वानों ने 'ग्रिम-नियम' की कुछ त्रुटियों को दूर कर, उसके सम्बन्ध में अपने संशोधन प्रस्तुत किये हैं।

ग्रिम-नियम के अतिरिक्त कुछ अन्य ध्वनि-नियम भी माने जाते हैं; जैसे—तालव्य-नियम (Palatal-law) मूर्धन्य-नियम (Cerebral-law), ग्रीक-नियम, लैटिन नियम आदि। इस प्रकार कुल मिलाकर चर्चित, प्रसिद्ध ध्वनि-नियमों की संख्या अधिक नहीं है उन्हें क्रमशः इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है—

1. ग्रिम-नियम (Grimm-law) तथा तत्सम्बन्धी संशोधन; जैसे—

(क) ग्रिम-उपनियम

(ख) ग्रासमैन-उपनियम

(ग) वर्नर-उपनियम

(घ) सादृश्य-उपनियम

NOTES

NOTES

स्वनिम-विज्ञान या ध्वनिग्राम-विज्ञान (Phonemics)

प्रस्तावना—स्वनिम-विज्ञान या ध्वनिग्राम-विज्ञान, ध्वनिविज्ञान की एक शाखा है अथवा आधुनिक भाषाविज्ञान-सम्बन्धी अध्ययन का महत्वपूर्ण अङ्ग है। किसी भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों (ध्वनिग्रामों) तथा भाषा-ध्वनियों (संघ्वनियों) का ज्ञान इसी के द्वारा होता है। अंग्रेजी में स्वनिम या ध्वनिग्राम को Phoneme तथा संघ्वनि (या केवल ध्वनि) को Allophone कहा जाता है।

महत्त्व—भाषा में 'स्वनिम' का महत्त्व ही सर्वोपरि है। कारण भाषा का मूल आधार 'स्वनिम' (ध्वनिग्राम) ही है। परिणामस्वरूप, भाषाविज्ञान में भी स्वनिम-विज्ञान का महत्त्व सर्वोपरि हो जाता है। पदविज्ञान, वाक्यविज्ञान तथा अर्थ विज्ञान आदि उसी पर आधारित हैं। साथ ही, भाषा-विशेष के स्वनिमों का ज्ञान होने पर उस भाषा का उच्चारण शुद्ध रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी भाषा की लिपि बनाने के लिए भी उसके स्वनिमों का ज्ञान अनिवार्य है। बिना स्वनिम-ज्ञान के लिपि-चिह्नों का निर्धारण भी ठीक-ठीक नहीं हो सकता है। अच्छी लिपि वही होती है, जिसमें एक स्वनिम के लिए एक ही लिपि-चिह्न हो। यह तभी हो सकता है, जब पहले भाषा में स्वनिमों का निर्धारण ठीक-ठीक हो जाय। अतः भाषा के अध्ययन में स्वनिम-विज्ञान का बहुत महत्त्व है।

नामकरण—स्वनिम-विज्ञान या ध्वनिग्राम-विज्ञान के लिए अनेक नाम प्रकाश में आये हैं। हिन्दी में इसे स्वनिग्रामिकी, स्वनिमी, ध्वनितत्त्वविज्ञान, ध्वनिग्रामिकी आदि अनेक नाम दिये गये हैं। अंग्रेजी में इसे Phonolog, Phonetics या Functional Phonetics कहा गया है। आजकल इसका सर्वाधिक प्रचलित एवं मान्य नाम, अंग्रेजी में फोनेमिक्स (Phonemics) तथा हिन्दी में स्वनिम-विज्ञान है। यहाँ प्रयुक्त यह 'स्वनिम' शब्द संस्कृत के 'स्वन्' धातु से निष्पन्न है तथा अंग्रेजी के Phoneme शब्द का ही अनुवाद है। अतः, भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों से सम्बन्धित विज्ञान का 'स्वनिम-विज्ञान' कहना ही अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। डॉ० देवेन्द्रनाथ शर्मा ने भी इसे 'स्वनिम-सिद्धान्त' ही कहा है तथा 'ध्वनि-ग्राम-विज्ञान' की तुलना में अधिक ग्राह्य माना है।

इतिहास—स्वनिमविज्ञान को यद्यपि अत्याधुनिक माना जाता है, किन्तु भारत में अतिप्राचीनकाल में ही, 'शिक्षा' वेदाङ्ग के रूप में इसका अस्तित्व विद्यमान था। यहाँ सर्वप्रथम ध्वनियों के शुद्ध उच्चारण पर ही बल दिया जाता था और यह तभी सम्भव है, जब भाषा में ध्वनियों का निश्चय भली-भाँति हो चुका हो। सामान्यतया संस्कृत-वैयाकरण 'पाणिनि' को इसका आदि प्रवर्तक माना जाता है। किन्तु, उन्होंने संस्कृत-भाषा की ध्वनियों की जो व्यवस्था एवं विन्यास दिया है, संस्कृत-ध्वनियों को जितने वैज्ञानिक रूप में वर्गीकृत किया है, उससे यह अनुमान सहज ही किया जा सकता है कि इस प्रकार के विवेचन का सूत्रपात भारत में 'पाणिनि' से भी पूर्व, निश्चय ही हो चुका था। संक्षेप में, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर 'पाणिनि' को तो आज भी इस क्षेत्र का प्राचीनतम आचार्य माना ही जाता है। वस्तुतः ध्वनियों अथवा स्वनिमों का, उच्चारण-स्थान एवं उच्चारण-प्रयत्न के अनुसार वर्गीकरण करके उन्हें भ्रान्तिरहित लिपि देने का कार्य भी, सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था-विश्व के अन्य देश तो अभी इस क्षेत्र में भारत से पीछे ही हैं।

भारत की बात छोड़कर शेष संसार में भी स्वनिम (Phoneme) का अस्तित्व उतना पुराना तो है ही, जितनी पुरानी कि वर्ण-लिपि है। कारण, बिना स्वनिमों के निश्चय हुए उनके लिए लिपि-संकेतों का निर्धारण असम्भव ही है। वैसे सन् 1870 ई० में प्रोफेसर 'कुर्नने' को 'ध्वनिग्राम' की धारण से परिचित बताया जाता है, किन्तु यहाँ तक 'फोनेम' (Phoneme) शब्द के अस्तित्व का प्रश्न है, इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1876 ई. में 'हैवेट' नामक विद्वान् ने किया था। किन्तु अपने आधुनिक अर्थ में इस शब्द का प्रयोग, आगे चलकर सन् 1872 ई० में 'क्रुशेव्स्की' (Kruszewski) ने अपने एक निबन्ध में किया था। उन्हीं दिनों 'हैनरी स्वीट' तथा 'पालपासी' ने ध्वन्यात्मक लिपि के अन्तर्गत 'स्थूल लेखन' के सिद्धान्तों को प्रस्तुत किया था, जिससे ज्ञात होता है कि ये दोनों विद्वान् भी 'फोनीम' शब्द के आशय से पूर्णतया परिचित थे।

20 वीं शताब्दी के प्रारम्भ में सन् 1921 ई० के लगभग 'सास्यूर' तथा 'सापिर' नामक यूरोपीय विद्वानों ने फोनीम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। 'सास्यूर' भाषाविज्ञान के 'जेनेवा स्कूल' से और 'सापिर' अमेरिकी स्कूल से सम्बन्धित थे। 'सास्यूर' की अपेक्षा भी 'सापिर' का योगदान इस क्षेत्र में विशेष उल्लेखनीय है।

इसके पश्चात् फोनीम-सम्बन्धी कार्य का विकास यूरोप में चार विशिष्ट केन्द्रों पर हुआ, और वे हैं 'प्राग', 'लन्दन', 'अमेरिका एवं 'कोपेनहैगेन'।

उपर्युक्त केन्द्रों से सम्बन्धित विद्वानों में हेमस्लेव, ब्लूमफील्ड, टुबेजकाय, डैनियल जोन्स, रोमन याकोब्सन, आन्द्रे मार्टिन, एच० ए० ग्लिसन तथा के० एल० पाइक आदि के नाम इस क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पाइक द्वारा लिखी गयी 'फौनीमिक्स' नामक कृति इस विषय की स्वतन्त्र रचना है। 'याकोब्सन' ने सन् 1929 ई० में लिखे अपने एक लेख में फोनीम सम्बन्धी विचारधारा के विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है तथा 'आन्द्रे मार्टिन' ने फोनीम में ध्वन्यात्मक परिवर्तन का कारण 'प्रयत्नलाघव' को माना है।

विषयक्षेत्र—स्वनिमविज्ञान या ध्वनिग्राम विज्ञान का विषय है—भाषा में प्रयुक्त स्वनिमों या ध्वनिग्रामों का अध्ययन। किसी भाषा का मूल आधार उसका स्वनिम (ध्वनिग्राम) समूह ही हुआ करता है। लेखन की दृष्टि से स्वनिम-समूह के लिए निश्चित लिपि-चिह्न ही उस भाषा की वर्णमाला कहलाते हैं। किन्तु, यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि 'स्वनिम' का सम्बन्ध केवल उच्चारण से होता है। लेखन से उसका सम्बन्ध नहीं होता है।

स्वनिम, प्रत्येक भाषा के स्वतन्त्र होते हैं। अर्थात् एक भाषा के स्वनिम अन्य भाषाओं से नितान्त पृथक् होते हैं और उनमें किसी प्रकार की भी समानता नहीं होती है। यदि ऐसी समानता कहीं प्रतीत भी हो, तो उसे केवल भ्रम ही समझना चाहिए।

अब तक विश्व की जितनी भाषाओं का अध्ययन हो चुका है, उसके आधार पर भाषाविज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि संसार की सभी भाषाओं में मूलभूत स्वनिमों की संख्या 15 से लेकर 50 तक है। ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसमें 15 से कम या 50 से अधिक स्वनिम पाये जाते हों।

स्वनिमविज्ञान या ध्वनिग्रामविज्ञान का विषय किसी भाषा में प्रयुक्त इन्हीं मूलभूत ध्वनियों (ध्वनिग्रामों) का अध्ययन-विश्लेषण है अर्थात् स्वनिम-विज्ञान के द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि किसी विशिष्ट भाषा में मूलभूत स्वनिमों (ध्वनि-ग्रामों या ध्वनियों) की संख्या कितनी है?

स्वनिम क्या है ?—डॉ० देवेन्द्रनाथ शर्मा ने 'स्वनिम' को स्पष्ट करते हुए कहा है कि—“स्वनिम उच्चरित भाषा का वह न्यूनतम अंश है, जो दो ध्वनियों का अन्तर प्रदर्शित करता है।”

NOTES

इस कथन की व्याख्या हम इस प्रकार कर सकते हैं—

संस्कृत अथवा हिन्दी के ध्वनि-समूह में जितनी ध्वनियाँ हैं, वे परस्पर एक-दूसरी से भिन्न हैं, उनमें कोई भी दो एक-जैसी नहीं हैं। अर्थात् क्, च्, त्, ट्, और प् आदि सभी ध्वनियाँ एक-दूसरी से भिन्न हैं। इस उपर्युक्त कथन के अनुसार इन ध्वनियों की भिन्नता का कारण यही है, क्योंकि ये भिन्न-भिन्न स्वनिम हैं। अर्थात् अपनी श्रवण-सम्बन्धी विशेषता के कारण ये एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न सुनाई पड़ती हैं। इससे सिद्ध होता है कि स्वनिम ही उच्चरित भाषा का वह छोटे से छोटा अंश है, जो दो या अधिक ध्वनियों के अन्तर को स्पष्ट करता है।

'स्वनिम' की उपर्युक्त व्याख्या से स्पष्ट होता है कि ध्वनियों में अन्तर का अभाव होने पर उन्हें भिन्न स्वनिम स्वीकार नहीं किया जाता है। यहाँ 'अन्तर' शब्द का स्पष्टीकरण भी आवश्यक है। अन्तर से यहाँ तात्पर्य है, उच्चारण में इतना स्थूल अन्तर, जिससे कि शब्द के अर्थ में भी अन्तर हो जाये। उदाहरण के लिये 'चाट' और 'चाप' शब्दों में 'ट्' और 'प्' ध्वनियों में इतना स्थूल अन्तर है कि उनसे इन शब्दों के अर्थों में भी अन्तर हो गया है। अतः 'ट्' और 'प्' भिन्न स्वनिम हैं।

इसके विपरीत 'चाट' और 'चप' में 'च्' को एक ही स्वनिम माना जायेगा, क्योंकि उच्चारण में सूक्ष्म अन्तर होने पर भी यह 'च्' यहाँ अर्थभेद का कारण नहीं है।

इस प्रकार, हम कह सकते हैं कि स्वनिम उच्चरित भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का भेदक वह लघुत्तम अंश है, जिससे शब्दों के अर्थों में भी भेद हो जाता है।

ऊपर ध्वनियों के स्थूल एवं सूक्ष्म अन्तर का उल्लेख हुआ है, उसका कुछ अधिक स्पष्टीकरण यहाँ आवश्यक है।

ध्वनियों में स्थूल एवं सूक्ष्म अन्तर

भाषा के व्यवहार में, सामान्यतया हम यह अनुभव करते हैं कि भाषा में ध्वनियों का उच्चारण प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक बार एक-सा ही करता है। किन्तु, स्थूल एवं व्यावहारिक दृष्टि से यह अनुभव जितना सत्य है, सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक दृष्टि से यह उतना ही असत्य भी है। कारण निम्नलिखित हैं—

(1) वैज्ञानिक परीक्षणों से, यन्त्रों द्वारा यह प्रमाणित हो चुका है कि एक व्यक्ति भी यदि किसी एक ध्वनि (क् या च् या प् आदि) का उच्चारण एक से अधिक बार करता है, तो उसका प्रत्येक उच्चारण भी एक-दूसरे से भिन्न होता है। उदाहरणार्थ, यदि एक ही व्यक्ति 'च्' ध्वनि का उच्चारण दस बार करता है, तो वाग्यन्त्र में श्वासवायु के कम या अधिक होने, स्वरतन्त्रियों में कम्पन के कम या अधिक होने, मुखविवर में तालुस्थान पर जिह्वा (करण) के थोड़ा आगे या पीछे स्पर्श करने, स्पर्श के थोड़ा-सा कम या अधिक होने आदि के कारण उसकी प्रत्येक 'च्' ध्वनि 'दूसरी' 'च्' ध्वनि से भिन्न होगी। परिणामस्वरूप, उसके द्वारा दस बार उच्चरित 'च्' ध्वनि भी दस प्रकार ही हो जायेगी।

(2) इसी प्रकार एक व्यक्ति के द्वारा उच्चारित 'च्' ध्वनि भी, दूसरे व्यक्ति द्वारा उच्चारित 'च्' ध्वनि से भिन्न होती है। क्योंकि दो व्यक्तियों का वाग्यन्त्र सर्वथा एक-सा न होने के कारण, उनके वाग्यन्त्र से उच्चारित ध्वनि भी एक-सी नहीं हो सकती। यही कारण है कि हम किसी व्यक्ति को बिना देखे भी, उसकी आवाज से ही उसे पहचान लेते हैं।

(3) इसी प्रकार, एक शब्द में उच्चारित ध्वनि का ही उच्चारण जब दूसरे शब्द में किया जाता है, तब यह एक ही ध्वनि अपने आसपास की ध्वनियों के प्रभाव से उच्चारण की दृष्टि से भिन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ—'च्', 'चा', 'ची', 'चु', 'चे', और 'चो' आदि में प्रत्येक 'च्' ध्वनि अपने साथ आने वाले स्वरों के प्रभाव से दूसरी 'च्' ध्वनियों से भिन्नरूप हो रही है। इसी प्रकार अचल, चपल, वचन आदि शब्दों में सूक्ष्म दृष्टि से प्रत्येक 'च्' ध्वनि दूसरी 'च्' ध्वनि से भिन्न है। क्योंकि अपने आसपास की दन्त्य, ओष्ठ्य एवं अनुनासिक आदि ध्वनियों के प्रभाव से उसमें भी दन्त्यता, ओष्ठ्यता एवं अनुनासिकता आदि ध्वनियों के प्रभाव से उसमें भी दन्त्यता, ओष्ठ्यता एवं अनुनासिकता आदि विशेषता आ जाती है।

अतः पुनरावृत्ति, व्यक्तिभेद और पार्श्ववर्ती स्वर अथवा व्यञ्जन ध्वनियों के प्रभाव से एक ही ध्वनि भिन्नरूप हो जाती है। किन्तु, इतनी सूक्ष्म भिन्नता को स्वीकार करने पर तो एक ही भाषा में असंख्य ध्वनियाँ माननी पड़ेंगी, जो व्यावहारिक नहीं है। अतः, ध्वनियों के इतने सूक्ष्म अन्तर को भाषा में महत्त्व नहीं दिया जाता तथा इन सभी मिलती-जुलती ध्वनियों को संस्वन या संध्वनियाँ कहा जाता है तथा ये सभी एक ही स्वनिम या ध्वनिग्राम का अंग होती हैं।

किन्तु, स्थूल दृष्टि से उपर्युक्त सभी 'च्' ध्वनियाँ एक ही 'च्' मानी जाती हैं। साथ ही, यह 'च्' ध्वनि 'क', 'त' और 'प' आदि ध्वनियों से स्थूल दृष्टि से भी भिन्न है। कारण, 'चार', 'कार', 'तार' और 'पार' आदि शब्दों में आ (I) और 'र' ध्वनियों के समान होने पर भी कार, तार और 'पार' आदि शब्दों का अर्थ वही नहीं है, जो कि 'चार' का है। अतः, ये ध्वनियाँ स्थूल दृष्टि से भी भिन्न-भिन्न ही हैं।

स्वनिम और संस्वन या ध्वनिग्राम और संध्वनि

अतः, किस ध्वनि को भिन्न मानें और किसको नहीं, इसी का निर्धारण करने के लिए भाषाविज्ञानियों ने स्वनिम (ध्वनिग्राम) एवं संस्वन (संध्वनि) शब्दों का आविष्कार किया है। तदनुसार यह मान लिया गया है कि यहाँ उच्चारण-भेद होने पर भी अर्थ में कोई भेद नहीं होता है, वहाँ उसे ध्वनि का सूक्ष्म भेद माना जाएगा और ऐसी एक ही ध्वनि के भिन्न-भिन्न उच्चारण अनेक संस्वन या संध्वनियाँ कहलायेंगे तथा सभी भिन्न-भिन्न उच्चारणों का प्रतिनिधित्व करने वाली एक ध्वनि 'स्वनिम' या 'ध्वनिग्राम' कहलायेगी। इस प्रकार 'स्वनिम' तो भाषा में एक ही होगा, किन्तु उस स्वनिम की संस्वन (संध्वनियाँ) अनेक हो सकती हैं, जो उसी एक स्वनिम के अन्तर्गत मानी जायेंगी।

निष्कर्ष यह कि सूक्ष्म दृष्टि से 'च्' ध्वनि भिन्न-भिन्न होने पर भी, जिस कारण 'च्' ही मानी जाती है तथा उसे 'क', 'त' और 'प' आदि ध्वनियों से भिन्न माना जाता है, वही कारण है कि यह 'च्' स्वनिम या ध्वनिग्राम है तथा 'क', 'त' और 'प' आदि अन्य स्वनिमों की सत्ता से इनकी सत्ता भिन्न है।

स्वनिम की परिभाषा

स्वनिम की परिभाषा करना यद्यपि कठिन है, तथापि स्वनिम-सम्बन्धी धारणा को स्पष्ट करते हुए विभिन्न, भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने स्वनिम को परिभाषित करने का प्रयास किया है। तदनुसार, कुछ प्रमुख परिभाषाएँ इस प्रकार हैं—

NOTES

1. "स्वनिम अर्थ-भेद का साधक ध्वनि-भेद है।"
—डॉ० देवेन्द्रनाथ शर्मा, भाषाविज्ञान की भूमिका

2. "A Phoneme is a family of sounds, in a given language, which are related in character and used in such a way that no one member ever occurs in a word, in the same phonetic context as any other member,"

—Daniel Jones, An Outline of English Phonetics'

3. "Phoneme....a minimum unit of distinctive sound feature." —L. Bloomfield, Language.

4. "A phoneme in a given language is defined only in terms of its differences from the other phonemes of the same language." —C. F. Hockett, A Course in Modern Linguistics

5. "We may define a phoneme as a minimum feature of the expression system of a spoken language by which one thing that may be said is distinguished from any other thing which might have been said."

—H. A. Gleason. Introduction to Descriptive Linguistics.

6. "A Phoneme is a class of phonetically similar sounds contrasting and mutually exclusive with all similar classes in the language."

—B. Bloch & G. L. Tranger, An Outline of Linguistic Analysis.

7. "A phoneme is a group of phonotypes which are phonetically similar and either in complementary distribution or in free language."

—W. Nelson Francis. The Structure of American English.

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर स्वनिम के विषय में जो महत्वपूर्ण विशेषताएँ ज्ञात होती हैं, उन्हें हम सूत्ररूप में निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं—

(1) स्वनिम का सम्बन्ध उच्चारित भाषा से है—अर्थात् भाषा का व्यवहार करते समय हम ध्वनि का उच्चारण जिस रूप में करते हैं, वह स्वनिम है। कभी-कभी उच्चारण और लेखन में अन्तर हो जाता है। उदाहरणार्थ अंग्रेजी भाषा में knight शब्द के उच्चारण में ना, इ, और ट—ये तीन स्वनिम हैं, किन्तु लेखन में K, n, i, g, h, और t—ये छह लेखिम हैं। अतः, ऐसे उदाहरणों में स्वनिम और लेखिम (ध्वनि और लिपिचिह्न)के अन्तर को ध्यान में रखना चाहिए। पारिभाषिक शब्दावली में एक झटके में उच्चारित एवं श्रुत ध्वनि-इकाई को स्वनिम तथा लिपि-चिह्न की इकाई को लेखिम कहा जाता है।

(2) स्वनिम लघुतम ध्वनि-भेद हैं—अर्थात् भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों में स्वनिम ही वह लघु से लघु सार्थक इकाई है, जिसका विश्लेषण किया जा सकता है। स्वनिम से पद बनते हैं, पद से वाक्य बनते हैं और तब वाक्य से अर्थ का ज्ञान होता है। अतः भाषा का आधार स्वनिम ही है।

(3) स्वनिम मिलती-जुलती ध्वनियों का समूह या परिवार है—जैसा पहले बतलाया जा चुका है। भाषा में प्रयुक्त किसी भी एक ध्वनि का, उच्चारण सदैव एक-सा नहीं होता है। अतः ध्वनियों के उच्चारण और श्रवण में सूक्ष्म अन्तर को महत्त्व न देते हुए, उन सभी उच्चारणों को एक माना जाता है। इस प्रकार 'क्'

ध्वनि के विभिन्न उच्चारण एक ही 'क्' स्वनिम के अन्तर्गत रहते हैं इस प्रकार एक ही 'क्' स्वनिम अनेक मिलती-जुलती ध्वनियों का समूह या परिवार होता है।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

NOTES

(4) प्रत्येक भाषा के अपने स्वनिम होते हैं—यह ध्यान रखने योग्य है कि स्वनिम-विचार भाषा-विशेष के सन्दर्भ में ही किया जाता है, सर्वसामान्य स्वनिम जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। अतः, प्रत्येक भाषा के स्वनिम अपने पृथक् होते हैं अर्थात् भिन्न-भिन्न भाषाओं के स्वनिम भी भिन्न-भिन्न ही होते हैं।

(5) एक स्वनिम दूसरे से भिन्न होता है—जिस प्रकार 'क' ध्वनि के उच्चारण में सूक्ष्म अन्तर रखने वाले भेद, 'क' स्वनिम के ही अन्तर्गत आते हैं, उसी प्रकार 'ख' के विभिन्न उच्चारण भी 'ख' स्वनिम के ही अन्तर्गत आयेंगे। इस प्रकार भाषा में एक-सी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व एक ही स्वनिम करता है, दो या अधिक नहीं। अतः भाषा में सभी स्वनिम एक-दूसरे से भिन्न होते हैं तथा एक-जैसी ध्वनियाँ केवल एक ही स्वनिम के अन्तर्गत आती हैं। उदाहरणार्थ—'क्', 'त्', 'प्', आदि।

(6) शब्द में स्वनिम से अर्थ-भेद हो जाता है—उदाहरण 'कल' शब्द में 'क' स्वनिम के स्थान पर यदि 'त्' या 'प्' स्वनिम का प्रयोग कर दिया जाय तो इसका अर्थ भी बदल जाता है।

(7) एक स्वनिम की संस्वन अर्थ-भेदक नहीं होती हैं—पहले, उच्चारण में सूक्ष्म अन्तर का उल्लेख हो चुका है। एक ध्वनि का उच्चारण व्यक्ति-भेद अथवा ध्वन्यात्मक सन्दर्भ (आसपास की ध्वनियों का प्रभाव) भेद से, भिन्न-भिन्न प्रकार का हो जाता है। एक ही ध्वनि के सूक्ष्म अन्तर रखने वाले ये उच्चारण संस्वन (संघ्वनियाँ) कहलाते हैं। इस सूक्ष्म उच्चारण-भेद से, शब्द के अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता है। अतः, कहा गया है कि संस्वन अर्थ-भेदक नहीं होती है।

(8) स्वनिम का ज्ञान अन्य स्वनिमों के ज्ञान पर निर्भर करता है—अर्थात् 'क्' स्वनिम को हम 'क' स्वनिम इसीलिए कहते हैं, चूँकि हमें इससे भिन्न 'त्' और 'प्' आदि स्वनिमों का ज्ञान होता है। 'क्' की तुलना 'त्' और 'प्' आदि से करने पर ही हमें ज्ञात होता है कि यह 'क्' स्वनिम है, 'त्' या 'प्' नहीं है अतः, स्वनिम के ज्ञान को तुलनात्मक कहा गया है।

भाषाविशेष में स्वनिमों एवं संस्वनों का अध्ययन

स्वनिम-विज्ञान का लक्ष्य भाषाविशेष के स्वनिमों एवं संस्वनों का अध्ययन, विश्लेषण एवं पृथक्करण होता है। अतः, यहाँ उस अध्ययन की क्रिया को संक्षेप में प्रस्तुत करना उपयोगी है।

(1) सूचक एवं सामग्री—भाषाविशेष में स्वनिमों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम, उस भाषा के शब्दों को एकत्र किया जाता है। स्वनिम चूँकि उच्चारित भाषा की विशेषता है अतः उस भाषा को अधिकाधिक प्रकृत रूप में बोलने वाले किसी व्यक्ति से सुनकर सामग्री संकलित की जाती है। जिससे भाषा को सुना जाता है, वह व्यक्ति पारिभाषिक शब्दावली में सूचक कहा जाता है।

(2) ध्वन्यात्मक लिपि का प्रयोग—संकलित सामग्री को सामान्य लिपि में न लिखकर ध्वन्यात्मक लिपि में इस प्रकार लिखा जाता है कि जिससे भाषा में प्रयुक्त प्रत्येक ध्वनि की सूक्ष्म से सूक्ष्म भी विशेषता प्रकट हो जाय। ऐसा करते समय प्रत्येक स्वर ध्वनि को इस प्रकार लिखा जाता है कि उसके विषय में यह पूर्णतया जाना जा सके कि वह स्वर ध्वनि—

NOTES

(1) घोष है या अघोष है या अर्द्धघोष (मर्मर) है,

(2) ह्रस्व है या दीर्घ है या प्लुत है,

(3) संवृत है या विवृत है,

(4) वृत्तमुखी है या अवृत्तमुखी है,

(5) अग्र है, मध्य है या पश्च है,

(6) अनुनासिक है या अननुनासिक है,

(7) सुर अथवा बलाघात से युक्त है या रहित है,

(8) अनाक्षरिक है या नहीं। यदि अनाक्षरिक है, तो कितनी मात्रा में है। आदि-आदि विशेषताओं को पूर्णतया सूक्ष्म लेखन द्वारा प्रकट किया जाता है।

इसी प्रकार प्रत्येक व्यंजन ध्वनि को भी इस प्रकार लिखा जाता है कि जिससे उसके विषय में भी यह पूर्णतया जाना जा सके, वह व्यंजन ध्वनि—

(1) स्थान की दृष्टि से कण्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य आदि में से कौन-सी है तथा अपने प्रकृत स्थान से ही उच्चारित होती है या कुछ आगे-पीछे से।

(2) प्रयत्न की दृष्टि से स्पर्श है, संघर्षी है या अन्य कोई। यदि स्पर्श है तो स्फोटित है या अस्फोटित, पूर्ण स्पर्श है या अपूर्ण स्पर्श है।

(3) अनुनासिक है या अननुनासिक है।

(4) आक्षरिक है या नहीं है।

आदि-आदि सूक्ष्म विशेषताओं को सावधानीपूर्वक प्रकट किया जाता है।

ध्वनि-चार्ट—उपर्युक्त रीति से भाषा में प्रयुक्त शब्दों को ध्वन्यात्मक लिपि में सूक्ष्मता से लिख लेने के उपरान्त ध्वनियों का चार्ट बनाया जाता है। स्वरों तथा व्यञ्जनों को पृथक्-पृथक् चार्ट में रखा जाता है। स्वरों का चार्ट बनाते समय स्वरों की उपर्युक्त विशेषताओं के आधार पर घोष-अघोष, अग्र-पश्च, विवृत-संवृत आदि दिखलाया जाता है। इसी प्रकार व्यञ्जनों को भी स्थान एवं प्रयत्न आदि की दृष्टि से प्रदर्शित किया जाता है।

(3) **स्वनिम एवं संस्वन का निर्धारण**—स्वनिमविज्ञान का उद्देश्य, चूँकि भाषा-विशेष में प्रयुक्त स्वनिमों एवं संस्वनों को पृथक् करना है, अतः भाषाविशेष में प्रयुक्त ध्वनियों का चार्ट बन जाने पर, उनकी गणना करके यह सहज ही जाना जा सकता है कि उस भाषा में कितनी ध्वनियाँ हैं। उन सभी ध्वनियों (संघ्वनियों) का अध्ययन-विश्लेषण एवं वर्गीकरण करके यह निर्धारित किया जाता है कि विवेच्य भाषा में कितनी संस्वन (संघ्वनियाँ) हैं तथा कितने स्वनिम (ध्वनिग्राम) हैं। उदाहरणार्थ—यदि विवेच्य भाषा में—सरस, साहित्य, रसिक, सुन्दर—ये चार ही शब्द हैं, तो इन चार शब्दों का विश्लेषण करने पर व्यञ्जन ध्वनियों में से—

स्	ध्वनि = 5 बार प्रयुक्त है।
र्	ध्वनि = 3 बार प्रयुक्त है।
ह	ध्वनि = 1 बार प्रयुक्त है।
त्	ध्वनि = 1 बार प्रयुक्त है।
य्	ध्वनि = 1 बार प्रयुक्त है।
क्	ध्वनि = 1 बार प्रयुक्त है।
न्	ध्वनि = 1 बार प्रयुक्त है।
द्	ध्वनि = 1 बार प्रयुक्त है।

14

इसी प्रकार स्वर ध्वनियों में से—

अ	ध्वनि = 8 बार प्रयुक्त है (स, र, स, य, र, क, द और र में)
आ	ध्वनि = 1 बार प्रयुक्त है (सा में)
इ	ध्वनि = 2 बार प्रयुक्त है (हि और सि में)
उ	ध्वनि = 1 बार प्रयुक्त है (सु में)

12

इस प्रकार गणना करने पर उपर्युक्त भाषा में ध्वनियों की कुल संख्या 14 व्यञ्जन + 12 स्वर = 26 है। किन्तु, किसी भी भाषा में शब्दों की संख्या बहुत अधिक होती है। अतः, यदि प्रत्येक ध्वनि को इसी प्रकार पृथक्-पृथक् गिना जाय और प्रत्येक ध्वनि के लिए पृथक्-पृथक् लिपि-चिह्न बनाया जाये, तो भाषा को व्यवहार में लाना ही असम्भव-सा हो जायेगा। इसलिए स्वनिमविज्ञान के द्वारा उपर्युक्त विवेच्य भाषा की कुल 26 ध्वनियों को लेकर यह विचार किया जायेगा कि उनमें से कितनी स्वनिम (ध्वनिग्राम) हैं और कितनी संस्वन (संध्वनियाँ) हैं। जिससे स्वनिमों की गणना पृथक्-पृथक् की जा सके तथा संस्वनों को उन्हीं स्वनिमों का अङ्ग माना जा सके और लिपिचिह्न बनाते समय भी उन्हीं का प्रयोग किया जा सके।

(4) वितरण—भाषा विशेष की ध्वनियों का चार्ट बन जाने पर, उसमें प्राप्त मिलती-जुलती दो या अधिक ध्वनियों के विषय में यह सन्देह हो सकता है कि वे भिन्न-भिन्न स्वनिम हैं या एक ही स्वनिम की संस्वन हैं। इस सन्देह का निवारण वितरण के आधार पर किया जाता है। अंग्रेजी में इसे Distribution कहा जाता है। भाषाविज्ञान में यह एक पारिभाषिक शब्द है, जिसके तीन भेद हैं—(i) विरोधी या व्यतिरेकी वितरण (Contrasting distribution), (ii) परिपूरक वितरण (Complementary distribution) और (iii) मुक्त वितरण या परिवर्तन (Free distribution or Variation)।

(i) विरोधी वितरण—विवेच्य भाषा की ध्वनियों के चार्ट में मिलती-जुलती ध्वनियों के विषय में सन्देह होने पर उनके युग्म बनाये जाते हैं तथा उन्हें सन्दिग्ध युग्म कहा जाता है। उदाहरणार्थ—विवेच्य भाषा में 'म्' और 'न्' इन दो ध्वनियों के विषय में सन्देह होने पर इन्हें (म् न्) इस प्रकार युग्म बनाया जायेगा। फिर उस भाषा में प्राप्त उन सभी शब्दों पर विचार किया जाएगा, जिनमें इन ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। यदि

NOTES

ये दोनों ध्वनि समान परिस्थिति या वातावरण में प्रयुक्त होती हैं तथा इनसे शब्द के अर्थ में भेद हो जाता है, तो इन्हें विरोधी वितरण के आधार पर भिन्न-भिन्न स्वनिम माना जायेगा। उदाहरण के लिए—‘शाम’ और ‘शान’ शब्दों में या ‘काम’ और ‘कान’ शब्दों में ‘म्’ और ‘न्’ ध्वनियों का प्रयोग क्रमशः ‘शा’ और ‘का’ के बाद है, अतः इनका वातावरण एकसा ही है, किन्तु ‘म्’ और ‘न्’ से इन शब्दों में ध्वन्यात्मक अन्तर के साथ अर्थ में भी अन्तर हो रहा है। अतः ‘म्’ और ‘न्’ भिन्न-भिन्न स्वनिम माने जायेंगे। स्वनिम की परिभाषा में इसलिये स्वनिम को अर्थभेद का द्योतक ध्वनिभेद कहा गया है।

(ii) **परिपूरक वितरण**—जब ध्वनि-चार्ट में मिलती-जुलती दो या अधिक ध्वनियाँ, इस प्रकार प्रयुक्त होती हैं कि उनमें से प्रत्येक की परिस्थिति या वातावरण दूसरी ध्वनि से भिन्न होता है तथा उस ध्वनि के कारण शब्द के अर्थ में भेद नहीं होता है, तो इसको परिपूरक वितरण कहा जाता है। अर्थात् भाषा में ध्वनियाँ एक-दूसरे की पूरक होती हैं। भाषा इन सबको स्वीकार करके ही पूर्ण होती है। ये ध्वनियाँ एक परिवार के भिन्न-भिन्न सदस्यों की भाँति ही अपने-अपने क्षेत्र में व्यवहृत होती हैं। परिपूरक वितरण के आधार पर इनमें से सर्वाधिक स्थानों पर प्रयुक्त ध्वनि को स्वनिम तथा अन्य ध्वनियों को उसका संस्वन माना जाता है। उदाहरणार्थ—पढ़ना, पतङ्ग, पानी तथा आप्, चाप् और जाप्—शब्दों में ‘प्’ ध्वनि दो प्रकार की है। पढ़ना, पतङ्ग और पानी में स्फोटित तथा आप्, चाप् और जाप् आदि में अस्फोटित। इन दोनों का वातावरण पृथक्-पृथक् है—स्फोटित का प्रयोग शब्द के प्रारम्भ में तथा अस्फोटित का शब्द के अन्त में है। अतः ये एक-दूसरे की परिपूरक हैं। इनमें से सर्वाधिक स्थानों पर प्रयुक्त होने वाली ‘प’ ध्वनि को स्वनिम तथा ‘प’ और ‘प्’ को उसका संस्वन माना जायेगा, और इन्हें इस प्रकार प्रदर्शित किया जायेगा—।प। = [प] [प्]

ध्यान रहे कि स्वनिम पृथक् रहने के साथ ही साथ संस्वनों में भी गिना जाता है।

संक्षेप में, परस्पर विरोध न रखने वाली तथा परिपूरक वितरण में रहने वाली दो या अधिक ध्वनियाँ, संस्वन (संध्वनियाँ) कहलाती हैं तथा उन्हीं में से सर्वाधिक स्थानों पर प्रयुक्त एक संस्वन (संध्वनि) स्वनिम (स्वनिग्राम) मान ली जाती है तथा शेष अन्य उसकी संस्वन (संध्वनियाँ) मानी जाती हैं।

(iii) **मुक्त वितरण या परिवर्तन**—इसे स्वच्छन्द परिवर्तन भी कहा जाता है। यदि विवेच्य भाषा में दो या अधिक ध्वनियाँ, बिना अर्थ-परिवर्तन किये ही, एक-दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त होती रहती हैं तो इसे मुक्त वितरण या परिवर्तन कहा जाता है। ऐसा प्रायः अशुद्ध उच्चारण या बोलने की असामर्थ्य के कारण होता है। उदाहरणार्थ कोई व्यक्ति ‘आशा’ शब्द में ‘श्’ के स्थान पर ‘स्’ ध्वनि का प्रयोग करता है, किन्तु श्रोता उसका अर्थ ‘आशा’ ही ग्रहण करता है, तो ऐसी दशा में ‘स्’ को भी ‘श्’ का ही संस्वन माना जाता है, भिन्न स्वनिम नहीं। कारण, स्वनिम की भिन्नता के लिए अर्थ की भिन्नता होना अनिवार्य है।

ऊपर भाषा में प्रयुक्त स्वरों को स्वनिम कहा गया है। किन्तु केवल स्वर और व्यञ्जन ही स्वनिम होते हैं, ऐसी बात नहीं है। स्वरों और व्यञ्जनों के साथ ही साथ भाषा का प्रत्येक बाह्य सार्थक उपकरण स्वनिम होता है, क्योंकि उससे भी शब्द के अर्थ में भेद हो जाता है। उदाहरणार्थ—आधी और आँधी में अनुनासिकता स्वनिम है; बचा और बच्चा में मात्रा स्वनिम है (यहाँ ‘च्च’ व्यञ्जन दीर्घमात्रिक है) इसी प्रकार चीनी आदि अयोगात्मक वर्ग की भाषाओं में ‘सुर’ भी स्वनिम होता है। हिन्दी में चलन और चल—न में संगम को भी अर्थ-भेदक होने के कारण स्वनिम माना गया है। इस प्रकार स्वर, व्यञ्जन, अनुनासिकता, मात्रा, सुर, बलाघात (अंग्रेजी भाषा में विशेषतः) तथा संगम आदि भाषा का प्रत्येक बाह्य सार्थक उपकरण स्वनिम होता है।

8. रूपविज्ञान एवं रूपग्राम विज्ञान

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

भाषाविज्ञान के अंगों की चर्चा में रूपविज्ञान या पदविज्ञान को उसका प्रमुख अङ्ग माना गया है। यहाँ उसी पर विस्तापूर्वक विचार किया जायेगा।

अपने विचारों को प्रकट करने के लिए मनुष्य जिस भाषा का प्रयोग करता है, वह भाषा छोटे-बड़े वाक्यों का समूह होती है। प्रायः एक विचार के लिए भाषा में एक वाक्य का प्रयोग होता है। इसीलिए वाक्य को भाषा की इकाई माना गया है। वाक्य का विश्लेषण हम पदों में कर सकते हैं। पदविज्ञान या रूपविज्ञान के अन्तर्गत इन्हीं पदों पर विचार किया जाता है। इस प्रकरण में 'पद' और 'रूप' दोनों शब्द पर्यायवाची हैं। शब्द में तथा पद में भेद है। सार्थक ध्वनि-समूह को शब्द कहते हैं तथा शब्द का वाक्य में प्रयोग हुआ रूप पद कहलाता है। शब्द किस प्रकार पद बनता है, यह आगे स्पष्ट किया जायगा।

1. शब्द तथा पद में अन्तर

सामान्यतया, शब्द तथा पद में अन्तर नहीं किया जाता तथा बोलचाल में दोनों के लिए 'शब्द' का व्यवहार कर लिया जाता है, किन्तु भाषाविज्ञान की दृष्टि से इन दोनों में स्पष्ट अन्तर है। इस अन्तर को संस्कृत के वैयाकरणों ने सदैव ध्यान में रखा है। पाणिनि के अनुसार सुबन्त तथा तिङन्त को पद कहते हैं।

पाणिनिकृत पद की उपर्युक्त परिभाषा को समझने के लिए यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि संस्कृत-वैयाकरणों के अनुसार शब्द का शुद्ध रूप 'प्रातिपदिक' कहा जाता है। इसे हम मूलशब्द भी कह सकते हैं। संस्कृत-छात्र प्रायः कहा करता है कि "राम के रूप मुझे याद हैं।" इस वाक्य में 'राम' मूल शब्द या प्रातिपदिक है तथा 'रूप' शब्द, पद का प्रतिनिधि है। यदि ऐसे किसी छात्र से 'राम' के रूप सुने जायें तो वह सुनाना प्रारम्भ करेगा—

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथमा विभक्ति	रामः	रामौ	रामाः
द्वितीया विभक्ति	रामम्	रामौ	रामान्, इत्यादि।

अर्थात् 'राम' मूल शब्द हुआ और "रामः" से लेकर सप्तमी विभक्ति, बहुवचन तक राम के 21 रूप हुए, जो 'राम' मूलशब्द के अन्त में 'सुप्' प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं और 'सुबन्त' (अर्थात् सुप् प्रत्यय हैं अन्त में जिनके) कहलाते हैं।

इसी प्रकार संस्कृत में क्रियापद के मूलरूप को 'धातु' कहा जाता है। 'पठ', 'गम्' आदि धातु हैं, जिनके अन्त में 'तिङ्' आदि प्रत्यय जोड़कर—

प्रथम पुरुष में पठति पठतः पठन्ति। इत्यादि रूप बनाये जाते हैं।

संस्कृत में इसीलिए मूल शब्द को 'प्रातिपदिक' कहते हैं, क्योंकि यह उस मूल शब्द से बनने वाले प्रति (प्रत्येक) पद में विद्यमान रहता है।

NOTES

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि संस्कृत भाषा में 'शब्द' तथा 'पद' में स्पष्ट अन्तर माना जाता है तथा बिना 'पद' या 'रूप' बनाये किसी भी मूल शब्द (प्रातिपदिक या धातु) का वाक्य में प्रयोग नहीं किया जाता है।

NOTES

2. अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मूलशब्द, प्रकृति, धातु या प्रातिपदिक तथा पद में यह अन्तर है कि मूलशब्द में वाक्य होने की योग्यता नहीं होती तथा पद में सम्बन्धतत्त्व के जुड़ने से यह योग्यता आ जाती है। इस प्रकार ज्ञात होता है कि—

मूलशब्द + सम्बन्धतत्त्व = पद होता है।

भाषाविज्ञान में इस मूलशब्द को ही अर्थतत्त्व या अर्थमात्र तथा सम्बन्धतत्त्व को रूपमात्र भी कहा जाता है। अर्थतत्त्व से उस पद के अर्थ का ज्ञान होता है तथा रूपमात्र या सम्बन्धतत्त्व से, वाक्य में अन्य पदों से उस पद के सम्बन्ध का ज्ञान होता है। उदाहरण के लिए—

बालकः पुस्तकं पठति।

संस्कृत के इस वाक्य में अर्थतत्त्व की स्थिति इस प्रकार है—

	अर्थतत्त्व	+	सम्बन्धतत्त्व	=	पद
(1)	बालक	+	सु (ः)	=	बालकः
(2)	पुस्तक	+	अम्	=	पुस्तकम्
(3)	पठ् (अ)	+	ति	=	पठति

अर्थात् यहाँ 'बालक', 'पुस्तक' तथा 'पठ्' अर्थतत्त्व से क्रमशः 'बालक', 'पुस्तक' संज्ञाओं तथा 'पठ्' क्रियारूप अर्थ का ज्ञान हो रहा है, जबकि 'सु (ः)' बालक के कर्तृत्व को, 'अम्' पुस्तक के कर्मत्व को तथा 'ति' क्रिया के वर्तमानकालादि को प्रकट कर रहा है। वाक्य में कहीं भी प्रयुक्त होने पर अर्थतत्त्व तो सदा यही रहेगा: किन्तु सम्बन्धतत्त्व प्रयोग के अनुसार बदल सकता है। जैसे—बालक, कर्तारूप के अतिरिक्त कर्मरूप, करणरूप, सम्प्रदानरूप आदि अन्य रूपों में भी प्रयुक्त हो सकता है। इसी प्रकार पुस्तक भी अन्य कारकों में प्रयुक्त हो सकता है। पठ् क्रिया का प्रयोग भी भूतकाल और भविष्यत्काल में किया जा सकता है।

(3) अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व का संयोग

सम्बन्धतत्त्वों के अनेक प्रकारों को देखने से विदित होता है कि वे सभी, अर्थतत्त्व के साथ, एक ही प्रकार से संयुक्त नहीं होते हैं। अतः, अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व के संयोग के विभिन्न रूपों पर भी दृष्टिपात करना उपयोगी है। संक्षेप में, इनके संयोग के निम्नलिखित रूप प्राप्त होते हैं—

1. पूर्णसंयोग—कहीं-कहीं अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व इस प्रकार संयुक्त रहते हैं कि उन्हें पृथक् नहीं किया जा सकता। सुरप्रधान तथा विभक्तिप्रधान भाषाओं में यही विशेषता होती है। उदाहरण के लिए—

संस्कृत—बालक > बालकः, बालकम् आदि।

अरबी—क् त् ल् > कत्ल, कातिल, कुतिल आदि।

अंग्रेजी—Sing > Sang, Sung आदि।

उपर्युक्त शब्दों में अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व का पूर्ण संयोग है। भारोपीय तथा सामी परिवार की भाषाओं में इनका संयोग प्रायः पूर्णरूप में ही मिलता है।

2. अपूर्णसंयोग—जहाँ संयोग तो होता है, किन्तु वह इस रूप में होता है कि दोनों को तिल-तण्डुलवत् पृथक्-पृथक् किया जा सकता है। उदाहरणार्थ—

संस्कृत—बालक + वत् = बालकवत्,

सुन्दर + ता = सुन्दरता, आदि-आदि।

अंग्रेजी—Kill + ed = Killed,

Ask + ed = asked. आदि-आदि।

प्रत्ययसंयोगी भाषाओं में अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व का संयोग इसी रूप में मिलता है।

यहाँ सम्बन्धतत्त्व प्रमुखतः उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में होता है।

3. दोनों स्वतन्त्र—कहीं-कहीं दोनों, वाक्य में स्वतन्त्ररूप से अपना-अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रखते हैं। इसमें दो प्रकार के उदाहरण मिलते हैं—

(i) जहाँ सम्बन्धतत्त्व, अर्थतत्त्व से पृथक्, स्वतन्त्र रहता हुआ भी, उसके साथ (समीप) ही रहता है जैसे—चीनी भाषा में सम्बन्धतत्त्व के रूप में प्रयुक्त रिक्त शब्द—

वो (मैं) ती (का) युतस्यु (लड़का) = अर्थात्, मेरा लड़का। यहाँ पर 'ती' सम्बन्धसूचक रिक्त शब्द है, जो 'वो' अर्थतत्त्व से स्वतन्त्र रहते हुए भी उसके साथ ही प्रयुक्त है।

इसी प्रकार संस्कृत—'इति', 'अथ', 'च' आदि अव्यय शब्द,

हिन्दी में—ने, को, में, आदि, तथा

अंग्रेजी में—to, from, in, on आदि सम्बन्धतत्त्व भी अपने अर्थतत्त्व के साथ स्वतन्त्ररूप में ही रहते हैं।

(ii) जहाँ सम्बन्धतत्त्व स्वतन्त्र रहने के साथ ही अर्थतत्त्व से अपनी दूरी भी रखता है।

जैसे—

चिनूक भाषा (अमरीका चक्र) में सभी सम्बन्धतत्त्व वाक्य में पहले रखे जाते हैं तथा सभी अर्थतत्त्व बाद में इकट्ठे रखे जाते हैं। उदाहरणार्थ—हिन्दी में अनूदित एक वाक्य यहाँ प्रस्तुत है—

NOTES

NOTES

अर्थात्—उस आदमी ने उस औरत को लाठी से मारा।

इस प्रकार हिन्दी भाषा में सम्बन्धतत्त्व अनेक रूपों में मिलते हैं।

4. सम्बन्धतत्त्व के कार्य

भाषा में, सम्बन्धतत्त्व के लिङ्ग, वचन, काल तथा अर्थ (भाव) आदि को प्रकट किया जाता है। सम्बन्धतत्त्व के द्वारा इन्हें किसी प्रकार प्रकट किया जाता है, यहाँ संक्षेप में, इस विषय का उल्लेख किया जा रहा है।

लिङ्ग

प्रायः देखने में आता है कि भाषा में प्रयुक्त अर्थतत्त्वों के प्राकृतिक तथा व्यावहारिक लिङ्ग अनेक बार भिन्न-भिन्न होते हैं। 'दारा' तथा कलत्र शब्द प्राकृतिक रूप से स्त्रीलिंग होते हुए भी संस्कृत में क्रमशः पुल्लिङ्ग तथा नपुंसकलिंग हैं। इसी प्रकार के अनेक उदाहरण प्रत्येक भाषा में मिल सकते हैं। अतः, यह माना जाता है कि भाषा में प्रयुक्त लिङ्ग प्रायः कल्पित होते हैं, जिन्हें भाषा में प्रत्ययों या स्वतन्त्र शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जाता है।

(i) प्रत्ययों के द्वारा—जैसे संस्कृत में 'नद' से 'नदी', श्रीमान् से श्रीमती, 'गीत' से 'गीता' आदि 'ई' या 'आ' (डीप्, डीष्, टाप्) आदि प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं।

हिन्दी में—शेर से शेरनी, नाई से नाइन, पण्डित से पण्डिताइन आदि भी (नी, इन, आइन आदि) प्रत्यय जोड़कर बनाये जाते हैं।

अंग्रेजी में—Price (पुल्लिङ्ग) से Princess (स्त्रीलिंग), यहाँ ess प्रत्यय जुड़ा है।

(ii) स्वतन्त्र शब्दों के द्वारा—जैसे अंग्रेजी में he goat, she goat, washerman, washerwoman आदि में, he, she, man तथा woman आदि।

उपर्युक्त उदाहरणों में लिंगद्योतन के लिए सम्बन्धतत्त्वों का प्रयोग हुआ है।

वचन

अधिकांश भाषाओं में दो तथा कुछ में तीन वचन भी मिलते हैं। वचन का विचार संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा कुछ भाषाओं में विशेषण में भी किया जाता है। वचन को प्रकट करने के लिये संस्कृत में एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के सूचक प्रत्ययों को मूलशब्द (प्रकृति) में जोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ—

एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
संज्ञापद— राम + (सु) = रामः,	राम + औ = रामौ,	राम + जस् = रामाः आदि।
क्रियापद— पठ् + ति = पठति,	पठ् + तस् = पठतः,	पठ् + झि = पठन्ति आदि।

कुछ स्वतन्त्र शब्दों से भी बहुवचन का ज्ञान कराया जाता है; जैसे—कार्य, (एकवचन), कार्यजातम् (बहुवचन)। इसी प्रकार हिन्दी में ए (लड़के), ओं (लड़कों) या यों (लड़कियों) प्रत्यय जोड़कर तथा अंग्रेजी में s (books) या es (fishes) जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है।

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

NOTES

पुरुष

पुरुष सभी भाषाओं में तीन होते हैं—प्रथम (अन्य), मध्यम तथा उत्तम। पुरुष के अनुसार क्रियाओं में भी परिवर्तन होता है। इसके लिए भी संस्कृत में प्रत्ययों से काम लिया जाता है इतना ही नहीं, पुरुषों में एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन के अनुसार प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

जैसे—‘पठ्’ धातु में ति (तिप्), तः (तस्) आदि।

	एकवचन	द्विवचन	बहुवचन
प्रथम पुरुष	पठति	पठतः	पठन्ति
मध्यम पुरुष	पठसि	पठथः	पठथ
उत्तम पुरुष	पठामि	पठावः	पठामः

हिन्दी में स्वर-व्यञ्जनों में कुछ परिवर्तन करके ही पुरुष का ज्ञान करा दिया जाता है;

जैसे—

मैं जाऊँगा, तू जायेगा, वह जायेगा आदि।

(i) अंग्रेजी में कहीं एक रूप में; जैसे—

I go, you go, आदि;

(ii) कहीं भिन्न रूप द्वारा; जैसे—

He is going, you are going, I am going.

(iii) कहीं प्रत्यय जोड़कर; जैसे—

I go से he goes आदि में, पुरुष का ज्ञान कराया जाता है।

इस प्रकार सम्बन्धतत्त्वों से पुरुषद्योतन का काम भी लिया जाता है।

कारक

विभिन्न कारकों को प्रकट करने के लिए सम्बन्धतत्त्वों का प्रयोग होता है। संस्कृत में कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान तथा अधिकरण आदि कारकों के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के सात (सम्बोधन को छोड़कर) विभक्तियों में 21 रूप बनते हैं। इसके लिए मूलशब्दों में सूप् प्रत्यय जोड़े जाते हैं।

काल

काल तीन हैं—भूत, वर्तमान तथा भविष्यत्। इनमें भी क्रिया की पूर्णता-अपूर्णता तथा भाव या पदार्थ (Mood) के आधार पर काल के अन्य सूक्ष्म भेद हो जाते हैं। संस्कृत में भूतकाल के ही तीन भेद हैं—

अद्यतन, अनद्यतन तथा परोक्ष। इसी प्रकार भविष्यत् के भी दो भेद हैं—अद्यतन तथा सामान्य। इन सब सूक्ष्म भेदों को क्रिया में विभिन्न सम्बन्धतत्त्व जोड़कर ही प्रकट किया जाता है। संस्कृत में भूतकाल के लिए क्रिया के पूर्व 'अ' जोड़ा जाता है, जैसे—अभवत्, अभूत् आदि में। परोक्षभूत में धातु को द्वित्व हो जाता है, जैसे—'बभूव' पपाठ, जगाम आदि में।

हिन्दी में 'जाना' से भूतकाल में 'गया' बनने पर अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व दोनों इस प्रकार मिल जाते हैं कि उनका पृथक्-पृथक् ज्ञान ही नहीं होता। हिन्दी में 'गा', 'गे' आदि भविष्यत्काल के सूचक सम्बन्धतत्त्व हैं।

अंग्रेजी में भूतकाल के लिये प्रायः ed तथा भविष्यत्काल के लिये Shall या Will सम्बन्धतत्त्व जोड़ा जाता है।

इसी प्रकार आज्ञा, विधि आदि के लिए भी क्रिया में भिन्न-भिन्न सम्बन्धतत्त्वों को जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त संस्कृत में क्रियाओं के परस्मैपद, आत्मनेपद, इच्छार्थक, प्रेरणार्थक, भृशार्थक सम्बन्धतत्त्व भी मिलते हैं। साथ ही, संज्ञा से विशेषण, संज्ञा या विशेषण, संज्ञा या विशेषण से क्रियाविशेषण बनाने के लिए और निषेध तथा बाहुल्य प्रकट करने के लिये भी सम्बन्धतत्त्व काम में आते हैं।

रूपग्राम-विज्ञान

स्वनिम के साम्य पर इसे 'रूपिम' भी कहा जाता है। यह रूप (पद)-विज्ञान की आधुनिकतम विकसित शाखा है। अपने नवीन रूप में यद्यपि यह शाखा किशोरावस्था में ही है, तथापि भारत में पाणिनीय व्याकरण इसका अत्यन्त विकसित एवं उत्कृष्ट उदाहरण है।

क्षेत्र—रूपग्राम-विज्ञान में भाषा-विशेष में प्रयुक्त रूपों या पदों के अध्ययन द्वारा रूपग्रामों (रूपिम) एवं संरूपों का निश्चय किया जाता है। इस निश्चय का आधार, वितरण एवं अर्थ होता है। कभी-कभी, जब दो या दो से अधिक रूपग्रामों का योग होता है और परिणामस्वरूप संयुक्त या मिश्रित रूपग्राम बनते हैं तो वहाँ संयुक्त या मिश्रित रूपग्राम में कुछ ध्वन्यात्मक परिवर्तन भी होते हैं, जैसे ध्वनि-ग्रामीण परिवर्तन कहा जाता है यह अध्ययन भी रूपग्राम-विज्ञान का ही विषय है। इस प्रकार रूपग्राम-विज्ञान का विषय है:—

1. रूपग्राम या रूपिम (Morpheme)
2. संरूप (Allomorph) और
3. रूप-ध्वनिग्रामविज्ञान (Morpho-phonemics)

यहाँ इन तीनों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। किन्तु, इन तीनों के स्पष्टीकरण से पूर्व यहाँ शब्द (मूलशब्द) और पद को भी समझना आवश्यक है। कारण, इन तीनों का अधार पद ही है, जिसे यहाँ इस प्रसंग में, रूप कहा गया है वस्तुतः 'पद' और 'रूप' पर्यायवाची हैं।

पद—जैसा पहले भी स्पष्ट किया जा चुका है, 'मूल शब्द' या 'शब्द' और 'रूप' या 'पद' में अन्तर होता है। 'शब्द' सम्बन्ध-रहित, विभक्ति-रहित या प्रत्ययरहित होता है। संस्कृत व्याकरण में इसे 'प्रातिपदिक'

कहा गया है। 'शब्द' का प्रयोग वाक्य में नहीं हो सकता है। वाक्य में प्रयुक्त होने के लिए 'शब्द' को पद बनना पड़ता है। बिना पद बने कोई भी शब्द-वाक्य में प्रयुक्त होने के योग्य नहीं माना जाता है। 'अपदं न प्रयुञ्जीत'—संस्कृत वैयाकरणों का प्रमुख सिद्धान्त है।

NOTES

'शब्द' को 'पद' बनाने के लिए उसमें सम्बन्ध की द्योतक विभक्ति या प्रत्यय को जोड़ा जाता है। 'पाणिनि' के अनुसार 'पद' सुबन्त और तिङन्त होता है अर्थात् 'शब्द' में 'सुप्' (सु, औ, जस् आदि प्रत्यय) और 'तिङ्' (तिप्, तस्, झि आदि प्रत्यय) जोड़ने से वह 'पद' बन जाता है। शब्द में जुड़ने वाले इस प्रत्यय से ही यह ज्ञात होता है कि किसी विशेष पद का वाक्य के अन्य पदों से क्या सम्बन्ध है; अर्थात् कोई पद क्रिया, कर्ता, कर्म, करण आदि में से क्या है? इस सम्बन्ध को बतलाने के कारण ही यह प्रत्यय 'सम्बन्धतत्त्व' कहा जाता है। इस प्रत्यय से ही शब्द 'रूप' बनता है, अतः इसी को रूपतत्त्व भी कहते हैं। उदाहरण के लिए 'रामः गीतां पठति'—संस्कृत के इस वाक्य में तीन पद हैं। प्रथम पद रामः में 'राम' मूल शब्द है तथा विसर्ग (:) प्रत्यय है, जो बतलाता है कि राम पुल्लिंग, एकवचन और कर्ता है, द्वितीय पद गीताम् में 'गीता' मूल शब्द है तथा 'अम्' प्रत्यय है, जिससे ज्ञात होता है कि गीता स्त्रीलिंग, एकवचन तथा कर्म है। तृतीय पद 'पठति' है, यहाँ 'पठ्' मूल धातु है तथा 'ति' प्रत्यय है जिससे विदित होता है कि 'पठति' अन्य पुरुष एकवचन वर्तमान काल की क्रिया है। इस प्रकार उपर्युक्त वाक्य में 'राम' 'गीता' और 'पठ' मूल शब्द, रामः, गीताम् और 'पठति' पद हैं। संक्षेप में, प्रत्येक भाषा में इसी प्रकार शब्द पद में अन्तर होता है और वाक्य में पदों का ही प्रयोग होता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि वाक्य में प्रयुक्त पद में कोई विभक्ति या प्रत्यय स्पष्ट रूप से दिखलायी नहीं पड़ता है, यद्यपि वहाँ भी प्रत्यय होता अनिवार्यरूप से है। यहाँ 'बालिका' में स्पष्टरूप में कोई प्रत्यय दिखलाई नहीं दे रहा है, फिर भी चूँकि 'पठति' से इसका कर्ता का सम्बन्ध है, अतः इसमें प्रत्यय अवश्य ही है। भाषा-विज्ञानियों ने ऐसे स्थलों पर 'शून्य' प्रत्यय (सम्बन्धतत्त्व) को स्वीकार किया हुआ है। संक्षेप में, 'शब्द' और 'पद या रूप' में अन्तर होता है।

1. रूपग्राम या रूपिम (Morpheme)

पद या रूप को समझ लेने के उपरान्त रूपग्राम को समझना सरल हो गया है। वाक्य में पदों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उसी के आधार पर कहा जा सकता है कि वाक्य में प्रयुक्त छोटी सार्थक इकाई रूपग्राम या रूपिम होती है। अर्थात् 'रामः गीतां पठति।' वाक्य में तीन रूप या पद हैं तथा 'रामः' में राम + ;, 'गीताम्' में गीता + अम् और 'पठति' में पठ + ति—इस प्रकार छह रूपग्राम या रूपिम हैं। ये सभी छह रूपग्राम यहाँ सार्थक हैं तथा वाक्य की छोटी से छोटी इकाई है। इसके बाद भी यदि 'राम', गीता और पठ् आदि को और भी छोटी इकाइयों, जैसे र + ा + म + अ, ग + ई + त् + ा + और प् + अ + ट् + अ + त् + इ—आदि में बाँटना चाहें तो, ये इकाइयाँ सार्थक नहीं होंगी अतः इन्हें रूपग्राम नहीं कहा जा सकता। 'रूपग्राम' कहलाने के लिए छोटी से छोटी इकाई का सार्थक होना अनिवार्य है। इसी प्रकार हिन्दी वाक्य— "उसकी संस्कृत पुस्तक में चिह्न होगा।" में भी (1) उसकी, (2) संस्कृतपुस्तक, (3) में, (4) चिह्न, (5) होगा—ये पाँच रूप (या पद) हैं तथा (1) उस, (2) की, (3) संस्कृत, (4) पुस्तक, (5) में, (6) चिह्न, (7) हो, (8) ग, और (9) आ, (10)—ये नौ रूपग्राम हैं। 'होगा' में 'हो' (होना सूचक), ग (भविष्यत्काल-सूचक) और आ (1) पुल्लिंग, एकवचन-सूचक होने से सार्थक है। इस प्रकार वाक्य के ये सभी लघु खण्ड हैं तथा सार्थक हैं। इसके और अधिक सार्थक खण्ड नहीं हो सकते।

NOTES

(1) **मुक्त रूपग्राम (Free Morpheme)**—वह रूपग्राम जो एकाकी प्रयोग में आता है, मुक्त रूपग्राम कहा जाता है। अंग्रेजी भाषा का From (फ्रॉम = से) (अपादान) रूपग्राम इसका अच्छा उदाहरण है। इसका प्रयोग कभी किसी अन्य रूपग्राम के साथ नहीं होता है। अयोगात्मक वर्ग की चीनी आदि भाषाओं में मुक्त रूपग्राम के उदाहरण अधिक मिलते हैं।

(2) **बद्ध रूपग्राम (Bound Morpheme)**—वह रूपग्राम जो सदैव किसी अन्य रूपग्राम के साथ ही प्रयुक्त होता है, बद्ध रूपग्राम कहलाता है। हिन्दी में पुल्लिङ्ग शब्दों को स्त्रीलिङ्ग बनाने वाले तथा भूतकाल को प्रकट करने वाले आदि सभी रूपग्राम इसी कोटि में आते हैं; जैसे लड़का से लड़की में ई, 'मर' से मरा में आ (1) अंग्रेजी में भी works, working और worked में क्रमशः s, ing और ed बद्ध रूपग्राम ही है।

(3) **मुक्त-बद्ध-रूपग्राम (Free-Bound-Morpheme)**—वह रूपग्राम, जो कभी मुक्त रहता है और कभी बद्ध, मुक्त-बद्ध रूपग्राम कहलाता है। उदाहरण के लिए 'पुरुष' एकाकी अर्थात् मुक्त रूप में भी प्रयुक्त हो सकता है तथा राजपुरुष, भद्रपुरुष आदि में बद्धरूप में भी प्रयुक्त होता है। इसी को बद्धमुक्त या अर्द्धबद्ध रूपग्राम भी कहा जाता है। ऊपर रचना और प्रयोग दृष्टि से रूपग्राम के भेद दिये गये हैं। अर्थ की दृष्टि से भी रूपग्राम के मुक्त और बद्ध तथा मुक्तबद्ध भेद बनते हैं।

(4) **संयुक्त रूपग्राम (Compound Morpheme)**—यदि किसी पद में एक से अधिक रूपग्राम संयुक्त होते हों, किन्तु उनमें केवल एक ही अर्थतत्त्व हो, तो उसे संयुक्त रूपग्राम कहते हैं, जैसे घरों, नगरों आदि में घर और नगर एक-एक ही अर्थतत्त्व है। संस्कृत में बालकः, बालकाः आदि में भी बालक एक ही अर्थतत्त्व है।

(5) **मिश्रित रूपग्राम (Complex Morpheme)**—जहाँ एक से अधिक अर्थतत्त्व हों, जैसे संस्कृतपुस्तक या राजपुरुष आदि। यहाँ एक ही रूप में दो-दो अर्थतत्त्व एक साथ संयुक्त हैं।

(6) **अर्थदर्शी रूपग्राम**—इसी को अर्थतत्त्व भी कहा जाता है। यह रूपग्राम केवल अर्थ प्रकट करता है। भारत के प्राचीन वैयाकरणों ने इसे 'प्रातिपदिक' और 'धातु' नाम दिया है। प्रत्येक भाषा का आधार यही रूपग्राम होते हैं। अतः, भाषा में इन्हीं की संख्या सर्वाधिक होती है। राम, हरि, लता, फल आदि प्रातिपदिक तथा पढ़, गम्, हस् आदि धातु इसके असंख्य उदाहरण हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रियाविशेषण आदि इसी अर्थदर्शी रूपग्राम के भेद हैं।

(7) **सम्बन्ध-दर्शी-रूपग्राम**—इस रूपग्राम का प्रमुख कार्य पदों के पारस्परिक सम्बन्ध को प्रकट करना होता है। इसे ही सम्बन्धतत्त्व भी कहा जाता है। वस्तुतः यह व्याकरण-तत्त्व है। संस्कृत के 'सुप्' और 'लिङ्', हिन्दी के परसर्ग (ने, से आदि) तथा अन्य प्रत्यय इसी के अन्तर्गत हैं। (1) स्वतन्त्र शब्द (ने, से, From to आदि) (2) शून्य (चल, कर आदि को जैसा का तैसा रहने देना), (3) ध्वनि-प्रतिस्थापन (पुत्र से पौत्र, Sing से Sang, जा से गया Send से Sent आदि) (4) पुनरुक्ति या द्विरुक्ति (संस्कृत में स्मारम्-स्मारम्) (5) ध्वनि-वियोजन (फ्रांसीसी में स्त्रीलिङ्ग 'सुल' (पी) का पुल्लिङ्ग रूप 'सु' (पीया), (6) उपसर्ग या पूर्वयोग (दक्षिण अफ्रीका की काफ़िरी भाषा में ति = हम, नि = वे, इसके पूर्व सम्प्रदान कारक का चिह्न 'कु' जोड़कर 'कुति' = हमको, कुनि उनको बनाया जाता है), (7) मध्य योग (मुण्डा भाषा में मंझि =

मुखिया से बहुवचन मर्पसि), (अन्तयोग (याँ, जैसे—लड़की से लड़कियाँ, एँ, जैसे लता से लताएँ, आ; जैसे—मर से मरा; अंग्रेजी में ed, जैसे work से worked तथा संस्कृत के सुप् और तिङ् प्रत्यय आदि) चीनी आदि भाषाओं में (9) शब्दस्थान, (10) सुर तथा अंग्रेजी में (11) बलाघात आदि के रूप में यह अनेक प्रकार का है।

बलाघात एवं सुर आदि ऐसे सम्बन्धदर्शी रूपग्राम हैं, जिन्हें तोड़कर अर्थतत्त्व से पृथक् नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें अखण्ड रूपग्राम (Segmental) भी कहते हैं। इसके विपरीत ऊपर के अन्य रूपग्रामों को अर्थतत्त्व से पृथक् करके खण्डित किया जा सकता है, अतः उन्हें खण्ड रूपग्राम (Supra Segmental) कहा जाता है।

इस प्रकार रूपग्राम के अनेक भेद होते हैं।

2. संरूप (Allomorph)

एक ही रूपग्राम (रूपिम) के एक से अधिक समानार्थी, किन्तु परिपूरक वितरण वाले, रूपों को संरूप कहा जाता है। संरूपों के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वे ध्वन्यात्मक दृष्टि से भी परस्पर समानता रखते हों, किन्तु एक ही अर्थ को प्रकट करना संरूपों के लिये अनिवार्य है। उदाहरण के लिये हिन्दी भाषा में, कर्ता कारक में प्रयुक्त संज्ञा शब्दों को एकवचन से बहुवचन में परिणत करने के लिये एँ, ए या, (केवल अनुनासिक चिह्न) तथा शून्य रूपों का प्रयोग किया जाता है। ये सभी भिन्न-भिन्न ध्वन्यात्मक परिस्थितियों में प्रयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ—

(1) एँ = हलन्त स्त्रीलिंग शब्द रात् से रातें, बात् से बातें, बहिन् से बहिनें, भेड् से भेड़ें आदि; आकारान्त स्त्रीलिंग शब्द लता से लताएँ, कथा से कथाएँ, व्यथा से व्यथाएँ आदि; उकारान्त स्त्रीलिंग शब्द धातु से धातुएँ आदि; ऊकारान्त स्त्रीलिंग शब्द, बहू से बहुएँ आदि; औकारान्त स्त्रीलिंग शब्द गौ से गौएँ आदि।

(2) ए = हलन्त, लिंगरहित शब्द लोट् से लोटे, लड़क् से लड़के आदि।

(3) याँ = इकारान्त स्त्रीलिंग शब्द शक्ति से शक्तियाँ, नीति से नीतियाँ आदि 'ईकारान्त स्त्रीलिंग शब्द धोती से धोतियाँ, रोटी से रोटियाँ आदि।

(4) ँ = 'या' अन्त होने वाले शब्द गुड़िया से गुड़ियाँ, बुढ़िया से बुढ़ियाँ आदि।

(5) शून्य = हलन्त पुल्लिंग शब्द बाप, नाम्, काम् आदि; इकारान्त हरि, कवि आदि, ईकारान्त पुं० भाई आदि, उपकारान्त पुं० साधु, गुरु आदि, ऊकारान्त पुं० लड्डू, डाकू आदि; ओकारान्त पुं० रासो आदि, औकारान्त पुं० जौ आदि में बहुवचन बनाने के लिये कोई भी रूप नहीं लगता है, अतः इन्हें शून्य रूप कहा गया है।

हिन्दी भाषा के कर्ताकारक में एकवचन से बहुवचन बनाने के लिये प्रयुक्त रूपों में एँ को रूपग्राम माना जाता है, क्योंकि अधिकांश में, बहुवचन बनाने के लिये इसी का प्रयोग होता है तथा ए, याँ और रूपों को इसका संरूप माना जाता है क्योंकि इनका प्रयोग भी, भिन्न परिस्थितियों में एकवचन से बहुवचन बनाने के लिये कहा जाता है। ये सभी यहाँ परिपूरक वितरण में हैं, अर्थात् एक परिस्थिति में एक का प्रयोग होता

है तो उससे भिन्न परिस्थिति में दूसरे का, तीसरे का चौथे का या पाँचवें का। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि एँ रूपग्राम है तथा ए, याँ, ँ, तथा शून्य रूप उसके संरूप हैं—

NOTES

रूपग्राम या रूपिम

संरूप

(एँ) = (ए), याँ (ँ) और (...) शून्य रूप।

इसी प्रकार संस्कृत भाषा में कर्मकारक (द्वितीया विभक्ति) में संज्ञा एवं विशेषण शब्दों के द्विवचन बनाने के लिये पुल्लिंग अकारान्त राम आदि शब्दों से 'औ' (रामौ), इकारान्त 'हरि' आदि शब्दों से 'ई' (हरी) उकारान्त 'गुरु' आदि शब्दों से 'ऊ' (गुरु); अकारान्त स्त्रीलिंग 'लता' आदि शब्दों से 'ए' तथा नपुंसकलिंग अकारान्त 'फल' आदि शब्दों से भी 'ए' रूपों का प्रयोग होता है। इन सबके प्रयोग की परिस्थितियाँ भी भिन्न-भिन्न हैं। अतः प्रयोग या वितरण की दृष्टि से ये सभी पूरक वितरण में हैं। प्रयोगाधिक्य के कारण यहाँ 'औ' रूपग्राम या रूपिम है तथा 'ई' 'ऊ' और 'ए' उसके संरूप हैं।

रूपग्राम या रूपिम

संरूप

(औ) = (औ), (ई), (ऊ), (ए)।

'अंग्रेजी भाषा में संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाने के लिये स (s-books) इज (es-horses), इन (en-oxen), रिन (ren-children) तथा शून्य (sheep) रूपों का प्रयोग होता है। यहाँ भी स (s) रूपग्राम है तथा शेष उसके संरूप हैं।

रूपग्राम या रूपिम

संरूप

(स)(s) [s], [es], [en], [ren] [...]।

3. रूप ध्वनि-ग्राम विज्ञान (Morphophonemics)

यह रूपग्राम या रूपिम-विज्ञान की ही शाखा है। इसके अन्तर्गत उन ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का अध्ययन-विश्लेषण किया जाता है, जो दो या दो से अधिक रूपों अथवा रूपिमों के योग्य से होते हैं। उदाहरण के लिये व्याकरण द्वारा निष्पन्न रूपों—

उत् + गम = उद्गम् में त् के स्थान पर द्,

जगत् + जननी = जगज्जननी में त् के स्थान पर ज्,

आदि-आदि में ध्वन्यात्मक परिवर्तनों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि बाद में घोष ध्वनि के कारण ही त् ध्वनि द्, ज् ध्वनि में परिवर्तित हो गयी है। इस प्रकार के सभी ध्वन्यात्मक परिवर्तनों का विचार करना रूप-ध्वनिग्रामविज्ञान का विषय है।

स्थूल रूप से देखने पर ज्ञात होता है कि यह रूप-ध्वनिग्रामविज्ञान संस्कृत-व्याकरण के सन्धि-प्रकरण से समानता रखता है और इस प्रकार इस विज्ञान का भी पर्याप्त विकास भारत में प्राचीनकाल में ही हो गया था। किन्तु आधुनिक रूप-ध्वनिग्रामविज्ञान का क्षेत्र सन्धिप्रकरण के क्षेत्र से कुछ अधिक विस्तृत है। सन्धिप्रकरण में पदान्त और पदादि ध्वनियों के परिवर्तन पर ही विचार किया जाता है, जबकि रूपध्वनिग्रामविज्ञान

में पदों में सभी स्थानों पर पद ध्वनि-परिवर्तन को विचार का विषय बनाया जाता है। उदाहरणार्थ—

अनुवाद, समीक्षा
एवं भाषा विज्ञान

मीठा + आई = मिठाई (मिठा > मिट्)

खट्टा + आई = खटाई (ट्टा > ट्)

बाप + औती = बपौती (बा > ब)

भेड़ + चाल = भेड़ाचाल (ड़ > डा) आदि-आदि

यहाँ दोनों रूपों के मध्य होने वाले परिवर्तन के साथ ही अन्यत्र भी परिवर्तन हुआ है। ऊपर के उदाहरणों में मिठाई में मी > मि ह्रस्वीकरण, का ठा > ट् मात्रा लोप का, भेड़ाचाल में ड > डा दीर्घीकरण का उदाहरण है। इसी प्रकार रूपध्वनि-ग्रामविज्ञान में आगम, समीकरण, विषमीकरण, तालव्यीकरण एवं मूर्धन्यीकरण आदि ध्वनिपरिवर्तन भी आते हैं।

साथ ही, कोई रूपग्राम अपने विभिन्न संरूपों में कौन-कौन से ध्वनि परिवर्तन स्वीकार करता है तथा किसी रूपग्राम के विभिन्न संरूपों में से प्रमुख संरूप या प्रतिनिधि संरूप कौन-सा है, इसका निर्णय भी रूपध्वनिग्रामविज्ञान के द्वारा ही होता है।

संक्षेप में, रूपग्राम या रूपिम-विज्ञान के अन्तर्गत रूपों, रूपग्रामों या रूपिमों तथा संरूपों का सूक्ष्म विचार किया जाता है। रूपध्वनिग्रामविज्ञान भी इसी का अङ्ग होने के कारण रूपग्रामों एवं संरूपों में होने वाले ध्वन्यात्मक परिवर्तनों को स्पष्ट करके अनेक पारस्परिक सम्बन्धों पर प्रकाश डालता है। इस प्रकार भाषा के वैज्ञानिक विवेचन में रूपग्रामविज्ञान से बड़ी सहायता मिलती है।

सारांश :

इस इकाई में आपने 'अपभ्रंशमुक्तक संग्रह' एवं 'संदेशरासकम्' के पद्यों का संस्कृत एवं हिन्दी अनुवाद सहित अध्ययन किया है। 'भाषानुवाद' शीर्षक अंश में आपने विभिन्न जातक कथाओं के हिन्दी रूपान्तरण द्वारा भगवान बुद्ध की अनेक जीवनपयोगी नैतिक शिक्षाओं का ज्ञान प्राप्त किया है। इन जातक कथाओं में निहित नैतिक संदेश मानव जीवन के कल्याण हेतु परम उपयोगी हैं। भाषा विज्ञान के अन्तर्गत यह इकाई भाषा के स्वरूप एवं भेदों के साथ-साथ भाषा के उद्भव एवं विकास के इतिहास से भी परिचित कराती है। भाषा की परिवर्तनशील प्रवृत्ति एवं भाषा के विभिन्न स्रोतों के साथ-साथ भाषा की सामान्य विशेषताओं का भी इस इकाई में वर्णन हुआ है। भाषा परिवर्तन के आन्तरिक एवं बाह्य कारणों के साथ ही इस इकाई में संसार में प्रचलित समस्त भाषाओं का वर्गीकरण भी समझाया गया है। इस इकाई में विभिन्न भाषायी परिवारों, उनकी सामान्य विशेषताओं एवं ईरानी भाषा का संक्षिप्त वर्णन भी सम्मिलित है। यह इकाई भारतीय आर्य भाषाओं—यथा संस्कृत, प्राकृत तथा प्राकृत के पाली, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी एवं खोतानी आदि रूपों पर भी विचार करती है। इस इकाई में ध्वनिविज्ञान के अन्तर्गत भाषा की ध्वनि संबंधी विशेषताओं का वर्णन है। रूपविज्ञान एवं रूपग्राम विज्ञान के अन्तर्गत शब्दों एवं पदों का अन्तर, अर्थतत्त्व, संबंध तत्त्व, इनका पूर्ण एवं अपूर्ण संयोग, लिंग, वचन, पुरुष, कारक एवं कालों के अर्थ तथा भेदों का वर्णन है।

NOTES

NOTES

1. 'अपभ्रंशमुक्तक संग्रह' के किन्हीं दो पद्यों की हिन्दी व्याख्या कीजिए।
2. 'संदेशरासकम्' के किन्हीं दो पद्यों की संस्कृत व्याख्या कीजिए।
3. वानरिन्द जातक तथा बक जातक का कथासार अपने शब्दों में लिखिए।
4. राध जातक एवं उलूक जातक की कथाओं में निहित संदेशों की व्याख्या कीजिए।
5. भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए भाषा के आधारों का विवेचन कीजिए।
6. भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों की समीक्षा कीजिए।
7. भाषा की सामान्य विशेषताओं एवं प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए।
8. संसार की समस्त भाषाओं के वर्गीकरण की समीक्षा कीजिए।
9. भारतीय आर्य भाषाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
10. ध्वनिविज्ञान एवं रूपविज्ञान की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।



4

वाक्य विज्ञान

NOTES

इकाई में सम्मिलित है :

- अध्ययन के उद्देश्य
- प्रस्तावना
- वाक्य का अर्थ एवं परिभाषा
- वाक्य के आवश्यक तत्व एवं प्रकार
- अर्थ विचार
- कोश विज्ञान एवं व्युत्पत्ति विज्ञान
- भाषा विज्ञान का इतिहास
- लिपि का विकास एवं देवनागरी लिपि
- सारांश
- अभ्यास-प्रश्न

अध्ययन के उद्देश्य :

इस इकाई में वाक्य विज्ञान के विषय, उसके प्रकार तथा विविध अंगों का वर्णन किया गया है। वाक्य के अर्थ, परिभाषा, तत्व, अंग आदि के साथ-साथ यह इकाई अर्थ के स्वरूप, महत्व तथा उसकी परम्परा का परिचय भी प्रस्तुत करती है। इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् छात्र वाक्य विज्ञान के निम्नलिखित बिन्दुओं से परिचित हो सकेंगे :

- वाक्य का अर्थ, परिभाषा एवं महत्व
- वाक्य एवं पद का सम्बन्ध
- अर्थ विचार की परम्परा एवं महत्ता
- शब्द एवं अर्थ का सम्बन्ध
- अर्थ विकास के कारण
- कोश एवं व्युत्पत्ति विज्ञान का महत्व
- प्राचीन एवं आधुनिक भाषा विज्ञान
- भाषा विज्ञान के प्रमुख सिद्धान्त

NOTES

वाक्य विज्ञान के अन्तर्गत वाक्य के अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, तत्त्वों, अंगों एवं महत्व पर विचार करते हुए वाक्य-विश्लेषण की व्याख्या की गयी है। वाक्य विज्ञान में वाक्य की रचना, वाक्य में पदों के स्थान का निर्धारण एवं वाक्य में बलाघात के नियमों का निर्धारण किया जाता है। वाक्य की विशेषताओं तथा वाक्य के प्रकारों का वर्णन भी वाक्य विज्ञान का ही विषय है। भाषा विज्ञान के अन्तर्गत अर्थ विचार को अर्थ संबंधी विवेचन से सम्बन्धित माना जाता है। अर्थ के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। शब्द और अर्थ में गहन सम्बन्ध होता है। शब्द न हों तो अर्थ की व्यंजना कैसे होगी और अर्थ न हो तो शब्द का महत्व ही क्या रह जायेगा, अतः शब्द और अर्थ का सम्बन्ध अटूट है। अर्थ परिवर्तन या अर्थ विकास के अनेक कारण हैं। कोश विज्ञान को भी भाषा विज्ञान से सम्बन्धित माना जाता है। भारत में कोश निर्माण की परंपरा अत्यन्त प्राचीन है। कोश अनेक प्रकार के होते हैं। व्युत्पत्ति विज्ञान को शब्दों की व्युत्पत्ति का विज्ञान कहा जा सकता है। इसमें शब्दों की रचना, शब्दों के उद्भव तथा शब्दों के विकास पर विचार किया जाता है।

भाषा विज्ञान को वर्तमान में एक नवीन विषय माना जाता है किन्तु भारत में भाषा के विवेचन का प्राचीन इतिहास है। यूरोप में सभी शास्त्रों का मूल ग्रीक भाषा में खोजा जाता है। भारत में वेदों को सर्वज्ञानमय माना जाता है। भाषा विज्ञान की परम्परा भी वेदों से प्रारम्भ होती है। ऋग्वेद का 'वागाम्भणीय सूक्त' इस बात को प्रमाणित करता है। आधुनिक भारतीय भाषा विज्ञान में भारत की आधुनिक भाषाओं का विवेचन किया गया है। इसमें भारत की विभिन्न बोलियों, उपभाषाओं तथा प्रान्तीय भाषाओं का विशद वर्णन है। भाषा की उत्पत्ति के समान ही लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी अनेक मत प्रचलित हैं। लिपि के उद्भव एवं विकास का वर्णन भी इस इकाई में सम्मिलित है।

1. वाक्य

'पद-विज्ञान या रूप-विज्ञान के अन्तर्गत वाक्य का प्रसंग आ चुका है। यहाँ उस पर विशेषरूप से विचार किया जायेगा।

वाक्य-विज्ञान का विषय

वाक्य-विज्ञान में वाक्य की रचना, वाक्य के आवश्यक तत्त्व, वाक्य में पदों का क्रम, वाक्य में पदों की अन्विति, वाक्य के प्रकार, वाक्य में बलाघात, वाक्य के निकटस्थ अवयवों पर विचार करते हुए, इन सबसे सम्बन्धित सामान्य सिद्धान्तों का निर्धारण किया जाता है।

1. वाक्य-विज्ञान के प्रकार

वाक्य विज्ञान के अध्ययन के 3 प्रकार हैं—

(1) **वर्णनात्मक वाक्यविज्ञान**, जिसमें किसी भाषाविशेष के, कालविशेष में प्रयुक्त वाक्यों की रचना आदि पर विचार किया जाता है।

(2) **ऐतिहासिक वाक्यविज्ञान**, जिसमें किसी भाषाविशेष की वाक्यरचना का, प्रारम्भ से अन्त तक का, कालक्रम की दृष्टि से ऐतिहासिक या विकासात्मक अध्ययन किया जाता है।

(3) तुलनात्मक वाक्यविज्ञान, जिसमें दो या अधिक भाषाओं की वाक्यरचना आदि का, तुलनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। यह तुलना वर्णनात्मक भी हो सकती है और ऐतिहासिक भी।

उपर्युक्त पृष्ठभूमि के उपरान्त अब वाक्य विज्ञान का परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है सर्वप्रथम, वाक्य की परिभाषा पर विचार करना यहाँ आवश्यक है।

NOTES

2. वाक्य की परिभाषा

तात्त्विक तथा व्यावहारिक दृष्टि से इसे हम इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं—

वाक्य की तात्त्विक परिभाषा

वाक्य की तात्त्विक परिभाषा अत्यधिक विवादास्पद विषय है। भारत के प्राचीन वैयाकरणों, नैयायिकों, मीमांसकों तथा साहित्यकारों का इस विषय में पर्याप्त मतभेद रहा है। प्राचीन वैयाकरण 'पतञ्जलि'—

“कारक, अव्यय, विशेषण, क्रियाविशेषण तथा क्रिया के एक साथ प्रयोग” को या “मात्र क्रियापद के प्रयोग” को या ‘कभी-कभी क्रियापदरहित एकमात्र ‘तर्पणम्’ या ‘पिण्डीम्’—जैसे संज्ञापद को भी वाक्य मानते हैं; क्योंकि यह भी ‘तर्पण करो’ या ‘ग्रास खाओ’ जैसे पूर्ण अर्थ का द्योतक है।

न्यायभाष्यकार वात्स्यायन, आचार्य जगदीश तथा आचार्य विश्वनाथ अपनी-अपनी शब्दावली में ‘साकांक्ष पदसमूह’ को ही वाक्य मानते हैं। ‘भर्तृहरि’ ने अपने ग्रन्थ ‘वाक्यपदीय’ में अपने पूर्ववर्ती न्यायवादी आचार्यों के मतों को संकलित करते हुए, उनके द्वारा मान्य वाक्य की निम्नलिखित आठ परिभाषाएँ दी हैं—

- (1) क्रियापद को वाक्य कहते हैं।
- (2) क्रियापद-सहित कारकादि के समूह को वाक्य कहते हैं।
- (3) क्रिया तथा कारकादि-समूह में रहने वाली ‘जाति’ को वाक्य कहते हैं।
- (4) क्रियादि समूहरूप एक अखण्ड शब्द (स्फोट) को वाक्य कहते हैं।
- (5) क्रियादि पदों के विशेष क्रम को वाक्य कहते हैं।
- (6) क्रियादि के बुद्धिगत अखण्ड समन्वय को वाक्य कहते हैं।
- (7) आकांक्षायुक्त प्रथम पद को ही वाक्य कहते हैं।
- (8) आकांक्षायुक्त पृथक्-पृथक् सभी पदों को वाक्य कहते हैं।

वस्तुतः, जैसा पूर्व भी संकेत किया गया है, वाक्य की तात्त्विक परिभाषा करना बहुत ही कठिन है। यह विषय पूर्णतया दार्शनिक है। अतः, निदर्शनमात्र के लिए ही उपर्युक्त मतों का उल्लेख किया गया है।

भारत के प्राचीन आचार्यों में से ‘पतञ्जलि’ (150 ई० पू०) को तथा पाश्चात्य आचार्यों में से ‘डियोनिसियस श्रॉक्स’ (प्रथम शताब्दी ई० पू०) को इस विषय में प्रामाणिक मानते हुये वाक्य की परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है—

NOTES

किन्तु, वाक्य की यह परिभाषा भी विवाद से परे नहीं है। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य की दो विशेषताएँ हैं—

(क) “वाक्य, शब्दों का समूह है” तथा (ख) “वाक्य, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है”।

विचार करने पर वाक्य की इन दोनों ही विशेषताओं का खण्डन हो जाता है। वस्तुतः, न तो “वाक्य, शब्दों का समूह” ही है और न ही ‘वाक्य, पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है’। इन दोनों विषयों पर यहाँ पृथक्-पृथक् विचार करना आवश्यक है।

(क) “वाक्य शब्दों का समूह है”—‘भाषा’ के प्रसंग में यह कहा जा चुका है कि भाषा का उद्देश्य भावों या विचारों की अभिव्यक्ति है। विचार या भाव का ही बाह्य रूप वाक्य है। इस दृष्टि से वाक्य ही भाषा की इकाई है, जिसे पदों या खण्डों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। वाक्य का पदों में विश्लेषण या विभाजन तो कृत्रिम है, जो वैयाकरणों ने अपनी सुविधा के लिए किया है। वस्तुतः, हमारा विचारना-बोलना आदि सब वाक्य में ही होता है। हाँ, बोलचाल में हम अपने भाव या विचार व्यक्त करने के लिए आवश्यकतानुसार कभी तो अनेक पदों का प्रयोग करते हैं और कभी केवल एक ही पद का; उदाहरण के लिए—

(i) “मुझे पानी पिलाइये।” (अनेक पद)

(ii) “पानी”। (एक पद)

प्रकरण के अनुसार, उपर्युक्त दोनों ही प्रकार के वाक्य हमारे भाव या विचार को प्रकट कर देते हैं।

यदि “शब्दों का समूह ही वाक्य” हो, तो एक पद वाले वाक्य से काम नहीं चलना चाहिए। इसके विपरीत, संवादों में प्रायः, एक पद वाले वाक्य से ही भाव को व्यक्त किया जाता है। “हाँ”, “जाओ”। “कल”, “परसों”, “दिल्ली”, “घर” आदि ऐसे अनेक वाक्यों का प्रयोग हम अपने प्रतिदिन के उत्तर-प्रत्युत्तर आदि में करते हैं।

वैयाकरण पतञ्जलि ने भी ‘तर्पणम्’। “पिण्डीम्”। “प्रविश।” इत्यादि। एक पद वाले वाक्यों का अस्तित्व स्वीकार किया है।

इस प्रकार इस मान्यता का खण्डन हो जाता है कि “पदों का समूह वाक्य होता है।”

(ii) “वाक्य पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है।”—विचार करने पर वाक्य, इस कसौटी पर भी खरा नहीं उतरता है। वस्तुतः, जिस विचार या भाव को व्यक्त करने के लिए ‘वाक्य’ का प्रयोग किया जाता है, वह विचार केवल एक वाक्य मात्र नहीं होता है। भाषा-व्यवहार में, जब कोई वक्ता अपना कोई विशेष विचार व्यक्त करता है, तो वह उसके लिए एक ही नहीं, अपितु अनेक वाक्यों का प्रयोग करता है। प्रायः किसी निबन्ध, प्रबन्ध या लिखित रचना का मूल विचार तो एक ही होता है, किन्तु उसके लिए अनेक वाक्यों का ही नहीं, अपितु अनेक अनुच्छेदों, अध्यायों तथा खण्डों तक का प्रयोग होता है, फिर भी तात्त्विक दृष्टि से विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति असम्भव ही है।

सामान्यतया भी, जब कोई वक्ता बोलचाल में, किसी वाक्य का प्रयोग करता है, तो उसका विचार केवल उसी वाक्य तक सीमित नहीं होता है। उसके साथ अन्य अनेक विचार भी सम्बद्ध होते हैं, जिन्हें व्यक्त

करना उस समय न तो सम्भव ही होता है और न ही आवश्यक। वस्तुतः, विचार और वाक्य का सम्बन्ध, वक्ता-व्यक्ति के स्वभाव, उसकी कथन-शैली तथा परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

इतना ही नहीं, दार्शनिक दृष्टि से तो विचार, 'ब्रह्म' के समान ही अखण्डनीय है। यही कारण है कि प्राचीन विचारकों ने 'शब्दब्रह्म' की कल्पना की है।

इस प्रकार "वाक्य द्वारा पूर्ण अर्थ की प्रतीति" का भी खण्डन हो जाता है।

वाक्य की व्यावहारिक परिभाषा

यहाँ 'भाषाविज्ञान' की दृष्टि से वाक्य की कामचलारु या व्यावहारिक परिभाषा देना उपयोगी है। भाषा में जिस प्रकार हम 'वाक्य' का प्रयोग करते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए वाक्य की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है—

तात्कालिक विचाराभिव्यक्ति के लिए वाक्य भाषा का चरम अवयव है।

या व्यावहारिक दृष्टि से वाक्य भाषा का चरम अवयव है।

वाक्य की इस परिभाषा के अनुसार, हम वाक्य को ठीक वैसा ही मान सकते हैं, जैसा मानते हुए हम उसका व्यवहार भाषा में करते हैं। अतः वाक्य में अनेक शब्द भी हो सकते हैं तथा वाक्य केवल एक शब्द का भी हो सकता है; उदाहरणार्थ—

(i) "तुम कहाँ जा रहे हो?"— (अनेक शब्द या शब्द-समूह)

(ii) "गाँव।"— (एक शब्द)

अभिप्राय को व्यक्त करने की दृष्टि से (i) तथा (ii), दोनों ही वाक्य हैं।

3. वाक्य एवं पद का सम्बन्ध

वाक्य एवं पद के प्रसङ्ग में भारतीय विचारधारा में 'अभिहितान्वयवाद' तथा 'अन्विताभिधानवाद' का महत्त्व है। ये दोनों ही सिद्धान्त मीमांसकों के हैं तथा यह बतलाते हैं कि "वाक्यार्थ क्या है?" भट्ट कुमारिल तथा उनके अनुयायी 'अभिहितान्वयवादी' हैं तथा गुरु प्रभाकर तथा उनके अनुयायी 'अन्विताभिधानवादी' हैं। अभिहितान्वयवादियों के अनुसार वाक्य की अपेक्षा 'पद' का महत्त्व अधिक है। पद से ही, पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, पुनः पदार्थों के अन्वय से वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। अतः, पदों से मिलकर ही वाक्य बनता है। सरलता के लिए इस वाद को हम 'पदवाद' भी कह सकते हैं।

इसके विपरीत 'अन्विताभिधानवादियों' के अनुसार पद की अपेक्षा वाक्य का महत्त्व अधिक है उनके अनुसार वाक्य से ही वाक्यार्थ का ज्ञान होता है। अपनी सुविधा के लिए ही वैयाकरण वाक्य का विश्लेषण पदों में करते हैं। अतः, वाक्य को तोड़कर ही पदों को पृथक्-पृथक् किया जाता है। वस्तुतः, पदों का अपना स्वतन्त्र कोई महत्त्व नहीं है। सुविधा के लिए इस वाद को हम 'वाक्यवाद' कह सकते हैं। इस दृष्टि से आधुनिक भाषाविज्ञान तथा अन्विताभिधानवाद में पर्याप्त समानता है।

4. वाक्य के आवश्यक तत्त्व

भारतीय विचारधारा में अभिहितान्वयवाद के अनुसार वाक्य में पदों का अन्वय आकांक्षा, योग्यता तथा सन्निधि के कारण होता है; अतः भारतीय मान्यता के अनुसार तो वाक्य के आवश्यक तत्त्व ये तीन ही हैं।

किन्तु, आधुनिक भाषाविज्ञान वाक्य में पदों के पारस्परिक सम्बन्ध को प्रकट करने के लिए निम्नलिखित छः तत्त्वों को आवश्यक मानता है—

NOTES

(1) **सार्थकता**—से तात्पर्य है कि वाक्य में प्रयुक्त पद सार्थक होने चाहिए। भाषा का अभिप्राय ही सार्थकता है, अतः उसकी इकाई, वाक्य में भी पदों का सार्थक होना अनिवार्य है। 'कमल सुन्दर है' में सभी पद सार्थक हैं तथा 'मकल रसुन्द' आदि निरर्थक हैं। अतः, वाक्य में ऐसे पद निरर्थक पदों का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(2) **योग्यता**—से तात्पर्य है कि पदों में, विवक्षित भाव को कहने की क्षमता होनी चाहिए; अर्थात् पदार्थों के परस्पर सम्बन्ध में बाधा नहीं होनी चाहिए। 'अग्निना सिञ्चति' या 'आग से सींचता है' वाक्य में 'अग्नि' या 'आग' पद सींचने की योग्यता वाला नहीं है। अतः, अयोग्य पदों का वाक्य में प्रयोग नहीं होना चाहिए।

(3) **आकांक्षा**—से तात्पर्य है—'श्रोता की जिज्ञासा'। वाक्य के एक पद को सुनकर श्रोता में जो जिज्ञासा होती है, वाक्य के अन्य पदों से उसकी पूर्ति होनी चाहिए। अतः, वाक्य में प्रयुक्त पद साकांक्ष होने चाहिए। इसके विपरीत आकांक्षाशून्य 'गौरश्वः पुरुषो हस्ती' आदि या 'गाय, घोड़ा, पुरुष, हाथी' आदि पद-समूह वाक्य नहीं है; क्योंकि, इनमें से किसी भी एक पद को सुनकर श्रोता में दूसरे को सुनने की आकांक्षा नहीं होती है।

(4) **सन्निधि**—से तात्पर्य है पदों का अविलम्ब उच्चारण। वाक्य में प्रयुक्त पदों का उच्चारण, बिना किसी विलम्ब के एक साथ किया जाना चाहिए। बहुत बिलम्ब से कहे गये—“राम...अच्छा.....लड़का.....है”, आदि पद, वाक्य कहलाने के योग्य नहीं हैं।

(5) **अन्वय या अन्विति**—से तात्पर्य है कि पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिङ्ग, पुरुष, वचन, कारक आदि का सामंजस्य होना चाहिए। प्रत्येक भाषा में अन्विति के लिये अपने स्वतन्त्र नियम होते हैं।

संस्कृत तथा हिन्दी में कर्तृवाच्य में कर्ता तथा क्रिया में, कर्मवाच्य में कर्म तथा क्रिया में अन्विति होती है। उदाहरणार्थ—

(i) संस्कृत में—	“रामः पठन्ति।”	या “बालकाः पठति।”	या
	“त्वं पठति।”	या “अहं पठति।”	या
	“ग्रन्थः पठितम्।”	या “पुस्तकं पठितः।”	

आदि में अन्विति नहीं है, अतः ये वाक्य नहीं हैं। इसी प्रकार—

(ii) हिन्दी में—	“राम जाती है।”	“मैं आते हैं।”
	“लड़की जाता है।”	“वे आता हूँ।”
	“रोटी खाया।”	“हलुवा खायी।”

आदि भी अन्विति के अभाव में वाक्य नहीं हैं।

(iii) अंग्रेजी में—“Ram go” या “I goes” आदि में क्रिया तथा कर्ता में पुरुष तथा वचन की दृष्टि से अन्विति नहीं है। अतः, ये भी वाक्य नहीं हैं।

(i) संस्कृत में विशेषण तथा विशेष में भी अन्विति का होना आवश्यक है।

जैसे— “सुन्दरः बालकः” “सुन्दरी बालिका।”

“सुन्दरं पुष्पम्।” आदि।

(ii) हिन्दी में कुछ स्थानों पर विशेषण-विशेष्य में अन्विति का नियम है।

जैसे—“अच्छा लड़का” “अच्छी लड़की” कुछ स्थानों पर अन्विति का नियम नहीं है जैसे—

जैसे— “सुन्दर बालक” “सुन्दर बालिका।”

(iii) अंग्रेजी में विशेषण-विशेष्य की अन्विति का नियम नहीं है।

अतः, प्रत्येक भाषा में अन्विति-सम्बन्धी जो भी नियम हैं, वाक्य में उनका पालन होना चाहिए।

(6) क्रम—से तात्पर्य है—पदक्रम। इस सम्बन्ध में भी प्रत्येक भाषा में अपने नियम होते हैं।
उदाहरणार्थ—

(i) संस्कृत में, सामान्यतया वाक्य में पदों का क्रम निश्चित नहीं होता; जैसे—“रामः पुस्तकं पठति।”
“पुस्तकं पठति रामः।” अथवा “पठति रामः पुस्तकम्।” आदि

(ii) हिन्दी में—वाक्य में—कर्ता, कर्म और क्रिया के क्रम से पदों को रखा जाता है, जैसे—“राम आम खाता है।” इस वाक्य में पदों का क्रम बदलने से “राम आम खाता है।” यह वाक्य नहीं होगा।

(iii) अंग्रेजी में—वाक्य में, कर्ता, क्रिया और कर्म के क्रम से पदों को रखा जाता है,

जैसे—“Ram goes to School.”

अतः पदक्रम का पालन भी वाक्य के लिए आवश्यक है। उपर्युक्त छः आवश्यक तत्त्वों के अतिरिक्त लघुतम को भी वाक्य का सातवाँ तत्त्व स्वीकार किया जा सकता है। इसके अनुसार अर्थ की अधिकाधिक पूर्णता के साथ ही वाक्य को लघु से लघु भी होना चाहिए।

5. वाक्य के प्रकार

भाषा में प्रयुक्त वाक्यों का वर्गीकरण अनेक आधारों पर किया जा सकता है, जिसमें से निम्नलिखित चार आधार प्रमुख हैं—

(क) आकृति का आधार,

(ख) रचना का आधार,

(ग) अर्थ या भाव का आधार, तथा

(घ) क्रिया के होने या न होने का आधार।

NOTES

उपर्युक्त आधारों की व्याख्या तथा उनके आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

NOTES

(क) आकृति का आधार—आकृति से तात्पर्य है—रूपतत्त्व या सम्बन्धतत्त्व। भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण में भी इसी को ध्यान में रखा जाता है। आकृति के आधार पर वाक्यों के चार वर्ग हैं—

(1) अयोगात्मक वाक्य, (2) अश्लिष्टयोगात्मक वाक्य, (3) श्लिष्टयोगात्मक वाक्य, तथा (4) प्रश्लिष्टयोगात्मक वाक्य।

(ग) अर्थ या भाव (Mood) का आधार—विधान, निषेध, आज्ञा आदि को ही अर्थ या भाव कहते हैं। इनके आधार पर वाक्यों के अनेक प्रकार सम्भव हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं—

(ग/1) विधानात्मक—मोहन जाता है।

(ग/2) निषेधात्मक—मोहन नहीं जाता है।

(ग/3) आदेशात्मक—मोहन जाओ।

(ग/4) प्रश्नात्मक—आपका घर कहाँ है।

(ग/5) विस्मयात्मक—इतनी बड़ी सफलता!

(ग/6) सम्भावनात्मक—वह चला गया होगा।

(ग/7) इच्छात्मक—तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होओ।

(ग/8) संशयात्मक—वह आयेगा कि नहीं।

(ग/9) संकेतात्मक—यदि वह परिश्रम करता, तो उत्तीर्ण हो जाता।

इन उपर्युक्त प्रकारों के अतिरिक्त सुर (लहज़ा) के आधार पर भी विभिन्न अर्थों या भावों को व्यक्त किया जा सकता है।

(घ) क्रिया के होने या न होने का आधार—प्रायः तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया सभी भाषाओं के वाक्यों में पायी जाती है, किन्तु संस्कृत, लैटिन आदि कुछ प्राचीन तथा रूसी, बंगला आदि कुछ नवीन भाषाओं में, बिना क्रिया के वाक्य भी मिलते हैं। अतः इस आधार पर भी वाक्यों के दो प्रकार होते हैं—

(घ/1) क्रियायुक्त वाक्य—प्रायः सभी वाक्य इसी कोटि के होते हैं।

(घ/2) क्रियारहित वाक्य—जैसे संस्कृत में 'तर्पणम्।' 'पिण्डीम्।' आदि। वैसे समाचारपत्रों के शीर्षकों, लोकोक्तियों, विज्ञापनों आदि में प्रायः क्रियाविहीन वाक्यों का ही प्रयोग होता है।

इस प्रकार उपर्युक्त 4 आधारों पर वाक्यों के अनेक प्रकार बनते हैं 'साहित्यशास्त्र' या 'काव्यशास्त्र' में कथन-शैली के आधार पर भी वाक्यों में भेद किया जाता है; किन्तु भाषाविज्ञान के क्षेत्र से बाहर होने के कारण उन पर विचार करना यहाँ उचित नहीं है।

6. वाक्य-विश्लेषण या वाक्य का विभाजन

भाषा-वैज्ञानिकों को कोई ऐसा वाक्य-विभाजन अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है, जिसे विश्व की सभी भाषाओं पर लागू किया जा सके। अभी तक वाक्य-विभाजन का जो रूप प्रचलित है, उसके अनुसार वाक्य को दो भागों में विभक्त किया जाता है—(1) अग्र तथा (2) पश्च। हिन्दी व्याकरण में इन दोनों को क्रमशः 'उद्देश्य' तथा 'विधेय' कहा जाता है। एक वाक्य के उदाहरण से इन्हें स्पष्ट करना आवश्यक है। वाक्य—बालक "पाठशाला गया"।

यहाँ 'बालक' उद्देश्य है तथा 'पाठशाला गया' विधेय है।

1. उद्देश्य—जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। जैसे उपर्युक्त वाक्य में—'बालक'।

2. विधेय—जो कुछ कहा जाता है। जैसे उपर्युक्त वाक्य में—"पाठशाला गया"।

पुनः (क) उद्देश्य तथा (ख) विधेय का विभाजन भी किया जाता है।

उद्देश्य का विभाजन दो भागों में किया जाता है—(1) कर्ता, तथा (2) कर्ता का विस्तार।

विधेय के अनेक विभाग हैं—(1) कर्म (2) कर्म का विस्तार, (3) करण, (4) करण का विस्तार, (5) सम्प्रदान, (6) सम्प्रदान का विस्तार, (7) अपादान, (8) अपादान का विस्तार, (9) अधिकरण, (10) अधिकरण का विस्तार, (11) सम्बोधन, (12) सम्बोधन का विस्तार, (13) क्रिया, (14) क्रिया का विस्तार, (15) पूरक तथा (16) पूरक का विस्तार, (17) और, पूर्वकालिक क्रिया आदि।

साधारण वाक्य का विश्लेषण

साधारण वाक्य—“वरिष्ठ अध्यापक कमरे में भाषाविज्ञान पर विद्वत्तापूर्वक भाषण दे रहा है।”

उद्देश्य = अध्यापक—कर्ता

वरिष्ठ—कर्ता का विस्तार।

भाषण—कर्म।

भाषाविज्ञान पर—कर्म का विस्तार।

विधेय = कमरे में—अधिकरण।

बड़े—अधिकरण का विस्तार।

दे रहा है।—क्रिया।

विद्वत्तापूर्वक—क्रिया का विस्तार।

संयुक्त वाक्य का विश्लेषण—

जहाँ दो या दो से अधिक प्रमुख उपवाक्य होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में विद्यमान, प्रत्येक प्रमुख उपवाक्य का विश्लेषण उसी प्रकार होता है, जिस प्रकार साधारण वाक्य का होता है।

मिश्रित वाक्य का विश्लेषण

मिश्रित वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं तथा उनमें से एक वाक्य प्रमुख होता है, शेष वाक्य उस प्रमुख वाक्य के आश्रित होते हैं। ये आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं—

(1) संज्ञा उपवाक्य।

(2) विशेषण उपवाक्य।

(3) क्रियाविशेषण उपवाक्य।

7. वाक्य-परिवर्तन की दिशाएँ

भाषाओं में निरन्तर विकास होता रहता है। इस विकास का प्रभाव भाषाओं की वाक्य-रचना पर भी पड़ता है। अतः, सभी भाषाओं में वाक्य-परिवर्तन भी देखा जाता है। वाक्य-परिवर्तन की कुछ दिशाएँ निम्नलिखित हैं—

(1) **पदक्रम परिवर्तन**—प्रत्येक भाषा के वाक्यों में पदों का एक विशेष क्रम होता है, जिसका पालन अनिवार्यरूप से किया जाता है, किन्तु नवीनता लाने के लिए, कुछ लेखक तथा वक्ता जानबूझकर पदों का क्रम बदल देते हैं। आजकल की हिन्दी में ऐसे अनेक उदाहरण दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे—

(क) “यह स्थान मनुष्यमात्र के लिए है।”

के स्थान पर—“यह स्थान मात्र मनुष्यों के लिए है।”

(ख) “उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था।”

के स्थान पर—“बहुत प्रभावशाली था उनका व्यक्तित्व।”

(2) **अन्वय में परिवर्तन**—संस्कृत में विशेषण-विशेष्य में अन्विति का होना अनिवार्य था। प्रारम्भ में, हिन्दी में भी—सुन्दर युवक, सुन्दरी युवती—जैसे ही प्रयोग होते थे, किन्तु अब ‘सुन्दर युवक’, ‘सुन्दर युवती’ तथा ‘सुन्दर पुस्तक’ में, अन्वय में कोई अन्तर नहीं किया जाता है। ‘आदरणीय पिताजी’ और ‘आदरणीय माता जी’ भी खूब प्रयुक्त होता है।

(3) **उपवाक्यों में परिवर्तन**—कुछ समय पहले, हिन्दी में पृथक्-पृथक् उपवाक्य अपनी-अपनी क्रिया के साथ प्रयुक्त होते थे, किन्तु आजकल एक उपवाक्य के मध्य दूसरा उपवाक्य आ जाता है; जैसे—

“आजकल जो समाचारपत्र आ रहे हैं, बहुत कम पृष्ठों के होते हैं।”

(4) **निकटस्थ अवयवों में परिवर्तन**—अज्ञानता तथा अशिक्षा के कारण निकटस्थ अवयवों के स्थान में भी परिवर्तन प्रायः देखा जाता है; जैसे—“मैंने उन्हें एक फूलमाला भेंट की।” यह वाक्य प्रायः इस रूप में देखा जाता है।—

“मैंने उन्हें एक फूलों की माला भेंट की।”

यहाँ वक्ता यह नहीं समझ सका कि ऊपर वाक्य में ‘एक’ विशेषण है तथा ‘फूलमाला’ विशेष्य है, अतः वह तो शुद्ध है, किन्तु जब ‘फूलों की माला’ का प्रयोग असमस्त रूप में किया जा रहा है, तो ‘एक’ विशेषण को भी ‘माला’ के साथ ही रखना आवश्यक है। अन्यथा “एक फूलों” में अर्थ की दृष्टि से कोई निकटता नहीं है।

(5) **डैस (—) का प्रयोग**—पहले वाक्य में प्रयुक्त किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए पृथक् वाक्य का प्रयोग किया जाता था; जैसे—“राम बहुत ही सज्जन है। यहाँ सज्जन से तात्पर्य है कि राम बहुत ही ईमानदार तथा न्यायप्रिय है।”

आजकल इन दोनों वाक्यों को मिलाकर डैस की सहायता से इस प्रकार लिखा जाता है—“राम बहुत ही सज्जन—ईमानदार और न्यायप्रिय है।”

इस प्रकार स्पष्टता तथा संक्षेप के लिए ‘डैस’ का प्रयोग किया जाता है।

(6) **कोष्ठक-प्रयोग**—डैस की भाँति ही आजकल एक विचार के बीच में आयी दूसरी, किन्तु अतिरिक्त बात को कोष्ठकों में दिया जाता है। इस प्रकार वाक्य में रखकर भी उसे वाक्य से पृथक् करके, एक सूचनामात्र दे दी जाती है; जैसे—राम (हमारा पड़ोसी) आजकल विश्वयात्रा पर गया हुआ है।”

पहले इस प्रकार की सूचना के लिए पृथक्-पृथक् वाक्यों या उपवाक्यों का प्रयोग होता था; जैसे “राम जो हमारा पड़ोसी है, विश्वयात्रा पर गया हुआ है।” या राम हमारा पड़ोसी है और वह विश्वयात्रा पर गया हुआ है।”

(7) **पद या प्रत्यय लोप**—संक्षेप के लिये प्रायः ऐसा किया जाता है: जैसे—आँखों से देखी बात पर विश्वास करना चाहिए, कानों से सुनी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए।”

यह वाक्य प्रायः इस रूप में मिलता है—“आँखों देखी बात पर विश्वास करना चाहिए, कानों सुनी नहीं।”

उपर्युक्त वाक्य की तुलना करने पर पहले वाक्य में काले अक्षरों में मुद्रित प्रत्ययों तथा पदों का, दूसरे वाक्य में लोप हो गया है।

(8) **अधिक पद-प्रयोग**—बोलचाल में ऐसे वाक्यों का प्रयोग, प्रायः किया जाता है; जैसे—“दरअसल में मैंने पढ़ा ही नहीं। या “वह सज्जन पुरुष आया ही नहीं।” “पुस्तक मेरे को दे दो।”

यहाँ काले अक्षरों में पद अधिक है, जिनका कारण प्रयोक्ता का अज्ञान ही प्रतीत होता है।

(9) **प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कथन**—अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आजकल हिन्दी में भी, प्रायः ऐसे वाक्य मिल जाते हैं: जैसे—“राम ने कहा है कि मैं कल आऊँगा।” के स्थान पर हिन्दी में आजकल कहा जाता है—“राम ने कहा है कि वह कल आयेगा।”

(10) **आदर प्रकट करने के लिये**—प्रायः आदर प्रकट करने के लिए एकवचन के स्थान पर बहुवचन तथा स्त्रीलिंग के स्थान पर पुल्लिङ्ग का प्रयोग वाक्यों में आजकल हो रहा है; जैसे—जब राम वन को गया।” के स्थान पर

“जब राम वन को गये।”

“आप (स्त्रीवाचक) कब आर्यी?” के स्थान पर

“आप (पुरुषवाचक) कब आये?”

इसी प्रकार “वह गया” के स्थान पर ‘वे गये’ तथा “मैं आया” के स्थान पर “हम आये” का प्रयोग भी बहुत हो रहा है।

(11) **कारकों के स्थान पर हाइफन तथा कॉमा**—संक्षेप के लिए, प्रायः ऐसे वाक्यों का प्रयोग होता है: जैसे—यह “मेरठ कालिज का संस्कृत का विभाग है।” के स्थान पर “यह मेरठ कॉलिज, संस्कृत-विभाग है।”

इस प्रकार खोजने पर वाक्य-परिवर्तन-सम्बन्धी अनेक अन्य दिशाएँ भी मिल सकती हैं।

NOTES

NOTES

1. नामकरण

शब्द तथा अर्थ का समन्वित रूप भाषा है। बिना अर्थ के शब्द निरर्थक रहता है और बिना शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति असम्भव है। भाषाविज्ञान में जिस प्रकार भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों तथा रूपों आदि पर विचार किया जाता है, उसी प्रकार अर्थ पर भी विचार किया जाता है।

भाषाविज्ञान के एक अङ्ग के रूप में अर्थ-सम्बन्धी विवेचन को आजकल हिन्दी में 'अर्थविचार' तथा अंग्रेजी में सेमण्टिक्स (Semantics) कहा जाता है। अंग्रेजी में इसका यह नाम फ्रांसीसी विद्वान्, 'ब्रील' (Michel Breal) द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त हुआ था। इसके लिये 'रिहमाटोलॉजी (Rhematology), 'सेमसिआलॉजी' (Semasiology) नाम भी कुछ दिन चले, किन्तु बाद में उनका व्यवहार उपयुक्त नहीं समझा गया। इसी प्रकार हिन्दी में भी पहले शब्दार्थ-विज्ञान या अर्थविज्ञान आदि शब्दों का व्यवहार रहा, किन्तु बाद में यह समझा गया कि 'अर्थ-विज्ञान' क्योंकि अपने आप में 'भाषाविज्ञान' की ही भाँति एक स्वतन्त्र विषय होने की क्षमता रखता है, अतः, भाषाविज्ञान के अङ्ग के रूप में तो इसे 'अर्थ-विचार' कहना ही अधिक उपयुक्त है। संक्षेप में, आजकल अंग्रेजी में सेमण्टिक्स (Semantics) तथा हिन्दी में 'अर्थ-विचार' शब्दों का ही व्यवहार इसके लिये, प्रायः किया जाता है।

भारत में अर्थ विचार की परम्परा

यद्यपि अनुमान के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिस प्रकार शब्द के साथ अर्थ का आविर्भाव जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार शब्द-विचार के साथ ही अर्थ-विचार का भी आरम्भ अतिप्राचीनकाल में ही हो गया होगा, तथापि भारतवर्ष में 'यास्क' का 'निरुक्त' इसका प्राचीनतम एवं पुष्ट प्रमाण है। निरुक्त के उपरान्त काव्यशास्त्रों के ग्रन्थों में तीन प्रकार के वाचक, लाक्षणिक तथा व्यञ्जक शब्दों के तीन प्रकार के-वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ, तथा व्यंग्यार्थ का विवेचन विस्तार से उपलब्ध होता है। शब्द और अर्थ के सम्बन्ध की नित्यता-अनित्यता तो भारतीय दर्शनों का भी विषय रही है। पतञ्जलि के 'महाभाष्य' तथा भर्तृहरि के 'वाक्यपदीय' में भी शब्दार्थ-विषयक विचार मिलते हैं।

2. अर्थ का महत्व

भारतवर्ष में प्राचीनकाल से ही वेदों का ज्ञान प्रत्येक ब्राह्मण के लिये अनिवार्य माना जाता था-

“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।”

—महाभाष्य, प्रथमाह्निक

अर्थात् ब्राह्मणों को, बिना कारण छः अङ्ग वाले वेद को पढ़ना तथा जानना चाहिये।

कुछ ब्राह्मणों, बिना अर्थज्ञान के ही, जब वेदों के पाठमात्र से सन्तुष्ट रहने लगे तब 'यास्क' ने उनकी निन्दा इस प्रकार की है—

“यद् गृहीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्दते।

अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हचित्”।।

—निरुक्त, अध्याय 1, पाद 6।

अर्थात् जिस प्रकार ईंधन भी बिना अग्नि नहीं जल पाता, उसी प्रकार केवल वाणी द्वारा उच्चारण करने से ही वेदों का पाठ ज्ञानप्रद नहीं हो सकता है। इतना ही नहीं; ऐसे वेदपाठी ब्राह्मण को 'यास्क' ने ढूँढ के समान कहा है—

“स्थाणुरसं भारहारः किलाभूतदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्।

योऽर्थम् इत् सकलं भद्रमश्नुते नाकमेति ज्ञान-विधूतपाप्मा ॥”

—निरुक्त, अध्याय 1, पाद 6।

अर्थात् बिना अर्थ जाने वेदपाठी केवल बोझा ढोता है। जो अर्थज्ञानपूर्वक वेदों का अध्ययन करता है, वह दोनों लोकों में कल्याण का भागी होता है।

‘ऋग्वेद’ की एक ऋचा में अर्थज्ञान की प्रशंसा इस प्रकार की गयी है—

“उत त्वं सख्ते स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वन्त्यपि वाजिनेषु।

अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अफलामपुष्पाम् ॥” —ऋ० 10/81/5।

इस ऋचा के प्रथम आधे भाग में अर्थज्ञ व्यक्ति की प्रशंसा करते हुये उसे विद्वानों की सभा में अडिग रहने वाला तथा किसी से पराजित न होने वाला कहा गया है। ऋचा के उत्तरार्द्ध में अर्थज्ञान से हीन व्यक्ति को मायावी गाय-सदृश अर्थात् दूध न देने वाली गाय-सदृश वाणी के साथ घूमने वाला तथा पुष्प-फल रहित वाणी को सुनने वाला कहा गया है।

स्पष्ट ही, यहाँ पर शब्द को गाय और वृक्ष तथा अर्थ को दूध और पुष्प-फल बतलाया गया है। इसी की पुष्टि ‘यास्क’ के इस स्पष्टीकरण से भी होती है—

“अर्थ वाचः पुष्पफलमाह।” —निरुक्त, 1/20।

अर्थात् ऋग्वेद की उपर्युक्त ऋचा में अर्थ को वाणी का पुष्प-फल कहा जाता है।

परिणामस्वरूप, ‘यास्क’ ने भी अपने ‘निरुक्त’ में शब्दों का निर्वचन करते हुये, अर्थ को ही महत्व दिया है—

“अर्थनित्यः परीक्षेत।” —निरुक्त, द्वितीय अध्याय, प्रथम पाद।

अर्थात् शब्दों के निर्वचन में सदैव अर्थ को ही विचार का विषय बनाना चाहिये।

इसी प्रकार महान् वैयाकरण ‘पाणिनि’ ने भी ‘अर्थवान्’ को ही प्रातिपदिक (मूलशब्द या प्रकृति) माना है।

“अर्थवदधातुप्रत्ययः प्रातिपदिकम्।” —अष्टाध्यायी, 1/2/45।

आगे चलकर ‘भर्तृहरि’ ने तो अर्थ को इतना अधिक महत्व दिया है कि उनके विवेचन में शब्द केवल साधन ही रह गया है, साध्य है तो केवल अर्थ। उनके अनुसार भाषा में अर्थ ही प्रमुख होता है, उसी को व्यक्त करने के लिये शब्द का आश्रय लिया जाता है। अर्थज्ञान हो जाने के उपरान्त तो श्रोता के लिये भी शब्द का कोई महत्व नहीं रहता है। श्रोता के पास केवल अर्थ ही रहता है, शब्द नहीं। अतः अर्थज्ञान कराने के तत्काल बाद ही शब्द व्यर्थ हो जाता है।

NOTES

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यद्यपि संकेतग्रह या अर्थज्ञान के लिये शब्द का होना अनिवार्य है, किन्तु केवल शब्द के होने से ही अर्थज्ञान हो जाय, यह सर्वदा सम्भव नहीं है। 'भर्तृहरि' के अनुसार शब्द के साथ ही शब्द-बोध का होना भी आवश्यक है। जब तक शब्द, वक्ता द्वारा उच्चारित होकर श्रोता द्वारा, मन-सहित श्रोत्रेन्द्रिय से ग्रहण नहीं कर लिया जाता, तब तक संकेतग्रह अर्थात् किसी शब्द से उसके अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता है।

3. अर्थ क्या है तथा शब्द से अर्थ का ज्ञान कैसे होता है ?

'भर्तृहरि' के अनुसार शब्द से होने वाली प्रतीति ही उसका अर्थ होती है—

“यस्मिंस्तूच्चरिते शब्दे यदा योऽर्थः प्रतीयते।

तमाहुरर्थस्तस्यैव नान्यदर्थस्य लक्षलम् ।।”

—वाक्यपदीय, 2/334।

अर्थात् शब्द के उच्चारण से जब जो अर्थ प्रतीत होता है, तब, वही उस शब्द का अर्थ कहा जाता है। इसके अतिरिक्त अर्थ का कोई अन्य लक्षण नहीं है।

शब्द से अर्थ का ज्ञान कैसे होता है—यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि किसी शब्द से उसके अर्थ का ज्ञान कैसे होता है ? 'गाय' कहने से 'गाय' तथा 'वृक्ष' कहने से वृक्ष की प्रतीति ही हमें क्यों होती है, अन्य किसी वस्तु की क्यों नहीं होती ?

वस्तुतः मनुष्य जिस वातावरण में जन्म लेता तथा पलता है, उसकी प्रतीति उसे आत्मप्रत्यक्ष द्वारा अर्थात् मन से संयुक्त अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सदैव होती रहती है। अपनी आस-पास की सब वस्तुओं का बिम्ब उसके मस्तिष्क में अङ्कित होता रहता है। इसी प्रकार, उन वस्तुओं के लिये प्रयुक्त शब्दों को भी वह सुनता रहता है। ये शब्द भी उसके मस्तिष्क में संस्कार रूप में स्थिर हो जाते हैं। बाद में, वह वस्तुओं को देखकर उनके वाचक शब्दों को तथा शब्दों को सुनकर उनके वाच्य अर्थों (वस्तुओं) को जानने लगता है। इसी को पारिभाषिक शब्दावली में संकेतग्रह कहा जाता है। अपने अनुभव के समान ही जब मनुष्य किसी अन्य विश्वस्त व्यक्ति के अनुभव के आधार पर ऐसा ज्ञान प्राप्त करता है, तो उसे परप्रत्यक्ष द्वारा होने वाला ज्ञान कहा जाता है।

इसी प्रकार जब वक्ता अपनी बुद्धि में स्थित किसी प्रत्यय (ज्ञान) को प्रकट करना चाहता है, तो उसके अनुरूप शब्द उच्चारण करता है। श्रोता की बुद्धि में भी वक्ता के सदृश ही जो प्रत्यय होता है, तदनु रूप शब्द के श्रवण से उसे वह तत्काल प्रतीत हो जाता है। यहाँ प्रत्यय का सम्बन्ध बुद्धि अर्थात् मनोविज्ञान से है तथा उच्चारण-श्रवण का सम्बन्ध वागेन्द्रिय तथा श्रोत्रेन्द्रिय से है। परिणामस्वरूप, मानसिक तथा शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ वक्ता तथा श्रोता ही शब्द के अर्थ का ज्ञान करने तथा कराने में समर्थ हो सकते हैं।

4. शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

अर्थविचार के प्रसङ्ग में शब्द और अर्थ के सम्बन्ध पर विचार करना भी आवश्यक प्रतीत होता है। इस विषय में भी अनेक प्रश्न उठाये जाते हैं; जैसे कि शब्द और अर्थ में कोई सम्बन्ध है भी कि नहीं ? नित्य है या अनित्य ? आदि-आदि।

यहाँ संक्षेप में ही उपर्युक्त प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया जायगा।

भाषातत्व-विचारक श्री 'भर्तृहरि' ने शब्द और अर्थ को एक ही आत्मा के दो धर्म या भेद स्वीकार किया है-

वाक्य विज्ञान

“एकस्यैवात्मनो भेदौ शब्दार्थावपृथक्स्थितौ।” —वाक्यपदीय, 2/31

ऐसा मानने पर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का प्रश्न ही नहीं उठता—

“तस्माच्छब्दार्थयोर्नैव सम्बन्धः परिकल्पते।”

—वाक्यपदीय, 3/3/15

किन्तु, भाषाविज्ञानी को इससे सन्तोष नहीं होता है। एक ही आत्मा के दो धर्म या भेद होते हुये भी भाषाविज्ञानी के लिये उनमें कोई सम्बन्ध होना आवश्यक ही है। “यह आवश्यक न भी होता, यदि ‘अर्थ’ भी ‘शब्द’ के बाह्यरूप की भाँति निश्चित आकार वाला होता। उसकी कुछ अवस्थायें हैं, अभिव्यक्ति के कुछ क्रम हैं, ‘शब्द’ के साथ उनका सम्बन्ध समझे बिना सन्देहास्पद स्थिति बनी रह सकती है। द्वयर्थक या अनेकार्थक शब्दों में यह स्थिति अधिक विचारणीय हो उठती है। एक ही अर्थ, एक स्थान पर क्यों सामने आता है तथा शब्द के स्वरूप से उसका क्या सम्बन्ध है? आदि प्रश्न उठनें स्वाभाविक हैं।”

अतः, भाषाविज्ञान की दृष्टि से शब्द और अर्थ का सम्बन्ध मानना अनिवार्य है।

शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के विषय में ‘भर्तृहरि’ का मत हमारे लिये यहाँ विशेष रूप से उपादेय प्रतीत होता है, क्योंकि उन्होंने शब्द और अर्थ के सम्बन्ध का विचार न केवल दार्शनिक दृष्टि से, अपितु व्यावहारिक (भाषा-व्यवहार की) दृष्टि से भी किया है। अपने वाक्यपदीय ग्रन्थ में शब्द और अर्थ के अनेक सम्बन्धों पर विचार-विवेचन के उपरान्त ‘भर्तृहरि’ इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि शब्द और अर्थ में यदि कोई सम्बन्ध मानना अनिवार्य ही है तो वह सम्बन्ध वाच्य-वाचक सम्बन्ध ही हो सकता है। क्योंकि “इस शब्द का यह अर्थ है” अथवा “यह अर्थ इस शब्द का है” आदि व्यवहार से किसी-न-किसी सम्बन्ध का ज्ञान होता ही है।

शब्द, अर्थ तथा शब्दशक्तियाँ

संस्कृत-काव्यशास्त्रियों ने तीन प्रकार के शब्द-वाचक, लक्षण, व्यञ्जक, तीन प्रकार के अर्थ-वाच्य, लक्ष्य, व्यंग्य तथा तीन प्रकार की शब्दशक्तियाँ-अभिधा, लक्षणा तथा व्यञ्जना को मान्यता दी है। ऊपर शब्द और अर्थ के सम्बन्ध के प्रकरण में यह बात उल्लिखित हो चुकी है कि ‘भर्तृहरि’ शब्द और अर्थ में केवल वाच्य-वाचक सम्बन्ध को ही स्वीकार करते हैं, वह भी यदि मानना आवश्यक ही हो, तभी। शब्द-शक्तियों के विषय में भी हमें ‘भर्तृहरि’ की मान्यता ही युक्तियुक्त प्रतीत होती है। वे शब्द की केवल एक ही शक्ति ‘अभिधा’ को मानते हैं। इसी आधार पर शब्द और अर्थ का वाच्य-वाचक सम्बन्ध बनता है। उनके अनुसार, वक्ता जिस समय जो कहना चाहता है तथा श्रोता उस समय, उससे जो समझता है, वह वाच्य ही होता है। भाषा का उद्देश्य भी यही है। वाच्यार्थ से भिन्न लक्ष्यार्थ या व्यङ्ग्यार्थ का वस्तुतः कोई अस्तित्व ही नहीं है। क्योंकि, यदि तथाकथित लक्ष्यार्थ या व्यङ्ग्यार्थ ही वक्ता का अभिधेय है, तो वह भी उस समय वाच्यार्थ ही हो जाता है।

अनेकार्थक तथा समानार्थक शब्दों की समस्या

‘भर्तृहरि’ द्वारा मान्य वाच्यार्थ को ही सब कुछ स्वीकार कर लेने पर एक समस्या यह सामने आती है कि अनेकार्थक शब्दों में कौन-सा अर्थ वाच्य होगा? ‘भर्तृहरि’ इसका भी समाधान करते हैं—

NOTES

NOTES

अर्थात् अनेकार्थक तथा समानार्थक शब्दों में कौन-सा अर्थ वाच्य है, इसके निर्णय का आधार वक्ता की प्रयोग-भावना ही है। जिस अर्थ को प्रकट करने के लिये वक्ता शब्द का प्रयोग करेगा, वही अर्थ वाच्य होगा तथा शेष सभी अवाच्य होंगे।

इस वाच्य अर्थ को सामने लाने के लिये ‘भर्तृहरि’ ने दो नियमों की कल्पना की है (1) उपचार और (2) प्रतिचार।

“उपचार” वह धर्म है, जिसके कारण अन्य अर्थों की अपेक्षा अभिधेय या वाच्यार्थ ही प्रमुखता ग्रहण करके सामने आ जाता है। भर्तृहरि इसे पदार्थ की ‘सत्ता’ मानते हैं। हम इसे ‘औपचारिकी सत्ता’ कहते हैं।”

‘भर्तृहरि’ के अनुसार शब्द स्वच्छ स्फटिक के समान होता है उसका सम्बन्ध किसी भी अर्थ से नहीं होता। वक्ता जिस भावना का प्रतिनिधि बनाकर शब्द का विनियोग करता है, शब्द में वही अर्थ मुख्य होकर सामने आ जाता है।²

इसके विपरीत “प्रतिचार” नियम में रहने वाली “प्रातिचारिकी सत्ता” द्वारा शब्द का अवाञ्छित अर्थ दूर हट जाता है। क्योंकि, वक्ता उस अर्थ में शब्द का विनियोग ही नहीं करता है।

इस प्रकार अनेकार्थक या समानार्थक शब्दों से, वक्ता के विनियोग की भावना पर वाच्य अर्थ ही सामने आता है, अन्य कोई भी अर्थ नहीं।

5. अर्थविनिश्चय में सहायक तत्त्व

‘भर्तृहरि’ ने औपचारिकी सत्ता के साथ ही, उसके सहायक कुछ तत्त्वों को भी स्वीकार किया है। उन तत्त्वों की सहायता से वाच्य-प्रतीति सहज ही हो जाती है। ये सहायक तत्त्व हैं-

1. संयोग, 2. विप्रयोग, 3. साहचर्य, 4. विरोधिता (विरोध-भावना), 5. अर्थ, 6. प्रकरण, 7. लिङ्ग, 8. अन्य शब्द की सन्निधि, 9. सामर्थ्य, 10. औचित्य, 11. देश, 12. काल, 13. व्यक्ति तथा 14. स्वर आदि।

6. अर्थपरिवर्तन या अर्थविकास

भाषा के अध्ययन से यह विदित होता है कि भाषा में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों में भी उसी प्रकार परिवर्तन होता रहता है, जिस प्रकार कि भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों या पदों में होता है। अनेक शब्दों के अर्थों को देखने से यह बात पूर्णतया सिद्ध हो जाती है; उदाहरणार्थ, ‘कुशल’ शब्द का मूल अर्थ था-‘कुशा लाने वाला’, किन्तु, बाद में इसका अर्थ हो गया ‘चतुर’। इसी प्रकार ‘प्रवीण’ शब्द का मूल अर्थ था ‘वीणा बजाने में पटु; किन्तु, बाद में इसका अर्थ सामान्य रूप से किसी भी विषय में ‘पटु’ होना मान लिया गया। ‘तैल’ शब्द का अर्थ पहले ‘तिलों से निकलने वाला’ ‘द्रव’ था, बाद में सरसों, नारियल, अलसी आदि से प्राप्त द्रव को तो ‘तैल’ कहा ही जाने लगा, साथ ही, ‘नीम का तेल’, ‘मिट्टी का तेल’ भी भाषा में खूब प्रयुक्त होता है।

संस्कृत में ‘मृग’ का अर्थ था ‘जंगली पशु’, इसीलिये ‘हाथी को हस्तिन् मृग’ अर्थात् ‘सूँड़ वाला पशु’ कहा जाता था। जंगली पशुओं के आखेट को भी ‘मृगया’ इसीलिये कहते थे। बाद में, ‘मृग’ का अर्थ हो गया ‘हरिण’। ‘मन्दिर’ शब्द पहले सामान्य रूप से प्रत्येक घर के लिये प्रयुक्त हो जाता था, किन्तु

आजकल इसका प्रयोग केवल 'देवालय' के लिये ही किया जाता है। 'दुहिता' शब्द का अर्थ था 'दुहने वाली' (सम्भवतः पुत्रियाँ ही दूध दुहने का कार्य किया करती थीं) बाद में, इसका अर्थ हो गया 'पुत्री'।

इस प्रकार, उपर्युक्त शब्दों के अर्थों को देखने से ज्ञात होता है कि उनमें अर्थ परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन अनेक दिशाओं में हुआ है, अर्थात्-कुशल, प्रवीण तथा तैल शब्दों के अर्थों में विस्तार हो गया है, मृग तथा मन्दिर शब्दों का अर्थ पहले की अपेक्षा संकुचित हो गया है तथा 'दुहिता' शब्द का अर्थ बिल्कुल ही बदल गया है। शब्दों के अर्थों में चाहे विस्तार हो, या संकोच अथवा किसी अर्थ का स्थान कोई सर्वथा भिन्न अर्थ ले ले, भाषाविज्ञान की दृष्टि में यह सब अर्थों का विकास ही है।

7. अर्थविकास के कारण

अर्थविकास के अनेक उदाहरणों को देखने से विदित होता है कि भाषा में प्रयुक्त अनेक शब्दों का अर्थ एक-सा नहीं रहता है, इसमें समय-समय पर परिवर्तन होता रहता है। अतः यह जिज्ञासा स्वाभाविक ही है कि शब्दों के अर्थों में विकास का क्या कारण है ?

वस्तुतः भाषा का सम्बन्ध मानवसमाज से है। मानवसमाज अपने मन में उद्भूत विचारों को, भाषा द्वारा अभिव्यक्त करता है। अतः, भाषा का मूल-मानवमन है। यह मानव-मन, मानव-शरीर में रहता है और शरीर के चारों ओर के वातावरण से प्रभावित होता है। इस वातावरण में परिवर्तन का ही परिणाम है कि मानव की भावनायें तथा विचार भी बदलते रहते हैं। अपने आस-पास के पदार्थों को मनुष्य अपने विचारों के अनुसार ही देखता है, उसी रूप में वह उन्हें अभिव्यक्त भी करता है।

संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि अर्थ, चूँकि शब्द की आत्मा है, भाषा का आन्तरिक पक्ष है, अतः उसके परिवर्तन या विकास का सम्बन्ध भी मानव की आत्मा, मानव के आन्तरिक पक्ष से है। अतः, **अर्थविकास के कारण पूर्णतया मनोवैज्ञानिक हैं।** मन कोई भौतिक पदार्थ नहीं है, अतः भौतिक-विज्ञान की भाँति मनोविज्ञान में इतना ही है, ऐसा ही है; आदि निर्णय लेना सम्भव नहीं है। जब मनोविज्ञान की यह स्थिति है, तब उसके आधार पर होने वाले अर्थ-विकास के कारणों की कोई निश्चित संख्या नहीं मानी जा सकती है। इस अध्ययन में नये-नये कारणों का ज्ञान सदैव होता रहता है। अब तक विद्वानों ने जिन कारणों की चर्चा की है, उनमें भी परस्पर समानता नहीं है-सम्भवतः इसका कारण भी मनोविज्ञानिक ही है।

भारत में, संस्कृत के काव्य-शास्त्र-ग्रन्थों में, अर्थ-विकास का मूलकारण लक्षणा-व्यञ्जना शब्द-शक्तियों को माना गया है। 'कुन्ताः प्रविशन्ति' में 'कुन्ताः' का अर्थ 'भाले वाले पुरुष', 'कर्मणि कुशलः' में 'कुशल' का अर्थ चतुर या 'पटु', गङ्गायां घोषः' में 'गंगायाम्' का अर्थ 'गङ्गा के तट पर' कैसे हो जाता है, यह हमारे काव्यशास्त्राचार्यों-मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि ने लक्षणा-व्यञ्जना के प्रकरण में समझाया है। अर्थविचार के क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वानों का कार्य अभी शैशवावस्था में ही है। यूरोप में इसका आरम्भ 19वीं शताब्दी के अन्तिम भाग में ही हुआ है। यूरोपीय विद्वानों में 'पिशेल', 'ब्रील', 'टकर', 'आग्डेन', 'रिचर्ड्स' तथा 'वालपोल' का नाम अधिक प्रसिद्ध है। फ्रांसीसी विद्वान् ब्रील यूरोप में इस विषय के प्रारम्भकर्ता माने जाते हैं। अमरीकी विद्वान् 'टकर' ने अर्थ-विचार को पृथक् विज्ञान के रूप में मानने का आग्रह किया है। 'आग्डेन' तथा 'रिचर्ड्स' आधुनिकतम विद्वानों में गिने जाते हैं।

'डॉ० तारापुरवाला' ने अपनी पुस्तक 'एलिमेण्ट्स ऑफ दि साइन्स ऑफ लैंग्वेज' में अर्थविकास के 12 कारणों का उल्लेख किया है। कुछ अन्य ग्रन्थों में इन कारणों की संख्या कुछ अधिक भी मिलती है। अर्थविकास या अर्थपरिवर्तन के जिन कारणों का उल्लेख विद्वानों ने प्रायः किया है, वे निम्नलिखित हैं-

(1) **भौगोलिक परिवेश में परिवर्तन**—पञ्चभूतों से बना मानव का शरीर अपने चारों ओर के भौगोलिक परिवेश या वातावरण से प्रभावित होता है। उसके भौगोलिक वातावरण में परिवर्तन होने पर, उसके व्यवहार में आने वाली वस्तुओं में भी परिवर्तन हो जाता है। अपने मस्तिष्क पर अधिक भार डालने से बचने के लिये वह अनजाने ही, पुरानी परिचित वस्तुओं के नामों का सम्बन्ध नयी वस्तुओं से जोड़ लेता है। इस प्रकार उसके शब्द तो पुराने होते हैं, किन्तु उनका अर्थ नया (परिवर्तित) हो जाता है। उदाहरण के लिये 'ऋग्वेद' में 'उष्ट्र' शब्द 'भैंसा' तथा 'ऊँट' दोनों अर्थों में मिलता है। विद्वानों ने स्पष्ट किया है कि जब आर्य शीतप्रधान भौगोलिक वातावरण में रहते थे, तब वे उष्ट्र (मूलार्थ-भूरे रंग का पदार्थ) भैंसे को कहते थे; किन्तु जब वे भौगोलिक दृष्टि से उष्ण प्रदेश में पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ पर एक नये पशु ऊँट को देखा, जो रंग-रूप (बड़ा आकार) में भैंसे से मिलता था। परिणामस्वरूप, आर्यों ने अपने परिचित 'उष्ट्र' शब्द का प्रयोग उसी के लिये करना प्रारम्भ कर दिया। अंग्रेजी 'कार्न' (corn) शब्द का सामान्य अर्थ है-अन्न (धान्य), किन्तु भौगोलिक परिवेश के बदले हुये होने के कारण, एक अंग्रेज इसका प्रयोग 'गेहूँ' के अर्थ में तथा एक स्काँच (स्काटलैण्ड का वासी) इसका प्रयोग 'बाजरे' के लिये करता है, क्योंकि उनके देशों का भौगोलिक-परिवेश भिन्न-भिन्न होने के कारण, उनके देश में वही-वही प्रधान अन्न है। कहते हैं कि एक बार जब इंग्लैण्ड से 'कार्न' (गेहूँ) का आर्डर मिला, तो अमरीका ने उसे 'कार्न' (मक्का) भेज दिया। इस प्रकार भाषाविज्ञान का सूक्ष्म ज्ञान न होने से उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ा। शीत-प्रधान देशों में ड्रिंक (पीना) का सामान्य अर्थ है 'मदिरा पीना', जबकि उष्णताप्रधान देशों में 'ड्रिंक' का प्रयोग प्रायः पानी आदि पीने के लिये होता है।

(2) **सामाजिक परिवेश में परिवर्तन**—पहले की अपेक्षा आज का सामाजिक वातावरण बदला हुआ है। पहले सम्मिलित परिवार-प्रथा थी। उस सीमित समाज में युवक-युवतियों का सम्पर्क भी सीमित ही होता था। तब बहिन-भाई शब्द में पर्याप्त पवित्रता की भावना थी। बहिन-भाई तथा पत्नी-पति के अतिरिक्त तब किसी समवयस्क युवती-युवक का सम्पर्क होने की कोई सम्भावना ही नहीं होती थी। अतः बहिन-भाई में अभ्रान्त रूप से पवित्र भावना रहती थी। आजकल सामाजिक परिवेश बदला हुआ है। अनेक युवक-युवतियाँ सामाजिक समारोहों, शिक्षालयों, कार्यालयों तथा बाजारों आदि में पारस्परिक सम्पर्क में आते हैं। पुरानी परम्परा के कारण वे भाई-बहिन शब्दों का व्यवहार भी करते हैं, फिर भी आजकल 'बहिन' जी या 'भाई' साहब का अर्थ होता है-कोई सामान्य परिचित युवक-युवती, न. कि सहोदर या सहोदरा। वे परस्पर कौसी भी भावना रख सकते हैं अथवा पवित्रता की भावना उनके लिये आवश्यक नहीं है। सामाजिक परिवेश में परिवर्तन का ही परिणाम है कि भारत के किसी एक भाग में 'भाभी' द्रौपदी का प्रतीक है तो किसी दूसरे भाग में 'सीता' का।

उत्तर भारत में 'मामा' माँ का भाई ही होता है, किन्तु दक्षिण में 'मामा' श्वशुर होता है।

सामाजिक परिवेश के परिवर्तन के कारण एक ही पदार्थ विभिन्न नामों से कहा जाता है-पण्डित जिसे 'पुस्तक' कहता है, मौलवी उसी को 'किताब' कहता है।

(3) **राजनैतिक परिवेश में परिवर्तन**—इसी परिवर्तन का परिणाम है कि आजकल 'क्रान्ति' शब्द का पहले-जैसा अर्थ नहीं रहा है। पहले, बिना रक्तपात के किसी राज्यसत्ता को नहीं बदला जा सकता था। अतः, 'क्रान्ति' का अर्थ था, रक्तपात द्वारा राज्यसत्ता में परिवर्तन। गाँधी जी के प्रभाव से बाद में अहिंसक क्रान्ति का युग आया, अतः 'क्रान्तिदल', 'हरित क्रान्ति', 'श्वेत क्रान्ति' या वैचारिक क्रान्ति शब्द खूब चल रहे हैं, जिसमें क्रान्ति शब्द का अर्थ केवल 'परिवर्तन' ही रह गया है। रक्तपात की प्रबल भावना अब उसमें नहीं रही है।

(4) **सांस्कृतिक परिवेश में परिवर्तन**—वर्णाश्रम-प्रधान प्राचीन भारतीय संस्कृति के परिवर्तन के फलस्वरूप तत्कालीन शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शब्द आज अपने पुरातन अर्थ को नहीं कहते हैं। आज ज्ञान के बिना भी व्यक्ति 'ब्राह्मण', क्षति से रक्षा न करने वाला भी 'क्षत्रिय' आदि कहलाता है। इसी भाँति चार आश्रमों की व्यवस्था के अनुकूल आचरण करने वाले व्यक्तियों को 'ब्रह्मचारी' आदि कहा जाता था। आजकल आश्रमव्यवस्था न रहने से 'ब्रह्मचारी' केवल 'विवाह न करने वाला', 'गृहस्थी' विवाह कर लेने वाला, कहा जाने लगा है। वन में न रहने पर भी 'वानप्रस्थी' हो जाना आजकल सम्भव है तथा मोह-माया का त्याग किये बिना भी केवल गेरु-रँगे वस्त्र धारण करने से व्यक्ति 'संन्यासी' कहलाने लगता है।

NOTES

पहले 'आश्रम' रहने का स्थान होता था, बाद में 'विष्णु आश्रम जी' 'कृष्णबोधाश्रम जी' व्यक्तियों के भी नाम होने लगे।

(5) **धार्मिक परिवेश में परिवर्तन**—धार्मिक वातावरण के बदलने से भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ, प्राचीनकाल में यज्ञ करना-कराना, वेदपाठ करना, श्राद्ध करना आदि धार्मिक कार्यों को करने के कारण 'याज्ञिक' अग्निहोत्री, वेदपाठी, द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिपाठी, यजमान आदि संज्ञा-शब्द उन-उन कर्मों को करने वालों के लिये प्रचलित थे। आजकल अग्निहोत्री, द्विवेदी आदि संज्ञायें कुलनाम बनकर रह गयी हैं। 'अग्निहोत्री' का अर्थ आजकल 'अग्निहोत्र करने वाला' नहीं, अपितु 'अग्निहोत्री के वंश में उत्पन्न होने वाला' हो गया है। आजकल 'यजमान' का अर्थ है-दक्षिणा देने वाला, 'संकल्प' का अर्थ है 'चुल्लू में पानी लेना'। 'दक्षिणा' आजकल किसी भी दिशा में स्थित होकर, किसी भी रूप में (मुद्रा, वस्त्र आदि) दी जा सकती है, जबकि पहले प्रदक्षिणा करके दक्षिण दिशा की ओर बैठकर ही याज्ञिक को यजमान द्वारा दिया हुआ दान (गाय) ही 'दक्षिणा' कहा जाता था।

आजकल प्रदर्शन की भावना का धार्मिक क्षेत्र में बड़ा जोर है। अतः, पहले जहाँ केवल एक व्यक्ति द्वारा ही ईश्वर का नाम लेना 'कीर्तन' कहलाता था, वहाँ आज मंडली बनाकर, सामूहिक रूप से ईश्वर का नाम लेना ही 'कीर्तन' हो गया है।

बिना श्रद्धा के भी 'ब्राह्मण को भोजन कराने' मात्र से आजकल 'श्राद्ध' हो जाता है।

(6) **भौतिक साधनों में परिवर्तन**—आज जीवन में नयी साधन-सामग्री को अपना लेने पर भी हम प्राचीन शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं। परिणामस्वरूप, शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ-पहले 'पत्र' शब्द से तात्पर्य था-'वृक्ष के पत्ते पर लिखा हुआ समाचार' और आजकल तो कागज पर लिखे हुये समाचार को ही पत्र कहते हैं।

'पेन' का अर्थ था (पक्षी) के 'पंख' से बना हुआ लिखने का साधन। बाद में, लोहे आदि का भी लिखने का साधन 'पेन' कहलाने लगा है। इसी प्रकार 'तूलिका' का अर्थ था रुई लिपटी सीक, जिससे आलेखन आदि होता है। आजकल, रुई से न बनने पर भी आलेखन के साधन को 'तूलिका' ही कहा जाता है।

(7) **लाक्षणिक प्रयोग**—अनुभूति की ठीक-ठीक अभिव्यक्ति के लिये लाक्षणिक प्रयोग किये जाते हैं। जैसे किसी की वीरता से प्रभावित होकर उसे 'सिंह' कह देते हैं। इसी प्रकार भीरू को 'गीदड़', मूर्ख को 'गधा', भोले स्वभाव के व्यक्ति को 'गाय' तथा अपकारी को 'साँप' 'बिच्छू' भी हम अकस्मात् ही कह उठते हैं। यहाँ साँप, बिच्छू आदि का अर्थ बदलकर अपकारी, मूर्ख, वीर आदि हो जाता है।

(8) **औपचारिक प्रयोग**—औपचारिक प्रयोग के कारण भाषा अत्यन्त सजीव हो उठती है। नारियल, गन्ने या आलू की आँख, सुराही की गर्दन, घड़े का पेट, चने की नाक, आरे के दाँत या किसी छन्द का पाद (चरण) आदि में, वस्तुतः आँख-नाक आदि का अर्थ वही नहीं है, जो मनुष्य के आँख-नाक आदि का होता है। यहाँ 'आँख' का तात्पर्य केवल आँख जैसा चिह्न तथा नाक या गर्दन आदि का अर्थ नाक या गर्दन से मिलता-जुलता अंग या आकार ही है।

(9) **आलंकारिक प्रयोग**—आलंकारिक प्रयोगों में भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। कालिदास के "बाले! तव मुखाम्भोजे कथमिन्दीवरद्वयम्" या जयशंकर प्रसाद के "मुख-कमल समीप सजे थे, दो किसलय-दल पुरइन के" आदि वाक्यों में कालिदास ने नेत्रों को 'इन्दीवरद्वयम्' दो इन्दीवर (नीलकमल) तथा 'प्रसाद' जी ने कानों को 'दो किसलय-दल पुरइन के' कहा है। स्पष्ट ही, यहाँ उपर्युक्त सभी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो गया है। इसी प्रकार रूपक, वक्रोक्ति आदि अलंकारों से भी अर्थों में परिवर्तन हो जाता है।

(10) **कहावतों तथा मुहावरों में प्रयुक्त शब्द**—भाषा में प्रयुक्त कहावतों तथा मुहावरों में भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के लिये 'चार दिन की चाँदनी, फिर अन्धेरी रात' में चार का अर्थ है 'थोड़ा समय', चाँदनी का अर्थ है 'सुख', 'अंधेरी रात' का अर्थ है 'दुख'। 'जो तोको काँटा बुवै, ताहि बोई तू फूल' में 'काँटा' का अर्थ है 'दुख' 'फूल' का अर्थ है 'सुख'। इसी प्रकार कहावतों में शब्द किसी एक अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं, जो कि उनका मूल अर्थ नहीं होता है।

मुहावरों में भी 'आँख खोलना', 'आँख लगना' आदि का अर्थ क्रमशः होता है, जन्म लेना, मर जाना, नींद आना आदि। यहाँ भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो गया है।

(11) **लक्षणा-व्यञ्जना शब्द शक्तियाँ**—शब्दों में रहने वाली लक्षणा-व्यञ्जना शब्द-शक्तियों के कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। (वस्तुतः उपर्युक्त लाक्षणिक प्रयोग, औपचारिक प्रयोग, आलंकारिक प्रयोग, कहावतों तथा मुहावरों में शब्दों का प्रयोग आदि, जितने भी अर्थ-परिवर्तन के कारण हैं, वे सब लक्षणा-शक्ति की ही देन हैं।) 'कर्मणि कुशलः' अर्थात् 'काम में कुशल' में 'कुशल' में शब्द का, चतुर या पटु अर्थ लक्षणा के कारण ही होता है। इसी प्रकार 'लाल पगड़ी' आ रही है, में 'लाल पगड़ी' का 'सिपाही' अर्थ, लाठियाँ चल रही हैं, में लाठियाँ चलने का 'लड़ाई' अर्थ आदि लक्षणा द्वारा ही होता है। मुहावरे-कहावतें सब लक्षणा का ही चमत्कार हैं। इसी प्रकार अलंकारों में शब्दों के अर्थों में जो परिवर्तन होता है, वह भी लक्षणा द्वारा होता है।

इसी प्रकार 'अस्तङ्गतोऽर्कः' या 'सूर्यास्त हो गया' या 'संध्या हो गयी' आदि वाक्यों के, जो भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न अर्थ लेते हैं; जैसे धार्मिक व्यक्ति- 'उपासना का समय हो गया' ग्वाला- 'गायों को लौटाने का समय हो गया'; विद्यार्थी- 'पढ़ने का समय समाप्त हो गया'; चोर- 'चोरी करने की तैयारी करने का समय हो गया' आदि-आदि, वह व्यञ्जना शक्ति के द्वारा ही ज्ञात होता है। विभिन्न व्यक्तियों की विभिन्न रुचि के अनुसार अर्थ देने के कारण ही व्यंग्य या ध्वनि काव्य को उत्तम काव्य माना जाता है।

(12) **कवियों की निरंकुशता**—कभी-कभी कवि स्वच्छन्दतापूर्वक शब्दों को मनमाने अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। ऐसे स्थलों पर शब्दों का प्रयोग अशुद्ध न मानकर कवियों के अनुसार ही उनका अर्थ करना पड़ता है। यह सुविधा केवल सिद्ध कवियों को ही है। 'जायसी' की निम्न पंक्ति में 'निरास' शब्द द्रष्टव्य है- 'बहुत धूम घूँटत मैं देखे उतरु न देई निरास'। (पद्मावत, 114/1)

यहाँ 'निरास' शब्द का अर्थ 'निराश या आशारहित' न होकर 'निरपेक्ष' है।

इसी प्रकार 'सुमित्रानन्दन पन्त' ने अपनी 'बापू के प्रति' कविता में गाँधी जी को 'अछूत' कहा है, जिसका अर्थ है 'छूआछूत से परे'।

NOTES

(13) तत्सम तथा तद्भव रूपों का साथ-साथ प्रयोग—भाषा में तत्सम और उनसे विकसित तद्भव शब्दों का प्रयोग साथ-साथ चलता रहता है। किन्तु 'भाषा का व्यवहार करने वाले, अनजाने ही उनके अर्थों में अन्तर कर लेते हैं। जैसे 'गर्भिणी' तथा 'गाभिन' दोनों शब्द समानार्थक हैं, किन्तु 'गर्भिणी' शब्द जहाँ मानवी स्त्री की गर्भावस्था को बतलाता है, वहाँ 'गाभिन' शब्द पशुओं की गर्भावस्था का द्योतक है।

इसी प्रकार 'भद्र' तथा 'भद्रा', 'श्रेष्ठ' तथा 'सेठ', 'खाद' आदि शब्दों के अर्थों में भी अन्तर हो गया है। तत्सम 'पत्र' शब्द आज भी 'चिट्ठी-पत्री' के अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि उससे विकसित 'पत्ता, पत्ती, पत्तल, पतला, पातर तथा पत्तर आदि तद्भव शब्दों का अर्थ बदल गया है। 'शान्त' और 'सन्त' शब्दों का अर्थ भी यहाँ विचारणीय है।

(14) शब्द का प्रयोग बाहुल्य—पुनः पुनः 'बहुलता से किया गया प्रयोग भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है। आज 'धन्यवाद' का अर्थ 'धनवान् कहना' या 'धन्य-धन्य कहना' नहीं है, अपितु आजकल मात्र कृतज्ञताज्ञापन के लिये ही इसका प्रयोग होता है। इसी प्रकार "श्रीमान्" आदि शब्दों का प्रयोग भी आजकल केवल औपचारिकतावश ही किया जाता है, किसी को 'धनवान्' आदि कहने के लिये नहीं।

(15) प्रकरण-भेद—प्रकरण-भेद के कारण भी शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। 'सैन्धव' शब्द, इस विषय का बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण है। भोजन के प्रसंग में इसका अर्थ 'नमक' हो जाता है तथा 'यात्रा' के प्रसंग में 'घोड़ा'; क्योंकि दोनों ही 'सिन्धु' प्रदेश में उत्पन्न होने से 'सैन्धव' कहलाते हैं।

इसी प्रकार शास्त्र-भेद से भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। 'गुण' शब्द का अर्थ दर्शनशास्त्र में 'सत्त्व, रज, तमः काव्य-शास्त्र में 'माधुर्य, ओज और प्रसाद' तथा आयुर्वेद में द्रव्य-गुण लिया जाता है। इसी प्रकार 'रस' शब्द का अर्थ भी शास्त्रानुसार बदल जाता है।

(16) साहचर्य-सम्बन्ध—साहचर्य-सम्बन्ध के कारण भी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है। 'सूरत' महाराष्ट्र में एक स्थान का नाम है। विदेश से तम्बाकू सर्वप्रथम वहीं आया था, अतः 'सूरत' के साहचर्य के कारण 'तम्बाकू' को भी 'सूरती' कहा जाने लगा। 'सिन्धु' नदी के साहचर्य से, पहले प्रदेश का नाम 'सिन्धु' पड़ा फिर वहाँ के निवासी सिन्धु (हिन्दु) कहलाये। उसी प्रदेश में अच्छा नमक तथा अच्छा घोड़ा होने के कारण 'नमक' और 'घोड़ा' भी सैन्धव ही कहे जाने लगे, यद्यपि अन्य स्थानों पर भी ये होते हैं। इसी प्रकार वृक्ष के 'पत्ते' के साहचर्य से 'चिट्ठी' को आज भी 'पत्र' ही कहते हैं। गन्ने का सत्त्व भी चीन देश के साहचर्य से ही 'चीनी' कहलाया, संस्कृत में 'रेशमी वस्त्र को 'चीनांशुक' भी इसी कारण कहा जाता है।

(17) दीनता, विनम्रता एवं शिष्टता—अपने से बड़े, श्रेष्ठ या समर्थ व्यक्तियों के प्रति दीनता, विनम्रता एवं शिष्टता-प्रदर्शन के कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। दीनतावश भिखारी किसी भी व्यक्ति को 'राजा' कह देता है, जबकि आज के युग में 'राजाओं' का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा है। इसी प्रकार 'महानुभाव', 'महाशय' आदि शब्दों का प्रयोग भी हम शिष्टतावश ही करते हैं। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण हों। इसी प्रकार अपने 'घर' को 'कुटिया' या 'गरीबखाना', दूसरे के घर को 'भवन' 'महल' या 'दौलतखाना' भी नम्रतावश ही कहा जाता है। वास्तविकता के अभाव में यहाँ इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है।

(18) **सुश्राव्यता**—इसी को अंग्रेजी में 'यूफेमिज्म' कहा जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे 'अशोभन के लिये शोभन शब्दों का प्रयोग' कहा है। वस्तुतः अशुभ के लिये शुभ, अश्लील के लिये श्लील, कटु के लिये मधुर शब्दों का प्रयोग इसी के अन्तर्गत आता है। भयङ्करता तथा हीनता की भावना को कम करना तथा अन्धविश्वास भी इसी में सम्मिलित हैं।

महाकवि 'कालिदास' ने अपने ग्रन्थों में 'चूतवृक्ष' शब्द का प्रयोग स्थान-स्थान पर किया है, उस समय तक इस शब्द के साथ अश्लीलता का कोई सम्बन्ध नहीं था, किन्तु बाद में इसे अश्लील माना जाने लगा और इसके स्थान पर संस्कृत में तथा हिन्दी में 'आम्रवृक्ष' आदि शब्दों का प्रयोग होने लगा है। इसी प्रकार यौन-भावना तथा यौन-अङ्गों के लिये भी साहित्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जाता है।

'शौच जाना', 'हाथ धोना', 'लघुशंका' आदि शब्दों का प्रयोग घृणा से बचने के लिये ही किया जाता है। अमंगल का कथन भी बुरा समझा जाता है, अतः मृत्यु के लिये 'स्वर्गवास' आदि शब्द प्रचलित हो गये हैं। 'दीपक बढ़ाना', 'दूकान बढ़ाना' भी इसी कारण कहा जाता है; क्योंकि 'दूकान बन्द करना', 'दीपक बुझाना' अमंगलवाची माना जाता है। अन्धविश्वास के कारण 'चेचक' को 'माता' या 'शीतला' कहा जाता है। पति को 'अमुक का पिता' आदि भी इसीलिये कहा जाता है। 'सर्प' को 'कीड़ा' कहने से भी उसकी भयंकरता कुछ कम हो जाती है। आदि-आदि।

(19) **व्यंग्य**—के कारण भी शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। संस्कृत-काव्यशास्त्र में इसे 'विपरीतलक्षणा' कहा गया है। उदाहरणार्थ-मूर्ख को वृहस्पति; अपकारी को उपकारी, कृपण को दानवीर कर्ण, झूठे को सत्यवादी हरिश्चन्द्र आदि कहना। यहाँ 'वृहस्पति' आदि शब्द बिल्कुल ही विपरीत अर्थ को कहते हैं।

(20) **भावुकता**—इस कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। प्रायः माता-पिता बच्चों को लाड़-प्यार में 'गधा', 'सुअर' आदि कह देते हैं। इसी प्रकार क्रोध में भी 'उल्लू' आदि कह दिया जाता है। निश्चय ही, यहाँ वक्ता का अभिप्राय इन शब्दों के वास्तविक अर्थ से नहीं होता है।

(21) **सामान्य के लिये विशेष का प्रयोग**—ऐसा करने पर भी शब्दों का अर्थ बदल जाता है। कभी-कभी भाषा में जातिवाचक शब्दों के स्थान पर व्यक्तिवाचक शब्दों का व्यवहार होने लगता है और इस प्रकार व्यक्ति से ही जाति, समूह या वर्ग का ज्ञान होने लगता है। उदाहरणार्थ-सभी प्रकार के शाक (तरकारियों) के लिये 'सब्जी' (हरे शाक) शब्द का प्रयोग। अब तो 'सब्जी' फलों के अर्थ में भी प्रयुक्त होने लगा है। 'स्याही' केवल 'कालिख' या लिखने के काले रंग को ही कहते थे, अब लिखने के लिये सभी रंग स्याही कहलाते हैं। इसी प्रकार 'कौआ', 'कोयल', 'उल्लू' आदि स्त्री-पुल्लिंग दोनों के द्योतक हैं। छात्र, अध्यापक या मजदूर वर्गों में सभी लिंगों के व्यक्ति आ जाते हैं। 'खाना' में पेयसामग्री तथा 'जलपान' में खाद्य पदार्थ भी सम्मिलित रहते हैं।

(22) **अज्ञान, भ्रान्ति या पाण्डित्य-प्रदर्शन**—के कारण भी अनेक शब्दों के अर्थों में परिवर्तन हो जाता है। 'देवता' अर्थ में 'सुर' तथा 'राक्षस' अर्थ में 'असुर' शब्द का प्रयोग भ्रान्तिमूलक ही है। आजकल हिन्दी में क्रान्ति के स्थान पर उत्क्रान्ति 'ज्ञान' के स्थान पर 'अभिज्ञान' तथा इसी प्रकार के अनेक शब्दों का प्रयोग बढ़ रहा है, जिसके पीछे पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा उपसर्गों के प्रयोग का अज्ञान ही मूल कारण है। शब्दप्रयोग में असावधानी भी इसका मूल कारण है। धीरे-धीरे ऐसे शब्द भाषा में प्रचलित हो जाते हैं और अर्थपरिवर्तन का कारण बन जाते हैं।

(23) **शब्दकोश**—भाषा में शब्दकोशों की रचना के कारण भी शब्दों के अर्थ बदलते हैं। वस्तुतः किसी भी भाषा का कोई भी शब्द किसी दूसरे शब्द का पर्याय नहीं होता है। प्रत्येक शब्द का अपना अर्थ

निश्चित होता है, किन्तु शब्द-कोशों में प्रायः एक शब्द के अनेक पर्याय दिये रहते हैं। उदाहरणार्थ, 'सर्पः पृदाकुर्भुजगो भुजङ्गोऽहिर्भुर्जङ्गमः।'-(अमरकोश)। यहाँ सर्प के लिये कई नाम शब्द गिनाये गये हैं। सामान्य भाषाभाषी तो क्या, पण्डित व्यक्ति भी इनके सूक्ष्म अन्तर को नहीं जान पाता है। अतः, शब्दों का प्रयोग स्वतन्त्रतापूर्वक सर्प के लिये होता रहता है।

इस प्रकार, प्रत्येक शब्द का मूल अर्थ ज्ञात न होने के कारण शब्दों के अर्थों में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है तथा उपयुक्त शब्द के स्थान पर अनुपयुक्त शब्द प्रचलित हो जाता है।

(24) **व्यक्तिगत योग्यता**—प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता तथा सामर्थ्य में दूसरे से भिन्न होता है, अतः एक ही शब्द का अर्थ भिन्न-योग्यता वाले व्यक्ति भिन्न-भिन्न ही समझते हैं। सूक्ष्म भावनाओं तथा विचारों के विषय में यह बात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, जगत्, माया, ज्ञान, विद्या, पाप पुण्य, धर्म, अधर्म आदि शब्दों का अर्थ सभी व्यक्ति एक ही नहीं करते हैं। अतः, इन शब्दों का अर्थ व्यक्ति-भेद, सम्प्रदाय-भेद से बदलता रहता है।

(25) **शब्दार्थ में एक तत्व की प्रधानता**—कभी-कभी किसी शब्दार्थ के स्थान पर उसके केवल एक तत्व से ही उस पदार्थ का ज्ञान होने लगता है। उदाहरणार्थ—'लाल पगड़ी' ही सिपाही नहीं है, किन्तु उसका अर्थ सिपाही हो गया है। इसी प्रकार 'लाल टोपी' का अर्थ 'कम्युनिस्ट व्यक्ति' तथा 'गाँधी टोपी' का अर्थ 'काँग्रेसी व्यक्ति' हो गया है।

(26) **राष्ट्र या जाति के प्रति सामान्य मनोभाव**—इस कारण भी शब्दों के अर्थों में महान् परिवर्तन हो जाता है। ईरानियों के देवता 'अहुरमज्द' में अहुर (असुर) का अर्थ आर्यों ने, द्वेष के कारण 'राक्षस' किया, जबकि उसका मूल अर्थ था 'प्राणवान्' (देवता)। इसी प्रकार ईरानियों ने 'देव' शब्द का अर्थ अपनी भाषा में 'राक्षस' कर लिया। 'हिन्दु' का मूल अर्थ है सिन्धु देशवासी (ईरानी में स को ह बोला जाता है) किन्तु द्वेषभाव के कारण मुसलमान लोग प्रायः हिन्दु का अर्थ गुलाम या 'काफिर' करते हैं और हिन्दु लोग 'मुसलमान' का अर्थ 'भ्रष्ट' मानते हैं, जबकि इसका अर्थ है—इस्लाम धर्मावलम्बी।

(27) **संक्षेपीकरण**—इस कारण भी शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं। 'हस्तिन्' का अर्थ था 'हाथवाला' या 'सूँडवाला'। इसके साथ 'मृग' शब्द जोड़कर 'हाथी' अर्थ किया जाता है। बाद में, संक्षेपीकरण द्वारा 'हस्तिन्' का अर्थ हाथी हो गया। इसी प्रकार अंग्रेजी में भी 'रेल', 'कार' आदि शब्दों का अर्थ 'रेल-ट्रेन' तथा 'मोटर-कार' हो गया है।

(28) **अन्य भाषाओं के शब्द**—प्रायः ठीक-ठीक अर्थ का ज्ञान न होने के कारण अन्य भाषाओं के शब्दों के अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। उदाहरणार्थ, फारसी का 'मुर्गा' शब्द, जो वहाँ सामान्य पक्षीवाचक था, हमारे यहाँ एक पक्षी-विशेष के अर्थ में ही प्रयुक्त होता है।

उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त भी अर्थपरिवर्तन के अनेक कारण हो सकते हैं; जैसे, व्याकरण में समास होना, धातुओं से उपसर्ग लगना, उद्देश्य का विधेय होना या विधेय का उद्देश्य हो जाना, संज्ञा को विशेषण या विशेषण को संज्ञा रूप में प्रयुक्त करना, लिङ्गभेद होना आदि—आदि सभी अर्थ-परिवर्तन के कारण हैं। किन्तु, जैसाकि प्रारम्भ में ही स्पष्ट कर दिया गया है, अभी तक इस विषय का पूर्ण अध्ययन नहीं हो पाया है और न ही सम्भव है, क्योंकि अर्थ-विकास का कारण मानव का मनोविज्ञान है और उसमें सदैव परिवर्तन होता रहा है, होता रहता है और होता रहेगा। अतः, अर्थपरिवर्तन के भी नये-नये कारण सामने आते रहेंगे।

NOTES

3. कोश-विज्ञान

NOTES

1. प्रस्तावना

‘कोश-विज्ञान’ को भी भाषा विज्ञान से सम्बन्धित माना जाता है। इसका विषय, भाषा में प्रयुक्त शब्दों को व्यवस्थित रूप से संकलित, संगृहीत करना है। कोश-रचना का प्रादुर्भाव लिपि के आविष्कार के बाद से ही माना जा सकता है। इसका अधिक विकास उस समय हुआ, जब एक भाषा-भाषी को दूसरे भाषा-भाषी से सम्पर्क करना पड़ा, क्योंकि उसके लिये यह जानना आवश्यक था कि एक भाषा के शब्द के स्थान पर दूसरी भाषा में कौनसा शब्द प्रयुक्त होता है। इस प्रकार, प्रथमतः एकभाषीय तथा उसके विपरीत द्विभाषीय कोशों की रचना का प्रादुर्भाव हुआ। आजकल तो सम्पूर्ण विश्व ही एक विश्वजनीन संस्था की ओर उन्मुख है, अतः आश्चर्य नहीं कि कुछ उपलब्ध बहुभाषीय कोशों की भाँति ही कुछ समय बाद विश्वभाषीय कोश भी तैयार किये जाने लगे।

2. कोश-विज्ञान की परिभाषा

कोश-विज्ञान की कोई बहुसम्मत या बहुचर्चित परिभाषा अभी तक प्रकाश में नहीं आयी है। हाँ, इतना अवश्य समझा जा सकता है कि इस विज्ञान के अन्तर्गत उन सामान्य सिद्धान्तों का विवेचन एवं निर्धारण होता है, जिनके आधार पर उत्कृष्ट कोटि के भाषा-कोश बनाये जाते हैं या बनाये जा सकते हैं।

3. कोश-निर्माण की परम्परा

अन्य प्रकार की भाषावैज्ञानिक सामग्री की भाँति ही, कोशों का निर्माण भी भारत में बहुत प्राचीनकाल में ही हो गया था। ‘यास्क’ से पूर्व के ‘निघण्टु’ ग्रन्थ वैदिक भाषा के कोश ही हैं, जिनमें कठिन-कठिन शब्दों का संकलन किया गया था। इस प्रकार भारत में कोश-निर्माण के कार्य का आरम्भ, हम लगभग 1000 ई. पू. से मान सकते हैं। इसके उपरान्त संस्कृत भाषा के काल में भी ‘अमरकोश’, ‘मेदिनीकोश’, तथा ‘हलायुधकोश’ आदि अनेक कोशों के नाम मिलते हैं।

भारत की अपेक्षा यूरोप में कोश-निर्माण का कार्य बहुत बाद में, लगभग 1000 ई. के आस-पास ही शुरू हुआ है। अंग्रेजी भाषा के कोश तो लगभग 1600वीं शताब्दी ईस्वी के आस-पास ही बने हैं।

आधुनिक काल में मुद्रण कला की यान्त्रिक सुविधाओं के कारण अनेकानेक कोशों का निर्माण निरन्तर और बड़ी संख्या में हो रहा है। उपलब्ध सभी भाषाओं में छोटे-बड़े कोश मिल जाते हैं। मानवी भाषाओं के अतिरिक्त आज के वैज्ञानिक युग में तो पशु-पक्षियों तक की भाषाओं के कोशों के निर्माण के प्रयास भी किये जा रहे हैं। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, रूसी, हिन्दी आदि सभी भाषाओं में संक्षिप्त और विस्तृत शब्दकोशों की संख्या आज गिनना भी कठिन है।

4. कोशों के विभिन्न प्रकार

यद्यपि प्रारम्भ में केवल भाषा-कोश ही बनाये जाते थे, किन्तु आज कोश-निर्माण का कार्य विभिन्न आधारों पर हो रहा है। प्रमुख रूप से जिन विषयों को दृष्टि में रखकर कोश बनाये जा रहे हैं, उनके आधार पर कोशों के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं—

(1) भाषा-कोश

किसी विशिष्ट भाषा या बोली को आधार बनाकर जिन कोशों का निर्माण किया जाता है, वे भाषा-कोश कहलाते हैं। ये भाषा-कोश भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं—

(क) एकभाषीय कोश, जिसमें एक भाषा को अपनाया जाय।

(ख) द्विभाषीय कोश, जिसमें दो भाषाओं को अपनाया जाय।

(ग) बहुभाषीय कोश, जिसमें अनेक भाषाओं को अपनाया जाय।

(क) एकभाषीय कोश—इसमें शब्द और अर्थ उसी एक भाषा में दिये जाते हैं। इसके भी दो प्रकार हैं—(i) वर्णनात्मक तथा (ii) ऐतिहासिक।

(क/i) एकभाषीय वर्णनात्मक कोश

जैसाकि लिखा जा चुका है, एकभाषीय कोश में शब्द और अर्थ एक ही भाषा के होते हैं। भाषा में प्रचलित सभी शब्द और अर्थ इसमें दिये जाते हैं। साथ ही, अर्थों को देने में भी एक निश्चित क्रम को अपनाया जाता है। किसी शब्द का अर्थ देते समय यदि अर्थ एक ही है, तब तो बिना किसी विशेष विचार के उसे शब्द के साथ दे ही दिया जाता है; किन्तु यदि किसी शब्द के अनेक अर्थ हैं, तो उन पर विचार करके, प्रचलन की दृष्टि से सबसे अधिक प्रचलित अर्थ को सबसे पहले देना चाहिये। इसी क्रम में सबसे कम प्रचलित अर्थ को सबसे बाद में ही देना चाहिये। तभी व्यवस्थित कोश बन सकता है।

एकभाषीय कोशों के उदाहरण हैं—संस्कृत में 'अमरकोश', 'मेदिनी-कोश', आदि तथा हिन्दी में 'हिन्दीशब्दसागर' तथा 'वृहद् हिन्दी कोश' आदि-आदि। वस्तुतः एकभाषीय कोशों की संख्या बहुत अधिक है।

(क/ii) एकभाषीय ऐतिहासिक कोश

इसका आधार भी एक ही भाषा होता है, किन्तु इसमें केवल प्रचलित शब्द और प्रचलित अर्थ ही न देकर, सभी अप्रचलित और प्रचलित, प्राचीन एवं नवीन शब्दों तथा अर्थों को दिया जाता है। हाँ, शब्दों का अर्थ देने में यहाँ कालक्रम को आधार बनाया जाता है। अर्थात् उस भाषा के शब्दों के अर्थ, इस क्रम से दिये जाते हैं कि उनका ऐतिहासिक विकास स्पष्ट हो सके। इस पद्धति में शब्द का वह अर्थ सबसे बाद में रखा जाता है। इस प्रकार शब्दों के अर्थों को कालक्रम की दृष्टि से रखा जाता है। उदाहरण के लिये, संस्कृत में 'सैन्धव' शब्द के दो अर्थ घोड़ा और नमक हैं। अब कोश में सैन्धव का अर्थ देने से पहले यह निश्चित किया जायगा कि घोड़ा और नमक में से कौन सा अर्थ पहले प्रचलित हुआ था और कौनसा बाद में। यह निश्चित हुआ कि घोड़ा अर्थ पहले प्रचलित हुआ है तो कोश में, इन्हें इस प्रकार रखा जायगा—

सैन्धव = 1-घोड़ा, 2-नमक।

इसी प्रकार, यदि अनेक अर्थ होंगे, तो उन्हें भी इसी कालक्रम के आधार पर दिया जायेगा। 'मोनियर विलियमज़' का संस्कृत भाषा का कोश इसी प्रकार का है। अंग्रेजी भाषा का कोश 'ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी' भी इसी प्रकार का है और वह एकभाषीय ऐतिहासिक कोश का सर्वोत्तम उदाहरण भी माना जाता है।

NOTES

एकभाषीय ऐतिहासिक कोश-निर्माण के लिये उस भाषा का सभी साहित्य उपलब्ध होना आवश्यक है। उपलब्ध साहित्य में, सर्वप्रथम रचनाओं का कालक्रम निश्चित किया जाता है, तदुपरान्त उनका पाठ-शोधन किया जाता है। इतना हो जाने के पश्चात् ही उनके शब्दों का संग्रह करके उनके कालक्रमानुसार अर्थ दिये जाते हैं।

ऐतिहासिक कोश का सर्वाधिक महत्व इस तथ्य में है कि इससे भाषा-विशेष के ऐतिहासिक विकास को भली-भाँति समझा जा सकता है।

(ख) द्विभाषीय कोश—इसमें किसी एक भाषा के शब्दों का अर्थ किसी अन्य भाषा में दिया जाता है। इसका महत्व इस बात में है कि इसके द्वारा एक भाषा को जानने वाला व्यक्ति दूसरी भाषा को सरलतापूर्वक सीख या समझ सकता है। हिन्दी-अंग्रेजी, अंग्रेजी-हिन्दी, संस्कृत-हिन्दी, रूसी-अंग्रेजी आदि कोश इसके उदाहरण हैं।

(ग) बहुभाषीय कोश—इसमें एक ही अर्थ के वाचक अनेक भाषाओं के शब्द संकलित किये जाते हैं। ऐसे कोशों का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि एक ही स्थान पर एक अर्थ के वाचक, सभी या अधिक से अधिक भाषाओं के शब्द एक साथ देखे जा सकें तथा उनमें प्राप्त ध्वन्यात्मक या अर्थ-सम्बन्धी समानता आदि का तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। ऐसे कोश प्रायः किसी एक ही भाषा-परिवार की विभिन्न भाषाओं को लेकर बनाये जाते हैं, जिससे उन भाषाओं की पारस्परिक निकटता का अध्ययन किया जा सके।

भाषाकोश के अतिरिक्त कोश के अन्य प्रकार निम्नलिखित हैं-

(2) साहित्य-कोश

विशिष्ट साहित्य को आधार बनाकर, उसके सभी रचनाकारों एवं रचनाओं का परिचय, इसमें कालक्रमानुसार दिया जाता है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी भी लेखक या कृति का परिचय सहज ही प्राप्त किया जा सके। इसके लिये सर्वप्रथम, रचनाकारों एवं रचनाओं की सूची बनायी जाती है। तत्पश्चात् उन्हें वर्णानुक्रम से रखा जाता है। वर्णानुक्रम, लेखकों के नामों के आधार की अपेक्षा कृतियों के आधार पर निश्चित करना अधिक उत्तम प्रतीत होता है, क्योंकि किसी कृति का महत्व होने के कारण ही उस कृतिकार को महत्व मिलता है।

(3) पुस्तक-कोश

किसी विशिष्ट कृति को आधार बनाकर भी कोश तैयार किया जाता है। ऐसे कोश में सम्बन्धित कृति के सब शब्दों को वर्णानुक्रम से दिया जाता है। जैसे-‘रामचरितमानस-कोश’।

(4) व्यक्ति-कोश

विशिष्ट कृति की भाँति ही किसी विशिष्ट कृतिकार, लेखक या साहित्यकार को इसमें आधार बनाया जाता है तथा उसकी सभी रचनाओं में प्रयुक्त शब्द इसमें रखे जाते हैं। अंग्रेजी में ‘शेक्सपियर-कोश’ तथा हिन्दी में ‘प्रसाद-कोश’ इसके उदाहरण हैं।

(5) पारिभाषिक-कोश

किसी भाषा के, किसी विशिष्ट विषय के, सभी शब्दों को ऐसे कोशों में संकलित किया जाता है, उदाहरणार्थ- 'भाषाविज्ञान-कोश', 'मनोविज्ञान-कोश', 'भूगोल-कोश' आदि। इन विषयों के विशिष्ट पारिभाषिक शब्द और उनका स्पष्टीकरण भी इन कोशों में दिया जाता है।

NOTES

(6) पर्याय-कोश

किसी एक भाषा में, एक अर्थ के वाचक सभी शब्दों को इसमें संकलित किया जाता है। कवियों, लेखकों के लिये ऐसे कोश उपयोगी होते हैं। संस्कृत में 'अमरकोश' आदि ऐसे ही कोश हैं। अंग्रेजी के 'थेसोरस' भी ऐसे ही कोश हैं। हिन्दी में डॉ० भोलानाथ तिवारी ने 'वृहत् पर्यायवाची-कोश' की रचना की है।

(7) सूक्ति-कोश

भाषा-विशेष के साहित्य में उपलब्ध विभिन्न विषयों से सम्बन्धित, सूक्तियों को इसमें संकलित किया जाता है। इसी प्रकार एक कृति या कृतिकार की सभी सूक्तियों को भी संकलित किया जा सकता है। संस्कृत में 'सूक्ति-रत्नाकर', 'सूक्ति-सुधाकर' आदि ऐसे ही कोश हैं। विशिष्ट विषय पर लिखने वाले लेखकों के लिये ये कोश उपयोगी होते हैं।

(8) मुहावरा-कोश और लोकोक्ति-कोश

भाषाविशेष में प्रयुक्त सभी मुहावरों या लोकोक्तियों को ऐसे कोशों में रखा जाता है। ऐसे कोशों का बार-बार पाठ करने से भाषाविशेष के प्रयोग में बड़ी दक्षता प्राप्त हो जाती है।

(9) विश्व-कोश

अनेक विषयों की जानकारी एक स्थान पर दे दी जाती है। सामान्य ज्ञान के लिये ये कोश उपयोगी होते हैं।

(10) कथा-कोश

उपलब्ध सभी विशिष्ट कथाओं का संग्रह इसमें कर दिया जाता है।

(11) जीवनी-कोश

महत्वपूर्ण व्यक्तियों का जीवन-परिचय वर्णानुक्रम से इसमें दिया जाता है।

इस प्रकार कोशों के अनेक प्रकार हैं। विशिष्ट भाषा-कोशों की भाँति ही विशिष्ट साहित्य-कोश भी बनाये जा सकते हैं।

5. कोशनिर्माण की रीति

किसी भाषा का कोश बनाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है-

(i) शब्द-संग्रह—सर्वप्रथम, भाषा-विशेष में प्रयुक्त सभी शब्दों का संग्रह सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिये। समसामयिक भाषा का कोश बनाते समय शब्दों का संकलन, उस भाषा के बोलने वालों से, भाषा को सुनकर किया जाता है, जो थोड़ा कठिन कार्य है। प्राचीन भाषा या साहित्य का कोश उस भाषा के

साहित्य से, उसमें प्रयुक्त शब्दों का संग्रह करके बनाया जाता है। ऐसा करते समय सभी कृतियों को प्राप्त कर लेना आवश्यक है, अन्यथा अनेक शब्दों के छूट जाने की सम्भावना रहती है।

(ii) **वर्तनी का निश्चय**—शब्दों का संग्रह कर लेने के पश्चात् उनकी वर्तनी का निश्चय करना आवश्यक है। वर्तनी में जहाँ तक हो सके एकरूपता रहनी चाहिये।

NOTES

(iii) **शब्द-स्थान-क्रम**—कोश में शब्दों को रखने का क्रम भी किसी निश्चित सिद्धान्त के आधार पर होना चाहिये। प्रायः निम्नलिखित क्रम प्रचलित हैं—

(क) **वर्णानुक्रम**—अकारादि क्रम से शब्दों को रखा जाता है। इसमें भी केवल पहले ही वर्ण का नहीं, अपितु पहले, दूसरे, तीसरे आदि सभी वर्णों के क्रम पर विचार किया जाता है। अर्थात् पहले, 'क' वाले शब्द, फिर 'का' वाले, 'कि' वाले 'कु' वाले आदि। इसी प्रकार पहले **कक** वाले, फिर **कख** वाले फिर **कग** वाले आदि-आदि।

(ख) **अक्षर-संख्या**—पहले एक अक्षर वाले, फिर दो अक्षर वाले, फिर तीन अक्षर वाले। इस प्रकार अक्षरों की संख्या के क्रम से शब्दों को दिया जाता है। भारत में एकाक्षरी कोश पहले बनाये जाते थे।

(ग) **विषयानुसार**—पहले सभी विषयों के शब्द संकलित कर लिये जाते हैं। पुनः महत्वक्रम से विषयों को रखा जाता है और एक विषय के सभी शब्द एक ही अध्याय में दिये जाते हैं। जैसे-प्राकृतिक पदार्थ-पृथ्वी, जल, वायु आदि। जीव-वाचक शब्द पशु-पक्षी आदि। खाद्य पदार्थ, वस्त्र, पात्र आदि-आदि। 'अमरकोश' आदि संस्कृत कोशों में यही क्रम है।

(iv) **उच्चारण**—शब्द के साथ उनके उच्चारण को भी दिया जाना चाहिये। साथ ही, उसमें बलाघात आदि का संकेत भी कर देना चाहिये।

(v) **व्याकरण**—इसके अन्तर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि, लिंग एवं वचन आदि का उल्लेख किया जाता है।

(vi) **अर्थ**—शब्दों के अर्थ देने की कई रीतियाँ हैं। कभी केवल समानार्थी शब्द, जैसे-गज = हाथी, कभी समानार्थी शब्द के साथ ही संक्षिप्त परिभाषा भी दे देते हैं, जैसे, एक चौपाया, सूँड़ वाला, भारी पशु आदि। इसके साथ ही अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिये यदि आवश्यक हो, तो चित्र भी दे दिया जाता है।

(क) **व्युत्पत्ति**—उत्तम कोटि के कोशों में शब्द की व्युत्पत्ति को भी महत्व दिया जाता है।

(ख) **सन्दर्भ**—उत्तम कोटि के कोशों की यह भी एक बड़ी विशेषता है। शब्द का अर्थ देने के साथ ही, वह शब्द उस अर्थ में कहाँ-कहाँ प्रयुक्त हुआ है, यह भी साहित्य से उद्धृत कर दिया जाता है।

(vii) **शब्द-निर्णय**—कोश-निर्माण के लिये शब्द-निर्णय आवश्यक है। प्रायः देखने में आता है कि प्रत्येक भाषा में अनेक शब्दों का निर्माण एक ही मूल-शब्द से होता है। ऐसी दशा में बड़े कोशों में तो उन सभी शब्दों को पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र रूप से रखा जा सकता है; किन्तु लघुकाय कोशों में यह देखना पड़ता है कि किस शब्द को मूल मानें और उससे निर्मित शब्दों को किस क्रम से उसी शब्द के अन्तर्गत रखें। उपसर्गयुक्त शब्दों के विषय में भी यही समस्या आती है। अतः, इसके लिये कोई एक निश्चित सिद्धान्त अपनाकर ही शब्दों को कोश में स्थान देना चाहिये और ऐसे सभी सिद्धान्तों का उल्लेख कोश के प्रारम्भ में ही कर दिया जाना चाहिये।

4. व्युत्पत्ति-विज्ञान

सामान्य परिचय

व्युत्पत्ति-विज्ञान, भाषाविज्ञान की अनेक शाखाओं में से एक शाखा है। इसको हम 'शब्दों की व्युत्पत्ति का विज्ञान' कह सकते हैं। इसके अन्तर्गत किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों की रचना, शब्दों के उद्भव एवं शब्दों के विकास का अध्ययन किया जाता है। इस रूप में, व्युत्पत्ति-विज्ञान शब्दों का सर्वाङ्गीण अध्ययन प्रस्तुत करता है।

व्युत्पत्ति, निरुक्त और निर्वचन, ये तीनों शब्द प्रायः पर्यायवाची माने जाते हैं। निरुक्त और निर्वचन का प्रयोग प्राचीनकाल से होता रहा है। व्युत्पत्ति शब्द का प्रयोग बाद के काल में हुआ है। रचना की दृष्टि से ये तीनों शब्द इस प्रकार हैं-

निरुक्त = निस् + वच् + क्त, अर्थात् पूर्णरूप से अभिव्यक्त।

निर्वचन = निस् + वच् + ल्युट् (अन), अर्थात् पूर्णरूप से कहना।

व्युत्पत्ति = वि + उत् + पद् + क्तिन्, अर्थात् विशिष्ट उत्पत्ति।

सामान्यतया 'निरुक्त' एक शास्त्र है। यह छः वेदांगों में से एक है। इसमें शब्दों का अर्थानुसारी निर्वचन किया गया है। इस प्रकार 'निरुक्त' एक संज्ञा शब्द है, जबकि 'निर्वचन' एक प्रक्रिया है, जिसमें अर्थों के अनुरूप शब्दों की रचना को स्पष्ट किया जाता है। 'व्युत्पत्ति' से तात्पर्य शब्द के व्याकरण-सम्बन्धी विश्लेषण से है। इसमें अर्थ को उतना महत्व नहीं है। शब्द का ही प्रकृति + प्रत्यय में विश्लेषण पर्याप्त माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जिस प्रकार व्याकरण से पहले निरुक्त मानी जाती है, उसी प्रकार व्युत्पत्ति से पहले निर्वचन की भी मानी जानी चाहिये।

व्युत्पत्ति-विज्ञान का इतिहास

भारत में व्युत्पत्तिविज्ञान का प्राचीनतम वैज्ञानिक रूप 'निरुक्त' में ही उपलब्ध होता है। वैसे तो इसके बीज 'ऋग्वेद' में भी खोजे गये हैं, किन्तु 'यास्क' के निरुक्त से पूर्व निर्वचन की यह परम्परा प्रायः मौखिक ही थी। उसी परम्परा का परिपक्व एवं वैज्ञानिक रूप हमें 'निरुक्त' में प्राप्त होता है। वस्तुतः 'यास्क' विश्व के प्राचीनतम निर्वचनकार हैं। यास्क के समय तक निर्वचन का स्वरूप बहुत व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक नहीं था। इसमें अनुमान का योगदान बहुत अधिक रहता था। यही कारण है कि 'यास्क' के निर्वचनों में से 200-250 ही वैज्ञानिक हैं। शेष अधिकांश मनमाने ही हैं।

'यास्क' के उपरान्त 'पाणिनी' ने जब व्याकरण को पूर्णरूपेण व्यवस्थित किया, तो निर्वचन का स्थान 'व्युत्पत्ति' ने ले लिया। इसका कारण, सम्भवतः यही रहा होगा कि 'यास्क' ने जिन शब्दों को 'निघण्टु' नाम के वैदिक कोशों से निर्वचन के लिये स्वीकार किया था, वे शब्द अर्थ की दृष्टि से ही कठिन माने जाते थे। अतः उनके निर्वचन में अर्थ को महत्व देना ही आवश्यक था। 'पाणिनी' के समय तक शब्दों के अर्थ की समस्या का समाधान अधिकांशतः हो चुका था। तब, आवश्यकता इस बात की थी कि शब्दों के साधु-असाधु रूप के ज्ञान के लिये, उनमें प्रयुक्त प्रकृति-प्रत्यय, उपसर्ग आदि को स्पष्ट करके शब्द के साधु रूप की प्रतिष्ठा कर दी जाये।

NOTES

व्युत्पत्तिविज्ञान के लिये अंग्रेजी में एटिमॉलॉजी (Etymology) शब्द का व्यवहार होता है। अंग्रेजी में 'एटिमॉलॉजी' शब्द का विकास ग्रीक के 'एटिमॉलोजिया' शब्द से माना जाता है। यह शब्द 'एटिमॉस' और 'लॉगोस्' (Etymos + logos) इन दो शब्दों से बना है। 'एटिमॉस' का अर्थ है- 'यथार्थ' और 'लॉगोस्' का अर्थ है- 'लेखा-जोखा'। भारत में 'यास्क' के 'निरुक्त' की भाँति ही एक स्टोइक विद्वान् 'क्रिसिपॉस' (Chrysippos) ने भी ईस्वी पूर्व तीसरी शताब्दी में 'एटिमॉलोजिका' नाम से एक ग्रन्थ की रचना की थी। यह दर्शन का ग्रन्थ है, किन्तु इसमें शब्दों के वास्तविक अर्थ को बताने का प्रयास किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीनकाल में यूनान में 'एटिमोलॉजी' का सम्बन्ध दर्शन से था, न कि आजकल की भाँति भाषा-विज्ञान से। उस समय यूनान में दार्शनिक विवेचन के अन्तर्गत ही शब्दों के सही अर्थ को जानने के लिये उनके मूलरूप को प्रस्तुत किया जाता था। यूनान में 'प्लेटो' के काल में इस शास्त्र का यही स्वरूप था। 'यास्क' की भाँति यूनान में भी शब्दों की मनमानी व्युत्पत्तियाँ उस समय की गयी थीं। इसका एकमात्र कारण यही था कि बिना किसी वैज्ञानिक आधार के उस समय शब्द की ध्वनि से ही उसका किसी अर्थ से सम्बन्ध मान लिया जाता था। 'प्लेटो' ने शब्द-अर्थ के सम्बन्ध को स्थापित करने की, इस प्रवृत्ति का उपहास भी किया है।

इतिहास के मध्यकाल तक आते-आते भी, व्युत्पत्ति के नाम पर भ्रामक व्युत्पत्ति ही अधिक प्रचलित थी। मध्यकाल में जब आवागमन में वृद्धि के कारण एक भाषा-भाषियों का अन्य भाषा-भाषियों से सम्पर्क बढ़ा, तो इस प्रवृत्ति ने बल पकड़ा कि अपनी भाषा को अन्य भाषाओं की जननी सिद्ध कर दिया जाय। इस प्रवृत्ति के कारण दो शब्दों के मिलते-जुलते बाह्य रूप को देखकर यह सिद्ध किया जाने लगा कि उस काल में प्रयुक्त वे दोनों शब्द किसी एक ही मूलभाषा से निकले हैं। इस तरह के मिलते-जुलते शब्दों के अनेक संकलन भी उन दिनों हुये, जिनके आधार पर किसी एक भाषा को मूलभाषा या आदि भाषा सिद्ध किया जाता था और संसार की अन्य भाषाओं को उसी एक भाषा से निकली हुयी माना जाता था। हमारे देश में कुछ अति-उत्साही महानुभावों में यह प्रवृत्ति आज भी देखी जाती है। ऐसे लोग 'चीन' को 'च्यवन' का देश तथा 'क्राइस्ट' को 'कृष्ण' मानने का आग्रह प्रायः करते हैं। वस्तुतः, वैज्ञानिक व्युत्पत्ति में 'अटकल' या 'अनुमान' को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिये।

आधुनिक युग में 'टर्नर' (Sir Ralph L. Turner) को व्युत्पत्ति-विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। इसके द्वारा रचित 'नेपाली-कोश' तथा 'भारोपीय आर्य भाषाओं का व्युत्पत्ति-कोश' इस विषय के उत्कृष्ट ग्रन्थ हैं इन्हीं के अनुकरण पर आधुनिक कोशों में शब्द-व्युत्पत्ति को भी महत्व दिया जाने लगा है। आधुनिक कोशों की यह एक बड़ी विशेषता मानी जाती है। 'टर्नर' के अतिरिक्त इस क्षेत्र के अन्य विद्वान् इस प्रकार हैं-

हिन्दी भाषा से सम्बन्धित—(1) डॉ. वासुदेवशरण अग्रवाल, (2) आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, (3) डॉ. भोलानाथ तिवारी आदि।

अंग्रेजी भाषा से सम्बन्धित—(1) 'स्कीट', (2) 'यूल' और (3) बर्नेल आदि।

भारतीय भाषा, **अर्द्धमागधी** से सम्बन्धित मुनि रत्नचन्द्रजी, **प्राकृत** से सम्बन्धित श्री हरगोविन्ददास त्रिकमचन्द्र शेट, **बंगला** से सम्बन्धित श्री ज्ञानेन्द्र मोहनदास, **उड़िया** से सम्बन्धित श्री गोपालचन्द्र, **मराठी** से सम्बन्धित श्री कृष्णाजी पाण्डुरंग कुलकर्णी, **गुजराती** से सम्बन्धित श्री हरिवल्लभ भायाणी आदि इस क्षेत्र के अन्य विद्वान् हैं।

यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि इस विज्ञान के प्रारम्भ में अनुमान को बहुत महत्व दिया जाता था। 'यास्क' के अनेक निर्वचन कोरे अनुमान पर ही आधारित हैं, जो उनकी कल्पनाशक्ति के भी द्योतक हैं। किन्तु शनैः-शनैः, जैसे-जैसे इस शास्त्र का विकास हुआ, इसमें अनुमान का स्थान वैज्ञानिकता ने ले लिया है।

व्युत्पत्ति-विज्ञान और भाषाविज्ञान

'व्युत्पत्ति-विज्ञान' में शब्दों के ऐतिहासिक अध्ययन से ही यह स्पष्ट है कि इसका ऐतिहासिक भाषाविज्ञान से अङ्गाङ्गी सम्बन्ध है। 'ऐतिहासिक भाषाविज्ञान' अङ्गी है तथा व्युत्पत्ति-विज्ञान उसका एक अंग है। साथ ही, 'तुलनात्मक भाषाविज्ञान' और 'वर्णनात्मक भाषाविज्ञान' भी शब्द-व्युत्पत्ति में अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं। वर्णनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा यह देखा जाता है कि व्युत्पत्ति से सम्बन्धित शब्द किन-किन तत्वों से बना है तथा विभिन्न ऐतिहासिक कालों में उस विशिष्ट शब्द का अर्थ क्या-क्या था। तुलनात्मक भाषाविज्ञान के द्वारा उस परिवार की अन्य भाषाओं से तुलना करके यह देखा जाता है कि व्युत्पत्ति-विचाराधीन शब्द की ध्वनियों में तथा अर्थ में कब-कब, क्या-क्या परिवर्तन हुये हैं।

भाषाविज्ञान के उपर्युक्त रूपों के अतिरिक्त भाषाविज्ञान के अन्य अंग-ध्वनिविज्ञान, रूपविज्ञान, वाक्यविज्ञान तथा अर्थविज्ञान भी व्युत्पत्ति-विचार में अत्यधिक सहायक होते हैं। ध्वनिविज्ञान तथा अर्थविज्ञान तो व्युत्पत्ति के ज्ञान के लिये अत्यावश्यक ही हैं।

ध्वनिविज्ञान के द्वारा ही यह ज्ञात होता है कि किस प्रकार 'उपाध्याय' से 'ओझा' या 'अद्य' से 'आज' आदि शब्दों का विकास हुआ है। यहाँ शब्द की ध्वनियों में जो परिवर्तन हुआ है, उसे ध्वनिविज्ञान ही स्पष्ट कर सकता है।

अर्थविज्ञान में, व्युत्पत्ति के लिये स्वीकृत शब्द के अर्थ को जानकर ही हम आज के किसी शब्द को उसके प्राचीन रूप से जोड़ सकते हैं। हिन्दी 'घर' शब्द की व्युत्पत्ति के लिये उसमें हुये ध्वनि-परिवर्तनों के साथ ही साथ अर्थ की समानता को देखकर ही हम उसे संस्कृत 'गृह' से विकसित मानते हैं।

ध्वनि-विज्ञान और अर्थविज्ञान के अतिरिक्त 'शब्दविज्ञान' भी व्युत्पत्ति-विज्ञान में हमारा सहायक होता है। इसके द्वारा हमें ज्ञात होता है कि किसी विशिष्ट भाषा का शब्द-समूह कैसे बना है। उसमें कब-कब, कैसे-कैसे परिवर्तन हुये हैं और उन परिवर्तनों का क्या कारण है। कोई भाषा किसी अन्य भाषा के शब्दों को क्यों अपना लेती है, यह बात भी शब्दविज्ञान से ही ज्ञात होती है।

इसके अतिरिक्त साहित्य, इतिहास, भूगोल, मनोविज्ञान आदि भी व्युत्पत्ति-विज्ञान में यथावसर सहायक होते हैं।

व्युत्पत्ति-विज्ञान के लिये कुछ उपयोगी तत्व

1. व्युत्पत्ति के लिये चुने गये शब्द का सम्पूर्ण ज्ञान पहले जान लेना आवश्यक होता है। शब्द के इतिहास को जानते समय उसके उद्भव, ध्वनियाँ एवं उनका परिवर्तन, अर्थ एवं उसका परिवर्तन देखकर, उसके प्राचीनतम रूप से प्रारम्भ करके आधुनिकतम रूप तक की, उस शब्द की व्युत्पत्ति देनी चाहिये।

2. शब्द की वर्णनात्मक व्युत्पत्ति देते हुये उसके प्रकृति-प्रत्यय (उपसर्ग सहित) आदि को भली-भाँति स्पष्ट कर देना चाहिये। साथ ही, विभिन्न कालों में उसके अर्थ पर विचार कर लेना चाहिये।

3. व्युत्पत्ति के लिये भाषाविज्ञान का अच्छा ज्ञान आवश्यक है। जैसा कि ऊपर बतलाया गया है, ध्वनिविज्ञान और अर्थविज्ञान के बिना तो व्युत्पत्ति की ही नहीं जा सकती।

4. व्युत्पत्ति-विषयक शब्द से सम्बन्धित भाषा तथा भाषा-परिवार का ज्ञान भी व्युत्पत्ति-विज्ञान में सहायक होता है। सम्बन्धित बोलियों का ज्ञान भी व्युत्पत्तिकर्ता को होना चाहिये।

5. व्युत्पत्ति से सम्बन्धित भाषा या भाषाओं की ध्वनियों का ज्ञान प्राप्त करके उनका आवश्यक चार्ट बना लेना चाहिये। इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि कौन-सी ध्वनि शब्द में कहाँ रहते हुये किस रूप में बदलती है। उदाहरण के लिये, संस्कृत-शब्दों के आरम्भ में प्रयुक्त 'व' ध्वनि हिन्दी में 'ब' हो जाती है और संस्कृत शब्दों में मध्य में प्रयुक्त 'ध' ध्वनि हिन्दी में 'ह' हो जाती है। अतः, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हिन्दी 'बहू' शब्द का विकास संस्कृत 'वधू' शब्द से ही हुआ है, क्योंकि दोनों के अर्थों में भी समानता है।

6. ध्वनि-परिवर्तन को देखते हुये ध्वनि के लिखित रूप को महत्व न देकर उच्चारित रूप को ही महत्व देना चाहिये। साथ ही, एक ही ध्वनि के लिये प्रयुक्त अनेक लिपि-चिन्हों से भी भ्रम में नहीं पड़ना चाहिये।

7. व्युत्पत्ति के लिये प्रारम्भ में तो अनुमान करना ही पड़ता है, किन्तु बाद में यदि वह अनुमान वैज्ञानिकता के प्रतिकूल लगे, तो उसे छोड़ देना चाहिये। वस्तुतः अनुमान से ही व्युत्पत्ति का आरम्भ होता है, ध्वन्यात्मक समानता से उसे बल मिलता है तथा अर्थ की समानता से उसकी पुष्टि हो जाती है।

कुछ व्युत्पत्तियाँ

(1) 'तुम' शब्द की व्युत्पत्ति

वैदिक	युष्मे
	V
संस्कृत	युष्मे
	V
संस्कृत-पालि-सन्धिकाल	
(एकवचन) के तकार वाले	
रूपों से प्रभावित)	तुम्हे
	V
पालि	तुम्हे
	V
अपभ्रंश	तुम्हे

V

परवर्ती अपभ्रंश

तुम्हे

V

हिन्दी

तुम

(2) 'सन्त' शब्द की व्युत्पत्ति

संस्कृत

शान्त (मूल अर्थ शान्त)

V

पालि

सन्त (महात्मा, सज्जन)

प्राकृत

सन्त

हिन्दी

सन्त

(टिप्पणी: 'सत्' से 'सन्त'

बनाना भ्रामक है।)

(3) 'जाति' शब्द की व्युत्पत्ति

संस्कृत

ज्ञाति (मूल अर्थ-पहचान)

V

हिन्दी

जाति (ब्राह्मण, बनिया आदि)

(टिप्पणी: जन् (पैदा होना) से 'जाति' की व्युत्पत्ति मानना भी भ्रामक है।) वस्तुतः ज्ञा (जानना) से 'ज्ञाति' शब्द बना है।)

NOTES

NOTES

1. प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञान

प्रस्तावना

यद्यपि अपने वर्तमान रूप में भाषाविज्ञान एक नवीन विषय माना जाता है; तथापि भाषा के सम्बन्ध में मनुष्य प्राचीन काल से ही जिज्ञासु रहा है। विशेषतः भारत में तो अतिप्राचीनकाल से ही भाषा-सम्बन्धी विवेचन के सूत्र उपलब्ध होते हैं।

जिस प्रकार यूरोप के सभी शास्त्रों का मूल ग्रीक भाषा में खोज लिया जाता है, उसी प्रकार भारत में भी प्रत्येक विषय का बीज 'वेद' में ही मिल जाता है। "सर्वज्ञानमयो हि सः" कहकर 'मनुस्मृति' में भी सम्भवतः इसी ओर संकेत किया गया है।

(1) भारत के ही नहीं, अपितु, विश्व के सर्वप्राचीन ग्रन्थ 'ऋग्वेद' में 'वागाम्भणीय सूक्त' नाम से एक पूरा सूक्त ही भाषा (वाक्) से सम्बन्धित है।"

(2) इसके अतिरिक्त भी अनेक स्थलों पर भाषा-सम्बन्धी विवेचन वेदों में मिलता है-

(क) "चत्वारि वाक् परिमिता पदानि।"-ऋ० 1/164/45

(ख) "तुरीयां वाचं मनुष्या वदन्ति।"-ऋ० 1/164/45

(ग) "देवां वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति।"-ऋ० 8/100/11

(घ) "उत त्वः पश्यन् ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन् शृणोत्येनाम्।"-ऋ० 10/71/4

(ङ) 'ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वाः।'-अथर्ववेद 1/1/1

इत्यादि वाक्य इसमें प्रमाण है।

(3) 'ऋग्वेद' के एक सूक्त (10/71) में वाक् की उत्पत्ति-प्रक्रिया का भी वर्णन हुआ है। इसमें बतलाया गया है कि वाक् के द्वारा ज्ञान का आदान-प्रदान कैसे होता है। इस सूक्त में वाणी की उच्चारण-प्रक्रिया तथा ग्रहण-प्रक्रिया का वर्णन स्पष्ट रूप से हुआ है। इसमें बताया गया है कि पहले बोलने की इच्छा होती है, फिर चिन्तन होता है, उसके बाद स्वर उत्पन्न होता है और अन्त में, सुनने योग्य या देखने योग्य वाणी प्रकट होती है।

(4) तैत्तिरीय संहिता के एक प्रसंग में देवताओं ने इन्द्र से प्रार्थना की है कि हमारे कथन को आप दो खण्डों में विभाजित कर दीजिये।

"देवा इन्द्रमब्रुवन् इमां वो वाचं व्याकुरु।"

तथा उनकी प्रार्थना पर इन्द्र ने उस वाणी को, बीच से पृथक् (दो भागों में) कर दिया-

"तामिन्द्रो मध्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत्, तस्मादियं व्याकृता वागुद्यते।"

(5) “The Aitaraya Brahmana gives the etymology of प्रैष (iii 9), of, मानुष (iii 23), of जाया (vii) the Tait. Brahmana of अश्व (1.1.5.) of नक्षत्र।”

वेदपाठ की शुद्धता

भाषा विवेचन-सम्बन्धी उपर्युक्त विकीर्ण तत्वों के अतिरिक्त वैदिक साहित्य में वेदों की शुद्धता की रक्षा के लिये किये गये सुनियोजित उपायों का उल्लेख भी मिलता है।

वस्तुतः, हुआ यह कि विजयी आर्य जब निरन्तर आगे बढ़ते गये, तो उनका सम्पर्क विजित जातियों की भाषाओं से हुआ। परिणामस्वरूप, अपनी भाषा के स्वरूप को शुद्ध बनाये रखने के लिए उन्हें कुछ उपाय करने पड़े। इसमें उनकी आस्तिक बुद्धि एवं श्रद्धा-भावना ने भी सहयोग दिया। अतः जातीय एवं श्रद्धा-भावना से वेदों की शुद्धता को आवश्यक माना गया है। किन्तु, लेखन कला के अभाव में पीढ़ी दर पीढ़ी भाषा को शुद्ध रखना भी कठिन था। अतः वेदाङ्गों का प्रादुर्भाव हुआ और वेद के साथ ही साथ छः वेदांगों का अध्ययन भी अनिवार्य माना जाने लगा—“ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञेयश्च।”—महाभाष्य, प्रथमाहिक।

अर्थात् ब्राह्मण, बिना किसी प्रयोजन के, छः वेदाङ्गों सहित वेद का अध्ययन करे तथा वेद को जाने।

छह वेदांगों में चार—शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छन्द का सम्बन्ध भाषा और भाषा विवेचन से ही है।

शिक्षा वेदांग में ध्वनियों का ठीक-ठीक उच्चारण करना बतलाया गया है। यह आधुनिक ध्वनिविज्ञान से मिलता-जुलता शास्त्र है। व्याकरण का सम्बन्ध पदों तथा वाक्यों से है, जिसे आजकल पद-विचार या वाक्य-विचार कहा जाता है। ‘निरुक्त’ में अर्थ के अनुसार शब्दों की व्युत्पत्ति बतलायी गयी है। इसे ही आजकल अर्थ-विचार कहा जाता है। इन वेदांगों का विस्तृत परिचय यहाँ प्रस्तुत है।

2. शिक्षा

शिक्षा का अर्थ है—“वेदमन्त्रों के शुद्ध उच्चारण की शिक्षा।” यह शिक्षा जिन ग्रन्थों में है, उन्हें भी ‘शिक्षा’ ही कहा गया है। आचार्य ‘सायण’ ने ‘शिक्षा’ की परिभाषा इस प्रकार की है—

“स्वर-वर्णाद्युच्चारण प्रकारो यत्र शिक्षयते, उपदिश्यते सा शिक्षा।”—ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका: पृ. 49।

अर्थात् जिसमें स्वर आदि तथा वर्ण आदि के उच्चारण की रीति सिखलायी जाती है, वह ‘शिक्षा’ है। स्वर से तात्पर्य यहाँ उदात्तादि स्वरों से है।

‘शिक्षा’ वेदांग का आविर्भाव संहिताओं के प्रति भारतीयों की आस्तिक बुद्धि का ही परिणाम है क्योंकि वेदमन्त्रों के शुद्ध उच्चारण की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी। जर्मन विद्वान् डॉ. विण्टरनिट्ज के अनुसार, वेदमन्त्रों का संहिता पाठ तथा पदपाठ शिक्षा वेदांग के नियमों के अनुसार ही हुआ है। उदाहरण के लिए, वेदमन्त्र के ‘त्वं हि अग्ने’ इस उच्चारित रूप का ‘त्वं ह्यग्ने’ यह सम्पादित एवं लिखित रूप शिक्षा-नियमों के अनुसार ही है। इसी प्रकार संहितापाठ से पदपाठ भी शिक्षा-मन्त्रों के नियमों के अनुसार ही किया गया है; उदाहरणार्थ—

NOTES

संहितापाठ

अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत।

स देवाँ एह वक्षति।।—ऋग्वेद 1/1/2

NOTES

पदपाठ

अग्निः। पूर्वेभिः। ऋषिऽभिः। ईड्यः। नूतनैः। उत।

सः। देवान्। आ। इह। वक्षति।।—ऋग्वेद, 1/1/2

इस प्रकार शिक्षा वेदांग का सम्बन्ध संहिताओं के संहितापाठ तथा पदपाठ के नियमों से है।

आजकल 'भारद्वाज', 'व्यास', 'वसिष्ठ' और 'याज्ञवल्क्य' के लघु शिक्षाग्रन्थ उपलब्ध होते हैं। इन शिक्षा ग्रन्थों की रचना भी प्रतिशास्त्रों के आधार पर बाद में हुई प्रतीत होती है। शिक्षा ग्रन्थों में व्यास शिक्षा का सर्वाधिक महत्व है।

तैत्तिरीय उपनिषद् 1, 2 में शिक्षा वेदांग के छः अंग या अध्याय कहे गये हैं—(1) अक्षर या वर्ण, (2) स्वर, (3) मात्रा, (4) बल, (5) साम तथा (6) सन्तान।

इनकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है—

(1) **वर्ण**—अक्षर की ही दूसरी संज्ञा वर्ण है। अतः, इस अंग या अध्याय में, वेद में प्रयुक्त वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है, जिससे स्थान तथा प्रयत्न के अनुसार वर्णों का शुद्ध उच्चारण किया जा सके। 'पाणिनीय शिक्षा' में संस्कृत वर्णमाला में वर्णों की संख्या 63 या 64 बतलायी गयी है। यही वर्णमाला वैदिक, संस्कृत तथा तत्कालीन प्राकृतों में प्रयुक्त होती थी।

(2) **स्वर**—स्वर तीन हैं—उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। वेदों के शुद्ध उच्चारण के लिए स्वरों का ज्ञान अनिवार्य था। 'पाणिनि' ने तीनों का लक्षण दिया है—

उच्चैरुदात्तः—अर्थात् ऊँचे स्वर से उच्चारित स्वर उदात्त कहा जाता है।

नीचैरनुदात्तः—अर्थात् नीचे स्वर या धीमे स्वर से उच्चारित स्वर अनुदात्त कहा जाता है।

समाहारः स्वरितः—अर्थात् उदात्त और अनुदात्त के समाहार अर्थात् मध्य स्वर से उच्चारित स्वर स्वरित कहा जाता है।

स्वरों का उपर्युक्त सूक्ष्म विवेचन आधुनिक ध्वनिविज्ञान या स्वर विज्ञान से ही सम्बन्धित है, जिसे अति प्राचीन काल में ही भारत में इतना महत्व प्राप्त था।

वेदपाठ में सामान्य नियम के अनुसार प्रत्येक पद में एक स्वर उदात्त होता है, शेष सब अनुदात्त होते हैं। विशिष्ट दशा में अनुदात्त ही स्वरित हो जाता है।

वेदों में अर्थ की दृष्टि से भी स्वर का बहुत महत्व है। वैदिक भाषा में स्वर ही अर्थ का नियामक है। स्वर में परिवर्तन से अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। कभी-कभी तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है।

इस सम्बन्ध में 'पाणिनीय शिक्षा' में, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो मन्त्र, स्वर अथवा वर्ण से हीन होता है, मिथ्या प्रयुक्त होने के कारण वह वांछित अर्थ को नहीं कहता है। इसके विपरीत, वह वाणी का वज्र बनकर यजमान को नष्ट कर देता है; जिस प्रकार 'इन्द्रशत्रुः' शब्द ने स्वर के अपराध (अशुद्ध उच्चारण) से यजमान का विनाश कर दिया था।

NOTES

“मन्त्रो हीनः स्वरतो वा, मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह।”

स वाक्त्रोयजमान हिनस्ति, यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्।। —पाणिनीयशिक्षा

'पाणिनीय शिक्षा' के उपर्युक्त श्लोक में जिस कथा का संकेत है, वह इस प्रकार है—

'वृत्रासुर' तथा 'इन्द्र' देवता का संघर्ष प्रसिद्ध ही है। एक बार 'वृत्रासुर' ने 'इन्द्र' के विनाश के लिए एक धार्मिक अनुष्ठान—एक बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ का प्रधान मन्त्र था—“इन्द्रशत्रुर्वर्धस्व” अर्थात् “इन्द्र का शत्रु (वृत्रासुर) बढ़े अर्थात् विजय प्राप्त करे।” इस मन्त्र में प्रयुक्त 'इन्द्रशत्रुः' शब्द का उच्चारण होना चाहिए था। अन्तोदात्त उच्चारण से 'इन्द्रशत्रुः' पद में तत्पुरुष समास—'इन्द्रस्य शत्रुः' होगा और तभी इसका अर्थ—इन्द्र का शत्रु (घातक) वृत्रासुर होगा। इसके विपरीत, ऋत्विजों ने असावधानी से या छल से इन्द्रशत्रु पद का उच्चारण आद्युदात्त कर दिया अर्थात् 'इ' का उच्चारण ऊँचे स्वर में कर दिया। उच्चारण में इस परिवर्तन से 'इन्द्रशत्रुः' पद बहुव्रीहि समास वाला हो गया अर्थात् 'इन्द्रः शत्रुः यस्य सः' अर्थात् इन्द्र है घातक जिसका, वह वृत्र (बढ़े)। इस अर्थ के कारण वृद्धि को प्राप्त हुआ भी वृत्रासुर अन्ततः, इन्द्र के द्वारा मारा गया।

उपर्युक्त कथा के आधार पर वेदपाठ के शुद्ध उच्चारण के महत्व को भली-भाँति समझा जा सकता है।

(3) मात्रा—स्वरों के उच्चारण में लगने वाले काल की नाप को मात्रा कहा जाता है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत नाम से इसके तीन भेद हैं—जिन्हें स्थूलरूप से एक-मात्रा-काल, दो मात्राकाल तथा तीन मात्राकाल वाला समझा जा सकता है। उदाहरण के लिये, उ, ऊ तथा ऊ। उच्चारण में मात्रा का ध्यान रखना आवश्यक था।

(4) बल—वर्णों के उच्चारण में प्रयुक्त स्थान तथा प्रयत्न को बल कहा जाता है। वर्णों के उच्चारण में श्वासनली से आती हुयी, वायु मुख में जहाँ अवरुद्ध होती है, वह उन वर्णों का उच्चारण-स्थान कहा जाता है। इसी प्रकार उच्चारण में उच्चारणावयवों को जो प्रयास करना पड़ता है, वह उच्चारण-प्रयत्न कहलाता है। शिक्षा वेदांग के अनुसार 8 उच्चारण-स्थान, 4 प्रकार का आभ्यन्तर प्रयत्न तथा 11 प्रकार का बाह्य प्रयत्न माना गया है।

स्थान है—कण्ठ, मूर्धा, तालु, वर्स्व, दन्त, ओष्ठ, नासिका तथा जिह्वामूल = 8।

आभ्यन्तर प्रयत्न हैं—विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित = 11।

(5) साम—दोषरहित तथा गुणसहित उच्चारण ही साम है। उच्चारण के गुण-दोषों का विवेचन शिक्षा-ग्रन्थों में बहुत ही सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक दृष्टि से हुआ है। 'पाणिनीयशिक्षा' में अच्छे पाठक के गुण इस प्रकार बतलाये गये हैं—

(1) माधुर्य, (2) वर्णों की स्पष्टता, (3) पदों की स्पष्टता, (4) सुस्वरता, (5) धीरता तथा (6) लयसमर्थता।

NOTES

इसके विपरीत निम्न प्रकार के पाठकों को अधम पाठक माना गया है—

(1) गाकर पढ़ने वाला, (2) जल्दी-जल्दी पढ़ने वाला, (3) सिर हिलाते हुये पढ़ने वाला, (4) लिखित ग्रन्थ से पढ़ने वाला, (5) अर्थ को बिना जाने पढ़ने वाला तथा (6) बहुत धीमें स्वर से पढ़ने वाला।

साथ ही, उच्चारण के दोषों को गिनाने के ब्याज से 'पाणिनीय शिक्षा' में निम्नलिखित प्रकार के दुष्ट (निन्दनीय) पाठों (उच्चारणों) को भी गिनाया गया है। 'पाणिनि' के अनुसार निम्नलिखित प्रकार के पाठों से कदापि सफलता प्राप्त नहीं होती है—

(1) शङ्कित, (2) भीत, (3) उत्कृष्ट, (4) अव्यक्त, (5) सानुनासिक, (6;) काकस्वर, (7) शिरोगत अर्थात् ऊपर को खींचकर किया हुआ पाठ, (8) स्थानरहित, (9) उपांशु (बुदबुदाया हुआ), (10) दष्ट अर्थात् जिसमें शब्दों को दान्तों में दबाया जाय, (11) त्वरित, (12) निरस्त, (13) विलम्बित, (14) गद्गद, (15) प्रगीत, (16) निष्पीडित, (17) अक्षर या पदों को छोड़-छोड़कर किया हुआ, (18) दीन तथा (19) सानुनास्य।

(6) सन्तान—पदों की अतिसन्निधि या संहिता को ही सन्तान कहा जाता है। पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र पद भी जब एक-दूसरे के पश्चात्, बिना किसी व्यवधान के या बहुत कम व्यवधान के साथ, उच्चारित होते हैं, तो उसे पदों में संहिता कहा जाता है। ऐसे स्थलों पर सन्धि के कारण पदों में कुछ परिवर्तन हो जाता है, उदाहरणार्थ—'वायो आयाहि' से 'वायवायाहि'।

यह विषय प्रमुखरूप से व्याकरण का होने के कारण 'शिक्षा' में इसका केवल निदर्शन ही हुआ है।

उच्चारण सम्बन्धी उपर्युक्त नियमों के अतिरिक्त 'शिक्षा' वेदांग में इस विषय का भी उल्लेख हुआ है कि किस संहिता में, किस विशिष्ट ध्वनि (वर्ण) का उच्चारण किस रूप में किया जाता है, उदाहरणार्थ—'ऋग्वेद' के 'पुरुष' सूक्त के मन्त्र—'सहस्रशीर्षा पुरुषः' में 'शीर्षा' का उच्चारण ऋग्वेदीय पाठक स्पष्टरूप से मूर्धन्य अर्थात् 'शीर्षा' के रूप में करते हैं, तो माध्यन्दिन शाखा वाले इसका उच्चारण "शीरखा" रूप में करते हैं, अर्थात् कण्ठ्य।

उपलब्ध शिक्षा-ग्रन्थ—अनुमान के आधार पर प्राचीनकाल में शिक्षा-ग्रन्थों की संख्या बहुत अधिक रही होगी। डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा ने अपने ग्रन्थ 'फॉनेटिक आबजरवेशन आफ एन्शियेण्ट हिन्दूज' में 65 शिक्षाग्रन्थों का उल्लेख किया है। किन्तु आजकल उपलब्ध कुछ प्रमुख शिक्षाग्रन्थ निम्नलिखित हैं—(1) पाणिनीय शिक्षा, (2) याज्ञवल्क्य शिक्षा, (3) कात्यायनी शिक्षा, (4) वासिष्ठी शिक्षा, (5) पाराशरी शिक्षा, (6) माण्डव्य शिक्षा, (7) माध्यन्दिनी शिक्षा, (8) माण्डूकी शिक्षा, (9) अमोघानन्दिनी शिक्षा, (10) केशवी शिक्षा-आदि-आदि।

उपर्युक्त सभी उपलब्ध शिक्षाग्रन्थ प्रातिशाख्यों के बाद के हैं, जबकि शिक्षा वेदांग अपने आप में बहुत प्राचीन तथा प्रातिशाख्यों का मूलाधार है। अतः, प्रातिशाख्यों के पूर्व के प्राचीन शिक्षाग्रन्थ अब लुप्त ही समझने चाहिये। वर्तमान शिक्षा-ग्रन्थों की रचना तो वस्तुतः प्रातिशाख्यों के आधार पर ही, बाद में हुयी है।

3. प्रातिशाख्य

उपलब्ध प्रातिशाख्य, प्राचीन शिक्षा वेदांग का ही प्राचीनतम अवशेष एवं उसी का विशद रूप है। शिक्षा वेदांग में जहाँ ध्वनिविज्ञान का सैद्धान्तिक विवेचन है, वहाँ प्रतिशाखाओं में ध्वनिविज्ञान का व्यावहारिक या प्रायोगिक रूप मिलता है।

विभिन्न शिक्षा-सम्प्रदायों के अनुरूप जिस वेदांग-वाङ्मय का आविर्भाव हुआ है, उसे 'प्रातिशाख्य' कहा जाता है। शिक्षा-ग्रन्थों की भाँति ही प्रातिशाख्यों में भी (1) उच्चारण, (2) सन्धि तथा (3) स्वर आदि को स्पष्ट किया गया है। इनका व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिये संहितापाठ को पदपाठ में तथा पदपाठ को संहितापाठ में बदलकर दिखलाया गया है।

इसके साथ ही, उच्चारण के उन विशिष्ट नियमों को भी प्रातिशाख्यों में संकलित कर दिया गया है, जिनके अनुसार ह्रस्व को दीर्घ पढ़ा जाता है।

संहिताओं की लगभग 1130 शाखाओं के अनुसार प्रातिशाख्यों की संख्या भी लगभग इतनी ही बड़ी थी। कारण, प्रत्येक संहिता की प्रत्येक शाखा के अपने उच्चारण के नियम, उसके प्रातिशाख्य में उपलब्ध होते थे, क्योंकि प्रातिशाख्यों का प्रमुख उद्देश्य ही था—एक शाखा के उच्चारण की, दूसरी शाखाओं के उच्चारण-भेदों से रक्षा करना। इस प्रकार प्रतिशाखा से सम्बन्धित होने के कारण ही इनका नाम 'प्रातिशाख्य' पड़ा था।

प्रमुख प्रातिशाख्य ग्रन्थ—उपलब्ध प्रमुख प्रातिशाख्य-ग्रन्थों की संख्या लगभग 6 है—(1) शौनककृत 'ऋक्सप्रातिशाख्य', (2) कात्यायनकृत 'शुक्लयजुः प्रातिशाख्य' (3) कृष्णयजुर्वेद के तैत्तरीय प्रातिशाख्य और (4) 'मैत्रायणी प्रातिशाख्य', (5) सामवेद का 'पुष्पसूत्र' तथा (6) शौनककृत 'अथर्वप्रातिशाख्य'।

4. निरुक्त (यास्क), काल-पाणिनिपूर्व

'निरुक्त' का शाब्दिक अर्थ है—व्युत्पत्ति या निर्वचन। इसमें शब्दों के अर्थतत्त्व तथा सम्बन्धतत्त्व पर विचार करते हुये यह निश्चय किया जाता है, कि किसी शब्द का कोई अर्थ क्यों है ?

मनुष्य जब किसी विशेष भाव को किसी विशेष शब्द-द्वारा व्यक्त करता है, तो उसके मूल में कोई-न-कोई कारण होता है। उस कारण को खोजना ही, उस शब्द की निरुक्ति या निर्वचन कहलाता है तथा इस निरुक्ति से सम्बन्धित शास्त्र को ही 'निरुक्त' कहा जाता है।

'शिक्षा' की भाँति ही 'निरुक्त' भी छः वेदांगों में से एक है। 'निरुक्त' का प्राचीन लक्षण इस प्रकार है—

“वर्णागमो वर्णविपर्ययश्च द्वौ चापरौ वर्णविकारनाशौ।

धातोस्तदर्थातिशयेन योगस्तदुच्यते पञ्चविधं निरुक्तम्।।”

उपर्युक्त लक्षण के अनुसार 'निरुक्त' की परिधि में ध्वनि, पद तथा अर्थ इन तीनों का ही विवेचन आ जाता है। इस प्रकार 'निरुक्त' आधुनिक भाषाविज्ञान का ही प्राचीन रूप है, जिसका आविर्भाव हमारे देश में वैदिक काल में ही हो गया था।

ध्वनिविज्ञान (Phonetics, phonology), की दृष्टि से, निरुक्त में वर्णागम (Prothesis, Anaptyxis), वर्णविपर्यय (Metathesis), वर्णविकार (Assimilation, Dissimilation), वर्णनाश (Elision), आदिस्वरलोप

NOTES

साहित्य शास्त्र एवं सौन्दर्यशास्त्र (Apheris), मध्य-स्वरलोप (Syncope), वर्णलोप (Hapology) आदि सिद्धान्तों का परिचय सोदाहरण मिलता है।

NOTES

साथ ही, रूपविज्ञान (Morphology), वाक्य विज्ञान (Syntax), व्युत्पत्ति विज्ञान (Etymology) तथा अर्थविज्ञान (Semantics) आदि भाषाविज्ञान के अन्य अंगों पर भी इससे प्रकाश पड़ता है।

यदि बहुत ही संक्षेप में कहना चाहें, तो-

(1) निरुक्त व्युत्पत्तिविज्ञान तथा अर्थविज्ञान का मूलस्रोत है।

(2) निरुक्त में पदों का—नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात इन चार विभागों में विभाजन वैज्ञानिक होने के साथ ही साथ प्राचीनतम भी है।

(3) निरुक्त में सभी शब्दों को धातुज स्वीकार किया गया है। यही मान्यता आधुनिक भाषावैज्ञानिकों की भी है।

(4) निरुक्त में आधुनिक भाषाविज्ञान की भाँति ही लोकभाषा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। निरुक्तकार 'दम्पति' को लोकप्रचलित 'दम् + पति' के रूप में ही स्वीकार करता है, जबकि वैयाकरण इसे जाया (दम् आदेश) + (दम्पती) स्वीकार करता है।

5. व्याकरण

'व्याकरण' भी वेदांगों में से एक है। 'ऋग्वेद' में इसे 'वेदरूपी पुरुष का मुख कहा गया है—'मुखं व्याकरणं स्मृतम्'। 'वि' तथा 'आ' उपसर्गपूर्वक 'कृ' धातु से ल्युट् [वि + आ + कृ + ल्युट् (अन्)] प्रत्यय करने पर निष्पन्न 'व्याकरण' शब्द का सामान्य अर्थ है—'शब्दों का विश्लेषण'। 'व्याक्रियन्ते (शब्दाः) अनेन अस्मिन् वा' अर्थात् जिसके द्वारा या जिसमें शब्दों में प्रकृति-प्रत्यय का विवेचन होता है। वस्तुतः व्याकरण भाषा के मानक रूप का निर्धारण करता है। इसके द्वारा भाषा का ज्ञान शीघ्र होता है तथा भाषा के सम्बन्ध में उत्पन्न सन्देहों का निराकरण होता है। व्याकरण द्वारा अर्थज्ञानपूर्वक शब्दों का ठीक-ठीक प्रयोग करते हुये व्यक्ति प्रशंसा प्राप्त करता है।

प्राचीन व्याकरण तथा आधुनिक 'भाषाविज्ञान' में पर्याप्त समानता है। आधुनिक भाषाविज्ञान में विवेचन के जितने भी विषय हैं, उन सबका विवेचन भारत में, प्राचीनकाल में, व्याकरण-शास्त्र के अन्तर्गत ही हुआ है। पाश्चात्य भाषाविज्ञान भी उससे प्रभावित है।

व्याकरण-शास्त्र की परम्परा

भारत में व्याकरणशास्त्र की एक सुदीर्घ परम्परा प्राप्त होती है। 'पाणिनी' से पूर्व 'आपिशलि', 'गार्ग्य', 'काश्यप', 'स्फोटायन', 'गालव', 'शाकटायन', 'शाकल्य' आदि लगभग 50 आचार्यों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार पाणिनी के पश्चात् भी लगभग 15 आचार्य हुये हैं। वस्तुतः, पाणिनी से पूर्व ही हमारे देश में भाषा के अध्ययन की दो धारयें प्रतिष्ठित हो चुकी थीं—(1) प्रातिशाख्यपरम्परा, जिसमें भाषा, वाक्य एवं ध्वनि-सम्बन्धी विवेचन प्रमुख रूप से होता था। इस परम्परा के सिद्धान्त सभी भाषाओं पर सामान्यतया लागू हो सकते हैं।

(2) व्याकरण परम्परा—जिसमें वैदिक एवं लौकिक अर्थात् समसामयिक भाषा को, विशेषरूप से, विवेचन का विषय बनाया जाता था। यदकदा भाषा-सम्बन्धी सामान्य नियमों का निर्धारण भी इस परम्परा द्वारा किया जाता था; किन्तु प्रमुखता इस परम्परा में विशिष्ट भाषा-नियमों की ही होती थी।

मुनित्रय

व्याकरणशास्त्र के प्रणेताओं में वैयाकरण (1) पाणिनी, (2) कात्यायन तथा (3) पतञ्जलि-ये तीनों 'मुनित्रय' के नाम से जाने जाते हैं।

पाणिनी

'पाणिनी' मुनि संस्कृत-वैयाकरणों में मूर्धन्य स्थान पर प्रतिष्ठित हैं। जैसा पहले भी कहा जा चुका है, पाणिनी से पूर्व तथा पश्चात् के किसी भी व्याकरण-शास्त्र-रचयिता को वह पद तथा प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुयी, जो मुनि पाणिनी को हुयी है।

'पाणिनी' के आविर्भावकाल के विषय में बड़ा मतभेद है। स्थूलरूप से पाणिनी का काल ई. पू. 8वीं शताब्दी ई. पू. 4वीं शताब्दी तक, कहीं बीच में स्वीकार किया जाता है। फिर भी इन्हें 7वीं-8वीं शताब्दी ई. पू. का मानना ही युक्तियुक्त प्रतीत होता है। अपने वंश-प्रवर्तक 'पणिन्' के नाम पर ही इन्हें 'पाणिनी' कहा जाता है। इनका मातृ-कुल दक्ष गोत्र वाला होने के कारण इन्हें 'दाक्षिपुत्र' भी कहा जाता है। यह तक्षशिला के समीप के 'शालातुर' नगर के रहने वाले थे। इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी। एक किंवदन्ती के अनुसार इनकी मृत्यु त्रयोदशी तिथि को एक सिंह द्वारा हुयी थी।

भारतीय भाषाविज्ञान ही नहीं, अपितु विश्वजनीन भाषाविज्ञान में भी 'पाणिनी' का स्थान महत्वपूर्ण है। भारतीय भाषाविज्ञानियों तथा पाश्चात्य भाषाविज्ञानियों ने पाणिनी की प्रशंसा मुक्तकण्ठ से की है। पाणिनी के उत्तरकालीन कात्यायन मुनि ने उनके लिये 'भगवान्' तथा पतञ्जलि ने 'आचार्य' विशेषण का व्यवहार किया है। संक्षेप में, भारतीय वैयाकरणों में पाणिनी को ही प्रमाण माना जाता है। उनकी प्रतिभा के सम्मुख उनका पूर्ववर्ती कोई भी वैयाकरण मान्य नहीं हो सका तथा उनके उत्तरवर्ती वैयाकरणों ने केवल पाणिनी की व्याख्या को ही महत्व दिया है।

'पाणिनी' का व्याकरण-सम्बन्धी प्रसिद्ध एवं उपलब्ध ग्रन्थ 'अष्टाध्यायी' है। इसमें आठ अध्याय होने के कारण ही इसे 'अष्टाध्यायी' कहा जाता है। इसकी रचना सूत्रों में हुयी है तथा लगभग 4 हजार (3996) सूत्रों में ही वैदिक तथा संस्कृत भाषा सम्बन्धी सब नियम दे दिये गये हैं। इसके प्रत्येक अध्याय में पाणिनी-व्याकरण में काम आने वाली संज्ञायें तथा परिभाषायें दी गयी हैं। द्वितीय अध्याय में समास तथा कारक नियम हैं। तृतीय अध्याय में धातुओं से होने वाले प्रत्यय और चतुर्थ, पंचम अध्याय में प्रातिपादकों से होने वाले प्रत्यय दिये गये हैं। षष्ठ तथा सप्तम अध्याय में वैदिक भाषा में प्रयुक्त स्वरों का तथा शब्दों में होने वाले ध्वनि (वर्ण) विकारों का तथा अन्तिम, अष्टम् अध्याय में पदों का विवेचन हुआ है।

'अष्टाध्यायी' के अतिरिक्त 'उणादिसूत्र', 'लिंगानुशासन' और एक 'शिक्षाग्रन्थ' 'पाणिनीय शिक्षा' भी पाणिनी की ही रचनायें मानी जाती हैं।

NOTES

NOTES

‘पाणिनी’ के उत्तरकालीन वैयाकरणों में दूसरा नाम ‘कात्यायन’ का है। इन्हें ‘वार्तिककार’ भी कहा जाता है। सामान्यतया इन्हें पाणिनी का आलोचक माना जाता है। एक परम्परा के अनुसार ये पाणिनी के ही समकालीन थे, किन्तु दूसरी परम्परा के अनुसार ये पाणिनी से लगभग 100-150 वर्ष पश्चात् हुये थे। यहाँ इन्हें पाणिनी से 150-200 वर्ष पश्चात् मानने वाला मत ही अधिक समीचीन प्रतीत होता है। इन्होंने पाणिनी के सूत्रों पर, जिन 1500 वार्तिकों की रचना की है, उनको देखने से प्रतीत होता है कि पाणिनी के पश्चात् तथा कात्यायन के समय तक बीच की अवधि में भाषा में जो ऐसे नये प्रयोग सामने आये कि जिन पर पाणिनी विचार कर ही नहीं सकते थे तथा वे प्रयोग जिन पर पाणिनी ने विचार तो किया था, किन्तु वे कात्यायन के समय तक प्रयोग-बाह्य हो गये थे, उन सब प्रयोगों पर कात्यायन ने अपने वार्तिक रचे तथा पाणिनी के ही कार्य को पूर्णता प्रदान की। संक्षेप में, पाणिनी के पश्चात् तथा कात्यायन के समय तक संस्कृत-भाषा में जो भी विकास हुआ था, उस विकास को दृष्टि में रखकर ही कात्यायन ने अपने वार्तिकों की रचना की है।

पतञ्जलि

पतञ्जलि ‘महाभाष्यकार’ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका समय वार्तिककार कात्यायन के 200 वर्ष पश्चात् का माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये सम्राट पुष्यमित्र (ई. पू. द्वितीय शताब्दी) के समकालीन थे।

सामान्य दृष्टि से तो ‘पतञ्जलि’ ने पाणिनी के ‘अष्टाध्यायी’ ग्रन्थ पर ही ‘महाभाष्य’ लिखा है, किन्तु प्रमुख रूप से इनकी दृष्टि वार्तिककार कात्यायन पर ही रही है। ‘महाभाष्य’ का तीन-चौथाई भाग ‘वार्तिक-पाठ’ पर तथा एक चौथाई भाग मूल ‘अष्टाध्यायी’ पर आधारित है। सूत्रों की संख्या की दृष्टि से, महाभाष्य में 1228 सूत्र कात्यायनरचित वार्तिक वाले, 26 सूत्र अन्य आचार्यों के वार्तिक वाले तथा केवल 435 सूत्र, अष्टाध्यायी से (बिना किसी वार्तिक के) लिये गये हैं। इस प्रकार आनुपातिक दृष्टि से भी ‘महाभाष्य’ की रचना का आधार ‘कात्यायन’ का ‘वार्तिकपाठ’ ही सिद्ध होता है। पण्डित ‘युधिष्ठिर मीमांसक’ ने भी इसी बात की पुष्टि की है—

“पतञ्जलि ने कात्यायनीय वार्तिकों के आधार पर अपना ‘महाभाष्य’ रचा है।”

किन्तु प्रोफेसर मैक्समूलर ‘वार्तिकपाठ’ के साथ ही पाणिनी-सूत्रों को भी महाभाष्य का आधार मानते हैं—

"The great commentary of Patanjali embraces both the Varttikas of Katyayana and the sutras of Panini."3

‘पतञ्जलि’ के समय संस्कृत-भाषा का विकास तीव्रगति से हो रहा था तथा उसका परिमार्जन करना बहुत आवश्यक था। पतञ्जलि ने इस उत्तरदायित्व का पालन बहुत ही गम्भीरतापूर्वक किया है। उन्होंने अनुभव किया कि जनसामान्य संस्कृत की ओर से उदासीन है तथा प्राकृत भाषाओं का विकास तीव्रगति से हो रहा है। उस समय ब्राह्मण-समाज जैसा शिष्ट समाज भी व्याकरण के अध्ययन से विमुख होकर प्राकृत भाषा के विकास में ही अधिक योगदान कर रहा था। इन परिस्थितियों में बोलचाल की भाषा के साथ ही साथ साहित्य में भी प्राकृत स्वीकृत हो चुकी थी।

इन परिस्थितियों में भाषा-परिमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य वैयाकरण पतञ्जलि ने किया। उन्होंने ही सर्वप्रथम 'शिक्षा', 'निरुक्त', 'व्याकरण' और 'दर्शन' के युक्तिक्रम को एकत्र किया और उन्हें एक ही 'विज्ञान' का रूप दिया। उनकी दृष्टि से इसे हम 'शब्दानुशासन' नाम दे सकते हैं। आज की दृष्टि में यही 'भाषातत्व' और 'भाषा-विज्ञान' हैं।

NOTES

संक्षेप में, पतञ्जलि का सर्वाधिक महत्व इस कारण है कि उन्होंने अपने समय की प्रचलित जनभाषा का विस्तृत सर्वेक्षण किया तथा पूर्ववर्ती भाषा-विवेचकों-शिक्षाकारों, निरुक्तकारों, वैयाकरणों आदि के भाषातत्व-सम्बन्धी सिद्धान्तों का लाभ उठाते हुये 'महाभाष्य' के रूप में एक ऐसे स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की जो आगे चलकर 'भाषा का दर्शन' के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यद्यपि 'महाभाष्य' कोई मौलिक ग्रन्थ न होकर, एक 'भाष्य' मात्र है, तो भी संस्कृत-व्याकरण के 'मुनित्रय' में पतञ्जलि को सर्वाधिक प्रामाणिक माना जाता है तथा इस सम्बन्ध में 'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्' के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता है।

इस प्रकार 'पाणिनी', 'कात्यायन' तथा 'पतञ्जलि' संस्कृत व्याकरण शास्त्र के इस मुनित्रय ने भाषा-सम्बन्धी विवेचन को उस परिपक्वावस्था तक पहुँचा दिया कि जिसके महत्व को भारतीय एवं पाश्चात्य सभी विद्वान् मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हैं।

काशिका

मुनित्रय के उपरान्त, महत्व की दृष्टि से, 'काशिका' का प्रमुख स्थान है। यह पाणिनिरचित 'अष्टाध्यायी' की प्रसिद्ध टीका है, जिसके लेखकद्वय 'जयादित्य' तथा 'वामन' हैं। 'काशिका' शब्द का अर्थ है- 'प्रकाशिका' अर्थात् इसमें 'अष्टाध्यायी' के सूत्रों को, वृत्ति तथा उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इस दृष्टि से 'काशिका' बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ है।

'अष्टाध्यायी' तथा सिद्धान्तकौमुदी' के बीच के काल में 'काशिका' बहुत ही लोकप्रिय ग्रन्थ था। यही कारण है कि स्वयं 'काशिका' को स्पष्ट करने के लिये भी एक के बाद दूसरी टीकायें लिखी गयीं। 'काशिका' पर जिनेन्द्रबुद्धि ने 'काशिका-विवरण-पञ्जिका' या 'न्यास' नाम की टीका लिखी है। इसी पर 'हरदत्त' ने भी 'पदमञ्जरी' नाम की टीका लिखी है। पुनः 'न्यास' की व्याख्या मैत्रेयरक्षित ने 'तन्त्र-प्रदीप' में की। इस 'तन्त्र-प्रदीप' पर भी नन्दनमिश्र ने 'उद्योतन' तथा किन्हीं अन्य दो विद्वानों ने 'प्रभा' और 'आलोक' नाम की दो टीकायें लिखी हैं।

भाषा का वर्णनात्मक पक्ष : कौमुदीग्रन्थ—कौमुदी-ग्रन्थों में संस्कृत भाषा का वर्णनात्मक पक्ष प्रस्तुत हुआ है। इन ग्रन्थों का आधार यद्यपि पाणिनीकृत 'अष्टाध्यायी' ही है, तथापि इनमें सूत्रों का क्रम वही नहीं है, जो कि 'अष्टाध्यायी' में है। इन ग्रन्थों में सूत्रों को, प्रकरण के अनुसार रखा गया है तथा प्रकरणों के शीर्षक (1) संज्ञा, (2) सन्धि (3) सुबन्त, (4) स्त्रीप्रत्यय, (5) कारक, (6) समास, (7) तद्धित, (8) तिङन्त तथा (9) कृदन्त आदि रखे गये हैं।

कौमुदी-ग्रन्थों में- 'सिद्धान्तकौमुदी', 'मध्यकौमुदी', 'लघुकौमुदी', 'प्रक्रियाकौमुदी' तथा 'रूपवाला' आदि ग्रन्थ अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें से 'सिद्धान्तकौमुदी' का महत्व तथा प्रचलन सर्वोपरि रहा है। इसके रचयिता 'भट्टोजिदीक्षित' हैं, जिन्होंने प्रकरणानुसार सूत्रों की वृत्ति भी स्वयं लिखी है। वरदराजकृत 'लघुकौमुदी' तथा 'मध्यकौमुदी' में सूत्रों की संख्या कम है, जिससे पाठक 'लघुकौमुदी' 'मध्यकौमुदी' तथा 'सिद्धान्तकौमुदी' के क्रम से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर सकें। विमलसरस्वतीकृत 'रूपमाला' भी विषय की दृष्टि से कौमुदी-ग्रन्थों के ही समान है।

NOTES

भाषा के दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक पक्ष का विवेचन करने वालों में 'भर्तृहरि' 'नागेशभट्ट' तथा 'कौण्डभट्ट' आदि प्रमुख हैं। भारतीय भाषाविज्ञान में इन तीनों विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है।

भर्तृहरि और उनका वाक्यपदीय

भर्तृहरि के जन्मस्थान तथा काल आदि के विषय में हमारा ज्ञान निश्चित नहीं है। अनुमानतः ये सातवीं शताब्दी में हुये थे। 'वाक्यपदीय' के अतिरिक्त 'त्रिपदीभाष्य' तथा 'नीति-शतक' भी इनकी ही रचनायें हैं। इनमें से 'त्रिपदी-भाष्य' पतञ्जलि के 'महाभाष्य' पर लिखी गयी टीका है और इसका विषय व्याकरण-दर्शन है। 'वाक्यपदीय' का प्रमुख विषय भी भाषातत्त्व अथवा भाषादर्शन ही है।

“भर्तृहरि” का 'वाक्यपदीय' संस्कृत में लिखी गयी भाषातत्त्व की वह अपूर्वतम कृति है, जिसे पढ़े बिना आज की बहुत-सा भाषा-वैज्ञानिक समस्यायें असमाहित रहेंगी तथा जिसे पढ़कर हम बहुत-सी नयी समस्याओं के हल की जानकारी पा सकेंगे।”

नागेशभट्ट तथा कौण्डभट्ट—भाषा के दार्शनिक एवं सैद्धान्तिक पक्ष पर कार्य करने वालों में 'भर्तृहरि' के अतिरिक्त 'नागेशभट्ट' तथा 'कौण्डभट्ट' हैं। 'नागेशभट्ट' का भाषाविषयक चिन्तन भी मौलिक है। उनकी कई रचनायें हैं—'शब्देन्दुशेखर', 'परिभाषेन्दुशेखर', 'वैयाकरण सिद्धान्त मंजूषा' तथा 'स्फोटवाद' आदि उनकी अन्य रचनायें हैं। 'वैयाकरण सिद्धान्त मंजूषा' भाषा सम्बन्धी विवेचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसी ग्रन्थ परम्परा में 'कौण्डभट्ट' ने 'वैयाकरण भूषण' नामक ग्रन्थ की रचना की है। इसमें भी भाषाविषयक चिन्तन उत्कृष्ट कोटि का है।

कुछ अन्य व्याकरण ग्रन्थ—उपर्युक्त पाणिनि परम्परा के व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्याकरण सम्प्रदाय तथा उनके ग्रन्थ भी कम-अधिक प्रचलित रहे हैं। इनमें से तीन कुछ अधिक प्रसिद्ध हैं—(1) 'कातन्त्र व्याकरण' (लेखक अज्ञात), (2) बोपदेव का 'मुग्धबोध व्याकरण' तथा (3) अनुभूतिस्वरूपाचार्य का 'सारस्वत व्याकरण'। यद्यपि इन तीनों ही ग्रन्थों में प्रमुख रूप से सरलता को दृष्टि में रखा गया था, फिर भी व्याकरण ज्ञान की दृष्टि से इन्हें अपर्याप्त ही समझा जाता है।

प्राकृत व्याकरण—मध्यकाल में जब प्राकृत भाषाओं को साहित्य में स्थान मिला, तो उनके व्याकरण भी लिखे गये। प्राकृत-व्याकरणों में (1) वररुचिकृत 'प्राकृतप्रकाश' जिसमें महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी तथा शौरसेनी प्राकृतों पर विचार हुआ है तथा (3) मार्कण्डेय का 'प्राकृत सर्वस्व' जिसमें भाषा, विभाषा तथा अपभ्रंश पर विचार हुआ है, अधिक प्रसिद्ध हैं।

उपर्युक्त सभी प्राकृत व्याकरणों में केवल साहित्यिक प्राकृतों का ही विवेचन हुआ है। इनमें प्राकृतों का अध्ययन, बोलचाल की भाषा के रूप में नहीं हुआ है। अतः इनका भाषा वैज्ञानिक महत्व नगण्य ही है। हाँ, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन के लिए इन प्राकृतों के स्वरूप का ज्ञान हमें इन्हीं ग्रन्थों से हुआ है।

पालि व्याकरण—'पालि' के व्याकरणकारों में (1) कच्चायन, (2) मोग्गलान तथा (3) अग्गवंश—ये तीन वैयाकरण तथा इनके ग्रन्थों के आधार पर लिखे गये अन्य ग्रन्थ तथा टीकायें सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त व्याकरण ग्रन्थों के अतिरिक्त भारतीय 'काव्यशास्त्र' तथा 'दर्शनशास्त्र' में भी भाषा, विशेषतः शब्द, अर्थ तथा शब्दार्थ-सम्बन्ध आदि विषयों पर गम्भीर विवेचन मिलता है।

इस प्रकार, भारतवर्ष में भाषा विषयक चिन्तन का श्रीगणेश वैदिक काल में ही हो गया था। 'शिक्षा', 'प्रातिशाख्य', 'निरुक्त', 'अष्टाध्यायी', 'महाभाष्य', 'वाक्यपदीय' तथा मंजूषा आदि चिन्तन शृंखला की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। अन्य व्याकरण ग्रन्थों में भी उसी परम्परा के पालन का प्रयास किया गया है। ध्वनि, पद, वाक्य, अर्थ तथा लोकभाषा एवं साहित्यिक भाषा आदि सभी विषयों पर यहाँ पर्याप्त विचार-सामग्री उपलब्ध होती है। यहाँ तक कि भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी भारत में बहुत प्राचीन समय से ही होने लगा था।

NOTES

आधुनिक भारतीय भाषाविज्ञान

आधुनिक भारतीय भाषाविज्ञान से यहाँ तात्पर्य है, भारत की आधुनिक भाषाओं के सम्बन्ध में किया गया कार्य। अन्य ज्ञान-विज्ञानों की भाँति ही इस क्षेत्र में भी आधुनिक भारतीय विचारधारा पर यूरोपीय प्रभाव है। प्राचीनकाल के भाषा सम्बन्धी विवेचन जैसा मौलिक चिन्तन इसमें नहीं है। आधुनिक भारतीय भाषाविज्ञान यूरोपीय परम्परा का अनुगामी है। आधुनिक भारतीय भाषाविज्ञान की दो विशेषतायें प्रमुख हैं—

- (1) यह मात्रा में, प्राचीन भारतीय भाषा सम्बन्धी विवेचन की अपेक्षा पर्याप्त अधिक है।
- (2) भारत की प्रायः सभी साहित्यिक भाषाओं में यह कार्य हुआ है।

आधुनिक भारतीय भाषाविज्ञान सम्बन्धी कार्य का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(1) **बिशप कॉडवेल** (Rt. Rev. Robert Caldwell)—इन्होंने द्रविड़ भाषाओं का विस्तृत एवं गहन अध्ययन किया था। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ "A comparative Grammar of the Dravidian or South Indian Family of Languages." अर्थात् 'द्रविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण' है। सन् 1856 ई. में 'मद्रास विश्वविद्यालय' द्वारा यह प्रकाशित किया गया था। इससे इस ग्रन्थ की उपयोगिता का अनुमान सहज ही किया जा सकता है।

(2) **जॉन बीम्स** (John Beames)—इन्होंने हिन्दी, पंजाबी, सिन्धी, गुजराती, मराठी, उड़िया तथा बंगला आदि आधुनिक भाषाओं के व्याकरणों का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है। "Comparative Grammar of the Modern Aryan Languages of India" अर्थात् "आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण" इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ के तीन भाग हैं—'ध्वनि', 'संज्ञा' तथा 'सर्वनाम' और 'क्रिया'। इन तीनों भागों का प्रकाशन क्रमशः सन् 1872, सन् 1875 तथा सन् 1879 में हुआ था। इस ग्रन्थ की प्रमुख विशेषतायें हैं—इसकी 'भूमिका' तथा इसमें दिये गये उदाहरण। उपर्युक्त भारतीय आर्य भाषाओं के व्याकरणों से सम्बन्धित पर्याप्त सामग्री इस ग्रन्थ में एकत्रित मिलती है।

उनका दूसरा प्रसिद्ध ग्रन्थ 'Outlines of Indian Philology' है, जिसमें भारतीय भाषाविज्ञान की मोटी रूपरेखा प्रस्तुत की गयी है।

(3) **डॉ. ट्रम्प** (Dr. Ernst Trümp)—इन्होंने संस्कृत, प्राकृत, सिन्धी और पश्तो आदि भाषाओं का विस्तृत अध्ययन किया था। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ है—"Grammar of the Sindhi Language Compared with the Sanskrit, Prakrit and the Cognate Indian Vernaculars" अर्थात् 'संस्कृत, प्राकृत तथा सम्बद्ध भारतीय भाषाओं से सिन्धी भाषा के व्याकरण की तुलना' इसका प्रकाशन सन् 1872 ई. में हुआ तथा इसके एक वर्ष बाद सन् 1873 ई. में इन्होंने दूसरे ग्रन्थ 'Pashto Grammar' (पश्तो व्याकरण) का प्रकाशन कराया।

(4) पादरी-कैलॉग (Rev S. H. Kellogg)—इन्होंने “Grammar of the Hindi Language” अर्थात् ‘हिन्दी भाषा का व्याकरण’ नामक ग्रन्थ सन् 1876 ई. में लिखा था। इस ग्रन्थ में साहित्यिक खड़ी बोली हिन्दी का व्याकरण प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया गया है। किन्तु उसके साथ तुलना करते हुए ब्रजभाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी, बिहारी आदि भाषाओं से सम्बन्धित सामग्री भी पर्याप्त मात्रा में प्रयुक्त हुई है। प्रत्येक अभ्यास के अन्तिम भाग में व्याकरण के प्रमुख रूपों का संक्षिप्त इतिहास इस ग्रन्थ की एक अन्य विशेषता है।

(5) डॉ. सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर—ये संस्कृत के प्रगाढ़ विद्वान् होने के साथ ही साथ आधुनिक यूरोपीय भाषा विज्ञान पद्धति से भी भली-भाँति परिचित थे। परिणामस्वरूप, इन्होंने प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषाओं पर आधुनिक दृष्टि से विचार किया है। सन् 1877 ई. में इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय में ‘विल्सन फिजोलोजीकल लेक्चर्स’ व्याख्यानमाला के अन्तर्गत भारतीय आर्यभाषाओं पर 7 व्याख्यान दिये थे, जो 1914 ई. में ग्रन्थ के रूप में प्रकाशित हुए। यद्यपि ये सातों व्याख्यान प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं पर ही हैं, किन्तु आधुनिक आर्य भाषाओं से सम्बन्धित सामग्री भी इनमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है। मूल रूप से ये व्याख्यान अंग्रेजी में हैं, किन्तु इनका हिन्दी में अनुवाद हो चुका है।

आधुनिक भारतीय भाषाविज्ञान के क्षेत्र में, डॉ. सर रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर सर्वप्रथम भाषाविज्ञानी माने जाते हैं।

(6) डॉ. हार्नले (Dr. A. Rudolff Hoernle)—इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘Grammar of the Eastern Hindi, Compared with the other Gaudian Languages’ या ‘पूर्वी हिन्दी तथा अन्य गौडीय भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण’ सन् 1810 ई. में प्रकाशित हुआ था। इसका विषय इसके नाम से ही स्पष्ट है। इन्होंने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में बिहारी तथा अवधी को ही पूर्वी हिन्दी कहा है। इनके ग्रन्थ की अन्य विशेषतायें हैं—(1) भोजपुरी पर विस्तृत विचार तथा (2) आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक सामग्री।

7. ग्रियर्सन (Sir George Abraham Grierson)—भारतीय भाषाओं पर काम करने वाले प्रमुख यूरोपीय विद्वानों में ग्रियर्सन का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इनका प्रमुख कार्य प्रशासनिक था, क्योंकि एक आई. सी. एस. ऑफीसर के रूप में ही ये बिहार में नियुक्त हुए थे। किन्तु प्रशासन का कार्य करते हुए भी इन्होंने भारतीय भाषाओं के अध्ययन में विशेष रुचि ली। यद्यपि इनका सर्वप्रथम ग्रन्थ ‘Seven Grammar of Behari Language’ (बिहारी भाषा के सात व्याकरण) था, जो 1883 से लेकर 1887 ई. तक प्रकाश में आया था। किन्तु इनके ‘Linguistic survey of India’ (भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण) ग्रन्थ के कारण ही इन्हें सर्वाधिक यश प्राप्त हुआ है। इसकी रचना में इन्हें 33 वर्ष (सन् 1894-1927 तक) लगे थे। इस ग्रन्थ के 11 भाग हैं। जिनमें एक-एक में भी 3-3 या 4-4 खण्ड हैं। इस ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय उत्तरी भारत की सभी आधुनिक भाषाओं, उपभाषाओं तथा बोलियों का सोदाहरण विवेचन है। उनका संक्षिप्त व्याकरण भी दिया गया है। इस ग्रन्थ की महत्वपूर्ण भूमिका में भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास भी दिया है, जो बहुत ही प्रामाणिक माना जाता है। इस वृहद् ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद भी उपलब्ध है, जो डॉ. उदयनारायण तिवारी द्वारा किया गया है।

उपर्युक्त महत्वपूर्ण ग्रन्थों के अतिरिक्त, इन्होंने पैशाची भाषा तथा कश्मीरी भाषा पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ रचे हैं। इनका एक अन्य ग्रन्थ ‘कश्मीरी-कोश’ भी सन् 1924 में प्रकाशित हुआ था।

इस प्रकार डॉ. ग्रियर्सन ने आधुनिक भाषाओं पर काम करने वाले विद्वानों का मार्ग प्रशस्त किया है।

8. टर्नर (Sir Ralph L. Turner)—इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'Nepali Dictionary' (नेपाली कोश) है, जिसका प्रकाशन सन् 1931 ई. में हुआ था। इस ग्रन्थ में पहली बार आर्य-भाषाओं के शब्द-समूह का तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक अध्ययन प्रस्तुत हुआ है। प्रत्येक भाषा में उपलब्ध शब्दों की सूचियाँ इस ग्रन्थ की द्वितीय विशेषता हैं। इसे विद्वानों ने भारतीय आर्यभाषाओं से सम्बन्धित सर्वप्रथम नैरुक्तिक कोश कहा है। कुल मिलाकर इसमें 212 भाषाओं को आधार बनाया गया है।

'टर्नर' का दूसरा ग्रन्थ 'Comparative Dictionary of the Indo Aryan Languages' (भारतीय आर्य भाषाओं का तुलनात्मक व्युत्पत्ति कोश) है। इस ग्रन्थ के प्रथम भाग का प्रकाशन सन् 1962 ई. में हुआ है।

व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'टर्नर' महोदय के उपर्युक्त दोनों ही ग्रन्थ बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त 'टर्नर' महोदय ने गुजराती ध्वनि-समूह, मराठी स्वराघात तथा सिन्धी भाषा पर भी कार्य किया है। कोश-रचना में इनकी विशेष रुचि है।

ज्यूल ब्लॉक (Jule Block)—इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'La Formation de La Langue Marathe' (मराठी भाषा की रचना) सन् 1919 ई. में प्रकाशित हुआ था। किसी एक आधुनिक भारतीय आर्यभाषा पर कार्य करने वालों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए ब्लॉक महोदय का उपर्युक्त ग्रन्थ बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस ग्रन्थ के अतिरिक्त इनके दो अन्य ग्रन्थ भी बहुत उपयोगी हैं—(1) 'La Indo Aryan' (भारतीय आर्यभाषा), जो सन् 1934 ई. में प्रकाशित हुआ तथा (2) 'Structure Grammaticale des Langues Dravidiennes' (द्रविड़ भाषाओं का व्याकरणिक गठन)।

आधुनिक काल में भारतीय आर्यभाषा पर कार्य करने वाले उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त कुछ अन्य भाषाओं तथा उन पर कार्य करने वाले सिद्धान्तों का विवरण निम्नलिखित है—

संस्कृत—संस्कृत भाषा पर कार्य करने वाले विद्वानों में निम्नलिखित के नाम महत्वपूर्ण हैं—

(1) डॉ. लक्ष्मणस्वरूप, (2) श्री वी. के. राजवाडे, (3) डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा, (4) श्री विश्वबन्धु शास्त्री, (5) श्री आर. एन. दाण्डेकर, (6) श्री ई. डी. कुलकर्णी, (7) डॉ. सूर्यकान्त शास्त्री, (8) डॉ. सुकुमार सेन, (9) श्री वटकृष्णघोष, (10) श्री मनमोहन घोष, (11) टी. बरो, (12) डॉ. भोलाशंकर व्यास, (13) डॉ. कपिलदेव द्विवेदी तथा (14) डॉ. सत्यकाम वर्मा, (15) डॉ. बलदेव सिंह, (16) डॉ. देवीदत्त शर्मा।

(1) डॉ. लक्ष्मणस्वरूप—इन्होंने 'यास्क' के 'निरुक्त' पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। 'निरुक्त' के आधुनिक अध्येताओं में पश्चिमी विद्वान् 'रॉथ' तथा भारतीय विद्वान् 'डॉ. लक्ष्मणस्वरूप' इन दो विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डॉ. लक्ष्मणस्वरूप के कार्य से पूर्व यद्यपि 'निरुक्त' का सम्पादन हो चुका था तथा विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों को इसका आधार बनाया गया था, किन्तु 'निरुक्त' का कोई प्रामाणिक एवं विशुद्ध पाठ तब तक भी उपलब्ध नहीं था। डॉ. लक्ष्मणस्वरूप ने अथक परिश्रम एवं गहन अध्यवसाय से 'निघण्टु' और 'निरुक्त' दोनों का प्रामाणिक एवं विशुद्ध पाठ के साथ सम्पादन किया है साथ ही साथ इन्होंने 'निरुक्त' पर बहुत ही विद्वत्पूर्ण टिप्पणियाँ भी प्रस्तुत की हैं। इसी प्रकार 'निरुक्त' पर 'स्कन्द स्वामी' द्वारा किये गये भाष्य का भी एक अच्छा संस्करण इनके द्वारा प्रकाश में लाया गया है।

यद्यपि डॉ. लक्ष्मणस्वरूप का उपर्युक्त सभी कार्य महत्वपूर्ण है, तथापि उसका माध्यम अंग्रेजी भाषा होने के कारण हिन्दी एवं संस्कृत के पाठक उससे प्रत्यक्ष रूप से बहुत अधिक लाभान्वित नहीं हो सके हैं।

NOTES

(2) श्री वी. के. राजवाडे—श्री 'राजवाडे' ने सम्पूर्ण 'निघण्टु' के केवल 3 अध्यायों पर अंग्रेजी भाषा में टीका-टिप्पणी प्रस्तुत की है। इनका दृष्टिकोण 'यास्क' में अनेक त्रुटियाँ निकालना रहा है। इनके अनुसार 'यास्क' का 'निरुक्त' केवल अटकलबाजी है, कोई सारभूत निर्वचन नहीं है।

वस्तुतः अनेक स्थानों पर 'राजवाडे' 'यास्क' को भली-भाँति समझ नहीं सके हैं। जहाँ भी उन्हें असुविधा हुई है या सूक्ष्म विवेचन की आवश्यकता पड़ी है, वे उसका सारा दोष 'यास्क' के ही मत्थे मढ़ देते हैं। इतना होने पर भी उनका अध्ययन-विवेचन 'निरुक्त' के पाठकों के लिए उपयोगी रहा है। कारण, उनकी तीखी आलोचना से प्रेरित होकर अनेक यास्क प्रेमी पाठकों एवं विद्वानों ने 'निरुक्त' का गहन अध्ययन किया है तथा उनके निर्वचनों को युक्तियुक्त सिद्ध किया है।

(3) डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा—संस्कृत भाषा पर भाषावैज्ञानिक दृष्टि से कार्य करने वालों में डॉ. वर्मा का नाम उल्लेखनीय है। इनकी दो प्रमुख रचनायें हैं—(1) 'एनेलिसिस ऑफ मीनिंग इन इण्डियन सेण्टिक्स' तथा (2) 'फोनेटिक आब्जरवेशन ऑफ एन्शियेंट इण्डियन ग्रामेरियन्स'।

प्रथम रचना का सम्बन्ध अर्थ-विचार से है तथा दूसरी का ध्वनि-विचार से। प्रथम में 'यास्क' को आधार माना गया है तथा दूसरी में भारत के प्राचीन शिक्षाकारों को। डॉ. वर्मा ने अपनी रचना में 65 शिक्षा-ग्रन्थों के होने का उल्लेख किया है। अर्थ-विचार सम्बन्धी इनकी रचना 'रॉथ' के 'बोर्टर बूख' नामक शब्दकोश से कुछ मिलती-जुलती है तथा उसमें तुलनात्मक पद्धति को अपनाया गया है।

(4) डॉ. भोलाशंकर व्यास—इन्होंने 'संस्कृत का भाषाशास्त्रीय अध्ययन' नामक पुस्तक में आधुनिक भाषाविज्ञान की दृष्टि से संस्कृत का विवेचन किया है। साथ ही, इसमें भारोपीय भाषावैज्ञानिक सामग्री का तुलनात्मक परिचय भी मिल जाता है। संस्कृत से होने वाले आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के विकास पर भी इसमें उत्तम सामग्री उपलब्ध होती है। इसकी रचना प्रो. टी. बरो की 'संस्कृत लैंग्वेज' से मिलती-जुलती है।

(5) डॉ. कपिलदेव द्विवेदी—इनका ग्रन्थ 'अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन' शोधपरक है, जिसमें 'निरुक्त' को आधार बनाया गया है। अपने विवेचन में डॉ. द्विवेदी ने प्राचीन और नवीन सभी उपलब्ध सामग्री का सदुपयोग, शास्त्रीय दृष्टिकोण से किया है। यह विवेचन अपने आप में पर्याप्त विस्तृत है।

डॉ. सत्यकाम वर्मा—आपका ग्रन्थ 'भाषातत्व और वाक्यपदीय', 'भर्तृहरि' को आधार बनाकर किया गया शोधकार्य है। आपका दृष्टिकोण भाषावैज्ञानिक है तथा आपने अपने विवेचन में आधुनिक पाश्चात्य भाषा-विवेचकों की तुलना में भारत के प्राचीन भाषा-विवेचक 'भर्तृहरि' की पुनः प्रतिष्ठा का प्रयास किया है।

अन्य भारतीय भाषाओं पर हुए कार्य का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

अवेस्तन—'अवेस्ता' की भाषा 'अवेस्तन' या 'अवेस्ती' पर डॉ. तारापुरवाला ने उल्लेखनीय कार्य किया है।

पालि—भिक्षु जगदीश कश्यप तथा विधुशेखर भट्टाचार्य।

प्राकृत—बुलनर ।

अपभ्रंश—प्रबोध बागची, शहीदुल्ला, पी. एल. वैद्य तथा हीरालाल जैन ।

दरद—डॉ. सिद्धेश्वर वर्मा ।

कश्मीरी—डॉ. प्रियर्सन ।

पंजाबी—बनारसीदास जैन ।

लहँदा—डॉ. हरदेव बाहरी ।

मुल्तानी—डॉ. परमानन्द बहल ।

सिन्धी—श्री शाहानी ।

गुजराती—हरिबल्लभ भायाणी, कान्तिलाल व्यास, भोगीलाल, नरसिंहराव, भोलानाथ दिवातिया ।

कोंकणी—सुमित्र मंगेश कत्रे ।

मराठी—के. पी. कुलकर्णी ।

तमिल—नीलकण्ठ शास्त्री, अमृतराव ।

मलयालम—चन्द्रशेखर, रामस्वामी अय्यर ।

कन्नड—नरसिंह चार ।

सिंहली—गाइगर (Geriger) ।

उड़िया—विनायक मिश्र, गोलोकबिहारी धल, गोपालचन्द्र आदि ।

असमिया—वाणीकान्त काकती । आदि-आदि ।

बंगला—डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी, सुकुमार सेन, हेमन्तकुमार सरकार आदि । डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी ने बंगला भाषा पर महत्वपूर्ण कार्य किया है। “Origin and Development of Bengali Language” (बंगला भाषा का उद्भव और विकास) नामक इनका ग्रन्थ सन् 1921 ई. में ‘लन्दन विश्वविद्यालय’ द्वारा डी. लिट् की उपाधि के लिए स्वीकृत हुआ था। इसके अतिरिक्त भी बंगला भाषा पर इनके कई निबन्ध प्रकाशित हुए हैं, जैसे—आधुनिक बंगला की ध्वनियाँ, ‘बंगला में फारसी तत्व’, ‘बंगला क्रियापद’, ‘प्राचीन बंगाली चर्यापद’ तथा “Comparative Philology with Special Reference to Bengali Dialects” आदि-आदि ।

बंगला भाषा सम्बन्धी इनकी अन्य रचनायें भी हैं—

(1) ‘Bengali Self-taught.’

(2) ‘A Bengali Phonetic Reader’

(3) ‘बांगला भाषातत्त्वेर भूमिका’ तथा

NOTES

NOTES

बंगला भाषा के अतिरिक्त इन्होंने हिन्दी, राजस्थानी आदि पर भी कार्य किया है। 'Indo-Aryan and Hindi' (भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी) इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है।

इस प्रकार बंगला भाषा तथा भाषाशास्त्र के क्षेत्र में डॉ. सुनीति कुमार चटर्जी का महत्वपूर्ण स्थान है।

हिन्दी तथा हिन्दी की बोलियाँ

हिन्दी तथा उसकी विभिन्न बोलियों पर भी पर्याप्त महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इस क्षेत्र के प्रमुख विद्वानों का एवं उनके कार्य का विवरण इस प्रकार है—

डॉ. सुनीतिकुमार चटर्जी—'भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी' तथा 'राजस्थानी भाषा'।

डॉ. धीरेन्द्र वर्मा—'हिन्दी भाषा का इतिहास' तथा 'La Language Braja' (ब्रजभाषा)।

डॉ. बाबूराम सक्सेना—'Evolution of Awadhi' तथा 'दक्खिनी हिन्दी'।

डॉ. उदयनारायण तिवारी—'भोजपुरी भाषा और साहित्य' एवं 'हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास'।

कामताप्रसाद गुरु—'हिन्दी व्याकरण'।

चन्द्रधर शर्मा गुलेरी—'पुरानी हिन्दी'।

पं. पद्मसिंह शर्मा—'हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी'।

आचार्य किशोरीदास वाजपेयी—'हिन्दी निरुक्त', 'हिन्दी शब्दानुशासन'।

हरदेव बाहरी—'हिन्दी का अर्थविज्ञान'।

सुभद्र 'झा'—'मैथिली का उद्भव और विकास'।

विश्वनाथ प्रसाद—'भोजपुरी का ध्वनिविज्ञान और ध्वनिप्रक्रिया'।

उपर्युक्त विद्वानों में डॉ. धीरेन्द्र वर्मा ने पर्याप्त ख्याति प्राप्त की है। हिन्दी भाषा के क्षेत्र में इनके कार्य को बहुत महत्व दिया जाता है। सन् 1933 ई. में इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'हिन्दी भाषा का इतिहास' नाम से प्रकाशित हुआ। 'ज्यूल ब्लॉख' के निर्देशन में इन्होंने 'La Language Braja' (ब्रजभाषा) पर कार्य किया तथा उस पर 'पेरिस विश्वविद्यालय' से डी. लिट् की उपाधि प्राप्त की।

उपर्युक्त रचनाओं के अतिरिक्त इन्होंने 'ब्रजभाषा-व्याकरण' तथा 'ग्रामीण हिन्दी' नामक पुस्तकों की भी रचना की है। साथ ही, समय-समय पर भाषाविज्ञान-सम्बन्धी अनेक निबन्ध भी इन्होंने लिखे हैं। इनके निर्देशन में भाषाविज्ञान पर अनेक शोध-प्रबन्ध भी लिखे गये हैं।

भाषाविज्ञान के सिद्धान्त

विभिन्न भाषाओं पर हुये उपर्युक्त कार्य के अतिरिक्त अनेक विद्वानों द्वारा 'भाषाविज्ञान के सिद्धान्त' पक्ष पर भी कार्य किया गया। ऐसे विद्वानों में डॉ. श्यामसुन्दर दास, डॉ. मंगलदेव शास्त्री, डॉ. बाबूराम

सक्सेना, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, डॉ. भोलानाथ तिवारी, श्री पं. भगवदत्त आदि ने विशेष ख्याति प्राप्त की है। श्री गोलोकबिहारी धल का 'ध्वनिविज्ञान', डॉ. हरदेव बाहरी का "Hindi Semantics" (हिन्दी अर्थविज्ञान), डॉ. रामविलास शर्मा का 'भाषा और समाज' तथा डॉ. केशवरामपाल का 'हिन्दी में प्रयुक्त संस्कृत शब्दों में अर्थपरिवर्तन' आदि ग्रन्थ भी इसी कोटि के हैं।

NOTES

संक्षेप में, आधुनिक काल में अनेक भारतीय विद्वान् भाषाविज्ञान के क्षेत्र में प्रवृत्त हुये हैं, जिनमें से कुछ को छोड़कर शेष सभी विद्वानों ने भाषा विज्ञान के यूरोपीय सिद्धान्तों का ही अनुसरण किया है। कुछ महत्वपूर्ण कार्य तो विदेशों में रहकर तथा विदेशी विद्वानों की ही देखरेख में हुये हैं। इस प्रकार प्राचीनकाल की अपेक्षा आधुनिक काल में भाषा-सम्बन्धी कार्य पर्याप्त मात्रा में हुआ है।

यूरोपीय भाषाविज्ञान

यूरोप में भाषाविज्ञान का जन्म यूनान (ग्रीस) में हुआ माना जाता है। 'सुकरात', प्लेटो तथा 'अरस्तू' आदि ग्रीक विद्वानों ने ही यूरोप में, सर्वप्रथम भाषा के सम्बन्ध में विचार किया था। ग्रीस में उस प्राचीनकाल में हुये भाषा-विवेचन की तुलना जब हम भारत के प्राचीन विचारकों से करते हैं, तो स्पष्टतः, दो बातों का अभाव प्रतीत होता है—

(1) ग्रीक विद्वानों की दृष्टि बहुत ही संकुचित थी, वे केवल अपनी ही भाषा से परिचित थे तथा उसी के अनुसार विश्व की सभी भाषाओं को परखते थे।

(2) ग्रीक विद्वानों के भाषा-विवेचन में विश्लेषण की कमी थी तथा दार्शनिकता एवं काल्पनिकता का पुट अधिक रहता था।

प्राचीनकाल में भारत में तथा ग्रीस में हुए भाषा-सम्बन्धी विवेचन की तुलना करते हुये 'एल. एच. ग्रे' (L. H. Gray) ने लिखा है—

“Unlike the linguistic investigations of the Indians, which were mainly analytic those of the Greek were very largely speculative and philosophical character.”

अर्थात् भारतीयों के विश्लेषणात्मक भाषा-विवेचन की तुलना में ग्रीकों का भाषा-विवेचन काल्पनिक तथा दार्शनिक अधिक था।

'ग्रे' के उपर्युक्त विचार से मिलता-जुलता विचार ही 'जेम्सर्सन' का भी है—

“Science presupposes careful observation and systematic classification of facts; of that in the old Greek writers of language, we found very little. The earliest masters in linguistic observation and classification were the old Indian Grammarians.”

अर्थात् भाषा पर लिखने वाले प्राचीन ग्रीक विद्वानों में तथ्यों के प्रति सूक्ष्म दृष्टि तथा उनके व्यवस्थित वर्गीकरण की कमी है। भारत के प्राचीन वैयाकरण इस विषय में बड़े निपुण थे।

इस प्रकार उपर्युक्त दोनों ही पाश्चात्य विद्वानों ने ग्रीक भाषा-विचारकों की अपेक्षा प्राचीन भारतीय वैयाकरणों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। अतः, उक्त विचारों से ग्रीक में हुये प्राचीन भाषा-विवेचन-सम्बन्धी कार्य का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।

NOTES

सुकरात (469-399 ई. पूर्वी)—ग्रीक विचारकों में सुकरात का नाम सर्वप्रथम है। भाषा के क्षेत्र में इनका प्रमुख सिद्धान्त—शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध पर आधारित है। इन्होंने शब्द तथा अर्थ के नित्य सम्बन्ध को स्वीकार नहीं किया है। ये शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध को रूढ़ मानते हैं। अर्थात् किसी पदार्थ को, कोई नाम हम अपनी इच्छानुसार देते हैं। इनके अनुसार शब्द तथा उसके अर्थ में कोई नैसर्गिक सम्बन्ध नहीं होता है। यही कारण है कि 'गाय' को विश्व की सभी भाषाओं में 'गाय' न कहकर उसके लिये भिन्न-भिन्न शब्दों का व्यवहार किया जाता है।

'सुकरात' की दूसरी मान्यता थी कि ऐसी भाषा का निर्माण भी सम्भव है, जिसमें शब्द तथा अर्थ के नैसर्गिक सम्बन्ध की स्थापना की जा सके।

विद्वानों ने 'सुकरात' के प्रथम सिद्धान्त को पूर्णतया तथा द्वितीय सिद्धान्त को आंशिक रूप से ही स्वीकार किया है, क्योंकि शब्द और अर्थ का नैसर्गिक सम्बन्ध केवल अनुकरणात्मक तथा अनुरणनात्मक शब्दों में ही सम्भव है, अन्य में नहीं।

प्लेटो (429-347 ई. पू.)—भाषा के क्षेत्र में प्लेटो की मान्यता है कि शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध नैसर्गिक होता है। यह मान्यता 'सुकरात' से नितान्त विपरीत है। 'प्लेटो' के अनुसार विचार तथा भाषा, परस्पर लगभग अभिन्न ही है। विचार, वस्तुतः मौन वार्तालाप ही है, उसी का उच्चारित (व्यक्त) रूप भाषा है।

इसी प्रकार 'प्लेटो' का, भाषा की उत्पत्ति-सम्बन्धी सिद्धान्त भी विद्वानों को मान्य नहीं हो सका है।

फिर भी प्लेटो ने 'सबसे पहले' ग्रीक वर्णमाला का वर्गीकरण तथा उसका व्यवस्थित विन्यास किया है, जो भाषा के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण देन मानी जाती है। कुछ विद्वानों के अनुसार, शब्दों के दो भेद—'संज्ञा' तथा 'क्रिया' भी इन्हें ज्ञात थे।

प्लेटो ने 'ग्रीक' भाषा के शब्द-भण्डार पर भी आलोचनात्मक दृष्टि डाली थी। यही कारण है कि उसने 'Cratylus' (क्रैटीलुस) में संकेत किया है कि ग्रीक भाषा में अनेक शब्द बर्बर भाषाओं से आ गये हैं, क्योंकि बर्बर भाषायें ग्रीक भाषा से प्राचीन है।

प्लेटो ने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में, सभी भाषाओं की आधारभूत कुछ धातुओं को प्रकृति की ही देन स्वीकार किया है।

अरस्तू (384-322 ई. पू.)—अपने पूर्ववर्ती विद्वानों की अपेक्षा 'अरस्तू' का भाषा-विवेचन कुछ अधिक वैज्ञानिक था।

'प्लेटो' को शब्दों के केवल संज्ञा और क्रिया रूप ही ज्ञात थे, किन्तु 'अरस्तू' ने इसमें Conjunction (संयोजक) तथा Article (निर्देशक) भेदों को भी जोड़ा है। साथ ही, 'अरस्तू' ने भाषा में 'वचन' एवं 'कारक' के भेद को भी स्पष्ट किया है।

संक्षेप में, 'अरस्तू' ने—

(1) शब्द तथा अर्थ के सम्बन्ध को रूढ़ माना है, जैसा कि 'सुकरात' ने माना था।

(2) भाषा का विश्लेषण करके उसने पदों के आठ भाग किये हैं (Eight Parts of Speech), जिन्हें आज भी माना जाता है।

(3) उसने वाक्य को उद्देश्य तथा विधेय-इन दो भागों में विभाजित किया है।

निष्कर्ष रूप में, अरस्तू यद्यपि अपने पूर्वाचार्यों की अपेक्षा अधिक प्रतिभासम्पन्न था और उसने अनेक नवीन स्थापनायें भी कीं; किन्तु भाषा के क्षेत्र में उसे भी कोई नियम या व्यवस्था दृष्टिगोचर नहीं हुयी। परिणामस्वरूप, इस क्षेत्र में उसने किसी भी नवीन नियम की स्थापना का प्रयास नहीं किया।

इस प्रकार प्राचीन ग्रीक विद्वानों—सुकरात, प्लेटो तथा अरस्तू आदि में से किसी ने भी भाषा-विवेचन-सम्बन्धी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं किया। वस्तुतः ये भाषाविज्ञानी न होकर दार्शनिक थे। आगे चलकर 'अरस्तू' के बाद भी, दो हजार वर्ष तक भाषा के क्षेत्र में कोई उल्लेखनीय कार्य ग्रीस में नहीं हुआ।

डियोनिसियस थ्रैक्स (Dionysius Threx) (द्वितीय शताब्दी ई. पू.)—'थ्रैक्स' सिकन्दरिया का रहने वाला था। 'होमर' के प्रमुख आलोचक एवं सम्पादक 'अरिष्टाक्रुस' इसके गुरु थे। 'थ्रैक्स' को ग्रीक भाषा का, सर्वप्रथम वैयाकरण माना जाता है। वास्तव में थ्रैक्स व्याकरणशास्त्र का आविष्कर्ता नहीं था, क्योंकि व्याकरण की सम्पूर्ण रूपरेखा उसे अपने पूर्ववर्ती विद्वानों—प्लेटो एवं अरिष्टाक्रुस आदि से ही प्राप्त हुयी थी। हाँ, उसकी महत्वपूर्ण देन यह है कि उसने अपने पूर्ववर्ती दार्शनिक तथा आलोचकों की, व्याकरण से सम्बन्धित खोजों को व्यावहारिक रूप दिया तथा उसके आधार पर ग्रीक भाषा का अध्यापन प्रारम्भ किया। परिणामस्वरूप, यूरोप में बाद के सभी व्याकरण ग्रन्थों में प्रायः 'थ्रैक्स' के ही पारिभाषिक शब्दों को स्वीकार किया गया है।

मध्ययुग—इस प्रकार लगभग 17वीं शताब्दी तक ग्रीकों की भाषा सम्बन्धी धारणा में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुयी। यूरोपीय इतिहास के मध्ययुग में भाषा के क्षेत्र में एक बड़ी घटना यह हुयी कि शिक्षित समाज में ग्रीक भाषा का स्थान लैटिन भाषा ने ले लिया। इस प्रकार पढ़े-लिखे लोगों की भाषा लैटिन तथा अनपढ़ लोगों की भाषा ग्रीक हो गयी। लिखित रूप से लैटिन तथा बोलचाल में ग्रीक का व्यवहार होता रहा और इस प्रकार दोनों भाषायें साथ-साथ प्रयुक्त होती रहीं। पढ़े-लिखों की भाषा होने से महत्व तो लैटिन का ही रहा, किन्तु इस रूप में उसका भाषावैज्ञानिक महत्व लगभग शून्य ही हो गया। इसके साथ ही, लैटिन को ग्रीक भाषा के ढाँचे में ढाला गया, जो कि उसके लिये उपयुक्त ढाँचा नहीं था। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि इस युग में भाषावैज्ञानिक विवेचन का विकास नहीं हो सका।

यूरोप में आधुनिक भाषाविज्ञान की पृष्ठभूमि 18वीं शताब्दी

18वीं शताब्दी में यूरोप में आधुनिक भाषाविज्ञान का आरम्भ हुआ। इस शताब्दी के कई विद्वानों ने भाषा सम्बन्धी-समस्याओं की ओर ध्यान दिया है। प्रमुख रूप से भाषा की उत्पत्ति के प्रश्न पर रूसो, कोंडिलॉक, लाइबनिज, हर्डर तथा येनिश आदि विचारकों ने अपने मौलिक विचार प्रस्तुत किये हैं।

रूसो (Rousseau) 1712 से 1778 ई.—'रूसो' ने भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अपना विचार प्रकट करते हुये अपने ग्रन्थ "Contract Social" (सामाजिक अनुबन्ध) में कहा है कि मनुष्यों ने एक स्थान पर एकत्रित होकर सामाजिक समझौते के आधार पर भाषा का निर्माण, आपसी विचार-विनिमय से किया है। किन्तु रूसो का यह मत विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि इसका सबसे बड़ा दोष

NOTES

था कि 'रूसो' ने जिस सामाजिक समझौते तथा विचार-विनिमय की बात कही थी, वह स्वयं भाषा के अभाव में सम्भव नहीं था।

NOTES

कोंडिलॉक (Condillac)—इस युग के एक-दूसरे फ्रेंच विद्वान् कोंडिलॉक के अनुसार भाषा की उत्पत्ति मनुष्यों के मुख से भावातिरेक में उत्पन्न ध्वनियों के आधार पर मानने से मनुष्य की स्थिति पशु-पक्षियों से भी निकृष्ट हो जाती है। उनके अनुसार ऐसी कल्पना करना उचित नहीं है, जिससे यह प्रकट हो कि मनुष्य ने पशु-पक्षियों से भाषा को सीखा है। संक्षेप में, मनुष्य भय, पीड़ा तथा प्रसन्नता का अनुभव करने पर रोता, सिसकता तथा चिल्लाता है तथा इस प्रकार की ध्वनियाँ तथा विस्मय आदि भाव, भाषा का प्रारम्भिक रूप हैं।

किन्तु, भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 'कोंडिलॉक' का उपर्युक्त सिद्धान्त भी मान्य नहीं हो सका। अन्यत्र इसकी कमियों का उल्लेख किया जा चुका है।

लाइबनिज—यह मूलरूप से दार्शनिक थे। भाषा की उत्पत्ति पर विचार करते हुये लाइबनिज से पूर्व कोंडिलॉक, एडम स्मिथ, लॉके तथा डॉ. ब्राउन आदि दार्शनिक विद्वानों ने कहा था कि पदार्थों के सभी नाम, पहले व्यक्तिगत विषयों का ज्ञान कराने वाले होते हैं। इसके विपरीत, लाइबनिज की मान्यता है कि भाषा के किसी भी विधान में प्रथमतः सामान्य या जातिवाचक शब्दों की अनिवार्य स्थिति होती है। उनके अनुसार "बच्चे और विशेषकर वे बच्चे, जिन्हें नाममात्र का ही भाषाज्ञान होता है तथा जो बातचीत करने के इच्छित विषय का भी सीमित ज्ञान रखते हैं, अज्ञानवश वे व्यक्तिवाचक नामों वाले शब्दों का ही प्रयोग करते हैं; यथा—वस्तु, पेड़, पौधे, पशु आदि यह निश्चित है कि व्यक्तिवाचक या विशेष-विशेष वस्तुओं के नाम आदिकाल में साधारण या जातिवाचक थे।" वह पुनः कहते हैं—“इस प्रकार मुझे यह कहने का साहस होता है कि प्रायः सभी शब्द मौलिक रूप से जातिवाचक थे, क्योंकि ऐसे बहुत कम अवसर मिलते होंगे जब मनुष्यों ने अकारण ही वस्तुविशेष या व्यक्ति का नामकरण किया होगा।”

आगे चलकर 'मैक्समूलर' ने 'लाइबनिज' की अपेक्षा 'एडमस्मिथ' के ही मत को प्रमुखता दी है। वस्तुतः, भाषा में व्यक्ति से सामान्य तथा सामान्य से व्यक्तिगत नामों का क्रम चलता रहता है।

हर्डर (Johann Gottfrid Herder)—भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में 'हर्डर' के विचारों को, पहले विद्वानों की अपेक्षा कुछ अधिक मान्यता प्राप्त हुयी है। सन् 1772 ई. में, 'बर्लिन अकादमी' के तत्त्वावधान में 'हर्डर' ने भाषा की उत्पत्ति पर एक निबन्ध लिखकर 'सर्वोत्तम निबन्ध' का पुरस्कार भी प्राप्त किया था। अपने निबन्ध में इन्होंने भाषा की दैवी-उत्पत्ति का खण्डन करके अनुकरणमूलकता के सिद्धान्त की स्थापना की थी। किन्तु, अपने जीवन के अन्तिम दिनों में, इन्होंने अपने इस सिद्धान्त को स्वयं भी अमान्य घोषित कर दिया था।

भाषा के, ईश्वर द्वारा निर्मित होने के सिद्धान्त का खण्डन 'हर्डर' ने दो प्रमुख आधारों पर किया है—(1) यदि भाषा ईश्वर-निर्मित होती तो उसमें एकरूपता होती तथा अव्यवस्था एवं अनियमितता न होती। (2) विश्व की सभी भाषायें समान होतीं, उनमें संस्कृत तथा चीनी भाषाओं जैसा भेद न होता।

भाषा की उत्पत्ति-विषयक 'हर्डर' की प्रमुख मान्यतायें इस प्रकार हैं—(1) भाषा की उत्पत्ति मानव की आवश्यकता के परिणामस्वरूप हुयी है। आज भी हम देखते हैं कि भाषा में आवश्यकतानुसार नये-नये शब्द सम्मिलित होते रहते हैं। (2) भाषा का निर्माण धातुओं से हुआ है तथा (3) भावाभिव्यक्ति के लिये, आदिम मानव रूपकों की सहायता अधिक मात्रा में लेता था।

तुलनात्मक भाषाविज्ञान का जन्म—स्वयं पाश्चात्य विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया है कि यूरोप में आधुनिक 'तुलनात्मक भाषाविज्ञान' का जन्म तभी हुआ, जब पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत

से परिचय प्राप्त किया। इस प्रसंग में प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान् 'जैक्सन' (Jackson) का यह कथन यहाँ द्रष्टव्य है—

'तुलनात्मक भाषाविज्ञान उसी दिन जन्मा, जिस दिन पाश्चात्य जगत् ने संस्कृत से साक्षात्कार किया। भारत की पवित्र भाषा तथा प्राचीन ज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले, उन प्रारम्भिक विद्वानों का उत्साह आज भी उनके अनुयायियों की रगों में उष्णता का संचार कर रहा है तथा आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी, उससे सदैव प्रेरणा प्राप्त करती रहेंगी।'

यूरोपवासियों को संस्कृत से परिचित कराने वाले विद्वानों में 'कोएर्दू' तथा 'सर विलियम जोन्स' का नाम सर्वप्रथम लिया जाता है। यहाँ इनके प्रयासों का संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है।

कोएर्दू (Coeurdoux)—ये एक फ्रेंच पादरी थे, जो सन् 1776 ई. में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिये भारत में आये थे। तभी इनका परिचय संस्कृत भाषा से हुआ। उन्होंने भारत में रहते हुये संस्कृत, ग्रीक, लैटिन तथा फ्रेंच भाषा के कुछ शब्दों की तुलना करते हुये एक निबन्ध लिखा तथा इन्होंने उसे प्रकाशित करने के लिये 'फ्रेंच इन्स्टीट्यूट' को भेज दिया। इनके दुर्भाग्य से वह लेख 40 वर्ष तक प्रकाशित नहीं हो सका तथा इसी बीच एक अन्य विद्वान् 'सर विलियम जोन्स' को इस क्षेत्र में अधिक ख्याति प्राप्त हो गयी।

सर विलियम जोन्स (Sir William Jones)—यद्यपि 'जोन्स' से पूर्व 'वारेन हेस्टिंग्ज' जैसे कुछ अंग्रेज विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन किया था तथा 'कोएर्दू' ने संस्कृत की यूरोपीय भाषाओं से तुलना का सूत्रपात भी कर दिया था, किन्तु इस विषय में सर्वाधिक श्रेय महान् प्राच्यविद् अंग्रेजी विद्वान् 'सर विलियम जोन्स' को ही प्राप्त हुआ है। 'जोन्स' 'फोर्ट विलियम' में चीफ जस्टिस पद पर नियुक्त होकर सन् 1783 ई. में भारत आये थे। भारतीय विद्या में अपनी अत्यधिक रुचि के कारण उन्होंने यहाँ आते ही सन् 1786 ई. में "रायल एशियाटिक सोसायटी" की स्थापना की। उसके उद्घाटन-भाषण में संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हुये उन्होंने कहा था कि—

"संस्कृत भाषा की प्राचीनता का निश्चित ज्ञान भले ही हमें न हो, किन्तु इसका रचनात्मक गठन आश्चर्यजनक है, जो ग्रीक से भी अधिक पूर्ण, लैटिन से भी अधिक विशद् तथा इन दोनों से ही अधिक परिष्कृत एवं परिमार्जित है।"

'सर विलियम जोन्स' ने ही सर्वप्रथम संस्कृत, ग्रीक और लैटिन भाषाओं की समानता की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया था तथा उनके मूल में किसी एक ही भाषा की सम्भावना व्यक्त की थी। 'गाथी' तथा 'केल्टिक' भाषाओं को भी उन्होंने उसी मूलभाषा से सम्बद्ध बतलाया था।

फ्रेडरिक वॉन श्लेगल (Friederich Von Schlegel)—जर्मन 'विद्वान् फ्रेडरिक वॉन श्लेगल' का समय सन् 1772-1839 ई. तक है। सन् 1801-1802 ई. में फ्रेडरिक श्लेगल इंग्लैण्ड में था। बाद में वह फ्रांस चला गया। 1803-04 ई. में उसने फ्रांस में कैद एक अंग्रेजी विद्वान् "अलैगजैण्डर हैमिल्टन" से संस्कृत सीखी तथा 3-4 वर्ष तक 'पेरिस लाइब्रेरी' में हस्तलिखित ग्रन्थों का अध्ययन करता रहा। सन् 1808 ई. में उसके अध्यक्षता के परिणामस्वरूप "भारतीयों की भाषा और ज्ञान" (The Language and Wisdom of the Indians) नामक ग्रन्थ विद्वज्जगत् के सम्मुख आया। यह फ्रेडरिक श्लेगल की संस्कृत-सम्बन्धी प्रथम रचना थी, जिसने जर्मन देश में, भारतीय भाषाविज्ञान तथा व्याकरण की नींव डाली। इस रचना का प्रत्येक पृष्ठ उत्साहप्रद एवं प्रेरणाप्रद है। इसके एक भाग में 'रामायण', 'मनुस्मृति', 'भगवद्गीता' के कुछ अंश तथा 'शकुन्तलोपाख्यान' का जर्मन भाषा में अनुवाद है, जो सर्वप्रथम, संस्कृत से सीधे जर्मन में अनूदित हुआ है।

NOTES

सन् 1786-1833 ई. तक के इस युग की कुछ प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं—

NOTES

(1) **भाषाविज्ञान का स्वतन्त्र अस्तित्व**—इसमें पूर्व भाषा का अध्ययन, दर्शन या साहित्य आदि के प्रसंग में ही होता था। इस युग में, भाषा का अध्ययन स्वतन्त्र रूप से होने लगा। 'लिंग्विस्टिक' तथा 'फिलोलॉजी' का अन्तर भी स्पष्ट हो गया।

(2) **संस्कृत भाषा का महत्व**—इस युग में भाषाविज्ञान का स्वरूप प्रायः तुलनात्मक ही रहा तथा इसके लिये संस्कृत का अध्ययन अनिवार्य—सा ही माना जाने लगा। तुलनात्मक भाषाविज्ञान के लिये संस्कृत-ज्ञान की अनिवार्यता पर 'मैक्समूलर' के विचार को 'जेस्पर्सन' ने इस प्रकार उद्धृत किया है—
“संस्कृत, निश्चय ही, तुलनात्मक भाषाविज्ञान का एकमात्र दृढ़ आधार तैयार करती है तथा यह तद्विषयक समस्याओं के समाधान में सदैव सहायक होगी। संस्कृत-ज्ञान के बिना एक तुलनात्मक भाषाविज्ञानी वैसा ही है, जैसा कि गणित-ज्ञान के बिना एक ज्योतिष।”

(3) **भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन**—इस युग में भाषाविज्ञानियों का ध्यान अध्ययनगत भाषाओं के समान तथा विषम तत्वों की ओर गया तथा इस आधार पर मिलती-जुलती भाषाओं के वर्ग बनाने का प्रयास किया गया। इस बात पर विशेष बल दिया गया कि संस्कृत, लैटिन आदि में पारस्परिक समानता तथा चीनी अथवा अरबी से इनकी विषमता का आधार क्या है ?

(4) इस युग में प्राचीन तथा क्लासिकल भाषाओं का अध्ययन ही प्रमुख रूप से हुआ तथा समसामयिक व्यवहारगत भाषाओं का अध्ययन उपेक्षित ही रहा। यही कारण है कि विद्वानों का ध्यान लिपिबद्ध साहित्यिक भाषाओं की ओर ही अधिक रहा और बोलचाल की भाषायें अध्ययन का विषय नहीं बन सकीं।

(5) भाषाओं के आकृतिमूलक वर्गीकरण का प्रारम्भ इसी युग में हो गया था। साथ ही, भाषा-परिवारों की अस्पष्ट रूपरेखा भी बनने लगी थी।

(6) प्रत्ययों के विषय में यह धारणा पुष्ट हो गयी थी कि वे भी कभी सार्थक शब्द ही थे।

(7) इस युग के विद्वानों में से 'रॉस्क', 'ग्रिम' तथा 'बॉप' को आधुनिक भाषाविज्ञान की प्रतिष्ठापकत्रयी के रूप में माना गया।

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस आरम्भिक युग ने आगे आने वाले युगों के लिये दृढ़ आधारशिला की स्थापना की।

यूरोपीय आधुनिक भाषाविज्ञान का वर्तमान युग (सन् 1921 ई. से आगे)

ल्योनार्ड ब्लूमफील्ड (Leonard Bloomfield)—'ब्लूमफील्ड' अमेरिकी भाषाविज्ञानी थे। इनका समय सन् 1887 से 1941 ई. तक है। आपने 'हार्वर्ड', 'विस्कान्सिन', 'शिकागो' तथा जर्मनी के 'लाइपजिग' तथा 'गार्टिजन' विश्वविद्यालयों में शिक्षा पायी थी।

भाषाविज्ञान के क्षेत्र में आपने एक अध्यापक के रूप में प्रवेश किया था। सर्वप्रथम, 'विस्कान्सिन' एवं 'शिकागो' विश्वविद्यालयों में आपने जर्मन भाषा का अध्यापन-कार्य किया। इसके बाद सन् 1913 से 1921 ई. तक अमरीका के 'इलिनॉयस विश्वविद्यालय' में भाषा तथा तुलनात्मक भाषाविज्ञान के और उसके भी बाद 'ओहायो विश्वविद्यालय' में भाषाशास्त्र और जर्मन भाषा के प्राध्यापक के रूप में आपने भाषाविज्ञान की सेवा की है।

पुनः सन् 1927 ई. में ब्लूमफील्ड 'शिकागो विश्वविद्यालय' में जर्मनिक भाषाविज्ञान के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुये। फिर सन् 1940 ई. अपने जीवन के अन्त तक आप 'येल विश्वविद्यालय' में ही रहे।

'ब्लूमफील्ड' अमेरिका में वर्णनात्मक-भाषाविज्ञान के प्रवर्तक माने जाते हैं। इनका प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लैंग्वेज' (Language) इस विषय का प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। अमेरिकन आदिवासियों की बोलियों का इन्होंने गहन अध्ययन किया था। अमेरिका में 'ब्लूमफील्ड स्कूल' नाम से उनके भाषाविज्ञान-सम्बन्धी विचारों को मान्यता दी जाती है।

'ब्लूमफील्ड' भाषाविज्ञान के अध्यापक होने के साथ ही साथ भाषाविज्ञान के लेखक भी थे। भाषाविज्ञान पर अनेक लेख एवं पुस्तकें उन्होंने लिखीं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक 'लैंग्वेज' सन् 1933 ई. में प्रकाशित हुयी थी, जो सम्पूर्ण अमेरिका में भाषाविज्ञान की पाठ्य-पुस्तक के रूप में सम्मानित हुयी है। इसमें लेखक ने भाषाविज्ञान के क्षेत्र में हुयी प्रगति का सर्वेक्षण एवं विवरण बहुत ही सुन्दर शैली में प्रस्तुत किया है। इनके युग के नवयुवक भाषाविज्ञानियों को इनसे बहुत प्रेरणा मिली है। 'वर्नर्ड ब्लॉक' नामक एक विद्वान् ने 'लैंग्वेज' ग्रन्थ की प्रशंसा इन शब्दों में की है—“सन् 1930 ई. से इस देश (संयुक्त राज्य अमेरिका) में भाषा-विश्लेषण सम्बन्धी जो भी सूक्ष्म विचार प्रादुर्भूत हुये, उनकी प्रेरणा ब्लूमफील्ड की कृति से ही मिली है। आज यदि हमारी अध्ययन-प्रणाली पहले की अपेक्षा किञ्चित् समुन्नत है और हम भाषा-संरचना के कतिपय पक्षों को पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्टरूप से देखने लगे हैं, तो इसका कारण भी ब्लूमफील्ड की कृति ही है।”

'ब्लूमफील्ड' के भाषा-सम्बन्धी प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

(1) ध्वनिपरिवर्तन की नियमितता—'ब्लूमफील्ड' ने भाषा तथा स्वनिक परिवर्तनों को स्पष्टतया पृथक्-पृथक् दो तत्व माना है। उन्होंने सिद्ध किया है कि 'सकारण ध्वनिपरिवर्तन स्वनिक (Phonetic) होते हैं और ये अर्थ (meaning), आवृत्ति (frequency) तथा सामंजस्य (harmony) जैसे अस्वनिक तत्वों से स्वतन्त्र होते हैं। 'ब्लूमफील्ड' ध्वनिपरिवर्तन सम्बन्धी नियमितता के कारण ही भाषाविज्ञान को यथार्थ रूप में विज्ञान मानते थे।

(2) भाषाविज्ञान तथा मनोविज्ञान पृथक्-पृथक् है—स्वनिक-परिवर्तन का अध्ययन करते हुये उन्होंने भाषाविज्ञान को मनोविज्ञान से पृथक् सिद्ध किया है। स्वनिक-परिवर्तन में उन्होंने मनोविज्ञान को कारण नहीं माना है तथा स्पष्ट किया है कि मनोविज्ञान को पृथक् रखते हुये भी भाषा का अध्ययन किया जा सकता है।

(3) वैज्ञानिक एवं वर्णनात्मक वक्तव्य—'ब्लूमफील्ड' के अनुसार वक्तव्य ऐसे होने चाहिये, जो मनोविज्ञान से बिल्कुल असंपृक्त तथा भौतिक धरातल पर परीक्षण के योग्य हों। वस्तुतः भाषा की विश्लेषण-प्रक्रिया तथा गणित की विश्लेषण-प्रक्रिया में कोई अन्तर नहीं होना चाहिये। दोनों में ही तर्कपूर्णता तथा स्पष्टता आवश्यक है।

(4) भाषाविश्लेषण में अर्थ का समावेश—'ब्लूमफील्ड' तथा उनके अनुयायी भाषा-विश्लेषण में अर्थ के कुछ रूपों एवं पक्षों को आवश्यक प्रक्रिया स्वीकार करते हैं।

(5) भाषाविज्ञान का क्षेत्र विस्तार—'ब्लूमफील्ड' से पूर्व अनेक वर्षों तक भारोपीय परिवार की भाषाओं का ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन ही प्रायः किया जाता था, वर्णनात्मक भाषाविज्ञान का कुछ भी वैज्ञानिक महत्व नहीं था। 'बोआज' तथा 'सपीर' नाम के विद्वानों से प्रेरणा प्राप्त करके 'ब्लूमफील्ड' ने अमेरिका में वर्णनात्मक भाषाविज्ञान का महत्व प्रतिपादित किया, उसे मान्यता दिलायी तथा उसका प्रचार

किया। सन् 1920 ई. में अमेरिका के आदिवासियों की भाषाओं का, सन् 1920-21 ई. में 'मेनोमिनी' भाषा का, सन् 1925 तथा 1938 ई. में 'क्री' तथा 'ओजिव्वा' भाषाओं का 'ब्लूमफील्ड' ने स्वयं ऐतिहासिक एवं वर्णनात्मक दृष्टि से गहन अध्ययन किया था। तब से अमेरिका में वर्णनात्मक अध्ययन को ही अधिक महत्व दिया जा रहा है। इस प्रकार 'ब्लूमफील्ड' ने भाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन के साथ-साथ वर्णनात्मक अध्ययन को भी महत्व दिलाकर भाषाविज्ञान के क्षेत्र का विस्तार किया है।

ओट्टो जेस्पर्सन (Ottoo Jespersen)—डेनिस विद्वान् 'ओटो जेस्पर्सन' ने भाषाविषयक कई महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की है, जिनमें से निम्नलिखित बहुत प्रसिद्ध हैं—

(1) "Language : Its Nature, Development and Origin (भाषा : इसकी प्रकृति, विकास तथा उत्पत्ति)। इसका प्रकाशन सन् 1922 ई. में हुआ। इस ग्रन्थ के चार भागों के शीर्षक क्रमशः (i) भाषाविज्ञान का इतिहास, (ii) बच्चा, (iii) व्यक्ति और विश्व तथा (iv) भाषा का विकास हैं।

प्रथम तथा चतुर्थ अध्याय का विषय उनके शीर्षकों से ही स्पष्ट है। द्वितीय अध्याय में भाषिक विकास की दृष्टि से बच्चे का अध्ययन तथा तृतीय अध्याय में प्रमुख रूप से भाषा परिवर्तन के कारण दिये गये हैं।

(2) **द्वितीय रचना**—"The Philosophy of Grammar" (व्याकरण-दर्शन)—इसका प्रकाशन सन् 1924 ई. में हुआ था। इसमें व्याकरण के दार्शनिक आधार को विचार का विषय बनाया गया है।

(3) **तृतीय रचना**—"The Essentials of English Grammar", (अंग्रेजी व्याकरण के आवश्यक तत्व)—इसका प्रकाशन सन् 1933 ई. में हुआ था। यह ग्रन्थ अंग्रेजी व्याकरण के ज्ञान के लिये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है तथा अंग्रेजी-व्याकरण के क्षेत्र में 'जेस्पर्सन' को इससे बहुत यश प्राप्त हुआ है।

(4) **चतुर्थ रचना**—"Analytic Syntax" (विश्लेषणात्मक वाक्यविज्ञान), इसका प्रकाशन सन् 1937 ई. में हुआ था। इसका विषय इसके नाम से ही स्पष्ट है।

इस प्रकार 'जेस्पर्सन' ने भाषा का विकास, भाषा की उत्पत्ति, व्याकरण तथा उसका दर्शन, अंग्रेजी भाषा का व्याकरण तथा वाक्यविज्ञान पर महत्वपूर्ण कार्य किया है।

'ओटो जेस्पर्सन' की उपर्युक्त चारों कृतियों में "Language : Its Nature, Development and Origin" (भाषा—उसकी प्रकृति, विकास तथा उत्पत्ति) नामक रचना भाषाविज्ञान के पाठकों के लिये बहुत ही उपयोगी मानी जाती है। 'जेस्पर्सन' की कुछ मान्यतायें इस प्रकार हैं—

(1) 'जेस्पर्सन' के अनुसार भाषा, अभिव्यक्ति का एक ढंग अथवा प्रकार है। इसके माध्यम से वक्ता अपने विचारों अथवा भावों को श्रोता तक पहुँचाता है और यह प्रक्रिया मानव-जीवन में, आवश्यकतानुसार सदैव परिचालित रहती है।"

(2) 'जेस्पर्सन' भाषाविज्ञान को 'भाषात्मक प्राणिशास्त्र' (Linguistic Biology) मानते हैं। उन्होंने इस विषय पर विस्तार से विचार किया है कि बच्चा अपनी मातृभाषा को किस रूप में सीखता है।

(3) भाषा की विशेषीकरण या सरलता को प्रवृत्ति को वे भाषा की विकासवती प्रवृत्ति मानते हैं तथा उसे लाभदायक स्वीकार करते हैं।

(4) 'जेस्पर्सन' के अनुसार भाषा-सम्बन्धी अध्ययन में रूप तथा अर्थ—ये दो पृथक्-पृथक् तत्त्व नहीं हैं।

(5) भाषा-परिवर्तन के कारणों में, वे भौगोलिक प्रभाव को स्वीकार नहीं करते हैं।

(6) भाषाशास्त्र के अध्ययन में संस्कृत भाषा के महत्व को स्वीकार करते हुये उन्होंने भारत के प्राचीन वैयाकरणों की अत्यधिक प्रशंसा की है।

‘जेस्पर्सन’ के अतिरिक्त वर्तमानकाल के अन्य प्रसिद्ध विद्वान् हैं—‘हेनरी स्वीट’ (Henry Sweet), ‘अ. मेइये’ (A. Meillet), ‘वान्द्रिये’ (Vendryes) तथा ‘डेनियल जोन्स’ (Daniel Jones) आदि-आदि।

भाषाविज्ञान के अध्ययन की वर्तमान प्रवृत्तियाँ

अन्य अनेक विषयों की भाँति ही वर्तमानकाल में भाषाविज्ञान विषय का भी बहुमुखी विकास हो रहा है। आज वह स्वयं ही नहीं, अपितु उसका एक-एक अंग पृथक्-पृथक् अध्ययन का स्वतन्त्र विषय बन चुका है।

आज भाषाविज्ञान के लिये प्रयोगशालायें बन गयीं हैं। अनेक यन्त्रों से भाषाओं के अध्ययन में सहायता ली जाती है। कम्प्यूटर भी प्रयोग में लाया जाता है।

भाषाविज्ञान विषय के क्षेत्र का विस्तार इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि आज किसी भी एक व्यक्ति के लिये उसका समग्ररूप में अध्ययन कठिन है। अतः, भाषाविज्ञान की पृथक्-पृथक् शाखाओं को लेकर विशेष अध्ययन की प्रवृत्ति चल रही है।

भाषाविज्ञान की पूर्व प्रचलित तथा नवविकसित शाखाओं तथा उन सभी पर कार्य करने वाले विद्वानों की संख्या आज बहुत बड़ी है, उन सबका विवरण देना यहाँ सम्भव नहीं है और न ही अपेक्षित है।

इसमें संदेह नहीं कि प्राचीनकाल में भारत में भाषाविज्ञान-सम्बन्धी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था और इस क्षेत्र में वह विश्व का शिरोमणि था। आधुनिक काल में भाषाविज्ञान के अध्ययन का केन्द्र सर्वप्रथम ‘जर्मन’ देश था। उसके बाद ‘फ्रांस’ इसका केन्द्र रहा। आजकल, ‘अमेरिका’ भाषाविज्ञान के अध्ययन का केन्द्र बना हुआ है। ‘अमेरिका’ में भाषाविज्ञान के अध्ययन की जितनी अधिक प्रगति हुयी है, वह वस्तुतः ही आश्चर्य एवं गौरव का विषय है। हमें आशा करनी चाहिये कि हमारा देश भी इस क्षेत्र में पुनः अपने प्राचीन एवं गौरव प्राप्त करने की ओर अग्रसर होगा। इसके लिये आवश्यक है कि हम अपने पूर्वजों, प्राचीन ऋषियों, मुनियों, वैयाकरणों, दार्शनिकों एवं साहित्यकारों के सिद्धान्तों का अध्ययन आस्था एवं गम्भीरतापूर्वक करें। उन्होंने शिक्षा-ग्रन्थों प्रातिशाख्य-ग्रन्थों, निरुक्त-ग्रन्थों तथा व्याकरण ग्रन्थों में जो प्रस्तुत किया है, उसका सूक्ष्म विवेचन करें। पाश्चात्य विद्वानों के अन्धानुकरण की अपेक्षा हमारे लिये वह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। कम से कम भाषाविज्ञान विषय की पारिभाषिक शब्दावली के लिये तो हमें सदैव उपर्युक्त ग्रन्थों का ही आश्रय लेना चाहिये। हाँ, नयी विकसित वैज्ञानिक कार्यप्रणाली (Technique) के लिये यदि हम पाश्चात्य देशों की यात्रा भी करें, तो कोई हानि नहीं है।

आजकल, भाषाविज्ञान का अध्ययन करने वाले कुछ भारतीय विद्वानों द्वारा, अपने प्राचीन भारतीय भाषावैज्ञानिक कार्य का मूल्यांकन इस दिशा में एक शुभ लक्षण माना जा सकता है। डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा, डॉ. कपिलदेव द्विवेदी, डॉ. सत्यकाम वर्मा आदि इस दृष्टि से यहाँ उल्लेखनीय हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी का ‘भारतीय भाषाविज्ञान’, आधुनिक भारतीय भाषा हिन्दी तथा उसकी बोलियों पर भाषाविज्ञान की दृष्टि से लिखी गयी नितान्त मौलिक कृति है। इस क्षेत्र में अभी असंख्य विद्वानों एवं असीम साधनों की आवश्यकता है। अतः, इस दिशा में योजनाबद्ध रूप से कार्य होना आवश्यक है।

NOTES

6. लिपि का विकास तथा देवनागरी लिपि

NOTES

1. प्रस्तावना

भाषा की उत्पत्ति के समान ही लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी मतभेद हैं। इतना तो निश्चित ही है कि लिपि की उत्पत्ति भाषा की उत्पत्ति के बहुत बाद हुयी है, किन्तु कब हुयी ? इस विषय में, अनुमानतः यही कहा जाता है कि मानव ने सभ्यता के विकास के साथ ही, आज से लगभग 5-6 हजार वर्ष पूर्व ही, लिपि का आविष्कार किया होगा।

लिपि की अपूर्णता—जिस प्रकार भाषा, भावों को पूर्णतया अभिव्यक्त करने में असमर्थ रहती है, उसी प्रकार लिपि के द्वारा भी उच्चारित भाषा की पूर्णतः अभिव्यक्त नहीं हो पाती है। उदाहरणार्थ, काकु (लहजा) आदि के द्वारा उच्चारित भाषा में उत्पन्न विशेषताओं को लिपि के द्वारा अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता है।

ध्वनि तथा वर्ण का सम्बन्ध—जिस प्रकार शब्द तथा अर्थ का सम्बन्ध यौक्तिक न होकर रूढ़ होता है, उसी प्रकार ध्वनि तथा वर्ण (लिपिसंकेत) का सम्बन्ध भी रूढ़ ही होता है। यही कारण है कि एक ही ध्वनि (क्, प्, त् आदि) के लिये विभिन्न लिपियों में भिन्न-भिन्न प्रकार के संकेतों (लिपिचिह्नों) का व्यवहार होता है। जैसे, देवनागरी के 'प्' के लिये रोमन लिपि में P का प्रयोग होता है।

2. लिपि का विकास

लिपि के विकास की तीन दशाओं को विद्वानों ने स्वीकार किया है—(1) चित्रलिपि, (2) भावललिपि तथा (3) ध्वनिलिपि। इनका परिचय क्रमशः इस प्रकार है—

1. चित्रलिपि—लिपि का यह प्राचीनतम रूप माना जाता है। प्राचीन मानव जिस वस्तु को लिपिबद्ध करना आवश्यक समझता था, वह उसको चित्रित कर देता था। इस लिपि में मनुष्य, पशु, पक्षी को लिखने के लिये उनके चित्र बना दिये जाते थे।

चित्रलिपि के गुण तथा दोष

चित्रलिपि का सबसे बड़ा तथा एकमात्र गुण था—उसकी सर्वबोध्यता। चित्रलिपि में लिखित वस्तु को प्रत्येक व्यक्ति सरलता से ही समझ सकता था, जबकि ध्वनिलिपि में लिखित वस्तु को वही व्यक्ति समझ सकता है, जो उस लिपि को जानता हो। उदाहरणार्थ, कुत्ते या बिल्ली के चित्र को देखकर सभी व्यक्ति उसे पहचान सकते हैं, जबकि देवनागरी लिपि में लिखे 'बिल्ली' या रोमन लिपि में लिखे 'cat' को वही व्यक्ति जान सकता है, जो इन भाषाओं तथा लिपियों से परिचित हो।

किन्तु उपर्युक्त एक गुण के अतिरिक्त चित्रलिपि में दोषों की संख्या बहुत है, जिन्हें इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

(i) **लिपिसंकेतों की अनन्तता**—चित्रलिपि में प्रत्येक वस्तु के लिये उसी वस्तु जैसा चित्र बनाने के कारण उसमें संकेतों की अनन्तता थी। उसमें 'मनुष्य' के चित्र से 'पशु' का तथा 'हाथी' के चित्र से 'घोड़े' का ज्ञान नहीं हो सकता था।

(ii) लिपिसंकेतों की पृथक्ता—प्रत्येक वस्तु का चित्र बनाने के कारण चित्रलिपि में प्रत्येक लिपिसंकेत का परस्पर पृथक् होना आवश्यक था। मनुष्य, घोड़ा, कुत्ता आदि को पृथक्-पृथक् चित्रों से व्यक्त करना पड़ता था।

(iii) स्थानसाध्य—चित्रलिपि के लिये अधिक स्थान की आवश्यकता होती थी तथा अधिक साधन भी आवश्यक थे।

(iv) समयसाध्य—वस्तुओं के चित्र बनाने में समय भी अधिक लगता था।

(v) असमर्थता—चित्रलिपि सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति में पूर्णतया असमर्थ थी। स्थूल या मूर्त वस्तुओं के तो चित्र बन सकते थे किन्तु श्रद्धा, प्रेम, उत्साह आदि भावों को उसमें व्यक्त नहीं किया जा सकता था।

2. भावललिपि—चित्रलिपि के उपर्युक्त दोषों तथा अभावों के कारण, मनुष्य लिपि की खोज में निरन्तर अग्रसर रहा तथा आगे चलकर भाव या विचार-लिपि अस्तित्व में आयी। कारण, चित्रलिपि में सभी व्यक्ति, सभी चित्रों को ठीक-ठीक नहीं बना पाते थे। शनैः-शनैः पूर्ण चित्रों का स्थान अपूर्ण चित्रों ने ले लिया। अधिक स्थान, समय तथा सामग्री की अपेक्षा कम स्थान, समय तथा सामग्री से काम चलाया जाने लगा। उदाहरणार्थ, मनुष्य का पूरा चित्र न बनाकर दो-चार बिन्दुओं तथा रेखाओं से ही मनुष्य को अभिव्यक्त किया जाने लगा। विशिष्ट समाज में कुछ निश्चित चित्र-जैसे चिह्नों से कुछ निश्चित भावों का बोध कराया जाने लगा। इस प्रकार लिपि में लाघवता आ गयी तथा चित्रलिपि का स्थान भावललिपि ने ले लिया।

यद्यपि चित्रलिपि की अपेक्षा भावललिपि में कुछ सुविधायें थीं; उदाहरणार्थ, उसमें अधिक संक्षिप्तता थी। उसमें वस्तुओं के साथ ही साथ घटनाओं को भी लिखा जा सकता था। इस प्रकार कम संकेतों में अधिक बात प्रकट करने की क्षमता भावललिपि में थी। किन्तु, मनुष्य इतने से सन्तुष्ट नहीं हुआ तथा आगे चलकर उसने ध्वनिलिपि का आविष्कार किया।

3. ध्वनिलिपि—लिपि के विकास में अन्तिम तथा महत्वपूर्ण उपलब्धि है—ध्वनिलिपि। इसमें पूर्ण तथा अपूर्ण चित्रों के स्थान पर ध्वनियों को लिखा जाता है। भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों के लिये ध्वनि-चिह्नों (वर्णों) का प्रयोग होता है तथा उनके द्वारा भावों-विचारों को अभिव्यक्त किया गया है। देवनागरी, अरबी तथा रोमन आदि लिपियाँ इसी प्रकार की हैं।

3. सबसे प्राचीन लिपि का प्रश्न

यह प्रश्न उतना ही विवादास्पद है, जितना कि भाषा की उत्पत्ति का प्रश्न या आर्यों के मूल निवास-स्थान का प्रश्न। कल्पना, अनुमान तथा पूर्वाग्रहों के कारण यह प्रश्न बहुत ही उलझ गया है। उदाहरण के लिये, कुछ विद्वान्, यदि ग्रीक लिपि से फिनीशी लिपि का उद्भव मानते हैं, तो कुछ दूसरे, फिनीशी लिपि से ग्रीक लिपि का विकास स्वीकार करते हैं। यह एक उदाहरण ही लिपि-सम्बन्धी विभिन्न देशीय विद्वानों की विचारधारा को समझने के लिये पर्याप्त है। इसी प्रकार अनेक पाश्चात्य विद्वानों ने भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि को भी विदेशी, विशेषतः सामी लिपि से उद्धृत प्रतिपादित करने का असफल प्रयास किया है।

NOTES

लिपियों के उद्गम के सम्बन्ध में डॉ. देवेन्द्रनाथ शर्मा का मत है कि “ आज की प्रचलित लिपियों को देखते हुये उनका स्वतन्त्र उद्गम मानना अधिक उचित होगा। यदि सभ्यता का विकास स्वतन्त्ररूप से हो सकता है तो लिपि का विकास क्यों नहीं हो सकता ? आज संसार में प्रचलित लिपियों को देखते हुये उनके चार स्वतन्त्र उद्गम मानना अधिक अच्छा है। वे चार लिपियाँ हैं—भारतीय, यूरोपीय, सामी, चीनी। इन चारों में इतना स्पष्ट पार्थक्य है कि इन्हें एक स्रोत से सम्बद्ध मानना असंगत है। सम्भव है, किसी लिपि के एक-दो संकेत किसी दूसरी लिपि में भी आ गये हों, परन्तु इतने से ही उनमें जन्य-जनक भाव की कल्पना नहीं की जा सकती। ब्राह्मी लिपि से भारत की सभी लिपियाँ निकली हैं, यह इतिहास सिद्ध है। यूरोप की सभी लिपियाँ अल्पाधिक परिवर्तन के साथ ग्रीक लिपि का ही रूपान्तर हैं। सामी से उद्भूत अरबी, फारसी आदि लिपियाँ मध्य-पूर्व के आसपास प्रयुक्त होती रही हैं और चीन की लिपि इन सबसे विलक्षण है जिसमें आज भी बहुत-कुछ चित्रात्मक है। ”

4. भारतीय लिपि

लिपिविज्ञान के अधिकारी विद्वान् श्री ‘गौरीशंकर हीराचन्द ओझा’ ने भारतीय लिपिविज्ञान को प्राचीनतम सिद्ध किया है। अतः ‘श्रुति’ संज्ञा के आधार पर विदेशी विद्वानों का इस निष्कर्ष पर पहुँचना युक्तिपूर्ण नहीं है कि वैदिक काल तक भारतीय लिखना नहीं जानते थे। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्राह्मी लिपि में लिखे दो शिलालेख भारत के अजमेर जिले के ‘बड़ली’ या ‘बर्ली’ ग्राम में तथा नेपाल की तराई में ‘पिप्रावा’ नामक स्थलों पर मिले हैं। इनका काल क्रमशः 443 ई. पू. तथा 487 ई. पू. के लगभग माना जाता है। अतः भारत में प्राप्त ई. पू. 5वीं शताब्दी के इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यहाँ इससे भी पहले से लिपि का प्रयोग होता रहा होगा। इसके बाद के, सम्राट अशोक के शिलालेखों में भी इसी ब्राह्मी लिपि का कुछ विकसित स्वरूप प्राप्त होता है।

‘ब्राह्मी’ तथा ‘खरोष्ठी लिपियाँ’—ब्राह्मी तथा खरोष्ठी, ये दोनों भारत की प्राचीन लिपियाँ मानी जाती हैं, जिनका परिचय निम्नलिखित है—

खरोष्ठी—इस लिपि में प्राप्त लेख ई. पू. तृतीय शताब्दी से लेकर ईसा की तृतीय शताब्दी तक के हैं। इसमें लिखे अशोक के कुछ अभिलेख केवल उत्तर-पश्चिम भारत में, पंजाब में, ‘शाहबाजगढ़ी’ तथा ‘मानसेरा’ स्थानों पर प्राप्त हुये हैं। अशोक से पूर्व का कोई अभिलेख इस लिपि में प्राप्त नहीं हुआ है तथा अशोक के बाद इस लिपि का प्रयोग केवल विदेशी राजाओं ने ही किया है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में इस विदेशी लिपि का विकास अशोक को इसलिये करना पड़ा था, क्योंकि उन भारतीयों प्रदेशों में, उन दिनों ईरानियों का बाहुल्य था। अतः अशोक ने उन प्रदेशों के अपने अभिलेखों में उन्हीं की लिपि का प्रयोग उचित समझा।

‘खरोष्ठी’ नाम की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में अधिक प्रचलित मत यह है कि गधे के ओष्ठों के समान अक्षरों वाली (खर + ओष्ठी) होने के कारण ही इसका यह नाम पड़ा था। इसका विकास उत्तरी सीरिया में प्रचलित उन दिनों की ‘अरामी’ लिपि से माना जाता है, जिसमें भारतीयों ने कुछ संशोधन कर लिया था। ‘अरामी’ लिपि में 12 वर्ण थे, किन्तु खरोष्ठी में वर्णों की उपलब्ध संख्या 38 है। खरोष्ठी लिपि दायीं ओर से बायीं ओर को लिखी जाती थी। पश्चिमोत्तर भारत के अतिरिक्त भारत के शेष भागों में कभी इसका प्रयोग नहीं हुआ और न ही तृतीय शताब्दी के बाद का कोई अभिलेख इसमें मिला है।

ब्राह्मी—ब्राह्मी नाम की भी अनेक व्युत्पत्तियाँ हैं—(1) ब्रह्मा द्वारा निर्मित होने के कारण या (2) ब्राह्मण वर्ण के लोगों द्वारा निर्मित तथा प्रयुक्त होने के कारण या (3) ब्रह्म अर्थात् वेद (ज्ञान) की रक्षार्थ निर्मित होने के कारण ही यह ब्राह्मी लिपि कही गयी है।

ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मतों की समीक्षा करते हुये श्री 'गौरीशंकर हीराचन्द ओझा' ने उसे भारतीय लिपि ही माना है। उन्हीं के शब्दों में—

“मनुष्य की बुद्धि में सबसे बड़े महत्व के दो कार्य—भारतीय ब्राह्मी लिपि और वर्तमान शैली से अंग की कल्पना है। इस बीसवीं शताब्दी में भी हम संसार की बड़ी उन्नतिशील जाति की लिपियों की तरफ देखते हैं, तो उनमें उन्नति की गंध भी नहीं पायी जाती। कहीं तो ध्वनि और उसके सूचक चिह्नों (अक्षरों) में साम्य ही नहीं है जिससे एक ही चिह्न से एक से अधिक ध्वनियाँ प्रकट होती हैं और कहीं एक ही ध्वनि के लिये एक से अधिक चिह्नों का व्यवहार होता है और अक्षरों के लिये कोई शास्त्रीय क्रम ही नहीं। कहीं लिपि वर्णात्मक नहीं, किन्तु चित्रात्मक ही है। ये लिपियाँ मनुष्यजाति के ज्ञान की प्रारम्भिक दशा की निर्माण-स्थिति से अब तक कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकीं; परन्तु भारतवर्ष की लिपि हजारों वर्षों पहले भी इतनी उच्चकोटि को पहुँच गयी थी कि उसकी उत्तमता की कुछ भी समानता संसार-भर की कोई दूसरी लिपि अब तक नहीं कर सकती।”

ब्राह्मी लिपि भारतीय ही है

यद्यपि अनेक विद्वानों ने ब्राह्मी लिपि का सम्बन्ध चीनी, यूनानी, अरबी, सामी, असीमियन, मिस्री, फिनीशी आदि लिपियों से माना है, तथापि इतने विभिन्न मतों से ही अनुमान किया जा सकता है कि इनमें सत्य का कुछ अंश नहीं है। ब्राह्मी लिपि को भारतीय सिद्ध करने के लिये निम्नलिखित तर्क पर्याप्त हैं—

(1) चीनी लिपि जैसी चित्रात्मक लिपि से ब्राह्मी का उद्भव इसलिये नहीं माना जा सकता, क्योंकि ब्राह्मी लिपि में चीनी लिपि की एक भी विशेषता नहीं है। चीनी की अपेक्षा ब्राह्मी अधिक वैज्ञानिक है—चीनी चित्रात्मक है, किन्तु ब्राह्मी ध्वन्यात्मक है।

(2) सामी लिपि से भी ब्राह्मी का विकास नहीं माना जा सकता है। इनमें अनेक विरोधी गुण हैं—सामी दायें से बायें को लिखी जाती हैं, किन्तु ब्राह्मी बायें से दायें को। सामी के संकेत अपूर्ण हैं, ब्राह्मी के संकेतों में पूर्णता है। सामी में 22 वर्ण हैं, ब्राह्मी में 63-64। सामी वर्णमाला में स्वर तथा व्यंजन मिले जुले हैं; किन्तु ब्राह्मी में इन्हें पृथक्-पृथक् रखा गया है। इस सम्बन्ध में श्री 'गौरीशंकर हीराचन्द ओझा' का मत है—“उच्चारित अक्षर और लिखित वर्ण के सम्बन्ध को निभाने के उद्देश्य का विचार करें तो ब्राह्मी लिपि सर्वोत्तम है। ऐसी (सामी—जैसा) अपूर्ण और क्रम-रहित लिपि को लेकर, उसकी लिखावट का रुख पलटकर, वर्णों को तोड़-मोड़कर केवल अठारह उच्चारणों के चिह्न उसमें पाकर, बाकी उच्चारणों के संकेत स्वयं गढ़कर, स्वरों के लिये मात्रा-चिह्न बनाकर, अनुस्वार और विसर्ग की कल्पना कर, स्वर-व्यंजन को पृथक् कर, उन्हें उच्चारण के स्थान और प्रयत्न के अनुसार नये क्रम से सजाकर सर्वांगपूर्ण लिपि बनाने की योग्यता जिस जाति में मानी जाती है, क्या वह इतनी सभ्य नहीं रही होगी कि केवल अठारह अक्षरों के संकेतों के लिये दूसरों का मुँह न ताककर, उन्हें भी अपने लिये बना ले।”

NOTES

(3) वैज्ञानिक अंक-प्रणाली तथा दशमलव-प्रणाली की आविष्कारक जाति अपने लिये लिपि का आविष्कार भी स्वयं कर सकती है।

NOTES

(4) ब्राह्मी में ध्वनि-संकेतों की संख्या संसार की सभी लिपियों से अधिक है। इसके ध्वनि-संकेत, संस्कृत भाषा की सभी ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनमें वैज्ञानिक व्यवस्था है तथा संस्कृत भाषा के संयुक्ताक्षरों को उसमें शुद्ध-शुद्ध लिखा जा सकता है। इस दृष्टि से मैकडानल आदि पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा की है।

संक्षेप में, उपर्युक्त तर्कों के आधार पर ब्राह्मी लिपि को भारतीय लिपि मानना ही उचित प्रतीत होता है। आधुनिक समस्त भारतीय लिपियाँ इसी से विकसित हुयी हैं, जिनमें लेखन-सामग्री तथा लेखन-शैली आदि के कारण पर्याप्त विभिन्नता-सी दृष्टिगोचर होती है।

5. ब्राह्मी लिपि का विकास—ब्राह्मी लिपि का अस्तित्व ई. पू. 500 से सन् 350 ई. तक माना जाता है। तदुपरान्त इसका विकास दो शैलियों में हुआ—उत्तरी शैली तथा दक्षिणी शैली।

दक्षिणी शैली के अन्तर्गत छः लिपियाँ हैं—(1) तेलुगु-कन्नड़ लिपि, (2) तमिल लिपि, (3) ग्रन्थ लिपि, (4) कलिंग लिपि, (5) पश्चिम लिपि तथा (6) मध्यदेशीय लिपि।

उत्तरी शैली के अन्तर्गत चार लिपियाँ हैं—(1) गुप्त लिपि, (2) कुटिल लिपि, (3) शारदा लिपि तथा (4) प्राचीन नागरी लिपि।

6. देवनागरी लिपि—आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली के अन्तर्गत परिगणित गुप्त लिपि और कुटिल लिपि ही धीरे-धीरे देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हो गयी है। इसका प्रयोग भारत में लगभग 10वीं शताब्दी से मिलता है। प्रारम्भ में इसके वर्णों पर शिरोरेखा नहीं लगती थी।

नामकरण—प्राचीन नागरी को ही बाद में सम्मान देने के लिये देवनागरी कहा गया है। इसके 'नागरी' नाम के सम्बन्ध में भी अनेक मत हैं। एक मत के अनुसार 'नगरों' में प्रयुक्त होने के कारण यह 'नागरी' कहलायी है। दूसरे मत के अनुसार, नागर ब्राह्मणों में प्रचलित, होने के कारण यह 'नागरी' कहलायी है। तृतीय मत में तान्त्रिक यन्त्र 'देवनागर' से आकृति में समानता रखने वाले वर्णों के कारण इसका 'नागरी' नाम पड़ा है। इस प्रकार 'नागरी' या 'देवनागरी' नाम का आधार अभी तक अनिर्णीत ही है।

7. देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता एवं उत्कृष्टता—देवनागरी लिपि में उत्कृष्टता-सम्बन्धी वे सभी गुण हैं, जो किसी भी उत्कृष्ट लिपि में आवश्यक होते हैं, जैसे—

(1) **ध्वनि तथा वर्ण में सामञ्जस्य**—किसी भी भाषा की ध्वनियों तथा उन्हें प्रकट करने वाले लिपिचिह्नों या वर्णों में जितना अधिक सामञ्जस्य होगा, वह लिपि उतनी ही अधिक उत्कृष्ट मानी जायेगी। देवनागरी में यह विशेषता पूर्णरूप से मिलती है। इसमें उच्चारण के अनुसार ही वर्ण निश्चित किये गए हैं। अतः जो बोला जाता है वही लिखा जाता है और जो लिखा जाता है वही बोला भी जाता है।

(2) **एक ध्वनि के लिए एक ही संकेत**—एक ध्वनि के लिए अनेक संकेत तथा एक ही संकेत से अनेक ध्वनियों की अभिव्यक्ति भी लिपि का बहुत बड़ा दोष है। रोमन तथा अरबी आदि लिपियों में यही

दोष है। रोमन लिपि में एक ही क् ध्वनि के लिये अनेक संकेत हैं, जैसे, k (king), c (cat), q (queen), ck (cuckoo) तथा ch (Chemistry) आदि। इसी प्रकार एक ही संकेत u कहीं अ (But) उच्चारित होता है, तो कहीं उ (Put)। देवनागरी इन दोषों से सर्वथा मुक्त है।

(3) समग्र ध्वनियों की अभिव्यक्ति—उत्कृष्ट लिपि में यह गुण होता है कि वह किसी भाषा की समग्र ध्वनियों को लिपि-संकेतों द्वारा अभिव्यक्त कर सकती है। देवनागरी में यह गुण भी सर्वाधिक है। रोमन आदि लिपियों में ट् तथा ण् आदि ध्वनियों को नहीं लिखा जा सकता है।

(4) असंदिग्धता—उत्कृष्ट लिपि में एक ध्वनि-संकेत में दूसरी ध्वनि का सन्देह नहीं होना चाहिये। अन्य लिपियों की अपेक्षा देवनागरी इस कसौटी पर भी खरी उतरती है। रोमन में u को उ पढ़ें या अ, इस प्रकार की भ्रान्तियाँ प्रायः होती हैं।

उपर्युक्त गुणों के कारण देवनागरी लिपि वस्तुतः एक उत्कृष्ट लिपि है। कुछ विद्वानों के अनुसार देवनागरी लिपि में ऋ, ॠ, ॡ, ॢ, ॣ आदि कुछ लिपिचिह्न अब अनावश्यक हो गये हैं, इ (i) की मात्रा अवैज्ञानिक है, क्योंकि वह लगती पहले है, किन्तु उच्चारित बाद में होती है। कुछ ध्वनियों—जैसे अ, ण, क्ष आदि के लिये दो-दो लिपिचिह्न हैं अतः आवश्यकता के अनुसार सुधार कर देवनागरी लिपि को और भी अधिक वैज्ञानिक या उत्कृष्ट बनाया जाना चाहिये।

सारांश :

इस इकाई में आपने वाक्य विज्ञान के विषयों तथा वर्णनात्मक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक वाक्य विज्ञान का अध्ययन किया है। यह इकाई वाक्य के अर्थ एवं स्वरूप पर विचार करने के साथ-साथ वाक्य के विभिन्न अंगों एवं प्रकारों पर भी प्रकाश डालती है। वाक्य के निर्माण में पदों का क्रम किस प्रकार निर्धारित करना चाहिए—यह भी वाक्य विज्ञान ही बताता है। यह इकाई भाषा विज्ञान के अर्थ सम्बन्धी विवेचन को 'अर्थविचार' शीर्षक भाग में स्पष्ट करती है। शब्द के वाचक, लाक्षणिक तथा व्यंजक अर्थों का भेद तथा महत्व भी इसी भाग में वर्णित है। तीनों प्रकार की शब्द शक्तियाँ—अभिधा, लक्षणा तथा व्यंजना—का उल्लेख इसी भाग में है। इसी भाग में आपने अर्थ परिवर्तन के कारणों का भी अध्ययन किया है। कोश विज्ञान के अन्तर्गत इस इकाई में आपने कोश विज्ञान के अर्थ, महत्व तथा इतिहास का अध्ययन किया है। कोश अनेक प्रकार के होते हैं। भारत में कोश निर्माण की परंपरा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। व्युत्पत्ति विज्ञान से हमें शब्दों की व्युत्पत्ति का ज्ञान होता है। कोश विज्ञान तथा व्युत्पत्ति विज्ञान वस्तुतः भाषा विज्ञान के ही अंग हैं। भाषा विज्ञान के इतिहास में प्राचीन एवं आधुनिक भाषा विज्ञान का वर्णन किया गया है। भारत में भाषा सम्बन्धी विवेचन अति प्राचीन काल से ही होता रहा है। इसके प्रमाण वैदिक साहित्य में भी मिलते हैं। लिपि के उद्भव तथा विकास के साथ ही देवनागरी लिपि की विशेषताओं का वर्णन भी इस इकाई में किया गया है।

अभ्यास-प्रश्न :

1. वाक्य का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न भेदों का वर्णन कीजिए।
2. वाक्य के आवश्यक तत्वों की व्याख्या उदाहरण सहित कीजिए।

NOTES

NOTES

3. अर्थ का महत्व स्पष्ट करते हुए भारत में अर्थ विचार की परंपरा का उल्लेख कीजिए।
4. शब्द एवं अर्थ के सम्बन्ध की गहनता को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
5. अर्थ परिवर्तन क्या है? इसके कारणों की विवेचना कीजिए।
6. कोश विज्ञान क्या है? विभिन्न प्रकार के कोशों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
7. व्युत्पत्ति विज्ञान के इतिहास का विस्तृत वर्णन कीजिए।
8. प्राचीन भारतीय भाषा विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास लिखिए।
9. आधुनिक भारतीय भाषा विज्ञानियों के कार्यों का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
10. भारतीय लिपियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए देवनागरी लिपि की विशेषताएँ बताइए।

सुझाव पत्र (विद्यार्थियों के लिये)

नाम - कार्यक्रम का नाम -
नामांकन नं. - कोर्स का नाम -
फोन नं.- सत्र -
ई-मेल आईडी -

प्रिय छात्र-छात्राओं,

विश्वविद्यालय के द्वारा दूरस्थ शिक्षण संस्था में पंजीकृत छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली पाठ्यसामग्री को हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपके विचार एवं सुझाव आमंत्रित हैं, कृपया आपको प्रदान की जाने वाली पाठ्य-सामग्री के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव 500 शब्दों में लिखकर प्रेषित करें, ताकि उक्त विचार एवं सुझाव का अमल करते हुये हम अपने पाठ्य सामग्री को और अधिक सरल, सहज एवं रोचक बनाया जा सकें।

सुझाव -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

छात्र का नाम एवं हस्ताक्षर

सुझाव पत्र (विषय विशेषज्ञ/पाठ्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम समन्वयक के लिये)

नाम - पद -
विभाग/विषय - पता -
फोन नं.- सत्र -
ई-मेल आईडी -

प्रिय विषय विशेषज्ञ/पाठ्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम समन्वयक,

विश्वविद्यालय के द्वारा दूरस्थ शिक्षण संस्था में पंजीकृत छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली पाठ्यसामग्री को हमेशा बेहतर बनाने का प्रयास रहा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपके विचार एवं सुझाव प्रार्थनीय है, कृपया आप इस पाठ्य-सामग्री के संबंध में अपने विचार एवं सुझाव 500 शब्दों में लिखकर प्रेषित करें, ताकि उक्त विचार एवं सुझाव का अमल करते हुये हम अपने पाठ्य सामग्री को और अधिक सरल, सहज एवं रोचक बनाया जा सके।

सुझाव -

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

धन्यवाद,

नाम एवं हस्ताक्षर